7470

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH

AT NEW DELHI

Appeal NO. 263 OF 2018

IN THE MATTER OF:

Amit Upadhayay …. Applicant

Versus

The State Level Environmental Impact Assessment Authority & Ors.

…Respondents

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT (M/s Pehalwan Traders, Hamirpur)	**1-6**
2.	**Annexure No. A1** A copy of the map of REIA Study Areas Report 1 and 2, showing the leases spread over river Betwa in districts Jalaun and Hamirpur, wherein the lease of the respondent firm falls and which depicts the actual factual scenario.	**7**
3.	**Annexure No. A2** A copy of the MoEF&CC guidelines dated 10.04.2015, Appendix XI of MoEF&CC guidelines dated 15.01.2016, decision of SEAC regarding Baseline Data Collection and Public Hearing dated 04.04.2018, G.O. by Principal Secretary, Mining, Govt. of UP regarding Baseline Data Collection and Public Hearing, Terms of	**8-385**

	Reference of all 36 Leases and Minutes of Public Hearing issued Individually for each project along with Advertisement & Demand Draft details	

DATE: 19.01.2025

PLACE: New Delhi

FILED BY:

ABHISHEK YADAV, Advocate

Counsel for the Respondent

A-10, Sector-61 Noida UP-201301

Mob:9312342505, Email: kdev.abhishek@gmail.com

INDIA NON JUDICIAL

7472

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

IN-UP58119978678939Y

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-UP58119978678939Y**
Certificate Issued Date	:	19-Jan-2026 01:24 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14238404/ LUCKNOW SADAR/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14238404125349719776O3Y
Purchased by	:	KAILASH SINGH YADAV
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	KAILASH SINGH YADAV
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	KAILASH SINGH YADAV
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

VIJAY KUMAR DIXIT ACC CODE UP14238404 Lic. No. 34/87 9936505163 Collectarate Lucknow

सत्यमेव जयते

IN-UP58119978678939Y

Please write or type below this line

Notary Register Sl. No. 43 Date 19 JAN 2026

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA) Shaleen Raj Advocate & Notary Bakshi Ka Talab Distt. Lucknow Regd. No. 31(97)2013

AFFIDAVIT ATTACHED

Shaleen Raj
Advocate & Notary
268/639 Gha/4, Tilak Nagar
Aishbagh Lucknow (U P) India

19 JAN 2026

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

7473

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

APPEAL NOS. 263 AND 264 OF 2018

NOTARY ★ GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)
Shaleen Raj
Advocate & Notary
Bakshi Ka Talab
Distt. Lucknow
Regd. No. 31(97)/2013

IN THE MATTER OF:
AMIT UPADHAYA ..... APPELLANT

VERSUS

SEIAA & ORS. .... RESPONDENTS

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT

(M/s Pehalwan Traders, Hamirpur)

I, **Kailash Singh Yadav**, S/o. Sri Ramvrakcha Yadav, aged about 51 years, Resident of H.No. 1095, Eldeco-2, Uphar Colony, Sector-3, Utharethiya, Rai Bareli Road, Lucknow, U.P.-226025, India do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am the Proprietor/Partner of the Respondent No.5 firm, hence being well conversant with the facts and records of the present case.

2. That for the convenience of this Hon'ble Tribunal, I am placing along with this affidavit the following documents, which are spread over and are already part of the five (5) Regional Environment Impact Assessment (REIA) Report, which have been placed before this Hon'ble Tribunal and are part of record. The same have been extracted from the various study report and being placed before this Hon'ble Tribunal:

   i. A copy of the map of REIA Study Areas Report 1 and 2, showing the leases spread over river Betwa in districts Jalaun and Hamirpur, wherein the lease of the respondent firm falls and which depicts the actual factual scenario, is annexed herewith and marked as **Annexure No.A1**

Shaleen Raj
Advocate & Notary
268/639 Gha/4, Tilak Nagar
Aishbagh Lucknow (U P) India
19 JAN 2026

Kailash Singh

ii. A copy of the MoEF&CC guidelines dated 10.04.2015, Appendix XI of MoEF&CC guidelines dated 15.01.2016, decision of SEAC regarding Baseline Data Collection and Public Hearing dated 04.04.2018, G.O. by Principal Secretary, Mining, Govt. of UP regarding Baseline Data Collection and Public Hearing, Terms of Reference of all 36 Leases and Minutes of Public Hearing issued Individually for each project along with Advertisement & Demand Draft details are marked as **Annexure No. A2 (Colly).**

3. The present affidavit is being placed bonafide and in the interest of Justice.

DEPONENT

NOTARY ★ GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA)
Shaleen Raj
Advocate & Notary
Bakshi Ka Talab
Distt. Lucknow
Regd. No. 31(97)/2013

:VERIFICATION:

I, the abovenamed respondent, do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge and belief. No part of the same is false and nothing has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 19th DAY OF JANUARY, 2026 AT LUCKNOW.

DEPONENT

Sl. No. 43.
Solemnly affirmed before me, on today at 1:35 A.M./P.M. by Kailash Singh Yadav who is identified by Shri Self
Clerk to Shri .....
I have satisfied myself and examining the deponent that the understands the content of the affidavit which has been read out and explained by me. Fee Rs. 35=

Shaleen Raj
Advocate & Notary
268/639 Gha/4, Tilak Nagar
Aishbagh Lucknow (U P) India

19 JAN 2026

I identify the deponent/executant, who has signed before me.

19/01/2026

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
आत्मज: रामवृक्ष यादव,
एच.न-1095,
एल्डिको-2,उफर
कलोनी,सेक्टर-3, उतरेठिया,
राय बरेली रोड, लखनऊ,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226025

Address:
S/O: Ramvrakcha Yadav, H.No-1095, Eldeco-2,Uphar Colony,Sector-3, Utharethiya, Rai Bareli Road, Lucknow, Lucknow, Uttar Pradesh - 226025

7404 7267 0297

1800 300 1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in | P.O. Box No.1947, Bengaluru-560 001

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

कैलाश सिंह यादव
Kailash Singh Yadav
जन्म तिथि/ DOB: 01/12/1975
पुरुष / MALE

7404 7267 0297

आधार -आम आदमी का अधिकार

NOTARY ★ GOVT. OF UTTAR PRADESH (INDIA) ★
Shaleen Raj
Advocate & Notary
Bakshi Ka Talab
Distt. Lucknow
Regd. No. 31(97)/2013

Shaleen Raj
Advocate & Notary
268/639 Gha/4, Tilak Nagar
Aishbagh Lucknow (U P) India

19 JAN 2026

ANNEXURE A-1

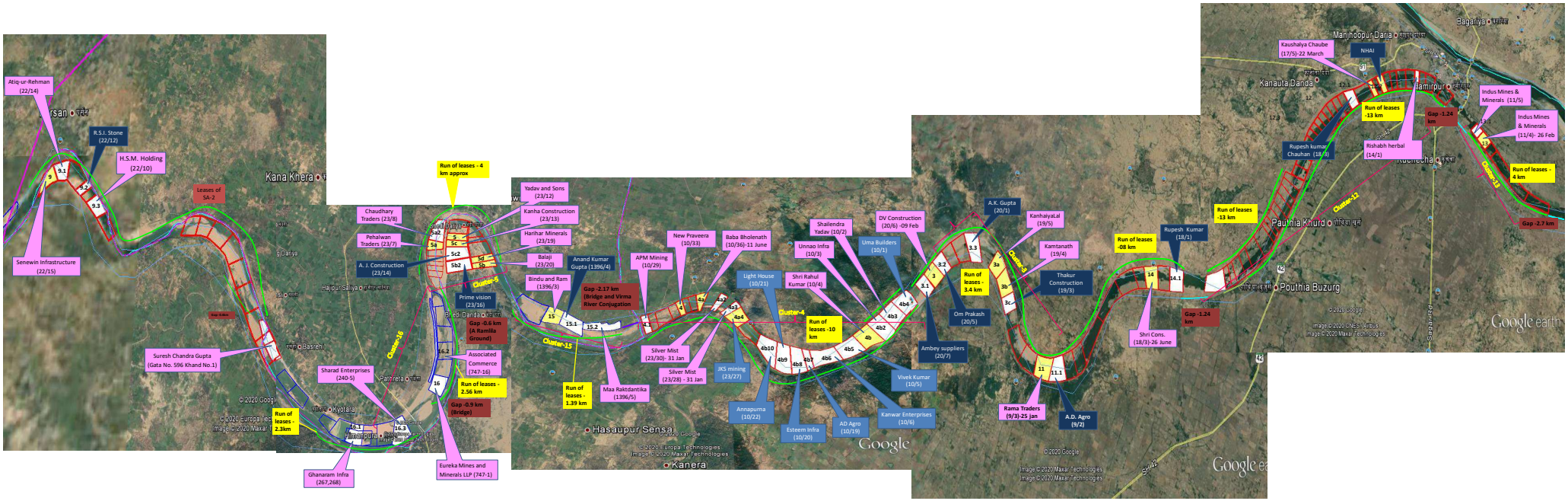

True Copy

7477

ANNEXURE A-2

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page Nos.
1.	Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi, Notification dated 10th April, 2015	2 - 4
2.	**Appendix-XI** of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi, Notification dated 15/01/2016	5 - 6
3.	Decision of the SEAC regarding Baseline Data Collection and Public Hearing dated 04.04.2018	7
4.	G.O. by Principal Secretary, Mining, Govt. of U.P. regarding Baseline Data Collection and Public Hearing.	8 - 9
5.	Terms of Reference (TORs) of all 36 Leases	10 - 62
6.	Minutes of Public Hearing issued Individually for each Projects along with Advertisement & Demand Draft details	63 - 204

RELEVANT GOVT. ORDERS (G.O.) & NOTIFICATIONS

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 765] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2015/चैत्र 20, 1937
No. 765] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2015 /CHAITRA 20, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

का.आ. 996(अ).- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देने के पश्चात् लोकहित में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, -

पैरा 7 के उप-पैरा 2 के उपशीर्ष के खंड (i) और (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,अर्थात् :—

(i) "विस्तारण" उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा विस्तृत व्यापक कार्य अवधारित करने के लिए उस परियोजना या क्रियाकलापों के संबध में कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी सुसंगत पर्यावरणीय समुत्थानों को जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति ईप्सित की गई है । सेक्टर विशेषज्ञ आकलन समिति से परामर्श कर मंत्रालय द्वारा विकसित मानक परियोजना क्रियाकलापों के लिए सौंपे गए कृत्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे :

परंतु यह कि विशेषज्ञ आकलन समिति या राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति, यदि परियोजना के लिए यह आवश्यक पाया जाए तो विनिर्दिष्ट प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में आवेदन को स्वीकार करने के तीस दिन में संशोधन को अंतिम रूप में प्रदान करेगी ।

मानक सौंपे गए कृत्य आवेदन के आनलाइन प्रस्तुत होने और रजिस्ट्रीकरण के सफलतापूर्वक होने के पश्चात् कोई पर्यावरण समाघात निर्धारण के प्रारंभ की तैयारी का परियोजना प्रस्ताव होगा ।

तथापि यह और कि विशेषज्ञ आकलन, यदि यह आवश्यक हो तो विनिर्दिष्ट आवेदन प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में आवेदन को स्वीकार होने में तीस दिन में अतिरिक्त सौंपे गए कृत्यों का अनुबंध कर सकेगी ।

और प्रस्तावक परियोजना अतिरिक्त सौंपे गए कृत्यों के साथ-साथ मानक सौंपे गए कृत्यों पर आधारित ईआईए को करेगा यदि सीईएसी द्वारा अनुबंधित हो, यदि कोई हो ।

परंतु यह कि निम्नलिखित के लिए विस्तारण अपेक्षित नहीं है :—

(i) अनुसूची के मद 8 (क) के सामने प्रवर्ग 'ख' के अधीन सूचीबद्ध सभी परियोजना और क्रियाकलाप ;

(ii) अनुसूची के मद 7 (च) के सामने और स्तंभ (3) को (i) स्तंभ (4) की प्रविष्टि (ii) के अधीन आने वाले सीमांत राज्यों के सभी राजमार्ग ;

(iii) अनुसूची के मद 7 (च) के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि (i) और प्रविष्टि (ii) के अधीन आने वाले सभी राजमार्ग विस्तार परियोजना ;

परंतु यह भी कि –

(क) खंड (i) में निर्दिष्ट सभी परियोजना और कृत्य प्ररूप 1 और प्ररूप 1क और संकल्पना परियोजना के आधार पर आकलित किए जाएंगे ।

(ख) खंड (ii) में निर्दिष्ट सभी परियोजनाएं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट मानक सौंपे गए कृत्यों के आधार पर पर्यावरण समाधात निर्धारण रिपोर्ट और पर्यावरण ईएमपी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए जाएंगे ।

(ii) पैरा 7 के उप पैरा (i) के उपशीर्ष में खंड (iii) को उनके खंड (ii) के रूप में पुर्नसंख्याकित किया जाएगा ।

[फा. सं. 22-62/2015-आईए-III]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उप खंड (ii) संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. 1737 (अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2009, का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2013, का.आ. 562 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2014, का.आ. 637 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014, का.आ. 1599 (अ), तारीख 25 जून, 2014, का.आ. 2601 (अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014, का.आ. 3252 (अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2014, का.आ. 382 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2015, का.आ. 811 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2015

S.O. 996(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause(a) of sub-rule (3) of said rule 5, in public interest, namely.—

In the said notification, in paragraph 7 in sub–paragraph (i), in sub-heading II. for clauses (i) and (ii), the following shall be substituted, namely:—

(i) "Scoping" refers to the process to determine detailed and comprehensive Terms of Reference (TOR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environment Impact Assessment (EIA) Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought. Standard TOR developed by the Ministry in consultation with the sector specific Expert Appraisal Committees shall be the deemed approved TOR for the projects or activities. The standard Terms of Reference are displayed on the website of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided that the Expert Appraisal Committee (EAC) or State Expert Appraisal Committee (SEAC) may finalise amendment, if found necessary for a project within thirty days of the acceptance of application in specified application Form I or Form IA. These standard TOR shall enable the Project Proponent to commence preparation of an Environment Impact Assessment Report after successful online submission and registration of the application:

Provided further that, the Expert Appraisal Committee (EAC) or State Expert Appraisal Committee (SEAC) may stipulate additional Terms of Reference, if found necessary, within thirty days of the acceptance of the application in the specified application Form I or Form IA and the Project Proponent shall carry out the EIA study based on the standard TORs as well as the additional TOR, if any, stipulated by EAC/SEAC:

Provided also that the following shall not require Scoping−

(i) all projects and activities listed under Category 'B', against Item 8(a) of the Schedule;
(ii) all Highway projects in border States covered under entry (i) of column (3) and entry (i) of column (4) against item 7(f) of the Schedule;
(iii) all Highway expansion projects covered under entry (ii) of column (3) and entry (ii) of column (4) against item 7(f) of the Schedule;

Provided also that –
(A) the project and activities referred to in clause (i) shall be appraised on the basis of Form I or Form IA and the conceptual plan;
(B) the projects referred to in clause (ii) shall prepare EIA and EMP report on the basis of standard TOR specified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

(ii) in Paragraph 7 in sub-paragraph (i), in sub-heading, clause (iii) shall be renumbered as clause (ii) thereof.

[F. No. 22-62/2015-IA.III]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O. 1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O. 695(E) dated the 4th April, 2011, S.O. 2896(E) dated the 13th December, 2012 , S.O. 674(E) dated the 13th March, 2013, S.O. 2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014, S.O.637(E) dated the 28th February, 2014, S.O. 1599(E) dated the 25th June, 2014, S.O. 2601 (E) dated 7th October, 2014, S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014, S.O. 382 (E) dated 3rd February, 2015, and S.O. 811(E) dated 23rd March, 2015.

.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

to a depth of one meter are considered as resource mineral. Other constituents like clay and silt are excluded as waste while calculating the mineral potential of particular river or stream.

The District Survey Report shall be prepared for each minor mineral in the district separately and its draft shall be placed in the public domain by keeping its copy in Collectorate and posting it on district's website for twenty one days. The comments received shall be considered and if found fit, shall be incorporated in the final Report to be finalised within six months by the DEIAA.

The District Survey Report shall form the basis for application for environmental clearance, preparation of reports and appraisal of projects. The Report shall be updated once every five years.

APPENDIX - XI

[See paragraph 7 (iii) (b)]

PROCEDURE FOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE FOR MINING OF MINOR MINERALS INCLUDING CLUSTER

The following policy shall be followed for environmental clearance of mining of minor minerals including cluster situation:-

(1). The data provided by the States (Sustainable Sand Mining Guidelines) shows that most of the mining leases for minor minerals are of lease area less than 5 hectare. It is also reported that in hill States getting a stretch in river with area more than 5 hectare is very uncommon. So the size of lease for minor minerals including river sand mining will be determined by the States as per their circumstances.

(2). The mining of minor minerals is mostly in clusters. The Environment Impact Assessment or Environment Management Plan are required to be prepared for the entire cluster in order to capture all the possible externalities. These reports shall capture carrying capacity of the cluster, transportation and related issues, replenishment and recharge issues, geo-hydrological study of the cluster area. The Environment Impact Assessment or Environment Management Plan shall be prepared by the State or State nominated Agency or group of project proponents in the Cluster or the project proponent in the cluster.

(3). There shall be one public consultation for entire cluster after which the final Environment Impact Assessment or Environment Management Plan report for the cluster shall be prepared.

(4). Environmental clearance shall be applied for and issued to the individual project proponent. The individual lease holders in cluster can use the same Environment Impact Assessment or Environment Management Plan for application for environmental clearance. The cluster Environment Impact Assessment or Environment Management Plan shall be updated as per need keeping in view any significant change.

(5). The details of cluster Environment Impact Assessment or Environment Management Plan shall be reflected in each environmental clearance in that cluster and DEAC, SEAC, and EAC shall ensure that the mitigative measures emanating from the Environment Impact Assessment or Environment Management Plan study are fully reflected as environmental clearance conditions in the environmental clearance's of individual project proponents in that cluster.

(6). A cluster shall be formed when the distance between the peripheries of one lease is less than 500 meters from the periphery of other lease in a homogeneous mineral area.

(7). Form 1M, Pre-Feasibility Report and mine plan for Category 'B2' projects for mining of minor minerals shall be prepared by the Registered Qualified Person or Accredited Consultants of Quality Council of India, National Accreditation Board for Education and Training. The Environment Impact Assessment or Environment Management Plan for Category 'A' and Category 'B1' projects shall be prepared by the accredited consultants of Quality Council of India, National Accreditation Board for Education and Training.

(8). The SEIAAs shall have supervisory jurisdiction over the DEIAAs and decisions of DEIAA shall be reviewed by the SEIAA without prejudice to any provisions under any existing law.

Schematic Presentation of Requirements on Environmental Clearance of Minor Minerals including cluster situation

Area of Lease (Hectare)	Category of Project	Require-ment of EIA / EMP	Require-ment of Public Hearing	Require-ment of EC	Who can prepare EIA/ EMP	Who will apply for EC	Authority to appraise/ grant EC	Authority to monitor EC compliance
EC Proposal of Sand Mining and other Minor Mineral Mining on the basis of individual mine lease								
0 – 5ha	**'B2'**	Form –1M, PFR and Approved Mine Plan	No	Yes	Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA	DEIAA SEIAA SPCB CPCB MoEFCC Agency

> 5 ha and < 25 ha	**'B2'**	Form –I, PFR and Approved Mine Plan and EMP	No	Yes	Project Proponent	Project Proponent	SEAC / SEIAA	nominated by MoEFCC
≥ 25ha and < 50ha	**'B1'**	Yes	Yes	Yes	Project Proponent	Project Proponent	SEAC/ SEIAA	
≥ 50 ha	**'A'**	Yes	Yes	Yes	Project Proponent	Project Proponent	EAC/ MoEFCC	
EC Proposal of Sand Mining and other Minor Mineral Mining in cluster situation								
Cluster area of mine leases up to 5 ha	**'B2'**	Form –1M, PFR and Approved Mine Plan	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA/	DEIAA SEIAA SPCB CPCB MoEFCC Agency nominated by MoEFCC
Cluster area of Mine leases > 5 ha and < 25 ha with no individual lease > 5 ha	**'B2'**	Form –I, PFR and Approved Mine Plan and one EMP for all leases in the Cluster	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA/	
Cluster of mine leases of area ≥ 25 hectares with individual lease size < 50ha	**'B1'**	Yes	Yes	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	SEAC/ SEIAA	
Cluster of any size with any of the individual lease ≥ 50ha	**'A'**	Yes	Yes	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	EAC/ MoEFCC	

APPENDIX - XII

[See paragraph 10 (iv)]

PROCEDURE FOR MONITORING OF SAND MINING OR RIVER BED MINING

1. The security feature of Transport Permit shall be as under:

   (a) Printed on Indian Banks' Association (IBA) approved Magnetic Ink Character Recognition (MICR) Code paper.

   (b) Unique Barcode.

   (c) Unique Quick Response (QR) code.

   (d) Fugitive Ink Background.

   (e) Invisible Ink Mark.

   (f) Void Pantograph.

   (g) Watermark.

2. Requirement at Mine Lease Site:

   (a) Small Size Plot (Up to 5 hectare): Android Based Smart Phone.

General Discussion:-

The committee has gone through the note presented by the Secretariat regarding- **"THE POSSIBILITIES OF STAGNATION IN ACTIVATION OF MINE LEASE ON ACCOUNT OF B1 PROJECTS"**

The SEAC is of the view that :

S.No.	Content	SEAC View
1	Allow the use of primary data collected in 2013, 14 & 15 for Environmental Clearances of river bed mining in various districts to be used as baseline data with additional confirmatory testing of 2 to 4 weeks prior to public hearing.	It is not permissible as per Govt. of India Notification dated 14-09-2006 (as amended thereof)
2	Considering that most of the river bed mining ToR are more or less similar, permit proponents to undertake primary baseline data collection from the date of issue of Letter of Intent. This can be done by issuing a standard Terms of Reference instead of waiting for a ToR Presentation. Additionally, public hearing may be held jointly at the Tehsil Head Quarter for all the B1 leases which would save substantial time and money.	Project Proponent may undertake primary baseline data from the date of issuance of Letter of Intent without waiting for issuance of ToR. Project Proponent may also undertake the prescribed standard ToR for EIA studies if he applies for exemption from ToR presentation, he may be allowed to do so provided he fulfills all the necessary condition of standard ToR. SEAC has no objection in holding joint Public hearing at the tehsil headquarter.

4.4.18

4.4.18

4/4/18

4/4/18

संख्या–532 / 55–पर्या–2–2018–103 (पर्या) / 2007

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

पर्यावरण अनुभाग–2 लखनऊः दिनांक : 23 अप्रैल, 2018

विषय–नदी तट खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति के त्वरित निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं0–जे–11013 / 41 / 2006–आई0ए0–11(1) (Part) दिनांक 29.08.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त कर्यालय ज्ञाप में यह व्यवस्था दी गयी है कि पर्यावरण संघात ऑकलन / पर्यावरण प्रबन्ध परियोजना हेतु बेस लाईन डाटा का संग्रहण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व अथवा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा terms of reference निर्गत करने के पूर्व से ही किया जा सकता है। परन्तु शर्त यह रखी गयी है कि बेस लाईन डाटा व जन सुनवाई पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त किये जाने के समय से 03 वर्ष से अधिक पूर्व की नहीं होनी चाहिए।

2– खनन परियोजनाओं के संबंध में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा मानक terms of reference तैयार की गयी है जो बेवसाइट www.seiaaup.in पर उपलब्ध है। उक्त मानक terms of reference के आधार पर पर्यावरण संघात ऑकलन / पर्यावरण प्रबन्ध परियोजना हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 04.04.2018 को कार्यवाही हेतु निम्न निर्णय लिया गया है:–

"Project Proponent may undertake primary baseline data from the date of issuance of Letter of Intent without waiting for issuance to ToR. Project Proponent may also undertake the prescribed standard ToR for EIA studies if he applies for exemption from ToR presentation, he may be allowed to do so provided he fulfills all the necessary condition of standard ToR."

SEAC has no objection in holding joint Public hearing at the tehsil headquarter.

उक्त निर्णयानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

क्रमशः 2

3– पर्यावरण संघात ऑकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 में यह भी प्रावधान है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण संघात ऑकलन रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के सात दिन के अंदर जन सुनवाई हेतु स्थल व तिथि तय कर दी जायेगी। एक क्लस्टर में आने वाली नदी तट खनन परियोजनाओं की संयुक्त रूप से सुनवाई पर्यावरणीय अनापत्ति के त्वरित निस्तारण की दृष्टि से की जा सकती है। यह तभी संभव होगा जबकि पर्यावरण संघात आकलन रिपोर्ट उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक साथ प्रस्तुत की जाये।

4– नदी तट खनन परियोजनाओं के अधिकतर क्षेत्र नदियों एवं दुर्गम क्षेत्रों में स्थित होते हैं। पर्यावरण संघात ऑकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 में यह भी प्रावधान है कि जनसुनवाई परियोजना स्थल अथवा उसके समीप स्थल पर व्यवस्थित एवं समयबद्ध रूप से आयोजित की जाये। खनन परियोजनाओं की तहसील मुख्यालय पर सुनवाई की जा सकती है क्योंकि तहसील मुख्यालय ग्रामीणों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के लिये सुगम होते हैं तथा तहसील मुख्यालय पर ग्रामीण व अन्य नागरिक "तहसील दिवस" इत्यादि कार्यक्रमों में जाकर प्रतिभाग भी करते हैं। तहसील मुख्यालय पर आयोजित जन सुनवाई में सभी स्टेक होल्डर्स की प्रतिभागिता सुनिश्चित करायी जानी आवश्यक होगी।

उपर्युक्त वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त प्रक्रिया के आधार पर खनन परियोजनाओं से संबन्धित पर्यावरणीय अनापत्ति के संबंध में त्वरित कार्यवाही कराने का कष्ट करें ताकि समयबद्ध रूप से पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जा सके।

भवदीय,

23/4/18

(रेणुका कुमारे)

प्रमुख सचिव।

संख्या– 532/55–पर्या–2–2018–103(पर्या)/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात ऑकलन प्राधिकरण, उ0प्र0।
2. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, उ0प्र0।
3. निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0।
4. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
5. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।

आज्ञा से

(निहालुद्दीन खाँ)

संयुक्त सचिव

TERMS OF REFERENCE (TORs) OF ALL 36 LEASES

(STUDY AREA WISE)

DETAILS OF TERMS OF REFERENCE

S. No.	Name of the Project	File No.	Recom. for ToR	Page Nos.
1.	M/s Senewin Infrastructure Pvt. Ltd.	4103	11.04.2018	13
2.	M/s Senewin Infrastructure Pvt. Ltd.	4322	30.07.2018	14
3.	M/s Senewin Infrastructure Pvt. Ltd.	4304	30.07.2018	15
4.	New Eoan Associates	4510-4404	19.11.2018	16-19
5.	M/s Satyam Construction	4437	13.11.2018	20
6.	M/s Disha Enterprises	4528-4439	19.11.2018	21
7.	M/s Kanhaiyalal & Sons	4531-4420	22.10.2018	22
8.	M/s Kamtanath Enterprises Pvt. Ltd.	4532-4426	22.10.2018	23
9.	M/s Shri Construction	4538-4433	13.11.2018	24
10.	M/s New Praveera Infrahight Pvt. Ltd.	4533-4438	13.11.2018	25
11.	M/s Rahul Kumar Gupta	4534-4446	13.11.2018	26
12.	M/s Yadav and Sons	4529-4429	13.11.2018	27
13.	M/s Pehalwan Traders	4141	11.04.2018	28
14.	M/s Balaji Enterprises	4155	25.04.2018	29
15.	M/s Shri Kanha Construction Company	4192	25.05.2018	30
16.	M/s Harihar Minerals LLP	4513-4406	19.11.2018	31-34
17.	M/s Smt. Kaushilya Chobey Contractor	4219	11.07.2018	35
18.	M/s Indus Mines and Minerals	4140	11.04.2018	36
19.	M/s Rama Traders	4070	11.04.2018	37
20.	M/s Baba Bholenath Traders	4376	20.08.2018	38
21.	M/s D.V. Construction	4156	25.04.2018	39
22.	M/s Bindu and Ram Construction Company	4182	25.05.2018	40
23.	M/s Eureka Mines & Minerals	4512-4384	19.11.2018	41-43
24.	M/s Harihar Minerals LLP	4160	25.04.2018	44
25.	M/s Eureka Mines and Minerals LLP	4050	11.04.2018	45

7489

26.	M/s Vikas Enterprises	4358	20.08.2018	46
27.	M/s Chaudhary Traders	4227	11.07.2018	47
28.	M/s Chaudhary Int Udyog	4335	19.11.2018	48-54
29.	M/s Silvrr Mist Retail Private Limited	4234	27.06.2018	55
30.	M/s Silvrr Mist Retail Pvt. Ltd.	4100	11.04.2018	56
31.	M/s Awasthi Traders	4337	19.09.2018	57
32.	M/s Gyan Infrabuild Pvt. Ltd.	4233	27.06.2018	58
33.	M/s Kunwar Infradevelopers Pvt. Ltd.	4061	11.04.2018	59
34.	M/s Rajesh Enterprises	4164	25.04.2018	60
35.	M/s Bharat Earth Movers	4194	27.06.2018	61
36.	M/s Sai Construction And Suppliers	4325	07.08.2018	62

7490

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

Uploaded on
www.seiaaup.in

To,

Shri Ramesh Chandra Mishra,
Owner,
Branch-06, Sarojini Naidu Marg,
Lucknow, U.P.-226001

Ref. No.....19...../Parya/SEAC/4103/2018 **Date: // April, 2018**

Sub: Terms of reference for Proposed River Bed Sand Mining from Betwa River at Gata No.- 864/320, 865/320,Village-Simiriyar,Tehsil-Orai, District- Jalaun, Lease Area: 27.53 Ha (68.0 Acre), M/s Sanevin Infrastructure Pvt. Ltd.

Dear Sir,

Please refer to your application dated 06-03-2018 addressed to the Secretary SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 23-03-2018.

A presentation was made by project proponent along with their consultant M/s ENV DAS (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for Proposed River Bed Sand Mining from Betwa River at Gata No.- 864/320, 865/320,Village-Simiriyar,Tehsil-Orai, District- Jalaun, Lease Area: 27.53 Ha (68.0 Acre), M/s Sanevin Infrastructure Pvt. Ltd.

2- Salient features details of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/21915/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	4103
3. Name of Proponent	Shri Ramesh Chandra Mishra
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	M/s Sanevin Infrastructure Pvt Ltd Shri Ramesh Chandra Mishra R/o Branch- 06, Sarojini Naidu Marg, Lucknow, U.P. 226001
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Gata No. 864/320, 865/320
7. Name of River	Betwa
8. Name of Village	Simiriya
9. Tehsil	Orai
10. District	Jalaun
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	27.53 ha
13. Mineable Area (in ha)	18.12 ha
14. Zero level mRL	105 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	112 mRL and 106 mRL
16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)	Pillars | Latitude | Longitude Sanctioned Lease Area

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

To,

Shri Dinesh Pratap Singh,
Director,
Branch – 6, Sarojni Naidu Marg,
Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh

Ref. No.....309...../Parya/SEAC/4322/2017 **Date: 30 July, 2018**

Sub: **Terms of Reference for Proposed River bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Khand No. 22/15, Village - Rirua Basaria, Tehsil - Sarila , District - Hamirpur, U.P., (Leased Area-24.291 Ha.), M/s Senvin Infrastruction Pvt. Ltd.**

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 25-05-2018 & 29-05-2018 addressed to the Secretary, SEAC, Directorate of Environment, U.P., Lucknow on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 08-06-2018 and SEIAA in its meeting dated 04-07-2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV DAS (I) Pvt. Ltd., Lucknow. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that :-

1- The environmental clearance is sought for proposed River bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Khand No. 22/15, Village - Rirua Basaria, Tehsil - Sarila , District - Hamirpur, U.P., (Leased Area-24.291 Ha.), M/s Senvin Infrastruction Pvt. Ltd.

2- Salient features of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/26229/2018			
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4322**			
3. Name of Proponent	**M/s Sanewin Infrastructure Pvt. Ltd.** Authorized Signatory- Shri Ramesh Chandra Mishra			
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s Sanewin Infrastructure Pvt. Ltd.** Authorized Signatory- Shri Ramesh Chandra Mishra R/o H.No. Branch-06, Sarojini Naidu Marg, District - Lucknow, Uttar Pradesh			
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining			
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	22/15			
7. Name of River	Betwa			
8. Name of Village	Rirua Basaria			
9. Tehsil	Sarila			
10. District	Hamirpur			
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum			
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	24.291 ha			
13. Mineable Area (in ha)	16.131 ha			
14. Zero level mRL	100 mRL			
15. Max. & Min mRL within lease area	106 mRL and 104 mRL			
16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)		**Sanctioned Area**		
		Points	**Latitude**	**Longitude**

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

To,

Mr. Ramesh Chandra Mishra,
Authorized Signatory,
M/s Sanewin Infrastructure pvt. Ltd.
H.No. Branch-06, Sarojni Naidu Marg,
District-Lucknow, Uttar Pradesh.

Ref. No.....307...../Parya/SEAC/4304/2017 **Date: 30 July, 2018**

Sub: **Terms of Reference for proposed River bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Khand No. 26/7,Village-Chandwari Ghurouli, Tehsil- Sarila, District- Hamirpur,U.P., (Sanctioned Lease Area-36.437 ha.), M/s Sanewin Infrastructure Pvt. Ltd.**

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 17/05/2018 & 21-05-2018 addressed to the Secretary, SEAC, Directorate of Environment, U.P., Lucknow on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 08-06-2018 and SEIAA in its meeting dated 04/07/2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV DAS (I) Pvt. Ltd., Lucknow. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for proposed River bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Khand No. 26/7,Village-Chandwari Ghurouli, Tehsil- Sarila, District-Hamirpur,U.P., (Sanctioned Lease Area-36.437 ha.), M/s Sanewin Infrastructure Pvt. Ltd.

2- Salient features of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/26125/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4304**
3. Name of Proponent	**M/s Sanewin Infrastructure Pvt. Ltd.** Authorized Signatory- Shri Ramesh Chandra Mishra
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s Sanewin Infrastructure Pvt. Ltd.** Authorized Signatory- Shri Ramesh Chandra Mishra R/o H.No. Branch-06, Sarojini Naidu Marg, District - Lucknow, Uttar Pradesh
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 26/7
7. Name of River	Betwa
8. Name of Village	Chandwari Ghurouli
9. Tehsil	Sarila
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	36.437 ha
13. Mineable Area (in ha)	29.937 ha

19. Green belt shall be developed in minimum 33% of the plot area to mitigate the effect of fugitive emission all around the plant in consultation with DFO as per CPCB guidelines. Thick green belt around factory premises shall be ensured.
20. The Company shall harvest surface as well as rain water, from the rooftops of the buildings proposed in the project and storm water drains to recharge the ground water and use the same water for the various activities of the project to conserve fresh water.
21. Accreditation documents of concerned Laboratory for monitoring/testing purposes to be submitted.
22. All the recommendations mentioned in the EMP/DMP shall be implemented.
23. Dedicated parking facility for loading and unloading of material shall be provided in the LPG bottling plant. Unit shall develop and implement good traffic management system for their incoming and outgoing vehicles to avoid congestion on the public road.
24. Company shall adopt Corporate Environment Policy as per the Ministry's O.M. No- J-11013/41/2006-IA.II(I) dated 26 April, 2011 and implemented.
25. Digital photographs to be submitted for future expansion.
26. Peripheral green of minimum 50.0 metre is to be retained with tree plantation along the boundary of proposed. Tree plantation @ One tree per 80.0 sq.metres is to be provided.
27. All papers regarding Accredited testing lab is to be submitted.
28. A 2% of the total project cost Corporate Environmental Responsibility (CER) plan along with budgetary provision shall be prepared phase wise and approved by Board of Directors of the company. A copy of resolution as above shall be submitted to the authority. A list of beneficiaries with their mobile nos./address should be submitted alongwith photographs.
29. Online real time VOC analyzers should be installed in the predominant wind directions for continuous VOC monitoring.

2. River Bed Sand / Morrum Mining Project at Betwa River at Khand No.-26/3, Village – Chandwari Ghurouli, Tehsil- Sarila, District- Hamirpur, U.P., (Leased Area-24.291 Ha.) M/s New Eoan Associates. File No. 4404/ Proposal No.SIA/UP/MIN/ /2018

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV Development Assistance Systems (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that :-

1. The environmental clearance is sought for river bed Sand/Morrum Mining Project at Betwa River at Khand No.-26/3, Village – Chandwari Ghurouli, Tehsil- Sarila, District-Hamirpur, U.P., (Leased Area-24.291 Ha.) M/s New Eoan Associates.
2. Salient features of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/28363/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4404**
3. Name of Proponent	**M/s New Eoan Associates** Proprietor- Shri Dharmendra Singh Tomar
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s New Eoan Associates** Proprietor- Shri Dharmendra Singh Tomar S/o Shri Krishna Kumar Singh Tomar, R/o H.No. 101, Tansen Nagar,, Tehsil - Gwalior, District - Gwalior, M.P.
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining

<table>
<tr><td>6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)</td><td>Khand No. 26/3</td></tr>
<tr><td>7. Name of River</td><td>Betwa</td></tr>
<tr><td>8. Name of Village</td><td>Chandwari Ghurouli</td></tr>
<tr><td>9. Tehsil</td><td>Sarila</td></tr>
<tr><td>10. District</td><td>Hamirpur</td></tr>
<tr><td>11. Name of Minor Mineral</td><td>Sand/Morrum</td></tr>
<tr><td>12. Sanctioned Lease Area (in ha)</td><td>24.291 ha</td></tr>
<tr><td>13. Mineable Area (in ha)</td><td>20.291 ha</td></tr>
<tr><td>14. Zero level mRL</td><td>110 mRL</td></tr>
<tr><td>15. Max. & Min mrl within lease area</td><td>118 mRL and 114 mRL</td></tr>
<tr><td>16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)</td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">Sanctioned Area</th></tr>
<tr><th>Points</th><th>Latitude</th><th>Longitude</th></tr>
<tr><td>A</td><td>25°48'4.95"N</td><td>79°26'0.55"E</td></tr>
<tr><td>B</td><td>25°47'54.70"N</td><td>79°26'7.88"E</td></tr>
<tr><td>C</td><td>25°47'40.71"N</td><td>79°25'51.78"E</td></tr>
<tr><td>D</td><td>25°47'49.30"N</td><td>79°25'43.09"E</td></tr>
<tr><th colspan="3">Workable Area</th></tr>
<tr><td>E</td><td>25°48'2.40"N</td><td>79°25'57.70"E</td></tr>
<tr><td>F</td><td>25°47'51.57"N</td><td>79°26'4.36"E</td></tr>
<tr><td>C</td><td>25°47'40.71"N</td><td>79°25'51.78"E</td></tr>
<tr><td>D</td><td>25°47'49.30"N</td><td>79°25'43.09"E</td></tr>
<tr><th colspan="3">Non Workable Area</th></tr>
<tr><td>A</td><td>25°48'4.95"N</td><td>79°26'0.55"E</td></tr>
<tr><td>B</td><td>25°47'54.70"N</td><td>79°26'7.88"E</td></tr>
<tr><td>F</td><td>25°47'51.57"N</td><td>79°26'4.36"E</td></tr>
<tr><td>E</td><td>25°48'2.40"N</td><td>79°25'57.70"E</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>17. Total Geological Reserves</td><td>12,14,550 m^3</td></tr>
<tr><td>18. Total Mineable Reserves in LOI</td><td>4,85,747 m^3/year</td></tr>
<tr><td>19. Total Proposed Production</td><td>4,85,747 m^3/annum (24,28,735 m^3 in 05 years)</td></tr>
<tr><td>20. Proposed Production/year</td><td>4,85,747 m^3</td></tr>
<tr><td>21. Sanctioned Period of Mine lease</td><td>5 years</td></tr>
<tr><td>22. Production of mine/day</td><td>1766 m^3/day</td></tr>
<tr><td>23. Method of Mining</td><td>Opencast Manual & Semi mechanized</td></tr>
<tr><td>24. No. of working days</td><td>275 days</td></tr>
<tr><td>25. Working hours/day</td><td>12 hours</td></tr>
<tr><td>26. No. Of workers</td><td>Approximately 52 labours</td></tr>
<tr><td>27. No. Of vehicles movement/day</td><td>118 units</td></tr>
<tr><td>28. Type of Land</td><td>Non – Agricultural, Government Waste Land (Revenue land)</td></tr>
<tr><td>29. Ultimate Depth of Mining</td><td>3 m</td></tr>
<tr><td>30. Nearest metalled road from site</td><td>SH 21 (Rath- Orai Marg)- 2.50 km* (N)</td></tr>
<tr><td>31. Water Requirement</td><td>
<table>
<tr><th>PURPOSE</th><th>REQUIREMENT (KLD)</th></tr>
<tr><td>Drinking</td><td>0.52</td></tr>
<tr><td>Suppression of dust</td><td>8.4</td></tr>
<tr><td>Plantation</td><td>0. 06</td></tr>
<tr><td>Others (if any)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>8.98 KLD</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>32. Name of QCI Accredited Consultant with QCI No and period of validity.</td><td>ENV Development Assistance Systems (I) Pvt. Ltd. NABET/EIA/1720/RA 0078 and Valid till 02/04/2020.</td></tr>
<tr><td>33. Any litigation pending against the project or land in any court</td><td>None</td></tr>
<tr><td>34. Details of 500 m Cluster Map & certificate verified by Mining Officer</td><td>Cluster certificate issued by DMO Hamirpur
Letter No.622/khanij-M-M-C- Tees- Vividh (2018-19) dated 18/07/2018</td></tr>
<tr><td>35. Details of Lease Area in approved DSR</td><td>Page No 65; Table No.22</td></tr>
</table>

36. Proposed CSR cost	5% of total project cost i.e. Rs.7,10,000/-
37. Proposed EMP cost/ Total Project Cost	Rs 35,05,195/- & 1,42,01,000/-
38. Length and Width of Haul Road	700 m Length and 6 m width
39. No. of Trees to be Planted	121

3. The mining would be restricted to unsaturated zone only above the phreatic water table and will not intersect the ground water table at any point of time.
4. This project does not attract any of the general conditions applicable on mining projects specified in EIA Notification 14/09/2006.
5. The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.
6. There is no litigation pending in any court regarding this project.
7. The project proposal falls under category–1(a) of EIA Notification, 2006 (as amended).

Resolution against agenda no-02

The committee discussed the matter in light of MOEFCC Notification dated 15/01/2016 and recommended to issue the terms of reference (TOR) for the preparation of EIA as annexed at annexure-1 to these minutes.

3. River Bed Sand/Morrum Mining Project at Betwa River at Khand No.-23/19, Village – Bhedi Kharka, Tehsil- Sarila, District- Hamirpur, U.P., (Leased Area-12.145 Ha.) M/s Harihar Minerals LLP. File No. 4406/ Proposal No.SIA/UP/MIN/80370/2018

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV Development Assistance Systems (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that :-

1. The environmental clearance is sought for river bed Sand/Morrum Mining Project at Betwa River at Khand No.-23/19, Village–Bhedi Kharka, Tehsil-Sarila, District-Hamirpur, U.P., (Leased Area-12.145 Ha.) M/s Harihar Minerals LLP.
2. Salient features of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/28370/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4406**
3. Name of Proponent	**M/s Harihar Minerals LLP** Proprietor- Shri Ram Avatar Singh
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s Harihar Minerals LLP** Proprietor- Shri Ram Avatar Singh S/o Shri Tej Ram Singh, R/o H.No. LLP 405 Kha,New Patel Nagar, Near Kalidas School, Tehsil - Orai, District -Jalaun, U.P.
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 23/19
7. Name of River	Betwa
8. Name of Village	Bhedi Kharka
9. Tehsil	Sarila
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	12.145 ha
13. Mineable Area (in ha)	9.685 ha
14. Zero level mRL	101 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	106 mRL and 104 mRL
16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)	**Sanctioned Area**

2. **Sand Mining at Ganga River bed, Gata No-. 13Mi over an are of 5.3660 Ha. Village Manpur Ahatmali, Teshil Beeghapur Distt: Unnao., U.P. File No. 4151/Proposal No. SIA/UP/MIN/73652/2018**

The SEIAA agreed with the recommendations of the SEAC to close the file and open it only when online request would be received on portal since the PP did not appear for presentation.

3. **Proposed Riverbed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River located at Khand No.-24/9, Village- Chikasi, Tehsil- Sarila, District-Hamirpur, U.P., Sanctioned Lease Area-36.437 Ha, M/s Satyam Constructions. File No. 4437/Proposal No. SIA/UP/MIN/28562/2018**

The SEIAA agreed with the recommendation of the SEAC to issue the additional ToR;s to the title proposal for conducting EIA studies. The SEIAA also added the following points to TOR;-

1- All pages of technical documents/EIA/EMP etc. should be signed by the consultant and project proponent both.
2- Copy of all the analysis reports signed by analyst approved by NABL or MoEF&CC shall be annexed with the EIA report and original analysis reports should be presented at the time of presentation.
3- MOU signed between the project proponent and the consultant should be submitted.

4. **Sand/Moram Mining at Ghaghra/Saryu River Bed at Gata No.- 830 mi, 831mi, 832mi, Village-Manjha Ajmeri Badshahpur, Tehsil-Tanda, District-Ambedkar Nagar, U.P. (Leased Area- 5.5 Ha.). File No. 4400/ Proposal No.SIA/UP/MIN/75851/2018**

The SEIAA noted that the above project was recommended by SEAC to grant the prior Environmental Clearance to the proposed project along with all the general and specific conditions as suggested by the SEAC. The SEIAA also noted that in LOI and the application the address is mentioned as Gata No.- 830 mi, 831mi, 832mi, Village-Manjha Ajmeri Badshahpur, Tehsil-Tanda, District-Ambedkar Nagar, whereas in amended DSR dated 07-04-2018 the address is mentioned that Gata No.- 830 , 831, 832, Village- Ajmeri Badshahpur, Tehsil-Tanda, District-Ambedkar Nagar. Hence the project proponent should submit a clarification regarding the above.

5. **Proposed Riverbed Sand/Morrum Mining Project from Ken River of M/s Chaudhary Int Udyog located at Gata No. 04(Block-17), Village-Sadi Khadar, Tehsil- Pailani, District-Banda, Uttar Pradesh. Sanctioned Lease Area-13 Ha. File No. 4335/Proposal No. SIA/UP/MIN/27745/2018**

The SEIAA agreed with the recommendation of the SEAC to issue the additional ToR;s to the title proposal for conducting EIA studies. The SEIAA also added the following points to TOR;-

1- All pages of technical documents/EIA/EMP etc. should be signed by the consultant and project proponent both.

7497

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

To,

Shri Mohammed Ashfaque ,
Owner,
H.no- 28/46, 2nd Floor, Katija Bai Buliding,
Tank st (V.K. Marg) Choti Masjid,
Nagpada, Mumbai Central,
District- Mumbai.

Ref. No.....4439...../Parya/SEAC/4439/2018 **Date: 13/11 October, 2018**

Sub: Terms of Reference for Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at 24/14, Village-Chikasi, Tehsil-Sarila, District-Hamirpur, U.P., (Lease Area - 36.437 ha.) M/s Disha Enterprises

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 04-08-2018 & 13-08-2018 addressed to the Secretary, SEAC, Directorate of Environment, U.P., Lucknow on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 14-09-2018 and SEIAA in its meeting dated 12-10-2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s DAS India Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that :-

1- The environmental clearance is sought for Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at 24/14, Village-Chikasi, Tehsil-Sarila, District-Hamirpur, U.P., (Lease Area - 36.437 ha.) M/s Disha Enterprises

2- Salient features of the project as submitted by the project proponent:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/28574/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	4439
3. Name of Proponent	M/s Disha Enterprises Authorized Signatory- Mohammed Ashfaque Mohammed Munshi
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	M/s Disha Enterprises Proprietor- Mohammed Ashfaque Mohammed Munshi Khan S/o Village - Mathauli, P.O. – Bharwalia , District- Basti, U.P.
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 24/14
7. Name of River	Betwa
8. Name of Village	Chikasi
9. Tehsil	Sarila
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	36.437 ha
13. Mineable Area (in ha)	32.497 ha
14. Zero level mRL	109 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	117 mRL and 113 mRL
16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)	Sanctioned Area Points | Latitude | Longitude

7498

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

To,

Shir Dushyant Singh,
S/o Shri Udaypal Singh,
Authorized Signatory,
H.No- 131, Nivada, Tehsil- Maudaha,
District- Hamirpur,U.P- 21051

Ref. No.....381...../Parya/SEAC/4420/2018 **Date: 22 October, 2018**

Sub: Terms of Reference for proposed riverbed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Khand No.-19/4, Village- Teekapur, Tehsil- Maudaha, Distt-Hamirpur, (Leased Area-29.554 Ha.), M/s Kanhaiyan Lal and Sons.

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 27/07/2018 & 31/07/2018 addressed to the Secretary, SEAC, Directorate of Environment, U.P., Lucknow on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 30/08/2018 and SEIAA in its meeting dated 11/09/2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV Development Assistance Systems (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that :-

1. The environmental clearance is sought for riverbed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Khand No.-19/4, Village- Teekapur, Tehsil- Maudaha, Distt-Hamirpur, (Leased Area-29.554 Ha.), M/s Kanhaiyan Lal and Sons.
2. Salient features of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/28402/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4420**
3. Name of Proponent	**M/s Kanhaiyalal And Sons** Authorized Signatory- Shri Dushyant Singh S/o Shri Udaypal Singh
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s Kanhaiyalal And Sons** Proprietor- Shri Umesh Chandra Bansal S/o Shri Kailash Narayan Bansal, R/o Ward No. 08, Near Radha Krishna Temple, Tehsil - Porsa, District - Morena, M.P.
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 19/4
7. Name of River	Betwa
8. Name of Village	Teekapur
9. Tehsil	Maudaha
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	29.554 ha
13. Mineable Area (in ha)	24.254 ha
14. Zero level mRL	94 mRL
15. Max. & Min mrl within lease	101 mRL and 98 mRL

7499

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

To,

Shir Dushyant Singh,
S/o Shri Udaypal Singh,
Authorized Signatory,
H.no- 131, Nivada, Tehsil- Maudaha,
District- Hamirpur, U.P- 210501

Ref. No.....389...../Parya/SEAC/4426/2017 **Date: 22/10 September, 2018**

Sub: Terms of Reference for proposed riverbed Sand/Morrum Mining project from Betwa River at Khand No.-19/5, Village-Teekapur, Tehsil-Maudaha, District-Hamirpur, U.P., (Sanctioned Lease Area-36.437 Ha.), M/s Kamtanath Enterprises Pvt. Ltd.

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 30-07-2018 & 31-07-2018 addressed to the Secretary, SEAC, Directorate of Environment, U.P., Lucknow on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 30/08/2018 and SEIAA in its meeting dated 11/09/2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV Development Assistance Systems (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that :-

1. The environmental clearance is sought for riverbed Sand/Morrum Mining project from Betwa River at Khand No.-19/5, Village-Teekapur, Tehsil-Maudaha, District-Hamirpur, U.P., (Sanctioned Lease Area-36.437 Ha.), M/s Kamtanath Enterprises Pvt. Ltd.
2. Salient features of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/28470/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4426**
3. Name of Proponent	**M/s Kamtanath Enterprises Private Limited** Authorized Signatory- Shri Dushyant Singh S/o Shri Udaypal Singh
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s Kamtanath Enterprises Private Limited** Proprietor- Shri Rajesh Kumar Gangele S/o Shri Bhagwan Das Gangele, R/o H.No. 02, Bhawani Nagar, In front of Renault showroom, Near Amit Motors, J. K. Road, Tehsil - Sadar, District - Bhopal, M.P.
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 19/5
7. Name of River	Betwa
8. Name of Village	Teekapur
9. Tehsil	Maudaha
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	36.437 ha
13. Mineable Area (in ha)	24.537 ha
14. Zero level mRL	94 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	101 mRL and 98 mRL
16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)	**Sanctioned Area**

Points	Latitude	Longitude
A	25°53'37.91"N	79°58'52.21"E
B	25°53'45.93"N	79°59'7.57"E

2- Copy of all the analysis reports signed by analyst approved by NABL or MoEF&CC shall be annexed with the EIA report and original analysis reports should be presented at the time of presentation.
3- MOU signed between the project proponent and the consultant should be submitted.

3. **Proposed Riverbed Sand/Morrum Project from Yamun River located at Gata No.- 826 Mi/1 at Village- Behmai, Tehsil - Sikandra, District- Kanpur Dehat, U.P., Sanctioned Lease Area-30 Ha, M/s Bundelkhand Industries. File No. 4432/ Proposal No. SIA/UP/MIN/28503/2018**

The SEIAA agreed with the recommendation of the SEAC to issue the additional ToR;s to the title proposal for conducting EIA studies. The SEIAA amended Annexed TOR point no. 7 which should be read as-

"The lab conducting the analysis should be NABL accredited or MoEF&CC approved". The SEIAA also added the following points to TOR;-

1- All pages of technical documents/EIA/EMP etc. should be signed by the consultant and project proponent both.
2- Copy of all the analysis reports signed by analyst approved by NABL or MoEF&CC shall be annexed with the EIA report and original analysis reports should be presented at the time of presentation.
3- MOU signed between the project proponent and the consultant should be submitted.

4. **Proposed Riverbed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River located at Khand No.- 18/1, Village- Sahurapur, Tehsil- Hamirpur, District-Hamirpur, U.P., Sanctioned Lease Area-36.437 Ha, M/s Shri Construction. File No. 4433/ Proposal No. SIA/UP/MIN/28510/2018**

The SEIAA agreed with the recommendation of the SEAC to issue the additional ToR;s to the title proposal for conducting EIA studies. The SEIAA amended Annexed TOR point no. 7 which should be read as-

"The lab conducting the analysis should be NABL accredited or MoEF&CC approved". The SEIAA also added the following points to TOR;-

1- All pages of technical documents/EIA/EMP etc. should be signed by the consultant and project proponent both.
2- Copy of all the analysis reports signed by analyst approved by NABL or MoEF&CC shall be annexed with the EIA report and original analysis reports should be presented at the time of presentation.
3- MOU signed between the project proponent and the consultant should be submitted.

7501

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : docuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

To,

Shri Santosh Kumar Sachan,
Owner,
Plot no- 540, Flat no- 202 B,
Gopala Green Apartment,
Ratanlal Nagar, District- Kanpur Nagar.

Ref. No.....436...../Parya/SEAC/4438/2018 **Date:** 13/11 ~~October~~, 2018

Sub: Terms of Reference for Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Khand No.-10/33, Village- Beri, Tehsil- Sadar, District-Hamirpur, U.P., (Sanctioned Lease Area-20.242 Ha.), M/s New Praveera Infrahight Pvt. Ltd.

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 04-08-2018 & 13-08-2018 addressed to the Secretary, SEAC, Directorate of Environment, U.P., Lucknow on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 14-09-2018 and SEIAA in its meeting dated 12-10-2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s DAS India Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that :-

1- The environmental clearance is sought for riverbed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Khand No.-10/33, Village- Beri, Tehsil- Sadar, District-Hamirpur, U.P., (Sanctioned Lease Area-20.242 Ha.), M/s New Praveera Infrahight Pvt. Ltd.

2- Salient features of the project as submitted by the project proponent:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/28568/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	4438
3. Name of Proponent	M/s New Praveera Infrahight Private Limited Authorized Signatory- Shri Santosh Kumar Sachan
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	M/s New Praveera Infrahight Private Limited Proprietor- Shri Santosh Kumar Sachan S/o Shri Ram Adhar Sachan, R/o Plot No. 540, Flat No. 202 B, Gopala, Green Apartment, Ratanlal Nagar, Tehsil - Sadar, District - Kanpur Nagar, Uttar Pradesh.
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 10/33
7. Name of River	Betwa
8. Name of Village	Beri
9. Tehsil	Sadar
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	20.242 ha
13. Mineable Area (in ha)	17.292 ha
14. Zero level mRL	97 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	104 mRL and 101 mRL
16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)	Sanctioned Area Points | Latitude | Longitude

7502

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

To,

Shri Rahul Kumar Gupta,
H.No- 15/74-75, Baba Ghat, Civil Lines,
Baragaon, Kanpur-208001

Ref. No.....4441...../Parya/SEAC/4446/2018 **Date: 13/11 October, 2018**

Sub: Terms of Reference for Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Khand No.-10/4, Village- Beri, Tehsil- Hamirpur, District-Hamirpur, U.P., (Sanctioned Lease Area-36.437 Ha.).

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 07-08-2018, 13-08-2018 & 14-09-2018 addressed to the Secretary, SEAC, Directorate of Environment, U.P., Lucknow on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 14-09-2018 and SEIAA in its meeting dated 12-10-2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s DAS India Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that :-

1- The environmental clearance is sought for Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Khand No.-10/4, Village- Beri, Tehsil- Hamirpur, District-Hamirpur, U.P., (Sanctioned Lease Area-36.437 Ha.).

2- Salient features of the project as submitted by the project proponent:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/28608/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	4446
3. Name of Proponent	Shri Rahul Kumar Gupta Authorized Signatory- Shri Rahul Kumar Gupta
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	Shri Rahul Kumar Gupta Proprietor- Shri Rahul Kumar Gupta S/o Shri Vinod Babu Gupta, R/o H.No. 15/74-75, Baba Ghat, Civil Lines, Baragaon, Kanpur, District- Kanpur Nagar, U.P.
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 10/4
7. Name of River	Betwa
8. Name of Village	Beri
9. Tehsil	Hamirpur
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	36.437 ha
13. Mineable Area (in ha)	31.287 ha
14. Zero level mRL	94 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	100 mRL and 98 mRL
16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)	Sanctioned Area

Points	Latitude	Longitude
A	25°52'56.72"N	79°56'3.80"E

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

To,

Shri Avadhesh Kumar,
Owner,
H.no- B-1/35, Sector-1, LDA Colony,
Kanpur road, Teshil- Lucknow,
Lucknow.

Ref. No.....447...../Parya/SEAC/4429/2018 **Date: 13/11 October, 2018**

Sub: Terms of Reference for riverbed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Khand No.-23/12, Village- Bhedi Kharka, Tehsil- Sarila, District-Hamirpur, U.P., (Leased Area-12.145 Ha.), M/s Yadav and Sons.

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 01-08-2018 & 13-08-2018 addressed to the Secretary, SEAC, Directorate of Environment, U.P., Lucknow on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 14-09-2018 and SEIAA in its meeting dated 12-10-2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s DAS India Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that :-

1- The environmental clearance is sought for riverbed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Khand No.-23/12, Village- Bhedi Kharka, Tehsil- Sarila, District-Hamirpur, U.P., (Leased Area-12.145 Ha.), M/s Yadav and Sons.

2- Salient features of the project as submitted by the project proponent:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/28494/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	4429
3. Name of Proponent	M/s Yadav And Sons Authorized Signatory - Shri Avadhesh Kumar
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	M/s Yadav And Sons Proprietor- Shri Avadhesh Kumar S/o Shri Bahoram Singh, R/o H.No. B-1/35, Sector –1, LDA Colony kanpur Road, Tehsil - Lucknow, District - Lucknow, Uttar Pradesh
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 23/12
7. Name of River	Betwa
8. Name of Village	Bhedi Kharka
9. Tehsil	Sarila
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	12.145 ha
13. Mineable Area (in ha)	9.995 ha
14. Zero level mRL	96 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	102 mRL and 100 mRL
16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)	Sanctioned Area Points | Latitude | Longitude

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

Uploaded on www.seiaaup.in

To,

Shri Kailash Singh Yadav,
Owner,
H.No. 1095, Eldeco-2, Uphar Colony,
Sector-3, Utharethiya, Raebareli Road,
District-Lucknow, U.P.

Ref. No.....23...../Parya/SEAC/4141/2018 **Date: 11 April, 2018**

Sub: Terms of reference for Proposed River Bed Sand Mining Project from Betwa River at Khand No.- 23/7, Village- Bhedi Kharka, Tehsil- Sarila, District- Hamirpur, U.P., (Leased Area: 12.145 ha).

Dear Sir,

Please refer to your application dated 21-03-2018 addressed to the Secretary SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 26-03-2018.

A presentation was made by project proponent along with their consultant M/s ENV DAS (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that :-

1- The environmental clearance is sought for Proposed River Bed Sand Mining Project from Betwa River at Khand No.- 23/7, Village- Bhedi Kharka, Tehsil- Sarila, District- Hamirpur, U.P., (Leased Area: 12.145 ha).

2- Salient features details of the project is as follows :

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/22490/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4141**
3. Name of Proponent	Mr. Kailash Singh Yadav
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s Pehalwan Traders** Proprietor- Mr. Kailash Singh Yadav S/o Shri Ramvrakcha Yadav R/o H.No. 1095, eldeco-2, Uphar Colony, Sector-3, Utharethiya, Rae Bareli Road,, District - Lucknow, Uttar Pradesh.
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 23/7
7. Name of River	Betwa
8. Name of Village	Bhedi Kharka
9. Tehsil	Sarila
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	12.145 ha
13. Mineable Area (in ha)	12.145 ha
14. Zero level mRL	96 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	104 mRL and 96 mRL

7505

UPSEIAA

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

Uploaded on www.seiaaup.in

To,

Shri Navneet Kumar Pandey,
S/o Shri Vinay Kumar Pandey,
H.No- 271, Vishwas Khnad-3,
Gomti Nagar, Lucknow.

Ref. No33**/Parya/SEAC/4155/2018** **Date:** 25 **April, 2018**
Proposal no- SIA/UP/MIN/226228/2018

Sub: Terms of reference for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining from Betwa River at Khand No. 23/20, Village- Bhedikharka, Tehsil- Sarila, District- Hamirpur. (Lease Area 12.145 Ha). M/s Balaji Enterprises

Dear Sir,

Please refer to your application dated 26-03-2018 addressed to the Secretary SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 04/04/2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV DAS (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining from Betwa River at Khand No. 23/20, Village- Bhedikharka, Tehsil- Sarila, District- Hamirpur. (Lease Area 12.145 Ha).

2- Salient features of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/22628/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4155**
3. Name of Proponent	Shri Navneet Kumar Pandey
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s Balaji Enterprises** Proprietor- Shri Navneet Kumar Pandey S/o Shri Vinay Kumar Pandey R/o H.No. 271, Vishwas Khand-3, Gomti Nagar,, Tehsil - Lucknow, District - Lucknow Uttar Pradesh. 226010
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 23/20
7. Name of River	Betwa
8. Name of Village	Bhedi Kharka
9. Tehsil	Sarila
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	12.145 ha
13. Mineable Area (in ha)	9.645 ha
14. Zero level mRL	104 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	110 mRL and 104 mRL

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

To,

Shri Anil Dixit,
S/o Shri Radhe Shyam Dixit,
Owner,
R/o Geru Wala Bangla,
Tyagi Nagar, Morar,
Gwalior, M.P- 474006

Ref. No.111**...../Parya/SEAC/4192/2018** **Date:** 25 **May, 2018**

Sub: Terms of reference for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Khand No.- 23/13, Village- Bhedi Kharka, Tehsil- Sarila, District- Hamirpur, U.P., Sanctioned Leased Area:12.145 ha., M/s Kanha Construction Company.

Dear Sir,

Please refer to your application dated 04-04-2018, 10-04-2018 addressed to the Secretary SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 17/04/2018 and SEIAA in its meeting dated 07/05/2018.

A presentation was made by project proponent along with their consultant M/s ENV DAS (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Khand No.- 23/13, Village- Bhedi Kharka, Tehsil- Sarila, District- Hamirpur, U.P., Sanctioned Leased Area:12.145 ha., M/s Kanha Construction Company.

2- Salient features details of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/23553/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4192**
3. Name of Proponent	Shri Anil Dixit
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**Shri Kanha Construction Company** Proprietor- Shri Anil Dixit S/o Shri Radhe Shyam Dixit R/o Geru wala bangla, Tyagi Nagar, Morar, Gwalior, M.P. 474006
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 23/13
7. Name of River	Betwa
8. Name of Village	Bhedi Kharka
9. Tehsil	Sarila
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	12.145 ha
13. Mineable Area (in ha)	12.145 ha
14. Zero level mRL	100 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	106 mRL and 100 mRL

36. Proposed CSR cost	5% of total project cost i.e. Rs.7,10,000/-
37. Proposed EMP cost/ Total Project Cost	Rs 35,05,195/- & 1,42,01,000/-
38. Length and Width of Haul Road	700 m Length and 6 m width
39. No. of Trees to be Planted	121

3. The mining would be restricted to unsaturated zone only above the phreatic water table and will not intersect the ground water table at any point of time.
4. This project does not attract any of the general conditions applicable on mining projects specified in EIA Notification 14/09/2006.
5. The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.
6. There is no litigation pending in any court regarding this project.
7. The project proposal falls under category–1(a) of EIA Notification, 2006 (as amended).

Resolution against agenda no-02

The committee discussed the matter in light of MOEFCC Notification dated 15/01/2016 and recommended to issue the terms of reference (TOR) for the preparation of EIA as annexed at annexure-1 to these minutes.

3. River Bed Sand/Morrum Mining Project at Betwa River at Khand No.-23/19, Village – Bhedi Kharka, Tehsil- Sarila, District- Hamirpur, U.P., (Leased Area-12.145 Ha.) M/s Harihar Minerals LLP. File No. 4406/ Proposal No.SIA/UP/MIN/80370/2018

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV Development Assistance Systems (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that :-

1. The environmental clearance is sought for river bed Sand/Morrum Mining Project at Betwa River at Khand No.-23/19, Village–Bhedi Kharka, Tehsil-Sarila, District-Hamirpur, U.P., (Leased Area-12.145 Ha.) M/s Harihar Minerals LLP.
2. Salient features of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/28370/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4406**
3. Name of Proponent	**M/s Harihar Minerals LLP** Proprietor- Shri Ram Avatar Singh
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s Harihar Minerals LLP** Proprietor- Shri Ram Avatar Singh S/o Shri Tej Ram Singh, R/o H.No. LLP 405 Kha,New Patel Nagar, Near Kalidas School, Tehsil - Orai, District -Jalaun, U.P.
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 23/19
7. Name of River	Betwa
8. Name of Village	Bhedi Kharka
9. Tehsil	Sarila
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	12.145 ha
13. Mineable Area (in ha)	9.685 ha
14. Zero level mRL	101 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	106 mRL and 104 mRL
16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)	**Sanctioned Area**

	Points	**Latitude**	**Longitude**
	A	25°54'9.05"N	79°49'17.09"E
	B	25°54'10.00"N	79°49'43.54"E
	C	25°54'4.60"N	79°49'46.33"E
	D	25°54'4.23"N	79°49'16.95"E
	Workable Area		
	A	25°54'9.05"N	79°49'17.09"E
	F	25°54'9.76"N	79°49'38.22"E
	E	25°54'4.57"N	79°49'40.95"E
	D	25°54'4.23"N	79°49'16.95"E
	Non Workable Area		
	F	25°54'9.76"N	79°49'38.22"E
	B	25°54'10.00"N	79°49'43.54"E
	C	25°54'4.60"N	79°49'46.33"E
	E	25°54'4.57"N	79°49'40.95"E

17. Total Geological Reserves	6,07,250 m^3	
18. Total Mineable Reserves in LOI	1,94,304 m^3/year	
19. Total Proposed Production	1,94,304 m^3/year (9,71,520 m^3 in 05 years)	
20. Proposed Production/year	1,94,304 m^3	
21. Sanctioned Period of Mine lease	5 years	
22. Production of mine/day	707 m^3/day	
23. Method of Mining	Opencast Manual & Semi mechanized	
24. No. of working days	275 days	
25. Working hours/day	12 hours	
26. No. Of workers	Approximately 52 labours	
27. No. Of vehicles movement/day	47units	
28. Type of Land	Non – Agricultural, Government Waste Land (Revenue land)	
29. Ultimate Depth of Mining	3 m	
30. Nearest metalled road from site	MDR 41B: 3.8 km*(W)	
31. Water Requirement	**PURPOSE**	**REQUIREMENT (KLD)**
	Drinking	0.52
	Suppression of dust	10.2
	Plantation	0. 06
	Others (if any)	-
	Total	**10.78 KLD**
32. Name of QCI Accredited Consultant with QCI No and period of validity.	ENV Development Assistance Systems (I) Pvt. Ltd. NABET/EIA/1720/RA 0078 and Valid till 02/04/2020.	
33. Any litigation pending against the project or land in any court	None	
34. Details of 500 m Cluster Map & certificate verified by Mining Officer	Cluster certificate issued by DMO Hamirpur Letter No.332/khanij-M-M-C- Tees- Vividh (2018-19) dated 15/05/2018	
35. Details of Lease Area in approved DSR	Page No 63; Table No.20	
36. Proposed CSR cost	5% of total project cost i.e. Rs.7,02,000/-	
37. Proposed EMP cost/ Total Project Cost	Rs 30,17,495/- & 1,40,45,000/-	
38. Length and Width of Haul Road	850 m Length and 6 m width	
39. No. of Trees to be Planted	61	

3. The mining would be restricted to unsaturated zone only above the phreatic water table and will not intersect the ground water table at any point of time.
4. This project does not attract any of the general conditions applicable on mining projects specified in EIA Notification 14/09/2006.

5. The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.
6. There is no litigation pending in any court regarding this project.
7. The project proposal falls under category–1(a) of EIA Notification, 2006 (as amended).

Resolution against agenda no-03

The committee discussed the matter in light of MOEFCC Notification dated 15/01/2016 and recommended to issue the terms of reference (TOR) for the preparation of EIA as annexed at annexure-1 to these minutes.

4. River Bed Sand/Morrum Mining from River Yamuna in Khand No. 04, Village-Jauharpur, Tehsil & District-Banda, U.P., (Leased Area- 15.0 Ha), M/s Radhika Construction, File No. 4409/ Proposal No.SIA/UP/MIN/28383/2018

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s Paramarsh (Servicing Environment and Development). The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that :-

1. The environmental clearance is sought for River Bed Sand/Morrum Mining from River Yamuna in Khand No. 04, Village-Jauharpur, Tehsil & District-Banda, U.P., (Leased Area- 15.0 Ha), M/s Radhika Construction.
2. Salient features of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/28383/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	4409
3. Name of Proponent	M/s Radhika Construction Shri Rakesh Tiwari S/o Shri Kamta Prasad
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	R/o Second Floor, H. No. 14, Indira Nagar Colony, District - Banda, Uttar Pradesh
5. Name of Project	Sand/morrum Mining Project
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No 4 at Village – Jauharpur Tehsil- Banda, District- Banda, U. P.
7. Name of River	Yamuna
8. Name of Village	Jauharpur
9. Tehsil	Banda
10. District	Banda
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in Ha.)	15.0 ha
13. Mineable Area (in Ha.)	12.07 ha
14. Zero level mRL	86.00
15. Max. & Min mrl within lease area	Highest mRL is 99.90 Lowest mRL is 86.5
16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)	**Pillar No / Latitude / Longitude** A: 25° 43' 3.54"N, 80° 33' 48.12"E B: 25° 43' 8.46"N, 80° 33' 41.28"E C: 25° 43' 26.58"N, 80° 33' 51.36"E D: 25° 43' 21.12"N, 80° 33' 58.26"E
17. Total Geological Reserves	5,31,045 m3
18. Total Mineable Reserves in LOI	3,00,000 m3
19. Total Proposed Production	3,19,812 m3/annum
20. Proposed Production/year	3,19,812 m3/annum

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

Uploaded on www.seiaaup.in

To,

Smt. Kaushalya Chaubey,
W/o Brajesh Kumar,
Owner,
Village- Tauriyapura, Tehsil- Kulpahar,
District- Mahoba, U.P.

Ref. No. 275 **/Parya/SEAC/4219/2018** **Date:** 11 **July , 2018**

Sub: Terms of reference for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Khand No.- 17/5, Village- Sahjana, Tehsil- Hamirpur, District- Hamirpur, U.P., (Leased Area: 12.145 ha). M/s Kaushaly Chaubey Contractor.

Dear Sir,

Please refer to your application dated 12-04-2018 & 18-04-2018 addressed to the Secretary SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 02-05-2018 & 28-05-2018 and SEIAA in its meeting dated 12-06-2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV DAS (I) Pvt. Ltd., the proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that :-

1- The environmental clearance is sought for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Khand No.- 17/5, Village- Sahjana, Tehsil- Hamirpur, District- Hamirpur, U.P., (Leased Area: 12.145 ha). M/s Kaushaly Chaubey Contractor.

2- Salient features of the project is as follows:

On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/24388/2018
File No. allotted by SEIAA, UP	4219
Name of Proponent	Smt. Kaushilya Chobey Contractor Proprietor- Smt. Kaushalya Chaubey
Full correspondence address of proponent and mobile no.	Smt. Kaushilya Chobey Contractor Proprietor- Smt. Kaushalya Chaubey W/o Brajesh Kumar R/o Village - Tauriyapura, Tehsil - Kulpahar, District - Mahoba, Uttar Pradesh.
Name of Project	Sand/Morrum Mining
Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 17/5
Name of River	Betwa
Name of Village	Sahjana
Tehsil	Sadar
District	Hamirpur
Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
Sanctioned Lease Area (in ha)	12.145 ha
Mineable Area (in ha)	8.045 ha
Zero level mRL	90 mRL

7511

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.sciaaup.in

Uploaded on www.seiaaup.in

To,

Shri Vikas Parmani,
Owner,
H.No. E-7, HIG, 441 arera Colony,
Huzur, R.S. Nagar, Bhopal,
District-Bhopal, Madhya Pradesh

Ref. No.....22...../Parya/SEAC/4140/2018 **Date:** 11 **April, 2018**

Sub: Terms of reference for Proposed River Bed Sand Mining Project from Betwa River at Khand No.- 11/4, Village- Ramedi, Tehsil- Hamirpur, District- Hamirpur, U.P., (Lease Area: 17.408 ha).

Dear Sir,

Please refer to your application dated 21-03-2018 addressed to the Secretary SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 26-03-2018.

A presentation was made by project proponent along with their consultant M/s ENV DAS (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for Proposed River Bed Sand Mining Project from Betwa River at Khand No.- 11/4, Village- Ramedi, Tehsil- Hamirpur, District- Hamirpur, U.P., (Lease Area: 17.408 ha).

2- Salient features details of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/22486/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4140**
3. Name of Proponent	Shri Vikas Parmani
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s Indus Mines and Minerals** Proprietor - Shri Vikas Parmani S/o Shri H. Parmani, E-7 HIG 441 arera colony, Huzur , R.S.Nagar, Bhopal
5. Name of Project	Sand/morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 11/4
7. Name of River	Betwa River
8. Name of Village	Ramedi
9. Tehsil	Sadar
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/morrum Mining
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	17.408 ha
13. Mineable Area (in ha)	10.508 ha
14. Zero level mRL	91 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	98 mRL and 92 mRL
16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)	**Pillars** / **Latitude** / **Longitude** **Sanctioned Lease Area** **A** / 25°56'13.97"N / 80° 9'45.81"E

7512

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

Uploaded on www.seiaaup.in

To,

Shri Virendra Singh,
S/o Shri Late Ram Singh,
M/s Rama Traders,
Badipur, Bhan Mau,
Barabanki, U.P.-225001

Ref. No.....12...../Parya/SEAC/4070/2018 **Date:** 11/4 **March, 2018**

Sub: Terms of reference for proposed River Bed Sand/Morrum Mining from Betwa River at Khand No.- 9/3 , Village-Kandaur, District- Hamirpur, (Leased Area- 30.769 ha.) M/s Rama Traders.

Dear Sir,

Please refer to your application dated 08-02-2018 addressed to the Secretary SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 25-02-2018.

A presentation was made by Shri Ashirvad Murti Singh, representative of project proponent along with their consultant M/s ENV DAS India Pvt. Ltd., Lucknow . The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for Proposed Proposed River Bed Sand/Morrum Mining from Betwa River for M/s Rama Traders at Khand No.- 9/3 , Village-Kandaur, District- Hamirpur, Sanctioned Lease Area- 30.769 ha, Effecative Working Area- 21.30 ha.

2- Project Details-

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/21922/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4070**
3. Name of Proponent	Shri Virendra Singh
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	M/s Rama Traders Proprietor- Shri Virendra Singh S/o Late Shri Ram Singh R/o Badipur, Bhan Mau, Barabanki, U.P.
5. Name of Project	Sand Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No.9/3
7. Name of River	Betwa
8. Name of Village	Kandaur
9. Tehsil	Hamirpur
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	30.769 ha
13. Mineable Area (in ha)	**21.30 ha**
14. Zero level mRL	95 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	104 mRL and 96 mRL

7513

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Uploaded on www.seiaaup.in

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

To,

Shri Brajesh Chandra Tripathi,
Owner,
Village- Dhingpur, Mouza- Hari Nagar,
P.S.- Sikanderpur, Distirct- Kannauj, U.P-209725

Ref. No.....336...../Parya/SEAC/4376/2017 **Date: 20 August, 2018**

Sub: Terms of Reference for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Khand No.- 10/36, Village-Beri, Tehsil & District-Hamirpur,U.P., (Leased Area- 12.145 Ha), M/s Baba Bholenath Traders.

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 03-07-2018 & 06-07-2018 addressed to the Secretary, SEAC, Directorate of Environment, U.P., Lucknow on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 18/07/2018 and SEIAA in its meeting dated 03/08/2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV DAS India Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Khand No.- 10/36, Village-Beri, Tehsil & District-Hamirpur,U.P., (Leased Area- 12.145 Ha), M/s Baba Bholenath Traders.

2- Salient features of the project as submitted by the project proponent:-

On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/27993/2018
File No. allotted by SEIAA, UP	4376
Name of Proponent	M/s Baba Bholenath Traders Shri Brajesh Chandra Tripathi S/o Shri Rajaram
Full correspondence address of proponent and mobile no.	M/s Baba Bholenath Traders Shri Brajesh Chandra Tripathi S/o Shri Rajaram R/o Village – Dhingpur, Hari Nagar, P.S. - Sikanderpur, District - Kannauj, Uttar Pradesh. 209725
Name of Project	Sand/Morrum Mining
Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 10/36
Name of River	Betwa River
Name of Village	Beri
Tehsil	Hamirpur
District	Hamirpur
Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
Sanctioned Lease Area (in ha)	12.145 ha
Mineable Area (in ha)	8.855 ha
Zero level mRL	94 mRL
Max. & Min mrl within lease area	98 mRL and 100 mRL

7514

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

Uploaded on
www.seiaaup.in

To,

Shri Suman Devi,
W/o Shri Indra Bahadur,
Village- Digura Jot, Tehsil- Katra Ikauna,
District- Shrawasti, U.P-271845

Ref. No.....34...../Parya/SEAC/4156/2018 **Date: 25 April, 2018**
Proposal no- SIA/UP/MIN/22632/2018

Sub: Terms of reference for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining from Betwa River at Khand No.- 20/6, Village- Tikapur, Tehsil- Maudaha, District- Hamirpur, U.P. (Leased area 24.291 ha.).

Dear Sir,

Please refer to your application dated 26-03-2018 addressed to the Secretary SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 04/04/2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV DAS (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining from Betwa River at Khand No.- 20/6, Village- Tikapur, Tehsil- Maudaha, District- Hamirpur, U.P. (Leased area 24.291 ha.).
2- Salient features of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/22632/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4156**
3. Name of Proponent	Smt. Suman Devi
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s D. V. Construction** Proprietor- Smt. Suman Devi W/o Shri Indra Bahadur Yadav R/o Village - Digura Jot, Tehsil- Katra Ikauna, District - Shrawasti, Uttar Pradesh. 271845
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 20/6
7. Name of River	Betwa
8. Name of Village	Tikapur
9. Tehsil	Maudaha
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	24.291 ha
13. Mineable Area (in ha)	13.30 ha
14. Zero level mRL	96 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	104 mRL and 96 mRL

7515

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

To,

Shri Maheep Kumar Ojha,
Owner,
Village- Dhushah, Tehsil- Balrampur,
District- Balranpur, U.P.

Ref. No.....113...../Parya/SEAC/4182/2018 **Date: 25 May, 2018**

Sub: Terms of reference for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Gata No.- 1396 Ga and Khand No.- 03, Village- Bhedi Khurd, Tehsil-Kalpi, District-Jalaun, U.P., Lease Area: 20.242 Ha., M/s Bindu and Ram Construction Company.

Dear Sir,

Please refer to your application dated 10-04-2018 addressed to the Secretary SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 17/04/2018 and SEIAA in its meeting dated 07/05/2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV DAS (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Betwa River at Gata No.- 1396 Ga and Khand No.- 03, Village- Bhedi Khurd, Tehsil-Kalpi, District- Jalaun, U.P., Lease Area: 20.242 Ha., M/s Bindu and Ram Construction Company.

2- Salient features of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/23344/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4182**
3. Name of Proponent	Shri Maheep Kumar Ojha
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s Bindu and Ram Construction Company** Shri Maheep Kumar Ojha S/o Shri Ramdeo Prasad Ojha R/o Village - Dhushah, Tehsil - Balrampur, District - Balrampur, Uttar Pradesh. 271201
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Gata No. 1396 Ga, Khand No 3
7. Name of River	Betwa
8. Name of Village	Bhedi Khurd
9. Tehsil	Kalpi
10. District	Jalaun
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	20.242 ha
13. Mineable Area (in ha)	20.242 ha
14. Zero level mRL	99 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	106 mRL and 99 mRL
16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)	**Pillars** | **Latitude** | **Longitude** **Sanctioned Lease Area**

5- The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.
6- There is no litigation pending in any court regarding this project.
7- The project proposal falls under category–1(a) of EIA Notification, 2006 (as amended).

Resolution against agenda no-6

The committee discussed the matter in light of MOEFCC Notification dated 15/01/2016 and recommended to issue the terms of reference (TOR) for the preparation of EIA as annexed at annexure-1 to these minutes.

7. River bed Sand/Morrum Mining from Ken River at Gata No.-747 (Khand No.-01), Village-Pathreta, Tehsil-Kalpi, Distt-Jalaun. M/s Eureka Mines and Minerals LLP Area-40.02 Ha. File No. 4384/ Proposal No.SIA/UP/MIN/28125/2018

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV Development Assistance Systems (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that :-

1- The environmental clearance is sought for river bed Sand/Morrum Mining from Ken River at Gata No.-747 (Khand No.-01), Village-Pathreta, Tehsil-Kalpi, Distt-Jalaun, U.P., (Leased Area-40.02 Ha.) M/s Eureka Mines and Minerals LLP.
2- Salient features of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/28125/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4384**
3. Name of Proponent	Shri Chandershekhar Chaurasia
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s Eureka Mines and Minerals LLP** Proprietor- Shri Chandershekhar Chaurasia S/o Shri Deen Dayal Chaurasia, H.No. 28, Brahmpuri Colony, Near Jugauli Crossing, Faizabad Road, District Lucknow, Uttar Pradesh.
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Gata No. 747, Khand No. 01
7. Name of River	Betwa
8. Name of Village	Pathreta
9. Tehsil	Kalpi
10. District	Jalaun
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	16.194 ha
13. Mineable Area (in ha)	16.194 ha
14. Zero level mRL	95 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	103 mRL and 99 mRL
16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)	**Pillar** / **Latitude (N)** / **Longitude (E)**: **A** 25°52'28.09"N 79°48'23.44"E; **B** 25°52'41.58"N 79°48'32.46"E; **C** 25°52'37.32"N 79°48'45.41"E; **D** 25°52'24.27"N 79°48'33.20"E
17. Total Geological Reserves	16,19,400 m^3
18. Total Mineable Reserves in LOI	3,23,880m^3/year
19. Total mineable reserve approved in mine plan	3,23,880 m^3/year (16,19,400 m^3 in 05 years)
20. Proposed Production per Form-1, PFR & EMP	3,23,880 m^3/year (16,19,400 m^3 in 05 years)

and presentation submitted to SEAC UP		
21. Proposed Production/year	3,23,880m^3	
22. Sanctioned Period of Mine lease	5 years	
23. Production of mine/day	1,177.74 m^3/day	
24. Method of Mining	Open cast, Manual, semi mechanized	
25. No. of working days	275 days	
26. Working hours/day	12 hours	
27. No. Of workers	Approximately 52 labours	
28. No. Of vehicles movement/day	79 units	
29. Type of Land	Non – Agricultural, Government Waste Land (Revenue land)	
30. Ultimate Depth of Mining	3 m	
31. Nearest metalled road from site	NH 25(Jhansi-Kanpur Highway)- 28.60 km*(NW)	
32. Water Requirement	**PURPOSE**	**REQUIREMENT (KLD)**
	Drinking	0.52
	Suppression of dust	4.2
	Plantation	0.04
	Others (if any)	-
	Total	**4.76 KLD**
33. Name of QCI Accredited Consultant with QCI No and period of validity.	ENV Development Assistance Systems (I) Pvt. Ltd. NABET/EIA/1720/RA 0078 and Valid till 02/04/2020.	
34. Any litigation pending against the project or land in any court	None	
35. Details of 500 m Cluster Map & certificate verified by Mining Officer	Cluster certificate issued by DMO Jalaun. Letter No. 18/Khanij-MMC-30 Issue Date-06/04/2018	
36. Details of Lease Area in approved DSR	Page No 54; Table No. NIL	
37. Proposed CSR cost	5% of the total project cost i.e. Rs.7,01,000/-	
38. Proposed EMP cost & Total Project Cost	Rs. 32,56,575 /- & Rs. 1,37,28,000/-	
39. Length and Width of Haul Road	700 m Length and 6 m width	

3- The mining would be restricted to unsaturated zone only above the phreatic water table and will not intersect the ground water table at any point of time.
4- This project does not attract any of the general conditions applicable on mining projects specified in EIA Notification 14/09/2006.
5- The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.
6- There is no litigation pending in any court regarding this project.
7- The project proposal falls under category–1(a) of EIA Notification, 2006 (as amended).

Resolution against agenda no-7

The committee discussed the matter in light of MOEFCC Notification dated 15/01/2016 and recommended to issue the terms of reference (TOR) for the preparation of EIA as annexed at annexure-1 to these minutes.

7518

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

Uploaded on
www.seiaaup.in

To,

Shri Ramaavatar Singh,
S/o Shri Tejram Singh,
New Patel Nagar,
Jalaun, U.P- 285001

Ref. No.....32...../Parya/SEAC/4160/2018 **Date:** 25 **April, 2018**
Proposal no- SIA/UP/MIN/22656/2018

Sub: Terms of reference for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining from Yamuna River at Khand no. K-2, Gata no. 389Mi, 390Mi, Village- Khrka Teshil- Bhognipur, District-Kanpur Dehat, U.P. (Lease area 18.33 ha).

Dear Sir,

Please refer to your application dated 26-03-2018 addressed to the Secretary SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 04/04/2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV DAS (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining from Yamuna River at Khand no. K-2, Gata no. 389Mi, 390Mi, Village- Khrka Teshil- Bhognipur, District-Kanpur Dehat, U.P. (Lease area 18.33 ha).

2- Salient features of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/22656/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4160**
3. Name of Proponent	Shri Ramaavatar Singh S/o Shri Tejram Singh
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s Harihar Minerals LLP** Proprietor: Shri Ramaavatar Singh S/o Shri Tejram Singh R/o New Patel Nagar, Near Kalidas School, District - Jalaun, Uttar Pradesh- 285001
5. Name of Project	Sand Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. K-2, Gata No. 389 Mi & 390Mi
7. Name of River	Yamuna River
8. Name of Village	Kharka
9. Tehsil	Bhognipur
10. District	Kanpur Dehat
11. Name of Minor Mineral	Sand
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	18.33 ha
13. Mineable Area (in ha)	18.33 ha

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

Uploaded on www.seiaaup.in

To,

Shri Chandrashekhar Chaurasia,
S/o Shri Deen Dayal Chaurasia,
Partner,
28, Brahmapuri Colony, Near Jugauli Crossing,
Faizabad Road, Lucknow, U.P.- 226006

Ref. No. 10 **/Parya/SEAC/4050/2018** **Date:** 11/04 **March, 2018**

Sub: Terms of reference for proposed river bed Sand/ Morrum Mining fromYamuna River at Gata No.-1598 Cha, Village- Samuhi, Tehsil- Ghatampur, District- Kanpur Nagar, (Leased Area-27.5 Hac.), M/s Eureka Mines and Minerals LLP.

Dear Sir,

Please refer to your application dated 25-01-2018 received in this office on dated 07/02/2018 addressed to the Secretary SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 22-02-2018.

A presentation was made by Shri Dheeraj Agarwal, representative of project proponent along with their consultant M/s ENV DAS India Pvt. Ltd., Lucknow . The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for Sand/Moram mining from Yamuna River for M/s Eureka Mines and minerals LLP, at Gata no- 1598cha, Village- Samuhi, Tehsil- Ghatampur, District- Kanpur Nagar, U.P. Area- 27.5 ha.

2- Project Details-

NAME OF MINERAL	Sand
NAME OF RIVER	Yamuna River
NEAREST VILLAGE	Samuhi
TEHSIL	Ghatampur
DISTRICT	Kanpur Nagar
STATE	Uttar Pradesh
LAESE AREA	Sanctioned Lease Area as per LOI: 27.5 ha (67.95 acre) Effective working Area- **24 ha** (59.3 acre)
MAX. & MIN MRL WITHIN LEASE AREA	**100 mRL & 90 mRL**
LATITUDE	25°55'35.09"N to 25°55'19.55"N
LONGITUDE	80°12'48.92"E to 80°13'9.17"E
ML AREA	24 ha
TOTAL GEOLOGICAL RESERVE	13,75,000 m^3/annum
TOTAL MINEABLE RESERVE	7,20,000m^3/annum
Production capacity as per Mine Plan approved on 23.01.2018	5,50,000m^3/annum (27,50,000m^3 in 05 years)

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

To,

Shri Vikas Sachan,
S/o Shri Ashok Kumar,
Village- Kalaulitir Danda, Tehsil- Hamirpur,
District- Hamirpur, U.P-210301

Ref. No.....346...../Parya/SEAC/4358/2017 **Date: 20 August, 2018**

Sub: Terms of Reference for River bed Sand/Morrum Mining Project from Yamuna River at Khand No.-31/5, Village-Patyaura, Tehsil & District-Hamirpur, U.P., (Leased Area –36.437 Ha).

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 20-06-2018, 29-06-2018 addressed to the Secretary, SEAC, Directorate of Environment, U.P., Lucknow on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 17/07/2018 and SEIAA in its meeting dated 01/08/2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV DAS (I) Pvt. Ltd., Lucknow. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for River bed Sand/Morrum Mining Project from Yamuna River at Khand No.-31/5, Village-Patyaura, Tehsil & District-Hamirpur, U.P., (Leased Area –36.437 Ha).

2- Salient features of the project as submitted by the project proponent:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/27821/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4358**
3. Name of Proponent	**M/s Vikas Enterprises** ShriVikasSachan S/o Shri Ashok Kumar
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s Vikas Enterprises** Shri Vikas Sachan S/o Shri Ashok Kumar R/o Village - KalaulitirDanda, Tehsil - Hamirpur, District - Hamirpur, Uttar Pradesh 210301
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 31/5
7. Name of River	Yamuna River
8. Name of Village	Patyaura
9. Tehsil	Hamirpur
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	36.437 ha
13. Mineable Area (in ha)	33.267ha
14. Zero level mRL	90 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	94 mRL and 99 mRL
16. Pillar Coordinates (Verified by	**Sanctioned Area**

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Uploaded on
www.seiaaup.in

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

To,

Shri Girraj Kumar Sharma,
Owner,
H.No- Sakha Colony, Parasad Gali,
Morena Road, Ambah,
District- Morana, M.P.

Ref. No. 268 **/Parya/SEAC/4227/2018** **Date:** 11 **July , 2018**

Sub: Terms of reference for proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Yamuna River at Khand No.- 7, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 177, 176 Mi, Village-Amlaur Khadar, Tehsil- Pailani, District- Banda, (Leased Area: 25.29 ha), M/s Chaudhary Traders.

Dear Sir,

Please refer to your application dated 13-04-2018 & 18-04-2018 addressed to the Secretary SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 28-05-2018 and SEIAA in its meeting dated 12-06-2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV DAS (I) Pvt. Ltd., Lucknow. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that :-

1- The environmental clearance is sought for proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Yamuna River at Khand No.- 7, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 177, 176 Mi, Village-Amlaur Khadar, Tehsil- Pailani, District- Banda, (Leased Area: 25.29 ha), M/s Chaudhary Traders.

2- Salient features of the project is as follows:

1.	On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/25126/2018
2.	File No. allotted by SEIAA, UP	**4227**
3.	Name of Proponent	**M/s Chaudhary Traders** Shri Girraj Kumar Sharma
4.	Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s Chaudhary Traders** Proprietor- Shri Girraj Kumar Sharma S/o Shri Ramji Lal Sharma R/o Sakha Colony, Parasad Gali, Morena Road, Ambah , District - Morena, Madhya Pradesh (476111)
5.	Name of Project	Sand/Morrum Mining
6.	Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Gata No. 7, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 50, 177 & 176Mi
7.	Name of River	Ken River
8.	Name of Village	Amlor Khadar
9.	Tehsil	Pailani
10.	District	Banda
11.	Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12.	Sanctioned Lease Area (in ha)	25.29 ha
13.	Mineable Area (in ha)	24.739 ha
14.	Zero level mRL	85 mRL
15.	Max. & Min mrl within lease area	97 mRL and 86 mRL
16.	Pillar Coordinates (Verified by DMO)	

Pillars	Latitude	Longitude
Sanctioned Lease Area		
A	25° 45.011'N	80° 21.817'E
B	25° 45.070'N	80° 21.803'E

20- Measure for conservation of water through rainwater harvesting and cleaning and maintenance of natural surface water bodies of the nearby areas may be considered as one of the activity in CER.
21- The excavated mining material should be carried and transported in such a way that no obstruction to the free flow of water takes place. Suitable measure should be taken and details to be provided to concern Department.
22- Width of the haul road shall be more than 6 meter.
23- Submit annual replenishment report certified by an authorized agency. In case the replenishment is lower than the approved rate of production, then the mining activity / production levels shall be decreased / stopped accordingly till the replenishment is completed.

5. Proposed Riverbed Sand/Morrum Mining Project from Ken River of M/s Chaudhary Int Udyog located at Gata No. 04(Block-17), Village-Sadi Khadar, Tehsil- Pailani, District-Banda, Uttar Pradesh. Sanctioned Lease Area-13 Ha. File No. 4335/Proposal No. SIA/UP/MIN/27745/2018

The committee discussed the matter in 358th SEAC meeting dated 13/09/2018, wherein, the project proponent was directed as follows:

> "The committee noted that the signature in authority letter not verified by the project proponent/authorized authority, hence the committee directed to list the matter after submission of valid authorization letter."

The project proponent submitted their replies through letter dated 05/10/2018. A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s DAS India Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that :-

1- The environmental clearance is sought for proposed River bed Sand/Morrum Mining Project from Ken River at Gata No.-04, (Block-17),Village-Sadi Khadar, Pailani, District- Banda, U.P., (Leased Area-13 Ha).
2- Salient features of the project as submitted by the project proponent:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/27745/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	4335
3. Name of Proponent	M/s Chaudhary Int Udyog Proprietor - Shri Balkrishan Sharma
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	M/s Chaudhary Int Udyog Proprietor- Shri Balkrishan Sharma S/o Shri Ramjilal Sharma R/o Village - Badfara Road Ambah, Tehsil - Ambah, District - Muraina, M.P.
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Gata No. 04 (Block No. 17)
7. Name of River	Ken River
8. Name of Village	Sadi Khadar
9. Tehsil	Pailani
10. District	Banda
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	13.0 ha
13. Mineable Area (in ha)	13.0 ha
14. Zero level mRL	87 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	96 mRL and 93 mRL
16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)	Pillars | Latitude | Longitude Sanctioned Lease Area

	A	25°42'24.68"N	80°20'14.09"E
	B	25°42'28.44"N	80°20'16.25"E
	C	25°42'5.99"N	80°20'44.62"E
	D	25°42'3.83"N	80°20'37.78"E
17. Total Geological Reserves	6,50,000 m^3		
18. Total Mineable Reserves in LOI	2,60,000 m^3/year		
19. Total Proposed Production as per Form-1, PFR,Mine Plan and presentation at SEAC	2,60,000 m^3/year (13,00,000 m^3 in 05 years)		
20. Proposed Production/year	2,60,000 m^3		
21. Sanctioned Period of Mine lease	5 years		
22. Production of mine/day	945.45 m^3/day		
23. Method of Mining	Opencast Semi mechanized		
24. No. of working days	275 days		
25. Working hours/day	12 hours		
26. No. Of workers	Approximately 52 labours		
27. No. Of vehicles movement/day	105units		
28. Type of Land	Government Waste Land (Revenue land)		
29. Ultimate Depth of Mining	3 m		
30. Nearest metalled road from site	MDR(Pailani – Sumerpur Marg) : 6.5 km* (SE)		
31. Water Requirement	PURPOSE	REQUIREMENT (KLD)	
	Drinking	0.52	
	Suppression of dust	7.98	
	Plantation	0.03	
	Others (if any)	-	
	Total	8.53 KLD	
32. Name of QCI Accredited Consultant with QCI No and period of validity.	ENV Development Assistance Systems (I) Pvt. Ltd. NABET/EIA/1720/RA 0078 and Valid till 02/04/2020.		
33. Any litigation pending against the project or land in any court	None		
34. Details of 500 m Cluster Map & certificate verified by Mining Officer	Cluster Certificate is issued by Mines Officer, Banda Letter No. 1263/Khanij-30, Banda dated 07.06.2018.		
35. Details of Lease Area in approved DSR	Page No 65; Table No. 22		
36. Proposed CSR cost	5% of total project cost i.e. Rs 7,02,000/-		
37. Proposed EMP cost & Total Project Cost	Rs. 30,36,675/- & Rs. 1,40,56,000/-		
38. Length and Width of Haul Road	1330 m Length and 6 m width		
39. No. of Trees to be Planted	65		

3- The mining would be restricted to unsaturated zone only above the phreatic water table and will not intersect the ground water table at any point of time.
4- This project does not attract any of the general conditions applicable on mining projects specified in EIA Notification 14/09/2006.
5- The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.
6- There is no litigation pending in any court regarding this project.
7- The project proposal falls under category–1(a) of EIA Notification, 2006 (as amended).

RESOLUTION AGAINST AGENDA NO-05

The committee discussed the matter in light of MOEFCC Notification dated 15/01/2016 and recommended to issue the terms of reference (TOR) for the preparation of EIA as annexed at annexure-3 to these minutes.

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

Uploaded on www.seiaaup.in

To,

Shri Prashant Malviya,
Owner,
H. no- Ward no- 10, Sardar ward,
Village- sohagpur, Tehsil- Hosangabad,
District- Hosangabad, Madhya Pradesh.

Ref. No. 159 **/Parya/SEAC/4234/2018** **Date:** 27 **June , 2018**

Sub: Terms of reference for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Ken River at Khand No.- 30/1, Village- Bhulsi, Tehsil- Maudaha, District- Hamirpur, U.P., (Leased Area: 36.437 ha.), M/s Silver Mist Retail Pvt. Ltd.

Dear Sir,

Please refer to your application dated 19-04-2018 addressed to the Secretary SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 03-05-2018 and SEIAA in its meeting dated 17-05-2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV DAS (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Ken River at Khand No.- 30/1, Village- Bhulsi, Tehsil- Maudaha, District- Hamirpur, U.P., (Leased Area: 36.437 ha.), M/s Silver Mist Retail Pvt. Ltd.

2- Salient features of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/25040/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4234**
3. Name of Proponent	**M/s Silvrr Mist Retail Pvt. Ltd.** Proprietor- Shri Prashant Malviya
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s Silvrr Mist Retail Pvt. Ltd.** Proprietor- Shri Prashant Malviya S/o Shri Santosh Malviya R/o H.No. Ward No.10, Sardar ward, Village - Sohagpur, Tehsil - Hosangabad, District - Hosangabad, Madhya Pradesh
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No.30/1
7. Name of River	Ken
8. Name of Village	Bhulsi
9. Tehsil	Maudaha
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	36.437 ha
13. Mineable Area (in ha)	32.827 ha

7525

4/931

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

Uploaded on
www.seiaaup.in

To,

Shri Prashant Malviya,
S/o Shri Santosh Malviya,
Owner,
H.No. Ward No. 10, Village-Sohagpur,
Tehsil-Hosangabad, District-Madhya Pradesh

Ref. No.....18...../Parya/SEAC/4100/2018 **Date:** // **April, 2018**

Sub: Terms of reference for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining from Ken River at Khand No.- 30/2, Village- Bhulsi, Tehsil-Maudaha, District- Hamirpur, U.P., (Leased Area: 36.437 Ha), M/s Silvrr Mist Retail Pvt. Ltd.

Dear Sir,

Please refer to your application dated 06-03-2018 addressed to the Secretary SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 23-03-2018.

A presentation was made by project proponent along with their consultant M/s ENV DAS (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining from Ken River at Khand No.- 30/2, Village- Bhulsi, Tehsil-Maudaha, District- Hamirpur, U.P., (Leased Area: 36.437 Ha), M/s Silvrr Mist Retail Pvt. Ltd.

2- Salient features details of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/22098/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	4100
3. Name of Proponent	Shri Prashant Malviya
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	M/s Silvrr Mist Retail Private Limited Shri Prashant Malviya S/o Shri Santosh Malviya R/o H.No. Ward No.10, Village - Sohagpur, Tehsil - Hosangabad, District -Hosangabad, Madhya Pradesh.
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 30/2
7. Name of River	Ken
8. Name of Village	Bhulsi
9. Tehsil	Maudaha
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	36.437 ha
13. Mineable Area (in ha)	36.437 ha
14. Zero level mRL	92 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	101 mRL and 93 mRL

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

To,

Shri Sushil Chandra,
S/o Shri Jogeshvar Awasthi,
Village- Girwan, Tehsil- Naraini,
District- Banda, U.P-210001

Ref. No.....360**...../Parya/SEAC/4337/2017** **Date:** 19/9 **August, 2018**

Sub: Terms of Reference for proposed River bed Sand/Morrum Mining Project from Ken River at Khand No. -29/1, Village-Bakchha Khadar, Tehsil-Maudaha, District- Hamirpur.,U.P., (Leased Area - 12.145 Ha).

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 18-06-2018 addressed to the Secretary, SEAC, Directorate of Environment, U.P., Lucknow on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 03-07-2018 and SEIAA in its meeting dated 26-07-2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV DAS (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for proposed River bed Sand/Morrum Mining Project from Ken River at Khand No. -29/1, Village-Bakchha Khadar, Tehsil-Maudaha, District- Hamirpur.,U.P., (Leased Area - 12.145 Ha).
2- Salient features of the project as submitted by the project proponent:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/27752/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4337**
3. Name of Proponent	**M/s Awasthi Traders** Shri Sushil Chandra S/o Shri Jogeshvar Awasthi
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s Awasthi Traders** Shri Sushil Chandra S/o Shri Jogeshvar Awasthi R/o Village - Girwan, Tehsil - Naraini, District Banda, Uttar Pradesh. 210001
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 29/1
7. Name of River	Ken River
8. Name of Village	Bakchha Khadar
9. Tehsil	Maudaha
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	12.145 ha
13. Mineable Area (in ha)	8.415 ha
14. Zero level mRL	97 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	104 mRL and 101 mRL
16. Pillar Coordinates (Verified by	**Sanctioned Area**

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

Uploaded on www.seiaaup.in

To,

Shri Satyendra Kumar Sharma,
Owner,
Village- Lekha Nagar, Tehsil- Khagaul,
District- Patna, Bihar.

Ref. No.....162...../Parya/SEAC/4233/2018 **Date: 27 June , 2018**

Sub: Terms of reference for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Ken River at Khand No.- 30/3, Village- Bhulsi, Tehsil- Maudaha, District- Hamirpur, U.P., (Leased Area: 36.437 ha.), M/s Gyan Infrabuild Pvt. Ltd.

Dear Sir,

Please refer to your application dated 19-04-2018 addressed to the Secretary SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 03-05-2018 and SEIAA in its meeting dated 17-05-2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV DAS (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for River Bed Sand/Morrum Mining Project from Ken River at Khand No.- 30/3, Village- Bhulsi, Tehsil- Maudaha, District- Hamirpur, U.P., (Leased Area: 36.437 ha.), M/s Gyan Infrabuild Pvt. Ltd.

2- Salient features of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/24938/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4233**
3. Name of Proponent	**M/s Gyan Infrabuild Pvt. Ltd.** Proprietor- Shri Satyendra Kumar Sharma
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s Gyan Infrabuild Pvt. Ltd.** Proprietor- Shri Satyendra Kumar Sharma S/o Shri Bachchu Sharma R/o Village - Awaleshpur Kandwa, District - Varanasi, U.P.
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No.30/3
7. Name of River	Ken
8. Name of Village	Bhulsi
9. Tehsil	Maudaha
10. District	Hamirpur
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	36.437 ha
13. Mineable Area (in ha)	34.437 ha
14. Zero level mRL	87 mRL
15. Max. & Min mrl within lease area	102 mRL and 87 mRL

7528

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

Uploaded on www.seiaaup.in

To,

Shri Nafees Ahmad,
Owner,
H.No. 1/47, Naim Khand Hata,
Sadar Bazar Cantt., Ahmadpur Urf Kamlapur,
District-Lucknow-226002

Ref. No.....11...../Parya/SEAC/4061/2018 **Date:** 11/3/4 **March, 2018**

Sub: Terms of reference for proposed River Bed Sand Mining from Yamuna River at Khand No.-16/20 to 16/22, Village- Jamunapur, Tehsil-Manjhanpur, District-Kaushambi, U.P., (Leased Area-36.28 Ha), M/s Kunwar Infradevelopers Pvt. Ltd.

Dear Sir,

Please refer to your application dated 13-02-2018 addressed to the Secretary SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 22-02-2018.

A presentation was made by Shri Nafees Ahmad, representative of project proponent along with their consultant M/s ENV DAS India Pvt. Ltd., Lucknow . The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for Sand Mining from Yamuna River for M/s Kunwar Infra developers Pvt.LTd. at Khand no- 16/20 to 16/22, Village- Jamunapur, Tehsil- Mankhanpur, District- Kaushambi, U.P. Area- 36.25 ha.
2- Project Details-

NAME OF MINERAL	Sand/Morrum
NAME OF RIVER	Yamuna River
NEAREST VILLAGE	Jamunapur Kachhar
TEHSIL	Manjhanpur
DISTRICT	Kaushambi
STATE	Uttar Pradesh
LAESE AREA	Sanctioned Lease Area: 36.28 ha Effective Working Area: **27.30 ha**
MAX. & MIN MRL WITHIN LEASE REA	84 mRL & 76 mRL
LATITUDE	25°25'19.80"N to 25°25'44.33"N
LONGITUDE	81° 8'59.20"E to 81° 9'35.52"E
ML AREA	**27.30 ha**
TOTAL GEOLOGICAL RESERVE	36,28,000 m3/annum
TOTAL MINEABLE RESERVE	10,88,400 m3/annum
Production capacity as per Mine Plan approved on 23.01.2018	7,28,000 m3/annum (36,40,000 m3 in 05 years.)
Production capacity as per Letter of Intent Dated 12.12.2017	7,28,000 m3/annum
Production capacity as per Form-1, PFR &	7,28,000 m3/annum (36,40,000 m3 in 05

7529

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

Uploaded on
www.seiaaup.in

To,

Shri Rajesh Kushwaha,
S/o Late Shri Mahadev Prasad,
Owner,
R/o- 20/17, Rasoolpur,
District- Allahabad, U.P.

Ref. No.....38...../Parya/SEAC/4164/2018 **Date: 25 April, 2018**
Proposal no- SIA/UP/MIN/22706/2018

Sub: Terms of reference for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining from Yamuna River at Khand No.- 15/43 to 15/44, Village- Mahewa, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., (Leased Area: 59.99 acre (24.28 ha).

Dear Sir,

Please refer to your application dated 27-03-2018 addressed to the Secretary SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 04/04/2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s ENV DAS (I) Pvt. Ltd. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for Proposed River Bed Sand/Morrum Mining from Yamuna River at Khand No.- 15/43 to 15/44, Village- Mahewa, Tehsil- Manjhanpur, District- Kaushambi, U.P., (Leased Area: 59.99 acre (24.28 ha).
2- Salient features of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/22706/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4164**
3. Name of Proponent	Shri Rajesh Kushwaha
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/S RAJESH ENTERPRISES Proprietor: Shri Rajesh Kushwaha S/o Late Shri Mahadev Prasad. R/o-20/17 Rasoolpur, District- Allahabad,(U.P)**
5. Name of Project	Sand/Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 15/43 to 15/44
7. Name of River	Yamuna
8. Name of Village	Mahewa
9. Tehsil	Manjhanpur
10. District	Kaushambi
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	24.28ha
13. Mineable Area (in ha)	24.28 ha
14. Zero level mRL	76 mRL

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

Uploaded on
www.seiaaup.in

To,

Mohd. Asif Usmani,
S/o Mohd. Mukwil Usmani,
Owner,
A-1068/5, GTB Nagar, Karaili,
Distirct- Allahabad, U.P- 211016

Ref. No. 165 **/Parya/SEAC/4194/2018** **Date:** 27 **June , 2018**

Sub: Terms of reference for proposed riverbed morrum mining (yamuna river) from Khand No. 15/45 to 15/46, Village - Mahewa, Tehsil - Manjhanpur, District – Kaushambi, U.P. Sanctioned area: 24.28 ha (60 acre).

Dear Sir,

Please refer to your application dated 07-04-2018 & 13-04-2018 addressed to the Secretary SEAC/Director, Directorate of Environment, U.P. on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 01-05-2018 and SEIAA in its meeting dated 15-05-2018.

A presentation was made by project proponent along with their consultant ENV DAS (I) Pvt. Ltd., Lucknow. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1- The environmental clearance is sought for proposed riverbed morrum mining (yamuna river) from Khand No. 15/45 to 15/46, Village - Mahewa, Tehsil - Manjhanpur, District – Kaushambi, U.P. Sanctioned area: 24.28 ha (60 acre).

2- Salient features of the project:-

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/23679/2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	**4194**
3. Name of Proponent	**M/s Bharat Earth Movers** Proprietor- Mohd. Asif Usmani
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	**M/s Bharat Earth Movers** Proprietor- Mohd. Asif Usmani S/o Mohd. Mukwil Usmani R/o A-1068/5, G.T.B. Nagar, Karaili, District- Allahabad, U.P.
5. Name of Project	Morrum Mining
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Khand No. 15/45 to15/46
7. Name of River	Yamuna
8. Name of Village	Mahewa
9. Tehsil	Manjhanpur
10. District	Kaushambi
11. Name of Minor Mineral	Morrum
12. Sanctioned Lease Area (in ha)	24.28 ha
13. Mineable Area (in ha)	18.88 ha

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.
Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543
E-mail : doeuplko@yahoo.com
Website : www.seiaaup.in

7531

To,

Smt. Neelam Singh,
Village- Katka, Post- Tamakhus,
District- Santkabir Nagar, U.P.

Ref. No.....321...../Parya/SEAC/4325/2017 **Date: 07 August, 2018**

Sub: Terms of Reference for proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Yamuna River at Khand No.-14/5 & 14/6 at Village-Dedhawal, Tehsil –Manjhanpur, District - Kaushmbhi , U.P., (Leased Area - 24.28 Ha.).

Dear Sir,

Please refer to your application/letter dated 29-05-2018 & 07-06-2018 addressed to the Secretary, SEAC, Directorate of Environment, U.P., Lucknow on the subject as above. The matter was considered by the State Level Expert Appraisal Committee in its meeting held on dated 21-06-2018 and SEIAA in its meeting dated 10-07-2018.

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s Cognizance Research India Private Limited. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that :-

1- The environmental clearance is sought for proposed River Bed Sand/Morrum Mining Project from Yamuna River at Khand No.-14/5 & 14/6 at Village-Dedhawal, Tehsil – Manjhanpur, District - Kaushmbhi , U.P., (Leased Area - 24.28 Ha.).

2- Salient features of the project is as follows:

1. On-line proposal No.	**SIA/UP/MIN/26243/2018** dated 29th May 2018
2. File No. allotted by SEIAA, UP	4325
3. Name of Proponent	M/s Sai Construction & Suppliers
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	Village Katka, Post Tamakhas, Dist. SantKabir Nagar, UP.
5. Name of Project	Dedhawal Morrum Mining Project
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Gata No. Khand No. 14/5 & 14/6
7. Name of River	Yamuna
8. Name of Village	Dedhawal
9. Tehsil	Manjhanpur
10. District	Kaushambhi, Uttar Pradesh
11. Name of Minor Mineral	Sand
12. Sanctioned Lease Area (in Ha.)	24.28 ha.
13. Mineable Area (in Ha.)	16.24 ha.
14. Zero level mRL	77.12mRL.
15. Max. & Min mrl within lease area	The highest level of area is 79.0mRL while the lowest level is 77.12mRL.
16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)	25° 19.993'N 81° 16.221'E 25° 20.012'N 81° 16.344'E 25° 19.603'N 81° 16.568'E 25° 19.500'N 81° 16.296'E 25° 19.648'N 81° 16.287'E

7532

MINUTES OF PUBLIC HEARING ISSUED INDIVIDUALLY FOR EACH PROJECTS ALONG WITH ADVERTISEMENT & DEMAND DRAFT DETAILS

(STUDY AREA WISE)

7533

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 687/लोक सुनवाई/2018 दिनांक: 27/09/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स सेनविन इन्फ्रांस्ट्रचर प्रा0लि0 के पक्ष में स्वीकृत खण्ड संख्या–22/15 क्षेत्रफल–24.291(3,88,608 घन मी0/वर्ष) ग्राम–बरूआ बसरिया, तहसील–सरीला, जनपद–हमीरपुर में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच पत्र संख्या एच 24691/सी–2/एनओसी–4282/18 दिनांक 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई प्रस्तावित खनन स्थल ~~ग्राम–बिकासी~~, तहसील–सरीला, जनपद–हमीरपुर में दिनांक 19.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

Mishra

क्षेत्रीय अधिकारी

ण्ड संख्या– 22/15, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स सेनविन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 24.291 हे0 ग्राम–बरूआ वसरिया, तहसील– सरीला, जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारकों की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 19.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स सेनविन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24691/सी–2/एनओसी–4282/18 दिनांक 10.08.2018 जो जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 19.09.2018 को तहसील– सरीला व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक 19.09.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील सरीला सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री कमलेश कुमार राय, खान अधिकारी, हमीरपुर।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे खण्ड संख्या– 22/15, ग्राम– बिरूआ वसरिया, तहसील– सरीला, जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त

7535

अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है क्योकि खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 50 हेक्टेअर से कम है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है। परामर्शी द्वारा 10 किमी0 की त्रिज्या में स्थित पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण/आंकडों के एकत्रण का कार्य स्टेट इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट अथॉरिटी द्वारा दी गयी टर्म्स ऑफ रिफरेन्स के बिन्दुओं के अनुरूप की गयी है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी थी तथा उसकी एक–एक प्रति अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर, जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर, जिला पंचायत हमीरपुर में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा परामर्शी से विस्तृत विवरण प्रेषित किये जाने हेतु आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव न्यून करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड वॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग किये जाने वाली सड़को का रखरखाव पट्टेधारक

ा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एव बालू को त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा। तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियो को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा एवं सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण कार्य किये जायेगें।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने शिकायत/आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

सर्वप्रथम श्री बलवान निषाद, ग्राम– वसरिया, तहसील– सरीला, हमीरपुर द्वारा प्रश्न पूछा गया कि मल्लाहा समुदाय जो बारी लगाते है खनन कार्य के समय बारी को उखाड़ देते है जिससे उक्त समुदाय परेशान होते है उसकी सुरक्षा कौन करेगा।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि यदि बारी का नुकसान होता है तो सरकारी नियम के अनुसार मुआवजा दिया जायेगा।

जिला खान अधिकारी को उक्त खनन कार्य हेतु ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये आमंत्रित किया गया। स्वागत करते हुये उक्त परियोजना में जब भी खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तब वाहनों के आवागमन हेतु सड़क मार्ग की मरम्मत व रखरखाव, सड़क के किनारे, प्रस्तावित स्थल या प्रस्तावित स्थल के निकटतक अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, गाटा सं0 के निकटतम खेतो पर बारी को नुकसान न पहुचाना एवं बारी का नियमावली में यह प्राविधान है कि जो भी पट्टेधारक है यदि किसी कारण काश्तकार का खनन कार्य की वजह से नुकसान होता है तो उसका मुआवजा देना होगा अथवा उसको प्रतिकर दिया जायेगा यदि आपसी सुलह से समाधान नही निकलता है तो शासन द्वारा उक्त समस्या का निराकरण किया जायेगा। वाहन चलाने से यदि सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होता है तो डिस्ट्रिक विजिट फाउन्डेशन ट्रस्ट के नियमावली है कि खनिज निधि का 10 प्रतिशत पट्टेधारक द्वारा खनिज निधि में जमा कराया जायेगा तथा खनन क्षेत्र में कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जायेगी। हैण्डपम्प, (पेयजल) सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं पर्यावरण संरक्षरण हेतु सभी पट्टेधारको को पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य तथा अतः आप सभी स्थानीय ग्रामवासी शासन को जिलाधिकारी महोदय, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान एवं शासन को अपने प्रस्ताव दे ताकि ग्राम विकास का कार्य किया जायेगा। पट्टेधारक द्वारा खनन क्षेत्र में खाने पीने के सामान हेतु प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट का निस्तारण सुचारू रूप से किया जायें, प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न न किया जाये प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण नगर निगम, हमीरपुर द्वारा किया जायेगा।

7537

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन योजना के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव बनाये गये है उनव मई और दिसम्बर में अनुपालन आख्या व DEIAA, SEIAA द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में दी गर सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों का पूर्णतया पालन किया जाता है यदि अनुपालन आख्या नही भेजी जाती है त अनापत्ति अस्वीकृत किये जाने का प्राविधान है।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिए अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी द्वारा पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि अनुपालन आख्या समय समय पर भेजी जायेगी व सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया जायेगा एवं पर्यावरण को सुरक्षित एव संरक्षित किया जायेगा, सड़क की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य भी आवश्यकतानुसार किया जायेगा। खनन स्थल पर पालीथीन का उपयोग नही किया जायेगा क्योकि वर्तमान समय में यह प्रकरण अतिसंवेदनशील है। अतएव इसका इस्तेमाल कदापि न करें। सड़क के किनारें एवं खनन क्षेत्र अथवा ग्राम के निकटतम क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें। नियम व शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जायें।

अन्त में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को सुझाव दिया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें एवं ढुलाई के समय बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर लाना है, इसी के साथ उपस्थित जनसमुदाय का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

19/09/18

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

19.9.18

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

69

7538

...कमाखुर्द के लिए शुरू हुई रोडवेज बस सेवा

[illegible]

तिरंगा फहरा वीरों को किया याद

धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस, जिलाधिकारी ने किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान

[illegible]

पूर्वजों की कुर्बानी याद दिलाता है आजादी का पर्व

[illegible]

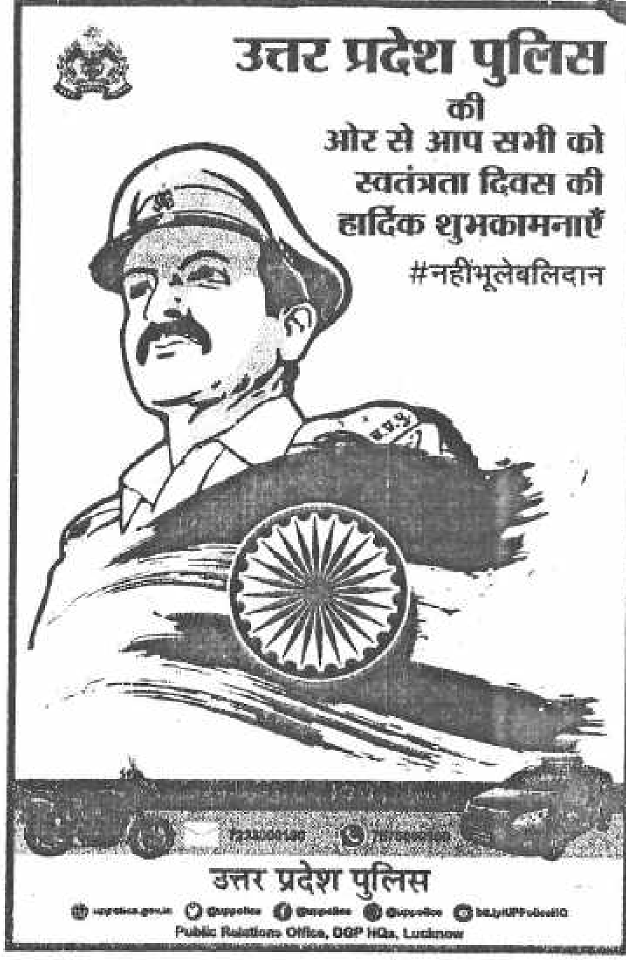

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

[illegible]

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

[illegible]

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.145 हेक्टेयर	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	36.437 हेक्टेयर	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.145 हेक्टेयर	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	36.437 हेक्टेयर	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	36.437 हेक्टेयर	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.145 हेक्टेयर	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.145 हेक्टेयर	[illegible]	[illegible]
[redacted]						
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	36.437 हेक्टेयर	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	36.437 हेक्टेयर	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

क्षेत्रीय अधिकारी

SBI

[illegible] Training Unit, Corporate Centre, State Bank Bhavan, [illegible] Floor, Madam Cama Road, Mumbai 400 021

REQUEST FOR PROPOSAL

[illegible] Bank of India has issued a Request for Proposal (RFP) [illegible] appointment of consultant for conducting employee conversion cum mass communication programme. For details please see 'procurement news' at bank's website https://bank.sbi

Mumbai
17.08.2018

Sd/-
Deputy General Manager
(Strategic Training Unit)

Tamil Nadu Medicinal Plant Farms & Herbal Medicine Corporation Ltd.

(A Government of Tamil Nadu Undertaking)
Regd. Office: Arignar Anna Hospital Campus, Arumbakkam, Chennai - 600 106
Phone: 044-26215466, Fax: 26215465
Company Identification No. U24231TN1983SGC010236

TENDER NOTICE REF.: 356/TAM/NA/OT/MED/2018-19

Notice is hereby given that sealed tenders in two Cover System are invited by the Managing Director, Tampcol for the procurement and supply of Siddha, Ayurveda, Unani & Homoeopathy medicines to [illegible] under the control of Director of Indian Medicine [illegible]. Rupees One Thousand One Hundred and Twenty Five Only inclusive GST [illegible] by means of Demand Draft drawn in favour of "Tamil Nadu Medicinal Plant Farms and Herbal Medicine Corporation Ltd, Chennai - 600 106" payable at Chennai on all working days from 17.08.2018 to 18.09.2018 upto 5.00 P.M. [illegible] www.tampcol.in [illegible] Tenders will be received by 3.00 PM on 18.09.2018 [illegible]

MANAGING DIRECTOR

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भुवनेश्वर

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS), BHUBANESWAR

[illegible]

File No.: AIIMS/BBSR/Engg./ 436 /2018-19   Dated: 16th Aug 2018

NOTICE INVITING E-TENDER

The All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhubaneswar invites e-Tender for the Work "External Painting around Hospital Building of AIIMS, Bhubaneswar" (NIT No.: AIIMS BBSR Engg - 019 2018-19). The detailed Tender Document along with Last Date & Time of Submission of Tender can be viewed & Downloaded from the website www.aiimsbhubaneswar.edu.in, www.tenderwizard.com/AIIMSBBSR & CPP Portal www.eprocure.gov.in.

Sd-
Executive Engineer (Civil)
AIIMS, Bhubaneswar

कार्यालय उपनिदेशक (नि/वर्ग)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ. प्र.
नवीन गल्ला मण्डी स्थल, महेवा पुर्वी, गोरखपुर - 273016

पत्रांक: नि./सं-[illegible]   दिनांक: [illegible]

ई-निविदा शुद्धि-पत्र

कार्यालय पत्रांक-नि./सं. (निविदा)/2018 548 दिनांक 02.08.2018 द्वारा दिनांक 14.08.2018 को ई-निविदा आमंत्रित निविदा के क्रमांक-5 नवीन मण्डी स्थल, देवरिया 04 नग वाटर कूलर आर.ओ., बाहर धूपगढ़ 04 नग के.वी.ए. स्टेपलाईजर तथा सम्बन्धित वाटर कूलर कक्ष आदि की कार्य की निविदा अपरिहार्य कारणों से बढ़ा कर दिनांक 29.08.2018 को ई-निविदा आमंत्रित की जाती है दिनांक 28.08.2018 को 1:00 बजे तक निविदा लोड कर सकते है तथा दिनांक 29.08.2018 को 11.30 बजे निविदा खोली जायेगी। समस्त बिड डाक्यूमेन्ट एवं सहयता अवधारणा प्रथम प्रति कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। शेष नियम एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगे।

भवदीय
ह0/-
उप निदेशक (नि./वा.)
मण्डी परिषद, गोरखपुर

TAMIL NADU ENERGY DEVELOPMENT AGENCY

(A Govt. of Tamil Nadu Undertaking)
[illegible] Chennai-600 006 [illegible]

TEDA

TENDER NOTICE

Tender Inviting Authority, Designation and Address: The General Manager, Tamil Nadu Energy Development Agency, [illegible]

Document Description: Request for Proposal [illegible] Solar PV Systems [illegible]

[illegible]

Downloading of RfP Document: [illegible]

Cost of RfP Document: [illegible]

Earnest Money Deposit (EMD): [illegible]

Pre-bid meeting date, time and place: [illegible]

Bid Due Date and Time and place for submission of Bid: [illegible]

Bid Opening (Techno-Commercial Bid): [illegible]

Price Bid Opening: [illegible]

Cost of Processing fee: [illegible]

DIPR/[illegible]/Tender/2018

General Manager/TEDA

CHANDIGARH HOUSING BOARD

[illegible]

PRESS NOTICE
'e' Procurement System

Executive Engineer-V/Elect. on behalf of the Chairman, Chandigarh Housing Board, re-invites item & Percentage rate Tenders through e-Procurement process from the Specialized Agencies/ Firms/ Contractors/ Tenderers in UT Engineering Department/ CPWD/ MES/ Punjab PWD/ Haryana PWD & Himachal PWD enlisted for specialized works of Fire Alarm System in two envelope system for the following work:-

Name of work	Estimated cost put to tender	Earnest Money	Time allowed	Cost of tender Document
Providing Fire Alarm System for construction of 216 No. [illegible] Sector 5[illegible] Chandigarh	Rs. 9.38 Lac	Rs. 18,800/-	4 Months	Rs. 590/-

1. Milestone dates of Electronic Tendering

i	Downloading of the Tender documents	Start Date: 21.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 30.08.2018 up to 1700 Hrs.
ii	Clarification regarding plans, specifications, Schedule of quantities and set of terms	Start Date: 21.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 30.08.2018 up to 1000 Hrs.
iii	Date of submission of the TENDER	Start Date: 21.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 30.08.2018 up to 1700 Hrs.
iv	Physical submission of EMD, Tender fee, Eligibility Documents and other necessary documents	Start Date: 30.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 04.09.2018 up to 1530 Hrs.
V	Opening of Technical Bids/ Criteria	05.09.2018 at 1100 Hrs.
Vi	Opening of Price Bids	To be intimated to all eligible Bidders separately

2. Bid Document can be downloaded from the website http://etenders.gov.in or http://etenders.chd.nic.in/nicgep.
3. All other terms and conditions, instructions to bidder regarding e-tendering process etc. may kindly be seen from the detailed Notice Inviting Tender (NIT) available downloadable on the above noted web sites of Chandigarh Administration.

Also Available at: www.chandigarh.gov.in

Executive Engineer-V(Elect)
for & on behalf of Chairman
Chandigarh Housing Board Chandigarh

दूरभाष नं.-05192-220048

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय: ए-39, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के संबंध में पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृत संबंधित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1.	श्रीमती कौशल्या चौधे, कमलेश्वर, निवासी- ग्रा. टीरियापुर, कुलपहाड़, जिला-महोबा, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 17/5 ग्राम- सहजना, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-18.09.18
2.	मैसर्स विकास इन्टरप्राईजेज द्वारा श्री विकास भूषण, निवासी- [illegible] तहसील व जनपद-हमीरपुर।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	ग्राम-[illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर	36.437 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-18.09.18
3.	मैसर्स राधा ट्रेडर्स द्वारा श्री विरेन्द्र सिंह, निवासी-[illegible], बाराबंकी, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-4/3, ग्राम-[illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.7696 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-18.09.18
4.	मैसर्स [illegible] माईनिंग एण्ड मिनरल्स द्वारा श्री विकास चतुर्वेदी, निवासी- ई-7, एमआईजी 441 अरेरा कालोनी, हुजूर अ.एस. नगर, भोपाल, म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-11/4, ग्राम-रमेड़ी, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	17.408 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-18.09.18
5.	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स द्वारा श्री सुरेश चन्द्र निवासी ग्राम- [illegible], जिला-[illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-10/36, ग्राम-बैरी, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.44 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-18.09.18
6.	मैसर्स [illegible] इन्टरप्राईजेज द्वारा श्री [illegible] कुमार [illegible], निवासी, म.नं.-271, विराम खण्ड-3, गोमतीनगर, लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/30, ग्राम- पेढ़ी खुरद, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
7.	मैसर्स अंकुररहमान, निवासी- [illegible], जिला-[illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/14, ग्राम-[illegible], तहसील- सरीला, जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
8.	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स, द्वारा श्री [illegible] सिंह यादव, निवासी-[illegible] 1095, [illegible]-2, [illegible], सेक्टर-3, [illegible], लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/7, ग्राम- पेढ़ी खुरद, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
9.	मैसर्स एम.डी. इंटरनेशनल द्वारा श्री दीपक [illegible], निवासी- 7/[illegible], म.न.-3, तिलक नगर, कानपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	ग्राम-[illegible], तहसील- सरीला, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
10.	मैसर्स [illegible] इन्फ्राट्रेक्चर प्रा. लि. द्वारा श्री [illegible] चन्द मिश्रा, निवासी- म.नं.-[illegible] 06, [illegible] मार्ग, जिला लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-36/7, ग्राम-[illegible], तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
11.	मैसर्स [illegible] द्वारा श्री [illegible] सिंह तोमर, म.नं.-101, [illegible] नगर, ग्वालियर, म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-36/3, ग्राम-[illegible], तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
12.	मैसर्स [illegible] द्वारा श्री रामऔतार सिंह, निवासी- 405 [illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/19, ग्राम- पेढ़ी खुरद, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
13.	मैसर्स श्री [illegible] कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा श्री अनिल [illegible], निवासी- [illegible], ग्वालियर, म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/13, ग्राम- पेढ़ी खुरद, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
14.	मैसर्स [illegible] इन्फ्राट्रेक्चर प्रा. लि. [illegible]	सैण्ड/मौरम [illegible]	[illegible]	24.291 [illegible]	तहसील सरीला परिसर, [illegible]	दिनांक-19.09.18
15.	मैसर्स [illegible] प्रा. लि. द्वारा श्री [illegible], म.नं.-10, [illegible], सोहागपुर, [illegible], म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-30/1, ग्राम-[illegible], तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-20.09.18
16.	मैसर्स [illegible] प्रा. लि. द्वारा श्री [illegible] कुमार शर्मा, निवासी- ग्राम- [illegible], [illegible], [illegible] स्कूल के पास, [illegible], पटना, बिहार।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-30/3, ग्राम-[illegible], तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-20.09.18
17.	मैसर्स [illegible] प्रा. लि. द्वारा श्री [illegible], म.नं.-10, [illegible], सोहागपुर, [illegible], म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-30/2, ग्राम-[illegible], तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.44 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-20.09.18
18.	मैसर्स डी.के. कंस्ट्रक्शन द्वारा श्रीमती सुमन देवी निवासी-[illegible], तहसील-[illegible], जिला [illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	ग्राम-[illegible], तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-20.09.18
19.	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स द्वारा श्री [illegible] चन्द, निवासी- ग्राम व पोस्ट-[illegible], तहसील-[illegible], जिला-[illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-29/1, ग्राम-[illegible], तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	12.14 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-20.09.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ 1533 दिनांक 14-09-2006 तथा संशोधित-एस.ओ 3067 (ई) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1- जिलाधिकारी कार्यालय जनपद-हमीरपुर।
2- महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ए-39 आवास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला पंचायत हमीरपुर।
6- क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार, पंचम तल, सेक्टर-एच अलीगंज लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते हैं।

पत्रांक- 503/डी.नि./ लोक सु./2018

क्षेत्रीय अधिकारी
दिनांक- 16.08.18

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

उ.प्र. जल [illegible] निविदा सूचना [illegible] ECTC, ALLD/2018-19 [illegible] ECTC, ALLD/2018-19 [illegible] http://etender.up.nic.in [illegible] http://etender.up.nic.in [illegible]

TELANGANA STATE MEDICAL SERVICES & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION

[illegible]

Tenders are invited through e-procurement platform for the following works: [illegible] The tender schedule can be seen at our website [illegible]

[illegible] Sd/- MANAGING DIRECTOR

NORTHEASTERN RAILWAY — **E-Tender Notice**

[illegible]

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
[illegible]

पत्र सं.-[illegible]/36-2/24   **अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना**   दिनांक- 16.08.2018

जनपद इटावा में इटावा सफारी पार्क, इटावा के सैफई सफारी में निम्न कार्यों की निविदा परिषद में सुसंगत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से अति अल्पकालीन ई-निविदा टू-बिड पद्धति पर ई-प्रोक्योरमेन्ट सोल्यूशन द्वारा आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण, नियम व शर्तें परिषद की वेबसाइट www.upavp.in तथा https://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	ई-निविदा डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि	टैक्निकल बिड खुलने की तिथि व समय	फाइनेन्शियल बिड खुलने की तिथि व समय
1	इटावा सफारी पार्क, इटावा के सैफई सफारी में वैटरिनरी कॉम्प्लेक्स के सुदृढ़ीकरण हेतु पेंटिंग का कार्य।	20.08.2018 अपराह्न 3.00 बजे	28.08.2018 अपराह्न 3.00 बजे	30.08.2018 अपराह्न 3.00 बजे

इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। — (विनोद कुमार) अधिशासी अभियन्ता

उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि. ई-निविदा आमंत्रण सूचना अनुभवी कार्यदायी संस्थाओं से निम्न कार्यों हेतु [illegible] अलग-अलग निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। [illegible] (RTGS/ NEFT IFS Code-PUNB0054000 A/C No 0540002100192006) [illegible] www.etender.up.nic.in [illegible] GST [illegible] www.etender.up.nic.in [illegible] ई.टी.सी./ टी-2

उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि. [illegible] निविदा सूचना अनुभवी ठेकेदारों/ फर्मों से जो सम्बन्धित विभाग में पंजीकृत हों निम्नलिखित कार्यों हेतु खुली निविदा दो भागों में पृथक-पृथक रूप से दिनांक- 30.08.2018 को 16:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन 17:00 बजे अधोहस्ताक्षरी या प्रतिनिधि द्वारा सार्वजनिक रूप से निविदादाताओं/ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जायेगी। [illegible] (RTGS/ NEFT IFS CODE-PUNB0054000 A/C No 0540002100192006) [illegible] अल्पकालीन निविदा संख्या- डी.-80/ वि.पा.ख.(ई)/ 2018-19 विद्युत पारेषण खण्ड के अन्तर्गत 132 के.वी. [illegible] लाइन के लोकेशन नं. 115 एवं 118 के टावरों की रिपेयरिंग का कार्य। (धरोहर धनराशि रु.- 4000.00) (निविदा शुल्क- 224.00) जी.एस.टी. सहित (200+24)। अल्पकालीन निविदा संख्या- डी.-81/ वि.पा.ख.(ई)/ 2018 विद्युत पारेषण खण्ड के अन्तर्गत 132 के.वी. [illegible] लाइन के लोकेशन नं. 119 एवं 121 के टावरों की रिपेयरिंग का कार्य। (धरोहर धनराशि रु.- 4000.00) (निविदा शुल्क- 224.00) जी.एस.टी. सहित (200+24)। अल्पकालीन निविदा संख्या- डी.-82/ वि.पा.ख.(ई)/ 2018 विद्युत पारेषण खण्ड के अन्तर्गत 132 के.वी. [illegible] लाइन के लोकेशन नं. 108, 109, 110 एवं 114 के टावरों की रिपेयरिंग का कार्य। (धरोहर धनराशि रु.- 4000.00) (निविदा शुल्क- 224.00) जी.एस.टी. सहित (200+24)। ह0/- अधीक्षण अभियन्ता वि.पा.म. [illegible] "राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें" [illegible] ई.टी.सी./ टी-3

7540

दूरभाष–05102320474

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, झांसी

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office:Avas Vikas Colony,Kanpur Road, Talpura Yojna, Jhansi-284001

संदर्भ संख्या 3751/क्षेत्रीय कार्यालय/झांसी/2018 दिनांक: 25/09/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– **मैसर्स सेनविन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के पक्ष में स्वीकृत गाटा सं0 864/320, 865/320, ग्राम सिमिरिया तहसील उरई जिला जालौन में क्षेत्रफल 27.530 हेक्टेयर (412950घनमी0/प्रतिवर्ष)में बालू/मौरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई दिनांक 18.09.2018 की कार्यवृत्त प्रेषण के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24721/सी–2/एन0ओ0सी0–4259/झांसी/2018 दिनांक 10.8.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित बालू/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई खनन स्थल ग्राम पंचायत भवन गुढ़ा तहसील उरई_जनपद–जालौन में दिनांक 18.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

श्री दिनेश प्रताप सिंह पटटाधारक द्वारा मे0 सेनविन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 म0नं ब्रान्च 06 सरोजनी नायडू मार्ग जनपद लखनऊ, बालू/मौरम प्रोजेक्ट ग्राम सिमिरिया तहसील उरई जिला जालौन गाटा सं0 864/320, 865/320 क्षेत्रफल 27.530 हेक्टेयर (412950घनमी0/प्रतिवर्ष) हेतु पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के लिये अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) जालौन स्थान उरई की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2018 को समय 2.00 बजे ग्राम पंचायत भवन गुढ़ा तहसील उरई में सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–.

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक श्री दिनेश प्रताप सिंह के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24721/सी–2/एन0ओ0सी0–4259/झांसी/2018 दिनांक 10.8.2018 जो जिलाधिकारी जालौन को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय कार्यायल उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड झांसी को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय जालौन से लोक सुनवाई सुनवाई आयोजित करने संबंधी दिनांक, स्थान एंव समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय झांसी के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी महोदय जालौन द्वारा दिनांक 18.9.2018 को ग्राम पंचायत भवन गुढ़ा तहसील उरई में नियत की गयी थी । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा 3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड "अ" के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या –एस0ओ0–1533 दिनांक– 14.09.2006 यथासंशोधित अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–3067 (ई) दिनांक 01.12.2009 में वार्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला' के कानपुर संस्करण में दिनांक 18.8.2019 एवं अग्रेजी दैनिक समाचार पत्र 'इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक – 18.8.2018 को प्रकाशित करायी गई थी तथा लोक सुनवाई की तिथि 18.9.2018 समय अपरान्ह 2.00 बजे निर्धारित की गयी थी ।

आज दिनांक 18.09.2018 को जिलाधिकारी महोदय जालौन द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), श्री प्रमिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन ग्राम पंचायत भवन गुढ़ा तहसील .उरई, जनपद जालौन में आयोजित की गयी। उक्त लोक सुनवाई में निम्नांकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे :–

1– श्री प्रमिल कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) जालौन स्थान उरई ।
2– श्री राजेश कुमार सिंह, खान अधिकारी खनिज विभाग जनपद जालौन।
3– श्री विजय कुमार मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी ।
4– श्री जितेन्द्र लाल, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी ।
5– श्री आर0एन0 यादव व0 सर्वेक्षक, खनिज विभाग उरई जनपद जालौन।
6– श्री अतुलेश एंव श्री मयंक पुष्कर, परामर्शी मे0 ई0एन0वी0 डी0ए0एस0 इण्डिया प्रा0लि0 लखनऊ।
7– अन्य उपस्थित जन सामान्य की सूची संलग्न है ।

सर्वप्रथम लोक सुनवाई सभाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त प्रारम्भ की गयी । श्री विजय कुमार मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,झांसी. द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने के पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित 'स्टेट इनवायरोन्मेन्टल इम्पैक्ट एसेसमेन्ट अथॉरिटी' से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से आस–पास के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के निराकरण हेतु क्षेत्र के पर्यावरण का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। द्वारा परामर्शी

को पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के सम्बन्ध के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

परामर्शी श्री अतुलेश द्वारा प्रस्तावित परियोजना का विस्तृत विवरण ज्ञापित किया गया। उक्त के अनुक्रम में बताया गया कि संदर्भित खनन परियोजना हेतु जिलाधिकारी जालौन द्वारा 25.1.2018 को एल0ओ0आई0 जारी किया गया था तथा पट्टा विलेख हेतु पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था । तत्पश्चात निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उक्त परियोजना का माईनिंग प्लान 412950घनमीटर/प्रतिवर्ष हेतु अनुमोदित किया गया है । इसके उपरान्त राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समिति उ0प्र0 द्वारा दिनांक 11.04.2018 को परियोजना हेतु विशिष्ट टी0ओ0आर0 जारी किये गये है । जिसके आधार पर ड्राफट् रीजनल ई0आई0ए0 रिपोर्ट तैयार कर उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड को लोक सुनवाई का आवेदन किया गया। संस्था द्वारा प्रस्तावित परियोजना स्थल के 10 कि0मी0 की त्रिज्या में पर्यावरणीय अध्ययन किया गया है। जैसे– जल, वायु, ध्वनि, एवं जलीय जीव जन्तुओं एवं वनस्पतियों आदि का अध्ययन किया गया। पाया गया कि वर्तमान में प्रस्तावित स्थल के आस–पास पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ रहा है। पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त प्रत्येक 06 माह में पर्यावरणीय अध्ययन एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

परामर्शी श्री अतुलेश द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना का प्रमुख उद्देश्य मौरम खनन ही है, जिसका उपयोग घरेलू उत्पाद के रूप में इसका उपयोग किया जायेगा। जिसका फायदा ग्रामवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता रहेगा। खनन कार्य कृषि कार्य के बाद का सबसे बडा व्यवसाय है। इससे ग्रामवासियों के साथ राज्य सरकार को भी राजस्व की फायदा होता है। भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अर्न्तगत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को यथासम्भव न्यून करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। उक्त निर्देशों के तहत हमारी संस्था ने तीन माह तक क्षेत्र के 10 किमी0 त्रिज्या में परिवेश के विभिन्न घटकों का अध्ययन किया तथा पर्यावरण पर पड़नें वाले सम्भावित प्रभावों के मद्देनजर प्रबन्धन योजना तैयार की जिससे कि प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। खनन की अधिकतम गहराई 3.0 मी0 रखी जायेगी एंव 03 मीटर से कम पर भू–जल मिलने की स्थिति में खनन कार्य बन्द कर दिया जायेगा । बालू/मौरम के परिवहन हेतु प्रयुक्त ट्रकों से कच्चे रास्ते पर उड़ने वाली धूल के नियन्त्रण हेतु पानी का छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी, जिससे कि पर्यावरण के साथ–साथ जन स्वास्थ्य भी प्रभावित न हो। क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक विकास हेतु भी अनेक उपाय किये जायेगें, ताकि श्रमिकों को रोजगार मिले और आर्थिक सामाजिक स्थिति सुदृढ हो।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड, झांसी ने उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में आपत्तियों/सुझाव/टीका टिप्पणियां आमंत्रित की।

प्रश्न संख्या–1 श्री रामअवतार पुत्र श्री गजोधर सिंह निवासी गाम गुढ़ा उरई द्वारा यह अवगत कराया गया कि इस गांव में बालू खदान के ट्रको के चलने से समस्या होती है जबकि इस गांव लगभग 75 प्रतिशत लड़के फौज में है व देश की सेवा कर रहे है । ट्रको के चलने से रास्ता जाम होने के कारण आवागमन की परेशानी होती है । रास्ता जाम होने के कारण मरीज समय से इलाज हेतु अस्पताल नही पहुँच पाते है ट्रेक्टरो और ट्रको के चलने से धूल उड़ती है जिससे सड़को के किनारो की फसल प्रभावित होती है । महोदय से अनुरोध है कि पहले रास्ता बनवाया जाये तथा धूल उड़ने की समस्या का समाधान किया जाये तथा खदानो से ट्रको के आवागमन के लिये पेड़ो का कटान करते है ।

उत्तरः– श्री दिनेश प्रताप सिंह पटटाधारक द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना में कार्य करने वाले समस्त श्रमिको के स्वास्थ्य की पूर्ण जिम्मेदारी पटटाधारक की होगी । इस संदर्भ में

परियोजना स्थल पर एक एम्बुलेन्स हमेशा उपलब्ध रहेगा तथा खनन कार्य के परिवहन हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले ट्रको के आवागमन से उत्पन्न धूल के नियंत्रण हेतु सड़क पर दिन में दो बार जल छिड़काव की व्यवस्था प्राविधान किया गया है । साथ ही प्रयोग में लाये जाने वाले ट्रको को पूर्णतया तिरपाल से ढक कर प्रयोग किया जायेगा । खनन कार्य रात्रि एंव वर्षा ऋतु में पूर्णतया बन्द रहेगा । पेड़ो के कटान के संबंध में उपस्थित परामर्शी श्री अतुलेश द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र नदी तल में स्थित है । जिसमें प्रायः पेड़ नही पाये जाते है । यदि कोई पेड़ पटटाधारक द्वारा काटा जाता है तो उसकी शिकायत संबंधित विभाग में की जा सकती है । साथ ही अवगत कराना है कि पटटाधारक एम0ओ0ई0एफ0 द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार प्रति हेक्टेयर पांच पेड़ लगाये जाने हेतु प्रतिबंधित है ।

प्रश्न संख्या–2 श्री महेश सिंह परिहार पुत्र श्री गयाप्रसाद सिंह निवासी गुढ़ा द्वारा अवगत कराया गया कि खनिज वालो की गाडियां आने जाने से यातायात की समस्या होती है । यहां पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है यहां तक कि मोटर साइकिल वाले भी नही निकल पाते है तथा रास्ते में पड़ने वाले स्कूली बच्चो को आने जाने में समस्या होती है । आपसे अनुरोध है कि सड़क बनवा कर खनन किया जाये ।

उत्तर– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क का निर्माण पटटाधारक द्वारा कराया जाना उचित नही होगा क्योंकि सड़क की निर्माण की लागत पटटाधारक अकेले वहन नही कर सकता है । इसके निर्माण के लिये संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही किया जायेगा । इसके अतिरिक्त सड़क के गड़ढो को भरवाने का कार्य पटटाधारक द्वारा किया जायेगा । जिससे यातायात सुचारू रूप से चल सके ।

प्रश्न संख्या–3 श्री रामसेवक सिंह पुत्र श्री राजा सिंह निवासी गुढ़ा द्वारा कहा गया कि पहले मुहम्मदाबाद से सिमिरिया खदान तक सड़क बनवाकर खनन का कार्य किया जाये ।

उत्तर– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क का निर्माण पटटाधारक द्वारा कराया जाना उचित नही होगा क्योंकि सड़क की निर्माण की लागत पटटाधारक अकेले वहन नही कर सकता है । इसके निर्माण के लिये संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही किया जायेगा । इसके अतिरिक्त सड़क के गड़ढो को भरवाने का कार्य पटटाधारक द्वारा किया जायेगा । जिससे यातायात सुचारू रूप से चल सके ।

प्रश्न संख्या– 4 श्री उपेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवबरन सिंह निवासी गुढ़ा द्वारा चाहा गया कि गांव में शिक्षा की व्यवस्था की जाये ।

उत्तर– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा अवगत कराया गया कि गावं में शिक्षा की व्यवस्था शासन स्तर से की जाती है इसके अतिरिक्त गांव युवको को वालीबाल कोट की व्यवस्था पटटाधारक द्वारा किया जायेगा ।

प्रश्न संख्या– 5 श्री राज कुमार सिंह पुत्र श्री गुढ़ावन सिंह निवासी गुढ़ा द्वारा चाहा गया कि खनन कार्य के समय वाहनो के चलने से सड़क जाम हो जाता है । पहले सड़क को आर0सी0सी0 बनाया जाये ।

उत्तर– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क का निर्माण पटटाधारक द्वारा कराया जाना उचित नहीं होगा क्योंकि सड़क की निर्माण की लागत

पटटाधारक अकेले वहन नही कर सकता है । इसके निर्माण के लिये संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही किया जायेगा । इसके अतिरिक्त सड़क के गड़ढ़ो को भरवाने का कार्य पटटाधारक द्वारा किया जायेगा । जिससे यातायात सुचारू रूप से चल सके ।

प्रश्न संख्या–6 श्री अखिलेश सिंह पुत्र श्री राजा सिंह परिहार निवासी गुढ़ा द्वारा अवगत कराया गया कि सड़क के किनारे हमारी खेती पड़ती है जो सिमिरिया गुढ़ा बार्डर पर है मेरे खेतो से होकर वाहन जाते है, जिससे फसल का नुकसान हो जाता है ।

उत्तर– श्री दिनेश प्रताप सिंह पटटाधारक को अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा निर्देश दिया गया कि पटटाधारक द्वारा खेतो से वाहनो का आवागमन खेत मालिक की स्वीकृति के उपरान्त किया जायेगा तथा उसका उचित मुआवजा भी नियमानुसार पटटाधारक द्वारा दिया जायेगा ।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा) से आयोजित लोक सुनवाई में चर्चा के संबंध में ग्रामवासियों को मार्ग–दर्शन करने हेतु अनुरोध किया गया ।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) श्री प्रमिल कुमार सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र के निकट सी0एस0आर0 के अर्न्तगत स्थित ग्राम सिमिरिया , गुढ़ा व बन्धौली में सुबह 10 बजे से दोपहार 2.00 बजे तक एक–एक दिन के अन्तराल पर चिकित्सक उपलब्ध रहेगा जिसे ग्राम वासियों एंव श्रमिको को चिकित्सीय सुविधा का लाभ समय से मिल सकेगा । पटटाधारक द्वारा किये जाने वाला व्यय की पूर्ति सी0एस0आर0 के माध्यम से की जायेगी । वाहनो के चलने से धूल उड़ने की की समस्या के निराकरण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था नियमित कराया जायेगा ताकि स्वास्थ्य व पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव न पड़े । प्रस्तावित खनन परियोजना पर खनन कार्य से रोजगार के अवसर तथा क्षेत्र का विकास होता है जिससे क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ।

क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) से सभा समाप्त करने की अनुमति लेने के पश्चात उपस्थित सभी जन समुदाय से प्रस्तावित परियोजना के कियान्वयन के संबंध में सहमति चाही गयी जिस पर बैठक में उपस्थित जन समुदाय ने कर्तल ध्वनि से अपनी सहमति व्यक्त की । इसी मन्तव्य के साथ उक्त परियोजना की पर्यावणीय स्वीकृति आयोजित लोक सुनवाई का समापन किया गया तथा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

18-9-2018
विजय कुमार मिश्र
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड झांसी

18/09/18
राजेश कुमार सिंह,
खान अधिकारी,
जालौन स्थान उरई

प्रमिल कुमार सिंह
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
जालौन स्थान उरई

सुनोधिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा० लि०
जनपद - झाँसी, क्षेत्रफल - [illegible] (4[illegible].150 [illegible] ₹.5 [illegible]
प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर दिनांक - 18/09/2018 को लोक सुनवाई का संचालन हुआ :-

क्रमांक	उपस्थित अधिकारियों / ग्राम वासियों के नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) [illegible] (अध्यक्ष)	
2.	राजेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी - झाँसी	
3.	विजय कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी [illegible]	
4.	राम सिंह यादव [illegible]	
5.	जीतेन्द्र कुमार, सहा० प्रबंधक [illegible]	
6.	अतुलेश, परामर्शी, ईएसडी [illegible]	
7.	मयंक मुखर्जी [illegible]	
8.	दिनेश [illegible]	
9.	[illegible]	
10.	अंकित परिहार	
11.	[illegible]	
12.	अभिषेक सिंह गुर्जर	
13.	भानु सिंह गुर्जर	
14.	सनम सिंह गुर्जर	
15.	विक्रम सिंह राजपूत बरौली	
16.	[illegible] बरौली	
17.	पप्पू राजपूत गुर्जर	
18.	जय प्रकाश राजपूत बरौली	
19.	अजय प्रताप सिंह गुर्जर	
20.	[illegible]	
21.	[illegible] बरौली	
22.	[illegible] बरौली	
23.	[illegible] गुर्जर	
24.	अरविन्द कुमार [illegible]	
25.	[illegible]	
26.	[illegible]	
27.	[illegible]	
28.	[illegible]	

क्रमांक	उपस्थित अधिकारियों / ग्राम वासियों के नाम व पता	हस्ताक्षर
33	[illegible] (गुर्जर)	
34.	महेरा सिंह पटियार गुर्जर	
35	[illegible]	
36	दफेदार सिंह गुर्जर	
37	रामकिशुन गुर्जर	
38	रघुवंश बाल गुर्जर	
39	[illegible] गुर्जर	
40	[illegible] गुर्जर	
41	[illegible]	
42	[illegible]	
43	[illegible]	
44	[illegible]	
45	[illegible]	

7545

अमर उजाला- 18 सितम्बर-2018

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.

बहनोई के घर में लगाई फांसी, मौत

नगरीय जलापूर्ति एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

नगर पंचायत नवाबगंज जनपद-उन्नाव

दिनांक : 14.08.2018

समांक : पेमे/न.पं./नवाबगंज/2018-19

नगर पंचायत नवाबगंज जनपद उन्नाव के समस्त गणमान्य नागरिकों को

स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

नगर पंचायत नवाबगंज, जनपद-उन्नाव (उत्तर प्रदेश) नगरवासियों से अपेक्षा करती है कि

1. कोई भी नागरिक नगर पंचायत की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा न करें।
2. नगर को स्वच्छ बनाये रखने हेतु झाड़ू लगाने के बाद मार्गों/गलियों में कूड़ा न डालें।
3. जन्म-मृत्यु की सूचना कार्यालय में समय से दर्ज करवायें।
4. पंचायत के देयों जैसे-बकाया गृहकर, बकाया जलमूल्य की अदायगी समय से करें।
5. पेयजल स्टैण्ड पोस्टों को चुराना न छोड़ें।
6. नगर में सभी मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु लगे स्ट्रीट लाइटों को क्षतिग्रस्त न करें।
7. निर्माण कराने से पूर्व पंचायत से मानचित्र अवश्य स्वीकृत करायें।
8. स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ शौचालय बनवाने हेतु अधिकाधिक आवेदन करें।
9. पालीथीन का प्रयोग वर्जित है, अपना सहयोग प्रदान करें।
10. घुले में [illegible]
11. नगर सुन्दरता हेतु [illegible] का प्रयोग करें।

ऐश्वर्य तिवारी

THE INDIAN EXPRESS, FRIDAY, AUGUST 17, 2018

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

उ.प्र. आवास विकास कालोनी (तालपुरा योजना)

कानपुर रोड, झाँसी

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद जालौन में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/मोरम माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के सम्बन्ध में पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया गये हैं।

क्र.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	पता	क्षेत्रफल	लोक सुनवाई का स्थान	दिनांक व समय
1.	श्री रमेश चन्द्र मिश्रा, म.न. ब्लाक 06, सरोजनी नायडू मार्ग, जनपद-लखनऊ	मैसर्स सेनकिल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., गाटा नं.-864/320, 865/320, ग्राम-सिमरिया, तहसील-उरई, जनपद-जालौन, उ.प्र.	ग्राम-सिमरिया, तहसील,-उरई, जनपद-जालौन, उ.प्र.	27.53 हेक्ट. (4,12,950 घन मीटर/वर्ष)	ग्राम पंचायत भवन ग्राम-सिमरिया, (गुढ़ा) तहसील-उरई, जनपद-जालौन	दिनांक- 18.09.2018 अपरान्ह- 2.00 बजे से
2.	श्री महीप कुमार ओझा पुत्र, श्री रामदेव प्रसाद ओझा, ग्राम-दुशाह, तहसील-बलरापुर, जिला-बलरामपुर	रेत/मोरम खनन, मैसर्स बिन्दु एण्ड राम कान्सट्रक्शन कम्पनी, गाटा नं.-1396ग, खण्ड नं.-3, ग्राम-भेडी खुर्द, तहसील-कालपी, जिला-जालौन, उ.प्र.	ग्राम-भेडी खुर्द, तहसील-कालपी, जिला-जालौन, उ.प्र.	20.242 हेक्ट. (3,03,630 घन मीटर/वर्ष)	तहसील कालपी, जनपद-जालौन	दिनांक-19.09.2018 अपरान्ह 02.00 बजे
3.	श्री विशन सिंह पुत्र श्री घनाराम सिंह, 240/4 अ, सिविल लाइन, कचहरी चौराह, झाँसी, उ.प्र.	रेत/मोरम खनन, मैसर्स घनाराम इन्फ्रा इंजीनियर्स प्रा.लि., गाटा नं.-240, खण्ड नं.-5, ग्राम-हिमानपुरा, तहसील-कालपी, जनपद-जालौन, उ.प्र.	ग्राम-हिमानपुरा, तहसील-कालपी, जनपद-जालौन, उ.प्र.	16.194 हेक्ट, (2,42,910 घन मीटर/वर्ष)		
4.	श्री चन्द्र शेखर चौरसिया पुत्र श्री दीन दयाल चौरसिया, म.न.-28, ब्रहमपुरी कालोनी, नियर जुगैली कासिंग, फैजाबाद रोड, जनपद-लखनऊ, उ.प्र.	रेत/मोरम खनन, मैसर्स यूरेका माइन्स एण्ड मिनिरल्स एल.एल.पी., गाटा नं.-747, खण्ड नं.-01, ग्राम-पथरेटा, तहसील-कालपी, जनपद-जालौन, उ.प्र.	ग्राम-पथरेटा, तहसील-कालपी, जनपद-जालौन, उ.प्र.	16.194 हेक्ट. (3,23,880 घन मीटर/वर्ष)		
5.	श्री राजेश सिंह, 312, गणपति प्लाजा एम.आई. रोड, जयपुर, राजस्थान	रेत/मोरम खनन, मैसर्स कुबेर कामना मारबल्स प्रा.लि, गाटा नं.-596, ग्राम-बसरेही, तहसील-कालपी, जनपद-जालौन, उ.प्र.	ग्राम-बसरेही, तहसील-कालपी, जनपद-जालौन, उ.प्र.	16.194 हेक्ट, (2,60,000 घन मीटर/वर्ष)		
6.	श्री आनन्द कुमार गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता, निशाली महाराजपुर, जनपद-कानपुर नगर	रेत/मोरम खनन, मैसर्स श्री आनन्द कुमार गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता, गाटा नं.-1396 जीए, खण्ड सं.-4, ग्राम-भेडीखुर्द, तहसील-कालपी, जनपद-जालौन, उ.प्र.	ग्राम-भेडीखुर्द, तहसील-कालपी, जनपद-जालौन	20.232 हेक्ट. (3,30,630 घन मीटर/वर्ष)		

बोर्ड द्वारा पर्यावरण वन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ 1533 दिनांक 14-09-2006 यथा संशोधित-एस.ओ 3067 (ई) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित विभिन्न स्थानों दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजनाओं की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1- जिलाधिकारी कार्यालय, जालौन, स्थान उरई।
2- महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, जालौन, स्थान उरई।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, उ.प्र. आवास कालोनी (तालपुरा योजना), कानपुर रोड, झाँसी-284001।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड टी.सी.-12बी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला, जालौन, स्थान उरई।
6- क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार, पंचम तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच अलीगंज लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/मोरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त सूची में अंकित विभिन्न स्थानों, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव व

7548

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 679/लोकसुनवाई/18 दिनांक: 27/9/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स सेनविन इन्फ्रास्ट्रक्चर (प्रा0)लि0 के पक्ष में स्वीकृत खंड संख्या–26/7 क्षेत्रफल–36.437 हे0 (728640 घन मी0/वर्ष) ग्राम–चांदवारी, तहसील–सरीला, जनपद–हमीरपुर में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 24688/सी–2/एनओसी–4280/बॉदा/18 दिनांक 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई प्रस्तावित खनन स्थल तहसील–सरीला सभागार, जनपद–हमीरपुर में दिनांक 19.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

7549

ब्लॉक संख्या– 26/7, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स सेनविन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 36.437 हे0 ग्राम–चांदवारी, तहसील–सरीला, जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारकों की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 19.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स सेनविन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24688/सी–2/एनओसी–4280/बांदा/18 दिनांक 10.08.2018 जो जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 19.09.2018 को तहसील– सरीला व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक 19.09.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील सरीला सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री कमलेश कुमार राय, खान अधिकारी, हमीरपुर।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे

,ण्ड संख्या– 26/7 ग्राम– चांदवारी, तहसील– सरीला, जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है क्योकि खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 50 हेक्टेअर से कम है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है। परामर्शी द्वारा 10 किमी0 की त्रिज्या में स्थित पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण/आंकडों के एकत्रण का कार्य स्टेट इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट अथॉरिटी द्वारा दी गयी टर्म्स ऑफ रिफरेन्स के बिन्दुओं के अनुरूप की गयी है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी थी तथा उसकी एक–एक प्रति अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर, जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर, जिला पंचायत हमीरपुर में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा परामर्शी से विस्तृत विवरण प्रेषित किये जाने हेतु आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव न्यून करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड वॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा।

7551

,नन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग किये जाने वाली सड़को का रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा। तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा एवं सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण कार्य किये जायेगें।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने शिकायत/आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

सर्वप्रथम श्री धृपाल सिंह, ग्राम– घिरौली, चांदवारी, तहसील– सरीला, हमीरपुर द्वारा प्रश्न पूछा गया कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं सड़क की मरम्मत व रखरखाव एवं वृक्षारोपण किया जाये।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र अथवा निकटतम यथा निकटतम ग्राम में हरित पट्टिका का विकास किया जाये। खनन क्षेत्र से आवागमन हेतु प्रयोग किये जाने वाली कच्ची है तो खडंजा बिछाया जायेगा एवं उसका रखरखाव किया जायेगा। धूल के नियंत्रण हेतु जल का छिडकाव किया जायेगा। वृक्षों के सुरक्षा हेतु ट्री–गार्ड का प्रयोग किया जायेगा। हार्न का प्रयोग अनावश्यक नही किया जायेगा।

जिला खान अधिकारी को उक्त खनन कार्य हेतु ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये आमंत्रित किया गया। स्वागत करते हुये उक्त परियोजना में जब भी खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तब वाहनों के आवागमन हेतु सड़क मार्ग की मरम्मत व रखरखाव, सड़क के किनारे, प्रस्तावित स्थल या प्रस्तावित स्थल के निकटतक अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, गाटा सं0 के निकटतम खेतो पर बारी को नुकसान न पहुचाना एवं बारी का नियमावली में यह प्राविधान है कि जो भी पट्टेधारक है यदि किसी कारण काश्तकार का खनन कार्य की वजह से नुकसान होता है तो उसका मुआवजा देना होगा अथवा उसको प्रतिकर दिया जायेगा यदि आपसी सुलह से समाधान नही निकलता है तो शासन द्वारा उक्त समस्या का निराकरण किया जायेगा। वाहन चलाने से यदि सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होता है तो डिस्ट्रिक विजिट फाउन्डेशन ट्रस्ट के नियमावली है कि खनिज निधि का 10 प्रतिशत पट्टेधारक द्वारा खनिज निधि में जमा कराया जायेगा तथा खनन क्षेत्र में कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जायेगी। हैण्डपम्प, (पेयजल) सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं पर्यावरण संरक्षरण हेतु सभी पट्टेधारको को पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य तथा अतः आप सभी स्थानीय ग्रामवासी शासन को जिलाधिकारी महोदय, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान एवं शासन को अपने प्रस्ताव दे ताकि ग्राम विकास का कार्य किया जायेगा। पट्टेधारक द्वारा खनन क्षेत्र मे

7552

खाने पीने के सामान हेतु प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट का निस्तारण सुचारू रूप से किया जायें, प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न न किया जाये प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण नगर निगम, हमीरपुर द्वारा किया जायेगा।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन योजना के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव बनाये गये है उनकी मई और दिसम्बर में अनुपालन आख्या व DEIAA, SEIAA द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में दी गयी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों का पूर्णतया पालन किया जाता है यदि अनुपालन आख्या नही भेजी जाती है तो अनापत्ति अस्वीकृत किये जाने का प्राविधान है।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी द्वारा पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि अनुपालन आख्या समय समय पर भेजी जायेगी व सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया जायेगा एवं पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जायेगा, सड़क की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य भी आवश्यकतानुसार किया जायेगा। खनन स्थल पर पालीथीन का उपयोग नही किया जायेगा क्योकि वर्तमान समय में यह प्रकरण अतिसंवेदनशील है। अतएव इसका इस्तेमाल कदापि न करें। सड़क के किनारें एवं खनन क्षेत्र अथवा ग्राम के निकटतम क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें। नियम व शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जायें।

अन्त में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को सुझाव दिया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें एवं ढुलाई के समय बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर लाना है, इसी के साथ उपस्थित जनसमुदाय का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

19/09/18

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

19.9.18.

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

7553

रुकमाखुर्द के लिए शुरू हुई रोडवेज बस सेवा

जानकारी होगी

- सतना, सिंगरौली व रीवा डिपो के रिजर्वेशन काउंटरों पर
- वेबसाइट जागरण के अभिनव 'सफर डॉट कानपुरी' पर रिजर्वेशन सेवा

तिरंगा फहरा वीरों को किया याद

धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस, जिलाधिकारी ने किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान

पूर्वजों की कुर्बानी याद

...आजादी का पर्व

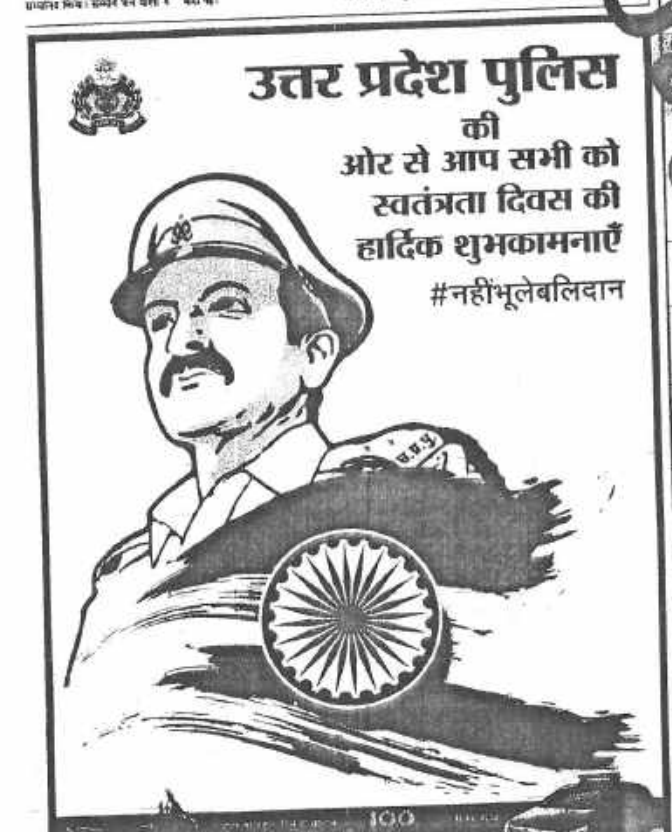

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: ए-39, आवास विकास कालोनी, सिरसा रोड, बाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

Epaper.jagran.com

7554

SBI

[illegible] Unit, Corporate Centre, State Bank Bhavan, [illegible] Floor, Madam Cama Road, Mumbai 400 021.

REQUEST FOR PROPOSAL

[illegible] of India has issued a Request for Proposal (RFP) [illegible] appointment of consultant for conducting employee [illegible] cum mass communication programmes. For details, [illegible] procurement news at bank's website [illegible]

Sd/-
Deputy General Manager
(Strategic Training Unit)

Place: Mumbai
Date: 17.08.2018

Tamil Nadu Medicinal Plant Farms & Herbal Medicine Corporation Ltd

(A Government of Tamil Nadu Undertaking)
Regd. Office: Arignar Anna Hospital Campus, Arumbakkam, Chennai - 600 106.
Phone: 044-26210656, Fax: 26221484
Company Identification No U24231TN1983SGC010136

TENDER NOTICE REF.: 380/TAMPCOL/OT/MED/2018-19

[illegible]

MANAGING DIRECTOR

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS), BHUBANESWAR

File No.: AIIMS/BBSR/Engg/ 438 /2018-19 Dated: 16th Aug 2018

NOTICE INVITING E-TENDER

The All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhubaneswar invites e-Tender for the Work "External Painting around Hospital Building of AIIMS, Bhubaneswar" (NIT No.: AIIMS/BBSR/Engg./ 019 /2018-19). The detailed Tender Document along with Last Date & Time of Submission of Tender can be viewed & Downloaded from the website www.aiimsbhubaneswar.edu.in, www.tenderwizard.com/AIIMSBBSR & CPP Portal www.eprocure.gov.in.

Sd/-
Executive Engineer (Civil)
AIIMS, Bhubaneswar

कार्यालय उपनिदेशक (नि./बां.)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ. प्र.
नवीन गल्ला मण्डी स्थल, महेवा यू.पी. गोरखपुर - 273016

ई-निविदा शुद्धि-पत्र

[illegible]

भवदीय
ह०/-
उप निदेशक (नि./बां.)
मण्डी परिषद, गोरखपुर

TAMIL NADU ENERGY DEVELOPMENT AGENCY

TENDER NOTICE

[illegible]

General Manager/TEDA

CHANDIGARH HOUSING BOARD

PRESS NOTICE
'e' Procurement System

Executive Engineer-V (Elect.) on behalf of the Chairman, Chandigarh Housing Board re-invites sealed Percentage rate Tenders through e-Procurement process from the specialized Agencies/ Firms Contractors / Tenderers in UT Engineering Department/ CPWD/ MES/ Punjab PWD/ Haryana PWD & Himachal PWD enlisted for specialized works of Fire Alarm System in two envelope system for the following work:

Name of work	Estimated cost put to tender	Earnest Money	Time allowed	Cost of tender Document
Providing Fire Alarm System for construction of 256 Nos. Two Bed Room flats in Sector 51-A, Chandigarh	Rs. 9.38 Lac	Rs. 19,000/-	4 Months	Rs. 590/-

1. Milestone dates of Electronic Tendering

i	Downloading of e-Tender documents	Start Date: 21.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 30.08.2018 up to 1700 Hrs.
ii	Clarification regarding plans, specifications, schedule of quantities and set of terms	Start Date: 21.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 30.08.2018 up to 1600 Hrs.
iii	Date of submission of e-TENDER	Start Date: 21.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 30.08.2018 up to 1700 Hrs.
iv	Physical submission of EMD, Tender fee, Eligibility Documents and other necessary documents	Start Date: 30.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 03.09.2018 up to 1530 Hrs.
v	Opening of Technical Bid(s) Online	03.09.2018 at 1500 Hrs.
vi	Opening of Price Bids	To be intimated to all eligible Bidders separately

2. Bid Document can be downloaded from the website [illegible] or [illegible]
3. All other terms and conditions, instructions to bidder regarding e-tendering process etc. may kindly be seen from the detailed Notice Inviting Tender (NIT) available/ downloadable on the above noted web sites of Chandigarh Administration.

Also Available at: www.chandigarh.gov.in

Executive Engineer-V(Elect.)
for & on behalf of Chairman
Chandigarh Housing Board Chandigarh

दूरभाष नं.-05192-220048

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः ए-39, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/ मोरम माइनिंग प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के संबंध में पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृत संबंधित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किए गए है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1.	[illegible], फर्नीचर, निवासी- [illegible], जिला-[illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 17/5 ग्राम- [illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-18.09.18
2.	मैसर्स [illegible] इंटरप्राईजेज द्वारा श्री [illegible], निवासी- [illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	ग्राम-[illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर	36.437 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-18.09.18
3.	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स द्वारा श्री [illegible] सिंह, निवासी-[illegible], बाराबंकी, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-9/3, ग्राम-[illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.7698 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-18.09.18
4.	मैसर्स [illegible] द्वारा श्री [illegible], निवासी-[illegible] 441 [illegible] कालोनी, [illegible], भोपाल, म.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-11/4, ग्राम-[illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	17.408 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-18.09.18
5.	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स द्वारा श्री [illegible] निवासी ग्राम- [illegible], जिला-कन्नौज, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-10/36, ग्राम-[illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.44 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-18.09.18
6.	मैसर्स [illegible] इंटरप्राईजेज द्वारा श्री [illegible] कुमार पाण्डे, निवासी, म.नं.-271, [illegible]-3, [illegible], लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-23/20, ग्राम-[illegible], तहसील-[illegible], जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील [illegible] परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
7.	मैसर्स [illegible], निवासी-[illegible], जिला-[illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-22/14, ग्राम-[illegible], तहसील-[illegible], जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील [illegible] परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
8.	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स द्वारा श्री [illegible] सिंह [illegible], निवासी-म.नं.-1005, [illegible]-3, [illegible] कालोनी, सेक्टर-3, [illegible], लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-23/7, ग्राम-[illegible], तहसील-[illegible], जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील [illegible] परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
9.	मैसर्स एम.टी. [illegible] द्वारा श्री [illegible], निवासी- [illegible], [illegible] नगर, कानपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	ग्राम-[illegible], तहसील-[illegible], जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील [illegible] परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
[redacted]						
11.	मैसर्स [illegible] द्वारा श्री [illegible] सिंह [illegible], म.नं.-101, [illegible] नगर, ग्वालियर, म.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड नं.-36/3, ग्राम-[illegible], तहसील-[illegible], जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील [illegible] परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
12.	मैसर्स [illegible] द्वारा श्री [illegible] सिंह, निवासी-605 [illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड नं.-23/19, ग्राम-[illegible], तहसील-[illegible], जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील [illegible] परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
13.	मैसर्स श्री [illegible] कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा श्री अनिल [illegible], निवासी-[illegible] नगर, [illegible], ग्वालियर, म.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड नं.-23/13, ग्राम-[illegible], तहसील-[illegible], जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील [illegible] परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
14.	मैसर्स [illegible] प्रा. लि. द्वारा श्री [illegible] मिश्रा, निवासी-म.नं.-[illegible] 90, [illegible], जिला लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड नं.-22/15, ग्राम-[illegible], तहसील-[illegible], जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील [illegible] परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
15.	मैसर्स [illegible] प्रा. लि. द्वारा श्री प्रकाश [illegible], म.नं.-10, [illegible], [illegible], म.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड नं.-30/1, ग्राम-[illegible], तहसील-[illegible], जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील [illegible] परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-20.09.18
16.	मैसर्स [illegible] प्रा. लि. द्वारा श्री [illegible] कुमार शर्मा, निवासी-ग्राम- [illegible], पोस्ट-[illegible], डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल के पास, [illegible] रोड, [illegible], पटना, बिहार।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड नं.-30/2, ग्राम-[illegible], तहसील-[illegible], जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील [illegible] परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-20.09.18
17.	मैसर्स [illegible] प्रा. लि. द्वारा श्री प्रकाश [illegible], म.नं.-10, [illegible], [illegible], म.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड नं.-30/3, ग्राम-[illegible], तहसील-[illegible], जनपद-हमीरपुर।	36.44 हेक्टेअर	तहसील [illegible] परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-20.09.18
18.	मैसर्स डी.बी. [illegible] द्वारा श्रीमती सुमन देवी निवासी- [illegible], तहसील- [illegible], जिला [illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	ग्राम-[illegible], तहसील-[illegible], जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील [illegible] परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-20.09.18
19.	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स द्वारा श्री [illegible], निवासी- ग्राम व पोस्ट-[illegible], तहसील-[illegible], जिला-[illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड नं.-29/1, ग्राम-[illegible], तहसील-[illegible], जनपद-हमीरपुर।	12.14 हेक्टेअर	तहसील [illegible] परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-20.09.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ 1533 दिनांक 14-09-2006 तथा संशोधित-एस.ओ 3067 (ई) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते है। परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1- जिलाधिकारी कार्यालय जनपद-हमीरपुर।
2- महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ए-39 आवास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला पंचायत हमीरपुर।
6- क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार, [illegible] तल, सेक्टर-एच अलीगंज लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/मोरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते है अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी
दिनांक- 16.08.18

पत्रांक- 503/क्षे.वि./ लोक सु./2018

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

[illegible] ECTC, ALLD/2018-19 [illegible] ECTC, ALLD/2018-19 [illegible]

TELANGANA STATE MEDICAL SERVICES & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION

[illegible]

NORTH EASTERN RAILWAY

E-Tender Notice

[illegible]

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

[illegible]

www.upavp.in

[illegible]

उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.

[illegible]

(RTGS/ NEFT IFS Code- PUNB0054000 A/C No 0540002100192006)

[illegible]

उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.

[illegible]

(RTGS/ NEFT IFS CODE- PUNB0054000 A/C No 0540002100192006)

[illegible]

7555

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 681/लोक सुनवाई/2018 दिनांकः 27/09/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स इयोन एसोसिएट के पक्ष में स्वीकृत खंड संख्या–26/3 क्षेत्रफल–24.291 हे0 (485747 घन मी0/वर्ष) ग्राम–चांदवारी, तहसील–सरीला, जनपद–हमीरपुर में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 24706/सी–2/एनओसी–4283/बॉदा/18 दिनांक 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई प्रस्तावित खनन स्थल तहसील–सरीला सभागार, जनपद–हमीरपुर में दिनांक 19.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

7556

ण्ड संख्या– 26/3, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स इयोन एसोसिएट्स द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 24.291 ह0 ग्राम–चांदवारी, तहसील–सरीला, जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारकों की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 19.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स इयोन एसोसिएट्स के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24706/सी–2 /एनओसी–4283/बांदा/18 दिनांक 10.08.2018 जो जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 19.09. 2018 को तहसील– सरीला व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.08. 2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक 19.09.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील सरीला सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री कमलेश कुमार राय, खान अधिकारी, हमीरपुर।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे

7557

,ण्ड संख्या– 26/3 ग्राम– चांदवारी, तहसील– सरीला, जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है क्योकि खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 50 हेक्टेअर से कम है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है। परामर्शी द्वारा 10 किमी0 की त्रिज्या में स्थित पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण/आंकडों के एकत्रण का कार्य स्टेट इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट अथॉरिटी द्वारा दी गयी टर्म्स ऑफ रिफरेन्स के बिन्दुओं के अनुरूप की गयी है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी थी तथा उसकी एक–एक प्रति अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर, जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर, जिला पंचायत हमीरपुर में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा परामर्शी से विस्तृत विवरण प्रेषित किये जाने हेतु आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव न्यून करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड वॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा।

खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग किये जाने वाली सड़को का रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा। तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा एवं सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण कार्य किये जायेगें।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने शिकायत/आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

सर्वप्रथम श्री धृपाल सिंह, ग्राम– घिरौली, चांदवारी, तहसील– सरीला, हमीरपुर द्वारा प्रश्न पूछा गया कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं सड़क की मरम्मत व रखरखाव एवं वृक्षारोपण किया जाये।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन क्षेत्र अथवा निकटतम यथा निकटतम ग्राम में हरित पट्टिका का विकास किया जाये। खनन क्षेत्र से आवागमन हेतु प्रयोग किये जाने वाली कच्ची है तो खडंजा बिछाया जायेगा एवं उसका रखरखाव किया जायेगा। धूल के नियंत्रण हेतु जल का छिडकाव किया जायेगा। वृक्षों के सुरक्षा हेतु ट्री–गार्ड का प्रयोग किया जायेगा। हार्न का प्रयोग अनावश्यक नही किया जायेगा।

जिला खान अधिकारी को उक्त खनन कार्य हेतु ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये आमंत्रित किया गया। स्वागत करते हुये उक्त परियोजना में जब भी खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तब वाहनों के आवागमन हेतु सड़क मार्ग की मरम्मत व रखरखाव, सड़क के किनारे, प्रस्तावित स्थल या प्रस्तावित स्थल के निकटतक अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, गाटा सं0 के निकटतम खेतो पर बारी को नुकसान न पहुचाना एवं बारी का नियमावली में यह प्राविधान है कि जो भी पट्टेधारक है यदि किसी कारण काश्तकार का खनन कार्य की वजह से नुकसान होता है तो उसका मुआवजा देना होगा अथवा उसको प्रतिकर दिया जायेगा यदि आपसी सुलह से समाधान नही निकलता है तो शासन द्वारा उक्त समस्या का निराकरण किया जायेगा। वाहन चलाने से यदि सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होता है तो डिस्ट्रिक विजिट फाउन्डेशन ट्रस्ट के नियमावली है कि खनिज निधि का 10 प्रतिशत पट्टेधारक द्वारा खनिज निधि में जमा कराया जायेगा तथा खनन क्षेत्र में कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जायेगी। हैण्डपम्प, (पेयजल) सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं पर्यावरण संरक्षरण हेतु सभी पट्टेधारको को पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य तथा अतः आप सभी स्थानीय ग्रामवासी शासन को जिलाधिकारी महोदय, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान एवं शासन को अपने प्रस्ताव दे ताकि ग्राम विकास का कार्य किया जायेगा। पट्टेधारक द्वारा खनन क्षेत्र में

ाने पीने के सामान हेतु प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट का निस्तारण सुचारू रूप से किया जायें, प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न न किया जाये प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण नगर निगम, हमीरपुर द्वारा किया जायेगा।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन योजना के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव बनाये गये है उनकी मई और दिसम्बर में अनुपालन आख्या व DEIAA, SEIAA द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में दी गयी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों का पूर्णतया पालन किया जाता है यदि अनुपालन आख्या नही भेजी जाती है तो अनापत्ति अस्वीकृत किये जाने का प्राविधान है।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी द्वारा पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि अनुपालन आख्या समय समय पर भेजी जायेगी व सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया जायेगा एवं पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जायेगा, सड़क की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य भी आवश्यकतानुसार किया जायेगा। खनन स्थल पर पालीथीन का उपयोग नही किया जायेगा क्योकि वर्तमान समय में यह प्रकरण अतिसंवेदनशील है। अतएव इसका इस्तेमाल कदापि न करें। सड़क के किनारें एवं खनन क्षेत्र अथवा ग्राम के निकटतम क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें। नियम व शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जायें।

अन्त में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को सुझाव दिया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें एवं ढुलाई के समय बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर लाना है, इसी के साथ उपस्थित जनसमुदाय का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

19/9/18

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

19.9.18

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

रुकमीखुर्द के लिए शुरु हुई रोडवेज बस सेवा

तिरंगा फहरा वीरों को किया याद

धूमधाम से मना स्वतंत्रता [illegible] ने किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान

पूर्वजों की कुर्बानी याद [illegible] आजादी का पर्व

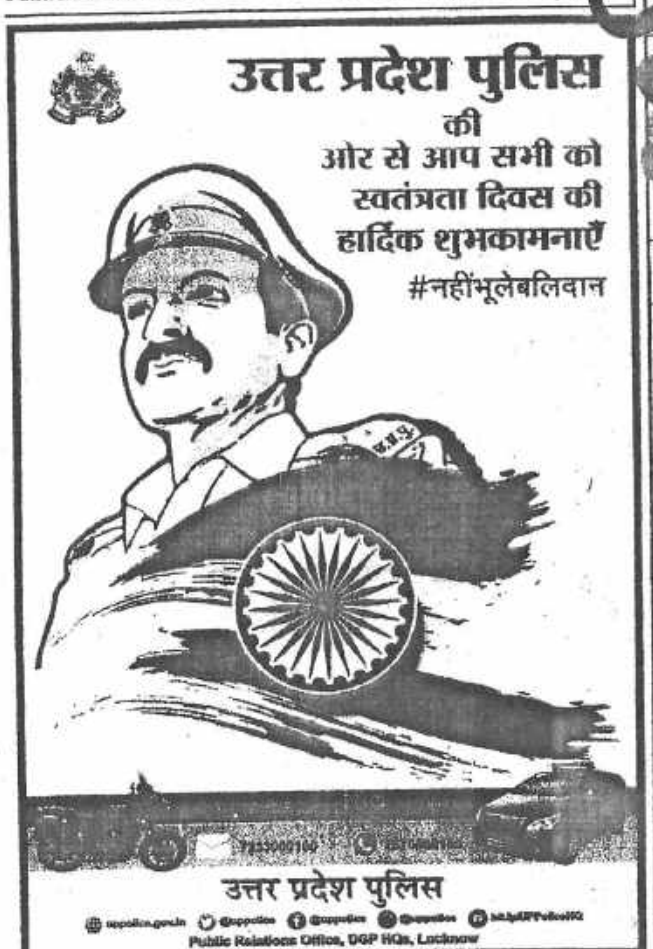

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरणीय संरक्षणार्थ हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	प्रस्तावक का नाम	परियोजना प्रस्ताव का प्रकार	दोषारोपण	स्थान	सिमांकन व समय
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

92

7561

दूरभाष नं.-05192-220048

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: ए-39, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के संबंध में पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृत संबंधित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किए गए है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1.	श्रीमती कौशल्या चौबे, निवासी- मु. टीकमपुर, कुलपहाड़, जिला-महोबा, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 17/5 ग्राम- सहजना, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
2.	मैसर्स विकास इंटरप्राईजेज द्वारा श्री विकास यादव, निवासी- [illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	ग्राम-[illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर	36.437 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
3.	मैसर्स राधा ट्रेडर्स द्वारा श्री [illegible] सिंह, निवासी-[illegible], [illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-9/3, ग्राम- कन्डौर, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.7698 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
4.	मैसर्स [illegible] एण्ड [illegible] द्वारा श्री [illegible], निवासी- ई-7, एचआईजी 441 ओल्ड [illegible], हुजूर आर.एम. नगर, भोपाल, म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-13/4, ग्राम- [illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	17.406 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
5.	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स द्वारा श्री [illegible] निवासी ग्राम- [illegible], जिला-कन्नौज, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-10/36, ग्राम-[illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.44 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
6.	मैसर्स [illegible] इंटरप्राईजेज द्वारा श्री [illegible] कुमार पाण्डेय, निवासी- म.नं.-271, विराम खण्ड-3, गोमतीनगर, लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-23/20, ग्राम- पेढ़ी खुर्द, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
7.	मैसर्स [illegible], निवासी- [illegible], [illegible], जिला-[illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-22/14, ग्राम-[illegible], तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
8.	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स, द्वारा श्री [illegible] सिंह यादव, निवासी-म.नं.-1099, [illegible]-2, [illegible], सेक्टर-3, [illegible], लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-23/7, ग्राम- पेढ़ी खुर्द, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
9.	मैसर्स एस.डी. इंटरनेशनल द्वारा श्री [illegible], निवासी- 7/[illegible], [illegible] -8, [illegible], कानपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	ग्राम-[illegible], तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
10.	मैसर्स [illegible] इंफ्राट्रक्चर प्रा. लि. द्वारा श्री [illegible] मिश्र, निवासी- म.नं.-खण्ड 06, [illegible] मार्ग, जिला लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड नं.-26/7, ग्राम-[illegible], तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
11.	[illegible]	[illegible]	[illegible] हमीरपुर।	[illegible]	[illegible] हमीरपुर	[illegible] 19.09.18
12.	मैसर्स [illegible] द्वारा श्री [illegible] सिंह, निवासी- 405 [illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड नं.-23/19, ग्राम- पेढ़ी खुर्द, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
13.	मैसर्स श्री [illegible] कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा श्री [illegible], निवासी- [illegible], [illegible], ग्वालियर, म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड नं.-23/13, ग्राम- पेढ़ी खुर्द, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
14.	मैसर्स [illegible] इंफ्राट्रक्चर प्रा. लि. द्वारा श्री [illegible] मिश्र, निवासी- म.नं.-खण्ड 06, [illegible] मार्ग, जिला लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड नं.-23/15, ग्राम-[illegible], तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
15.	मैसर्स [illegible] प्रा. लि. द्वारा श्री [illegible], म.नं.-10, [illegible], [illegible], म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड नं.-30/1, ग्राम- [illegible], तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
16.	मैसर्स [illegible] प्रा. लि. द्वारा श्री [illegible] कुमार शर्मा, निवासी- ग्राम- [illegible], [illegible], डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल के पास, [illegible] रोड, [illegible], पटना, बिहार।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड नं.-30/3, ग्राम- [illegible], तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
17.	मैसर्स [illegible] प्रा. लि. द्वारा श्री [illegible], म.नं.-12, [illegible], [illegible], म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड नं.-30/2, ग्राम- [illegible], तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.4[illegible] हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
18.	मैसर्स डी.जी. कान्स्ट्रक्शन द्वारा श्रीमती सुमन देवी निवासी-[illegible], तहसील- [illegible], जिला [illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	ग्राम-[illegible], तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
19.	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स द्वारा श्री [illegible], निवासी- ग्राम व पोस्ट- [illegible], तहसील-[illegible], जिला-[illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड नं.-29/1, ग्राम- [illegible], तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	12.14 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ 1533 दिनांक 14-09-2006 यथा संशोधित-एस.ओ 3067 (ई) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1- जिलाधिकारी कार्यालय जनपद-हमीरपुर।
2- महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ए-39 आवास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला पंचायत हमीरपुर।
6- क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार, पंचम तल, सेक्टर-एच अलीगंज लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

पत्रांक- 503/पी.सि./ लोक सु./2018 — दिनांक- 16.08.18

SBI — REQUEST FOR PROPOSAL
State Bank of India has issued a Request for Proposal (RFP) for appointment of consultant for conducting employee intervention cum mass communication programme. For details, please see 'procurement news' at bank's website.
Deputy General Manager, Strategic Training Unit

Tamil Nadu Medicinal Plant Farms & Herbal Medicine Corporation Ltd.
TENDER NOTICE
MANAGING DIRECTOR

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS), BHUBANESWAR
NOTICE INVITING E-TENDER
The All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhubaneswar invites e-Tender for the Work "External Painting around Hospital Building of AIIMS, Bhubaneswar". The detailed Tender Document along with Last Date & Time of Submission of Tender can be viewed & Downloaded from the website www.aiimsbhubaneswar.edu.in, www.tenderwizard.com/AIIMSBBSR & CPP Portal www.eprocure.gov.in.
Sd- Executive Engineer (Civil) AIIMS, Bhubaneswar

कार्यालय उपनिदेशक (नि./र्मा.)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ. प्र.
ई-निविदा सूचना-पत्र
उप निदेशक (नि./र्मा.) मण्डी परिषद, गोरखपुर

TAMIL NADU ENERGY DEVELOPMENT AGENCY
TENDER NOTICE
General Manager/TEDA

CHANDIGARH HOUSING BOARD
PRESS NOTICE
'e' Procurement System
Executive Engineer-III/Elect. for & on behalf of Chairman, Chandigarh Housing Board Chandigarh

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

TELANGANA STATE MEDICAL SERVICES & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION

NORTH EASTERN RAILWAY — E-Tender Notice
Sr. Divisional Electrical Engineer/TRD, Lucknow

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना
www.upavp.in

उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.
ई-निविदा सूचना

7562

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं० एस०ओ० - 1533 दिनांक 14-09-2006 यथासंशोधित की धारा एस० ओ० - 3067 (ई) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में :-

1.) मैसर्स इयेन एसोसिएट्स, निवासी - मकान० 101, तानसेन नगर, ग्वालियर, म०
2.) मैसर्स सेनविन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि०, श्री रमेश चन्द्र मिश्रा, म०नं० - श्रेन्च - सरोजनी नायडू मार्ग, जिला लखनऊ।

द्वारा साधारण बालू / मोरम खनन हेतु प्रस्ताव पर परियोजना स्थल-
1.) खसरा नं० 26/3, ग्राम चांदवारी, तहसील - सरीला, जिला - हमीरपुर।
2.) खसरा नं० - 26/7, " " " " " " - "

मे दिनांक 19-09-2018 को लोक सुनवाई के सम्बन्ध मे उपस्थित अधिकारी कर्मचारियो एवं ग्राम वासियो की उपस्थिति का विवरण :-

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं०	हस्ता
1.	विनय प्रकाश श्रीवास्तव	ADM, HAMIRPUR	9454417604	
2.	कमलेश कुमार राय	MINES OFFICER, HAMIRPUR	9452230110	
3.	डा० माधवी कुमलवंशी	A.S.O, UPPCB, JHANSI	7839891909	
4.	राजकुमार वर्मा	S.A., UPPCB, BANDA	7839891918	
5.		सरीला	8115923814	
6.		हिरुमाकुरुर्ग	9919376814	
7.		[illegible]	9585210[illegible]	
8.		[illegible]	9554	
9. PP		रेलमा एसोसियेट	9415698449	
10.		पुलिस अध्यक्ष पत्रकार	9934824966	
		[illegible]	8940220187	
		[illegible]	7054532033	
		[illegible]	9580606326	
		[illegible]	7670049231	
		[illegible]	9794375629	

7563

दूरभाष- 05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा
U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 720/क्षे०कार्या०बा०/प्रो० शुक्ल/18 दिनांक 8/10/18

सेवा में,
सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय- मैसर्स सत्यम कंस्ट्रक्शन खण्ड संख्या-24/9 ग्राम-चिकासी तहसील सरीला जिला हमीरपुर में क्षेत्रफल-36.437 है0 में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे हेतु प्राप्त खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर दिनांक 05.10.2018 को तहसील सरीला जनपद हमीरपुर में आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 26696/सी-2/एनओसी-4302/बाँदा/2018 दिनांक 30.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई स्थल तहसील-सरीला जनपद-हमीरपुर में दिनांक 05.10.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सीडीओ की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner

खण्ड संख्या– 29/4, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स 7564 कन्स्ट्रक्शन द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 36.437 हे0, ग्राम–चिकासी, तहसील– सरीला, जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारक की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 05.10.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स सत्यम कन्ट्रक्शन के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 25505/सी–2/एनओसी–4302/बांदा/18 दिनांक 30.08.2018, जो कि जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पर जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा दिनांक 05.10.2018 को तहसील– सरीला, जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 03.09.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र सं0– 532/55–पर्या–2–2018–103 (पर्या)/2007 दिनांक 23.04.2018, पर्यावरण अनापत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को पत्र सं0– 1133/एम0/21(पर्या)/2011(II) दिनांक 07.08.2018 के अनुसार एक तहसील के क्षेत्रों पर तहसील मुख्यालय में समेंकित सुनवाई को कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

आज दिनांक 05.10.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील सरीला परिसर, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री जीतेन्द्र सिंह, खान निरीक्षक, हमीरपुर।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जनसमुदाय को अवगत कराया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे खण्ड संख्या– 29/4, ग्राम– चिकासी, तहसील– सरीला, जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। उक्त

परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित ग्रामवासियों को अवगत कराने हेतु सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूडे दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड बॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है सम्बन्धित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है। इस विषय में संदर्भित टर्म्स ऑफ रिफरेन्श/ई0आई0ए0/ई0एम0पी0 (ड्राफ्ट) को फील्ड मानीटरिंग आख्यायें 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री अनिल कुमार पांचाल, ग्राम– चिकासी, सरीला, हमीरपुर द्वारा प्रश्न किया गया कि खदान के चलने के समय धूल बहुत उडती है सडके बहुत खराब हो जाती है धूल से फसलो व पेड पौधो को बहुत नुकसान होता है। साथ ही अन्ना जानवरो की रक्षा की जायें।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि धूल के **7566** सडक पर जल का छिडकाव किया जायेगा, कच्ची सडक पर खडंजा किया जायेगा तथा सडक की मरम्मत व रखरखाव किया जायेगा। सडक के दोनो किनारो पर वृक्षारोपण किया जायेगा। वाहनो में ओवरलोडिग नही की जायेगी। अन्नजानवार एक सामाजिक समस्या है परन्तु इसके निवारण हेतु खनन क्षेत्र में बाडा लगाया जायेगा जिससे जानवरो को कोई नुकसान नही होगा। कोई भी रास्ता खेत से नही जायेगे परन्तु यदि किसी कारण से खेत के मध्य से रास्ता जाता है तो काश्तकार की सहमति के बिना कोई भी कार्य नही किया जायेगा तथा उसको शासन की नीति के अनुसार मुआवजा दिया जायेगा।

तत्पश्चात् सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टेधारक को आमंत्रित किया गया।

पट्टेधारक श्री सत्यम गुप्ता पुत्र श्री सौरभ गुप्ता द्वारा अध्यक्ष महोदय व ग्रामवासियों को अवगत कराया गया कि सी0ई0आर0 के अंतर्गत ग्राम विकास हेतु कार्य किया जायेगा। जैसे– चिकित्सक, विद्यालय, सडक मरम्मत, सोलर लाइट, ग्रामीणों के शौचालय एवं परियोजना में प्रस्तावित सी0ई0आर0 के अतंर्गत सभी मानको को पूरा किया जायेगा।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्रामवासियों को शिकायत/सुक्षाव के लिये आमंत्रित किया गया तथा शासन के नियमों का सम्मान करें व अनुपालन करें तथा जो भी कार्य करे उसको सम्मान के साथ नियमानुसार करें। पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाये, खनन कार्य दिन में ही किया जायें । प्राथमिक तौर पर ग्रामविकास हेतु शौचालय, चिकित्सा, वृक्षारोपण, विद्यालय की मरम्मत, सड़क की मरम्मत, सड़क का रखरखाव तथा वृक्षो का रोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाये जिससे वृक्ष को आप 05 वर्ष तक सुरक्षित रख सकें।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को निर्देशित किया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा एवं ढुलाई के समय बालू को ढककर लाना है, गीला बालू रखना है इसी के साथ अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

05/XI/18

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

5.11.2018

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं०- S.O. 1533 दिनांक 14-09-2006 यथासंशोधित के अनुपालन में

(1) मेसर्स दिशा इण्डस्ट्राइजेज प्राधिकृत श्री मो० अशफाक मो० मुन्शी पिता- निवासी- 28/46, द्वितीय तल, खतीजाबाई बिल्डिंग पैक रस्सी टबीन्के छोटी मस्जिद, नागपाड़ा मुम्बई सेन्ट्रल महाराष्ट्र

(2) मेसर्स सत्यम कन्स्ट्रक्शन प्राधिकृत श्री सत्यम गुप्ता पुत्र श्री सी० गुप्ता, निवासी- 944, सिविल लाइन, झाँसी, उ०प्र० द्वारा साधारण बालू/मौरम खनन हेतु प्रस्तावित पर परियोजना स्थल क्रमशः-

(i) खण्ड सं०- 254/14, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर

(ii) खण्ड सं०- 254/3, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर

हेतु तहसील- सरीला, समाहार, जनपद- हमीरपुर

आयोजित दिनांक 05/10/2018 को लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं ग्राम वासियों की उपस्थिति का विवरण-

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम / गाँव	मो० नं०	हस्ताक्षर
1-	श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव	ADM हमीरपुर	9454-417604	
2.	" वीर बहादुर यादव	SDM तह- सरीला, हमीरपुर		
3.	" डॉ० माधवी कमल वंशी	ASO, UPPCB, Jhansi	7839849909	
4.	श्री राज करन वर्मा	SA, UPPCB, Banda	7839849918	
5.	श्री जितेन्द्र सिंह	खान निरीक्षक, हमीरपुर	8707869521	
6-	" लक्ष्मण जीत सिंह	तहसीलदार, सरीला	9454416009	
6.	Anil kumar	Village and post chika	8053175401	
	Shyamkaran	"	9794019691	
	Jarhvant	"	9936905822	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	9654692975	
[illegible]	[illegible]	9839891423	
[illegible]	[illegible]	8953303260	[illegible]
[illegible]	[illegible]	9918635111	[illegible]
[illegible]	[illegible]	9839394161	[illegible]
[illegible]	[illegible]	9044998008	[illegible]
Mohd Ashfaque Khan	Disha Enterprises	9837880001	[illegible]
[illegible]	[illegible]	9415402106	[illegible]
Satyam Gupta	944, Civil Lines, Jhansi	9953212475	
B.M.S Negi (EIA-Coordinator)	ENVIRAS(I) Pvt. Ltd	9654890694	
Mayank Kushkey (EAA)	ENVIRAS(I) Pvt. Ltd	8604590422	
Rishabh Verma	"	8940100101	
[illegible]	[illegible]	—	[illegible]

7569

100

बजट गोल, कैसे हॉकी करेगी कामयाबी के गोल

हरदोई को राज्य स्तरीय स्पर्धा तक पहुंचाने वालों की राह में रोड़ा

आनंद मिश्रा

हरदोई। चार सितंबर से लखनऊ में शुरू हो रही राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता के लिए जनपदीय टीमों को हॉकी टीम का खर्च अभाव से सिमा विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। माध्यमिक सिमा विभाग के इस रवैये ने जिले और मंडल स्तर के खिलाड़ियों को पर कतरने वाले क्रीड़ा अधिकारियों की मंशा पर पानी फेर दिया है। साथ ही खेलो इंडिया जैसे योजना के आव्हान को भी ठेंगा दिखाने का काम किया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक पीके दुबे का कहना है कि टीम को भेजने की जिम्मेदारी मंडल स्तर का प्रतियोगिता आयोजित कराने वाली जनपद के डीआईओएस की होती है। अगर लखीमपुर के डीआईओएस ने टीम भेजने का प्रबंध नहीं किया है तो संबंधित विद्यालय की खेल निधि का इस्तेमाल कर टीम को प्रतियोगिता के लिए भेजा जा सकता है। योजना की कॉपियां की जरूरी कि टीम को पहले भेजा जा सके।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ी अभ्यास करते हुए

आजाद हिंद क्रीड़ांगन के खेल शिक्षक रमेश नारायण त्रिपाठी कहते हैं कि डीआईओएस की जिम्मेदारी है कि टीम को भेजे।

डीआईओएस और उनके मातहतों की लापरवाही के चलते खिलाड़ियों का मनोबल गिर रहा है। विद्यालय के प्रबंधन को अवसर नहीं करवा है, लेकिन प्रभारकार्य के संकेत में प्रकाश है।

जिला क्रीड़ा समिति के सचिव अवधेश तिवारी ने बताया कि विद्यालय की खेल निधि में पर्याप्त धन है। इस धन से टीम को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिए भेजे जाने की बात प्रभारकार्य से हुई थी। इसके बाद क्या वह संकल्प में नहीं है।

जिम्मेदारों के इस रवैये से जहां नवोदित हॉकी खेल के फल सरीय मुकाबले में हिस्सेदारी को संभावना अनिश्चितता में घिर गई है, वहीं पालीय महकमा हरदोई जिले को राज्य स्तरीय मुकाबले के मुकाम तक खाने वाले खिलाड़ी तैयार्ग रा तक इधर-उधर भटकते नजर आए।

टेबल टेनिस में सुदिति और सेंट मेरी स्कूल विजेता

बहोरिया सुर पर्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता के विजेता व उपविजेता

अवध उजाला ब्यूरो

भरथना। डेली प्वाइंट एकेडमी में दीवाली की छुट्टा शहीदन पुर को ओर से टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीएम नेत्र प्रभात वैश्य व सीओ विश्वजा चायलकांत ने किया। इसमें सुदिति प्लेब्वल व सेंट मेरी स्कूल विजेता बना।

प्रतियोगिता में यूपी.स मोडर्न स्कूल, जागेनी स्कूल, सेंट पॉल स्कूल, सेंट मेरी स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, संत विवेकानंद, गार्डन लिट्टा जी स्कूल, एसएस मेमोरियल, ज्ञानम क्लासेज, सुदिति मोडल एकेडमी सहित अन्य स्कूलों की 16 टीमों ने भाग लिया। उक्त वर्ग में सुदिति स्कूल एकेडमी विजेता व मार्डर

सहोदय ग्रुप ने दो वर्गों में प्रतियोगिता का किया आयोजन

सिद्धा जी स्कूल उपविजेता रहा। लड़का वर्ग में सेंट मेरी इंग्लिश कॉलेज की टीम विजेता व सेंट पीटर स्कूल की टीम उपविजेता रही। प्रधानाचार्या प्रदीप चंद्र पांडेय व सीओ ने विजेता व उपविजेता टीम-लड़कों को ट्रॉफी चिह्न व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पवन चतुर्वेदी, अमरज चौहानदी, दीपक पाठ, दीपक सिंह चौहान, प्रमोद दुबे, अतुल दीक्षित, अनिता बीजासरा, अखिलेश कुमार आर्कोवी, वीरेंद्र नारायण, सुनीता श्रीवास्तवी आदि का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन दीपक वर्मा व निलेंद्र सिंह चौहान ने किया।

SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

NOTICE INVITING E-TENDER (NIT)

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS) has more than 1000 beds (and the number of beds are likely to be increased in future), Lucknow and invites e-tender in two parts (Technical Bid and Financial Bid) for the following services of the Institute.

1-E-tender for Outsourcing of Hospital Laundry Services.

2-E-tender for Empanelment of Travel Agents.

The bidders, who have submitted their bids and EMD against NIT/AMT, No. 922/Contract/2018-19/01 need not to submit EMD again. However, they are required to submit the bids as a fresh because few conditions have been changed.

E-tender in this regard shall be available on the website "www.etender.up.nic.in" from 04.09.2018 to 19.09.2018. In addition, the NIT shall also be available for information only on the website of the Institute "www.sgpgi.ac.in".

Advt. No.-Tech/Contract/2018-19 DIRECTOR

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रीतापुर

ज्ञापक. पी./15937-38/2018-19 दिनांक: 31.08.2018

विज्ञप्ति

रसाकविरा संख्या: 1267/69-5-2018 दिनांक 18.01.2018 द्वारा अनुभाग-5, खण्ड, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के पत्रांक: 4 वि.श./7268-7307/ 2018-19 दिनांक 19.08.2018 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 41556 के सापेक्ष जनपद रीतापुर को सम्बन्धित 785 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु दिनांक 01.09.2018 से 03.09.2018 तक काउन्सलिंग में उपस्थिति अभ्यर्थियों में से अवैध मलिन, दिव्यांग पुरुष एवं अवस्था महिला अभ्यर्थियों के विद्यालय नियतन क्रमशः हेतु दिनांक 03.09.2018 को ही उसी दिन सायं 5.00 बजे जनपदीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर रोड लखनऊ में आवश्यकतानुसार का आयोजन किया जायेगा। उक्त वर्ग के समस्त अभ्यर्थी अपनी पात्रता से संबंधित कोई फोटो युक्त पहचान पत्र मूलरूप में एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति सभ्य में लाना सुनिश्चित करें। दिनांक 03.09.2018 को नियतन नियतन काउन्सिलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को बेसिक के माध्यम से विद्यालय आवंटित कर दिया जायेगा। तिथोपरान्त समस्त उक्तवर्णित अभ्यर्थी का दावा और भार में इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(अजय कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
रीतापुर

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय : ए-39, आवास विकास कालोनी, चित्रला रोड, बाँदा

पत्रांक : 568/प्र.नि./लोक सु./2018 दिनांक : 01.09.18

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/बोरस माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के संबंध में पर्यावरणीय प्रभिक्रमण से पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधित प्रस्ताव उ.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	प्रोजेक्ट	स्थान	दिनांक व समय
1	मैसर्स के.के. एस. माइनिंग सर्विसेज प्रा. लि. द्वारा श्री राम कुमार सिंह निवासी-नही गांव, फतेहपुर, जिला-फतेहपुर, उ.प्र.	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं-23/27, ग्राम-भोई, रकबेरा व जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेयर	खलासी सदर पंचायत, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
2	मैसर्स एन.प्रसाद इंफ्राकाम प्रा. लि. द्वारा श्री संजीव कुमार सरकार, निवासी-फ्लैट नं-540, फ्लैट नं-202-बी, पैराडाइज होम अपार्टमेंट, लालकुआं रोड, बरेली नगर।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं-10/33, ग्राम-भोई, रकबेरा व जनपद-हमीरपुर।	30.242 हेक्टेयर	खलासी सदर पंचायत, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
3	मैसर्स सहज कुमार पुरवा, निवासी 13/24-78, पक्का घाट, सिविल लाइन, बांदा, उ.प्र.।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं-10/4, ग्राम-भोई, रकबेरा व जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेयर	खलासी सदर पंचायत, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
4	मैसर्स श्री वीरभद्रम द्वारा श्री अनुपेन्द्र सिंह रेना, निवासी-129/10, सिविल लाइन, रायबरेली व जनपद-रायबरेली।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-10/1, ग्राम-रसूलपुर, खलासी व जनपद-रायबरेली।	36.437 हेक्टेयर	खलासी सदर पंचायत, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
5	मैसर्स कलरटेक्स उद्योगसंगम प्रा. लि. द्वारा श्री उमेश कुमार पांडेय, निवासी-02, भगवंती नगर, डी.के. रेड, बीकानेर, म.प्र.।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-19/5, ग्राम-टोकापुर, खलीला-बीजापुर, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेयर	खलासी-बीजापुर चौराहा, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
6	मैसर्स कर्वेश्वर स्वामी एण्ड संस द्वारा श्री उमेश चंद्र सोनी, निवासी मजे-08 निया राम कुमार टेलर, खलीला चौराहा, जिला मुरैना, म.प्र.।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं-19/6, ग्राम-टोकापुर, खलीला-बीजापुर, जनपद-हमीरपुर।	19.254 हेक्टेयर	खलीला-बीजापुर चौराहा, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
7	मैसर्स बालाजी एण्ड संस द्वारा श्री अनोपेन्द्र कुमार, निवासी-बी-1/135, ओखला-एन, एल.आई.जी. फ्लैटस, जसोला रोड, शाहदरा, म.प्र.।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं-23/12, ग्राम-भोई खास, खलीला-सहित, जनपद-हमीरपुर।	9.995 हेक्टेयर	खलीला-बीजापुर चौराहा, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
8	मैसर्स दिव्य इण्डस्ट्रीज्स द्वारा श्री के. अशोक, निवासी-21/44, द्वितीय तल, कनोनगर्स सिंडिकेट, ऐम एवेन्यू (जी.के. पार्क) कोठी फॉरेस्ट, पलासिया, मुलचंद मेट्रल, खलासपुर।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-24/14, ग्राम-सिकरारी, खलीला-सहित, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेयर	खलीला-सहित चौराहा, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
9	मैसर्स सत्यम कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री सोमन कुमार, निवासी-94-ई, सिविल लाइन, झांसी, उ.प्र.।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-24/9, ग्राम-सिकरारी, खलीला-सहित, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेयर	खलीला-सहित चौराहा, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
10	मैसर्स खण्डूजा रियलकेम प्राइवेट द्वारा श्री नवाब सिंह पंवार, निवासी-36 कि.मी., मथरा रोड, सासपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं-24/18, ग्राम-सिकरारी, खलीला-सहित, जनपद-हमीरपुर।	33.44 हेक्टेयर	खलीला-सहित चौराहा, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14-09-2006 यथा संशोधित - एस.ओ. 3067 (ई), दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार लिखा एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध हैं।

1. जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद-हमीरपुर।
2. मण्डल प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, चित्रला रोड, बांदा।
4. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. कार्यालय जिला पंचायत, हमीरपुर।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/बोरस माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियाँ आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते हैं।

DKA2018000001218

क्षेत्रीय अधिकारी

Job Alert

III : निःशुल्क करें आवेदन

पालीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

- कुल पद : 29
- पदों का विवरण : कृषि एप्लीकेशन, कृषि अकाउंट इत्यादि।
- शैक्षणिक योग्यता : स्नातकपास
- आवेदन शुल्क: निःशुल्क

आवेदन प्रक्रिया

- आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष
- आवेदन प्रक्रिया: निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर सभी संबंधित दस्तावेजों को 'सहायक कुल सचिव, स्थापना-III, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर- 721302, पश्चिम बंगाल' के पते भेजें।
- अंतिम तिथि: 14 सितंबर, 2018

NIPHM: कृषि क्षेत्र में अवसर

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट

- कुल पद : 07
- पदों का विवरण : असिस्टेंट डायरेक्टर, लोअर डिविजन क्लर्क इत्यादि।
- शैक्षणिक योग्यता : स्नातकपास
- पारिश्रमिक की अंतिम तिथि: 29 सितंबर, 2018

आवेदन प्रक्रिया

- आयु सीमा : अधिकतम 27/ 30/ 45 / 35 वर्ष (पदानुसार)
- आवेदन शुल्क: सभी वर्ग के लिए निःशुल्क
- आवेदन प्रक्रिया: संबंधित मंत्रालय से आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्णरूप से भरे हुए आवेदन पत्र को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ निर्धारित पारूप के पते पर भेजें।
- पारिश्रमिक का भुगतान: एकेडमी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, राजेंद्रनगर, हैदराबाद- 500030

व्यापम ने जारी की विज्ञप्ति

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल

150 कुल पद

- पदों का विवरण : वरिष्ठ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, जिला ई- एप्लीकेशन एक्जीक्यूटिव
- शैक्षणिक योग्यता : पदों के अनुसार अलग-अलग निर्धारित
- आयु सीमा : 18 - 40 वर्ष
- आवेदन शुल्क : सामान्य वर्ग के लिए : 250 रुपये और अन्य वर्ग के लिए- 500 रुपये
- चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया

- आवेदन प्रक्रिया : संबंधित मंत्रालय से निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्णरूप से भरे आवेदन पत्र को अपने स्थानीय कार्यालय में अंतिम तिथि से पहले भेज दें।
- अंतिम तिथि: 15 सितंबर, 2018

http://vyapam.nic.in

ICHR: सदस्य सचिव का पद खाली

- कहां: भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद
- पद संख्या: 01
- पद का विवरण : सदस्य सचिव
- शैक्षणिक योग्यता : प्रोफेसर के नियमानुसार निर्धारित
- आयु सीमा : अधिकतम आयु 55 वर्ष
- आवेदन शुल्क: फीस के बिनापुरजा
- अंतिम तिथि: 30 सितंबर, 2018
- आवेदन प्रक्रिया: संबंधित मंत्रालय या दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ संलग्न करते अंतिम तिथि से पहले संस्थान के सचिव के पते पर भेज दें।
- संस्थान का पता: अध्यक्ष, आईसीएचआर, 35, फिरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली- 110001
- वेबसाइट: http://ichr.ac.in/

आपका स्वास्थ्य

मैं पीर का रहा हूं, मुझे लीवर खराब करने के लिए क्या कारण जिम्मेदार? - इलियास, बदायूं

जवाब : लीवर खराब करने के लिए, शराबी पीना और धूम्रपान को प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना जाता है। इसके अलावा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस ए एवं ऐ हीमोक्रोमैटोसिस, विल्सन्स डिजीज, फाल्सीपेरम मलेरिया, केमिकल (दवाओं), दवाओं से ओवरडोज होने इत्यादि कारण भी लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं।

लीवर को ठीक रखने के लिए आवेदन करते रोगी है। इन रोगों के लिए विशिष्ट परीक्षण करा करने के पश्चात उपचार होता है।

अपने सुझाव और प्रश्न इस ई-मेल पते पर भेजें: yuvaamarujala@gmail.com

लिखकर भेजें: अमर उजाला, ऑफिस नं. 121, सेक्टर-58, नोएडा से जुड़े नवीनतम समाचारों के लिए

Employment News

- कहां: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट
- पद संख्या: 01
- पद का विवरण : असिस्टेंट प्रोफेसर
- शैक्षणिक योग्यता : 55 प्रतिशत अंकों के साथ एमबीए
- आयु सीमा : अधिकतम आयु 35 वर्ष
- आवेदन शुल्क: सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये
- अंतिम तिथि: 15 सितंबर, 2018
- आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत बायोडाटा के साथ आवेदन पत्र को ईमेल के माध्यम से भेजें।
- ईमेल: recruitment@nifteem.ac.in

दूरभाष नं.- 05192-220048

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: ए-39, आवास विकास कालोनी, जिल्ला रोड, बाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद- हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार रौण्ड/ मौरम माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोक सुनवाई के सम्बन्ध में पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1	मैसर्स जे.के.एस. माईनिंग सर्विसेस प्रा.लि. द्वारा श्री जगे कुमार सिंह निवासी- गढ़ी मवैया, फतेहपुर, जिला- फतेहपुर, उ.प्र.।	खण्ड/ मौरम माईनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/27, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	24.291 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
2	मैसर्स न्यू प्रवीरा इंफ्राडाइट प्रा.लि. द्वारा श्री संतोष कुमार रस्तोगी, निवासी- प्लॉट नं. 540, फ्लैट नं. 202-बी, गोपाला ग्रीन अपार्टमेंट, रतनलाल नगर, कानपुर नगर।	खण्ड/ मौरम माईनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 10/33, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	20.242 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
3	मैसर्स राहुल कुमार गुप्ता, निवासी- 15/74-75, बाबा घाट, सिविल लाइन, बढ़ागांव, कानपुर, उ.प्र.।	खण्ड/ मौरम माईनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 10/4, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
4	मैसर्स श्री फेरट्रेक्शन द्वारा श्री अतुलेन्द्र सिंह खेंगर, निवासी- 129/10, सिविल लाइन तहसील व जनपद- झांसी	खण्ड/ मौरम माईनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 18/1, ग्राम- सहुरापुर, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
5	मैसर्स कामताानाथ इण्टरप्राइजेज प्रा.लि. द्वारा श्री राजेश कुमार गांगुली, निवासी- 02, पंचवानीनगर, निवर अंबिट मोटर्स, जे.के. रोड, भोपाल, म.प्र.।	खण्ड/ मौरम माईनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 19/5, ग्राम- टीकापुर, तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
6	मैसर्स कन्हैया खनन एण्ड सप्लाई द्वारा श्री उमेश चन्द्र बंसल, निवासी- म.नं.- 08, निपर राधा कृष्णा टेम्पल, तहसील- पचरखा, जिला- मुरैना, म.प्र.।	खण्ड/ मौरम माईनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 19/4, ग्राम- टीकापुर, तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर।	19.254 हैक्टेअर	तहसील- मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
7	मैसर्स यादव एण्ड संस द्वारा श्री अवधेश कुमार, निवासी- बी-1/135, सेक्टर- एल, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उ.प्र.।	खण्ड/ मौरम माईनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/12, ग्राम- भेड़ो खरका, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	9.995 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
8	मैसर्स दिशा इण्टरप्राइजेज द्वारा श्री मो. अशफाक, निवासी- 28/46, द्वितीय तल, खटीजाबाई बिल्डिंग, टैंक एसटी (जी.के. मार्ग) छोटी मस्जिद, नागपाड़ा, मुम्बई सेन्ट्रल, महाराष्ट्र।	खण्ड/ मौरम माईनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/14, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
9	मैसर्स सत्यम कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री सत्यम गुप्ता, निवासी- 944, सिविल लाइन, झांसी, उ.प्र.।	खण्ड/ मौरम माईनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/9, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
10	मैसर्स खनुराहो सिमेंटेक एलएलपी द्वारा श्री यशपाल सिंह परमार, निवासी- 06 कि.मी., सागर, बादरी, छतरपुर, म.प्र.।	रौण्ड/ मौरम माईनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/18, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	32.44 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित- एस.ओ. 3067 (ई) दिनांक 01.12.2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से संबंधित इं.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालय में उपलब्ध है।

1- जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद- हमीरपुर।
2- मुख्य प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, हमीरपुर।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, जिल्ला रोड, बांदा।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला पंचायत, हमीरपुर।
6- क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल, सेक्टर- एच अलीगंज, लखनऊ।

अतः समस्त सर्वसाधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित रौण्ड/ मौरम माईनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते है अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर प्रेषित कर सकते हैं।

पत्रांक- 567/प्री.वि./लोक सु./2018, दिनांक- 01.09.18

क्षेत्रीय अधिकारी

THE INDIAN EXPRESS

WWW.INDIANEXPRESS.COM

THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, SEPTEMBER 3, 2018

7570

EXCLUSIVE

Will go ahead with S-400 deal with Russia, India to tell US

PRESS TRUST OF INDIA
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

INDIA IS expected to convey to the US during the upcoming "two-plus-two" talks that it is going ahead with the Rs 40,000-crore deal with Russia to procure a batch of S-400 Triumf air defence missile systems, notwithstanding the American sanctions on military transactions with Moscow, official sources said on Sunday.

They said India is likely to seek a waiver from the Trump administration for the mega deal, citing its requirement for the missile system in the wake of the evolving regional security architecture as well as considering its close defence ties with Russia.

"India has almost concluded the S-400 missile deal with Russia and we are going ahead with it. Our position on the issue will be conveyed to the US," said a high-level official source.

The US has imposed military sanctions against Russia under the stringent CAATSA ('Countering America's Adversaries Through Sanctions Act') in lieu of its annexation of Crimea as well as alleged meddling in the American presidential election in 2016.

CAATSA mandates the Donald Trump administration to punish entities and countries engaging in significant transaction with the defence or intelligence establishment of Russia.

Randall Schriver, the Pentagon's senior official handling issues relating to Asia, said on Thursday that the US cannot guarantee that India will be exempted from sanctions if it purchases weapons and defence systems from Russia.

The US has been telling India that it does not want India to finalise the deal with Russia.

A new US defence legislation authorises President Donald Trump to exempt countries from the military sanctions.

The first edition of the much-awaited 2+2 dialogue on strategic affairs between the US and India will take place here on September 6 during which a range of bilateral, regional and global issues of mutual interests will be discussed.

Under the new framework finalised last year, External Affairs Minister Sushma Swaraj and Defence Minister Nirmala Sitharaman will hold talks with Secretary of State Mike R Pompeo and Secretary of defence James Mattis from the US.

The sources said India will push for a waiver from the US for its missile deal with Russia, as the air defence system was crucial for its security preparedness.

They said there was a possibility of Russian and India announcing the deal before the annual summit between Prime Minister Modi and Russian President Vladimir Putin in October.

There has been mounting concern in India over the US' sanctions against Russia as defence experts, including Russian experts, as believe of dollar of military purchases may be imparted to them as of the punitive measure. India wants to procure the long-range missile systems to tighten its air defence mechanism, particularly along the nearly 4,000-km-long Sino-India border. S-400 is known as Russia's most advanced long-range surface-to-air missile defence system.

China was the first foreign buyer to seal a government-to-government deal with Russia in 2014 to procure the lethal missile system and Moscow has already started delivery of components number of the S-400 missile systems to Beijing.

The S-400 is an upgraded version of the S-300 system. The missile system, manufactured by Almaz-Antey, has been in service in Russia since 2007.

Shah to inaugurate second leg of Raman's yatra on Sept 5

DIPANKAR GHOSE
RAIPUR, SEPTEMBER 2

WITH ASSEMBLY elections drawing close, Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh is set to launch the second phase of his state-wide Vikas Yatra from September 8. BJP president Amit Shah will be inaugurating it. The first phase of the yatra was held in May. It covered a distance of close to 5,000 km, as claimed by the BJP.

The chief minister said the yatra would be called the Atal Vikas Yatra and would cover close to 8,000 km across the state. He said Shah will launch the yatra from Rajnandgaon, a town of religious significance in Chhattisgarh. The yatra will conclude on October 5.

Singh also said that Prime Minister Narendra Modi would join the yatra on September 22, when he visits Janjgir-Champa district.

The yatra has drawn criticism from the opposition, which has said that it is drawing money from the taxpayers for what is a purely political purpose. The Chief Minister also said that in the run-up to the elections, the state government would begin a consultative exercise to prepare a vision document, also named after late former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, for a "New Chhattisgarh 2025".

"This will be done before the model code of conduct comes into force. We will reach out to everyone to ask for suggestions on how this state can grow into a New Chhattisgarh by 2025," he said.

Hardik with BAME(S) leader Jitan Ram Manjhi, Governor Jasmin Patel

Hardik releases 'will' on day 9 of hunger strike

EXPRESS NEWS SERVICE
GANDHINAGAR, SEPTEMBER 2

PATIDAR QUOTA leader Hardik Patel, who has been on an indefinite hunger strike for the last nine days, on Sunday made his legal will public. In the will, according to his aide, Hardik has set aside a part of his money for families of 14 Patidar youths who died during the 2015 quota agitation. He has also pledged his eyes for donation after his death.

Hardik has been fasting at his Ahmedabad residence since August 25 demanding reservation for Patidars in government jobs, education and an farm loan waiver.

Making his will public, his aide and Patidar Anamat Andolan Samiti (PAAS) leader Manoj Panara said Hardik's health was deteriorating rapidly. "It is possible that in the next 24 to 48 hours, he won't be in a condition to speak or walk. So, he has declared his will," Panara told *The Indian Express*.

A doctor from a government hospital who visited Hardik on Sunday said he has advised the 25-year-old leader to get admitted to a hospital. "His urine and blood pressure is normal, but he has refused blood and urine tests," PTI quoted the doctor as saying.

As per his will, Hardik has Rs 50,000 in his account. He has declared Rs 20,000 to his parents and the rest as a donation to a caste shelter in his native Viramgam. He has declared that money from a life insurance policy, a car and royalty of 2 book on him be divided in three parts. He has declared that 10 per cent of this should go in his parents, 15 per cent to his sister and the remaining to family members of 14 Patidar youths who died during the quota agitation in 2015.

Four Maoists killed in Chhattisgarh encounter

EXPRESS NEWS SERVICE
RAIPUR, SEPTEMBER 2

FOUR MAOISTS were killed in an encounter in Narayanpur district of Chhattisgarh, police said on Sunday. Officials said five more were wounded in the gunfight by the District Reserve Guard and a Special Task Force of Narayanpur district police based on specific intelligence input.

A senior police official said the encounter took place in the Abujhmaad jungles near Gumiyabeda village. DM Awasthi, Special DG, Anti-Naxal Operations, told *The Indian Express*, "Four Maoists, including two senior cadre, have been killed in the encounter. There was a specific intelligence input. We got such an input and soldiers were moved as well," he said.

A press note issued by the Narayanpur police said they received information on presence of members of the Nelnar Area Committee during a Local Operation Squad and platoon Local Operation Squad in the village, which comes under the Kalelur police station limits.

The statement said that the Jawans located the more than one and a half hr the exchange of fire ended, four bodies were found in the area by operation. Two of the bodies remain unidentified, it said.

While one of the killed Maoists was identified as Somlu, an alleged member of the Nelnar Area Committee, the other, a woman cadre, was identified as Rani, the commander of the Dhara Local Operation Squad.

'Open to contesting LS polls, but party will take call'

SANTOSH SINGH
PATNA, SEPTEMBER 2

FORMER JNU Students' Union president and the CPI's youth wing leader Kanhaiya Kumar has said he was open to contesting the 2019 Lok Sabha election. He, however, added that his party will take a call on it by following due process. He said the immediate focus is on of a "united front" with more importance than fielding candidates.

Kanhaiya Kumar

Kanhaiya said he was open to working with JDU and Congress and that he had been meeting youth leaders from across the country to galvanise youth leadership.

He told The Indian Express, "There already is talk that I have fallen prey to my party's decision. I am open to contesting polls but it is not the time. We have a system in place of district committees sending names, the state committee looking into them and the central committee taking a decision."

He did not elaborate on his choice of constituency. "Electioneering tool issues is more important than whether I will contest polls or not. My party and its allies have to discuss such things. There has to be united front first," he said.

Kanhaiya said he had been trying to groom young student leaders. "I have met Gujarat leaders Hardik Patel and Jignesh Mevani... I also visited Maharashtra last month. I am going to Bengaluru in attend the first death anniversary function of journalist Gauri Lankesh. I will be back in Begusarai later."

Delhi, Odisha yet to join PMJAY, their AIIMS seek clarity on treating patients under scheme

ABANTIKA GHOSH
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

WHILE ALL AIIMS in the country will have to be a part of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), the All India Institutes of Medical Sciences of Delhi and Bhubaneswar are uniquely placed—their home states are yet to join the scheme.

Both the apex government institutes will have to sign a memorandum of understanding with National Health Agency for availing patients under PMJAY. However, this would mean that patients coming patients from outside the state will be monitored under PMJAY — a programme providing annual health cover of Rs 5 lakh for BPL families.

While 40-50 per cent patients in AIIMS Delhi are from outside the state, for AIIMS Bhubaneswar the figure is about 25 per cent. AIIMS Bhubaneswar has already sent a query to Union health ministry about logistics of the programme.

Odisha has also started its own Biju Swasthya Kalyan Yojana that will provide Rs 5 lakh annual health cover to 70 per cent of the state's population.

Odisha AIIMS Director Dr Gitanjali said: "About 20 per cent of our patients are coming from other states. We had sent a query to the health ministry to know the logistics. We will certainly join the programme, but our situation is not unique. It is the same for AIIMS Delhi."

Earlier this week, when Health Minister JP Nadda urged the Delhi government to join PMJAY, he had said that all big government hospitals would be "deemed to be empanelled". The issue of participation of the state is a tricky point not just for AIIMS Delhi but also for other central government hospitals in Delhi, including Lady Hardinge Medical College, RML and Safdarjung.

According to Director Dr Randeep Guleria, AIIMS Delhi has already taken an "in-principle" decision to be a part of PMJAY. "About 40-50 per cent of our patients are from outside the state. We are going through the MoU. We will obviously sign it and continue to provide our treatment. It is not like the city and from within but there has to be some safeguards for our concerns."

The institute has sought clarification from the government on certain issues such as, for example, if a person from Maharashtra, which has agreed to join the scheme, is treated in AIIMS Delhi, will the payment come from the state or National Health Agency.

There are another issues for AIIMS Delhi, the long waiting time in some departments, as this is one that the institute does not do some procedures such as normal deliveries.

"The MoU will have to be clear on these concerns. A PMJAY beneficiary who comes to the hospital will have to wait in turn along with other patients, he cannot jump the queue just because he is a PMJAY beneficiary. There are also other concerns — like we do not do normal deliveries, only complicated ones. That cannot change. We should be able to leave what patient goes to which and retain package to suffer under PMJAY," Dr Guleria added.

For AIIMS and AIIMS-like institutes and other government hospitals, however, PMJAY has come as a financial blessing. All of them are hugely subsidised and will likely not are paid by the government. So it is possible that they can make some profit from the PMJAY package because somewhere in the programme guidelines hospitals that are able to complete procedures at lower cost can still keep the full package payment.

दूरभाष–08182220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 719/दिशा इण्टरप्राइजेज/बी-सुर/18 दिनांक: 8/10/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स दिशा इण्टरप्राइजेज खण्ड संख्या–24/14 ग्राम–धिकासी तहसील–सरीला जिला–हमीरपुर में क्षेत्रफल–36.437 है0 में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे हेतु प्राप्त खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर दिनांक 05.10.2018 को तहसील–सरीला जनपद–हमीरपुर में आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 25505/सी–2/एनओसी–4302/बाँदा/2018 दिनांक 30.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई स्थल तहसील–सरीला जनपद–हमीरपुर में दिनांक 05.10.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

7572

खण्ड संख्या– 24/14, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स दिशा इण्टरप्राइजेज द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 36.437 हे0, ग्राम–चिकासी, तहसील– सरीला, जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारक की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 05.10.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स दिशा इण्टरप्राइजेज के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 25505/सी–2/एनओसी–4302/बांदा/18 दिनांक 30.08.2018, जो कि जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पर जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा दिनांक 05.10.2018 को तहसील– सरीला, जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 03.09.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र सं0– 532/55–पर्या–2–2018–103 (पर्या)/2007 दिनांक 23.04.2018, पर्यावरण अनापत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को पत्र सं0– 1133/एम0/21(पर्या)/2011(II) दिनांक 07.08.2018 के अनुसार एक तहसील के क्षेत्रों पर तहसील मुख्यालय में समेंकित सुनवाई को कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

आज दिनांक 05.10.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील सरीला परिसर, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री जीतेन्द्र सिंह, खान निरीक्षक, हमीरपुर।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जनसमुदाय को अवगत कराया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे खण्ड संख्या– 24/14, ग्राम– चिकासी, तहसील– सरीला, जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। उक्त

7573

परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड बॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है सम्बन्धित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है। इस विषय में संदर्भित टर्म्स ऑफ रिफरेन्श/ई0आई0ए0/ई0एम0पी0 (ड्राफ्ट) को फील्ड मानीटरिंग आख्यायें 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति/सुक्षाव दर्ज नही कराये गयें।

तत्पश्चात् सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टेधारक को आमंत्रित किया गया।

7574

पट्टेधारक अशफाक मोहम्मद मुंशी खान द्वारा अध्यक्ष महोदय व ग्रामवासियों को अवगत कराया गया कि सी0ई0आर0 के अंतर्गत ग्राम विकास हेतु कार्य किया जायेगा। जैसे– चिकित्सक, विद्यालय, सडक मरम्मत, सोलर लाइट, ग्रामीणों के शौचालय एवं परियोजना में प्रस्तावित सी0ई0आर0 के अतंर्गत सभी मानको को पूरा किया जायेगा एवं शासन द्वारा दिये गये निर्देशो का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्रामवासियों को शिकायत/सुक्षाव के लिये आमंत्रित किया गया तथा शासन के नियमों का अनुपालन करें तथा जो भी कार्य करे उसको नियमता करें। पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाये, खनन कार्य दिन में ही किया जायें । प्राथमिक तौर पर ग्रामविकास हेतु शौचालय, चिकित्सा, वृक्षारोपण, विद्यालय की मरम्मत, सड़क की मरम्मत, सड़क का रखरखाव तथा वृक्षो का रोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाये जिससे वृक्ष को आप 05 वर्ष तक सुरक्षित रख सकें। पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि प्लास्टिक उ0प्र0 सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिबन्धित है अतः खनन क्षेत्र पर प्लास्टिक का प्रयोग न करे क्योकि इससे जलधारा प्रदूषित होती है तथा जलीय जीवों को नुकसान होता है।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

(डा0 माधवी कमलेवशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं०-S
1533 दिनांक 14-09-2006 यथासंशोधित के अनुपालन में
(1) मेसर्स दिशा इण्टरप्राइजेज प्राधिकृत श्री मो० अशफाक मो० मुन्शी
निवासी - 28/46, द्वितीय तल, खतीजाबाई बिल्डिंग बैक साईड (बी०के
होली मस्जिद, नागपाड़ा मुम्बई सेन्ट्रल, महाराष्ट्र

(2) मेसर्स सत्यम कंस्ट्रक्शन प्राधिकृत श्री सत्यम गुप्ता पुत्र श्री सी
गुप्ता, निवासी - 944, सिविल लाइन, झाँसी, उ०प्र० द्वारा आधार
बालू/मौरम खनन हेतु प्रस्ताव पर परियोजना स्थल अवस्था

(1) खण्ड नं० - 24/14, ग्राम - चिकासी, तहसील - सरीला, जनपद - हमी
(2) खण्ड नं० - 24/9, ग्राम - चिकासी, तहसील - सरीला, जनपद - हमीर
हेतु तहसील - सरीला, समीपवर्ती जनपद - हमीरपुर
आयोजित दिनाँक 05/10/2018 को लेख सुनवाई के सम्बन्ध में
अधिकारियों/कर्मचारियों एवं ग्राम वासियों की उपस्थिति का वि

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम / गाँव	मो० नं०	हस्ता
1-	श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव	ADM हमीरपुर	9454417604	
2.	" वीर बहादुर माधव	SDM तह-सरीला, हमीरपुर		
3.	" डॉ० माधवी कमलवंशी	ASO, UPPCB, Jhansi	7839891909	
4.	श्री राज करन वर्मा	SA, UPPCB, Banda	7839891918	
5.	श्री जितेन्द्र सिंह	खनन निरीक्षक, हमीरपुर	8707869521	
6-	" लक्ष्मण जीत सिंह	तहसीलदार, सरीला	9454416009	
6.	Anil kumar	Village and post Chika	8053175401	
	Shyamkaran	"	9794019691	
	Tarhvant	"	9936905822	

[illegible]	[illegible]	9140039270	[illegible]
[illegible]	[illegible]	9657699475	
[illegible]	[illegible]	9837891423	
[illegible]	[illegible]	8953303260	[illegible]
[illegible]	[illegible]	9918635111	[illegible]
[illegible]	[illegible]	9839394161	[illegible]
[illegible]	[illegible]	9044998008	[illegible]
) Mohd Ashfaque Khan	Disha Enterprises	9837880001	[illegible]
[illegible]	[illegible]	9415402106	[illegible]
) Satyam Gupta	944, civil lines, Jhansi	9953212175	
B.M.S. Negi (EIA-Coordinator)	ENVIRAS(I) Pvt. Ltd	9654890694	[illegible]
Mayank Kashyap (EAA)	ENVIRAS(I) Pvt. Ltd	8604590422	Mayank
Rishabh Verma	"	8940100101	Rishabh
[illegible]	[illegible]	—	[illegible]

7577

108

बजट गोल, कैसे हॉकी करेगी कामयाबी के गोल

हरदोई को राज्य स्तरीय स्पर्धा तक पहुंचाने वालों की राह में रोड़ा

आनंद मिश्रा

हरदोई। 'चक दे इंडिया' से जागरूकता में शुरू हो रहे राज्य स्तरीय पेंडल हॉकी प्रतियोगिता के लिए चर्चाएं जिले की हॉकी टीम का खर्च उठाने से शिक्षा विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के इस रवैये ने जिले और मंडल स्तर के चुनावलों को पार करके राज्य स्तरीय स्पर्धा में जगह बनाने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को मायूस कर दिया है। साथ ही खेलो इंडिया जैसे खेलकूद के अवसरों को भी सिर्फ कहने तक सीमित कर दिया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक बीके दुबे का कहना है कि टीम को भेजने की जिम्मेदारी मंडल स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित कराने वाले जनपद के डीआईओएस की होती है। अगर लखीमपुर के डीआईओएस ने टीम भेजने का प्रबंध नहीं किया है तो संयोजित विद्यालय की खेल निधि का इस्तेमाल कर टीम को प्रतिभाग के लिए भेजा जा सकता है। सोमवार को बैठकर की जाएगी कि टीम को कहां से भेजा जा सके।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ी। अमर उजाला

आजाद इंटर कॉलेज के खेल शिक्षक श्याम नारायण त्रिपाठी कहते हैं कि डीआईओएस को जिम्मेदारी है कि टीम को भेजें।

दीआईओएस और उनके मातहत की लापरवाही के चलते तैयारियों का मनोबल गिर रहा है। विद्यालय के प्रबंधन को अवगत नहीं कराया है, लेकिन प्रधानाचार्य के संज्ञान में प्रकाश है।

जिला क्रीड़ा समिति के सचिव अमरेश त्रिपाठी ने बताया कि विद्यालय की खेल निधि का इस्तेमाल करने के लिए भी पत्र दिया है। इस पत्र से टीम को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिए भेजने पहले की भाग दौड़ शुरू हो गई है।

चयनित खिलाड़ी

हेमराज वर्मा, निखिल गौड़, विनोद सिंह, अजयपाल चुघड़ा, अनुज गर्ग, सुजीत श्रीवास्तव, अभिषेक अवस्थी, दिविजय चुघड़ा, अंकित चुघड़ा, गोपालपाल सोनकर, नीरज सैनी, विक्रांत चुघड़ा, हेमराज सिंह, जतिन चुघड़ा, अमरेन्द्र पाण्डे और जतिन सिंह।

कब क्या हुआ,

- 28 अगस्त प्रतियोगिता की जिला स्तरीय स्पर्धा पाण्डेपुर हॉकी कोलैस में 12 अगस्त को हुई।
- इसमें कोलैस टीम ने 21 अगस्त को बेलन (लखीमपुर) में 21 अगस्त को मंडलीय चुनावलों में जिसको चुना।
- मंडलीय चुनावलय कोलैस के खेल हाल टीम को राज्य स्तरीय चुनावलों के लिए न लिखकर को जानकारी पहुंचाना है।

टेबल टेनिस में सुदिति और सेंट मेरी स्कूल विजेता

महोत्सव ट्रूप की टेबल टेनिस प्रतियोगिता के विजेता व उपविजेता।

अमर उजाला ब्यूरो

भरथना। इंडोर गेम्स एकेडमी में रविवार को ट्रायका महोत्सव ट्रूप की ओर से टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीएम नंद दुलारे गौर व चीफ विकास जायसवाल ने किया। इसमें सुदिति श्रीवास्तव व बेट मेरी स्कूल विजेता बना।

प्रतियोगिता में पुष्कर मॉडर्न स्कूल, जयंती स्कूल, सेंट पीटर स्कूल, सेंट मेरी स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, संत विवेकानंद, भारत टिड्डा जी स्कूल, एसएस मेमोरियल, नवापण कॉलेज, तृप्ति श्रीवास्तव एकेडमी सहित अन्य स्कूलों की 16 टीमों ने भाग लिया। छात्र वर्ग में तृप्ति श्रीवास्तव एकेडमी विजेता व चाट

महोत्सव ट्रूप ने दो वर्गों में प्रतियोगिता का किया आयोजन

रिहा जी स्कूल उपविजेता रहा। छात्रा वर्ग में सेंट मेरी इंटर कॉलेज की टीम विजेता व सेंट पीटर स्कूल की टीम उपविजेता रही। उपाध्यक्षता प्रदीप चंद्र पांडेय व डीओ ने विजेता व उपविजेता छात्र-छात्राओं को प्रतीक चिह्न व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पवन चतुर्वेदी, अलग मेटलकी, दीपक पटेल, दीपक सिंह चौहान, प्रदीप दुबे, अनुराग दीक्षित, अंकित श्रीवास्तव, अखिलेश कुमार मालवीय, केदार नारायण, सुनील श्रीवास्तव आदि का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन गौरव पाण्डे व जितेंद्र सिंह चहल ने किया।

NOTICE INVITING E-TENDER (NIT)

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS) has more than 1000 beds (and the number of beds are likely to be increased in future). Lucknow and invites e-tender in two parts (Technical Bid and Financial Bid) for the following services of the institute.

1- E-tender for Outsourcing of Hospital Laundry Services.

2- E-tender for Empanelment of Travel Agents.

The bidders, who have submitted their bids and EMD against NIT/Advt. No. V330Contract/2018-19/05 need not to submit EMD again. However, they are required to submit the bids on a fresh because few conditions have been changed.

E-tender in this regard shall be available on the website 'www.sgpgi.ac.in' from 04.09.2018 to 19.09.2018. In addition, the NIT shall also be available for information only on the website of the Institute 'www.sgpgi.ac.in'.

Advertise

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय : ए-39, आवास विकास कालोनी, सिविल लाइंस, बांदा

पत्रांक : 568/पी.बि./लोक सु./2018 दिनांक : 01.09.18

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार रौण्ड/पौरुष माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के संबंध में पर्यावरणीय प्रभिकलन से पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधित प्रस्ताव उ.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थान का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1	मैसर्स जे.के. एग्रो माइनिंग सर्विसेज प्रा. लि. द्वारा श्री राम कुमार दिवेदी निवासी-पाली मौरांक, फतेहपुर, जिला-फतेहपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/पौरुष माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/27, ग्राम-भेरी, खरौंच व जनपद-हमीरपुर।	24.291 हैक्टेअर	खरौंच खण्ड परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
2	मैसर्स न्यू प्रवीण एंटरप्राइज प्रा. लि. द्वारा श्री राकेश कुमार सचान, निवासी-प्लाट नं.-560, फ्लैट नं.-202-बी, पोकलेन ग्रीन अपार्टमेंट, खलासपुर, कानपुर नगर।	रौण्ड/पौरुष माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-10/33, ग्राम-भेरी, खरौंच व जनपद-हमीरपुर।	20.242 हैक्टेअर	खरौंच खण्ड परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
3	मैसर्स राहुल कुमार गुप्ता, निवासी-15/74-75, शक्ति नगर, विलियम नगर, बरहरवा, बलरामपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/पौरुष माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-10/4, ग्राम-भेरी, खरौंच व जनपद-हमीरपुर।	26.437 हैक्टेअर	खरौंच खण्ड परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
4	मैसर्स श्री भैरवनाथ द्वारा श्री अनुरोध सिंह चौहान, निवासी-129/10, दिनेश सदन, रावतीपुर व जनपद-उरई।	रौण्ड/पौरुष माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-16/1, ग्राम-सहुरापुर, खरौंच व जनपद-हमीरपुर।	26.437 हैक्टेअर	खरौंच खण्ड परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
5	मैसर्स कामाख्या इण्डस्ट्रीयल प्रा. लि. द्वारा श्री उमेश कुमार मंडूवाल, निवासी-07, भक्तनी नगर, जिला नवीन कोर्ट, पं.के. पेरेड, मोरादाबाद, म.प्र.।	सैण्ड/पौरुष माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-19/3, ग्राम-टीकापुर, खरौंच-पौरुहा, जनपद-हमीरपुर।	26.437 हैक्टेअर	खरौंच पौरुहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
6	मैसर्स कमलेश खरे एण्ड संस द्वारा श्री उमेश चंद्र भोला, निवासी मजे-04 निवर सना कृष्ण टेनरल, खरौंच पौरुहा, जिला मुरैना, म.प्र.।	सैण्ड/पौरुष माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-19/4, ग्राम-टीकापुर, खरौंच-पौरुहा, जनपद-हमीरपुर।	19.254 हैक्टेअर	खरौंच-पौरुहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
7	मैसर्स बबला एण्ड संस द्वारा श्री अवधेश कुमार, निवासी-बी-1/135, पेपरा-प्लट, पो.डी.एच. कानपुर, अनपुर ग्रेज, लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/पौरुष माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/12, ग्राम-भेरी खरौंच, खरौंच-पौरुहा, जनपद-हमीरपुर।	9.995 हैक्टेअर	खरौंच-मौरिहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
8	मैसर्स प्रिंस कृष्णखरौंच द्वारा श्री मो. अहसनक, निवासी-28/46, दिलीप सब, खरौंचखरौंच सिलेटर, टैन एरिया (जे.के. वर्क) छेती मॉडल, चालकड़ा, मुरैना मैदान, म.प्र.।	सैण्ड/पौरुष माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-24/14, ग्राम-निमारी, खरौंच-मौरिहा, जनपद-हमीरपुर।	26.437 हैक्टेअर	खरौंच-मौरिहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
9	मैसर्स खरौंच मंडूखरौंच द्वारा श्री मनोज पुरम, निवासी-944, दिलीप सहर, झांसी, उ.प्र.।	सैण्ड/पौरुष माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-24/9, ग्राम-निमारी, खरौंच-मौरिहा, जनपद-हमीरपुर।	26.437 हैक्टेअर	खरौंच-मौरिहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
10	मैसर्स खरौंचश्री मिनरल खरौंचर्स द्वारा श्री भगवान सिंह चाहर, निवासी-66 कि.मी., मथुरा दादरी, खरौंच उ.प्र.।	सैण्ड/पौरुष माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-24/13, ग्राम-निमारी, खरौंच-पौरुहा, जनपद-हमीरपुर।	32.44 हैक्टेअर	खरौंच-मौरिहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18

खोर्द द्वारा पर्यावरण, वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14-09-2006 यथा संशोधित - एस.ओ. 3067 (ई), दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित खरौंचत स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार लिखित एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध हैं।

1. जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद-हमीरपुर।
2. मुख्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, हमीरपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, सिविल रोड, बांदा।
4. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी.सी.-12 बी., विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. कार्यालय जिला पंचायत, हमीरपुर।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पंचम तल, सेक्टर-एच., अलीगंज, लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस अम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/पौरुष माइनिंग प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने सकारात्मक, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियाँ आदि लिखित रूप से उपरोक्त की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते हैं।

DIC/U2018000001218

क्षेत्रीय अधिकारी

अमर उजाला Job Alert

IIT : निःशुल्क करें आवेदन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की

- कुल पद : 20
- पदों का विवरण : कुशल एप्रेंटिस, कुशल अप्रेंटिस ट्रेनी।
- शैक्षणिक योग्यता : मैट्रिकुलेट
- आयोजन शुल्क : निःशुल्क

www.iitr.ac.in

- आयु सीमा : अधिकतम 35 वर्ष
- आवेदन प्रक्रिया: निर्धारित फ्रारूप में आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर सभी संबंधित दस्तावेजों को 'सहायक कुलसचिव, स्थापना-III, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की- 247302, उत्तराखण्ड' के पते भेजें।
- अंतिम तिथि: 14 सितंबर, 2018

NIPHM: कृषि क्षेत्र में अवसर

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हैरवेस्ट मैनजमेंट

- कुल पद : 07
- पदों का विवरण : असिस्टेंट इंजीनियर, सेक्शन ऑफिसर वर्कस इन्चार्ज।
- शैक्षणिक योग्यता : स्नातकोत्तर
- वेतनमान की अंतिम तिथि: 29 सितंबर, 2018

http://niphm.gov.in

- आयु सीमा : असिस्टेंट 27/ 35/ 45 / 55 वर्ष (भिन्नभिन्न)
- आवेदन शुल्क: सभी वर्गों के लिए निःशुल्क
- आवेदन प्रक्रिया: संबंधित वेबसाइट से निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्णरूप से भरे हुए आवेदन पत्र को सभी अंकित दस्तावेजों के साथ निर्धारित पते पर भेजें।
- पत्राचार का पता: डॉयरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हैरवेस्ट मैनेजमेंट, हनीनगर, हैदराबाद- 500030

व्यापम ने जारी की विज्ञप्ति

प्रोजेक्टनल एजामिनेशन बोर्ड, भोपाल

150 कुल पद

- पदों का विवरण : वरिष्ठ प्रशिक्षक, प्रशिक्षक, जिला ई- गवर्नेंस प्रबंधक इत्यादि।
- शैक्षणिक योग्यता : पदों के अनुसार अलग-अलग निर्धारित
- आयु सीमा : 18 - 40 वर्ष
- आवेदन शुल्क : सामान्य वर्ग के SC/ST/OBC/PH वर्ग के लिए - 250 रुपये और अन्य वर्ग के लिए- 500 रुपये
- चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा।
- आवेदन प्रक्रिया : संबंधित वेबसाइट से निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्णरूप से भरे हुए आवेदन पत्र को अपने स्थानीय कार्यालय में अंतिम तिथि से पहले भेज दें।
- अंतिम तिथि: 15 सितंबर, 2018

http://vyapam.nic.in

ICHR: सदस्य सचिव का पद खाली

- कहां: भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद
- पद संख्या: 01
- पद का विवरण : सदस्य सचिव
- शैक्षणिक योग्यता : प्रोफेसर के निर्धारानुसार निर्धारित
- आयु सीमा : अधिकतम आयु 55 वर्ष
- आयोजन शुल्क: चयन के निर्धारानुसार
- अंतिम तिथि: 30 सितंबर, 2018
- आवेदन प्रक्रिया: संबंधित वेबसाइट पर दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ डाक खरौंच करके अंतिम तिथि से पहले सचिव के पते पर भेज दें।
- पत्राचार का पता: अध्यक्ष, आईसीएचआर, 35, फिरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली- 110001
- वेबसाइट: http://ichr.ac.in/

आज का सवाल

मैं चीज कर रहा हूं। मुझे सोच्यायाद करना को लिए क्या करना चाहिए? - इंडियन्स सवाल

जवाब : सोने पहनना करने के लिए 10वीं पास और खरौंचखरौंच संगठन में किसी एक टेड (फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर/फिटर, इलेक्ट्रीशियन एवं एक कंप्यूटिंग प्रैक्टिस, सिलाई प्रैक्टिस, खरौंचर, पेंटर/पेंटर (डेकरेटर), इलेक्ट्रीशियन एवं मशीनिस्ट) ट्रेड खरौंचकर

है। इसके अलावा खरौंचर्स्टीट्यूट द्वारा खरौंचखरौंच संगठन से नियोक्तिकर्ता ऑनलाइन/ऑफलाइन/इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा धारक इंजीनियर की एक पद के लिए आवेदन करने योग्य है। इन पदों के लिए लिखित परीक्षाएं नहीं करने के पश्चात साक्षात्कार होगा है।

Please करें www.safalta.com सभी पदों सम्बन्धी नौकरी से जुड़ी नवीनतम जानकारियां

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर

पत्रांक: पी./15937-38/2018-19 दिनांक: 31.08.2018

विज्ञप्ति

जारसंदेश संख्या: 1267/69-S-2018 दिनांक 18.08.2018 जिला अनुदेश-S, समिति, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के संदर्भ: बे.शि.प./7263-7587/ 2018-19 दिनांक 19.08.2018 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों को पदों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 41556 के सापेक्ष जनपद सीतापुर को आवंटित 785 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु दिनांक 01.09.2018 से 03.09.2018 तक कार्यालय में सम्बन्धित अभ्यर्थियों से से अर्ह दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष एवं समस्त महिला अभ्यर्थियों के निःशक्तता सिकल्पन सहन हेतु दिनांक 03.09.2018 को ही उसी दिन सायं 5.00 बजे कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर में सम्बन्धित अभ्यर्थियों के उपस्थित किया जायेगा। उक्त वर्ग के मालदा अभ्यर्थी अपनी पहचान से संबंधित कोई फोटो युक्त पहचान पत्र मूलरूप में एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति सभ्य में संलग्न सुनिश्चित करें। दिनांक 03.09.2018 को निःशक्त विकल्प चालनिर्देशन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दैवर के माध्यम से लिखकर आवेदन कर दिया जायेगा। निःशक्त सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा और बाद में इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(अजय कुमार)
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सीतापुर

दूरभाष नं.- 05192-220048

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः ए-39, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद- हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/ मौरम माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोक सुनवाई के सम्बन्ध में पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1	मैसर्स जी.के.एस. माइनिंग सर्विसेस प्रा.लि. द्वारा श्री नवीन कुमार सिंह निवासी- गढ़ी सलेमा, फतेहपुर, जिला- फतेहपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/27, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	24.291 हैक्टेआर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
2	मैसर्स न्यू प्रयोग इंफ्राइट प्रा.लि. द्वारा श्री संतोष कुमार रस्तोगी, निवासी- प्लॉट नं. 540, प्लैट नं. 202-बी, गोपाला ग्रीन अपार्टमेंट, रतनलाल नगर, कानपुर नगर।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 10/33, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	20.242 हैक्टेआर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
3	मैसर्स राहुल कुमार गुप्ता, निवासी- 15/74-75, बाबा घाट, सिविल लाइन, चड़ामाऊ, कानपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 10/4, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेआर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
4	मैसर्स श्री कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री क्षत्रुलेन्द्र सिंह सेंगर, निवासी- 129/10, सिविल लाइन तहसील व जनपद- झांसी	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 18/1, ग्राम- सहुरापुर, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेआर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
5	मैसर्स कामतानाथ इण्टरप्राइजेज प्रा.लि. द्वारा श्री राजेश कुमार गांगुली, निवासी- 02, भवानीनगर, नियर अमित मोटर्स, जे.के. रोड, भोपाल, म.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 19/5, ग्राम- टीकापुर, तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेआर	तहसील- मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
6	मैसर्स कन्हैया स्वाल एण्ड संस द्वारा श्री उमेश चन्द्र बंसल, निवासी- म.नं.- 08, नियर राधा कृष्णा टेम्पल, तहसील- फरुखा, जिला भुरैना, म.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 19/4, ग्राम- टीकापुर, तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर।	19.254 हैक्टेआर	तहसील- मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
7	मैसर्स जादव एण्ड संस द्वारा श्री अवधेश कुमार, निवासी- बी-1/135, सेक्टर- एल, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/12, ग्राम- भेड़ी खरका, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	9.995 हैक्टेआर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
8	मैसर्स दिशा इण्टरप्राइजेज द्वारा श्री मो. अशफाक, निवासी- 28/46, द्वितीय तल, खटीजाबाई बिल्डिंग, टैंक एसटी (वी.के. मार्ग) कोरी मस्जिद, नागपाड़ा, मुम्बई सेन्ट्रल, महाराष्ट्र।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/14, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेआर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
9	मैसर्स सत्यम कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री सत्यम गुप्ता, निवासी- 944, सिविल लाइन, झांसी, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/9, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेआर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
10	मैसर्स खजुराहो मिनरेल्क एलएलपी द्वारा श्री पराग पाल सिंह परमार, निवासी- 06 कि.मी., सागर, दादरी, छतरपुर, म.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/18, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	32.44 हैक्टेआर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित- एस.ओ. 3067 (ई) दिनांक 01.12.2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालय में उपलब्ध है।

1- जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद- हमीरपुर।
2- महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, हमीरपुर।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला पंचायत, हमीरपुर।
6- क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल, सेक्टर-एच अलीगंज, लखनऊ।

अतः समस्त सर्वसाधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/ मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर प्रेषित कर सकते हैं।

पत्रांक- 567/प्री.चि./लोक सु./2018, दिनांक- 01.09.18

क्षेत्रीय अधिकारी

IE | ENS

WWW.INDIANEXPRESS.COM

THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, SEPTEMBER 3, 2018

Will go ahead with S-400 deal with Russia, India to tell US

PRESS TRUST OF INDIA
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

INDIA IS expected to convey to the US during the upcoming two-plus-two' talks that it is going ahead with the $5.40,000 crore deal with Russia to procure a batch of S-400 Triumf air defence missile systems, notwithstanding the American sanctions on military transactions with Moscow, official sources said on Sunday.

They said India is likely to seek a waiver from the Trump administration for the mega deal, citing its requirement for the missile system in the wake of the evolving regional security architecture as well as considering its close defence ties with Russia.

"India has almost concluded the S-400 missile deal with Russia, and we are going ahead with it. Our position on the same will be conveyed to the US," said a high-level official source.

The US has imposed military sanctions against Russia under the stringent CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) law for its annexation of Crimea as well as alleged meddling in the American presidential elections in 2016.

CAATSA mandates the Donald Trump administration to punish entities and countries engaging in significant transaction with the defence or intelligence establishment of Russia.

Randall Schriver, the Pentagon's senior official handling issues relating to Asia, said on Thursday that the US cannot guarantee that India will be exempted from sanctions if it purchases weapons and defence systems from Russia.

The US has been indicating that it does not want India to finalise the deal with Russia.

A new US defence legislation authorises President Donald Trump to exempt countries from the military sanctions.

The first edition of the much-awaited 2+2 dialogue on strategic affairs between the US and India will take place here on September 6 during which a range of bilateral, regional and global issues of mutual interests will be discussed.

Under the new framework finalised last year, External Affairs Minister Sushma Swaraj and Defence Minister Nirmala Sitharaman will hold talks with Secretary of State Mike R Pompeo and Secretary of Defence James Mattis from the US.

The sources said India will push for a waiver from the US for the missile deal with Russia, as the air defence system was critical for its security preparedness.

They said there was a possibility of Russia and India announcing the deal before the annual summit between Prime Minister Modi and Russian President Vladimir Putin in October.

There has been mounting concern in India over the US sanctions against Russian defence majors, including Rosoboronexport, as billions of dollars of military purchases may be impacted because of the punitive measure. India recently began procuring long-range missile systems to replace its air defence mechanism, particularly along the nearly 4,000-km-long Sino-India border. S-400 is known as Russia's most advanced long-range surface-to-air missile defence system.

China was the first foreign buyer to seal a government-to-government deal with Russia in 2014 to procure the lethal missile system and Moscow has already started delivery of its known customer of the S-400 missile systems to Beijing.

The S-400 is an upgraded version of the S-300 systems. The missile system, manufactured by Almaz-Antey, has been in service in Russia since 2007.

Shah to inaugurate second leg of Raman's yatra on Sept 5

DIPANKAR GHOSE
RAIPUR, SEPTEMBER 2

WITH ASSEMBLY elections drawing closer, Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh is set to embark on the second phase of his state-wide 'Vikas Yatra' from September 5. BJP president Amit Shah will be inaugurating it. The first phase of the yatra was held in May. It covered a distance of close to 5,000 km, according to the BJP.

The chief minister said the yatra would be called the Atal Vikas Yatra and would cover close to 6,000 km across the state. He said Shah will launch the yatra from Dongargarh, a town of religious significance in Chhattisgarh. The yatra will conclude on October 5.

Singh also said that Prime Minister Narendra Modi would join the yatra on September 22, when he visits Janjgir Champa district.

The yatra has drawn criticism from the opposition, which has said that it is drawing money from the taxpayer, for what is a purely political purpose. The Chief Minister also said that in the run-up to the elections, the state government would begin a consultative exercise to prepare a vision document, also named after late former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, for a "New Chhattisgarh 2025".

"This will be done before the model code of conduct comes into force. We will reach out to everyone to ask for suggestions on how this state can grow into a New Chhattisgarh by 2025," he said.

Hardik with HAM(S) leader Jitan Ram Manjhi. PTI/Kumar Tanmay

Hardik releases 'will' on day 9 of hunger strike

EXPRESS NEWS SERVICE
GANDHINAGAR, SEPTEMBER 2

PATIDAR QUOTA leader Hardik Patel, who has been on an indefinite hunger strike for the last nine days, on Sunday made his legal will public. In the will, according to his aide, Hardik has yet asked a part of his money for families of 14 Patidar youths who died during the 2015 quota agitation. He has also pledged his eyes for donation after his death.

Hardik has been fasting at his Ahmedabad residence since August 25 demanding reservation for Patidars in government jobs, education and an farm loan waiver.

Mahiem his will public, his aide and Patidar Anamat Andolan Samiti (PAAS) leader Manoj Panara said Hardik's health was deteriorating rapidly. "It is possible that in the next 24 to 48 hours, he won't be in a condition to speak or walk. So, he has declared his will," Panara told the Indian Express.

A doctor from a government hospital who visited Hardik on Sunday said he has advised the 25-year-old leader to get admitted to a hospital. "His urine and blood pressure is normal, but he has raised blood and urine tests," PTI quoted the doctor as saying.

As per his will, Hardik has Rs 50,000 in his account. He has declared Rs 20,000 to his parents and the rest as a donation to create shelter in his native Viramgam. He has declared that money from a life insurance policy, a car and royalty of a book on him be divided in three parts. He has declared that 15 per cent of this should go to his parents, 15 per cent to his sister and the remaining to family members of 14 Patidar youths who died during the quota agitation in 2015.

Four Maoists killed in Chhattisgarh encounter

EXPRESS NEWS SERVICE
RAIPUR, SEPTEMBER 2

FOUR MAOISTS were killed in an encounter in Narayanpur district of Chhattisgarh, police said on Sunday. Officials said the encounter was overseen by the District Reserve Guard and a Special Task Force of Narayanpur district police based on specific intelligence inputs.

A senior police official said the encounter took place in the Abhujhmaad jungles near Gumjabeda village. DM Awasthi, Special DG, Anti-Naxal Operations, told The Indian Express, "Four Maoists, including two senior cadre, have been killed in the encounter. There was a specific intelligence input. Weapons such as an INSAS have been recovered as well," he said.

A press note issued by the Narayanpur police said they had information on presence of naxalites of the Nelnar area committee, Bekal Local Operation Squad and Jhara Local Operation Squad in the village, which comes under the Kutulpara police station limits.

The statement said that the firing lasted for more than an hour and after the exchange of fire ended, four bodies were found in the area, besides weapons. Two of the bodies remain unidentified, it said.

While one of the killed Maoist was identified as Somlu, an alleged member of the Nelnar Area Committee, the other, a woman cadre, was identified as Rani, the commander of the Jhara Local Operation Squad.

'Open to contesting LS polls, but party will take call'

SANTOSH SINGH
PATNA, SEPTEMBER 2

Kanhaiya Kumar

FORMER JNU Students' Union president and the CPI's youth wing leader Kanhaiya Kumar has said he was open to contesting the 2019 Lok Sabha election. He, however, added that his party will take a call on it by following due process. He said the immediate focus is on "a united front" was more important than discussing who would contest polls.

Kanhaiya said he was open to working with JD(U) and Congress and that he had been meeting youth leaders from across the country to galvanise youth leadership.

He told The Indian Express, "I have already said that there is no pathbreaking democracy. I am open to contesting polls but it is something that has to be decided by my party. We have a system in place in the district committee sending names, the state committee looking into them and the central committee taking a decision."

He did not "elaborate on his choice of constituency. "Discussing real issues is more important than whether I will contest polls or not. My party and its allies have to discuss such things. There has to be a united front," he said.

Kanhaiya said he had been trying to galvanise youth leaders. "I have met Gujarat leaders Hardik Patel and Jignesh Mevani...I also visited Maharashtra last month. I am going to Bengaluru to attend the first death anniversary function of journalist Gauri Lankesh. I will be back in Begusarai later."

Delhi, Odisha yet to join PMJAY, their AIIMS seek clarity on treating patients under scheme

ABANTIKA GHOSH
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

WHILE All AIIMS in the country will have to be a part of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), the All India Institutes of Medical Sciences of Delhi and Bhubaneswar are uniquely placed—their home states are yet to join the scheme.

But the apex government institutes will have to sign a memorandum of understanding with National Health Agency for availing patients under PMJAY. However, this would mean the treatment of only patients from outside the state will be reimbursed under PMJAY — a progressive providing annual health cover of Rs 5 lakh for Rs 10 crore families.

While 40-50 per cent patients in AIIMS Delhi are from outside the state, for AIIMS Bhubaneswar, the figure is about 20 per cent. AIIMS Bhubaneswar has already sent a query to Union health ministry about basics of the programme.

Odisha has also started its own Biju Swasthya Kalyan Yojana that will provide Rs 5 lakh to nuclear health cover to 70 per cent of the state's population.

Odisha AIIMS Director Dr Giridhar said: "About 20 per cent of our patients are from neighbouring states. We had sent a query to the health ministry to know the logistics. We will certainly join the programme, but our situation is not unique, it is the same for AIIMS Delhi."

Earlier this week, when Health Minister JP Nadda unveiled the Pahal logo, he had said that all government hospitals would be "deemed to be empanelled". The issue of non-participation of the state is a sticking point not just for AIIMS Delhi but also for other central government hospitals in Delhi, including Lady Hardinge Medical College, RML and Safdarjung.

According to Director Dr Randeep Guleria, AIIMS Delhi has already taken an "in-principle" decision to be a part of PMJAY. "About 40-50 per cent of our patients are from outside the state. We are going through the letter. We will obviously sign it and continue to provide care to patients from outside the city and from within but there has to be some safeguards for our concerns."

The institute has sought clarification from the government on reimbursements. For example, if a person from Maharashtra, which has agreed to join the scheme, is treated in AIIMS Delhi, will the payment come from the state or National Health Agency.

There are two other issues for AIIMS Delhi: the long waiting lists in some departments, and the fact that the institute does not do some procedures such as normal deliveries.

"The MoU will have to be drafted in a way that no patient who comes to the hospital will have to wait his turn along with other patients, he cannot jump the queue just because he is a PMJAY beneficiary. There are also other concerns — like we do not do normal deliveries, only complicated ones. That cannot change. We should be able to choose what procedures to do and what packages to offer under PMJAY," Dr Guleria added.

For AIIMs and AIIMS-like institutes and other government hospitals, however, PMJAY has come as a financial blessing. All of them are heavily subsidised and staff salaries are paid by the government. So it is possible that they can make some profit from the PMJAY package because according to the empanelment guidelines, hospitals that are able to complete procedures at lower cost can still keep the full package payment.

दूरभाष-05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा
U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office: A-99,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या प्रा0प्र/क्षे0का-बाँदा/लोक सुन0/18 दिनांक 8/10/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स कन्हैयालाल एण्ड सन्स खण्ड संख्या–19/4 ग्राम–टीकापुर तहसील मौदहा जिला–हमीरपुर में क्षेत्रफल–19.264 है0 में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे हेतु प्राप्त खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर दिनांक 04.10.2018 को तहसील मौदहा जनपद–हमीरपुर में आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 26505/सी-2/एनओसी–4302/बाँदा/2018 दिनांक 30.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संवर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई स्थल तहसील–मौदहा जनपद–हमीरपुर में दिनांक 04.10.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के वितरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

7580

खण्ड संख्या– 19/4, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स कन्हैया लाल एण्ड संसक द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 19.245 हे0, ग्राम–टीकापुर, तहसील– मौदहा, जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारक की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 04.10.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स कामतानाथ इण्टरप्राइजेज प्रा0 लि0, के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 25505/सी–2/एनओसी–4302/बांदा/18 दिनांक 30.08.2018, जो कि जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पर जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा दिनांक 04.10.2018 को तहसील व जनपद–हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 03.09.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र सं0– 532/55–पर्या–2–2018–103 (पर्या)/2007 दिनांक 23.04.2018, पर्यावरण अनापत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को पत्र सं0– 1133/एम0/21(पर्या)/2011(II) दिनांक 07.08.2018 के अनुसार एक तहसील के क्षेत्रों पर तहसील मुख्यालय में समेंकित सुनवाई को कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

आज दिनांक 04.10.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील मौदहा, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. श्री विजय कुमार मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
3. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
4. श्री जे0पी0 द्विवेदी, खान अधिकारी, हमीरपुर।
5. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
6. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

7581

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जनसमुदाय को अवगत कराया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे खण्ड संख्या– 19/5 ग्राम– टीकापुर, तहसील– मौदहा, जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड बॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

7582

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है सम्बन्धित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है। इस विषय में संदर्भित टर्म्स ऑफ रिफरेन्श/ई0आई0ए0/ई0एम0पी0 (ड्राफ्ट) को फील्ड मानीटरिंग आख्यायें 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री महेश कुमार पुत्र स्वः श्री प्रहलाद, ग्राम– टीकापुर, मौदहा, हमीरपुर द्वारा प्रश्न किया गया कि ग्राम विकास हेतु जो भी निधि खर्च की जायेगी उसका विवरण प्रस्तुत करें।

खान अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि खनिज निधि में परियोजना लागत का 10 प्रतिशत धन जमा किया जाता है जिसे ग्राम विकास हेतु शासन/प्रशासन/प्रधान द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के उपरान्त ही व्यय किया जाता है।

श्री राजेश पुत्र जगननाथ, ग्राम–टीकापुर, मौदहा, हमीरपुर द्वारा प्रश्न किया गया कि धूल को कैसे नियंत्रित किया जायेगा।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि धूल का नियंत्रण हेतु टैंकरो के माध्यम से जल का छिडकाव किया जायेगा तथा अगर आपकी शिकायत का निस्तारण नही होता है तो आप जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी को शिकायत प्रस्तुत कर सकते है परन्तु मै आपको पूर्ण आश्वासन देता हूँ कि आपको इस प्रकार की कोई समस्या प्राप्त नही होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि वाहनो का ग्राम के मध्य से आवागमन न किया जाये तथा भारी वाहनों का आवागमन ग्राम के बाहर से किया जायें एवं वन विभाग से सम्पर्क कर उक्त जलवायु से सम्बन्धित वृक्षो का रोपण किया जायें।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टेधारक को आंमत्रित किया गया।

पट्टेधारक द्वारा अवगत कराया गया कि धूल के नियंत्रण हेतु टैंकरो के माध्यम से जल का छिडकाव किया जायेगा तथा सडक के दोनो ओर पीपल के वृक्षो का रोपण किया जायेगा। वृक्षो का रखरखाव किया जायेगा तथा ग्राम विकास हेतु सभी कार्य नियमानुसार किये जायेगें।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

7583

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्रामवासियों को पुनः आमंत्रित किया गया एवं पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि खनन कार्य नियमावली के अनुसार करे तथा ग्रामवासियों की समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण करें। धूल की समस्या एक मुख्य समस्या है जिसका निस्तारण समय समय करें। साथ ही पर्यावरण के रखरखाव हेतु अत्यधिक वृक्षारोपण किया जाये तथा अतः इनका रखरखाव एवं वृक्षो का रोपण किया जायें। शासन द्वारा निर्धारित सभी मानको का पूर्ण अनुपालन किया जाये एवं जो कार्य दिन में संभव हो सके उसे रात्रि के समय न किया जाये।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को निर्देशित किया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा एवं ढुलाई के समय बालू को ढककर लाना है, गीला बालू रखना है इसी के साथ अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

04/X/18
(डॉ0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
झाँसी

04/10/2018
(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बाँदा

4.10.18
(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर।

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं०-एस०
सं० 1533 दिनांक 14-09-2006 यथासंशोधित के अनुपालन में
(1) मेसर्स कामताप्रसाद इण्टरप्राइजेज प्रा०लि० अधिकृत श्री गणेश कुमार गांगुली
पुत्र श्री भगवानदास गांगुली, निवासी-62, भवानीनगर, निपनिया सहित
मोर्टर्स, मै०कु० रोड, भोपाल, म०प्र०

(2) मेसर्स कन्हैया लाल एण्ड संस अधिकृत श्री उमेश-चन्द्र बंसल पुत्र
श्री अमेश चन्द्र बंसल कैलाश नारायण बंसल, निवासी-मकान नं०-08
निपनिया राधा कृष्णा टेम्पल, तहसील पोरसा, जिला-मोरना, म०प्र०
द्वारा साधारण बालू/मोरम खनन हेतु प्रस्तावित परियोजना स्थल
क्रमशः
(i) खसरा नं०-19/5, ग्राम-टीलापुर, तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर
(ii) खसरा नं०-19/4, ग्राम-टीलापुर, तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर

हेतु तहसील-मौदहा सभागार जनपद-हमीरपुर में आयोजित
दिनांक 04/10/18 को लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों/
कर्मचारियों एवं ग्राम वासियों की उपस्थिति का विवरण-

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम/गाँव	मो० नं०	हस्ताक्षर
1-	श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव	ADM, हमीरपुर	9454417604	
2-	" विजय कुमार मिश्र	RO, UPPCB, Banda	7839891916	04/10/18
3-	डॉ० माधवी कमलवंशी	ASO, UPPCB, Jhansi	7839891909	
4	श्री जे०पी० द्विवेदी	खान अधिकारी, हमीरपुर	8887534778	4-10-18
5	श्री राघवेन्द्र शर्मा	तहसीलदार, मौदहा	9454416010	
6-	" राजकरन वर्मा वैज्ञानिक	सहा० उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बांदा	7839891918	
7-	[illegible]	[illegible]	9956841800	
8-	ओमनारायण सोनी	तहसील-मौदहा	07921402112	

7585

देवेन्द्र सिंह	झाली	7742964915	देवेन्द्र सिंह
[illegible]	निवाड़ा	9919884140	
शरद चन्द्र माथुर	टीकमगढ़	07895 [illegible]	
महेश कुमार	टीकमगढ़	7793826779	
[illegible]	टीकमगढ़	9919115390	
देवेन्द्र सिंह	टीकमगढ़	9415331572	देवेन्द्र सिंह
दिनेश सिंह	टीकमगढ़	9452582322	दिनेश सिंह
आदित्य सिंह	निवाड़ा	8052246506	आदित्य सिंह
शंकर निषाद	डोंगरपुर	9621632584	निषाद
रामऔतार निषाद	टीकमगढ़		
मुकेश निषाद	टीकमगढ़	9935248408	
मुकुल बोस	टीकमगढ़		मुकुल बोस
जगपाल रघुवीर प्रधान प्रतिनिधि	टीकमगढ़	9005028406	जगपाल
रामसनेही	टीकमगढ़	9554781850	रघुवीर
		रामसनेही	
Aushyant Singh	Niwada (Hamirpur) MP Bundelkhand	9415733281	Singh
B.M.S. Negi	ENV. DAS (I) Pvt. Ltd.	9454890694	
Mayank Pushkar	"	8604590422	Mayank
Rishabh Verma	"	8948100101	Rishabh

अमर उजाला Job Alert

IIT : निःशुल्क करें आवेदन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

NIPHM: कृषि क्षेत्र में अवसर

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट

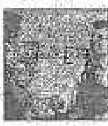

व्यापम ने जारी की विज्ञप्ति

150 कुल पद

ICHR: सदस्य सचिव का पद खाली

आज का सवाल

बजट गोल, कैसे हॉकी करेगी कामयाबी के गोल

हरदोई को राज्य स्तरीय स्पर्धा तक पहुंचाने वालों की राह में रोड़ा

चयनित खिलाड़ी

कब क्या हुआ

टेबल टेनिस में सुदिति और सेंट मेरी स्कूल विजेता

सहोदय ग्रुप ने दो वर्गों में प्रतियोगिता का किया आयोजन

NOTICE INVITING E-TENDER (NIT)

1- E-tender for Outsourcing of Hospital Laundry Services.

2- E-tender for Empanelment of Travel Agents.

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर

विज्ञप्ति

दिनांक: 31.08.2018

(अजय कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सीतापुर

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय : ए-39, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा

पत्रांक : 568/पे.वि./लोक सु./2018 दिनांक : 01.09.18

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के संबंध में पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1	[illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/27, [illegible]	24.251 हेक्टेयर	[illegible], जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
2	[illegible] 540, [illegible] -202-बी, [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-10/33, [illegible] जनपद-हमीरपुर।	10.242 हेक्टेयर	[illegible], जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
3	मैसर्स [illegible] 15/74-75, [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-10/4, [illegible] जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेयर	[illegible], जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
4	मैसर्स [illegible] -129/10, [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-18/1, [illegible] जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेयर	[illegible], जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
5	मैसर्स [illegible] 02, [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-19/5, [illegible] जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेयर	[illegible], जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
6	मैसर्स [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-19/4, [illegible] जनपद-हमीरपुर।	19.254 हेक्टेयर	[illegible], जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
7	मैसर्स [illegible] 1/133, [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/12, [illegible] जनपद-हमीरपुर।	9.995 हेक्टेयर	[illegible], जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
8	मैसर्स [illegible] -28/16, [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-24/14, [illegible] जनपद-हमीरपुर।	34.437 हेक्टेयर	[illegible], जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
9	मैसर्स [illegible] 641, [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-24/9, [illegible] जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेयर	[illegible], जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
10	मैसर्स [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-24/18, [illegible] जनपद-हमीरपुर।	32.44 हेक्टेयर	[illegible], जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14-09-2006 यथा संशोधित - एस.ओ. 3067 (ई), दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित नर्धित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से संबन्धित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1. जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद-हमीरपुर।
2. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, हमीरपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा।
4. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी.सी.-12 वी., विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. कार्यालय जिला पंचायत, हमीरपुर।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त नर्धित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियाँ आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते है।

DKA0201800001218 क्षेत्रीय अधिकारी

दूरभाष नं.- 05192-220048

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: ए-39, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद- हमीरपुर में निम्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/ मौरम माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोक सुनवाई के सम्बन्ध में पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1	मैसर्स जे.के.एस. माइनिंग सर्विसेस प्रा.लि. द्वारा श्री जय कुमार सिंह निवासी- यादों मवैया, फतेहपुर, जिला- फतेहपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/27, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	24.291 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
2	मैसर्स प्यू प्रकाश इंफ्राहाइट प्रा.लि. द्वारा श्री संतोष कुमार यादव, निवासी- प्लॉट नं. 540, फ्लैट नं. 202-बी, गोपाला ग्रीन अपार्टमेंट, रतनलाल नगर, कानपुर नगर।।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 10/33, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	20.242 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
3	मैसर्स राहुल कुमार गुप्ता, निवासी- 15/74-75, बाबा चाट, सिविल लाइन, सढ़ावाँव, कानपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 10/4, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
4	मैसर्स श्री कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री अतुलेन्द्र सिंह सेंगर, निवासी- 129/10, सिविल लाइन तहसील व जनपद- झांसी	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 18/1, ग्राम- सहुरापुर, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
5	मैसर्स कामतानाथ इण्टरप्राइजेज प्रा.लि. द्वारा श्री राजेश कुमार गांगुली, निवासी- 02, भवानीनगर, नियर अमित मोटर्स, चे.के. रोड, भोपाल, म.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 19/5, ग्राम- टीकापुर, तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
6	मैसर्स कन्हैया लाल एण्ड संस द्वारा श्री उमेश चन्द्र यंसल, निवासी- म.नं.- 08, नियर राधा कृष्णा टेम्पल, तहसील- पोरसा, जिला मुरैना, म.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 19/4, ग्राम- डोंकापुर, तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर।	19.254 हैक्टेअर	तहसील- मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
7	मैसर्स यादव एण्ड संस द्वारा श्री ओवेश कुमार, निवासी- बी-1/135, सेक्टर- एल, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/12, ग्राम- भैडी खरका, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	9.995 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
8	मैसर्स दिव्य इण्टरप्राइजेज द्वारा श्री मो. अशफाक, निवासी- 28/46, द्वितीय तल, खटीकाबाबई बिल्डिंग, टैक एसटी (जी.के. मार्ग) छोटी मस्जिद, नागापाड़ा, मुम्बई सेन्ट्रल, महाराष्ट्र।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/14, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
9	मैसर्स सत्यम कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री सत्यम गुप्ता, निवासी- 944, सिविल लाइन, झांसी, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/9, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
10	मैसर्स खजुराहो मिनरेल्स एलएलपी द्वारा श्री यशपाल सिंह पवार, निवासी- 08 कि.मी., सागर, दादरी, छतरपुर, म.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/18, ग्राम- चिकारी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	32.44 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित- एस.ओ. 3067 (ई) दिनांक 01.12.2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, लेखा एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालय में उपलब्ध है।

1- जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद- हमीरपुर।
2- मण्डल पंचायक जिला उद्योग केंद्र, हमीरपुर।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला पंचायत, हमीरपुर।
6- क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल, सेक्टर- एच अलीगंज, लखनऊ।

अतः समस्त सर्वसाधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/ मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर प्रेषित कर सकते हैं।

पत्रांक- 567/प्रै.वि./लोक सु./2018, दिनांक- 01.09.18

क्षेत्रीय अधिकारी

INDIAN EXPRESS

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, SEPTEMBER 3, 2018

7587

2+2 TALKS

Will go ahead with S-400 deal with Russia, India to tell US

PRESS TRUST OF INDIA
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

INDIA IS expected to convey to the US during the upcoming "two-plus-two" talks that it is going ahead with the Rs 40,000 crore deal with Russia to procure a batch of S-400 Triumf air defence missile systems, even with tautening the American sanctions on military transactions with Moscow, official sources said on Sunday.

They said India is likely to convey to Washington that the Trump administration for the mega deal, citing its requirement for the missile system in the wake of the existing regional security architecture, as well as considering its close defense ties with Russia.

"India has almost concluded the S-400 missile deal with Russia, and we are going ahead with it. Our position on the issue will be conveyed to the US," said a high-level official source.

The US has imposed military sanctions against Russia under the stringent CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) law for its annexation of Crimea as well as its alleged meddling in the American presidential elections in 2016.

CAATSA mandates the Donald Trump administration to punish entities and countries engaging in significant transaction with the defence or intelligence establishment of Russia.

Kanchal Sekhri, the Pentagon's senior official handling issues relating to Asia, said on Thursday that the US cannot guarantee that India will be exempted from sanctions if it purchases weapons and defence systems from Russia.

The US has been indicating that it does not want India to finalise the deal with Russia.

A senior US defence legislative authorities President Donald Trump to exempt countries from the military sanctions.

The first edition of the much-awaited 2+2 dialogue on strategic affairs between the US and India will take place here on September 6 during which a range of bilateral, regional and global issues of mutual interests will be discussed.

Under the new framework finalised last year, External Affairs Minister Sushma Swaraj and Defence Minister Nirmala Sitharaman will hold talks with Secretary of State Mike R Pompeo and Secretary of Defence James Mattis from the US.

The sources said India will push for a waiver from the US for its missile deal with Russia as the air defence system was critical for its security preparedness.

They said there was a possibility of Russia and India announcing the deal before the annual summit between Prime Minister Modi and Russian President Vladimir Putin in October.

There has been mounting concern in India over the US sanctions against Russian defence majors including Rosoboronexport, a subsidiary of Rosatom export, paralysis of military purchases may be imparted because of the punitive measures. India wants to procure the long-range missile systems to tighten its air defence mechanism, particularly along the nearly 4,000-km-long Sino-India border. S-400 is known as Russia's most advanced long-range surface-to-air missile defence system.

China was the first foreign player to seal a government-to-government deal with Russia in 2014 to procure the lethal missile system and has now has already received parts of its consignment of the S-400 missile system from Beijing.

The S-400 is an upgraded version of the S-300 system. The missile system, manufactured by Almaz-Antey, has been in service in Russia since 2007.

Shah to inaugurate second leg of Raman's yatra on Sept 5

DIPANKAR GHOSE
RAIPUR, SEPTEMBER 2

WITH ASSEMBLY elections drawing closer, Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh is set to launch the second phase of his state-wide Vikas Yatra from September 5. BJP president Amit Shah will be inaugurating it. The first phase of the yatra was held in May. It covered a distance of close to 5,000 km, according to the BJP.

The chief minister said the yatra would be called the Atal Vikas Yatra and would cover close to 8,000 km across the state. He said Shah will launch the yatra from Dongargarh, a town of religious significance in Chhattisgarh. The yatra will conclude on October 5.

Singh also said that Prime Minister Narendra Modi would join the yatra on September 22, when he visits Janjgir-Champa district.

The yatra has drawn criticism from the opposition, which has said that it is drawing money from the taxpayers for what is purely political purpose. The Chief Minister also said that in the run-up to the elections, the state government would begin a consultative exercise to prepare a vision document, also named after late former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, for a "New Chhattisgarh 2025".

"This will be done before the model code of conduct comes into force. We will reach out to everyone to ask for suggestions on how this state can grow into a New Chhattisgarh by 2025," he said.

Hardik with PAAMS) leader Jitan Ram Manjhi, Gandhinagar Dome

Hardik releases 'will' on day 9 of hunger strike

EXPRESS NEWS SERVICE
GANDHINAGAR, SEPTEMBER 2

PATIDAR QUOTA leader Hardik Patel, who has been on an indefinite hunger strike for the last nine days, on Sunday made his legal will public. In the will, according to his aide, Hardik has set aside a part of his money for families of 14 Patidar youths who died during the 2015 quota agitation. He has also pledged his eyes for donation after his death.

Hardik has been fasting at his Ahmedabad residence since August 25 demanding reservation for Patidars, government jobs, education and an farm loan waiver.

Making his will public, his aide and Patidar Anamat Andolan Samiti (PAAS) leader Manoj Panara said Hardik's health was deteriorating rapidly, "It is possible that in the next 24 to 48 hours, he won't be in a condition to speak or walk. So, he has declared his will," Panara told *The Indian Express*.

A doctor from a government hospital who visited Hardik on Sunday said he has advised the 25-year-old leader to get admitted to a hospital. "His urine and blood pressure is normal, but he has refused blood and urine tests," PTI quoted the doctor as saying.

As per his will, Hardik has Rs 50,000 in his account. He has declared Rs 20,000 to his parents and the rest, as a donation to a cancer hospital in his native Visnagar. He has declared that money from a life insurance policy, a car and royalty of a book on him be divided in three parts. He has declared that 15 per cent of this should go to his parents, 15 per cent to his sister and the remaining to family members of 14 Patidar youths who died during the quota agitation in 2015.

Four Maoists killed in Chhattisgarh encounter

EXPRESS NEWS SERVICE
RAIPUR, SEPTEMBER 2

FOUR MAOISTS were killed in an encounter in Narayanpur district of Chhattisgarh, police said on Sunday.

Officials said the encounter was carried out by the District Reserve Guard and a Special Task Force of Narayanpur district police based on specific intelligence inputs.

A senior police official said the encounter took place in the Abhujhmad jungles near Gumjhabeda village. D M Awasthi, Special DG, Anti-Naxal Operation, told *The Indian Express*, "Four Maoists, including two senior cadre, have been killed in the encounter. There was a specific intelligence input. Weapons such as an INSAS have been recovered as well," he said.

A press note issued by the Narayanpur police said they found information on presence of Maoists at the behest of a committee, Nehru Local Operation Squad and platoon Local Operation Squad in the villages, which comes under the Kutelpar police station limits.

The statement said the rifle-firing lasted for more than an hour and after the exchange of fire ended, four bodies were found in the area. Reportedly, the bodies remain unidentified, it said.

While one of the killed Maoists was identified as Somlu, an alleged member of the Nehru Area Committee, the other, a woman cadre, was identified as Rati, the commander of the Bhatu Local Operation Squad.

The statement said the rifle-firing lasted for more than an hour and after the exchange of fire ended, four bodies were found in the area. Reportedly, the bodies remain unidentified, it said.

While one of the killed Maoists was identified as Somlu, an alleged member of the Nehru Area Committee, the other, a woman cadre, was identified as Rati, the commander of the Bhatu Local Operation Squad.

'Open to contesting LS polls, but party will take call'

SANTOSH SINGH
PATNA, SEPTEMBER 2

FORMER JNU Students' Union president and the CPI young leader Kanhaiya Kumar has said he was open to contesting the 2019 Lok Sabha election. He, however, added that his party will take a call on it by following due process. He said the immediate formation of a "united front" was more important than discussing who would contest polls.

Kanhaiya Kumar

Kanhaiya said he was open to working with JDU and Congress and that he had been meeting youth leaders from across the country to galvanise youth leadership.

He told *The Indian Express*, "I have already said that I have faith in parliamentary democracy. I am open to contesting polls but it is something that has to be decided by my party. We have a system in place of district committee sending names, the state committee looking into them and the central committee taking a decision."

He did not elaborate on his choice of constituency. The sitting Lok Sabha member from Begusarai said he will contest polls or not. My party and its allies have to discuss such things. That it has to be united front first," he said.

Kanhaiya said he had been trying to galvanise youth leaders. "I have met Gujarat leader Hardik Patel and Jignesh Mevani... I also visited Maharashtra last month. I am going to Bengaluru to attend the first death anniversary function of journalist Gauri Lankesh. I will be back in Begusarai later."

Delhi, Odisha yet to join PMJAY, their AIIMS seek clarity on treating patients under scheme

ABANTIKA GHOSH
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

WHILE ALL AIIMS in the country will have to be a part of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), the All India Institutes of Medical Sciences of Delhi and Bhubaneswar are uniquely placed — their home states are yet to join the scheme.

Both the apex government health institutes will have to sign a memorandum of understanding with National Health Agency for taking patients under PMJAY. However, this would mean that treatment of only patients from outside the state will be reimbursed under PMJAY — a programme providing annual health cover of Rs 5 lakh for 10.74 crore families.

While 40-50 percent patients in AIIMS Delhi are from outside the state, for AIIMS Bhubaneswar the figure is about 20 per cent. AIIMS officials say this is already sent a query to Union health ministry about legality of the programme.

Odisha has also started its own Biju Swasthya Kalyan Yojana that will provide Rs 5 lakh on a health cover to 70 per cent of the state's population.

Odisha AIIMS Director Dr Gautam Sahu said, "About 20 per cent of our patients are from neighbouring states. We had sent a query to the health ministry to know the legalities. We will certainly join the programme, but our situation is not unique. It is the same for AIIMS Delhi."

Earlier this week, when Health Minister JP Nadda briefed the PMJAY logo, he had said that all government hospitals would be "deemed to be empanelled". The issue of non-participation of the state is a sticking point not just for AIIMS Delhi but also for other central government hospitals in Delhi, including Lady Hardinge Medical College, RML and Safdarjung.

According to Director Dr Randeep Guleria, AIIMS Delhi has already taken an "in-principle" decision to be a part of PMJAY. "About 40-50 per cent of our patients are from outside the state. We are going through the list. We will obviously sign it and continue to provide care to patients from outside the city and from within but there has to be some safeguards for our citizens."

The institute has sought clarification from the government on certain issues. For example, if a person from Maharashtra, which has agreed to join the scheme, is treated in AIIMS Delhi, will the payment come from the state or National Health Agency.

There are two other issues for AIIMS Delhi: the long waiting lists in some departments, and the fact that the institute does not do some procedures such as normal deliveries.

"The list will have to be addressed to our concerns. A PMJAY beneficiary who comes to the hospital will have to wait his turn along with other patients who become part of the prescribed list because he is a PMJAY beneficiary. There are also other concerns — like we do not do normal deliveries, only complicated ones. That cannot change. We should be able to discuss what procedures to do and what packages to offer under PMJAY," Dr Guleria added.

For AIIMS and AIIMS-like institutes and other government hospitals, however, PMJAY becomes a financial blessing. All of them are heavily subsidised and staff salaries are paid by the government. So it is possible that they can make some profit from the PMJAY package because according to the programme guidelines, hospitals that are able to complete procedures at lower cost can still keep the full package payment.

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा
दूरभाष–05192220048
U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 716/मे0 कामतानाथ इण्टर0/बो0 कुज0/18 दिनांक: 8/10/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स कामतानाथ इण्टरप्राईजेज प्रा0लि0 खण्ड संख्या–19/5 ग्राम–टीकापुर तहसील–मौदहा जिला–हमीरपुर में क्षेत्रफल–36.437 है0 में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे हेतु प्राप्त खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर दिनांक 04.10.2018 को तहसील–मौदहा जनपद–हमीरपुर में आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 25505/सी–2/एनओसी–4302/बाँदा/2018 दिनांक 30.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई स्थल तहसील–मौदहा जनपद–हमीरपुर में दिनांक 04.10.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

7589

खण्ड संख्या– 19/5, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स कामतानाथ इण्टरप्राइजेज प्रा0लि0 द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 36.437 हे0, ग्राम–टीकापुर, तहसील– मौदहा, जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारक की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 04.10.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स कामतानाथ इण्टरप्राइजेज प्रा0 लि0, के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 25505/सी–2/एनओसी–4302/बांदा/18 दिनांक 30.08.2018, जो कि जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पर जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा दिनांक 04.10.2018 को तहसील व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 03.09.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र सं0– 532/55–पर्या–2–2018–103 (पर्या)/2007 दिनांक 23.04.2018, पर्यावरण अनापत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को पत्र सं0– 1133/एम0/21(पर्या)/2011(II) दिनांक 07.08.2018 के अनुसार एक तहसील के क्षेत्रों पर तहसील मुख्यालय में समेंकित सुनवाई को कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

आज दिनांक 04.10.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील मौदहा, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. श्री विजय कुमार मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
3. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
4. श्री जे0पी0 द्विवेदी, खान अधिकारी, हमीरपुर।
5. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
6. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

7590

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जनसमुदाय को अवगत कराया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे खण्ड संख्या– 19/5, ग्राम– टीकापुर, तहसील– मौदहा, जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड बॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

7591

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है सम्बन्धित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है। इस विषय में संदर्भित टर्म्स ऑफ रिफरेन्श/ई0आई0ए0/ई0एम0पी0 (ड्राफ्ट) को फील्ड मानीटरिंग आख्यायें 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री जगपाल, ग्राम– टीकापुर, मौदहा, हमीरपुर द्वारा प्रश्न किया गया कि वाहनों के आवागमन से धूल अत्यधिक उड़ती हैं उससे फसलो का नुकसान होता है धूल से कैसे बचाव किया जायें।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि धूल के नियंत्रण हेतु पानी का छिडकाव किया जायेगा तथा खदान से सम्पर्क मार्ग पर हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा, ओवरलोडिंग नही की जायेगी, सड़क का रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य किया जायेगा, रात्रि में खनन कार्य नही किया जायेगा।

श्री पुष्वा पुत्र श्री तिष्वा निषाद, ग्राम–टीकापुर, मौदहा, हमीरपुर द्वारा प्रश्न किया गया कि वाहनो के आवागमन से सडक पर गडढे हो जाते है जिससे यातायात में बहुत अधिक असुविधा होती है कच्चा रोड है जिससे धूल अत्यधिक उत्पन्न होती है।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि उन वाहनो का उपयोग किया जायेगा जिनमें पहियों की सं0 10 होगी। परिवहन के समय सडक की मरम्मत व रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा शासन के निर्देशानुसार सभी कार्य सम्पन्न किये जायेगे। साथ ही वर्षा ऋतु में खनन कार्य नही किया जायेगा।

श्री रघुवीर पुत्र श्री पुन्ना, प्रधान प्रतिनिधि द्वारा प्रश्न किया गया कि ग्रामवासियों को ही रोजगार दिया जाये तथा खदान में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाये तथा बीमा भी कराया जाये।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि सी0ई0आर0 के अंतर्गत हम पूर्णतया प्रतिबद्व है तथा खदान में कार्यरत् श्रमिको को प्राथमिक चिकित्सा खदान पर उपलब्ध रहेगी। अत्यधिक स्वास्थ्य खराब होने पर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुचायां जायेगा तथा पट्टेधारक द्वारा सभी उपचार सुविधायें प्रदान किया जायेगा एवं धूल के नियंत्रण हेतु जल का छिडकाव किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रश्न किया गया कि स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाये तथा श्रमिको बीमा भी करवाया जायें।

7592

पट्टेधारक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष में 02 बार स्वास्थ्य शिविर लगाया जायेगा। जिसमें श्रमिको को उपचार दिया जायेगा तथा श्रमिको का समय समय पर माकड्रिल भी कराया जायेगा। लेबर को ठेकेदारों के माध्यम से लिया जाता है यह एक ट्रेम्परेरी व्यवस्था है श्रमिक जब तक कार्य करेगा उसकी संपूर्ण मदद की जायेगी।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टेधारक को आंमत्रित किया गया।

पट्टेधारक श्री दुष्यंत सिंह पुत्र श्री उदयपाल सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य के समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नही होगी। प्रत्येक अवस्था में ग्रामवासी तथा श्रमिको को पूर्ण सहयोग किया जायेगा और मै ग्राम टीकापुर का पूरा ध्यान रखूंगा।

खान अधिकारी द्वारा पूछा गया कि सी0ई0आर0 के अंतर्गत क्या व्यय किया जायेगा।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन कार्य खनन नियमावली के अनुसार किया जायेगा तथा सी0ई0आर0 के अंतर्गत जो प्रावधानित है उसका पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा तथा ग्राम विकास हेतु सडक का निर्माण, शासन प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी कार्य किये जायेगें।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पट्टेधारक को निर्देश दिया गया कि हरित पट्टिका का विकास किया जाये तथा यह कार्य प्रथम वर्ष में अधिक से अधिक किया जायें।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्रामवासियों को पुनः आमंत्रित किया गया एवं पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि खनन कार्य नियमावली के अनुसार करे तथा ग्रामवासियों की समस्या का पूर्ण रूप से निराकरण करें। धूल की समस्या एक मुख्य समस्या है जिसका निस्तारण समय समय करें। साथ ही पर्यावरण के रखरखाव हेतु अत्यधिक वृक्षारोपण किया जाये तथा सी0ई0आर0 के अंतर्गत 182 वृक्षों के रोपण हेतु सूचना उपलब्ध करायी गयी। अतः इनका रखरखाव एवं वृक्षो का रोपण किया जायें।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को निर्देशित किया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा एवं ढुलाई के समय बालू को ढककर लाना है, गीला बालू रखना है इसी के साथ अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

04/10/18
(डॉ0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
झाँसी

04/10/2018
(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बाँदा

4.10.18
(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर।

मोचन एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं० एस
ओ० 1533 दिनांक 14-09-2006 यथासंशोधित के अनुपालन में
(1) मेसर्स कामतानाथ इण्टरप्राइजेज प्रा०लि० अधिकृत श्री राकेश कुमार गांगुली
पुत्र श्री भगवानदास गांगुली, निवासी-02, भवानीनगर, निम्न वर्णित
मोरर्स, जे०के० रोड, भोपाल, म०प्र०

(2) मेसर्स कन्हैया लाल एण्ड संस अधिकृत श्री उमेश-चन्द्र बंसल पुत्र
श्री रमेश चन्द्र बंसल कैलाश नारायण बंसल, निवासी- मकान नं०-08
निम्न राधा कृष्णा टेम्पल, तहसील पोरसा, जिला-मोरेना, म०प्र०
द्वारा साधारण बालू/मोरम खनन हेतु प्रस्ताव पर परियोजना स्थल
क्रमशः

(1) खण्ड नं०-19/5, ग्राम- टीकापुर, तहसील- मौदहा, जनपद-हमीरपुर
(2) खण्ड नं०-19/4, ग्राम- टीकापुर, तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर

हेतु तहसील-मौदहा सभागार जनपद- हमीरपुर में आयोजित
दिनांक 04/10/18 को लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों/
कर्मचारियों एवं ग्राम वासियों की उपस्थिति का विवरण-

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम/गाँव	मो० नं०-	हस्ताक्षर
1-	श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव	ADM, हमीरपुर	9454417604	
2-	" विजय कुमार मिश्र	RO, UPPCB, Banda	7839891916	04/10/18
3-	डॉ० माधवी कमलवंशी	ASO, UPPCB, Jhansi	7839891909	
4	श्री जे०पी० द्विवेदी	खान अधिकारी, हमीरपुर	8887534778	4-10-18
5	श्री राघवेन्द्र शर्मा	तहसीलदार, मौदहा	9454416010	
6-	" राजकरन वर्मा वैज्ञानिक	सहा० उप्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बांदा	7839891918	
7-	[illegible]	F-1915	9956841880	
8-	ओमनारायण सोनी	तहसील-मौदहा	07324021212	

देवेन्द्र सिंह	झांसी	7704966415	देवेन्द्र
[illegible]	निवाड़ी	9919841140	[illegible]
[illegible]	टीकमगढ़	07683-252415	[illegible]
महेश शुक्ला	टीकमगढ़	9479582779	[illegible]
[illegible]	टीकमगढ़	9981113301	[illegible]
दिलेन्द्र सिंह	टीकमगढ़	9415331572	[illegible]
दिनेश सिंह	टीकमगढ़	9452582322	दिनेश सिंह
आदित्य सिंह	निवाड़ी	8052246506	आदित्य सिंह
शंकर निषाद	डोंगीपुर	9621632584	निषाद
रामअवतार निषाद	टीकमगढ़		
मुकेश निषाद	टीकमगढ़	9935248408	
मुकुल	टीकमगढ़		मुकुल
बोड़	बोड़		बोड़
जगपाल	टीकमगढ़	9005028406	जगपाल
रघुवीर प्रधान प्रतिनिधि	टीकमगढ़	9554781850	रघुवीर
रामसनेही	टीकमगढ़	रामसनेही	
Dushyant Singh	Niwadi (Hamirpur)	9418733281	D Singh
	M/S Vasudaman Pvt. Ltd.		
B.M.S. Negi	ENV. DAS(I) Pvt. Ltd.	9454890694	[illegible]
Mayank Pushkar	"	8604590422	Mayank
Rishabh Verma	"	8948100101	Rishabh

बजट गोल, कैसे हॉकी करेगी कामयाबी के गोल

हरदोई को राज्य स्तरीय स्पर्धा तक पहुंचाने वालों की राह में रोड़ा

जागरण रिपोर्ता

हरदोई। पर जिलाधिकारी से शासनादेश में शुरू हो रही राज्य स्तरीय फेडरेशन हॉकी प्रतियोगिता के लिए पर्याप्त निधि की सांसें रोक का खर्च ढकने से शिक्षा विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। नतीजतन शिक्षा विभाग के इस रवैये ने जिले और मंडल स्तर के खिलाड़ियों को पार करके राज्य स्तरीय स्पर्धा में जगह बनाने वाले प्रतिभागियों को मायूस कर दिया है। बता दें खेलो इंडिया जैसे सरकार के आह्वान को भी सिरे नाते तक पहुंचा कर दिया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक चौके दुबे का कहना है कि शिक्षा को पैसों की जिम्मेदारी पंडल हरा पर प्रतियोगिता आयोजित नहरे जाते जबकि के डीआईओएस को होती है। अगर लखीमपुर के डीआईओएस ने टीम भेजने का प्रबंध नहीं किया है तो संबंधित विद्यालय को खेल निधि का इस्तेमाल कर टीम को प्रतियोगिता के लिए भेजा जा सकता है। सोमवार को बैठिएत की जाएगी कि टीम को जरूरती भेजा जा सके।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ी। संवाद सहयोग

अरजमा इंटर कॉलेज के खेल शिक्षक रमाश नारायण मिश्री कहते हैं कि डीआईओएस की जिम्मेदारी है कि टीम को भेजें।

डीआईओएस और उनके साथियों की तबलची के चलते विभिन्नताओं का सामोहत मिर रहा है। विद्यालय के प्रबंधन की अगाध नहीं कन्यम है, लेकिन प्रधानाचार्य के संज्ञान में प्रमाण है।

जिला क्रीड़ा समिति के सचिव आलोक त्रिपाठी ने बताया कि विद्यालय की खेल निधि में पर्याप्त धन है। इस धन से टीम को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिए भेजे जाने की बात उपधनवार्या दी हुई थी। इसके बाद नन्द नहीं संज्ञान में नहीं है।

त्रिपाठी के इस रवैये से जहां चयनित हॉकी टीम के राज्य स्तरीय मुकाबले में हिस्सेदारी की संभावना अनिश्चितता में फिर गई है, वहीं पसीना बहाकर कठोर मिले को राज्य स्तरीय मुकाबले के मुकाबल सजा सारे सारे खिलाड़ी सैंकड़ा खर तक इधर-उधर भटकते नजर आए।

चयनित खिलाड़ी

जिलाधिकारी, शिवांक सिंह, जितेंद्र सिंह, अमरनाथ मुरारी, अमित वर्मा, राहुल श्रीवास्तव, शशांक सक्सेना, हिमांशु सुमन, अंकित कुमार, सोमनाथ वर्मा, नरेंद्र पंडित, शशांक मुरारी, मुनीश्वर सिंह, अंकित कुमार, अमरीश यादव और अंकित मिश्रा।

कुछ यूं हुआ...

- जेएम हॉकी फेडरेशन की जिला इकाई द्वारा आयोजित इंटर कॉलेज में 13 अगस्त को हुई।
- इसमें जीसी टीम ने 21 अगस्त को गोला (लखीमपुर) में 23 अगस्त को आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सेदारी की।
- प्रदेशीय मुकाबलों में जीतने के बाद इस टीम को राज्य स्तरीय मुकाबले के लिए 4 सितंबर को लखनऊ पहुंचना है।

टेबल टेनिस में सुदिति और सेंट मेरी स्कूल विजेता

महोत्सव कप की टेबल टेनिस प्रतियोगिता के विजेता व उपविजेता।

अमर उजाला ब्यूरो

महोत्सव कप की टेबल टेनिस प्रतियोगिता का किया आयोजन

कानपुर। हॉली प्लाईट एकेडमी में रविवार को हुआ महोत्सव कप को लेकर टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि एडवोटेट्स नंद प्रकाश गौर व सीओ विक्रम नारायण राय ने किया। इसमें सुदिति श्रीवास्तव ने सेंट मेरी स्कूल विजेता बना।

प्रतियोगिता में यूपी.डी पोद्दार स्कूल, लखेरी स्कूल, सेंट पीटर स्कूल, सेंट मेरी स्कूल, हिलमी पब्लिक स्कूल, संत मिखेलाइट, सर्वट इंडिया की स्कूल, एलएस पेमोडियल, नारायण कॉलेज, सुदिति श्रीवास्तव एकेडमी सहित अन्य स्कूलों की 16 टीमों ने भाग लिया। खाद वर्ग में सुदिति श्रीवास्तव एकेडमी विजेता व सर्वट स्कूल की टीम उपविजेता रही। प्रधानाचार्य प्रदीप पंडे पांडेय व सीओ ने विजेता व उपविजेता छात्र-छात्राओं को ट्रॉफी वितरण किया। इस मौके पर पवन मालवीय, अतुल मौदगारी, दीपक भदल, दीपक सिंह चौहान, प्रवीण दुबे, अतुलन दीक्षित, अमित श्रीवास्तव, गायित्री श्रीवास्तव, अखिलेश कुमार बाजपेयी, केदार नारायण, सुनील रस्तोगी आदि का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन सौरभ वर्मा व जितेंद्र सिंह चहल ने किया।

अमर उजाला Job Alert

IIT : निःशुल्क करें आवेदन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

- कुल पद : 20
- पदों का विवरण : कुलपति रजिस्ट्रेक्ट्रीयर, कुलपति असिस्टेंट रजिस्ट्रार।
- शैक्षणिक योग्यता : परनुसार
- आवेदन शुल्क: निशुल्क

http://www.iitkgp.ac.in

- आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष
- आवेदन प्रक्रिया: निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर सभी संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति सहित, रजिस्ट्रार, IIT, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर- 721302, पश्चिम बंगाल के पते पर भेजें।
- अंतिम तिथि: 18 सितंबर, 2018

NIPHM: कृषि क्षेत्र में अवसर

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनजमेंट

- कुल पद : 07
- पदों का विवरण : असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सीनियर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर।
- शैक्षणिक योग्यता : परनुसार
- चयनित की अंतिम तिथि: 29 सितंबर, 2018

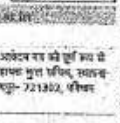

http://niphm.gov.in

- आयु सीमा : अधिकतम 27/ 35/ 45 / 55 वर्ष (पदानुसार)
- आवेदन शुल्क: सभी वर्ग के लिए निःशुल्क
- आवेदन प्रक्रिया: संबंधित वेबसाइट से आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर लें। पूर्णरूप से भरे हुए आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित पते पर भेजें।
- चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा, पेनल्टा स्टेनोग्राफी और स्किल टेस्ट मौखिक, इंटरव्यू, मेडिकल स्टेनोग्राफी और स्किल टेस्ट मौखिक, इंटरव्यू, मेडिकल- 560030

व्यापम ने जारी की विज्ञप्ति

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल

- पदों का विवरण : फील्ड इंस्पेक्टर, एडिटर, सिस्टम ई- गवर्नेंस इंजीनियर इत्यादि
- शैक्षणिक योग्यता : पदों के अनुसार अलग-अलग निर्धारित
- आयु सीमा : 18 - 40 वर्ष
- आवेदन शुल्क : राज्य प्रदेश के SC/ST/OBC/PH वर्ग के लिए - 250 रुपये और अन्य वर्ग के लिए- 500 रुपये
- चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा।

150 कुल पद

- आवेदन प्रक्रिया : निर्धारित वेबसाइट से निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्णरूप से भरे आवेदन पत्र को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ संलग्न करके अंतिम तिथि से पहले भेज दें।
- अंतिम तिथि: 15 सितंबर, 2018

http://peb.mp.gov.in

ICHR: सदस्य सचिव का पद खाली

- कहां: भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद
- पद संख्या: 01
- पद का विवरण : सदस्य सचिव
- शैक्षणिक योग्यता : संबंधित के नियमानुसार
- आयु सीमा : अधिकतम आयु 55 वर्ष
- चयनित का चयन: परीक्षा के नियमानुसार
- अंतिम तिथि: 30 सितंबर, 2018
- आवेदन प्रक्रिया: संबंधित वेबसाइट पर दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ संलग्न करके अंतिम तिथि से पहले संबंधित के पते पर भेज दें।
- पत्राचार का पता: अध्यक्ष, आईसीएचआर, 35, फिरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली- 110001
- वेबसाइट: http://ichr.ac.in/

आज का सवाल

मैं घोड़ा कब रहा हूं। मुझे लोगों सवालात करने के लिए क्या ऊंचा चाहिए? - इब्राहिम अल्फा

जवाब : रोगों चलवाए करने के लिए रोगों तक और मनचलवाए संसार से फिरी हर 2.2 (फिट, इंच, सेंटीमीटर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मैथेमेटिक्स, इंटरनेशनल मैथेमेटिक्स, कान्फीडेंस (टीवल)... रोगों से आदीवासी होंगे इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स द्वारा एक चलवाए संसार से विदेशवाद मोटोरेसिंग इंडोनेशिया इंटरनेशनल ने जिसमें पास

उम्मीदवार भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पदों के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी के पश्चात साक्षात्कार होगा है।

जिला कार्यों www.ucbko.com और पढ़ें सभी जॉब-जैसी से पूर्ण फ्रीलांस सामग्रीयां

SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

NOTICE INVITING E-TENDER (SET)

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS) has more than 1000 beds (and the number of beds are likely to be increased in future), Lucknow and invites e-tenders in two parts (Technical Bit and Financial Bid) for the following services of the Institute.

1- E-tender for Outsourcing of Hospital Laundry Services.
2- E-tender for Empanelment of Travel Agents.

The tenders, who have submitted their bids and EMD against NIT/Advt. No. SGPGI/Estt/Advt/2018-19/01 need not to submit EMD again. However, they are requested to submit the bids on a fresh because few conditions have been changed.

Tenders in this regard shall be available on the website 'www.etender.up.nic.in' from 04.09.2018 to 18.09.2018. In addition, the NIT shall also be available for information only on the website of the institute 'www.sgpgi.ac.in'.

Advt. No. 01/Estt/2018-19 DIRECTOR

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर

पत्रांक: पदि./15997-38/2018-19 दिनांक: 31.08.2018

विज्ञप्ति

ज्ञापनांक संख्या 1267/69-5-2018 दिनांक 15.08.2018 द्वारा अनुभाग-5, माध्यमिक, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के पत्रांक: बे.शि.प./2303-25077 2018-19 दिनांक 19.08.2018 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 41556 के सम्भाव्य जनपद सीतापुर को आवंटित 765 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु दिनांक 01.09.2018 से 03.09.2018 तक कार्य-परीक्षण में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से अर्ह दिव्यांग महिला, पिछड़ा वर्ग, सामान्य महिला अभ्यर्थियों के नियुक्तांक निर्धारण हेतु दिनांक 03.09.2018 को दोपहर दिन लगभग 5.00 बजे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर में कार्य-परीक्षण का आयोजन किया जायेगा। उक्त वर्गों के समस्त अभ्यर्थी अपनी पहचान से संबंधित कोई फोटो युक्त पहचान पत्र मूलरूप में एवं अपनी स्वप्रमाणित सम्भाव्यति स्वयं में लेकर उपस्थित रहें। दिनांक 03.09.2018 को निर्धारित नियुक्त कार्यान्वित में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को दोहराने के सम्भाव्य से नियुक्तांक अर्हतित कर दिया जायेगा। तिसंबंध समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा और पत्र में इस संबंध में कोई भी चर्चा मान्य नहीं होगा।

(अजय कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सीतापुर

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय : ए-39, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा

पत्रांक : 568/प्र.नि./सीके सु/2018 दिनांक : 01.09.18

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/यौगिक माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के संबंध में पर्यावरणीय प्रभिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधित प्रयोजन उ.प्र.-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	समय	दिनांक व समय
1	मैसर्स पी.के. मुद्द. माईनिंग कॉर्पोरेशन प्रा. लि. द्वारा श्री जय कुमार सिंह निवासी नई सड़क, कोतवाली, जिला-हमीरपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/गौण खनिज परियोजना	खण्ड सं-23/27, ग्राम-बेदी, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	24.291 हैक्टेअर।	सायंकाल सदर फील्ड, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
2	मैसर्स जी.एस.के. इन्फ्रा प्रा. लि. द्वारा श्री संजीव कुमार सक्सेना, निवासी-प्लाट नं.-340, फ्लैट नं.-202-बी, पैराडाइज हाई अपार्टमेंट, सरकारी नाका, कानपुर नगर।	सैण्ड/गौण खनिज परियोजना	खण्ड सं-10/38, ग्राम-बेदी, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	29.242 हैक्टेअर।	सायंकाल सदर फील्ड, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
3	मैसर्स राहुल कुशवा गुप्ता, निवासी- 15/74-75, आजाद नगर, रिसिया रोड, बहराइच, कानपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/गौण खनिज परियोजना	खण्ड सं-10/4, ग्राम-बेदी, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर।	सायंकाल सदर फील्ड, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
4	मैसर्स एस.के.कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री अमृतेन्द्र सिंह भदौरिया, निवासी-129/70, रिसिया रोड, लखनऊ व जनपद-ऊन्नाव।	सैण्ड/गौण खनिज परियोजना	खण्ड सं-10/1, ग्राम-खड़ुपुरा, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर।	सायंकाल सदर फील्ड, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
5	मैसर्स चामत्कार इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा. लि. द्वारा श्री राकेश कुमार पांडुरे, निवासी-02, भवानी नगर, निगर कॉलेज पोस्टऑफिस जे.के. रोड, भोपाल, म.प्र.।	सैण्ड/गौण खनिज परियोजना	खण्ड सं-10/5, ग्राम-टीकपुर, तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर।	सायंकाल-मौदहा फील्ड, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
6	मैसर्स कार्तिक रेता एण्ड संस द्वारा श्री जयेश चन्द्र मंसल, निवासी म.नं.-04 निगर ग्राम कुलम टेम्पल, तहसील कोसम, जिला गुना, म.प्र.।	सैण्ड/गौण खनिज परियोजना	खण्ड सं-10/6, ग्राम-टीकपुर, तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	19.254 हैक्टेअर।	सायंकाल-मौदहा फील्ड, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
7	मैसर्स मुकेश एण्ड संस द्वारा श्री अवधेश कुमार, निवासी-बी-37/135, सेक्टर-एफ, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/गौण खनिज परियोजना	खण्ड सं.-23/12, ग्राम-बेदी खास, तहसील-सदर, जनपद-हमीरपुर।	9.995 हैक्टेअर।	सायंकाल-सदर फील्ड, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
8	मैसर्स दिव्य इन्फ्राप्रोजेक्ट्स द्वारा श्री मो. अजहरुद्दीन, निवासी-20/46, डिलेरा रहा, सतीसमहां सिविल, टैक्स एरिया (सी.के. पार्क) ओल्ड सीलमपुर, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली, मध्यप्र.।	सैण्ड/गौण खनिज परियोजना	खण्ड सं.-24/14, ग्राम-तिलहरी, तहसील-सदर, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर।	सायंकाल-सदर फील्ड, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
9	मैसर्स अन्नय कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री सत्यम गुप्ता, निवासी-944, सिविल लाइन, झांसी, उ.प्र.।	सैण्ड/गौण खनिज परियोजना	खण्ड सं-24/9, ग्राम-सिमरावली, तहसील-कोंच, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर।	सायंकाल-सदर फील्ड, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
10	मैसर्स खनिज्या मिनरल एक्सप्रार्ट द्वारा श्री प्रशान्त वीर यादव, निवासी-06 कि.मी., सराय खरदी, अलवर, उ.प्र.।	सैण्ड/गौण खनिज परियोजना	खण्ड सं-24/18, ग्राम-सिमरावली, तहसील-सदर, जनपद-हमीरपुर।	33.44 हैक्टेअर।	सायंकाल-सदर फील्ड, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18

नोट: इस पर्यावरण, वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14-09-2006 यथा संशोधित - एस.ओ. 3067 (ई), दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित उल्लिखित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1. जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद-हमीरपुर।
2. शहर प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा।
4. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी.सी.-12 बी., विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. कार्यालय जिला पंचायत, हमीरपुर।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य क्षेत्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पंचम तल, सेक्टर-एच., अलीगंज, लखनऊ।

अंत: समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/गौण माइनिंग प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियाँ आदि लिखित रूप में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर कार्यरत सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते हैं।

DK4020180000121B

क्षेत्रीय अधिकारी

दूरभाष नं.- 05192-220048

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: ए-39, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद- हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/ मौरम माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोक सुनवाई के सम्बन्ध में पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थान का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1	मैसर्स मे.के.एस. माइनिंग सर्विसेस प्रा.लि. द्वारा श्री जय कुमार सिंह निवासी- गढ़ी सर्वेना, फतेहपुर, जिला-फतेहपुर, उ.प्र.	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/27, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	24.291 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
2	मैसर्स न्यू प्रवीण इंफ्राहाइट प्रा.लि. द्वारा श्री संतोष कुमार रस्तोगी, निवासी- फ्लैट नं. 540, फ्लैट नं. 202-बी, गोपाला ग्रीन अपार्टमेंट, रतनलाल नगर, कानपुर नगर।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 10/33, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	20.242 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
3	मैसर्स राहुल कुमार गुप्ता, निवासी- 15/74-75, बाच्चा घाट, सिविल लाइन, बहरागंव, कानपुर, उ.प्र.।	खैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 10/4, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
4	मैसर्स श्री कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री अतुलेन्द्र सिंह सेंगर, निवासी- 129/10, सिविल लाइन तहसील व जनपद- झांसी	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 18/1, ग्राम- सहरापुर, तहसील म जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
5	मैसर्स कामतानाथ इण्टरप्राइजेज प्रा.लि. द्वारा श्री राजेश कुमार गांगुली, निवासी- 02, भवानीनगर, निपर अमित मोटर्स, जे.के. रोड, भोपाल, म.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 19/5, ग्राम- टीकापुर, तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
6	मैसर्स कन्हैया लाल एण्ड संस द्वारा श्री उमेश चन्द्र पंसल, निपसी- म.नं.- 08, निपर राधा कृष्णा टेम्पल, तहसील पिरसा, जिला मुरैना, म.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 19/4, ग्राम- टीकापुर, तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर।	19.254 हैक्टेअर	तहसील- मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
7	मैसर्स यादव एण्ड संस द्वारा श्री अवधेश कुमार, निवासी- बी-1/135, सेक्टर- इल, एल.डी.ए. फालकोने, कानपुर रोड, लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/12, ग्राम- भोडो खरका, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	9.995 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
8	मैसर्स दिशा इण्टरप्राइजेज द्वारा श्री मो. अशफाक, निवासी- 28/46, द्वितीय तल, डाटीजामाई बिल्डिंग, टैक पसारी (के.के. मार्ग) लोरी मस्जिद, नागपाड़ा, मुम्बई सेन्ट्रल, महाराष्ट्र।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/14, ग्राम- चिकारही, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
9	मैसर्स सत्यम कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री सत्यम गुप्ता, निवासी- 944, सिविल लाइन, झांसी, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/9, ग्राम- चिकारही, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
10	मैसर्स खजुराहो मिनरल्स एलएलपी द्वारा श्री पशपाल सिंह परमार, निवासी- 06 कि.मी., सागर, दादरी, उत्तरपुर, म.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/18, ग्राम- चिकारही, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	32.44 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित- एस.ओ. 3067 (ई) दिनांक 01.12.2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. एवं संबंधित अभिलेख निम्नांकित कार्यालय में उपलब्ध है।

1- जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद- हमीरपुर।
2- मंत्री प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, हमीरपुर।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला पंचायत, हमीरपुर।
6- क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल, सैक्टर- एच अलीगंज, लखनऊ।

अतः समस्त सर्वसाधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/ मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर प्रेषित कर सकते हैं।

पत्रांक- 567/प्रे.नि./लोक सु./2018, दिनांक- 01.09.18

क्षेत्रीय अधिकारी

DNS
WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, SEPTEMBER 3, 2018

'2+2' TALKS

Will go ahead with S-400 deal with Russia, India to tell US

PRESS TRUST OF INDIA
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

INDIA IS expected to convey to the US during the upcoming two-plus-two talks that it is going ahead with the Rs 40,000 crore deal with Russia to procure a batch of S-400 'Triumf' air defence missile systems, notwithstanding the Americans sanctions on military transactions with Moscow, official sources said on Sunday.

They said India is likely to seek a waiver from the Trump administration for the mega deal, citing its requirements in the immediate future in the wake of the evolving geo-political security architecture as well as considering its close defense ties with Russia.

"India has almost concluded the S-400 missile deal with Russia and we are going ahead with it. Our position on the issue will be conveyed to the US," said a high-level official source.

The US has imposed military sanctions against Russia under the stringent CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) law for its annexation of Crimea as well as alleged meddling in the American presidential election in 2016.

CAATSA mandates the Donald Trump administration to punish countries and companies engaging in significant transactions with the defence or intelligence establishment of Russia.

Kendall Schiller, the Pentagon's senior official handling issues relating to Asia, said on Thursday that the US cannot guarantee that India will be exempted from sanctions if it purchases weapons and defence systems from Russia.

The US has been indicating that it does not want India to indulge in the deal with Russia.

A new US defence legislation, authorises President Donald Trump to exempt countries from the military sanctions.

The US has imposed military sanctions against Russia under the stringent CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) law for its annexation of Crimea as well as alleged meddling in the American presidential election in 2016.

CAATSA mandates the Donald Trump administration to punish countries and companies engaging in significant transactions with the defence or intelligence establishment of Russia.

Kendall Schiller, the Pentagon's senior official handling issues relating to Asia, said on Thursday that the US cannot guarantee that India will be exempted from sanctions if it purchases weapons and defence systems from Russia.

The US has been indicating that it does not want India to indulge in the deal with Russia.

A new US defence legislation, authorises President Donald Trump to exempt countries from the military sanctions.

The first edition of the much-awaited 2+2 dialogue on strategic affairs between the US and India will take place here on September 6 during which a range of bilateral, regional and global issues of common interests will be discussed.

Under the new framework finalised last year, External Affairs Minister Sushma Swaraj and Defence Minister Nirmala Sitharaman will hold talks with Secretary of State Mike R Pompeo and Secretary of Defence James Mattis from the US.

The ministers and officials will push for a waiver from the US for the missile deal with Russia, as the air defence system was critical for its security purposes.

They said there was a possibility of Russia and India announcing the deal before the annual summit between Prime Ministers Modi and Russian President Vladimir Putin in October.

There has been mounting concern in India over the US sanctions against Russia in defence matters, including Russian transport, as letters of violation of military purchases may be imposed in accordance of the provisions in the law with respect to the long-range missile systems to tighten its air defence mechanism, particularly along the nearly 4,000-km-long Sino-India border. S-400 is known as Russia's most advanced long-range surface-to-air missile defence system.

China was the first foreign buyer to seal a government-to-government deal with Russia in 2014 to procure the air and missile system and Moscow has already started delivery of advanced components of the S-400 missile system to Beijing.

The S-400 is an upgraded version of the S-300 system. The missile system, manufactured by Almaz-Antey, has been in service in Russia since 2007.

Shah to inaugurate second leg of Raman's yatra on Sept 5

DIPANKAR GHOSE
RAIPUR, SEPTEMBER 2

WITH ASSEMBLY elections drawing closer, Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh to set to launch the second phase of his state-wide Vikas Yatra from September 5. BJP president Amit Shah will be inaugurating it. The first phase of the yatra was held in May. It covered a distance of close to 5,000 km, according to the BJP.

The chief minister said the yatra would be rated as the Atal Vikas Yatra and would cover close to 13,000 km across the state. He said Shah will launch the yatra from Jonjgagarh, a town of religious significance in Chhattisgarh. The yatra will conclude on October 5.

Singh also said that Prime Minister Narendra Modi would join the yatra on September 22, when he visits Janjgir-Champa district.

The yatra has drawn criticism from the opposition, which has said that it is drawing money from the taxpayers. But what is a purely political purpose. The Chief Minister also said that in the run-up to the elections, the state government would begin a consultative exercise to prepare a vision document, also named after late former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, for a "New Chhattisgarh 2025".

"This will be done before the model code of conduct comes into force. We will reach out to everyone to ask for suggestions on how this state can grow into a New Chhattisgarh by 2025," he said.

Hardik with HAM(S) leader Jitan Ram Manjhi. Twitter

Hardik releases 'will' on day 9 of hunger strike

EXPRESS NEWS SERVICE
GANDHINAGAR, SEPTEMBER 2

PATIDAR QUOTA leader Hardik Patel, who has been on an indefinite hunger strike for the last nine days, on Sunday made his legal will public, in the will, according to his aide, Hardik has set aside a part of his money for families of 14 Patidar youths who died during the 2015 quota agitation. He has also pledged his eyes for donation after his death.

Hardik has been fasting at his Ahmedabad residence since August 25 demanding reservations for Patidars in government jobs, education and farm loan waiver.

Mulshi has will public, his aide and Patidar Anamat Andolan Samiti (PAAS) leader Manoj Patara said Hardik's health was deteriorating rapidly. "It is possible that in the next 24 to 48 hours, he won't be in a condition to speak or walk. So, he has declared his will," Patara told The Indian Express.

A doctor from a government hospital who visited Hardik on Sunday said he has advised the 25-year-old leader to get admitted to a hospital. "His urine and blood pressure is normal, but he has reduced blood and urine tests," PTI quoted the doctor as saying.

As per his will, Hardik has Rs 50,000 in his account. He has declared Rs 20,000 to his parents and the rest as a donation to a cattle shelter in his native Viramgam. He has declared that money from a life insurance policy, a car and royalty of a book on him be divided in three parts. He has declared that 1/3 per cent of this should go to his parents, 1/3 per cent to his sister and the remaining to family members of 14 Patidar youths who died during the quota agitation in 2015.

Four Maoists killed in Chhattisgarh encounter

EXPRESS NEWS SERVICE
RAIPUR, SEPTEMBER 2

FOUR MAOISTS were killed in an encounter in Narayanpur district of Chhattisgarh police said on Sunday. Officials said the encounter was carried out by the District Reserve Guard and a Special Task Force of Narayanpur district police based on specific intelligence inputs.

A senior police official said the encounter took place in the Abhujhmaad jungles near Gumiyabeda village. P.M. Awasthi, Special DG, Anti-Naxal Operations, told The Indian Express, "Four Maoists, including two senior cadre, have been killed in the encounter. There was a specific intelligence input. Weapons such as AK-47s have been recovered as well," he said.

A press note issued by the Narayanpur police said they received information on the movement of cadres of the Nelnar area committee, Bastar Local Operational Squad and plans Local Operation Squad in the village, which comes under the Kutulpar police station limits.

The statement said that the firing lasted for more than an hour and after the exchange of fire ended, four bodies were found in the area, Weapons. Two of the bodies recovered were identified, it said.

While one of the killed Maoists was identified as Sunitri, an alleged member of the Nelnar Area Committee, the other, a woman cadre, was identified as Kutti, the commander of the Bastar Local Operation Squad.

'Open to contesting LS polls, but party will take call'

SANTOSH SINGH
PATNA SEPTEMBER 2

Kanhaiya Kumar

FORMER JNUSU students' Union president and the CPI's youth wing leader Kanhaiya Kumar has said he was open to contesting the 2019 Lok Sabha election. He, however, added that his party will take a call on it by following due process. He said the immediate formation of a "united front" was more important than discussing who would contest polls.

Kanhaiya said he was open to working with JD(U) and Congress and that he had been meeting youth leaders from across the country to gauge the youth leadership.

He told The Indian Express, "I have already said that I have faith in democracy and democracy, I am open to contesting polls but it is something that has to be decided by my party. We have a seat sharing place in district committee, standing comes, the state committee looking into them and the central committee taking a decision."

He did not elaborate on his choice of constituency. "Deciding seat issues is more important than whether I will contest polls or not. My party and its allies have to discuss such things. There has to be united front BJP," he said.

Kanhaiya said he had been trying to galvanise youth leaders. "I have met Gujarat leaders Hardik Patel and Jignesh Mevani...I also visited Maharashtra last month, for going to Bengaluru to attend the last death anniversary function of journalist Gauri Lankesh. I will be back in Begusarai also."

Delhi, Odisha yet to join PMJAY, their AIIMS seek clarity on treating patients under scheme

ABANTIKA GHOSH
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

WHILE ALL AIIMs in the country will have to be a part of the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), the All India Institutes of Medical Sciences of Delhi and Bhubaneswar are unique placed — their home states are yet to join the scheme.

But while a government institution will have to sign a memorandum of understanding with National Health Agency for taking patients under PMJAY. However, this would mean the treatment of only patients from outside the state will be reimbursed under PMJAY — a programme promising annual health cover of Rs 5 lakh for 10 crore families.

While 40-50 per cent patients in AIIMS Delhi are from outside "because the AIIMS Rishikesh near the Jolly Grant Airport caters to about 20 per cent. AIIMS Bhubaneswar has already sent a query to Union health ministry about its role of the programme.

Odisha has also started its own Biju Swasthya Kalyan Yojana that will provide Rs 5 lakh annual health cover to 70 per cent of the state's population.

Odisha AIIMS Director Dr Gitanjali said: "About 20 per cent of our patients are following along lines. We had sent a query to the health ministry to know the logistics. We will certainly join the programme, but our situation is not unique. It is the same for AIIMS Delhi."

Earlier this week, when Health Minister J P Nadda spoke in the PMJAY logo, he had said that as a step towards "de-merging" the name (a sticking point not just for AIIMS but also for other central government hospitals in Delhi, including Lady Hardinge Medical College, RML and Safdarjung.

According to Director Dr Randeep Guleria, AIIMS Delhi has already taken an "in-principle" decision to be a part of PMJAY. "About 40-50 per cent of our patients are from outside the state. We are going through the SOP. We will obviously sign it and continue to provide care to patients from outside the city and from within but does not take away safeguards for our concerns."

The institute has sought clarification from the government on minimum norms. For example, if a person from Maharashtra, which has agreed to join the scheme, is treated in AIIMS Delhi, will the payment come from the state or National Health Agency.

There are two other issues for AIIMS Delhi: the long waiting lists in some departments, and the fact that the scheme does not give separate procedures such as normal deliveries.

"The MoU will have safeguards for concerns. A PMJAY beneficiary who comes to the hospital will have to wait his turn along with other patients, be it a non-poor person or a poor person because he is a PMJAY beneficiary. There are also other concerns — like we do not do normal deliveries, only complicated ones. That cannot change. We should also be clear on what procedures to do and what packages to offer under PMJAY," Dr Guleria added.

For AIIMS and AIIMS-like institutes — a state government hospital, however, PMJAY becomes a financial blessing. All of them are hugely subsidised and all of its labs are paid by the government. So it is possible that they can make some profit from the PMJAY package because according to the programme guidelines, hospitals that are able to complete procedures at lower cost can still keep the full package payment.

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 745/कार्यवृत्त/18 दिनांक: 12/10/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स श्री कंस्ट्रक्शन खण्ड संख्या–18/1 ग्राम–सहुरापुर तहसील व जनपद–हमीरपुर में क्षेत्रफल–36.437 है0 में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे हेतु प्राप्त खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर दिनांक 04.10.2018 को तहसील–हमीरपुर जनपद–हमीरपुर में आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 25505/सी–2/एनओसी–4302/बॉदा/2018 दिनांक 30.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई स्थल तहसील–हमीरपुर जनपद–हमीरपुर में दिनांक 04.10.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

NOTED/AGREE 15/X/18

15/X

7598

खण्ड संख्या– 18/1, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स श्री कंस्ट्रक्शन द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 36.437 हे0, ग्राम–सहुरापुर, तहसील व जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारक की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 04.10.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स श्री कंस्ट्रक्शन के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 25505/सी–2/एनओसी–4302/बांदा/18 दिनांक 30.08.2018, जो कि जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पर जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा दिनांक 04.10.2018 को तहसील व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 03.09.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र सं0– 532/55–पर्या–2–2018–103 (पर्या)/2007 दिनांक 23.04.2018, पर्यावरण अनापत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को पत्र सं0– 1133/एम0/21(पर्या)/2011(II) दिनांक 07.08.2018 के अनुसार एक तहसील के क्षेत्रों पर तहसील मुख्यालय में समेंकित सुनवाई को कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

आज दिनांक 04.10.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील प्रांगण स्थित बार कोर्ट सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री जे0पी0 द्विवेदी, खान अधिकारी, हमीरपुर।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

7599

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जनसमुदाय को अवगत कराया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे खण्ड संख्या– 18/1, ग्राम– सहुरापुर, तहसील व जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड वॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी

7600

किया जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रक्रिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है सम्बन्धित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है। इस विषय में संदर्भित टर्म्स ऑफ रिफरेन्श/ई0आई0ए0/ई0एम0पी0 (ड्राफ्ट) को फील्ड मानीटरिंग आख्यायें 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री रामबिहारी सिंह, ग्राम– सहुरापुर, हमीरपुर द्वारा प्रश्न किया गया कि वाहनों के आवागमन से धूल अत्यधिक उड़ती है तथा सडक की मरम्मत व रखरखाव किया जायें।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि धूल के नियंत्रण हेतु सम्पर्क मार्ग पर हरित पट्टिका का विकास किया जायेगा एवं ओवरलोडिंग नही की जायेगी, सड़क का रखरखाव एवं मरम्मत का कार्य किया जायेगा।

श्री रामप्रकाश तिवारी, ग्राम–सहुरापुर, हमीरपुर द्वारा प्रश्न किया गया कि सडक निर्माण का कार्य कराया जाये एवं सडक की मरम्मत करायी जाये।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि सडक का निर्माण कार्य कराया जायेगा तथा समय–2 पर मरम्मत व रखरखाव का कार्य किया जायेगा।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टेधारक को आंमत्रित किया गया।

पट्टेधारक श्री अतुलेन्द्र सिंह सेंगर द्वारा अध्यक्ष महोदय व ग्रामवासियों को अवगत कराया गया कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन किया जायेगा एवं सडक की क्षति होने पर सडक की मरम्मत व

7601

रखरखाव का कार्य पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा। धूल के नियंत्रण हेतु समय–2 पर पानी का छिडकाव किया जायेगा तथा नियमानुसार मानको को पूरा किया जायेगा।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्राम की मुख्य समस्या सडक का रखरखाव एवं मरम्मत समय से किया जायें। आवागमन के रास्ते को खराब न किया जायें। सडक की मरम्मत समय समय पर पट्टेधारक एवं सरकार द्वारा भी किया जायेगा। वाहनों के उपयोग के समय ट्रासपोर्टस को यह बताना होगा कि सडक पर जाम की स्थिति न हो। सी0ई0आर0 के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य किया जाये तथा शासन के निर्देशों एवं नियमों का पूर्णतया अनुपालन किया जायें।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को निर्देशित किया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा एवं ढुलाई के समय बालू को ढककर लाना है, गीला बालू रखना है इसी के साथ अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

04/10/18

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

4-10-18

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ओ०म० सं० एस० ओ० 1533 दिनाँक 14-09-2006 यथासंशोधित के अनुपालन में मेसर्स श्री कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री अतुलेन्द्र सिंह सेंगर पुत्र श्री वि० सिंह सेंगर, निवासी- मकान नं०- 129/10, सिविल लाइन्स, तह० व जि० हमीरपुर (उ०प्र०) द्वारा साधारण बालू/मौरम हेतु प्रस्तावित पट्टे स्थल खसरा नं०- 18/1, ग्राम- सहरापुर, तह० व जिला- हमीरपुर (कोर्ट बार सभागार परिसर) तह० व जनपद- हमीरपुर में आयोजित दिनाँक 04/10/18 को लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं ग्राम वासियों की उपस्थिति का विवरण -

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम / गाँव	मो० नं०	हस्ता
1-	श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव	ADM, हमीरपुर		
2-	" जे० पी० द्विवेदी	खान अधिकारी, हमीरपुर		
3-	डॉ माधवी कमलवंशी	A.S.O, UPPCB, Banda		
4.	श्री रंजेतेन्द्र सिंह	खान निरीक्षक हमीरपुर	8707869521	
5.	" प्रकाश कुमार श्रीवास्तव	सर्वेयर, खान विभाग "		
6-	" भान करन वर्मा	SA, UPPCB, Banda		
7-	अतुलेन्द्र सिंह सेंगर	सिविल लाइन्स (झाँसी)	9532823432	
8-				
9-	देवेन्द्र सिंह	हमीरपुर		
	वीरेन्द्र सिंह	हमीरपुर	9795554651	
	[illegible] सेंगर	हमीरपुर	9713141628	
	[illegible] सिंह	हमीरपुर	8948462805.	
	[illegible] तोमर	हमीरपुर		

7603

4	राम कुमार तिवारी	[illegible] S.W.D.C [illegible]		Sandeep
5	Shailesh Tripathi	Rahul Kumar Gupta	9452919532	Bhaskar
6	Harish Pratap Singh	Rahul Kuma Gupta	9725111396	Harish
7	रामविहारी सिंह	सौहरगुट	9451973129	
8	राजेन्द्र सिंह	〃	9621474800	
9	रामरिक्षन यादव	〃		
10	[illegible]	〃		
21	राजा राम	〃	7880417136	
22	[illegible]	〃	9812738990	
23	[illegible]	सौहरगुट		
24	बाबू सिंह	〃		
25	राजकुमार सिंह	〃		
	[illegible]	〃		
	[illegible]	〃		
	[illegible]	〃		
	B.M.S Negi	ENVIRAS(I) Pvt. Ltd. Lko.	9454890694	Mayank
	Mayank Pushkar	〃	8604590422	Rishabh
	Rishabh Verma	〃	8948100101	

अमर उजाला 100 Alert

IIT : निःशुल्क करें आवेदन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़कुर

- कुल पद : 70
- पदों का विवरण : जूनियर इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट इत्यादि।
- शैक्षणिक योग्यता : स्नातकतर
- आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष
- आवेदन प्रक्रिया: निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर सभी संलग्न दस्तावेजों की सत्यापित फुल साइज, स्टाम्प-III, भ्यावेल प्रशासिकी संस्थान, रुड़कुर- 247302, 'परीक्षा शुल्क' के पते पर भेजें।
- अंतिम तिथि: 14 सितंबर, 2018

NIPHM: कृषि क्षेत्र में अवसर

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट

- कुल पद : 07
- पदों का विवरण : असिस्टेंट कार्यालय, एकेडमिक फैकल्टी इत्यादि।
- शैक्षणिक योग्यता : स्नातकतर
- परीक्षा की तिथि: 29 सितंबर, 2018
- आयु सीमा : अधिकतम 27/ 35/ 45 / 55 वर्ष (स्थानानुसार)
- आवेदन शुल्क: सभी वर्गों के लिए निःशुल्क
- आवेदन प्रक्रिया: संबंधित वेबसाइट से आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्णरूप से भरे हुए आवेदन पत्र को सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ निर्धारित पते पर भेजें।
- पताः डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, एबीएम्स, हैदराबाद- 500030

व्यापम ने जारी की विज्ञप्ति

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल

150 कुल पद

- पदों का विवरण : चीफ इंजीनियर, इंजीनियर, विभाग ई- कार्यपालन इत्यादि।
- शैक्षणिक योग्यता : पदों के अनुसार स्नातक/ अन्य निर्धारित
- आयु सीमा : 18 - 40 वर्ष
- आवेदन शुल्क : इस हेतु के SC/ST/OBC/PH वर्ग के लिए - 250 रुपये और अन्य वर्ग के लिए- 500 रुपये
- चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा के आधार पर डाक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाएगा।
- आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन वेबसाइट से निर्धारित आवेदन पत्र के प्रिंटआउट को डाक/कूरियर कर भरें। सम्पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को अपने हस्ताक्षर सहित निर्धारित पते पर भेजें।
- अंतिम तिथि: 15 सितंबर, 2018

ICHR: सदस्य सचिव सहित कई पद खाली

- संस्था: भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद
- पद संख्या: 01
- पद का विवरण : सदस्य सचिव
- शैक्षणिक योग्यता : योग्यता के विषय-वस्तु निर्धारित
- आयु सीमा : अधिकतम आयु 55 वर्ष
- मानदेय शुल्क: परिषद के नियमानुसार
- अंतिम तिथि: 30 सितंबर, 2018
- आवेदन प्रक्रिया: संबंधित वेबसाइट पर दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ लेटरल बंदके अंतिम तिथि से पहले संस्थान के पताचार पते पर भेज दें।
- पताः सदस्य सचिव, आजाद, भारतीय/कक्ष, 35, फिरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली- 110001
- वेबसाइट: http://ichr.ac.in/

आज का सवाल

ये खेल कब खेला जाता है और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? - प्रतिभा, पालम

पालम : ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक खेल गांव (जिसमें हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन एवं अन्य खेलों के खिलाड़ी), आयोजन स्थल पर बनाया जाता है। इसमें लगभग 10,500 खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था होती है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में एथेंस में हुई थी। इसके बाद 1900 में पेरिस और 1904 में सेंट लुई में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। इसके बाद 1908 से लंदन में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाने लगा।

आज का सवाल के लिए अपने सवाल भेजें। इस पते पर लिखें ओलंपिक कार्नर के प्रभारी

बजट गोल, कैसे हॉकी करेगी कामयाबी के गोल

हरदोई को राज्य स्तरीय स्पर्धा तक पहुंचाने वालों की राह में रोड़ा

आनंद गिरि

हरदोई। खेल मैदान से जानकारी में शून्य हो रही राज्य सरीखे नेहरू हॉकी प्रतियोगिता के लिए चयनित जिले की हॉकी टीम का खर्च उठाने से शिक्षा विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। व्यायामिक शिक्षा विभाग के इस रवैये ने जिले और संकुल स्तर के मुकाबलों को कर जनके राज्य स्तरीय स्पर्धा में जगह बनाने वाले प्रतिभागियों को मायूस कर दिया है। राज्य की खेलो इंडिया जैसी सरकार के अभियान को भी सिरे जाने तक पहुंचा कर दिया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक सोमेंद्र दुबे का कहना है कि टीम को भेजने की जिम्मेदारी संकुल स्तर पर प्रतियोगिता कराने वाले जनपद के बीएसए की होती है। अमर सहोदय के डीआईओएस ने टीम भेजने पर प्रत्यक्ष नहीं किया है तो संबंधित विद्यालय की खेल निधि का इस्तेमाल कर टीम को प्रतिभाग के लिए भेजा जा सकता है। सोमेंद्र बाबू कहेंगे की व्यापारी कि टीम को बाहरभी भेजा जा सके।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ी। सभी प्रयास

अजरकार इंटर कॉलेज के खेल शिक्षक श्याम नारायण त्रिपाठी कहते हैं कि डीआईओएस को जिम्मेदारी है कि टीम को भेजें।

डीआईओएस और उनके सहायक भी खरमासी के चलते शिक्षिकाओं का मनोबल गिर रहा है। विद्यालय के प्रबंधन की अवगत नहीं कराया है, लेकिन प्रधानाचार्य के संज्ञान में प्रकरण है।

जिला ओहदा समिति से सचिव आनंदेव त्रिपाठी ने बताया कि विद्यालय की खेल निधि में पर्याप्त धन है। इस धन से टीम को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिए भेजे जाने की बात कहीं जा चुकी है। इसके बाद जब यह पहल में नहीं है।

जिलेवासियों के इस रवैये से जहां खेलनिधि इंडिया टीम के राज्य स्तरीय मुकाबले में सहभागी नहीं हो सकी वहीं खेलकर कराने वाले जिलाधी संभाग दल तक इधर-उधर भटकती नजर आए।

टेबल टेनिस में सुदिति और सेंट मेरी स्कूल विजेता

सहोदय कप की टेबल टेनिस प्रतियोगिता के विजेता व उपविजेता।

अमर उजाला ब्यूरो

सहोदय कप में दो वर्गों में प्रतियोगिता का किया आयोजन

बहराइच। इंदिरा मेमोरियल एकेडमी में रविवार को इंटरस्कूल बुड की ओर से टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि दरसौदीया बैंट प्रबंधक कौर्व व चीफ मिलकर लालाप्रसाद ने किया। इसमें सुदिति गर्ल्स स्कूल व सेंट मेरी स्कूल विजेता रहा।

प्रतियोगिता में पुष्प.स बोर्डर्स स्कूल, जनवेरी स्कूल, सेंट पीटर स्कूल, सेंट मेरी स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, संत विवेकानंद, फ्यूचर लिट्टा भी शामिल, धनलक्ष्म पेपरोपण, नारायण कॉलेज, सुदिति गर्ल्स एकेडमी सहित अन्य स्कूलों की 16 टीमों ने भाग लिया। छात्र वर्ग में सुदिति एकेडमी विजेता व फ्यूचर लिट्टा की स्कूल उपविजेता रहा। छात्र वर्ग में सेंट मेरी इंटर कॉलेज की टीम विजेता व सेंट पीटर स्कूल की टीम उपविजेता रही। प्रधानाचार्य प्रदीप चंद्र पांडेय व खेलों में विजेता व अन्य खेल छात्र-छात्राओं को प्रदीप मिश्रा व प्रधान-पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पवन चतुर्वेदी, अरुण श्रीवास्तवी, दीपक पारस, दीपक सिंह पीहान, प्रदीप दुबे, अनुराग दीक्षित, अनिश दीक्षित, आलोक कुमार आजमेरी, केशव नारायण, सुनील श्रीवास्तव आदि का सहयोग रहा। संचालन का संचालन दीपक पाठ व विवेक सिंह चहल ने किया।

NOTICE INVITING E-TENDER (NIT)

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS) has more than 1050 beds (and the number of beds are likely to be increased in future). Lucknow and invites e-tender in two parts (Technical Bid and Financial Bid) for the following services of the Institute.

1- E-tender for Outsourcing of Hospital Laundry Services.
2- E-tender for Empanelment of Travel Agents.

The bidders, who have submitted their bids and EMD against RFT/ACHE. No. R23/Outsource/2018-19/01 need not to submit EMD again. However, they are required to submit the bids as a fresh because few conditions have been changed.

E-tender in this regard shall be uploaded on the website "www.etender.up.nic.in" from 04.09.2018 to 18.09.2018. In addition, this NIT shall also be available for information only on the website of the institute "www.sgpgi.ac.in".

Advt. No. 1618/Outsource/2018-19 (Prof. Rakesh Kapoor)

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रीवापुर

पत्रांक- बीटी/15937-38/2018-19 दिनांक: 31.08.2018

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या: 1267/69-5-2018 दिनांक 18.08.2018 जिला अनुदेश-2, सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद लखनऊ के पत्रांक: बे.शि.प./7243-7507/ 2018-19 दिनांक 19.08.2018 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में रसोइया अभ्यर्थनों की भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 41556 के उपरांत चयनित सोलह सौ अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु दिनांक 01.09.2018 से 03.09.2018 तक जन.इण्टर कॉलेज में चयनित अभ्यर्थियों में से सभी दिव्यांग/विधवा, विण्डोज पुरुष एवं समस्त महिला अभ्यर्थियों के विद्यालय निवंटन चयन हेतु दिनांक 03.09.2018 को ही उसी दिन सायं 5.00 बजे मानसिक विशेष शिक्षक एवं परिषदीय परिषदीय प्रशिक्षण केन्द्र, रीवापुर में व्यवस्थित की गयी है। चयन कार्य के समाप्त अन्यथी उसी स्थान से संबंधित चयनित छोटे चुना चाहक पद मूलतय में उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा। निर्देश 03.09.2018 को नियुक्ति निवंटन चयनित अभ्यर्थियों को बेसहर के आधार से नियुक्ति आवेदित कर दिया जायेगा। नियमन सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा और कार्य में इस संबंध में कोई भी दायित्व चयन नहीं होगा।

(अजय कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
रीवापुर

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय : ए-39 आवास विकास कालोनी, जिला गोंडा, बांदा

पत्रांक : 568/वी.वि./लोक सु./2019 दिनांक : 03.09.18

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ब्लॉकों में निम्न सूची के अनुसार रीण्ड/पीएम माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के संबंध में पर्यावरणीय प्रभिक्रिया से पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के अवलंब प्रस्तुत किये गये हैं।

क्र. सं.	खनिज का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थान का पता	क्षेत्रफल	तहसील	दिनांक व समय
1	मैसर्स जे.के. ग्रुप, माइनिंग कंसोर्शिया प्रा. लि. द्वारा डी भव कुमार सिंह निषादी -पत्नी स्वीव, कर्वेलपुर, जिला-फतेहपुर, उ.प्र.।	रीण्ड/पीएम माइनिंग प्रोजेक्ट	खण्ड सं.-23/27, ग्राम-भैरी, खरौंहा व अन्य-हमीरपुर।	34.291 हैक्टेअर	कलौंदा खरा पौरा, कुलपहा-महोबा	दिनांक- 04.10.18
2	मैसर्स लू प्रसीद एसोसाइट प्रा. लि. द्वारा श्री संजीव कुमार सक्सेना, निवासी-फ्लट सं-540, प्लॉट सं.-203-सी, गोमती प्रेम अपार्टमेंट, सरकारी रास्ता, बलरामपुर रास्ता।	रीण्ड/पीएम माइनिंग प्रोजेक्ट	खण्ड सं.-10/33, ग्राम-भैरी, खरौंहा व अन्य-हमीरपुर।	30.242 हैक्टेअर	मुस्कारा खरा पौरा, कुलपहा-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
3	मैसर्स खुशा कुजा, निवासी-75/74-73, मध्य मार्ग, सिविल लाइन, बलरामपुर, बलरामपुर, उ.प्र.।	रीण्ड/पीएम माइनिंग प्रोजेक्ट	खण्ड सं.-10/6, ग्राम-भैरी, खरौंहा व अन्य-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	खरौंहा खरा पौरा, कुलपहा-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
4	मैसर्स श्री भंगुरमान प्रसा भी माइनिंग सिंह पौरा, निवासी-129/10, सिविल लाइन, खरौंहा व अन्य-छतेरा।	रीण्ड/पीएम माइनिंग प्रोजेक्ट	खण्ड सं.-18/1, ग्राम-महुगवा, खरौंहा व अन्य-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	महोबा खरा पौरा, कुलपहा-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
5	मैसर्स खण्डपुरवन एग्रोसर्विसेज प्रा. लि. द्वारा श्री राकेश कुमार पंचूरी, निवासी-07, भवानी नगर, सिगर खरौंहा पौराई, जे.के. रोड, भोपाल, म.प्र.।	रीण्ड/पीएम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-19/5, ग्राम-टीकापुर, खरौंहा-पौरा, कुलपहा-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	खरौंहा-पौरा पौरा, कुलपहा-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
6	मैसर्स कार्तिक खरा एण्ड संस द्वारा श्री राकेश चन्द्र मंडल, निवासी वार्ड-08 सिगर ग्राम कुलपहा टेम्पल, खरौंहा पौरा, जिला हमीरपुर, उ.प्र.।	रीण्ड/पीएम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-19/4, ग्राम-टीकापुर, खरौंहा-पौरा, कुलपहा-हमीरपुर।	19.254 हैक्टेअर	खरौंहा-पौरा पौरा, कुलपहा-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
7	मैसर्स खण्ड एण्ड संस द्वारा श्री अमरीश कुमार, निवासी-बी-1/135, सेक्टर-एल, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उ.प्र.।	रीण्ड/पीएम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/12, ग्राम-भैरी खरौंहा, खरौंहा-सलिल, कुलपहा-हमीरपुर।	9.996 हैक्टेअर	खरौंहा-सलिल पौरा, कुलपहा-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
8	मैसर्स विजय इण्डस्ट्रीयल इण्ड सी.ओ. ऑपरेटिव, निवासी-28/19, द्वितीय तल, छतरीवाली बिल्डिंग, टैक पहाड़ी रोड.सी. पहो) प्रोप्रो सोनकर, नवाबगंज, पुलवां रोड्पुल, गोरखपुर।	रीण्ड/पीएम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-24/14, ग्राम-निवासी, खरौंहा-सलिल, कुलपहा-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	खरौंहा-सलिल पौरा, कुलपहा-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
9	मैसर्स कुलपा कोस्टल्स द्वारा श्री सत्यन मुरुप, निवासी-941, सैक्टर सेक्टर, डोमी, उ.प्र.।	रीण्ड/पीएम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-14/9, ग्राम-निवासी, खरौंहा-सलिल, कुलपहा-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	खरौंहा-सलिल पौरा, कुलपहा-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
10	मैसर्स खण्डपुरवा मिनरल्स खण्डपार्ट द्वारा श्री पारसर सिंह यादव, निवासी-06 किन्नी, खरा रानी, प्रतापगढ़ उ.प्र.।	रीण्ड/पीएम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-24/18, ग्राम-निवासी, खरौंहा-सलिल, कुलपहा-हमीरपुर।	32.44 हैक्टेअर	खरौंहा-सलिल पौरा, कुलपहा-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18

मोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पीएस एस.ओ. 1533 दिनांक 14-09-2006 यथा संशोधित - एस.ओ. 3067 (ई), दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुरूप आयोजित की जायेगी। उक्तपरियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध हैं।

1. जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद-हमीरपुर।
2. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, जिला गोंडा, बांदा
4. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी.सी.-12 पी., विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. कार्यालय जिला पंचायत, हमीरपुर।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पंचम तल, रीजनल-एन., अलीगंज, लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित रीण्ड/पीएम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते है अथवा सुझाव एवं आपत्तियाँ आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते हैं।

DNA0201800001218 क्षेत्रीय अधिकारी

विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए www.sahate.com पर जाएं अथवा ई-मेल में लिखें विज्ञापन कार्यालय से संपर्क करें

दूरभाष नं- 05192-220048

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: ए-39, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद- हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार रैण्ड/ मौरम माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोक सुनवाई के सम्बन्ध में पर्यावरणीय प्रभिकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1	मैसर्स [redacted] द्वारा श्री [redacted] निवासी- [redacted] मध्यम, कानपुर, जिला- [redacted] उ.प्र.।	रैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/27, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	24.291 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर"	दिनांक- 04.10.18
2	मैसर्स न्यू प्रयाग इन्फ्राइट प्रा.लि. द्वारा श्री संतोष कुमार खन्ना, निवासी- फ्लैट नं. 5/40, फ्लैट नं. 202-बी, गोपाला ग्रीन अपार्टमेंट, रतनलाल नगर, कानपुर नगर।	रैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 10/33, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	20.242 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
3	मैसर्स राहुल कुमार गुप्ता, निवासी- 15/74-75, बाबा भट्ट, सिविल लाइन, नवाबगंज, कानपुर, उ.प्र.।	रैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 10/4, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
4	मैसर्स श्री कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री अतुलेन्द्र सिंह सेंगर, निवासी- 129/10, सिविल लाइन तहसील व जनपद- झांसी	रैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 18/1, ग्राम- सहगापुर, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
5	मैसर्स कामतानाथ इण्टरप्राइजेज प्रा.लि. द्वारा श्री राजेश कुमार गंगुलै, निवासी- 02, भवानीनगर, नियर अमित पोटर्स, जे.के. रोड, भोपाल, म.प्र.।	रैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 19/5, ग्राम- टीकापुर, तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
6	मैसर्स कन्हैया लाल एण्ड संस द्वारा श्री उमेश चन्द्र संसल, निवासी- म.नं.- 08, नियर राधा कृष्ण टेम्पल, तहसील पौरसा, जिला मुरैना, म.प्र.।	रैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 19/4, ग्राम- टीकापुर, तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर।	19.254 हैक्टेअर	तहसील- मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
7	मैसर्स यादव एण्ड संस द्वारा श्री अवधेश कुमार, निवासी- बी-1/135, सैक्टर- एल, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उ.प्र.।	रैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/12, ग्राम- पेठी खरका, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	9.995 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
8	मैसर्स दिशा एण्टरप्राइजेज द्वारा श्री मो. असफाक, निवासी- 28/46, हिरोज तल, खटिकाबाई बिल्डिंग, टैंक एस्टो (बी.के. मार्ग) छोटी मस्जिद, नागपाड़ा, मुम्बई सेन्ट्रल, महाराष्ट्र।	रैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/14, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
9	मैसर्स सत्यम कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री सत्यम गुप्ता, निवासी- 944, सिविल लाइन, झांसी, उ.प्र.।	रैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/9, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
10	मैसर्स खनुराहो मिनरल एलएलपी द्वारा श्री यशपाल सिंह परमार, निवासी- 06 कि.मी., सागर, दादरी, छतरपुर, म.प्र.।	रैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/18, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	32.44 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित- एस.ओ. 3067 (ई) दिनांक 01.12.2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालय में उपलब्ध है।

1- जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद- हमीरपुर।
2- महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, हमीरपुर।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला पंचायत, हमीरपुर।
6- क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल, सैक्टर- एच अलीगंज, लखनऊ।

अतः समस्त सर्वसाधारण को इस ग्राम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित रैण्ड/ मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर प्रेषित कर सकते हैं।

पत्रांक- 567/प्रै.वि./लोक सु./2018, दिनांक- 01.09.18

क्षेत्रीय अधिकारी

b | ENS
WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, SEPTEMBER 3, 2018

7605

'2+2' TALKS

Will go ahead with S-400 deal with Russia, India to tell US

PRESS TRUST OF INDIA
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

INDIA IS expected to convey to the US during the upcoming "two-plus-two" talks that it is going ahead with the Rs 40,000-crore deal with Russia to procure a batch of S-400 Triumf air defence missile systems, notwithstanding the American sanctions on military transactions with Moscow, official sources said on Sunday.

They said India is likely to seek a waiver from the Trump administration for the mega-deal, citing its engagements in the maritime zone in the wake of the evolving regional security architecture as well as considering its close defence ties with Russia.

"India has always conveyed the S-400 missile deal with Russia and we are going ahead with it. Our position on the issue will be conveyed to the US," said a high-level official source.

The US has imposed military sanctions against Russia under the stringent CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) law for its annexation of Crimea as well as alleged meddling in the American presidential election in 2016.

CAATSA mandates the Donald Trump administration to punish any individual and countries engaging in significant transaction with the defence or intelligence establishment of Russia.

Randall Schriver, the Pentagon's senior official handling issues relating to Asia, said on Thursday that the US cannot guarantee that India will be exempted from sanctions if it purchases weapons and defence systems from Russia.

The US has been indicating that it does not want India to finalise the deal with Russia.

Asked if Defence Secretary Jim Mattis and Defence Secretary Nirmala Sitharaman will hold talks with Secretary of State Mike Pompeo and Secretary of Defence James Mattis from the US.

The sources said India will push for a waiver from the US for the missile deal with Russia, as the air defence system was critical for its security preparedness.

They said there was a possibility of Russia and India announcing the deal before the annual summit between Prime Minister Modi and Russian President Vladimir Putin in October.

There has been mounting concern in India over the US sanctions against Russian defence majors including Rosoboronexport, a trillion of dollars of military purchases may be impacted because of the punitive measure. India wants to procure the long-range missile systems to tighten its air defence mechanism, particularly along the nearly 4,000-km-long Sino-India border. S-400 is known as Russia's most advanced long-range surface-to-air missile defence system.

China was the first foreign buyer to seal a government-to-government deal with Russia in 2014 to procure the lethal missile systems and Moscow has already completed delivery of components for three of the S-400 missile systems to Beijing.

The S-400 is an upgraded version of the S-300 systems. The missile system, manufactured by Almaz-Antey, has been in service in Russia since 2007.

Shah to inaugurate second leg of Raman's yatra on Sept 5

DIPANKAR GHOSE
RAIPUR, SEPTEMBER 2

WITH ASSEMBLY elections drawing closer, Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh is set to launch the second phase of his state-wide Vikas Yatra from September 5. BJP president Amit Shah will be inaugurating it. The first phase of the yatra was held in May. It covered a distance of close to 5,000 km, according to the BJP.

The chief minister said the yatra would be called as the Atal Vikas Yatra and would cover close to 6,000 kms across the state. He said Shah will launch the yatra from Dongargarh, a town of religious significance in Chhattisgarh. The yatra will conclude on October 5.

Singh also said that Prime Minister Narendra Modi would join the yatra on September 22, when he visits Janjgir-Champa district.

The yatra has drawn criticism from the opposition, which has said that it is drawing money from the taxpayer for what is a purely political purpose. The Chief Minister also said that in the run-up to the elections, the state government would begin a consultative exercise to prepare a vision document, also named after late former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, for a "New Chhattisgarh 2025".

"This will be done before the model code of conduct comes into force. We will reach out to everyone to ask for suggestions on how the state can grow into a New Chhattisgarh by 2025," he said.

Hardik with HAAGES leader Jitan Ram Manjhi. Chetrise Jhetter

Four Maoists killed in Chhattisgarh encounter

EXPRESS NEWS SERVICE
RAIPUR, SEPTEMBER 2

FOUR MAOISTS were killed in an encounter in Narayanpur district of Chhattisgarh, police said on Sunday. Officials said if reports now was carried out by the District Reserve Guard and a Special Task Force of Narayanpur district police based on specific intelligence inputs.

A senior police officer said the encounter took place in the Abhujhmaad jungles near Gumiyabeda village. DIG Awasthi, Special DG, Anti-Naxal Operations, told The Indian Express, "Four Maoists, including two women cadre, have been killed in the encounter. There was a specific intelligence input. Weapons such as an SLR/SA have been recovered as well," he said.

A press note issued by the Narayanpur police said they had information on presence of members of the Nelnar area committee. Hence, Local Operation Squad and Bhatri Local Operation Squad in the village, which comes under the Kohkameta police station limits.

The statement said that the firing lasted for over three an hour and after the exchange of fire ended, four bodies were found in the encounter. Two of the bodies remain unidentified, it said.

While one of the killed Maoist was identified as Somdu, an alleged member of the Nelnar Area Committee, the other, a woman cadre, was identified as Rani, the commander of the Bhatri Local Operation Squad.

Hardik releases 'will' on day 9 of hunger strike

EXPRESS NEWS SERVICE
GANDHINAGAR, SEPTEMBER 2

PATIDAR QUOTA leader Hardik Patel, who has been on a fourth-time hunger strike for the last nine days, on Sunday made his legal will public, in the event, according to his aide, Hardik has set aside a part of his money for families of 14 Patidar youths who died during the 2015 quota agitation. He has also pledged his eyes for donation after his death.

Hardik has been fasting at his Ahmedabad residence since August 25 demanding reservation for Patidars in government jobs, education and an Iran loan waiver.

Making his will public, his aide and Patidar Anamat Andolan Samiti (PAAS) leader Manoj Panara said Hardik's health was deteriorating rapidly. "It is possible that in the next 24 to 48 hours, he won't be in a condition to speak or walk. So, he has declared his will," Panara told The Indian Express.

A doctor from a government hospital who visited Hardik on Sunday said he has advised the 25-year-old leader to get admitted to a hospital. "His urine and blood pressure is normal, but he has reduced blood and urine tests," PTI quoted the doctor as saying.

As per his will, Hardik has Rs 50,000 in his account. He has declared Rs 29,000 to his parents and the rest as a donation to a cattle shelter in his native Viramgam. He has declared that money from a life insurance policy, a car and royalty of a book on him be divided in three parts. He has declared that 75 per cent of this should go to his parents, 15 per cent to his sister and the remaining to family members of 14 Patidar youths who died during the quota agitation in 2015.

'Open to contesting LS polls, but party will take call'

SANTOSH SINGH
PATNA, SEPTEMBER 2

Kanhaiya Kumar

FORMER JNU Students' Union president and the CPI's youth wing leader Kanhaiya Kumar has said he was open to contesting the 2019 Lok Sabha election. He, however, added that his party will take a call on it by following due process. He said the immediate Resolution of a "united front" was more important than discussing who would contest polls.

Kanhaiya said he was open to working with JD(U) and Congress and that he had been meeting youth leaders from across the country to galvanise youth leadership.

He told the Indian Express, "There already is talk that there is an unprecedented democracy has-no-precedent polls but it is something that has to be decided by my party. We have a system in place of Parliamentary boards, committees, the state committee looking into them and the central committee taking a decision."

He did not elaborate on his choice of constituency. "Discussing real issues is more important than whether I will contest polls or not. My party and its allies have to discuss such things. There has to be united front first," he said.

Kanhaiya said he had been trying to galvanise youth cadres. "I have met Gujarat leaders Hardik Patel and Jignesh Mevani...I also visited Maharashtra last month, for going to Koregaon to attend the first death anniversary function of Journalist Gauri Lankesh. I will be back in Begusarai later."

Delhi, Odisha yet to join PMJAY, their AIIMS seek clarity on treating patients under scheme

ABANTIKA GHOSH
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

WHILE ALL AIIMS in the country will have to be a part of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), the All India Institutes of Medical Sciences of Delhi and Bhubaneswar are uniquely placed — their home states are yet to join the scheme.

Both the apex government institutes will have to sign a memorandum of understanding with National Health Agency for taking patients under PMJAY. However, the model ensures that treatment is only pursued from outside the state will be incentivised under PMJAY — a group-premium governing council (which covers Rs 5 lakh for Rs 324 per family.

While 40-50 per cent patients in AIIMS Delhi are from outside the state, for AIIMS Bhubaneswar the figure is about 20 per cent. AIIMS Bhubaneswar has already sent a query to Union health ministry about features of the programme.

Odisha has also started its own Biju Swasthya Kalyan Yojana that will provide Rs 5 lakh annual health cover to 70 per cent of the state's population.

Odisha AIIMS Director Dr Giranjit said: "About 20 per cent of our patients are from neighbouring states. We had sent a query to the health ministry to know the logistics. We will certainly join the programme, but our situation is not unique. It is the same for AIIMS Delhi."

Earlier this week, when Health Minister JP Nadda unveiled the PMJAY logo, he had said that all government hospitals would be "deemed to be empanelled". The issue of non-participation of the state had its bearing point on another AIIMS Delhi has also for other central government hospitals in Delhi, including Lady Hardinge Medical College, RML and Safdarjung.

According to Director Dr Randeep Guleria, AIIMS Delhi has already taken an "in-principle" decision to be a part of PMJAY. "About 40-50 percent of our patients are from outside the state. We are going through the letter. We will ultimately sign it and continue to provide care for patients from outside the city and from within but there has to be some safeguards for our economy."

The institute has sought clarification from the government on reimbursements. For example, if a person from Maharashtra, which has agreed to join the scheme, is treated in AIIMS Delhi, will the payment come from the state or National Health Agency.

There are other issues too. At AIIMS Delhi, the long waiting lists in some departments, and the fact that the institute does not do many procedures such as normal deliveries.

The MoU will have to tackle these concerns. A PMJAY beneficiary who comes to the hospital will have to wait his turn along with other patients, he cannot jump the queue just because he is a PMJAY beneficiary. There are also other concerns — like we do not do normal deliveries, only complicated ones. That can be a challenge. We should be able to choose what procedures to do and what packages to offer under PMJAY," Dr Guleria added.

For AIIMS and AIIMS-like institutes and other government hospitals, however, PMJAY has come as a financial blessing. All of them are heavily subsidised and staff salaries are paid by the government. So it is possible that they can make some profit from the PMJAY package as cause according to the programme guidelines, hospitals that are able to complete procedures at lower cost can still keep the full package payment.

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा
U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 1214/मे०-यू प्रवीरा इन्फ्राहाइट/बो०हु०/18 दिनांक: 8/10/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स न्यू प्रवीरा इंफ्राहाइट प्रा0लि0 खण्ड संख्या–10/33 ग्राम–बेरी तहसील–सदर जिला–हमीरपुर में क्षेत्रफल–20.242 हे0 में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे हेतु प्राप्त खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर दिनांक 04.10.2018 को तहसील–राठ जनपद–हमीरपुर में आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 25505/सी–2/एनओसी–4302/बाँदा/2018 दिनांक 30.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई स्थल तहसील–सदर जनपद–हमीरपुर में दिनांक 04.10.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

7607

खण्ड संख्या– 10/33, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स न्यू प्रवीरा इंफ्राहाइट प्रा0लि0 द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 20.242 हे0, ग्राम–बेरी, तहसील व जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारक की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 04.10.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स न्यू प्रवीरा इंफ्राहाइट प्रा0लि0 के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 25505/सी–2/एनओसी–4302/बांदा/18 दिनांक 30.08.2018, जो कि जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पर जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा दिनांक 04.10.2018 को तहसील व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 03.09.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र सं0– 532/55–पर्या–2–2018–103 (पर्या)/2007 दिनांक 23.04.2018, पर्यावरण अनापत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को पत्र सं0– 1133/एम0/21(पर्या)/2011(II) दिनांक 07.08.2018 के अनुसार एक तहसील के क्षेत्रों पर तहसील मुख्यालय में समेंकित सुनवाई को कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

आज दिनांक 04.10.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील प्रांगण स्थित बार कोर्ट सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री जे0पी0 द्विवेदी, खान अधिकारी, हमीरपुर।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जनसमुदाय को अवगत कराया गया। उक्त परियोजना में

7608

सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे खण्ड संख्या– 10/33, ग्राम– बेरी, तहसील व जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड वॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है सम्बन्धित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है। इस विषय में

7609

संदर्भित टर्म्स ऑफ रिफरेन्श/ई0आई0ए0/ई0एम0पी0 (ड्राफ्ट) को फील्ड मानीटरिंग आख्यायें 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु ग्रामवासियों द्वारा कोई प्रश्न नही किया गया तत्पश्चात् पट्टेधारक को आंमत्रित किया गया कि आप द्वारा ग्रामविकास हेतु क्या–क्या कार्य किये जायेगें।

पट्टेधारक द्वारा अध्यक्ष महोदय व ग्रामवासियों को अवगत कराया गया कि शासन के आदेशानुसार सभी कार्य किये जायेगें। जैसे– चिकित्सक, विद्यालय, सडक मरम्मत, सोलर लाइट, ग्रामीणों के शौचालय आदि मानको को पूरा किया जायेगा।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्रामवासियों को शिकायत/सुक्षाव के लिये आमंत्रित किया गया तथा शासन के नियमों का सम्मान करें व अनुपालन करें तथा जो भी कार्य करे उसको सम्मान के साथ नियमानुसार करें। पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाये, खनन कार्य दिन में ही किया जायें । प्राथमिक तौर पर ग्रामविकास हेतु शौचालय, चिकित्सा, वृक्षारोपण, विद्यालय की मरम्मत, सड़क की मरम्मत, सड़क का रखरखाव तथा वृक्षो का रोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाये जिससे वृक्ष को आप 05 वर्ष तक सुरक्षित रख सकें।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को निर्देशित किया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा एवं ढुलाई के समय बालू को ढककर लाना है, गीला बालू रखना है इसी के साथ अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

Madhu. 04/X/18
(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

4.10.18
(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना
स०ओ० 1533 दिनांक 14-09-2006 यथासंशोधित के अनुपालन
(1) मे० मेसर्स न्यू प्रवीण इंफ्राहाइट प्रा० लि० द्वारा श्री संतोष कुमार सच
पुत्र श्री राम आधार सचान, निवासी- प्लाट नं०- 540, फ्लैट नं०- ग्र
गोपाला ग्रीन अपार्टमेन्ट, रतनलाल नगर, कानपुर नगर

(2) मेसर्स राहुल कुमार गुप्ता द्वारा श्री राहुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री
विनोद बाबू गुप्ता, निवासी- 15/74-75, बाबा घाट, सिविल लाइ
बड़ागाँव, कानपुर, उ०प्र०, द्वारा साधारण बालू/मोरम खनन हे
प्रस्ताव पर पर्यावरण स्वीकृति

(1) खण्ड नं०- ~~#4~~ 10/33 ग्राम-बेरी, तहसील-सदर जिला-हमीरपुर
(2) खण्ड नं०- 10/4, ग्राम-बेरी, तहसील-सदर, जिला- हमीरपुर

हेतु कोई बार समागार (पोरण्ड) तह० व जनपद-ह
में आयोजित दिनांक 04/10/18 को लोक सुनवाई के सम्बन्ध
उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं ग्राम वासियों की उप
का विवरण -

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम/गांव	मो०नं०	हस्ता
1-	श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव	ADM हमीरपुर	9454477602	
2-	" जे०पी० द्विवेदी	खान अधिकारी, हमीरपुर	8881834178	
3-	डॉ० मधुबाला कमलवंशी	ASO, UPPCB, Orai	7839891909	
4-	श्री जितेन्द्र सिंह	खान निरीक्षक, हमीरपुर	8707886952	
5-	" प्रकाश कुमार श्रीवास्तव	सर्वेयर, खान विभाग "		
6-	" राज करन वर्मा	SA, UPPCB, Banda	7839891918	
7-	वीरेन्द्र सिंह	सर्किल रेट	7771883738	
	रमाकान्त हरीश प्रताप सिंह	आवेदक/वर्ता कानपुर	9005286878 9725111396	

7611

सुधा नारायण	कुरुक्षेत्र	9005961[illegible]	
अजय कुमार	मेरठ	9456026[illegible]	
[illegible]	[illegible]	09090838[illegible]	
[illegible]	[illegible]	965723[illegible]	
[illegible]	[illegible]	9[illegible]	
पुरन			
[illegible]	[illegible]		
आनंद कुमार	[illegible]	7007676190	
कुलदीप सिंह	[illegible]	9418017514	
पंकज द्विवेदी	हमीरपुर	9418620277	
प्रशान्त निगम	हमीरपुर	7398151111	
अशोक गुप्त	हमीरपुर	9450263062	
[illegible]	[illegible]	9915570082	
[illegible]	[illegible]	9794605163	
Shailesh Tripathi	M/s Rahul Kumar Gupta	9452919532	
4/10/18	[illegible]	9935463044 9450423558	
B.M.S Negi	ENVIRAS(I) Pvt. Ltd. Ltd.	9454890694	
Mayank Pushkar	"	8604590422	
Rishabh Verma	"	8948100101	

बजट गोल, कैसे हॉकी करेगी कामयाबी के गोल

हरदोई को राज्य स्तरीय स्पर्धा तक पहुंचाने वालों की राह में रोड़ा

आनंद मिश्रा

हरदोई। चार सितंबर से शाहजहांपुर में शुरू हो रही राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता के लिए चयनित जिले की हॉकी टीम का खर्च उठाने से शिक्षा विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के इस रवैये ने जिले और मंडल स्तर के मुकाबलों को पार करके राज्य स्तरीय स्पर्धा में पहुंच सकने वाले प्रतिभाशाली खेलों को मायूस कर दिया है। साथ ही खेलो इंडिया जैसी सरकार के अभियान को भी फिलहाल सौ साल पीछे कर दिया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस दूने का कहना है कि टीम को भेजने की जिम्मेदारी मंडल स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित करने वाले कानपुर के डीआईओएस को होती है। अगर लखीमपुर के डीआईओएस ने टीम भेजने का प्रबंध नहीं किया है तो संबंधित विद्यालय की खेल टीमें का इसीलिए कर टीम को प्रतिभाग के लिए भेजा जा सकता है। सोनभद्र को कंटिंगत की जरूरी कि टीम को वापसी भेजा जा सके।

आजाद इंटर कॉलेज के खेल शिक्षक श्याम नारायण त्रिवेदी कहते हैं कि डीआईओएस की जिम्मेदारी है कि टीम भेजे।

डीआईओएस और उनके मातहतों की लापरवाही के चलते खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है। विद्यालय के प्रबंधन को अलग नहीं समझा है, लेकिन प्रधानाचार्य के संज्ञान में प्रकरण है।

जिला क्रीड़ा समिति के सचिव अखिलेश तिवारी ने बताया कि विद्यालय की खेल निधि में पर्याप्त धन है। इस धन से टीम को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिए भेजे जाने की मांग प्रधानाचार्य से हुई थी। इसके बाद अब पक्ष संज्ञान में नहीं है।

जिम्मेदारों के इस रवैये से जहां चयनित हॉकी टीम के राज्य स्तरीय मुकाबलों में हिस्सेदारी को लेकर असमंजस की स्थिति है, वहीं पर्याप्त बजटधर होने के बाद खेल सामग्री मुकाबले के मुकाम तक नहीं पहुंचने वाले खिलाड़ी संसाधन की कमी के चलते इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ी। अन्य तस्वीर

चयनित खिलाड़ी

विवेक दुबे, विशाल सिंह, सिद्धांत सिंह, आकाश कुशवा, अभय यादव, राहुल वीरपाल, अमरेश यादव, निशांत सुमन, संजय कुमार, मोहम्मद अनस, जॉर्ज पीटर, मोहित कुमार, कुलदीप सिंह, रमेश कुशवा, लवलेश यादव और नवीन सिंह।

कब क्या हुआ

- पहले हॉकी प्रतियोगिता को जिला प्रशासन अपने संसाधन देता था। 2016 से यह बंद हो गई।
- कुर्मी हॉकी टीम ने 21 अगस्त को गोंडा (लखीमपुर) में 21 अगस्त को प्रादेशिक मुकाबले में शिरकत की।
- खलीलाबाद मंडल के चार दल टीम को हरा सकीम मुकाबले के लिए 4 सितंबर को लखनऊ पहुंचेंगे।

टेबल टेनिस में सुदिति और सेंट मेरी स्कूल विजेता

महोत्सव ग्रुप की टेबल टेनिस प्रतियोगिता के विजेता व उपविजेता

अमर उजाला ब्यूरो

भरूवाना। होली चाइल्ड एकेडमी में एकेडमी को इटावा महोत्सव ग्रुप को और से टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीएम नंद प्रकाश गौर व कोच्ची विकास जायसवाल ने किया। इसमें सुदिति स्पोर्ट्स व वोट पेपी स्कूल विजेता बना।

प्रतियोगिता में पुष्टि सेंट चौहरी स्कूल, जयंती स्कूल, सेंट पीटर स्कूल, सेंट मेरी स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेंट विवेकानंद, फादर सिट्टा जी स्कूल, एसएस मेमोरियल, कात्यायन कॉलेज, सुदिति सशक्त एकेडमी सहित अन्य स्कूलों की 16 टीमों ने भाग लिया। फाइनल में सुदिति स्पोर्ट्स एकेडमी विजेता व फाइट सिट्टा जी स्कूल, एसएस मेमोरियल, कात्यायन कॉलेज, सुदिति सशक्त एकेडमी सहित अन्य स्कूलों की 16 टीमों ने भाग लिया। फाइनल में सुदिति स्पोर्ट्स एकेडमी विजेता व फाइट सिट्टा जी स्कूल उपविजेता रहा। फाइनल में सुदिति स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम विजेता व सेंट मेरी स्कूल की टीम उपविजेता रही। पुरुषोत्तमानंद इंटर चंद्र चौहान व प्रधानी ने विजेता व उपविजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार वितरण व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पवन चतुर्वेदी, अरुण मोहनपुरी, दीपक पाठक, राजेश सिंह चौहान, प्रवेश दुबे, अनुराग दीक्षित, अभिषेक श्रीवास्तव, अखिलेश कुमार सक्सेना, केदार नादान, सुलीम रुपाकर्ती आदि का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन नीरज वर्मा व विनोद सिंह चाहर ने किया।

महोत्सव ग्रुप ने दो वर्गों में प्रतियोगिता का किया आयोजन

विट्टा जी स्मृति उपस्थित रहा। छात्रा वर्ग में सेंट मेरी इंटर कॉलेज की टीम विजेता व सेंट फेटर स्कूल की टीम उपविजेता रही। पुरुषोत्तमानंद इंटर चंद्र चौहान व प्रधानी ने विजेता व उपविजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार वितरण व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पवन चतुर्वेदी, अरुण मोहनपुरी, दीपक पाठक, राजेश सिंह चौहान, प्रवेश दुबे, अनुराग दीक्षित, अभिषेक श्रीवास्तव, अखिलेश कुमार सक्सेना, केदार नादान, सुलीम रुपाकर्ती आदि का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन नीरज वर्मा व विनोद सिंह चाहर ने किया।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय : ए-39, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, नोएडा

पत्रांक : 568/वे.नि./लोक सु./2018 | दिनांक : 01.09.18

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न खनी के अनुसार सैण्ड/मोरम माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के संबंध में पर्यावरणीय प्रभिरक्षण से पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधित प्रस्ताव उ.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	खसरा नं.	स्थान	दिनांक व समय
1	मैसर्स पी.के. एस. माईनिंग कॉन्ट्रेक्टर्स प्रा. लि. द्वारा श्री पवन कुमार तिवारी पुत्री श्री भवेश, फतेहपुर, जिला-फतेहपुर, उ.प्र.	रेत/मोरम माइनिंग पीरीवेलव	खण्ड सं.-23/27, ग्राम-भेरी, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	24,291 हैक्टेअर	डालौत स्तर फीसा, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
2	मैसर्स नू प्रवीण इंफ्राटेक प्रा. लि. द्वारा श्री संदीप कुमार सक्सेना, निवासी-स्वेट नं.-540, फ्लैट नं.-202-बी, पेरेडाइज टॉप अपार्टमेंट, रामकृष्ण पल्ली, कानपुर नगर।	रेत/मोरम माइनिंग पीरीवेलव	खण्ड सं.-10/33, ग्राम-भेरी, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	30.242 हैक्टेअर	डालौत स्तर फीसा, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
3	मैसर्स सहज कुमार गुप्ता, निवासी-15/74-75, सब्जी मंडी, मिलिट तलाब, मालवीय, कानपुर, उ.प्र.	रेत/मोरम माइनिंग पीरीवेलव	खण्ड सं.-10/4, ग्राम-भेरी, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	डालौत स्तर फीसा, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
4	मैसर्स श्री कमलनाथ द्वारा श्री अनुरोध सिंह सेंगर, निवासी-129/10, मिलिट तलाब, तहसील व जनपद-उन्नाव।	रेत/मोरम माइनिंग पीरीवेलव	खण्ड सं.-18/1, ग्राम-खुदागंज, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	डालौत स्तर फीसा, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
5	मैसर्स कमला-जय एग्रोमाइनेक्स प्रा. लि. द्वारा श्री राकेश कुमार चतुर्वेदी, निवासी-03, मलवारे नगर, सिवर अस्पताल चौराहे, जे.के. रोड, भोपाल, म.प्र।	रेत/मोरम माइनिंग पीरीवेलव	खण्ड सं.-19/5, ग्राम-डौकपुर, तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
6	मैसर्स कर्केश स्टार्च एण्ड शुगर इंडस्ट्रीज प्रा. लि. द्वारा श्री अमित जैन बंसल, निवासी मकान-06 निवर दाना कृष्ण टेम्पल, जवाहर पोस्ट, जिला कुरैशा, म.प्र.।	रेत/मोरम माइनिंग पीरीवेलव	खण्ड सं.-19/4, ग्राम-डौकपुर, तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	19.264 हैक्टेअर	तहसील-मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
7	मैसर्स पारस एण्ड संस द्वारा श्री अरविंद कुमार, निवासी की-37/35, संजय एन्क्लेव, पहाड़ीये, कलौदी, कानपुर रोड, लखनऊ, उ.प्र.।	रेत/मोरम माइनिंग पीरीवेलव	खण्ड सं.-23/12, ग्राम-भेरी खास, तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	9.995 हैक्टेअर	तहसील-मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
8	मैसर्स जिया इन्फ्राप्रोजेक्ट द्वारा श्री जी. आलमम, निवासी-38/46, द्वितीय तल, सर्वोदयनगर सिविधान, रैस्ट एरिये (सीमेंट पार्क) प्रेटी मोड़ज, जबलपुर, मुख्य सेक्टर, जबलपुर।	रेत/मोरम माइनिंग पीरीवेलव	खण्ड सं.-24/14, ग्राम-भिखारी, तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील-मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
9	मैसर्स प्रथम केमटेक्स द्वारा श्री मनोज कुमार, निवासी-144, डिस्ट्रिक्ट सदर, झांसी, यू.प.	रेत/मोरम माइनिंग पीरीवेलव	खण्ड सं.-24/9, ग्राम/निवासी, तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील-मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
10	मैसर्स कमुनाजे मिनरल्स एक्सपोर्ट्स द्वारा श्री नवनीत रोड नागल, निवासी-26 कि.मी., सासन दादरी, गाजियाबाद यू.प.।	रेत/मोरम माइनिंग पीरीवेलव	खण्ड सं.-24/18, ग्राम-भिखारी, तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	32.44 हैक्टेअर	तहसील-मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18

योई द्वारा पर्यावरण, वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14-09-2006 यथा संशोधित - एस.ओ. 3067 (ई), दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अनिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध हैं।

1. जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद-हमीरपुर।
2. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, नोएडा
4. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी.सी.-12 जी., विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. कार्यालय जिला पंचायत, हमीरपुर।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, पंचम क्षेत्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/मोरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियाँ आदि लिखित रूप से प्रभारी को तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते हैं।

DKA2018B0001219 — क्षेत्रीय अधिकारी

अमर उजाला jobAlert

IIT : निःशुल्क कर्म आवेदन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

- कुल पद : 70
- पदों का विवरण : सुनियर एप्लीकेशन, जूनियर असिस्टेंट इत्यादि।
- शैक्षणिक योग्यता : स्नातक
- आवेदन शुल्क : निःशुल्क

- आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष
- आवेदन प्रक्रिया: निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर सभी वांछित दस्तावेजों को 'सहायक कुल सचिव, स्थापना-III, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर- 721302, पश्चिम बंगाल' के पते भेजें।
- अंतिम तिथि: 14 सितंबर, 2018

NIPHM: कृषि क्षेत्र में अवसर

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट

- कुल पद : 07
- पदों का विवरण : असिस्टेंट डायरेक्टर, रजिस्ट्रार डिविजन आदि इत्यादि।
- शैक्षणिक योग्यता : स्नातकोत्तर
- वेतनमान की अंतिम तिथि: 29 सितंबर, 2018

- कुल रिक्ति : अधिकतम 277 (SC/ 45 / ST/ 25 वर्ग (क्रमानुसार)
- आवेदन शुल्क: सभी वर्ग के लिए निःशुल्क
- आवेदन प्रक्रिया: संबंधित मंत्रालय के निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्णतः से भरे हुए आवेदन पत्र को सभी वांछित दस्तावेजों के साथ निर्धारित पते पर भेजें।
- महत्वपूर्ण तिथि: रजिस्ट्रार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, राजेंद्रनगर, हैदराबाद- 500030

व्यापम ने जारी की विज्ञप्ति

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल

150 कुल पद

- पदों का विवरण : चीफ फॉरेस्ट, डीएफओ, नियत ई- गवर्नेंस एनालिस्ट इत्यादि।
- शैक्षणिक योग्यता : पदों के अनुसार अलग-अलग निर्धारित
- आयु सीमा : 18 - 40 वर्ष
- आवेदन शुल्क : इस प्रकार है- SC/ST/OBC/PH वर्ग के लिए - 250 रुपये और अन्य वर्ग के लिए- 500 रुपये

- चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
- आवेदन प्रक्रिया : संबंधित मंत्रालय के निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्णतः से भरे हुए आवेदन पत्र को सभी वांछित दस्तावेजों के साथ निर्धारित पते पर भेजें।
- अंतिम तिथि: 15 सितंबर, 2018

ICHR: सदस्य सचिव का पद खाली

- संस्था: भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद
- पद संख्या: 01
- पद का विवरण : सदस्य सचिव
- शैक्षणिक योग्यता : मंत्रालय के नियमानुसार निर्धारित
- आयु सीमा : अधिकतम आयु 55 वर्ष
- आवेदन शुल्क: परिषद के नियमानुसार
- अंतिम तिथि: 30 सितंबर, 2018
- आवेदन प्रक्रिया: निर्धारित प्रारूप पर दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को सभी वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न करके अंतिम तिथि से पहले संस्थान के पते पर भेज दें।
- पत्राचार का पता: सचिव, अखिलेशपदर, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली- 110001
- वेबसाइट: http://ichr.ac.in/

ये बोट कर रहा है। चुने सांसदों सरकार बनाने का निर्णय कहां लेना चाहिए? - अभिनव चतुर्वेदी

जवाब : सांसदों चयनकर बनने के बाद सभी दल और गठबंधन संसद में मिली एक ईंट (मिनट, टाई, पार्लियामेंट, इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रीयल मोबिलिटी, इंडियन्स एवं अन्य कंपनियां) बैंकिंग, इंश्योरेंस मोबिलिटी, मार्केटिंग, पैकेजिंग (सीमेंट), इत्यादि में आईटीआई सीट आवंटित है। इसके अलावा एसबीसीटी द्वारा पूर्वोत्तर मंत्रालय से भी निर्धारित स्टडीज्यूल्स, इंस्ट्रक्टर्स मोबिलिटी, इंस्ट्रक्टर्स: में डिप्लोमा/ डिग्री धारक उम्मीदवारों को इस पद के लिए आवेदन करना होगा है। इसके लिए विशेषज्ञ परीक्षाएं जल्द कराने के परिणाम सामान्य होगा है।

नियुक्ति कर्मी (www.sahara.com) की पहले सालाना नौकरी से तुलनीकरण जानकारी।

NOTICE INVITING E-TENDER (NIT)

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS) has more than 3000 beds (and the number of beds are likely to be increased in future). Lucknow and invitation e-tender in two parts (Technical Bid and Financial Bid) for the following services of the Institute.

1- E-tender for Outsourcing of Hospital Laundry Services.

2- E-tender for Empanelment of Travel Agents.

The bidders, who have submitted their bids and EMD against NIT/AdVt. No. 828/Contract/2018-19/01 dated (not to submit EMD again. However, they are required to submit the bids on a fresh because few conditions have been changed.

E-tender in this regard shall be available on the website www.etender.up.nic.in from 04.09.2018 to 19.09.2018. In addition, the NIT shall also be available for information only on the website of the Institute www.sgpgi.ac.in.

Advt. No. 1017/Tender/2018-19 — सहायक कुलसचिव

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर

पत्रांक- पी./15937-38/2018-19 — दिनांक: 31.08.2018

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या: 1267/69-5-2018 दिनांक 19.08.2018 शिक्षा अनुभाग-5, सचिव, डा. मोनिका सिंह परिषद इलाहाबाद के पत्रांक-पै.शिक्ष./7262-7507/ 2018-19 दिनांक 19.08.2018 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता में उत्तीर्ण 61556 के सापेक्ष जनपद सीतापुर को आवंटित 785 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु दिनांक 01.09.2018 से 03.09.2018 तक काउन्सलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से अई दिव्यांग महिला, विधवा पुरुष एवं समस्त महिला अभ्यर्थियों के विद्यालय चिसत्य चयन हेतु दिनांक 03.09.2018 को ही उसी दिन सायं 5.00 बजे काउन्सलिंग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान टीचर्स ट्रेनिंग में कार्ट-लिस्ट का आयोजन किया जायेगा। उक्त वर्ग के समस्त अभ्यर्थी अपनी पहचान से संबंधित कोई कोई चुना पहचान पत्र मूलरूप में एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति साथ में लाना सुनिश्चित करें। दिनांक 03.09.2018 को विद्यालय चिसत्य काउन्सलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को पंसर के माध्यम से विद्यालय अवधि का दिन आदेश निरस्त समझें उपस्थित अभ्यर्थी का चयन और चार में इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(अजय कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सीतापुर

दूरभाष नं.- 05192-220048

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः ए-39, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद- हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/ मौरम माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोक सुनवाई के सम्बन्ध में पर्यावरणीय प्राधिकारण से पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1	मैसर्स जे.के.एस. माइनिंग सर्विसेज प्रा.लि. द्वारा श्री जय कुमार सिंह निवासी- गढ़ी मर्केया, फतेहपुर, जिला- फतेहपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/27, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	24.291 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
2	मैसर्स न्यू प्रवीरा इंफ्राडाइट प्रा.लि. द्वारा श्री संतोष कुमार सचान, निवासी- प्लॉट नं. S40, फ्लैट नं. 202-बी, गोपाला पीन अपार्टमेंट, रतनलाल नगर, कानपुर नगर।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 10/33, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	20.242 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
3	मैसर्स राहुल कुमार गुप्ता, निवासी- 15/74-75, चाचा फाट, रेलवेल लाइन, बड़ाबाँध, कानपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 10/4, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
4	मैसर्स श्री कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री अतुलेन्द्र सिंह सेंगर, निवासी- 129/10, रेलवेल लाइन उन्नाव्ल व जनपद- झांसी	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 18/1, ग्राम- सहरापुर, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
5	मैसर्स कामता-नाथ इण्टरप्राइजेज प्रा.लि. द्वारा श्री राजेश कुमार खंगुली, निवासी- 02, भवानीनगर, निपर अमित नोटर्स, जे.के. रोड, भोपाल, म.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 19/5, ग्राम- टीकापुर, तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
6	मैसर्स कन्हैया लाल एण्ड संस द्वारा श्री उमेश चन्द्र वंसल, निवासी- म.नं.- 08, निपर राया कृष्णा टेम्पल, तहसील पोरसा, जिला मुरैना, म.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 19/4, ग्राम- टोकापुर, तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर।	19.254 हैक्टेअर	तहसील- मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
7	मैसर्स यादव एण्ड संस द्वारा श्री अवधेश कुमार, निवासी- खी-1/135, सेक्टर- एल, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/12, ग्राम- मेडी खरका, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	9.995 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
8	मैसर्स दिशा इण्टरप्राइजेज द्वारा श्री मो. अशफाक, निवासी- 28/46, द्वितीय तल, स्टॉकिस्ताई बिल्डिंग, टैंक एरारी (पी.के. मार्ग), छोटी भस्जिद, नागपाडा, मुम्बई सेन्ट्रल, महाराष्ट्र।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/14, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
9	मैसर्स सत्यम कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री सत्यम गुप्ता, निवासी- 944, सिविल लाइन, झांसी, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/9, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरोला, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
10	मैसर्स खनुराहो मिनरल्स एलएलपी द्वारा श्री यशपाल सिंह परमार, निवासी- 08 कि.मी., सागर, दादरी, छतरपुर, म.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/18, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	32.44 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18

बाँदे द्वारा पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित- एस.ओ. 3067 (ई) दिनांक 01.12.2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जावेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालय में उपलब्ध है।

1- जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद- हमीरपुर।
2- मुख्य प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, हमीरपुर।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला पंचायत, हमीरपुर।
6- क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल, सेक्टर- एच अलीगंज, लखनऊ।

अंतः समस्त सर्वसाधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/ मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियाँ आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर प्रेषित कर सकते हैं।

पत्रांक- 567/प्रै.वि./लोक सु./2018, दिनांक- 01.09.18

क्षेत्रीय अधिकारी

7613

IENS
WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, SEPTEMBER 3, 2018

'2+2' TALKS

Will go ahead with S-400 deal with Russia, India to tell US

PRESS TRUST OF INDIA
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

INDIA IS expected to convey to the US during the upcoming two-plus-two talks that it is going ahead with the Rs 40,000-crore deal with Russia to procure a batch of S-400 Triumf air defence missile systems, notwithstanding the American sanctions on military transactions with Moscow, official sources said on Sunday.

They said India is likely to seek a waiver from the Trump administration for the mega deal, citing its requirement for the missile system in the wake of the evolving regional security architecture as well as considering its close defence ties with Russia.

"India has almost concluded the S-400 missile deal with Russia and we are going ahead with it. Our position on the issue will be conveyed to the US," said a high-level official source.

The US has imposed military sanctions against Russia under the stringent CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) law for its annexation of Crimea as well as alleged meddling in the American presidential elections in 2016.

CAATSA mandates the Donald Trump administration to punish entities and countries engaging in significant transaction with the defence or intelligence establishments of Russia.

Randall Schriver, the Pentagon's senior official handling issues of Indo-Pacific Asia, said in Washington that the US cannot guarantee that India will be exempted from sanctions if it purchases weapons and defence systems from Russia.

The US has been indicating that it does not want India to finalise the deal with Russia.

A new US defence legislation authorises President Donald Trump to exempt countries from the military sanctions.

The first edition of the much-awaited 2+2 dialogue on strategic affairs between the US and India will take place here on September 6 during which a range of bilateral, regional and global issues of mutual interests will be discussed.

Under the new framework finalised last year, External Affairs Minister Sushma Swaraj and Defence Ministers Nirmala Sitharaman will hold talks with Secretary of State Mike R Pompeo and Secretary of Defence James Mattis from the US.

The sources said India will push for a waiver from the US for its mega-missile deal with Russia, on the air defence system was officially announced by the Defence Ministry in September 2016.

They said the move was a possibility as Russia and India announcing the deal before the annual summit between Prime Minister Modi and Russian President Vladimir Putin in October.

There has been mounting concern in India over the US sanctions against Russia and defence majors including Rosoboronexport, architects of the line of military purchases may be impacted because of the positive measure. India wants to procure the long-range missile systems to tighten its air defence mechanism, particularly along the nearly 4,000-km-long Sino-India border. S-400 is known as Russia's most advanced long-range surface-to-air missile defence system.

China was the first foreign buyer to seal a government-to-government deal with Russia in 2014 to procure the initial missile system and Moscow has already started delivery of various members of the S-400 missile system to Beijing.

The S-400 is an upgraded version of the S-300 systems. The missile system, manufactured by Almaz-Antey, has been in service in Russia since 2007.

Shah to inaugurate second leg of Raman's yatra on Sept 5

DIPANKAR GHOSE
RAIPUR, SEPTEMBER 2

WITH ASSEMBLY elections drawing closer, Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh is set to launch the second phase of his state-wide Vijay Yatra from September 5. BJP president Amit Shah will be inaugurating it. The first phase of the yatra was held in May. It covered a distance of close to 5,000 km, according to the BJP.

The chief minister said the yatra would be called the Atal Vikas Yatra and would cover close to 6,000 km across the state. He said Shah will launch the yatra from Bangarganga, a town of religious significance in Chhattisgarh. The yatra will conclude on October 5.

Singh also said that Prime Minister Narendra Modi would join the yatra on September 22, when he visits Janjgir-Champa district.

The yatra has drawn criticism from the opposition, which has said that it is drawing money from the taxpayer, for what is a purely political purpose. The Chief Minister also said that in the run-upto the elections, the state government would begin a consultative exercise to prepare a vision document, also named after late former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, for a "New Chhattisgarh 2025".

"This will be done before the model code of conduct comes into force. We will reach out to everyone to ask for suggestions on how this state can grow into a New Chhattisgarh by 2025," he said.

Hardik with HAM(S) leader Jitan Ram Manjhi. Express Photo

Four Maoists killed in Chhattisgarh encounter

EXPRESS NEWS SERVICE
RAIPUR, SEPTEMBER 2

FOUR MAOISTS were killed in an encounter in Narayanpur district of Chhattisgarh, police said on Sunday. DIG said the encounter was carried out by the District Reserve Guard and a Special Task Force of Narayanpur district police based on specific intelligence inputs.

A senior police official said the encounter took place in the Abhujhmad jungles near Gumiyabeda village. D M Awasthi, Special DG, Anti-Naxal Operations, told The Indian Express, "Four Maoists, including two senior cadre, have been killed in the encounter. There was a specific intelligence input. Weapons such as an INSAS have been recovered as well," he said.

A press note issued by the Narayanpur police said they had information on gathering of members of the Nelnar area committee, Kanker Local Organisation Squad and Bhatra Local Operation Squad in the village, which comes under the Kutul police station limits.

The statement said that the firing lasted for several hours and after the exchange of fire ended, four bodies were found in the search operation. Two of the bullets remain unretrieved, it said.

While one of the killed Maoists was identified as Sonal, an alleged member of the Nelnar Area Committee, the other, a woman cadre, was identified as Hidme, the commander of the Bhatra Local Operation Squad.

Hardik releases 'will' on day 9 of hunger strike

EXPRESS NEWS SERVICE
GANDHINAGAR, SEPTEMBER 2

PATIDAR QUOTA leader Hardik Patel, who has been on an indefinite hunger strike for the last nine days, on Sunday made his legal will public. In the will, according to his aide, Hardik has set aside a part of his money for families of 14 Patidar youths who died during the 2015 quota agitation. He has also pledged his eyes for donation after his death.

Hardik has been fasting at his Ahmedabad residence since August 25 demanding reservation for Patidars in government jobs, education and as farm loan waiver.

Making the will public, his aide and Patidar Anamat Andolan Samiti (PAAS) leader Manoj Panara said Hardik's health was deteriorating rapidly. "It is possible that in the next 24 to 48 hours, he won't be in a condition to speak or walk. So, he has declared his will," Panara told The Indian Express.

A doctor from a government hospital who visited Hardik on Sunday said he has advised the 25-year-old leader to get admitted to a hospital. "His urine and blood pressure is normal, but he has fluctuations in blood and urine tests," PTI quoted the doctor as saying.

As per his will, Hardik has Rs 50,000 in his account. He has declared Rs 20,000 to his parents and the rest as a donation to cattle shelter in his native Viramgam. He has declared that money from a life insurance policy, a car and royalty of a book on him be divided in three parts. He has declared that 75 per cent of this should go to his parents, 15 per cent to his sister and the remaining to family members of 14 Patidar youths who died during the quota agitation in 2015.

'Open to contesting LS polls, but party will take call'

SANTOSH SINGH
PATNA, SEPTEMBER 2

Kanhaiya Kumar

FORMER JNU Students' Union president and the CPI's youthful leader Kanhaiya Kumar has said he is open to contesting the 2019 Lok Sabha election. He, however, added that his party will take a call on it by following due process. He said the announcement of a "united front" was more important than discussing who would contest polls.

Kanhaiya said he was open to working with RJD and Congress and that he had been meeting youth leaders from across the country to galvanise youth leadership.

He told The Indian Express, "I have already said that we Left-inspired movement do not say I am open in contesting polls but it is something that has to be decided by my party. We have a system in place of district committee sending names, the state committee looking into them and the central committee taking a decision."

He did not elaborate on his choice of constituency. "Discussing real issues is more important than whether I will contest polls or not. My party and its allies have to discuss such things. These has to be united front like," he said.

Kanhaiya said he had been meeting leaders in Bihar. "Tomorrow (Monday) I am going to Patna and Jignesh Mevani...I also visited Maharashtra last month. I am going to Bengaluru to attend third rat death anniversary function of journalist Gauri Lankesh. I will be back in Begusarai later."

Delhi, Odisha yet to join PMJAY, their AIIMS seek clarity on treating patients under scheme

ABANTIKA GHOSH
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

WHILE ALL AIIMS in the country will have to be a part of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), the All India Institutes of Medical Sciences of Delhi and Bhubaneswar are uniquely placed—their home states are yet to join the scheme.

Both the apex government institutes will have to enter a memorandum of understanding with National Health Agency for treating patients under PMJAY. However, this would mean that even non-colourful patients from outside the state will be treated and under PMJAY at a package providing, as per health, worth of Rs 5 lakh for IGH centers/day.

While 40-60 per cent patients in AIIMS Delhi are from outside the state, for AIIMS Bhubaneswar the figure is about 20 per cent. AIIMS Bhubaneswar has already sent a query to Union health ministry on how it requires of the programme.

Odisha has also started its own flagship scheme Biju Swasthya Kalyan Yojana that will provide its 5 lakh households with cover to 70 per cent of the state's population.

Odisha AIIMS Director Dr Gangadhar said: "About 20 per cent of our patients are from neighbouring states. We had sent a query to the health ministry to know the legalities. We will certainly join the programme, but our situation is not unique. It is the same for AIIMS Delhi."

Earlier this week, when Health Minister J P Nadda met the chief ministers of the PMJAY-bagging states, Odisha Chief Minister Naveen Patnaik said that the state government hospitals would be "deemed to be empanelled". The move of non-participation of the state is striking point to point for AIIMS Delhi as also for other central government hospitals in Delhi, including Lady Hardinge Medical College, RML and Safdarjung.

According to Director Dr Randeep Guleria, AIIMS Delhi has already taken an "in principle" decision to be part of PMJAY. "About 60-50 per cent of our patients are from outside the state. We are going through the Nod. We will obviously sign it and continue to provide our inputs from inside the device and from within but there has to be some safeguards for our concerns."

The institute has sought clarification from the government on reimbursements. For example, if a person from Maharashtra, which has agreed to join the scheme, is treated in AIIMS Delhi, will the payment come from the state or National Health Agency.

There are two other issues for AIIMS Delhi: the long waiting lists in some departments, and the fact that the institute does not do away procedures such as normal deliveries.

"The first will force it to double up the expenses. A PMJAY beneficiary who comes in the hospital will have to wait his turn along with other patients, he cannot jump the queue just because he is a PMJAY beneficiary. There are also other concerns—like we do not do normal deliveries only compromised ones. That calls for a change. We do not offer the liberal care which private sectors do and what packages to offer under PMJAY," Dr Guleria added.

For AIIMS and AIIMS-like institutes and other government hospitals, however, PMJAY has come as a financial blessing. All of them are heavily subsidised and so all salaries are paid by the government. So it is possible that they can make some profit from the PMJAY package, because according to the government guidelines, hospitals that are able to complete procedures at lower cost can all keep the full package as profits.

7614

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 715/मै॰राहुलकुमारगुप्ता/खो॰खुन॰/18 दिनांकः 8/10/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स राहुल कुमार गुप्ता खण्ड संख्या–10/4 ग्राम–बेरी तहसील–सदर जिला–हमीरपुर में क्षेत्रफल–36.437 है0 में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे हेतु प्राप्त खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर दिनांक 04.10.2018 को तहसील–सदर जनपद–हमीरपुर में आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 25505/सी–2/ नओसी–4302/बाँदा/2018 दिनांक 30.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके नुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक ुनवाई स्थल तहसील–सदर जनपद–हमीरपुर में दिनांक 04.10.2018 को आयोजित कराई गई। क्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की ो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

लग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

7615

खण्ड संख्या– 10/4, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स राहुल कुमार गुप्ता द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 36.437 हे0, ग्राम–बेरी, तहसील व जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारक की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 04.10.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स राहुल कुमार गुप्ता के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 25505/सी–2/एनओसी–4302 /बांदा/18 दिनांक 30.08.2018, जो कि जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पर जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा दिनांक 04.10.2018 को तहसील व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 03.09.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र सं0– 532/55–पर्या–2–2018–103 (पर्या)/2007 दिनांक 23.04.2018, पर्यावरण अनापत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को पत्र सं0– 1133/एम0/21(पर्या)/2011(II) दिनांक 07.08.2018 के अनुसार एक तहसील के क्षेत्रों पर तहसील मुख्यालय में समेंकित सुनवाई को कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

आज दिनांक 04.10.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील प्रांगण स्थित बार कोर्ट सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नांकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री जे0पी0 द्विवेदी, खान अधिकारी, हमीरपुर।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जनसमुदाय को अवगत कराया गया। उक्त परियोजना में

7616

सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे खण्ड संख्या– 10/4, ग्राम– बेरी, तहसील व जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है परन्तु इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है तथा परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है जिसकी एक–एक प्रति उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर, जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर एवं जिला पंचायत हमीरपुर के कार्यालयों में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूडे दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड बॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप

7617

समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है सम्बन्धित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है। इस विषय में संदर्भित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स/ई0आई0ए0/ई0एम0पी0 (ड्राफ्ट) को फील्ड मानीटरिंग आख्यायें 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु ग्रामवासियों द्वारा कोई प्रश्न नही किया गया तत्पश्चात् पट्टेधारक को आंमत्रित किया गया कि आप द्वारा ग्रामविकास हेतु क्या–क्या कार्य किये जाये।

पट्टेधारक द्वारा अध्यक्ष महोदय व ग्रामवासियों को अवगत कराया गया कि शासन के आदेशानुसार सभी कार्य किये जायेगें। जैसे– चिकित्सक, विद्यालय, सडक मरम्मत, सोलर लाइट, ग्रामीणों के शौचालय आदि मानको को पूरा किया जायेगा।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्रामवासियों को शिकायत/सुझाव के लिये आमंत्रित किया गया तथा शासन के नियमों का सम्मान करें व अनुपालन करें तथा जो भी कार्य करे उसको सम्मान के साथ नियमानुसार करें। पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाये, खनन कार्य दिन में ही किया जायें । प्राथमिक तौर पर ग्रामविकास हेतु शौचालय, चिकित्सा, वृक्षारोपण, विद्यालय की मरम्मत, सड़क की मरम्मत, सड़क का रखरखाव तथा वृक्षो का रोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाये जिससे वृक्ष को आप 05 वर्ष तक सुरक्षित रख सकें।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को निर्देशित किया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा एवं ढुलाई के समय बालू को ढककर लाना है, गीला बालू रखना है इसी के साथ अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

04/X/18
(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

4.10.18
(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

7618

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना [illegible] एस० ओ० 1533 दिनाँक 14-09-2006 यथासंशोधित के अनुपालन में

(1) मे० मेसर्स न्यू प्रवीरा इंफ्राहाइट प्रा० लि० द्वारा श्री संतोष कुमार सचान पुत्र श्री राम आधार सचान, निवासी - प्लाट न० - 540, फ्लैट न० - 202 गोपाला ग्रीन अपार्टमेन्ट, रतनलाल नगर, कानपुर नगर

(2) मेसर्स राहुल कुमार गुप्ता द्वारा श्री राहुल कुमार गुप्ता पुत्र श्री विनोद बाबू गुप्ता, निवासी - 15/74-75, बाबा घाट, सिविल लाइन्स बड़ागाँव, कानपुर, उ० प्र०, द्वारा साधारण बालू/मोरम खनन हेतु प्रस्ताव पर पारियोजना स्थल

(1) खण्ड न० - ~~10/4~~ 10/33 ग्राम - बेरी, तहसील - सदर जिला - हमीरपुर

(2) खण्ड न० - 10/4, ग्राम - बेरी, तहसील - सदर, जिला - हमीरपुर

हेतु कोई वार समागार (पोरवद) तह० व जनपद - हमीरपुर में आयोजित दिनाँक 04/10/18 को लोक सुनवाई के सम्बन्ध उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं ग्राम वासियों की उपस्थिति का विवरण -

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम/गांव	मो० न०	हस्ताक्षर
1-	श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव	ADM हमीरपुर	9454417604	
2.	" जे०पी० द्विवेदी	खान अधिकारी, हमीरपुर	8887534778	
3.	डॉ० मार्कण्डेय कमलवंशी	ASO, UPPCB, Jhansi	7839891909	
4-	श्री जितेन्द्र सिंह	खान निरीक्षक, हमीरपुर	8707869521	
5.	" प्रकाश कुमार श्रीवास्तव	सर्वेयर, खान विभाग "		
6-	" लाल करन वर्मा	SA, UPPCB, Banda	7839891918	
7-	वीरेन्द्र सिंह	क्षमित एट	7771883738	
	रमाकान्त हरीश प्रताप सिंह	आंचलिक कानपुर	9005228878 9725111396	

[illegible]	[illegible]	9005967[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	9450264[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	09090838[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	9651237896	[illegible]
[illegible]	[illegible]	9[illegible]50273808	[illegible]
पुरन			
[illegible]	दमोह		
आनंद कुमार	[illegible]	7007676190	[illegible]
कुलदीप सिंह	[illegible]	9415017514	[illegible]
पंकज द्विवेदी	हमीरपुर	9415620777	[illegible]
प्रशान्त निगम	हमीरपुर	7398151111	[illegible]
अशोक गुप्त	हमीरपुर	9450283062	[illegible]
आनु पराय	हमीरपुर	9415570082	[illegible]
[illegible]	[illegible]	9794605163	[illegible]
Shailesh Tripathi	M/s Rahul Kumar Gupta	9450919532	[illegible]
4/10/18	[illegible]	9935463044 9415042355	[illegible]
B.M.S Negi	ENVIRAS(I) Pvt. Ltd. LKO	9454890694	[illegible]
Mayank Pushkar	"	8604590922	[illegible]
Rishabh Verma	"	8948100101	[illegible]

दूरभाष नं.- 05192-220048

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः ए-39, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद- हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/ मौरम माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोक सुनवाई के सम्बन्ध में पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1	मैसर्स जे.के.एस. माइनिंग सर्विसेज प्रा.लि. द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार सिंह निवासी- गढ़ी मलैया, फतेहपुर, जिला- फतेहपुर, उ.प्र. ।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/27, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	24.291 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
2	मैसर्स न्यू प्रयोस इंफ्राहाइट प्रा.लि. द्वारा श्री संतोष कुमार रस्तोगी, निवासी- प्लॉट नं. 540, फ्लैट नं. 202-बी, गोपाला ग्रीन अपार्टमेंट, रतनलाल नगर, कानपुर नगर।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 10/33, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	20.242 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
3	मैसर्स राहुल कुमार गुप्ता, निवासी- 15/74-75, खाक चाट, सिविल लाइन, बाह्मगांव, कानपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 10/4, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
4	मैसर्स श्री कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री शत्रुलेन्द्र सिंह सेंगर, निवासी- 129/10, सिविल लाइन तहसील व जनपद- झांसी	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 18/1, ग्राम- सहुरापुर, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
5	मैसर्स कामतानाथ इण्टरप्राइजेज प्रा.लि. द्वारा श्री राजेश कुमार गांगुली, निवासी- 02, गंधानीनगर, नियर अग्नि मोटर्स, जे.के. रोड, भोपाल, म.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 19/5, ग्राम- टीकापुर, तहसील- गौदहा, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- गौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
6	मैसर्स कन्हैया लाल एण्ड संस द्वारा श्री उमेश चन्द्र बंसल, निवासी- म.नं.- 08, नियर राधा कृष्ण टेम्पल, तहसील पोरसा, जिला मुरैना, म.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 19/4, ग्राम- टीकापुर, तहसील- गौदहा, जनपद- हमीरपुर।	19.254 हैक्टेअर	तहसील- गौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
7	मैसर्स यादव एण्ड संस द्वारा श्री अवधेश कुमार, निवासी- ची-1/135, सेक्टर- एल, एस.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/12, ग्राम- बेडी खरका, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	9.995 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
8	मैसर्स दिशा इण्टरप्राइजेज द्वारा श्री मो. अशफाक, निवासी- 28/46, द्वितीय तल, खटीजाबाई बिल्डिंग, टैंक एसी (वी.के. मार्ग) छोटी मस्जिद, नागपाड़ा, मुम्बई सेन्ट्रल, महाराष्ट्र।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/14, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
9	मैसर्स सत्यम कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री सत्यम गुप्ता, निवासी- 944, सिविल लाइन, झांसी, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/9, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
10	मैसर्स खनुराहो माइनर्स एसोसिएटी द्वारा श्री यशपाल सिंह परमार, निवासी- 08 कि.मी., पहाड़, दाहरी, छतरपुर, म.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/18, ग्राम- चिकासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	32.44 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित- एस.ओ. 3067 (ई) दिनांक 01.12.2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालय में उपलब्ध है।

1- जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद- हमीरपुर।
2- महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, हमीरपुर।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला पंचायत, हमीरपुर।
6- क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल, सेक्टर- एच अलीगंज, लखनऊ।

अतः समस्त सर्वसाधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/ मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर प्रेषित कर सकते हैं।

पत्रांक- 567/प्रै.वि./लोक सु./2018, दिनांक- 01.09.18

क्षेत्रीय अधिकारी

IENS
WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, SEPTEMBER 3, 2018

'2+2' TALKS

Will go ahead with S-400 deal with Russia, India to tell US

PRESS TRUST OF INDIA
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

INDIA IS expected to convey to the US during the upcoming "two-plus-two" talks that it is going ahead with the Rs 40,000 crore deal with Russia to procure 5 batch of S-400 Triumf air defence missile systems, notwithstanding the American sanctions on military transactions with Moscow, official sources said on Sunday.

They said India is likely to seek a waiver from the Trump administration for the mega deal, citing its strategic interest for the missile system in the wake of the evolving regional security environment as well as considering its close defence ties with Russia.

"India has already concluded the S-400 missile deal with Russia, and we are going ahead with it. Our position on the issue will be conveyed to the US," said a high-level official source.

The US has imposed military sanctions against Russia under the stringent CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) law for its annexation of Crimea as well as alleged meddling in the American presidential election in 2016.

CAATSA mandates the Donald Trump administration to punish countries and companies engaging in significant transaction with the defence or intelligence establishment of Russia.

Randall Schriver, the Pentagon's senior official handling issues relating to Asia, said on Thursday that the US cannot guarantee that India will be exempted from sanctions if it purchases weapons and defence systems from Russia.

The US has been indicating that it does not want India to finalise the deal with Russia.

A new US defence legislation authorises President Donald Trump to exempt countries from the military sanctions.

The first edition of the much-awaited 2+2 dialogue on strategic affairs between the US and India will take place here on September 6 (Thursday) which a range of bilateral, regional and global issues of mutual interest will be discussed.

Under the new framework finalised last year, External Affairs Minister Sushma Swaraj and Defence Minister Nirmala Sitharaman will hold talks with Secretary of State Mike R Pompeo and Secretary of Defence James Mattis from the US.

The sources said India will push for a waiver from the US for the missile deal with Russia, as the air defence system was critical for its security perspective.

They said there was no possibility of Russia and India arrowsing the deal before the annual summit between Prime Minister Modi and Russian President Vladimir Putin in October.

There has been mounting concern in India over the US sanctions against Russian defence majors including Rosoboronexport, as billions of dollars of military purchases may be impacted because of the punitive measures. India wants to procure the long-range missile systems to tighten its air defence net-the reason, particularly along the north with China. Apart from the S-400, India is also known as Russia's most advanced long-range surface-to-air missile defence system.

China was the first foreign buyer to get a taste of its missile-to-spy-aircraft deal with Russia in 2004 to procure the initial missile systems and Moscow has already started delivery of components needed for the $5-billion missile system, sources said.

The S-400 is an upgraded version of the S-300 systems. The missile system, manufactured by Almaz-Antey, has been in service in Russia since 2007.

Shah to inaugurate second leg of Raman's yatra on Sept 5

DIPANKAR GHOSE
RAIPUR, SEPTEMBER 2

WITH ASSEMBLY elections drawing closer, Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh is set to launch the second phase of his state-wide Vikas Yatra from September 5. BJP president Amit Shah will be inaugurating it. The first phase of the yatra was held in May. It covered a distance of close to 5,000 km, according to the BJP.

The chief minister said the yatra would be called the Atal Vikas Yatra and would cover close to 8,500 km across the state. He said Shah will launch the yatra from Dongargarh, a town of religious significance in Chhattisgarh. The yatra will conclude on October 5.

Singh also said that Prime Minister Narendra Modi would join the yatra on September 22, when he visits Janjgir-Champa district.

The yatra has drawn criticism from the opposition, which has said that it is drawing money from the taxpayer for what is a purely political purpose. The Chief Minister also said that in the run-up to the elections, the state government would begin a consultative exercise to prepare a vision document, also named after late former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, for a "New Chhattisgarh 2025".

"This will be done before the model code of conduct comes into force. We will reach out to everyone to ask for suggestions on how this state can grow into a New Chhattisgarh by 2025," he said.

Hardik with HAM(S) leader Jitan Ram Manjhi. Express Photo

Four Maoists killed in Chhattisgarh encounter

EXPRESS NEWS SERVICE
RAIPUR, SEPTEMBER 2

FOUR MAOISTS were killed in an encounter in Narayanpur district of Chhattisgarh, police said on Sunday. Officials said the encounter took place in the Abhujhmad jungles near Gumiyabeda village. DM Awasthi, Spl SP (Ops, Anti-Naxal Operations), told *The Indian Express*, "Four Maoists, including two senior cadres, have been killed in the encounter. There was a specific intelligence input. Weapons such as an INSAS have been recovered as well," he said.

A police official said the encounter took place in the Abhujhmad jungles near Gumiyabeda village. DM Awasthi, Spl SP (Ops, Anti-Naxal Operations), told *The Indian Express*, "Four Maoists, including two senior cadres, have been killed in the encounter. There was a specific intelligence input. Weapons such as an INSAS have been recovered as well," he said.

A press note issued by the Narayanpur police said they received information on the movement of members of the Bastar area committee, Abujhmad Local Operations Squad and platoon 5 Local Operations Squad under village, which comes under the Kohkameta police station limits.

"The area is a stronghold of Maoists known for more than one and a half decade for the exchange of fire called four bodies were found in the area, the statement said.

While one of the killed Maoists was identified as Somlu, an alleged member of the Bastar Area Committee, the other, a woman cadre, was identified as Rani, the commander of the platoon 5 Local Operation Squad.

Hardik releases 'will' on day 9 of hunger strike

EXPRESS NEWS SERVICE
GANDHINAGAR, SEPTEMBER 2

PATIDAR QUOTA leader Hardik Patel, who has been on an indefinite hunger strike for the last nine days, on Sunday made his legal will public. In the will, according to his aide, Hardik has set aside a part of his money for families of 14 Patidar youths who died during the 2015 quota agitation. He has also pledged his eyes for donation after his death.

Hardik has been fasting at his Ahmedabad residence since August 25 demanding reservation for Patels in employment jobs, education and an farm loan waiver.

Making his will public, his aide and Patidar Anamat Andolan Samiti (PAAS) leader Manoj Panara said Hardik's health was deteriorating rapidly. "His pressure is low in the next 24 to 48 hours, he won't be in a condition to speak or walk. So, he has declared his will," Panara told *The Indian Express*.

A doctor from a government hospital who visited Hardik on Sunday said he has advised the 25-year-old leader to get admitted to a hospital. "His urine and blood pressure is normal, but he has refused to heed our advice. PTI

As per his will, Hardik has Rs 50,000 in his account. He has declared Rs 20,000 to his parents and the rest as a donation to a cancer-stricken Dalit activist Vitangam. He has declared that money from a life insurance policy, a car and royalty of a book on him be divided in three parts. He has declared that 33 per cent of this should go to his parents, 15 per cent to his sister and the remaining to family members of 14 Patidar youths who died during the quota agitation in 2015.

'Open to contesting LS polls, but party will take call'

SANTOSH SINGH
PATNA, SEPTEMBER 2

Kanhaiya Kumar

FORMER JNU Students' Union president and the CPI's youth wing leader Kanhaiya Kumar has said he was open to contesting the 2019 Lok Sabha election. He, however, added that his party will take a call on it by following due process. He said the immediate focus in front of a "united front" was to ensure secure the anti-

running who would contest polls.

Kanhaiya said he was open to working with BJP and Congress and that he had been meeting youth leaders from across the country to get to know its youth leadership.

He told *The Indian Express*, "I have already said that I have faith in parliamentary democracy. I am open to contesting polls but it is something that has to be decided by my party. We have a system in place of district committee, sending names, the state committee looking into them and the central committee taking a decision."

He did not elaborate on his choice of constituency. "Discussing such issues is more important than

Hardik releases 'will' on day 9 of hunger strike

whether I will contest polls or not. My party and others have to discuss such things. There has to be united front first," he said.

Kanhaiya said he had been trying to get close to youth leaders. "I have met Gujarat leaders Hardik Patel and Jignesh Mevani...I also visited Maharashtra last month. I am going to Bengaluru to attend the first death anniversary function of Journalist Gauri Lankesh. I will be back in Begusarai then."

Delhi, Odisha yet to join PMJAY, their AIIMS seek clarity on treating patients under scheme

ABANTIKA GHOSH
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

WHILE ALL AIIMS in the country will have to be a part of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), the All India Institutes of Medical Sciences of Delhi and Bhubaneswar are uniquely placed—their home states are yet to join the scheme.

Both the apex government institutes will have to enter a memorandum of understanding with National Health Agency for listing patients under PMJAY. However, this would mean that no more of needy patients from outside the state will be reimbursed under PMJAY — a programme providing annual health cover of Rs 5 lakh for 10 crore families.

While 40-50 per cent patients in AIIMS Delhi are from outside the state, for AIIMS Bhubaneswar the figure is about 20 per cent. AIIMS Bhubaneswar has already sent a query to Union health ministry on where logistics of the programme.

Odisha has also started its own Biju Swasthya Kalyan Yojana that will provide Rs 5 lakh on an individual's cover to 70 per cent of the state's population.

Odisha AIIMS Director Dr Giasuddin said, "About 20 per cent of our patients are from neighbouring states. We had sent a query to the health ministry to know the logistics. We will certainly join the programme, but our situation is not unique. It is the same for AIIMS Delhi."

Earlier this week, when Health Minister JP Nadda met the officials of PMJAY here, he had said that all government hospitals would be "deemed to be empanelled". The issue of non-participation of the state in a scheme meant just for states (with a small allocation for other central government hospitals in Delhi, including Lady Hardinge Medical College, RML and Safdarjung.

According to Director Dr Randeep Guleria, AIIMS Delhi has already taken an "in-principle" decision to be a part of PMJAY. "About 40-50 per cent of our patients are from outside the state. We are going through the MoU. We will obviously sign it and continue to provide care to patients from outside the city until they will be there to be the same. Different packages to offer under PMJAY," Dr Guleria added.

For AIIMS and AIIMS-like institutes and other government hospitals, however, PMJAY has become a financial blessing. All of them are heavily subsidised and staff salaries are paid by the government. So it is possible that they can only recover profits from the PMJAY package because according to the empanelment guidelines, hospitals that are able to complete procedures at lower cost can still keep the full stock of the payment.

"The idea is still not to build an insurance. A PMJAY beneficiary who comes to the hospital will have to wait his turn along with other patients, he cannot jump the queue just because he is a PMJAY beneficiary. There are also other concerns—like we do not do normal deliveries only complicated ones. That cannot change. We would like a situation where general ones to do and will of packages to offer under PMJAY," Dr Guleria added.

"The State will have to build a healthcare ecosystem. A PMJAY beneficiary who comes to the hospital will have to wait his turn along with other patients, he cannot jump the queue just because he is a PMJAY beneficiary. There are also other concerns—like we do not do normal deliveries only complicated ones. That cannot change. We would like a situation where general ones to do and will of packages to offer under PMJAY," Dr Guleria added.

अमर उजाला jobAlert

IIT : निःशुल्क करें आवेदन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर

- कुल पद : 10
- पदों का विवरण : कुशियर एग्जीक्यूटिव, सुरक्षा असिस्टेंट इत्यादि।
- शैक्षणिक योग्यता : स्नातक।
- आवेदन शुल्क : निःशुल्क

- आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष
- आवेदन प्रक्रिया: निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर सभी संबंधित दस्तावेजों को 'रजिस्ट्रार दुतं जोधपुर, स्कायर्ड-III, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर- 342302, पश्चिम बंगाल' के पते भेजें।
- अंतिम तिथि: 14 सितंबर, 2018

NIPHM: कृषि क्षेत्र में अवसर

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट

- कुल पद : 07
- पदों का विवरण : असिस्टेंट डायरेक्टर, रजिस्ट्रार डिविजन वगैरह इत्यादि।
- शैक्षणिक योग्यता : स्नातकोत्तर
- पदनाम की अंतिम तिथि: 29 सितंबर, 2018

- आयु सीमा : असिस्टेंट 27/ 35/ 45 / 55 वर्ष (पदनुसार)
- आवेदन शुल्क: अलग पदों के लिए निःशुल्क
- आवेदन प्रक्रिया: संबंधित वेबसाइट से आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्णरूप से भरे हुए आवेदन पत्र को सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ निर्धारित पते पर भेजें।
- पताचार का पता: रजिस्ट्रार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, एचईआर, हैदराबाद- 500030

व्यापम ने जारी की विज्ञप्ति

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल

- पदों का विवरण : सीनियर प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, सिस्टम ई- गवर्नेंस एनालिस्ट इत्यादि।
- शैक्षणिक योग्यता : पदों के अनुसार अलग निर्धारित
- आयु सीमा : 18 - 40 वर्ष*
- आवेदन शुल्क : सब पोस्ट के SC/ST/OBC/PH वर्ग के लिए - 250 रुपये और अन्य वर्ग के लिए- 500 रुपये
- चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा।

150 कुल पद

- आवेदन प्रक्रिया : एमपीपीईबी वेबसाइट से निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्णरूप से भरे आवेदन पत्र को अपने स्थायी पते के पते पर भेजें।
- अंतिम तिथि: 15 सितंबर, 2018

ICHR: सदस्य सचिव का पद खाली

- संस्था: भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद
- पद संख्या: 01
- पद का विवरण : सदस्य सचिव
- शैक्षणिक योग्यता : संस्थान के नियमानुसार निर्धारित
- आयु सीमा : अधिकतम आयु 35 वर्ष
- आवेदन शुल्क: फीस के नियमानुसार
- अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2018
- आवेदन प्रक्रिया: संबंधित वेबसाइट पर दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को नीचे बताए दस्तावेजों के साथ संलग्न करके अंतिम तिथि से पहले सामान्य डाक से पते पर भेज दें।
- पताचार का पता: सेक्रेटरी, आईसीएचआर, 35, फिरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली- 110001
- वेबसाइट: http://ichr.ac.in/

बजट गोल, कैसे हॉकी करेगी कामयाबी के गोल

हरदोई को राज्य स्तरीय स्पर्धा तक पहुंचाने वालों की राह में रोड़ा

अनुराग मिश्रा

हरदोई। पन्ना लिंगेर से ब्लाकवासी में शुरू हो रही उत्तर क्षत्रीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता के लिए चयनित जिले की हॉकी टीम का अभ्यास जैसे-तैसे किया जाना है। खण्डीय शिक्षा विभाग के हाथ खाई कर दिए हैं। खण्डीय शिक्षा विभाग के इस रवैये से जिले और मंडल स्तर के खिलाड़ियों को घर कार्य राज्य स्तरीय स्पर्धा में जाने वाले प्रतिभाओं को मायूस कर दिया है। साथ ही खेलो इंडिया जैसे सरकार के अभियान को भी ठिकरे जाने तक पहुँचा कर दिया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक जैसे दुबे का कहना है कि टीम को खेलने की जिम्मेदारी मंडल स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित करने वाले जनपद के डीआईओएस की होती है। अगर लखीमपुर के डीआईओएस ने टीम भेजने का प्रबंध नहीं किया है तो संबंधित विद्यालय को खेल निधि का इसमेमाल कर टीम को प्रतियोगिता के लिए भेजने का सकता है। खेलभारत को कंसिला को आपत्ति कि टीम को जानकारी भेजा जा सके।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ी। अमर उजाला

आजकर डेटर कॉलेज के खेल शिक्षक शशांक नारायण सिंगरी बताते हैं कि डीआईओएस की जिम्मेदारी है कि टीम को भेजें।

डीआईओएस और उनके मातहतों की लापरवाही के चलते खिलाड़ियों का मनोबल गिर रहा है। विद्यालय के प्रबंधन को अलग नहीं पड़ता है, लेकिन प्रबंधकार्य के संज्ञान में नकारा है।

जिला क्रीड़ा समिति के सचिव अशोक त्रिवेदी ने बताया कि विद्यालय की खेल निधि में पर्याप्त धन है। इस धन से टीम को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग के लिए भेजने जाने की बात प्रधानाचार्य से हुई थी। इसके बाद क्या हुआ संज्ञान में नहीं है।

खिलाड़ियों के इस संघर्ष से जहां चयनित हॉकी टीम के राज्य स्तरीय मुकाबले में हिस्सेदारी की संभावना अनिश्चितता में घिर गई है, वहीं चयनित बालक हरदोई जिले को राज्य स्तरीय मुकाबले के मुकाबला तक लाने वाले खिलाड़ी संघर्ष राह तक हताशा-हताश भटकते नजर आए।

चयनित खिलाड़ी

विवेक वर्मा, निखिल सिंह, विवेक मिश्रा, सुबराज कुशवा, अंकुल वर्मा, सुमित श्रीवास्तव, अमीर मलहरा, दानिश मुस्तफा, अंकुल गुप्ता, गोविन्दा अग्रवाल, सौरभ पैंथम, नवीन कुमार, मुस्तफीन सिंह, रवीश कुमार, अमीर पाली और कौशल सिंह।

कब क्या हुआ

- पैनल द्वारा प्रतियोगिता की तिथि घोषित करने पर आयोजन 01 से 13 अगस्त को हुई।
- इसमें जीते गोल ने 23 अगस्त को होना (सस्पेन्स) में 31 अगस्त को संशोधित सूचनाओं में विलम्बित की।
- अंतिम मुकाबला जीतने के बाद इस टीम को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 4 सितंबर को चयनकर्ता पहुंचना है।

टेबल टेनिस में सुदिति और सेंट मेरी स्कूल विजेता

ट्रॉफियां पाने के बाद टेबल टेनिस प्रतियोगिता के विजेता व उपविजेता।

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। इंडी प्वाइंट एकेडमी में रविवार को इंटरा सहारा शुरू की ओर से टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि एडीजीपी एन प्रकाश और न सीनी निवास अग्रवाल ने किया। इसमें सुदिति मोहिल व सेंट मेरी स्कूल विजेता बना।

प्रतियोगिता में पुलिस मॉडर्न स्कूल, जयंती स्कूल, सेंट पीटर स्कूल, सेंट मेरी स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ला मिलेनियम, फ्रांसिस सिद्दा की स्कूल, एरगड़ा मेमोरियल, बदायन कॉलेज, सुदिति मोहिल एकेडमी सहित अन्य स्कूलों की 16 टीमों ने भाग लिया। इस में सुदिति एकेडमी विजेता व फ्रांसिस सिद्दा की स्कूल उपविजेता रहा। खास बात ये सेंट मेरी इंटर कॉलेज की दोनों विजेता व सेंट पीटर स्कूल की टीम उपविजेता रही। पीसीएचआरए अध्यक्ष चंदू पांडेय व सीओ ने विजेता व उपविजेता टीम-लाकारों को ट्रॉफियां व इनाम-पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पवन चतुर्वेदी, अरुण मेहरोत्री, दीपक पांडेय, दीपक सिंह चौहान, प्रवेश दुबे, अनुराग दीक्षित, अंकित श्रीवास्तव, आशुतोष कुमार, आशीष श्रीवास्तव, सुदीप श्रीवास्तव, अंकित का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन पीएम वर्मा व निशि सिंह चहल ने किया।

सहोदय ग्रुप ने दो वर्गों में प्रतियोगिता का किया आयोजन

लिट्टा जी स्कूल उपस्थित रहा। खास बात ये सेंट मेरी इंटर कॉलेज की दोनों विजेता व सेंट पीटर स्कूल की टीम उपविजेता रही। पीसीएचआरए अध्यक्ष चंदू पांडेय व सीओ ने विजेता व उपविजेता टीम-लाकारों को ट्रॉफियां व इनाम-पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पवन चतुर्वेदी, अरुण मेहरोत्री, दीपक पांडेय, दीपक सिंह चौहान, प्रवेश दुबे, अनुराग दीक्षित, अंकित श्रीवास्तव, आशुतोष कुमार, आशीष श्रीवास्तव, सुदीप श्रीवास्तव, अंकित का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन पीएम वर्मा व निशि सिंह चहल ने किया।

SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

NOTICE INVITING E-TENDER (NIT)

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences (SGPGIMS) has more than 1000 beds (and the number of beds are likely to be increased in future). Lucknow and invites e-tender in two parts (Technical Bid and Financial Bid) for the following services of the Institute.

1- E-tender for Outsourcing of Hospital Laundry Services.

2- E-tender for Empanelment of Travel Agents.

The bidders, who have submitted their bids and EMD against NIT/Advt. No. 123/Comtroller/2018-19/01 need not to submit EMD again. However, may are required to submit the bids as a fresh because few conditions have been changed.

E-tender in the required format is available on the website "www.etender.up.nic.in" from 04.09.2018 to 18.09.2018. In addition, this NIT shall also be available for information only on the website of the institute "www.sgpgi.ac.in".

Advt. No. 123/Comtroller/2018-19 (illegible)/18

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, भीतरपुर

पत्रांक: पी./15937-38/2018-19 दिनांक: 31.08.2018

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या: 1267/69-5-2018 दिनांक 18.08.2018 शिक्षा अनुभाग-5, लखित, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय के पत्रांक: बे.शि.प./7243-7597/ 2018-19 दिनांक 29.08.2018 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की गई हैं। अधोलिखित रिक्ति गोपनीय में उल्लेखे 41556 पद खण्ड जनपद भीतरपुर को नवसृजित 783 अध्यापिका की नियुक्ति हेतु दिनांक 01.09.2018 से 03.09.2018 तक काउन्सलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से अर्ह/रिक्त रहित, दिव्यांग पुरुष एवं महिला सहित अभ्यर्थियों के विधिवत नियत्रण हेतु दिनांक 03.09.2018 को ही उनकी दिन स्वर 5.00 बजे आवेदित किया जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान ट्रेनिंग सेंटर में ब्लाइंसिलिंग का आयोजन किया जायेगा। उक्त वर्ग के सफल अभ्यर्थी अपनी पहचान से संबंधित कोई मूल प्रमाण पत्र एवं मूलपत्र में दर्ज उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति साथ में लाना सुनिश्चित करें। दिनांक 03.09.2018 को नियुक्ति विकल्प काउन्सिलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को सिटर के चयनय से नियुक्ति आवंटित कर दिया जायेगा। नियमानुसार पूर्णतः उपस्थित अभ्यर्थी का क्रोध और चार में इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(अजय कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
भीतरपुर

आज का ब्रांड

ई-कचरे जलाना एवं/अथवा प्रसंस्करण से पैदा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए आवेदन करने योग्य है। इस पर्व के दिन लिखित परीक्षाएं, फास करने के पश्चात साक्षात्कार होगा है।

विस्तार हेतु www.sailahra.com की पहले कार्यालय जॉबटी से सूची निरीक्षण कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय : ए-39, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बाँदा

पत्रांक : 568/यू.पी.सी./लोक सु./2018 दिनांक : 01.09.18

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव पर पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के स्तर प्रस्तुत किये गये है।

क्र. सं.	प्रस्तावक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	प्रोजेक्ट	स्थान	दिनांक व समय
1	मैसर्स जे.के. एंड. माईनिंग कंपनियंस प्रा. लि. द्वारा श्री अब कुमार सिंह निवासी नई कॉलोनी, कलेक्ट्रेट, जिला-कलेक्ट्रेट, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट	खण्ड सं-23/27, ग्राम-बेरी, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	24.291 हैक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
2	मैसर्स एन इनोवा इंफ्रास्ट्रा प्रा. लि. द्वारा श्री संतोष कुमार सचान, निवासी-प्लॉट नं-146, फ्लैट नं-202-बी, पैनेक्स टॉप अपार्टमेंट, रावतपारा चक, कानपुर नगर।	सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट	खण्ड सं-10/3, ग्राम-बेरी, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	20.242 हैक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
3	मैसर्स संदुल कुमार दुबे, निवासी 15/74-73, मकान नगर, विनिता लखड़ा, नवलगंज, कानपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट	खण्ड सं-10/4, ग्राम-बेरी, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
4	पैसर्स के कमलकान्त द्वारा श्री अनुज्ञेय मिश्र सैना, निवासी-128/10, विनिता लखड़ा, तहसील व जनपद-झांसी।	सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट	खण्ड सं-18/1, ग्राम-महुपुरा, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
5	मैसर्स कमलकान्त एग्रोमाइनेल्स प्रा. लि. द्वारा श्री राकेश कुमार पांडुरे, निवासी-02, मालवे नगर, जिला अजित मोहरी, जे.के. रोड, भोपाल, म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट	खण्ड सं-19/5, ग्राम-रोजपुरा, तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेयर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
6	पैसर्स कमीला रमा इण्डस्ट्रीज संस द्वारा श्री अमित कुमार अग्रवाल, निवासी मार्ग-06 सिंधु राम कुशवा टेम्पल, तहसील मौदहा, जिला हमीरपुर, म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट	खण्ड सं-19/4, ग्राम-रोजपुरा, तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	19.254 हैक्टेयर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
7	पैसर्स पवन इण्ड सेल द्वारा श्री अवधेश कुमार, निवासी-बी-1/135, सेक्टर-एल, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट	खण्ड सं-23/12, ग्राम-मेढी खास, तहसील-राठौरा, जनपद-हमीरपुर।	9.095 हैक्टेयर	तहसील-मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 03.10.18
8	पैसर्स विनय इण्डस्ट्रीज देव द्वारा श्री के. अतरकर, निवासी-28/46, विनोद नगर, सर्वोदयपुरम सिविल, टैक एवेन्यू (श्रीजी. पास) जेली फॉरेस्ट, नागपुर, दुल्हा सेक्टर, नागपुर।	सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट	खण्ड सं-23/14, ग्राम-सिलारी, तहसील-राठौरा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेयर	तहसील-राठौरा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 03.10.18
9	पैसर्स सत्यम कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री सतन गुप्त, निवासी-940, विनिता लखड़ा, झांसी, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट	खण्ड सं-24/9, ग्राम-बिलाई, तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हैक्टेयर	तहसील-मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 03.10.18
10	मैसर्स जयदुर्गा ट्रेडर्स एजेन्सी द्वारा श्री सतपाल सिंह यादव, निवासी-08 कि.मी., सरस दादी, जयपुर मध्य।	सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट	खण्ड सं-24/18, ग्राम-सिलारी, तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	32.44 हैक्टेयर	तहसील-मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18

मेसर्स द्वारा पर्यावरण, वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14-09-2006 एवं संशोधित - एस.ओ. 3067 (ई), दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित चर्चित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध हैं।

1. जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद-हमीरपुर।
2. मंडल प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा।
4. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी.सी.-1 ब्लॉ., विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. कार्यालय जिला पंचायत, हमीरपुर।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पंचम तल, सैक्टर-एच., अलीगंज, लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के विश्लेषण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियाँ आदि लिखित रूप से प्रबन्धक को तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते है।

DIKA/2018/0001218

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा
U. P. POLLUTION CONTROL BOARD
Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

पत्रांक संख्या 718/मे॰ मातृ एन्ड सन्स/लो॰ सुन॰/18 दिनांक 8/10/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स मातृ एण्ड सन्स खण्ड संख्या–23/12 ग्राम–बेदी खरका तहसील–सरीला जिला–हमीरपुर में क्षेत्रफल 0.365 है0 में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे हेतु प्राप्त खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर दिनांक 05.10.2018 को तहसील–सरीला जनपद–हमीरपुर में आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 25505/सी–2/एन्वायरो–4382/बाँदा/2018 दिनांक 30.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित खण्ड/मौरम खनिज परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई स्थल तहसील–सरीला जनपद–हमीरपुर में दिनांक 05.10.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि मुख्य पर्यावरण अधिकारी (मुख्य–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

7623

खण्ड संख्या– 23/12, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स यादव एण्ड संस द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 9.995 हे0, ग्राम–भेडी खरका , तहसील– सरीला, जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारक की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 05.10.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स यादव एण्ड संस के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 25505/सी–2/एनओसी–4302/बांदा/18 दिनांक 30.08.2018, जो कि जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पर जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा दिनांक 05.10.2018 को तहसील– सरीला, जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 03.09.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र सं0– 532/55–पर्या–2–2018–103 (पर्या)/2007 दिनांक 23.04.2018, पर्यावरण अनापत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को पत्र सं0– 1133/एम0/21(पर्या)/2011(II) दिनांक 07.08.2018 के अनुसार एक तहसील के क्षेत्रों पर तहसील मुख्यालय में समेंकित सुनवाई को कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

आज दिनांक 05.10.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील सरीला परिसर, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री जीतेन्द्र सिंह, खान निरीक्षक, हमीरपुर।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जनसमुदाय को अवगत कराया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे खण्ड संख्या– 23/12, ग्राम– भेडी खरका, तहसील– सरीला, जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना

7624

प्राविधानित है। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड बॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है सम्बन्धित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है। इस विषय में संदर्भित टर्म्स ऑफ रिफरेन्श/ई0आई0ए0/ई0एम0पी0 (ड्राफ्ट) को फील्ड मानीटरिंग आख्यायें 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध करा दी जायेगी।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति/सुझाव दर्ज नही कराये गयें।

तत्पश्चात् सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टेधारक को आमंत्रित किया गया।

7625

पट्टेधारक योगेन्द्र सिंह द्वारा अध्यक्ष महोदय व ग्रामवासियों को अवगत कराया गया कि सी0ई0आर0 के अंतर्गत ग्राम विकास हेतु कार्य किया जायेगा। जैसे– चिकित्सक, विद्यालय, सडक मरम्मत, सोलर लाइट, ग्रामीणों के शौचालय एवं परियोजना में प्रस्तावित सी0ई0आर0 के अतंर्गत सभी मानको को पूरा किया जायेगा एवं शासन द्वारा दिये गये निर्देशो का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्रामवासियों को शिकायत/सुझाव के लिये आमंत्रित किया गया तथा शासन के नियमों का अनुपालन करें तथा जो भी कार्य करे उसको नियमता करें। पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाये, खनन कार्य दिन में ही किया जायें । प्राथमिक तौर पर ग्रामविकास हेतु शौचालय, चिकित्सा, वृक्षारोपण, विद्यालय की मरम्मत, सड़क की मरम्मत, सड़क का रखरखाव तथा वृक्षो का रोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाये जिससे वृक्ष को आप 05 वर्ष तक सुरक्षित रख सकें। पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि प्लास्टिक उ0प्र0 सरकार द्वारा पूर्णतया प्रतिबन्धित है अतः खनन क्षेत्र पर प्लास्टिक का प्रयोग न करे क्योकि इससे जलधारा प्रदूषित होती है तथा जलीय जीवों को नुकसान होता है।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

05/X/18

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

5-10-18

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

7626

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम सं० - 15/33 दिनांक 14-09-2006 यथासंशोधित के अनुपालन में सादल खण्ड संस अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पुत्र श्री बाबूराम नि० निवासी - बी-1/135, सेक्टर-एल, एल० डी० ए० कालोनी, कानपुर रोड लखनऊ, उ० प्र० द्वारा साधारण बालू/गौरम खनन हेतु प्रस्तावित परियोजना स्थल खण्ड सं० - 23/12 ग्राम-खेड़ा खरका, तहसील-ट जिला - हमीरपुर हेतु तहसील-सरीला सभागार जनपद-हमीरपुर आयोजित दिनांक 05/10/2018 को लोक सुनवाई के सम्बन्ध उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं ग्राम वासियों की उपस्थि का विवरण-

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम/गाँव	मो० न०	हस्ता
1-	श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव	ADM, हमीरपुर	94-544-17604	
2-	डा० माधवी कमलवंशी	ASO, UPPCB, Jhansi		
3-	रंजन करन वर्मा	SA, UPPCB, Banda	7839891918	
4-	श्री जितेन्द्र सिंह	खान निरीक्षक, हमीरपुर	8707869521	
5-	" लक्ष्मण सिंह	तहसीलदार, सरीला, हमीरपुर		
6				
6.	B.S.S Negi (EIA) Co-ordination	ENVIRO INFRA (I) PVT. Ltd	9454890694	
	Mayank Pushkar (FAA)	"	8604590422	
	Rishabh Verma	"	8948100101	
	Anilkumar panchal	vill-and post chikui	09531759 01	
	Shyamkaran.		9794019691	
	Jashvant	" "	9936905822	
	Shailendra.	" "	9559626059	

7627

[illegible]		9839394161	
अश्वनी यादव	सरीला		
Arshad Khan	लखनऊ	8881111030	
[illegible]			
Gyanendra Singh	[illegible]	8115612781	
[illegible]	[illegible]	8009993546	
देवप्रसाद [illegible]	[illegible]	7457[illegible]453	
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	7880355438	
[illegible]	[illegible]	7518199250	

159
7628

बजट गोल, कैसे हॉकी करेगी कामयाबी के गोल

हरदोई को राज्य स्तरीय स्पर्धा तक पहुंचाने वालों की राह में रोड़ा

अमर्पण मिश्रा

हरदोई। भत्ता नियमावली से जारी होने में शुरू हो रही राज्य स्तरीय पेहल हॉकी प्रतियोगिता के लिए चयनित जिले की हॉकी टीम का सपना अधूरा रहने के लिए विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। खेलविभाग जिला विभाग के इस रवैये से जिले और मंडल स्तर के मुकाबलों को पार करके राज्य स्तरीय स्पर्धा में जगह बनाने वाले खिलाड़ियों को झटका दिया है। साथ ही खेलों अधिक जैसे अधिकारियों को झटका दिया है।

जिला विद्यालय निरीक्षक वीरेंद्र दुबे का कहना है कि टीम को भेजने की जिम्मेदारी मंडल स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित कराने वाले जनपद के डीआईओएस की होती है। अगर साधीपुर के डीआईओएस ने टीम भेजने का प्रबंध नहीं किया है तो संबंधित विद्यालय की खेल निधि का इस्तेमाल कर टीम को प्रतिभाग के लिए भेजा जा सकता है। सोनवा को कोशिश की जाएगी कि टीम को नाउम्मीद भेजा जा सके।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ी। फोटो: अमर उजाला

व्यायाम इंटर कॉलेज के खेल शिक्षक प्रयाग नारायण तिवारी बताते हैं कि डीआईओएस की जिम्मेदारी है कि टीम को भेजें।

डीआईओएस और उनके सहायकों की उदासीनता के चलते खिलाड़ियों का मनोबल टूट रहा है। विद्यालय के प्रबंधक को अपना नहीं खाया है, लेकिन उपनिदेशक के संज्ञान में प्रकरण है।

जिला ओलंपिक संघों के सचिव अशोक त्रिपाठी ने बताया कि विद्यालय की खेल निधि का इस्तेमाल कर टीम को प्रतिभाग के लिए भेजा जा सकता है। सोनवा को कोशिश की जाएगी कि टीम को नाउम्मीद भेजा जा सके।

चयनित खिलाड़ी

विकास पाल, निखिल गौड़, मनोज सिंह, अमरजीत कुमार, अवधेश वर्मा, अंशुल श्रीवास्तव, अंकित अहलावत, विशिष्ठ कुमार, अभय कुमार, अंकुलेश्वर अंसारी, गौरव चौधरी, मोहित कुमार, दुलारेदीन सिंह, नवीन कुमार, अनीस पवार्ड और अंकित गिरी।

कब क्या हुआ

- जिला हॉकी प्रतियोगिता की जिला स्तरीय टीमों का चयन 13 अगस्त को हुआ।
- इसमें चौथी टीम के 21 खिलाड़ी को चुना (सर्वश्रेष्ठ) में 12 अगस्त को मंडलीय मुकाबले में शिरकत की।
- मंडलीय मुकाबला जीतने के बाद इस टीम को राज्य स्तरीय मुकाबले के लिए 4 सितंबर को लखनऊ पहुंचना है।

टेबल टेनिस में सुदिति और सेंट मेरी स्कूल विजेता

सहोदया ग्रुप की टेबल टेनिस प्रतियोगिता के विजेता व उपविजेता

लाभ उठाएं खुले

सहोदया ग्रुप ने दो वर्गों में प्रतियोगिता का किया आयोजन

भारथना। होली चाइल्ड एजेंसी ने रविवार को इंटरक सहोदया ग्रुप खेले और से टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीएम गंज इफ्तार नौर्व व खीमे निवास अध्यक्षता ने किया। इसमें सुदिति भोटका व सेंट मेरी स्कूल विजेता बना।

प्रतियोगिता में यूरो.का मॉडर्न स्कूल, जयेंदी स्कूल, सेंट पीटर स्कूल, सेंट मेरी स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सर विवेकानंद, सर्वश्रेष्ठ सिंहा जी स्कूल, ग्लोरस पैब्लोनल, नारायण कॉलेज, सुदिति सरनम एकेडमी सहित अन्य स्कूलों की 16 टीमों ने भाग लिया। खेल वर्ग में सुदिति सरनम एकेडमी निर्मला व फार्वर सिंहा जी स्कूल इफ्तीजेल रहा। खेल वर्ग में सेंट मेरी ईंटर कॉलेज की टीम विजेता व सेंट पीटर स्कूल की टीम उपविजेता रही। प्रधानाचार्य प्रदीप राइ फोरेन व सेंसी ने विजेता व उपविजेता खेल-खाड़ाओं को प्रतीक चिह्न व इनाम-पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पावन चतुर्वेदी, अक्षय खंडेलवाल, दीपक खटर, दीपक सिंह चौहान, प्रमोद दुबे, अनुराग दीक्षित, अंशिता श्रीवास्तव, अक्षितेश कुमार बाजपेयी, केशुर पालगण, सुमीत श्रीवास्तव आदि का सहयोग रहा। आयोजन का संचालन दीपक वर्मा व विजेंद्र सिंह यादव ने किया।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय : ए-39, आवास विकास कालोनी, सिविल रोड, बांदा

पत्रांक : 568/के.नि./लोक सु./2018 | दिनांक : 01.09.18

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/लौरम माईनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाकलन से पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।

क्र. सं.	प्रस्तावक का नाम	प्रोजेक्ट का प्रकार	परियोजना स्थान का पता	क्षेत्रफल	समय	दिनांक व स्थान
1	मैसर्स जे.के. एस. माइनिंग कॉर्पोरेशन प्रा. लि. द्वारा श्री जय कुमार शाह सिंघानी- पत्नी श्रीमती, फतेहपुर, जिला-फतेहपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/लौरम माइनिंग व क्रीसेनिंग	खसरा सं.-33/27, ग्राम-पेंदी, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	24.291 हैक्टेयर	सामान्य सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
2	मैसर्स जय प्रकाश इंफ्राटेक्ट प्रा. लि. द्वारा श्री परमेश कुमार सचान, निवासी-मकान नं.-540, फ्लैट नं.-202-बी, गोपाल ग्रीन अपार्टमेंट, लखनऊ नगर, लखनऊ नगर।	सैण्ड/लौरम माइनिंग परियोजना	खसरा सं.-10/03, ग्राम-पेंदी, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	10.242 हैक्टेयर	सामान्य सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
3	मैसर्स राहुल कुमार गुप्ता, निवासी-15/74-78, गांधी पार्क, विक्रम लॉज, कटरा, मथुरा, उ.प्र.।	सैण्ड/लौरम माइनिंग परियोजना	खसरा सं.-10/4, ग्राम-पेंदी, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	14.437 हैक्टेयर	सामान्य सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
4	मैसर्स श्री भैरवधाम इंफ्राटेक प्रा. लि. द्वारा श्री अनुरोध सिंह बोरा, निवासी-129/10, सिविल लाइन, रायबरेली व जनपद-प्रयोग।	सैण्ड/लौरम माइनिंग परियोजना	खसरा सं.-18/1, ग्राम-मदुपुरा, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	14.437 हैक्टेयर	सामान्य सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
5	मैसर्स गायत्रीधाम इंफ्राटेक्चर्स प्रा. लि. द्वारा श्री राकेश कुमार पोद्दार, निवासी-03, भगवती नगर, निकट अमित मोटर्स, रे.के. रोड, भोपाल, म.प्र.।	सैण्ड/लौरम माइनिंग परियोजना	खसरा सं.-19/3, ग्राम-दौरापुर, खारीला-भौरहा, जनपद-हमीरपुर।	14.437 हैक्टेयर	खारीला-भौरहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
6	मैसर्स कजरिया स्टार एण्ड इस्पात प्रा. लि. द्वारा श्री उमेश चन्द्र कजरिया, निवासी वार्ड-08 जिला एवं मुख्य टेक्सस, अकोला पेपर, जिला मुरैना, म.प्र.।	सैण्ड/लौरम माइनिंग परियोजना	खसरा सं.-19/4, ग्राम-दौरापुर, खारीला-भौरहा, जनपद-हमीरपुर।	19.254 हैक्टेयर	खारीला-भौरहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 04.10.18
7	मैसर्स जगदम्बा एण्ड संस द्वारा श्री जगदीश कुमार, निवासी-बी-1/135, रोकाल एरा, एच.डी.ए. कालोनी, बलगुवां रोड, सतनवा, उ.प्र.।	सैण्ड/लौरम माइनिंग परियोजना	खसरा सं.-23/12, ग्राम-भौरी खास, खारीला पूर्वांश, जनपद-हमीरपुर।	9.995 हैक्टेयर	खारीला-सरौंहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
8	मैसर्स जिया इन्फ्राप्रोजेक्ट द्वारा श्री मो. जावेद, निवासी-29/16, द्वितीय तल, सर्वोदयनगर सिविल, टेक एवेन्यू (मो.के. पार्क) छोटी चौराहा, चकघट्टा, मुरादाबाद रोड, चकघट्टा।	सैण्ड/लौरम माइनिंग परियोजना	खसरा सं.-23/14, ग्राम-बिसण्डी, खारीला-सरौंहा, जनपद-हमीरपुर।	14.437 हैक्टेयर	खारीला-सरौंहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
9	मैसर्स ललिता कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री माधव गुप्त, निवासी-044, विवेकानंद रोड, झांसी, उ.प्र.।	सैण्ड/लौरम माइनिंग परियोजना	खसरा सं.-14/9, ग्राम-बिसण्डी, खारीला-सरौंहा, जनपद-हमीरपुर।	14.437 हैक्टेयर	खारीला-सरौंहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18
10	मैसर्स अंजुमनी निर्माण कम्पनी द्वारा श्री रामकृष्ण सिंह परार, निवासी-08 बिजौ., बाग पोखरी, उरवाहुर, म.प्र.।	सैण्ड/लौरम माइनिंग परियोजना	खसरा सं.-24/18, ग्राम-बिसण्डी, खारीला-भौरहा, जनपद-हमीरपुर।	32.44 हैक्टेयर	खारीला-सरौंहा परिसर, जनपद-हमीरपुर।	दिनांक- 05.10.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14-09-2006 तथा संशोधित - एस.ओ. 3067 (ई), दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई प्रभावित क्षेत्रों में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1. जिलाधिकारी, कार्यालय कलक्ट-हमीरपुर।
2. पंचा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, हमीरपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, सिविल रोड, बांदा।
4. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी.सी.-12 पी., विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. कार्यालय जिला पंचायत, हमीरपुर।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

अतः समस्त सर्व सहायारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/लौरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते हैं।

DKA2018000012 18

क्षेत्रीय अधिकारी

अमर उजाला Job Alert

IIT : निःशुल्क करें आवेदन

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

- कुल पद : 70
- पदों का विवरण : जूनियर एनीमेन्ट्रिस, फ्रेशर असिस्टेंट इत्यादि।
- शैक्षणिक योग्यता : स्नातकोत्तर
- आवेदन शुल्क: निःशुल्क

www.iitkgp.ac.in

- आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष
- आवेदन प्रक्रिया: निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर सभी वांछित दस्तावेजों को 'सहायक कुलसचिव, सामान्य-III, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर- 721302, पश्चिम बंगाल' के पते भेजें।
- अंतिम तिथि: 14 सितंबर, 2018

NIPHM: कृषि क्षेत्र में अवसर

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट

- कुल पद : 07
- पदों का विवरण : असिस्टेंट कार्यालय, स्टेनो, ड्राइवर, फार्म हाथरी।
- शैक्षणिक योग्यता : मैट्रिकुलेट
- पदवार की अंतिम तिथि: 29 सितंबर, 2018

http://niphm.gov.in

- उम्र सीमा : असिस्टेंट 27/ 35/ 45 / 53 वर्ष (पदानुसार)
- आवेदन शुल्क: सभी वर्गों के लिए निःशुल्क
- आवेदन प्रक्रिया: संबंधित वेबसाइट से आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्णतया से भरे हुए आवेदन पत्र को सभी वांछित दस्तावेजों के स्वप्रमाणित स्वरूप के साथ निर्धारित पते पर भेजें।
- पत्राचार का पता: डीडायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, राजेंद्रनगर, हैदराबाद- 500030

व्यापम ने जारी की विज्ञप्ति

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल

150 कुल पद

- पदों का विवरण : वरिष्ठ प्रशिक्षक, प्रशिक्षक, जिला ई- गवर्नेंस प्रबंधक इत्यादि।
- शैक्षणिक योग्यता : पदों के अनुसार अलग-अलग निर्धारित
- आयु सीमा : 18 - 40 वर्ष
- आवेदन शुल्क : सामान्य प्रदेश के SC/ST/OBC/PH वर्ग के लिए - 250 रुपये और अन्य वर्ग के लिए- 500 रुपये
- चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
- आवेदन प्रक्रिया : संबंधित वेबसाइट पर दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्णतया से भरे हुए आवेदन पत्र को सभी वांछित दस्तावेजों के स्वप्रमाणित स्वरूप के साथ निर्धारित पते पर भेजें। अपने स्थानीय कार्यालय में अंतिम तिथि से पहले भेज दें।
- अंतिम तिथि: 15 सितंबर, 2018

http://peb.mp.gov.in

ICHR: सदस्य सचिव का पद खाली

- कहां: भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद
- पद संख्या: 01
- पद का विवरण : सदस्य सचिव
- शैक्षणिक योग्यता : संबंधित के निर्धारानुसार निर्धारित
- आयु सीमा : अधिकतम आयु 35 वर्ष
- आवेदन शुल्क: शुल्क के निर्धारानुसार
- अंतिम तिथि: 30 सितंबर, 2018
- आवेदन प्रक्रिया: संबंधित वेबसाइट पर दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप को डाउनलोड कर भरें। पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र को सभी वांछित दस्तावेजों के स्वप्रमाणित स्वरूप सहित अंतिम तिथि से पहले संस्थान के पते पर भेज दें।
- पत्राचार का पता: ICHR, आईसीएचआर, 35, फिरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली- 110001
- वेबसाइट: http://ichr.ac.in

मैं चीर जन रहा हूं। मुझे लोहे पहनाए जाने के लिए क्या कारण बताएंगे? - हरिवंशराय बच्चन

आज : लोहे पहनाए जाने के लिए लोहे जैसा ठोस व मजबूत शरीर से किसे एक टैंक (मिलर, टर्क, मर्सीडीज, फोर्डट्रैक्टर, टाटा ट्रक, मारुति, हीरोहोंडा, बुलेट बैकेंडर, हीरोमोटर एवं इंडा के डोमेस्टिक सैक्टिक, इंजनहाट सैक्टिक, मशीनरी, मैकेनिक (दीजाए)। प्रयोग ने ब्लैकहैड्स होने कारणपर

है। इसमें आयरन एक्सीडेंट्स होता है जिसके कारण ब्लैकहैड्स होते हैं। इसे ब्लैकहैड्स, ब्लैकपोर्स, ब्लैकहैड्स के डिस्टेंट्स स्वरूप में ही जाना जाता है। इन पर्दे के लिए विशेषज्ञ सलाह, पता करने के पश्चात जानकारी होता है।

आज का सवाल

Click करें www.jobsinamar.com और पाएं सरकारी नौकरी से जुड़ी नवीनतम जानकारियां

NOTICE INVITING E-TENDER (NIT)

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, (SGPGIMS) has more than 1000 beds (and the number of beds are likely to be increased to 21 future), Lucknow and invites e-tender in two parts (Technical Bid and Financial Bid) for the following services of the Institute.

1- E-tender for Outsourcing of Hospital Laundry Services.

2- E-tender for Empanelment of Travel Agents.

The tenders, who have submitted their bids and EMD against NIT/Advt. No. IEA/Contract/2018-19/01 need not to submit EMD again. However, they are required to submit the bids as a fresh because few conditions have been changed.

E-tender in this regard shall be available on the website "www.sgpgimc.up.nic.in" from 04.09.2018 to 19.09.2018. In addition, the NIT also be available for information only on the website of the Institute "www.sgpgi.ac.in".

Advt. No.: IEA/Contract/2018-19 संख्या-1/1(10)

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर

पत्रांक. पी./15937-38/2018-19 दिनांक: 31.08.2018

निविदा

सीतापुर सं. 1267/09-5-2018 दिनांक 18.08.2018 शिक्षा अनुभाग-5, सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद लखनऊ के पत्रांक सं.वि.प./2263-7507/ 2018-19 दिनांक 14.08.2018 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उ.प्र. बोर्ड्स जिला पंचिम द्वारा संचालित परियोजन प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नयी भर्ती हेतु आयोजित रिक्ति पदों में उत्तीर्ण 41556 के सापेक्ष जनपद सीतापुर को आवंटित 765 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु दिनांक 01.09.2018 से 03.09.2018 तक काउंसिलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में से अर्ह विभाग सहित, दिव्यांग पुरुष एवं समस्त महिला अभ्यर्थियों के विद्यालय नियुक्त पत्रांक हेतु दिनांक 03.09.2018 को ही उसी दिन सायं 5.00 बजे जनपदीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर में कार्यालीस पर उपलब्ध किया जायेगा। कक्षा वर्ग के समस्त अभ्यर्थी अपने पहचान से संबंधित कोई फोटो युक्त पहचान पत्र मूलरूप में एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति साथ में लाना सुनिश्चित करें। दिनांक 03.09.2018 को नियुक्त नियत्र कार्यालीस में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को बोला के माध्यम से नियुक्त आवंटित जन दिए जायेगा। नियमानुसार उल्लेखित अभ्यर्थी का शेष और कार्य में इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(अजय कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सीतापुर

दूरभाष नं.- 05192-220048

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

7629

क्षेत्रीय कार्यालयः ए-39, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद- हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/ मौरम माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोक सुनवाई के सम्बन्ध में पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1	मैसर्स जे.के. एस. माइनिंग सर्विसेस प्रा.लि. द्वारा श्री ललित कुमार सिंह निकरी- गढ़ी मलैया, फतेहपुर, जिला- फतेहपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/27, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	24.291 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
2	मैसर्स न्यू प्रबीर इंफ्राहाइट प्रा.लि. द्वारा श्री संतोष कुमार खन्धन, निवासी- प्लॉट नं. 540, फ्लैट नं. 202-बी, गोपाला ग्रीन अपार्टमेंट, रतनलाल नगर, कानपुर नगर।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 10/33, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	20.242 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
3	मैसर्स राहुल कुमार गुप्ता, निवासी- 15/74-75, खत्री घाट, सिविल लाइन, बड़ागांव, कानपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 10/4, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
4	मैसर्स श्री जंक्शन द्वारा डी अतुलेन्द्र सिंह सेंगर, निवासी- 129/10, सिविल लाइन तहसील व जनपद- झांसी	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 18/1, ग्राम- सहापुर, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
5	मैसर्स कामतानाथ इण्टरप्राइजेज प्रा.लि. द्वारा श्री राजेश कुमार गोंगुली, निवासी- 02, भवानीनगर, विनय अमित मोटर्स, जे.के. रोड, भोपाल, म.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 19/5, ग्राम- टीकापुर, तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
6	मैसर्स कन्हैया लाल एण्ड संस द्वारा श्री उमेश चन्द्र खरवल, निवासी- म.नं.- 08, निमय राधा कृष्णा टेम्पल, तहसील पारगा, जिला पूर्णिया, म.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 19/4, ग्राम- टीकापुर, तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर।	19.254 हैक्टेअर	तहसील- मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 04.10.18
7	मैसर्स यादव एण्ड संस द्वारा श्री अवधेश कुमार, निवासी- बी-1/135, सेक्टर- एल, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/32, ग्राम- भेडी खरका, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	9.995 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
8	मैसर्स हिंदा इण्टरप्राइजेज द्वारा श्री मो. अशफाक, निवासी- 28/46, द्वितीय तल, खटीजाबाई बिल्डिंग, टेक एसटी (बी.के. मार्ग) छोटी मस्जिद, नागापाड़ा, मुम्बई सेन्ट्रल, महाराष्ट्र।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/14, ग्राम- चिकारी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
9	मैसर्स सत्यम कंस्ट्रक्शन द्वारा श्री सत्यम गुप्ता, निवासी- 944, सिविल लाइन, झांसी, उ.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/9, ग्राम- चिकारी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	36.437 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18
10	मैसर्स खजुराहो मिनरेल्स एसएलपी द्वारा श्री यशपाल सिंह परमार, निवासी- 06 कि.मी., सागर, दादरी, छतरपुर, म.प्र.।	सैण्ड/ मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 24/18, ग्राम- चिकारी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	32.44 हैक्टेअर	तहसील- सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 05.10.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित- एस.ओ. 3067 (ई) दिनांक 01.12.2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से संबंधित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालय में उपलब्ध हैं।

1- जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद- हमीरपुर।
2- मार प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, हमीरपुर।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला पंचायत, हमीरपुर।
6- क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल, सेक्टर- एच अलीगंज, लखनऊ।

अतः समस्त सर्वसाधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/ मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निराकरण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर प्रेषित कर सकते हैं।

पत्रांक- 567/प्रै.वि./लोक सु./2018, दिनांक- 01.09.18

क्षेत्रीय अधिकारी

THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, SEPTEMBER 3, 2018 | WWW.INDIANEXPRESS.COM

2+2 TALKS

Will go ahead with S-400 deal with Russia, India to tell US

PRESS TRUST OF INDIA
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

INDIA IS expected to convey to the US during the upcoming two-plus-two talks that it is going ahead with the Rs 40,000 crore deal with Russia to procure a batch of S-400 Triumf air defence missile systems, notwithstanding the American sanctions on military transactions with Moscow, official sources said on Sunday.

They said India is likely to seek a waiver from the Trump administration for the mega deal, citing its requirement for the missile system in the wake of the evolving regional security architecture as well as considerations to close defence ties with Russia.

"India has almost concluded the S-400 missile deal with Russia and we are going ahead with it. Our position on the issue will be conveyed to the US," said a high-level official source.

The US has imposed military sanctions against Russia under the stringent CAATSA (Countering American Adversaries Through Sanctions Act) law for its annexation of Crimea as well as alleged meddling in the American presidential election in 2016.

CAATSA mandates the Donald Trump administration to punish countries and countries engaging in significant transaction with the defence sector of the Government establishment of Russia.

Randall Schriver, the Pentagon's assistant secretary of defence handling issues relating to Asia, said on Thursday that the US can only guarantee that India will be exempted from sanctions if it purchases weapons and defence systems from Russia.

The US has been indicating that it does not want India to finalise the deal with Russia.

As new Sanctions legislation authorises President Donald Trump to impose sanctions from the military sanctions.

The US is an important military equipment supplier to India and the two countries have been conducting joint military exercises in the Indian Ocean region.

The first edition of the much-awaited 2+2 dialogue on strategic affairs between the US and India will take place here on September 6 during which a range of bilateral, regional and global issues of mutual interest will be discussed.

Under the new framework finalised last year, External Affairs Minister Sushma Swaraj and Defence Minister Nirmala Sitharaman will hold talks with Secretary of State Mike R Pompeo and Secretary of Defence James Mattis from the US.

The sources said India will push for a waiver from the US for the missile deal with Russia, as the air defence system was critical for its security perspectives.

They said there was a possibility of Russia and India announcing the deal before the annual summit between Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin in October.

There has been mounting concern in India over the US sanctions against Russia in the form of waivers to countries including Russian defence majors, including Rosoboronexport, as billions of dollars of military purchases may be impacted because of the punitive measures. India wants to procure the long-range missile systems to tighten its air defence mechanism, particularly along the nearly 4,000-km-long Sino-India border. S-400 is known as Russia's most-advanced long-range surface-to-air missile defence system.

China was the first foreign buyer to seal a government-to-government deal with Russia in 2014 to procure the lethal missile systems and Moscow has already started delivery of unknown number of the S-400 missiles systems to Beijing.

The S-400 is an upgraded version of the S-300 system. The missile system, manufactured by Almaz-Antey, has been in service in Russia since 2007.

Shah to inaugurate second leg of Raman's yatra on Sept 5

DIPANKAR GHOSE
RAIPUR, SEPTEMBER 2

WITH ASSEMBLY elections drawing closer, Chhattisgarh Chief Minister Raman Singh is set to launch the second phase of his state-wide Vikas Yatra from September 5. BJP president Amit Shah will be inaugurating it. The first phase of the yatra was held in May. It covered a distance of close to 5,000 km, according to the BJP.

The chief minister said the yatra would be called the Atal Vikas Yatra and would cover close to 5,000 km across the state. He said Shah will launch the yatra from Dongargarh, a town of religious significance in Chhattisgarh. The yatra will conclude on October 5.

Singh also said that Prime Minister Narendra Modi would join the yatra on September 22, when he visits Janjgir-Champa district.

The yatra has drawn criticism from the opposition, which has said that it is drawing money from the taxpayer, for what is a purely political purpose. The Chief Minister also said that in the run-up to the elections, the state government would begin a consultative exercise to prepare a vision document, also named after him for the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, for a "New Chhattisgarh 2025".

"This will be done before the model code of conduct comes into force. We will reach out to everyone to ask for suggestions on how the state can grow into a New Chhattisgarh by 2025," he said.

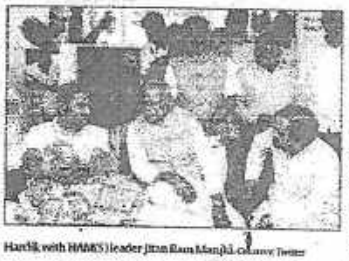

Hardik with HAMS leader Jitan Ram Manjhi. Courtesy Twitter

Four Maoists killed in Chhattisgarh encounter

EXPRESS NEWS SERVICE
RAIPUR, SEPTEMBER 2

FOUR MAOISTS were killed in an encounter in Narayanpur district of Chhattisgarh, police said on Sunday. Officials said the encounter was carried out by the District Reserve Guard and a Special Task Force of Narayanpur district police based on specific intelligence inputs.

A senior police official said the encounter took place in the Abhujhmad jungles near Gumiyabeda village. D M Awasthy, Special DG, Anti-Naxal Operations, told *The Indian Express*, "Four Maoists, including two senior cadres, have been killed in the encounter. There were a specific intelligence input. We pressed each on-duty DRG team reserved as well," he said.

A press note issued by the Narayanpur police said they got information on presence of armed cadres of the Maoist outfit's Bastar Local Operation Squad and Jharra Local Organisation Squad in the village, which is common area for the Abhujhmar police station limits.

The statement said that after the latter entered the area, there was an exchange of fire and four bodies were found in the search operations. Two of the bodies remain unidentified, it said.

While one of the killed Maoists was identified as Sunith, an alleged member of the Nelnar Area Committee, the other, a woman cadre, was identified as Rani, the commander of the Jharra Local Operation Squad.

Hardik releases 'will' on day 9 of hunger strike

EXPRESS NEWS SERVICE
GANDHINAGAR, SEPTEMBER 2

PATIDAR QUOTA leader Hardik Patel, who has been on an indefinite hunger strike for the last nine days, on Sunday made his legal will public. In the will, according to his aide, Hardik has set aside a part of his money for families of 14 Patidar youths who died during the 2015 quota agitation. He has also pledged his eyes for donation after his death.

Hardik has been fasting at his Ahmedabad residence since August 25 demanding reservation for Patidars in government jobs, education and as farm loan waiver.

Making his will public, his aide and Patidar Anamat Andolan Samiti (PAAS) leader Manoj Panara said Hardik's health was deteriorating rapidly. "It is possible that in the next 24 to 48 hours, he won't be in a condition to speak or walk. So, he has declared his will," Panara told *The Indian Express*.

A doctor from a government hospital who visited Hardik on Sunday said he has advised the 25-year-old leader to get admitted to a hospital. "His urine and blood pressure is normal, but he has refused blood and urine tests," PTI quoted the doctor as saying.

As per his will, Hardik has Rs 50,000 in his account. He has declared Rs 29,000 to his parents and the rest as a donation to a cattle shelter in his native Viramgam. He has declared that money from a life insurance policy, a car and royalty of a book on him be divided in three parts. He has declared that 15 per cent of this should go to his parents, 15 per cent to his sister and the remaining to family members of 14 Patidar youths who died during the quota agitation in 2015.

'Open to contesting LS polls, but party will take call'

SANTOSH SINGH
PATNA, SEPTEMBER 2

FORMER JNU Students' Union president and the CPI youth wing leader Kanhaiya Kumar has said he was open to contesting the 2019 Lok Sabha election. He, however, added that his party will take a call on it by following due process. He said the immediate focus is part of a "united front" with more important issues.

Kanhaiya Kumar

cussing who would contest polls.

He said he was open to working with JD and Congress and that he had been meeting youth leaders from across the country to galvanise youth leadership.

He told *The Indian Express*, "I have already said that I have faith in parliamentary democracy. I am open to contesting polls but it is unwriting that has to be decided by my party. We have a platform in place of district committee sending names, the state committee looking into them and the central committee taking a decision."

He did not elaborate on his choice of constituency. "Discussing such issues is more important than whether I will contest polls or not. My party and its allies have to discuss such things. There has to be united front first," he said.

Kanhaiya said he had been to Hyderabad to see youth leaders "I have met Gujarat leaders Hardik Patel and Jignesh Mevani... I also visited Maharashtra last month, but going to Hyderabad to attend the first death anniversary function of journalist Gauri Lankesh, I will be back in September-last."

Delhi, Odisha yet to join PMJAY, their AIIMS seek clarity on treating patients under scheme

ABANTIKA GHOSH
NEW DELHI, SEPTEMBER 2

WHILE ALL AIIMS in the country will have to be a part of Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), the All India Institutes of Medical Sciences of Delhi and Bhubaneswar are uniquely placed — their boards are yet to join the scheme.

But the apex government institutes will have to sign a memorandum of understanding with National Health Agency for taking patients under PMJAY. However, they would retain their treatment of only patients from outside the state will be reimbursed under PMJAY — a pan-Indian scheme providing annual health cover of Rs 5 lakh for 10.74 crore families.

While 40-50 per cent patients in AIIMS Delhi are from outside the state, for AIIMS Bhubaneswar the figure is about 20 per cent. AIIMS Bhubaneswar has already sent a query to Union health ministry about aspects of the programme.

Odisha has also started its own flagship Swasthya Kalyan Yojana that will provide Rs 5 lakh medical health cover to 70 per cent of the state's population.

Odisha AIIMS Director Dr Gitanjali said: "About 20 per cent of our patients are coming from other states. We had sent a query to the health ministry to know the logistics. We will certainly join the programme, but our situation is not unique. It is the same for AIIMS Delhi."

Earlier this week, when Health Minister J P Nadda unveiled the PMJAY logo, he had said that all government hospitals would be "deemed to be empanelled". The issue of non-participation of the states sticking point not just for AIIMS Delhi but also for other central government hospitals in Delhi, including Lady Hardinge Medical College, RML and Safdarjung.

According to Director Dr Randeep Guleria, AIIMS Delhi has already taken an "in-principle" decision to be a part of PMJAY. "About 40-50 per cent of our patients are from outside the state. We are going through the MoU. We will obviously sign it and continue to provide care to patients from outside the city and from within but there has to be a unique path for our concerns."

The institute has sought clarification from the government on reimbursements. For example, if a person from Maharashtra, which has agreed to join the scheme, is treated in AIIMS Delhi, will the payment come from the state or National Health Agency.

There are two other issues for AIIMS Delhi: the long waiting lists in some departments, as Nadda has said the insurance does not do away procedures such as cervical deliveries.

"The MoU will have to spell out the nuances. A PMJAY beneficiary who comes to the hospital will have to wait his turn along with other patients, he cannot jump the queue because he is a PMJAY beneficiary. These are all other concerns — like we are not demonstrable doctors, only complicated ones. That cannot change. We should be able to decide what procedures to do and what packages to offer under PMJAY," Dr Guleria added.

For AIIMS and AIIMS-like institutes and other government hospitals, however, PMJAY has come as a financial blessing. All of them are heavily subsidised and staff salaries are paid by the government. So it is possible that they can make some profit from the PMJAY package because according to the programme guidelines, hospitals that are able to complete group A or lower cost can still keep the full package payment.

7630

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 675/जोन सुनवाई/18 दिनांक: 27/9/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय-- मैसर्स पहलवान ट्रेडर्स के पक्ष में स्वीकृत खंड संख्या–23/7 क्षेत्रफल–12.145 हे0 (194304 घन मी0/वर्ष) ग्राम–भेडी खरका, तहसील–सरीला, जनपद–हमीरपुर में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 24700/सी–2/एनओसी–4276/18 दिनांक 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई प्रस्तावित खनन स्थल तहसील–सरीला सभागार, जनपद–हमीरपुर में दिनांक 19.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

7631

खण्ड संख्या– 23/7, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स पहलवान ट्रेडर्स द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 12.145 हे0 ग्राम–भेड़ी खरका, तहसील– सरीला, जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारक की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 19.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स पहलवान ट्रेडर्स के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या– एच 24700/सी–2/एनओसी –4276/बांदा/18 दिनांक 10.08.2018 जो जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 19.09.2018 को तहसील– सरीला व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र ''दैनिक जागरण'' के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र ''दि इण्डियन एक्सप्रेस'' के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक 19.09.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील सरीला सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री कमलेश कुमार राय, खान अधिकारी, हमीरपुर।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे खण्ड संख्या– 23/7, ग्राम– भेड़ी खरका, तहसील– सरीला, जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त

अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है परन्तु इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है तथा परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है जिसकी एक–एक प्रति उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर, जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर एवं जिला पंचायत हमीरपुर के कार्यालयों में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड बॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी

किया जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल पर ढोकर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है इसलिए अभी तक खनन पट्टे का संचालन लम्बित पडी हुई है तथा सम्बन्धित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु ग्रामवासियों द्वारा कोई प्रश्न नही किया गया। तत्पश्चात् जिला खान अधिकारी को उक्त खनन कार्य हेतु ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये आमंत्रित किया गया। स्वागत करते हुये उक्त परियोजना में जब भी खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तब वाहनों के आवागमन हेतु सड़क मार्ग की मरम्मत व रखरखाव, सड़क के किनारे, प्रस्तावित स्थल या प्रस्तावित स्थल के निकटतक अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, गाटा सं0 के निकटतम खेतो पर बारी को नुकसान न पहुचाना एवं बारी का नियमावली में यह प्राविधान है कि जो भी पट्टेधारक है यदि किसी कारण काश्तकार का खनन कार्य की वजह से नुकसान होता है तो उसका मुआवजा देना होगा अथवा उसको प्रतिकर दिया जायेगा यदि आपसी सुलह से समाधान नही निकलता है तो शासन द्वारा उक्त समस्या का निराकरण किया जायेगा। वाहन चलाने से यदि सडक मार्ग क्षतिग्रस्त होता है तो डिस्ट्रिक मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट के नियमावली है कि खनिज की रायल्टी का 10 प्रतिशत पट्टेधारक द्वारा खनिज निधि में जमा कराया जायेगा तथा खनन क्षेत्र में कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जायेगी। हैण्डपम्प, (पेयजल) सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु सभी पट्टेधारको को पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य है। अतः आप सभी स्थानीय ग्रामवासी शासन को जिलाधिकारी , ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान एवं शासन को अपने प्रस्ताव दे ताकि ग्राम विकास का कार्य किया जा सकें। पट्टेधारक द्वारा खनन क्षेत्र में खाने पीने के सामान हेतु प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट का निस्तारण सुचारू रूप से किया जायें, प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न न किया जाये प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण नगर निगम, हमीरपुर द्वारा किया जायेगा।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन 7634 के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव बनाये गये है उनकी मई और दिसम्बर में अनुपालन आख्या व DEIAA, SEIAA द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में दी गयी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों का पूर्णतया पालन किया जाता है यदि अनुपालन आख्या नही भेजी जाती है तो अनापत्ति अस्वीकृत किये जाने का प्राविधान है।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी द्वारा पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि अनुपालन आख्या समय समय पर भेजी जायेगी व सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया जायेगा एवं पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जायेगा, सड़क की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य भी आवश्यकतानुसार किया जायेगा। खनन स्थल पर पालीथीन का उपयोग नही किया जायेगा क्योकि वर्तमान समय में यह प्रकरण अतिसंवेदनशील है। अतएव इसका इस्तेमाल कदापि न करें। सड़क के किनारें एवं खनन क्षेत्र अथवा ग्राम के निकटतम क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें। नियम व शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जायें।

अन्त में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को सुझाव दिया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें एवं ढुलाई के समय बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर लाना है, इसी के साथ उपस्थित जनसमुदाय का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

रुकमाखुर्द के लिए शुरू हुई रोडवेज बस सेवा

तिरंगा फहरा वीरों को किया याद

धूमधाम से मना स्वतंत्रता [illegible] जिलाधिकारी ने किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान

पूर्वजों की कुर्बानी याद [illegible] आजादी का पर्व

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

[illegible]

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स- कमीटीपुर में निम्न अन्यों एवं मात्रों में निम्न सूची के अनुसार डीजल/गैसीय ईंधनों के प्रयोग पर लोक सुनवाई के सम्बन्ध में पर्यावरणीय प्रावधानों से पर्यावरणीय स्वीकृति उपबन्धित प्रकाश उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	संचार	दिनांक व समय
1	मैसर्स सी0एल0 सी0, कमीटीपुर, जिलाधी- कु. डिविजनपुर, कुमायाऊ, जिला- मऊबेल, उ.प्र.।	डीजल/गैसीय आधारित परियोजना	खस0 सं.- 77/8, ग्राम- खलगवा, तहसील व जनपद- इलीचपुर	12.145 हेक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद- इलीचपुर	दिनांक- 18.09.18
2	मैसर्स विमल इण्डस्ट्रीज़कॉर्प द्वारा की विमल लवण, जिलाधी- लालीकोलीर खंड, तहसील व जनपद- इलीचपुर	डीजल/गैसीय आधारित परियोजना	ग्राम- पलोरा, तहसील व जनपद- इलीचपुर	36.437 हेक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद- इलीचपुर	दिनांक- 18.09.18
3	मैसर्स उमा ट्रेडर्स द्वारा की विनोद सिंह, जिलाधी- पलोरा खस0 नं.35, पलोरा, उ.प्र.।	डीजल/गैसीय आधारित परियोजना	खस0 सं.- 9/3, ग्राम- पलोरा, तहसील व जनपद- इलीचपुर	36.7000 हेक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद- इलीचपुर	दिनांक- 19.09.18
4	मैसर्स कृष्णा सर्फेक्टेन्ट एण्ड विनायक द्वारा की विजय पाराशरी, जिलाधी- डी-7, एफ0आई0ई0 441 प्रदेश सर्फेक्टेन्ट, कुंडुज 587020, नगर, कोपबाद, म.प्र.।	डीजल/गैसीय आधारित परियोजना	खस0 सं.- 11/4, ग्राम- उमेरी, तहसील व जनपद- इलीचपुर	17.000 हेक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद- इलीचपुर	दि0नं0- 19.09.18
5	मैसर्स जय मोहनेका ट्रेडर्स द्वारा की पूर्णिमा पाण्डा जिलाधी ग्राम- सिंहपुर, डरीकलाट, जिला- कान्तीवट, उ.प्र.।	डीजल/गैसीय आधारित परियोजना	खस0 सं.- 16/36, ग्राम- बेती, तहसील व जनपद- इलीचपुर	36.44 हेक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद- इलीचपुर	दिनांक- 19.09.18
6	मैसर्स मालती इण्डस्ट्रीज़कॉर्प द्वारा की मालीक कुमार पन्थी, जिलाधी- म.सं.-0771, जिलाधी खण्ड-6, मोतीकोलाट, आजाद, उ.प्र.।	डीजल/गैसीय आधारित परियोजना	खस0 सं.- 23/30, ग्राम- सेती खरार, तहसील- डरीवल जनपद- इलीचपुर	12.145 हेक्टेयर	तहसील डरीवल परिसर, जनपद- इलीचपुर	दिनांक- 19.09.18
7	मैसर्स अरोड़ुकिलाम्, जिलाधी- के अनुपम, जनपदपुर, जिला- जौनपा, उ.प्र.।	डीजल/गैसीय आधारित परियोजना	खस0 सं.- 22/14, ग्राम- कमला धतरिया, तहसील- अरिल, जनपद- इलीचपुर	24.291 हेक्टेयर	तहसील डरीवल परिसर, जनपद- इलीचपुर	दिनांक- 19.09.18
8	मैसर्स [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible] द्वारा [illegible] जिलाधी- [illegible], म.सं.-8, जिला पलार, जनपदपुर, उ.प्र.।	डीजल/गैसीय आधारित परियोजना	ग्राम- जिलाधी, तहसील- डरीवल, जनपद- इलीचपुर	36.437 हेक्टेयर	तहसील डरीवल परिसर, जनपद- इलीचपुर	दिनांक- 19.09.18
10	[illegible] द्वारा [illegible] जिला, [illegible] म.सं.- ग्राम 04, [illegible] जनपदपुर, जिला [illegible] उ.प्र.।	डीजल/गैसीय आधारित परियोजना	खस0 सं.- 26/7, ग्राम- खोजारी, तहसील- डरीवल, जनपद- इलीचपुर	36.437 हेक्टेयर	तहसील डरीवल परिसर, जनपद- इलीचपुर	दिनांक- 19.09.18
11	[illegible] द्वारा [illegible] जिलाधी- [illegible] म.सं.- 101, ग्राम- [illegible], [illegible]	डीजल/गैसीय आधारित परियोजना	खस0 सं.- 36/3, ग्राम- खलगवी, तहसील- डरीवल, जनपद- इलीचपुर	24.294 हेक्टेयर	तहसील डरीवल परिसर, जनपद- इलीचपुर	दिनांक- 19.09.18
12	[illegible] जिलाधी- [illegible] म.सं.- [illegible], [illegible]	डीजल/गैसीय आधारित परियोजना	खस0 सं.- 23/10, ग्राम- सेती खरार, तहसील- डरीवल, जनपद- इलीचपुर	12.145 हेक्टेयर	तहसील डरीवल परिसर, जनपद- इलीचपुर	दिनांक- 19.09.18
13	मैसर्स श्री [illegible] द्वारा की [illegible] जिलाधी- [illegible] म.सं.- [illegible], [illegible]	डीजल/गैसीय आधारित परियोजना	खस0 सं.- 23/13, ग्राम- सेती खरार, तहसील- डरीवल, जनपद- इलीचपुर	12.145 हेक्टेयर	तहसील डरीवल परिसर, जनपद- इलीचपुर	दिनांक- 19.09.18
14	मैसर्स [illegible] द्वारा की [illegible] जिलाधी- म.सं.- ग्राम 00, [illegible] जनपदपुर, जिला [illegible] उ.प्र.।	[illegible]	खस0 सं.- 21/16, ग्राम- [illegible], तहसील- डरीवल, जनपद- इलीचपुर	24.291 हेक्टेयर	तहसील डरीवल परिसर, जनपद- इलीचपुर	दिनांक- 19.09.18
15	मैसर्स [illegible] द्वारा की [illegible] जिलाधी- म.सं.- 32, [illegible] [illegible], [illegible]	[illegible]	खस0 सं.- 36/1, ग्राम- [illegible], तहसील- [illegible]	36.437 हेक्टेयर	तहसील [illegible] परिसर, जनपद- इलीचपुर	दिनांक- 20.09.18
16	मैसर्स [illegible] द्वारा की [illegible] जिलाधी- [illegible], [illegible] म.सं.- [illegible]	[illegible]	[illegible]	36.437 हेक्टेयर	तहसील [illegible] परिसर, जनपद- इलीचपुर	दिनांक- 20.09.18
17	मैसर्स [illegible] द्वारा की [illegible] जिलाधी- म.सं.-10 [illegible], [illegible]	[illegible]	[illegible]	36.44 हेक्टेयर	तहसील [illegible] परिसर, जनपद- इलीचपुर	दिनांक- 20.09.18
18	मैसर्स [illegible] द्वारा [illegible] जिलाधी- [illegible] [illegible], [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	तहसील [illegible] परिसर, जनपद- इलीचपुर	दिनांक- 20.09.18
19	मैसर्स [illegible] द्वारा की [illegible] जिलाधी- [illegible] [illegible], [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	तहसील [illegible] परिसर, जनपद- इलीचपुर	दिनांक- 20.09.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन संरक्षण, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- एस.ओ. 1533 दिनांक-14.09.2006 तथा संशोधित- एस.ओ. 1037 (ई) दि.12.2006 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित अंकित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु व्यवस्था की प्रस्तुत, विवरण, दीवार एवं विज्ञप्तियां आदि आयोजित किये जाये हैं। परियोजना से सम्बन्धित पूर्ण.आई.ए. एवं सक्षिप्त अधिसार निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1. जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद-इलीचपुर।
2. नया उपनगर निगम उद्योग केन्द्र, इलीचपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा रोड, बांदा।
4. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. कार्यालय जिला पंचायत, इलीचपुर।
6. क्षेत्रीय कार्यालय नया क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार, चेन्नाबाद, रीजनट- एस आर्केडियम लखनऊ।

अतः समस्त इच्छुक व्यक्तियों को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित डीजल/गैसीय आधारित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रस्तावना के विज्ञापन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने सार्थक, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रबन्धक की तिथि से 30 दिन के अन्दर उपरोक्त कार्यालयों को प्रेषित कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

दूरभाष नं-05192-220048

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालयः ए-39, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, चाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-हमीरपुर में निम्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/ मोरम माइनिंग प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के संबंध में पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृत संबंधित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किए गए है।

क्र. सं.	प्रार्थी/कंपनी का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1.	श्रीमती कौशल्या पैरी, कार्यकारी निदेशी- मै. टीरिपुर, कुलपहाड़, जिला- महोबा, उ.प्र.	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 17/5 ग्राम- सहजना, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 13.09.18
2.	पिसाई निर्माण इंटरप्राईजेज द्वारा श्री निर्मल सचदेव, निदेशी- कार्यकारिणी दीक्षा, खानेत व जनपद- हमीरपुर।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	ग्राम- पचोखर, तहसील व जनपद- हमीरपुर	36.427 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित परिखर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
3.	मैसर्स राज ट्रेडर्स द्वारा श्री मिलेन्द्र सिंह, निवासी- कटौंदा भान पत्र, महाराजी, उ.प्र.	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-9/3, ग्राम- कन्दौर, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	36.709 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित परिखर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
4.	मैसर्स इण्डस माईनिंग एण्ड मिनरल्स द्वारा श्री विकास पारधी, निवासी- ई-7, एपआईसी 441 ओरा कालोनी, दूसरा ग्रा.एस. नगर, भोपाल, म.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-11/4, ग्राम- रनकेढ़ी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	17.408 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित परिखर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
5.	पिसाई खनन पोलेयाम ट्रेडर्स द्वारा श्री सुरेश पाठा निवासी ग्राम- पिपुरुर, कलिंजर, जिला- बान्दा, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-19/36, ग्राम- बेरी, तहसील व जनपद- हमीरपुर।	36.44 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित परिखर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
6.	मैसर्स कालकी इंटरप्राईजेज द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार खरे, निवासी- म.नं.-271, सिरसा खण्ड-3, जैसलमेरा, रसूलाबाद, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-23/20, ग्राम- पैड़ी खरका, तहसील- खरेला, जनपद- हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित परिखर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
7.	मैसर्स अर्तकृष्ण्कर, निवासी- रोशनपुरा, मंगलपुर, जिला- चित्रा, उ.प्र.	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-23/14, ग्राम- पचवा नवीपार, तहसील- खरेला, जनपद- हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित परिखर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
8.	मैसर्स पवनपुत्र ट्रेडर्स, द्वारा श्री विजय सिंह, निवासी- म.नं.- 1095, परिक्षेत्र-2, पवन कालोनी, सिरसा, रसूलाबाद, रामनगर, सेक्टर, रसूलाबाद, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-23/2, ग्राम- पैड़ी खरका, तहसील- खरेला, जनपद- हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित परिखर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
9.	मैसर्स एच.डी. इंटरप्रेजेज द्वारा श्री दीपक सक्सेना, निवासी- 7/8007, म.नं.-9, तिलक नगर, झांसी, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	ग्राम- सिकन्दी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	36.457 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित परिखर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
10.	मैसर्स संजीवन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. द्वारा श्री पवन चन्द मिश्र, निवासी- म.नं.-खण्ड 06, सरोजनी नायडू पार्क, जिला सतकाक, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-26/7, ग्राम- चरखारी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	36.457 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित परिखर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
11.	मैसर्स इंडोर इंफ्रोस्ट्रक्चर द्वारा श्री पंकज सिंह खेमर, म.नं.-101, कर्नल नगर, ग्वालियर, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-26/3, ग्राम- चरखारी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित परिखर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
12.	मैसर्स हरिहर मिनरल्स इलएनर्ब द्वारा श्री एमआईत सिंह, निवासी- 405 थ, चू स्कूल दर्रे, ग्वालेर, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-23/19, ग्राम- पैड़ी खरका, तहसील- खरेला, जनपद- हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित परिखर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
13.	मैसर्स श्री खाटा कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा श्री अंकित दीक्षित, निवासी- पोस्टमास्टर लेवल, स्वामी नगर, फेथर, ग्वालियर, म.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-23/13, ग्राम- पैड़ी खरका, तहसील- खरेला, जनपद- हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित परिखर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
14.	मैसर्स पैनोरेल इंफ्राट्रक्चर प्रा. लि. द्वारा श्री रवेंद्र चन्द सिंका, निवासी- म.नं.-खण्ड 06, सरोजनी नायडू पार्क, जिला सतकाक, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-22/15, ग्राम- निरंजन खारोला, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित परिखर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
15.	मैसर्स सिन्धर स्मिट मैटल्स प्रा. लि. द्वारा श्री प्रशान्त चतुर्वेदी, म.नं.-10, लक्ष्मण बाई, छोटकपुरा, सोगलपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-30/1, ग्राम- पुरसी, तहसील- चौरहा, जनपद- हमीरपुर।	36.457 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित परिखर, जनपद- हमीरपुर	दि.दिक- 20.09.18
16.	मैसर्स ग्रेन एलॉयिंग्स प्रा. लि. द्वारा श्री सामेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी- ग्राम- तेलकारन, फेथर- फतेहपुर, डी.वी.वी. पब्लिक स्कूल के पास, फैन्ट रोड, संजनी चौपा, पटना, बिहार।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-30/3, ग्राम- पुरसी, तहसील- चौरहा, जनपद- हमीरपुर।	36.457 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित परिखर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
17.	मैसर्स सिन्धर स्मिट मैटल्स प्रा. लि. द्वारा श्री प्रशान्त चतुर्वेदी, म.नं.-10, लक्ष्मण बाई, छोटकपुरा, सोगलपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-30/2, ग्राम- पुरसी, तहसील- चौरहा, जनपद- हमीरपुर।	36.457 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित परिखर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
18.	मैसर्स डी.बी. कॉन्ट्रेक्शन द्वारा श्रीमती सुमन देवी निवासी- बिजुरा खेड़ा, खरसेत- कटरा, इलौरा, जिला- छतरपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	ग्राम- टेकापुर, तहसील- चौरहा, जनपद- हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित परिखर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
19.	मैसर्स अवन्ती ट्रेडर्स द्वारा श्री सुबोध चन्द, निवासी- ग्राम व पोस्ट- सिरसा, तहसील- लौंजी, जिला- चाद, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-29/1, ग्राम- पचा नवार, तहसील- चौरहा, जनपद- हमीरपुर।	12.14 हेक्टेअर	खसरा सं. सहित परिखर, जनपद- हमीरपुर	दि.दिक- 20.09.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ 1533 दिनांक 14-09-2006 यथा संशोधित-एस.ओ 3067 (ई) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1- जिलाधिकारी कार्यालय जनपद-हमीरपुर।
2- मुख्य प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ए-39 आवास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला पंचायत हमीरपुर।
6- क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार, पंचम तल, सेक्टर-एच अलीगंज लखनऊ।

अतः समस्त एवं साधारण को इस अब्म सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/मोरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते है अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

पत्रांक- 503/प्रे.नि./ लोक सु./2018 दिनांक- 16.08.18

"IMPORTANT"

While care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary enquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

SBI

Strategic Planning Unit, Corporate Centre, State Bank Bhavan, 16th Floor, Madame Cama Road, Mumbai-400 021.

REQUEST FOR PROPOSAL

State Bank of India has issued a Request for Proposal (RFP) for appointment of consultant for conducting employee intervention cum mass communication programme. For details, please see 'procurement news' at bank's website https://bank.sbi

Sd/-
Deputy General Manager
(Strategic Planning Unit)

Mumbai
08.2018

Tamil Nadu Medicinal Plant Farms & Herbal Medicine Corporation Ltd.

(A Government of Tamil Nadu Undertaking)
Regd. Office: Arignar Anna Hospital Campus, Arumbakkam, Chennai - 600 106.
Phone: 044-24213866, Fax: 24211444
Website: tamilnadumedicinalplants.com CIN: U24239TN1993SGC025220

TENDER NOTICE REF : 380/TAMAHA/OT/MEDI/2018-19

Sealed Tenders are invited from the Supply of Dried Leaves of Neem (Azadirachta indica) to Tamil Nadu Ayurvedic Siddha Medicine Corporation Ltd., Chennai. Tender application may be obtained on payment of Rs.1,000/- (Rupees One Thousand Only) in cash and Tender Document may be downloaded from Tamilcor Website www.tamilcor.com free of cost. Tenders will be received by post, courier or in person by depositing in tender box at Tamilcor Head Office upto 11.00 AM on 28.08.2018 and will be opened at 11.30 AM on the same day. Tenders received after the date and time will not be considered. All corrigenda, addenda, amendments, time extension, clarifications, etc., to the tender will be hosted on the above website only and not in newspapers.

Sd/-
MANAGING DIRECTOR

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS), BHUBANESWAR

(An Autonomous Medical Institution under the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India)
Sijua, Patrapada, Bhubaneswar-751019

File No.: AIIMS/BBSR/Engg/ 436/2018-19 Dated: 13th Aug 2018

NOTICE INVITING E-TENDER

The All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhubaneswar invites Tender for the Work "External Painting around Hospital Building of AIIMS, Bhubaneswar" (NIT No. AIIMS/BBSR/Engg/ 436/2018-19). The detailed Tender Document along with Last Date & Time of Submission of Tender can be viewed & Downloaded from the website www.aiimsbhubaneswar.edu.in, www.tenderwizard.com/AIIMSBBSR & CPP Portal www.eprocure.gov.in.

Sd/-
Executive Engineer (Civil)
AIIMS, Bhubaneswar

कार्यालय उपनिदेशक (वि./चौ.)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ. प्र.
नवीन गल्ला मण्डी स्थल, महेवा पुर्वी, गोरखपुर - 273016
दूरभाष सं.-पी-(उ)/2018-19 दिनांक 14-08-2018

ई-निविदा सूचना-पत्र

कार्यालय पत्रांक-वि./चौ. (निविदा)/2018-548 दिनांक 02.08.2018 द्वारा दिनांक 14.08.2018 को ई-निविदा आमंत्रित निविदा के क्रमांक-5 कनौन मण्डी स्थल, देवरिया 04 जस खादर कुसर धास.बी., खादर खुर्दसपार 04 गत के.के.ई. रहस्यांकित उच्च सम्बन्धित खादर कुसर बिक्री क्रमांक को समर्थ दो निविदा अप्रतिबंधित कारणों से रद्द का दिनांक 29.08.2018 को ई-निविदा अवधित को बोली है दिनांक 28.08.2018 को 1:00 बजे तक निविदा तोड़ का सकते है तथा दिनांक 29.08.2018 को 11.30 बजे तकनिदा खोली जायेगी। समस्त विद आकृष्यनेन एवं समस्त प्रावधान पूरा सहित कार्यालय में जारी कार्यो आनियमें होगा। शेष विवरण एवं शर्तें पूर्ववत रहेगी।

भवदीय
हस्ता./-
उप निदेशक (वि./चौ.)
मण्डी परिषद, गोरखपुर

TAMIL NADU ENERGY DEVELOPMENT AGENCY

(A Govt. of Tamil Nadu Undertaking)
3 Floor, Fifth Avenue Complex No.68, College Road, Chennai 600 006 TEDA
Phone: 044-28220081 / 28220082 Fax: 044-28220071
Email: tenders@teda.in / gm@teda.in Website: www.teda.in

TENDER NOTICE

Tender Inviting Authority, Designation and Address : The General Manager, Tamil Nadu Energy Development Agency, 4 Floor, Fifth Avenue Complex, No.68, College Road, Chennai 600 006. Phone: 044-28220081 / 28220082 Fax: 044-28220071, Email: tenders@teda.in / gm@teda.in, Website: www.teda.in
Name of Work / Description of Work: Supply, Erection, Testing, Commissioning and Maintenance of Rooftop Solar PV Systems (Grid Interactive) in Government Buildings in Tamil Nadu under RESCO Mode
Brief Description of Work: Supply, Erection, Testing, Commissioning and Maintenance of Rooftop Solar PV Systems (Grid Interactive) in Government Buildings in Tamil Nadu under RESCO Mode
Cost of RfP Document: Rs.1,000/- (Rupees One Thousand Only) plus GST amount for hard copies and Rs.500/- (Rupees Five Hundred Only) plus GST amount for downloaded copy, to be issued in the name of "Tamil Nadu Energy Development Agency" payable at Chennai
Earnest Money Deposit (EMD): Rs.1,50,00,000/- (Rupees One Crore Fifty Lakhs Only) EMD amount is to be submitted in the form of Demand Payment Order in favor of the Tamil Nadu Energy Development Agency payable at Chennai or Online payment of EMD amount in the Government Treasury Portal (https://www.tntreasuries.tn.gov.in/)
Pre-bid meeting date, time and place: 04.09.2018 at 11.30 AM at TEDA address
Last date and time of receipt of pre-bid queries: 31.08.2018 11.00 AM
Bid Due Date and Time and place for submission of Bid: 24.09.2018 at 11.00 AM at TEDA
Bid Opening Date and Time: 24.09.2018 at 11.30 AM
Price Bid Opening: Time and Venue of Price Bid Opening will be informed to the Bidders who have submitted the Bids (Price Bid Opening Date)
Cost of Processing Fee: Rs.3,000/- (Rupees Three Thousand Only) plus GST amount for downloaded Tender Document in the form of Demand Draft in favour of Tamil Nadu Energy Development Agency payable at Chennai

General Manager/TEDA

CHANDIGARH HOUSING BOARD

2 Sector 9, Sector 33-D Chandigarh-160019 Ph: 4618161 Fax: 4618160

PRESS NOTICE
e-Procurement System

Executive Engineer (Elect.) on behalf of the Chairman, Chandigarh Housing Board, is invites sealed Percentage rate Tenders through e-Procurement process from the specialized Agencies/ Firms/ Contractors/ Tenderers in UT Engineering Department, CPWD, MES, Punjab PWD, Haryana PWD & Himachal PWD enlisted for specialized works of Fire Alarm System or any enveloped system for the following work :-

Name of work	Estimated cost put to tender	Earnest Money	Time allowed	Cost of tender put to tender
Providing Fire Alarm System for construction of 252 Nos. Two Bed Room flats in Sector 51 A, Chandigarh	Rs. 9.36 Lac	Rs. 18,800	4 Months	Rs. 590/-

1. Milestone dates of Electronic Tendering

i	Downloading of e-Tender document	Start Date: 21.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 28.08.2018 up to 1700 Hrs.
ii	Clarification regarding pre-bid meeting schedule of quantities and list of items	Start Date: 21.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 28.08.2018 up to 1600 Hrs.
iii	Date of submission of e-TENDER	Start Date: 21.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 28.08.2018 up to 1700 Hrs.
iv	Physical submission of EMD, Tender fee, Agents, Documents and other necessary documents	Start Date: 22.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 04.09.2018 up to 1530 Hrs.
v	Opening of Technical Bids/ Online	06.09.2018 at 1100 Hrs.
vi	Opening of Price Bids	To be intimated to all eligible Bidders separately

2. Bid Document can be downloaded from the website http://etenders.chd.nic.in/nicgep
3. All other terms and conditions, Instructions to tender regarding e-processing process etc. may kindly be seen from the detailed Notice Inviting Tender (NIT) available downloadable on the above noted web sites of Chandigarh Administration.

Also Available at: www.chandigarh.gov.in

Executive Engineer-V(Elect.)
for & on behalf of Chairman
Chandigarh Housing Board Chandigarh

TELANGANA STATE MEDICAL SERVICES & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION

2nd Floor, Old S.R. Complex, Station Bazar, Kothi, Hyderabad - 500 095
Ph. No. 040-24614668, Fax +91-40-24614618, email: tsmsidc@gmail.com

Tender Notice No. 15 FOR SUPPLY OF MEDICAL EQUIPMENT

Tenders are invited through eprocurement system for the following items: 1) Supply, Installation and On Tot Test of existing C.R.M.(No. Cobalt-60 in Core, Maximum or Rectangular) Unit, 2) Balance work in Construction of Solar Power Plant, Building & Ground Work (Ph-I), 3) Construction of Sub 132 (220)/33 KV Substation at Tekmal, Health Center Kothakota & Kamalapur District (Sy.No.) 4) Construction of 50 Bedded SDH Cluster at Community Health Center Kothakota & Kamalapur District (Sy.No.) 5) Construction of CT Complex including CT pod Operation Theatre etc. at Govt ENT Hospital, Hyderabad 6) Conversion of 5 TP at Nampally Maternity Hospital, Hyderabad 7) Conversion of 5 TP at Nizamabad Maternity Hospital, Nizamabad 8) Conversion of 5 TP at Sarojini Devi Eye Hospital, Hyderabad 9) Conversion of 5 TP at Suryapet District Hospital 10) Upgradation of Community Health Center Kothakota to 50 Bedded Hospital in Mahabubnagar District 11) Upgradation of Community Health Center Kamalapur to 50 Bedded Hospital in Mahabubnagar District 12) Supply and Installation of Modular Operation Theatre Complex including Gasses Pipeline Network etc. in Area Hospital Gadwal 13) Supply of Equipment to Govt. Maternity Hospital, Mahabubnagar. For more details visit www.tsmsidc.telangana.gov.in

MANAGING DIRECTOR

NORTH EASTERN RAILWAY — E-Tender Notice

Divisional Electrical Engineer (TRD), N.E. Railway, Izzatnagar, Bareilly, Pin Code-243122, Phone No. 0581-2303001, Fax No. 0581-2303004, E-mail: deetrdizn@gmail.com

Tender No. & Description of Work	Approx. Value	Earnest Money
NE-ELE-TRD-OT-2018-19 Under Shut Down Work	₹ [illegible]	₹ [illegible]
NE-ELE-TRD-OT-2018-19 Under Shut Down Work	₹ [illegible]	₹ [illegible]
NE-ELE-TRD-OT-2018-19 Under Shut Down Work	₹ [illegible]	₹ [illegible]

Work completion Period: 01 Month
Tender Closing Date & Time: 31.08.2018 at 15:00 Hrs.
Tender Opening Date & Time: 31.08.2018 at 15:30 Hrs.

CPRO/ELE/53 Divisional Electrical Engineer (TRD), Izzatnagar

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

पत्र सं0-166/16-2/24 **अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना** दिनांक- 16.08.2018

जनपद इटावा में इटावा नगरपालिका परिषद, इटावा के तेरहवें सफारी में निम्न कार्यों की निविदा परिषद में सूचीबद्ध फर्मों/ पंजीकृत ठेकेदारों/ फर्मों से अति अल्पकालीन ई-निविदा टू-बिड पद्धति पर ई-प्रोक्योरमेण्ट सोल्यूशन द्वारा आमन्त्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण, नियम व शर्तें परिषद की वेबसाइट www.upavp.in तथा https://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	ई-निविदा आरम्भ होने की प्रारम्भिक तिथि	टेक्निकल बिड खुलने की तिथि व समय	फाइनेन्शियल बिड खुलने की तिथि व समय
1	इटावा नगरपालिका परिषद, इटावा के तेरहवें सफारी में पैनासिक कॉम्पेक्स के सुधारीकरण हेतु रेट्रोफिटिंग का कार्य।	20.08.2018 अपराह्न 3.00 बजे	29.08.2018 अपराह्न 3.00 बजे	30.08.2018 अपराह्न 3.00 बजे

इच्छुक ठेकेदारों के अनुरोध है कि निविदित कार्य से सम्बन्धित वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध कराई जायेगी। – (क्षेत्रीय कुमार) अधिशासी अभियन्ता

उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. ई-निविदा सूचना सं. 01 सं.: ECTC/ALLD/2018-19 कार्यपालयंतर द्वारा ई-निविदा सूचना सं. 01 सं.: ECTC/ALLD/2018-19 के सम्बन्ध अवगत कराना है कि ई-निविदा सूचना अनुसार अनुभवी कार्यदायी संस्थाओं से निम्न कार्य हेतु फेरा बन्द निविदायें आमंत्रित की गयी थी। उक्त तिथि निविदा समय पर निविदाओं/ उनके अधिकृत प्रतिनिधि/ प्रतिनिधियों के समक्ष उपलब्धतानुसार/ अनिवृत्त प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेंगी। (यदि आवश्यक हो तो अगले कार्य दिवस को)। अतएव सभी इच्छुक एवं वित्तीय प्रपत्र पूरक को उपलब्ध अधिकृत निविदा फेरम्ब सम्पत्त बीड के खाते में (RTGS/ NEFT IFS Code-PUNB0054000 A/C No 0540002100192006) के भुगतान के विवरण को संलग्न करने की सुविधा दिहेतु की इति को विकल्पात्मक रूप से खोला जाना भी सुनिश्चित किया गया है। निविदा अवधित करने की तिथि व समय- 12.09.2018, 11:00 बजे तक, निविदा खोलने की तिथि व समय- 13.09.2018, 12:00 बजे। निविदा मूल्य (कर सहित) रु.- 767/- (रु. सात सौ सरसठ मात्र) (650+117)। निविदा फीस धनराशि रु.- 5400/- (रु. पांच हजार चार सौ मात्र)। ई-निविदा सं.- ई-79- वि.ख.ब.भै./ 2018-19, विद्युत पारेषण धाम फेरा बीड के अन्तर्गत 132 के.वी. विद्युत-कर्मी निवास सहित लाइन हतु खम्भों की आपूर्ति। निविदा सम्बन्धी कार्य की तिथि व समय- 13.09.2018, 11:00 बजे तक, निविदा खोलने की तिथि व समय- 15.09.2018, 12:00 बजे। निविदा मूल्य (कर सहित) रु.- 236/- (रु. दो सौ छत्तीस मात्र) (200+36)। निविदा धनराशि रु.- 3200/- (रु. तीन हजार दो सौ मात्र)। निविदा के प्रकार मात्र- (निविदा मूल्य, धनराशि सहित, फेरम्ब, GST, इनकम टैक्स सिर्फ की समय प्रचलित धनराशि एवं व्यवसेवी (Same Goods/ Supply) अनुबन्ध) निविदा भुगतने की विधि की ई-टेण्डर की वेबसाइट पर निर्धारित समय तक अपलोड्स हो सकेगा फेरे बाद नहीं। निविदा के नूतन सम्बन्धी भार (पार्ट-1) की अर्थात्मक अभिलाषा, विद्युत पारेषण धाम बीड के द्वारा सम्बन्धित क्रम से ई-निविदा की वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर अंकित करेगा। ई-निविदा के प्रपत्र भाग के अवलोकन/ परिशील के उद्देश्य हो ई-निविदा के पार्ट-2 (आर्थिक बोली) को ई-टेण्डर की वेबसाइट पर खोलने हेतु अनुरोधा समयावधि- 15 से सूचित किया जायेगा। विभाग विधाय इच्छाधार पर्ते में प्रकाशन के उपरान्त ई-टेण्डर की वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। अधेक्षणाधारी के पास सम्पूर्ण निविदा पत्र सम्बन्धी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने सम्बन्धी/ अवलोकन करने का अधिकार सुरक्षित है। हस्ता./- अधीक्षण अभियन्ता वि.ख.ब. बीड "सम्पूर्ण ई डाटा कवाह" सम्भाल/ "सम्पूर्ण ने डाटा सम्भरे" सम्भाल/ ई.ई.एल.बी. कार्य के स्थान पर ई-टेण्डर के कार्य का प्रयोग करें। ई-टेण्डरी सी.बी. डी-2

TELANGANA STATE MEDICAL SERVICES & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION

2nd Floor, Old S.R. Complex, Station Bazar, Kothi, Hyderabad - 500 095
Ph. No. 040-24614668, Fax +91-40-24614618, email: tsmsidc@gmail.com

Tender Notice No. 15 FOR SUPPLY OF MEDICAL EQUIPMENT

Tenders are invited through eprocurement system for the following items: 1) Supply, Installation and On Tot Test of existing C.R.M.(No. Cobalt-60 in Core, Maximum or Rectangular) Unit, 2) Balance work in Construction of Solar Power Plant, Building & Ground Work (Ph-I), 3) Construction of 50 Bedded SDH Cluster at Community Health Center Kothakota & Kamalapur District (Sy.No.) 4) Construction of CT Complex including CT pod Operation Theatre etc. at Govt ENT Hospital, Hyderabad 5) Conversion of 5 TP at Nampally Maternity Hospital, Hyderabad 6) Conversion of 5 TP at Nizamabad Maternity Hospital, Nizamabad 7) Conversion of 5 TP at Sarojini Devi Eye Hospital, Hyderabad 8) Conversion of 5 TP at Suryapet District Hospital 9) Upgradation of Community Health Center Kothakota to 50 Bedded Hospital in Mahabubnagar District 10) Upgradation of Community Health Center Kamalapur to 50 Bedded Hospital in Mahabubnagar District 11) Supply and Installation of Modular Operation Theatre Complex including Gasses Pipeline Network etc. in Area Hospital Gadwal 12) Supply of Equipment to Govt. Maternity Hospital, Mahabubnagar. For more details visit www.tsmsidc.telangana.gov.in

MANAGING DIRECTOR

7637

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 671/लोकसुनवाई/18 दिनांक: 27/9/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स बाला जी इण्टरप्राइजेज के पक्ष में स्वीकृत खंड संख्या–23/20 क्षेत्रफल–12.145 हे0 (194304 घन मी0/वर्ष) ग्राम–भेडी खरका, तहसील–सरीला, जनपद–हमीरपुर में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 24684/सी–2/एनओसी–4277/18 दिनांक 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई प्रस्तावित खनन स्थल तहसील–सरीला सभागार, जनपद–हमीरपुर में दिनांक 19.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

Mishra

क्षेत्रीय अधिकारी

7638

खण्ड संख्या– 23/20, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स बालाजी इण्टरप्राइजेज द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 12.145 हे0 ग्राम–भेड़ी खरका, तहसील– सरीला, जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारक की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 19.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स बालाजी इण्टरप्राइजेज के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24684/सी–2/एनओसी–4277/बांदा/18 दिनांक 10.08.2018 जो जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 19.09.2018 को तहसील– सरीला व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक 19.09.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील सरीला सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री कमलेश कुमार राय, खान अधिकारी, हमीरपुर।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे

7639

संख्या– 23/20, ग्राम– भेड़ी खरका, तहसील– सरीला, जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है परन्तु इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है तथा परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है जिसकी एक–एक प्रति उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर, जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर एवं जिला पंचायत हमीरपुर के कार्यालयों में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड बॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार

खाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है इसलिए अभी तक खनन पट्टे का संचालन लम्बित पडी हुई है तथा सम्बन्धित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु ग्रामवासियों द्वारा कोई प्रश्न नही किया गया। तत्पश्चात् जिला खान अधिकारी को उक्त खनन कार्य हेतु ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये आमंत्रित किया गया। स्वागत करते हुये उक्त परियोजना में जब भी खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तब वाहनों के आवागमन हेतु सड़क मार्ग की मरम्मत व रखरखाव, सड़क के किनारे, प्रस्तावित स्थल या प्रस्तावित स्थल के निकटतक अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, गाटा सं0 के निकटतम खेतो पर बारी को नुकसान न पहुचाना एवं बारी का नियमावली में यह प्राविधान है कि जो भी पट्टेधारक है यदि किसी कारण काश्तकार का खनन कार्य की वजह से नुकसान होता है तो उसका मुआवजा देना होगा अथवा उसको प्रतिकर दिया जायेगा यदि आपसी सुलह से समाधान नही निकलता है तो शासन द्वारा उक्त समस्या का निराकरण किया जायेगा। वाहन चलाने से यदि सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होता है तो डिस्ट्रिक मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट के नियमावली है कि खनिज की रायल्टी का 10 प्रतिशत पट्टेधारक द्वारा खनिज निधि में जमा कराया जायेगा तथा खनन क्षेत्र में कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जायेगी। हैण्डपम्प, (पेयजल) सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु सभी पट्टेधारको को पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य है। अतः आप सभी स्थानीय ग्रामवासी शासन को जिलाधिकारी , ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान एवं शासन को अपने प्रस्ताव दे ताकि ग्राम विकास का कार्य किया जा सकें। पट्टेधारक द्वारा खनन क्षेत्र में खाने पीने के सामान हेतु प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट का निस्तारण सुचारू रूप से किया जायें, प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न न किया जाये प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण नगर निगम, हमीरपुर द्वारा किया जायेगा।

7641

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन योजना के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव बनाये गये है उनकी मई और दिसम्बर में अनुपालन आख्या व DEIAA, SEIAA द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में दी गयी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों का पूर्णतया पालन किया जाता है यदि अनुपालन आख्या नही भेजी जाती है ता अनापत्ति अस्वीकृत किये जाने का प्राविधान है।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी द्वारा पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि अनुपालन आख्या समय समय पर भेजी जायेगी व सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया जायेगा एवं पर्यावरण को सुरक्षित एव संरक्षित किया जायेगा, सड़क की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य भी आवश्यकतानुसार किया जायेगा। खनन स्थल पर पालीथीन का उपयोग नही किया जायेगा क्योकि वर्तमान समय में यह प्रकरण अतिसंवेदनशील है। अतएव इसका इस्तेमाल कदापि न करें। सड़क के किनारें एवं खनन क्षेत्र अथवा ग्राम के निकटतम क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें। नियम व शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जायें।

अन्त में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को सुझाव दिया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें एवं ढुलाई के समय बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर लाना है, इसी के साथ उपस्थित जनसमुदाय का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

19/09/18

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

19.9.18

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

7642

बृहस्पति, 17 अगस्त 2018

माखुर्द के लिए शुरु हुई रोडवेज बस सेवा

तिरंगा फहरा वीरों को किया याद

धूमधाम से मना स्वतंत्रता [illegible] जिलों में किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान

पूर्वजों की कुर्बानी याद [illegible] आजादी का पर्व

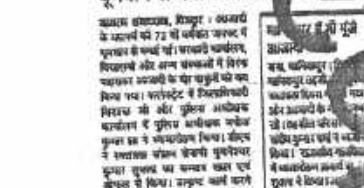

SAMPLE COPY NOT FOR SALE

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	प्रदेशीय का नाम	परियोजना प्रभाव का नाम	सेक्टरसह	उपक्रम	दिनांक व समय
1	मैसर्स सोहनलाल सीमे, पौधेकलन, मिलकी- बु सीतापुरा, मुजफ्फरनगर, जिला- महोबा, उ.प्र.।	हैण्ड/सीमेन्ट माइनिंग परियोजना	ग्राम सं.- 77/6, ग्राम- ग्रामसभा, तहसील व जनपद- इलौलपुर	12.140 हेक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद- इलौलपुर	दिनांक- 16.09.18
2	मैसर्स विनोद इण्डस्ट्रीयल द्वारा श्री विनोद सक्सेना, मिलकी- आर्केड्रीयर डीप, तहसील व जनपद- इलौलपुर	हैण्ड/सीमेन्ट माइनिंग परियोजना	ग्राम- पाण्डेपुर, तहसील व जनपद- इलौलपुर	35.437 हेक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद- इलौलपुर	दिनांक- 16.09.18
3	मैसर्स रमन इण्डो द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह, मिलकी- पाण्डेपुर खास नरू, महाराष्ट्र, उ.प्र.।	हैण्ड/सीमेन्ट माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 9/3, ग्राम- इलौलपुर, तहसील व जनपद- इलौलपुर	36.7600 हेक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद- इलौलपुर	दिनांक- 16.09.18
4	मैसर्स पुष्पम सर्विस प्रा० लिमिटेड द्वारा श्री विनोद पालवाली, मिलकी- डी-7, प्रथमाईली 441 सोहन एवेन्यी, दुर्गापुर 200,उ.प्र. सदर, सोनभद्र, म.प्र.।	हैण्ड/सीमेन्ट माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 31/4, ग्राम- ग्रेवी, तहसील व जनपद- इलौलपुर	17.000 हेक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद- इलौलपुर	दिनांक- 16.09.18
5	मैसर्स पाया कोलोपवन ट्रेडर्स द्वारा श्री सुरेश पाया मिलकी खान- सिंहपुर, इलौलपुर, जिला- इलौलपुर, उ.प्र.।	हैण्ड/सीमेन्ट माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 16/3A, ग्राम- ग्रेवी, तहसील व जनपद- इलौलपुर	36.44 हेक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद- इलौलपुर	दिनांक- 16.09.18
[illegible]						
7	[illegible] मिलकी- बेलपुरवा, मालपुरा, जिला- मोरक्का, उ.प्र.।	हैण्ड/सीमेन्ट माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 22/14, ग्राम- बजरंग कलौरा, तहसील- इलौला, जनपद- इलौलपुर	24.291 हेक्टेयर	तहसील कलौरा परिसर, जनपद- इलौलपुर	दिनांक- 19.09.18
8	मैसर्स पालवाला ट्रेडर्स, द्वारा श्री केवल सिंह यादव, मिलकी- म.सं.- 4086, एडिलवे-2, उमर खालेली, जेलदार-3, अजमेर, अजमेरली रोड, तहसील, उ.प्र.।	हैण्ड/सीमेन्ट माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/7, ग्राम- मेढ़ी खरसन, तहसील- इलौला, जनपद- इलौलपुर	12.140 हेक्टेयर	तहसील कलौरा परिसर, जनपद- इलौलपुर	दिनांक- 19.09.18
9	[illegible] एम.डी. इण्डस्ट्रीयलस द्वारा [illegible] सक्सेना, मिलकी- [illegible], म.सं.-6, दिल्ली नगर, कलपुर, उ.प्र.।	हैण्ड/सीमेन्ट माइनिंग परियोजना	ग्राम- सिंघा खे., तहसील- इलौला, जनपद- इलौलपुर	35.437 हेक्टेयर	तहसील कलौरा परिसर, जनपद- इलौलपुर	दिनांक- 19.09.18
10	[illegible] इंडस्ट्रीयलस प्रा.लि. [illegible] जिला [illegible] म.सं.- ग्राम 66, [illegible] मार्ग, जिला [illegible], उ.प्र.।	हैण्ड/सीमेन्ट माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 25/7, ग्राम- चोरासी, तहसील- इलौला, जनपद- इलौलपुर	36.437 हेक्टेयर	तहसील कलौरा परिसर, जनपद- इलौलपुर	दिनांक- 19.09.18
11	[illegible] द्वारा [illegible] मिलकी- [illegible], म.सं.- [illegible], [illegible], उ.प्र.।	हैण्ड/सीमेन्ट माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 20/3, ग्राम- चोरासी, तहसील- कलौरा, जनपद- इलौलपुर	24.291 हेक्टेयर	तहसील कलौरा परिसर, जनपद- इलौलपुर	दिनांक- 19.09.18
12	[illegible] मिलकी- [illegible], म.सं.- [illegible], [illegible], उ.प्र.।	हैण्ड/सीमेन्ट माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/10, ग्राम- मेढ़ी खरसन, तहसील- कलौरा, जनपद- इलौलपुर	12.140 हेक्टेयर	तहसील कलौरा परिसर, जनपद- इलौलपुर	दिनांक- 19.09.18
13	मैसर्स श्री पवना एग्रोइण्डस्ट्रीज [illegible] द्वारा श्री [illegible] मिलकी- [illegible], म.सं.- [illegible], [illegible], उ.प्र.।	हैण्ड/सीमेन्ट माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/13, ग्राम- मेढ़ी खरसन, तहसील- कलौरा, जनपद- इलौलपुर	12.140 हेक्टेयर	तहसील कलौरा परिसर, जनपद- इलौलपुर	दिनांक- 19.09.18
14	मैसर्स [illegible] द्वारा श्री [illegible] मिलकी- म.सं.- ग्राम 66, [illegible] मार्ग, जिला [illegible], उ.प्र.।	हैण्ड/सीमेन्ट माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 22/10, ग्राम- सिंघाड़ा कलौरा, तहसील- कलौरा, जनपद- इलौलपुर	24.291 हेक्टेयर	तहसील कलौरा परिसर, जनपद- इलौलपुर	दिनांक- 19.09.18
15	मैसर्स विनोद मिनरल सेल्स प्रा.लि. द्वारा श्री उपमन्यु माहलोत्रा, म.सं.- 10, उदयपुर मार्ग, जोधपुर [illegible] मार्ग, जिला [illegible], म.प्र.।	हैण्ड/सीमेन्ट माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 36/1, ग्राम- मुहारी, तहसील- बीलवा, जनपद- इलौलपुर	36.437 हेक्टेयर	तहसील बीलवा परिसर, जनपद- इलौलपुर	दि.सं.- 20.09.18
16	मैसर्स ग्राम पंचायित प्रा.लि. द्वारा श्री अशोक कुमार वर्मा, मिलकी- [illegible], पोस्ट- [illegible], दी.17.07. पचायत भवन के पास, जिला टोंक, [illegible] बीलवा, पाली, मेवाड़।	[illegible] माइनिंग परियोजना	[illegible] तहसील- बीलवा, जनपद- [illegible]	36.437 हेक्टेयर	तहसील बीलवा परिसर, जनपद- इलौलपुर	दिनांक- 20.09.18
17	मैसर्स विनायक मिनरल सेल्स प्रा.लि. द्वारा श्री उपमन्यु माहलोत्रा, मिलकी- म.सं.-10 उदयपुर मार्ग, जोधपुर, [illegible], म.प्र.।	हैण्ड/सीमेन्ट माइनिंग परियोजना	[illegible]	36.44 हेक्टेयर	तहसील बीलवा परिसर, जनपद- इलौलपुर	दिनांक- 20.09.18
18	मैसर्स डी.डी. एक्सट्रक्शन द्वारा श्री सुरेश कुमार वर्मा, मिलकी- ग्राम व पोस्ट- मिरजन, तहसील- बीलवा, जिला- पाली, उ.प्र.।	[illegible] माइनिंग परियोजना	[illegible]	[illegible]	तहसील बीलवा परिसर, जनपद- इलौलपुर	दिनांक- 20.09.18
19	मैसर्स अमरनी ट्रेडर्स द्वारा श्री सुरेश वर्मा, मिलकी- ग्राम व पोस्ट- मिरजन, तहसील- बीलवा, जिला- पाली, उ.प्र.।	[illegible] माइनिंग परियोजना	[illegible] ग्राम- [illegible] तहसील- बीलवा, जनपद- इलौलपुर	[illegible]	तहसील बीलवा परिसर, जनपद- इलौलपुर	दिनांक- 20.09.18

खेदें हुआ पर्यावरण, वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- एस.ओ. 1533 (अ)/14.09.2006 तथा संशोधित एस.ओ. 3067 (ई) दि.01.12.2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूचें में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु स्थान के सुझाव, विचार, दीयर एवं लिखित आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अधिशेष निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1. जिलाधिकारी, कार्यालय परिसर, इलौलपुर।
2. नगर पालिका निकाय उपक्षेत्र केंद्र, इलौलपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-20 प्रकाश विकास कालोनी, बिलास रोड, बांध।
4. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डी.डी.-12 बी, दिल्ली हाल्ट, सीमारी मजार, लखनऊ।
5. कार्यालय जिला पंचायत, इलौलपुर।
6. क्षेत्रीय कार्यालय नगर क्षेत्र, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन सहायक कार्यालय, क्षेत्रीय- एवं आंचलिक सहायक।

उक्त सम्बन्ध एवं सम्बन्धन की इस लोक सुनवाई के सम्बन्ध में सुझाव लिखा जाना है कि उक्त परियोजना शैल्य/सीमेन्ट माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रभावन के नियन्त्रण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप में प्रस्तावक को दिनांक से 30 दिन के अन्दर अपनी जानकारी को प्रेषित कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश पुलिस
की
ओर से आप सभी को
स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएँ
#नहींभूलेबलिदान

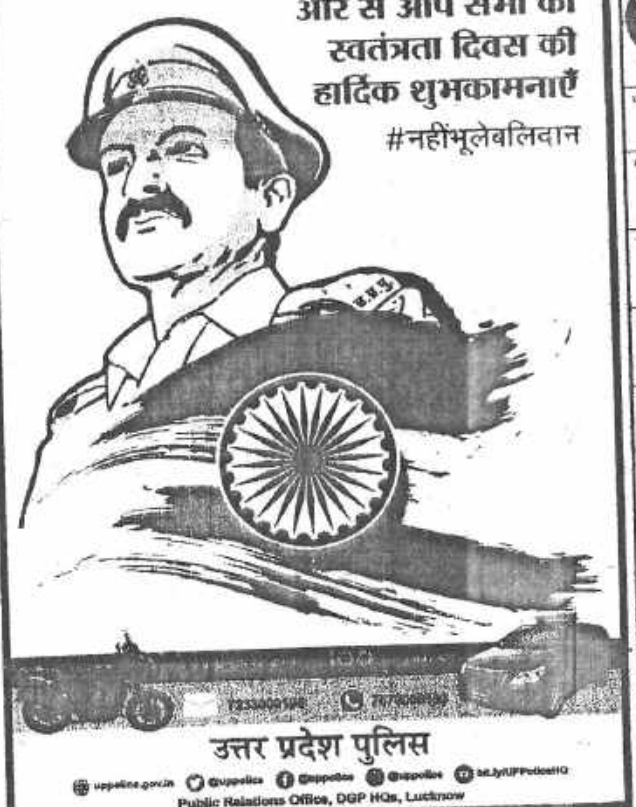

उत्तर प्रदेश पुलिस
uppolice.gov.in @uppolice @uppolice @uppolice bit.ly/UPPoliceHQ
Public Relations Office, DGP HQs, Lucknow

SBI

Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madam Cama Road, Mumbai-400 021.

REQUEST FOR PROPOSAL

State Bank of India has issued a Request for Proposal (RFP) for appointment of consultant for conducting employee orientation cum mass communication programme. For details, please see procurement news at bank's website https://bank.sbi

Sd/-
Deputy General Manager
(Strategic Training Unit)

Tamil Nadu Medicinal Plant Farms & Herbal Medicine Corporation Ltd.

TENDER NOTICE REF : 358/TAMPA/OT/MED/2018-19

MANAGING DIRECTOR

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS), BHUBANESWAR

Dated: 16th Aug 2018

NOTICE INVITING E-TENDER

The All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhubaneswar invites e-Tender for the Work "External Painting around Hospital Building of AIIMS, Bhubaneswar" (NIT No.: AIIMS BBSR Engg. 019 2018-19). The detailed Tender Document along with Last Date & Time of Submission of Tender can be viewed & Downloaded from the website www.aiimsbhubaneswar.edu.in, www.tenderwizard.com/AIIMSBBSR & CPP Portal www.eprocure.gov.in.

Sd-
Executive Engineer (Civil)
AIIMS, Bhubaneswar

कार्यालय उपनिदेशक (नि/वी.)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ. प्र.

नवीन गल्ला मण्डी स्थल, महेवा चुंगी, गोरखपुर - 273016

ई-निविदा शुद्धि-पत्र

TAMIL NADU ENERGY DEVELOPMENT AGENCY

TENDER NOTICE

General Manager/TEDA

CHANDIGARH HOUSING BOARD

PRESS NOTICE
e' Procurement System

Executive Engineer-V(Elect.)
for & on behalf of Chairman
Chandigarh Housing Board Chandigarh

दूरभाष नं.-05192-220048

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: ए-39, आवास विकास कालोनी, बिल्सा रोड, बाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/मोरम माइनिंग प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के संबंध में पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृत संबंधित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किए गए है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1.	श्रीमती कौशल्या [illegible], निवासी- [illegible], जिला-[illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 17/3 ग्राम- [illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 18.09.18
2.	मैसर्स [illegible] इन्टरप्राइजेज द्वारा श्री [illegible], निवासी- [illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	ग्राम- [illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर	36.437 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
3.	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स द्वारा श्री [illegible], निवासी- [illegible], [illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-9/3, ग्राम- [illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.7696 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
4.	मैसर्स [illegible] एण्ड मिनरल्स द्वारा श्री [illegible], निवासी- ई-7, एमआईजी 441 [illegible] कालोनी, [illegible], भोपाल, म.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-11/4, ग्राम- [illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	17.408 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
5.	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स द्वारा श्री [illegible], निवासी ग्राम- [illegible], [illegible], जिला-कन्नौज, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-10/36, ग्राम-[illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.44 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
6.	मैसर्स [illegible] इन्टरप्राइजेज द्वारा श्री [illegible], निवासी, म.नं.-271, [illegible] खण्ड-3, [illegible], लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/20, ग्राम- [illegible], तहसील- सरीला, जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
7.	मैसर्स [illegible], निवासी- [illegible], [illegible], जिला-[illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-22/14, ग्राम- [illegible], तहसील- सरीला, जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
8.	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स, द्वारा श्री [illegible] सिंह [illegible], निवासी-म.नं.-1095, [illegible]-2, [illegible], सेक्टर-3, [illegible], लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/7, ग्राम- [illegible], तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
9.	मैसर्स एस.डी. इन्टरनेशनल द्वारा श्री [illegible], निवासी- 7/699, [illegible]-8, [illegible] नगर, कानपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	ग्राम- [illegible], तहसील- सरीला, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
10.	मैसर्स [illegible] इन्फ्राटेक्चर प्रा. लि. द्वारा श्री [illegible] चन्द मिश्र, निवासी- म.नं.-[illegible] 06, [illegible] मार्ग, जिला लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-36/7, ग्राम- [illegible], तहसील- सरीला, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
11.	मैसर्स [illegible] द्वारा श्री [illegible] सिंह [illegible], म.नं.-101 [illegible] नगर, ग्वालियर, म.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-36/3, ग्राम- [illegible], तहसील- सरीला, जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
12.	मैसर्स [illegible] द्वारा श्री [illegible] सिंह, निवासी- 405 [illegible], [illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/19, ग्राम- [illegible], तहसील- सरीला, जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
13.	मैसर्स श्री [illegible] कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा श्री [illegible], निवासी- [illegible], [illegible] नगर, [illegible], [illegible], म.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/13, ग्राम- [illegible], तहसील- सरीला, जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
14.	मैसर्स [illegible] इन्फ्राटेक्चर प्रा. लि. द्वारा श्री [illegible] चन्द मिश्र, निवासी- म.नं.-[illegible] 06, [illegible] मार्ग, जिला लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-22/15, ग्राम- [illegible], तहसील- सरीला, जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
15.	मैसर्स [illegible] प्रा. लि. द्वारा श्री [illegible], म.नं.-10, [illegible], [illegible], म.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-30/1, ग्राम- [illegible], तहसील- मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
16.	मैसर्स [illegible] प्रा. लि. द्वारा श्री [illegible] कुमार [illegible], निवासी- ग्राम- [illegible], [illegible], डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल के पास, [illegible] रोड, [illegible], पटना, बिहार।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-30/3, ग्राम- [illegible], तहसील- मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
17.	मैसर्स [illegible] प्रा. लि. द्वारा श्री [illegible], म.नं.-10, [illegible], [illegible], म.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-30/2, ग्राम- [illegible], तहसील- मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	30.64 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
18.	मैसर्स डी.बी. [illegible] द्वारा श्रीमती [illegible] देवी निवासी- [illegible], तहसील- [illegible], [illegible], जिला [illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	ग्राम- [illegible], तहसील- मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 20.09.18
19.	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स द्वारा श्री [illegible], निवासी- ग्राम व पोस्ट- [illegible], तहसील-[illegible], जिला- [illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-29/1, ग्राम- [illegible], तहसील- मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	12.14 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ 1533 दिनांक 14-09-2006 यथा संशोधित- एस.ओ 3067 (ई) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते है। परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1- जिलाधिकारी कार्यालय जनपद-हमीरपुर।
2- महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ए-39 आवास कालोनी, बिल्सा रोड, बाँदा।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला पंचायत हमीरपुर।
6- क्षेत्रीय -कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार, पंचम् तल, सेक्टर-एच अलीगंज लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते है अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

पत्रांक- 503/प्रै.वि./ लोक सु./2018

दिनांक- 16.08.18

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

ECTC. ALLD/2018-19

http://etender.up.nic.in

TELANGANA STATE MEDICAL SERVICES & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION

NORTH EASTERN RAILWAY — E-Tender Notice

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

www.upavp.in

RTGS/ NEFT IFS Code- PUNB0054000

www.etender.up.nic.in

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं० एस०
1533 दिनांक 14-09-2006 यथासंशोधित एस०ओ० - 3067(ई) दिनां
01-12-2009 के अनुपालन में है :-

1.) मैसर्स बालाजी इण्टरप्राईजेज द्वारा श्री नवनीत कुमार पाण्डे, मo नo - 2
विश्वास खण्ड - 3, गोमतीनगर, लखनऊ, उoप्रo।

2.) मैसर्स पहलवान ट्रेडर्स द्वारा श्री कैलाश सिंह यादव, निवासी - मकान - 109
खलिको - 2, उकुर कालोनी, सेक्टर - 3, उत्तरहिया, रायबरेली रोड, लखनऊ

3.) मैसर्स हरिहर मिनरल्स एल एल पी द्वारा श्री रामऔतार सिंह, निवासी - 405 एव,
स्कूल, उरई, जालौन, उoप्रo।

4.) मैसर्स श्री कान्हा कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा श्री अनिल दीक्षित, निवासी - गौरव
बंगला, त्यागी नगर, मोरार, ग्वालियर, मoप्रo।

द्वारा साधारण बालू / मोरम खनन हेतु प्रस्ताव पर परियोजना स्थल

1.) खण्ड सं० 23/20, ग्राम - भेड़ी खरका, तहसील - सरीला, जनपद - हमीरपुर
2.) खण्ड सं० 23/7, " " " " " "
3.) खण्ड सं० 23/19, " " " " " "
4.) खण्ड सं० 23/13, " " " " " "

मे दिनांक 19-09-2018 को लोक सुनवाई के सम्बन्ध मे उपस्थित अधि
कर्मचारियो एवं ग्रामवासियो की उपस्थिति का विवरण :-

क्रo सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं०	ह
1.	विनय प्रकाश श्रीवास्तव	ADM, HAMIRPUR	9454417604	
2.	कमलेश कुमार राय	MINES OFFICER, HAMIRPUR	9452290110	
3.	डा० माधवी कुमलवंशी	A.S.O., UPPCB, JHANSI	7839891909	
4.	राजकरन वर्मा	S.A., UPPCB, BANDA	7839891918	
5.	बजरंग सिंह निषाद	रिंकू कुशवाहा	9918136814	
6.	सै० सैफ	रिंकू बसोरिया	9565121000	
7.	अतिकुर रहमान	P.P.	9565912000	
8.	लोधई सिंह	रोहित सोरिया	9415698482	
9.	[illegible]	पुष्पेन्द्र कुमार	7983607426	
10.	शिवचरण	दिनेश	8948218	
11.	[illegible]	विद्यार्थी	7054534	
			9918660636	

7645

दूरभाष सं0– 05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD,

REGIONAL OFFICE : A-39, Awas Vikas Colony, Banda- 210001

संदर्भ सं0– 685/लोकसुनवाई/18 दिनांक– 27/9/18

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय :–मैसर्स श्री कान्हा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, खण्ड सं0– 23/13, ग्राम– भेडी खरका, तहसील– सरीला, जनपद– हमीरपुर में क्षेत्रफल– 12.145 है0 (1,94,304 घनमीटर/वर्ष) में उपखनिज साधारण बालू/मोरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0– एच 24697/सी–2/एनओसी–4278/बॉदा/18 दिनांक– 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई प्रस्तावित स्थल तहसील– सरीला, जनपद– हमीरपुर के परिसर में दिनांक 19.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई का कार्यवृत्त मूलरूप में, उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियॉ पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

/

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

, संख्या– 23/13, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स श्री कान्हा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 12.145 हे0 ग्राम–भेड़ी खरका, तहसील– सरीला, जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारक की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 19.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स श्री कान्हा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या– एच 24697/सी–2/एनओसी –4278/बांदा/18 दिनांक 10.08.2018 जो जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बाँदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 19.09.2018 को तहसील– सरीला व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक 19.09.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील सरीला सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी।
3. श्री कमलेश कुमार राय, खान अधिकारी, हमीरपुर।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे

7647

संख्या– 23/13, ग्राम– भेड़ी खरका, तहसील– सरीला, जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है परन्तु इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है तथा परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है जिसकी एक–एक प्रति उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर, जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर एवं जिला पंचायत हमीरपुर के कार्यालयों में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड बॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार

खाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी कया जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है इसलिए अभी तक खनन पट्टे का संचालन लम्बित पडी हुई है तथा सम्बन्धित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु ग्रामवासियों द्वारा कोई प्रश्न नही किया गया। तत्पश्चात् जिला खान अधिकारी को उक्त खनन कार्य हेतु ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये आमंत्रित किया गया। स्वागत करते हुये उक्त परियोजना में जब भी खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तब वाहनों के आवागमन हेतु सड़क मार्ग की मरम्मत व रखरखाव, सड़क के किनारे, प्रस्तावित स्थल या प्रस्तावित स्थल के निकटतक अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, गाटा सं0 के निकटतम खेतो पर बारी को नुकसान न पहुचाना एवं बारी का नियमावली में यह प्राविधान है कि जो भी पट्टेधारक है यदि किसी कारण काश्तकार का खनन कार्य की वजह से नुकसान होता है तो उसका मुआवजा देना होगा अथवा उसको प्रतिकर दिया जायेगा यदि आपसी सुलह से समाधान नही निकलता है तो शासन द्वारा उक्त समस्या का निराकरण किया जायेगा। वाहन चलाने से यदि सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होता है तो डिस्ट्रिक मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट के नियमावली है कि खनिज की रायल्टी का 10 प्रतिशत पट्टेधारक द्वारा खनिज निधि में जमा कराया जायेगा तथा खनन क्षेत्र में कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जायेगी। हैण्डपम्प, (पेयजल) सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु सभी पट्टेधारको को पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य है। अतः आप सभी स्थानीय ग्रामवासी शासन को जिलाधिकारी , ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान एवं शासन को अपने प्रस्ताव दे ताकि ग्राम विकास का कार्य किया जा सकें। पट्टेधारक द्वारा खनन क्षेत्र में खाने पीने के सामान हेतु प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट का निस्तारण सुचारू रूप से किया जायें, प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न न किया जाये प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण नगर निगम, हमीरपुर द्वारा किया जायेगा।

7649

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन योजना के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव बनाये गये है उनकी ई और दिसम्बर में अनुपालन आख्या व DEIAA, SEIAA द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में दी गयी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों का पूर्णतया पालन किया जाता है यदि अनुपालन आख्या नही भेजी जाती है तो अनापत्ति अस्वीकृत किये जाने का प्राविधान है।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी द्वारा पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि अनुपालन आख्या समय समय पर भेजी जायेगी व सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया जायेगा एवं पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जायेगा, सड़क की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य भी आवश्यकतानुसार किया जायेगा। खनन स्थल पर पालीथीन का उपयोग नही किया जायेगा क्योकि वर्तमान समय में यह प्रकरण अतिसंवेदनशील है। अतएव इसका इस्तेमाल कदापि न करें। सड़क के किनारें एवं खनन क्षेत्र अथवा ग्राम के निकटतम क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें। नियम व शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जायें।

अन्त में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को सुझाव दिया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें एवं ढुलाई के समय बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर लाना है, इसी के साथ उपस्थित जनसमुदाय का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

19/09/10

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

19.9.10

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

7650

[illegible] • जागरण

[illegible] • जागरण

तिरंगा फहरा वीरों को किया याद

धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस, जिलाधिकारी ने किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान

[illegible]

पूर्वजों की कुर्बानी याद दिलाता है आजादी का पर्व

[illegible]

ककमाखुर्द के लिए शुरू हुई रोडवेज बस सेवा

[illegible]

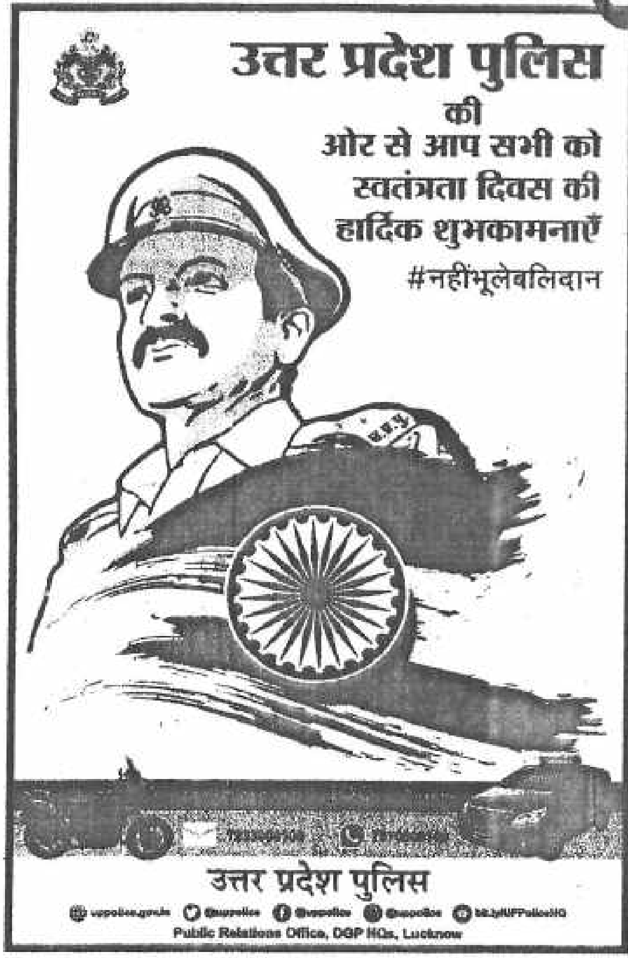

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

[illegible]

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	दिनांक- 18.09.18
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	दिनांक- 18.09.18
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	दिनांक- 18.09.18
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	दिनांक- 18.09.18
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	दिनांक- 19.09.18
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	दिनांक- 19.09.18
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	दिनांक- 19.09.18
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	दिनांक- 19.09.18
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	दिनांक- 19.09.18
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	दिनांक- 19.09.18
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	दिनांक- 19.09.18
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	दिनांक- 20.09.18
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	दिनांक- 20.09.18
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	दिनांक- 20.09.18
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	दिनांक- 20.09.18
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	दिनांक- 20.09.18
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	दिनांक- 20.09.18

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]

[illegible]

क्षेत्रीय अधिकारी

Copyright jagran.com

7651

SBI

...ing Unit, Corporate Centre, State Bank Bhavan, ...floor, Madam Cama Road, Mumbai 400 021

REQUEST FOR PROPOSAL

...k of India has issued a Request for Proposal (RFP) ...ointment of consultant for conducting employee ...ation cum mass communication programme. For details, ...ase see 'procurement news' at bank's website https://bank.sbi

Sd/-
Deputy General Manager
(Strategic Training Unit)

Mumbai
17.08.2018

Tamil Nadu Medicinal Plant Farms & Herbal Medicine Corporation Ltd.

(A Government of Tamil Nadu Undertaking)
Arignar Anna Hospital Campus, Arumbakkam, Chennai - 600 106.
Phone: 044-26216096, Fax: 26216489

TENDER NOTICE REF : 356/TAMPCOL/OT/MED/2018-19

[illegible]

MANAGING DIRECTOR

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भुवनेश्वर

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS), BHUBANESWAR

File No.: AIIMS/BBSR/Engg./ 030 /2018-19 Dated: 16th Aug 2018

NOTICE INVITING E-TENDER

The All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhubaneswar invites e-Tender for the Work "**External Painting around Hospital Building of AIIMS, Bhubaneswar**" (NIT No.: AIIMS/BBSR/Engg./ 012 /2018-19). The detailed Tender Document along with Last Date & Time of Submission of Tender can be viewed & Downloaded from the website **www.aiimsbhubaneswar.edu.in, www.tenderwizard.com/AIIMSBBSR & CPP Portal www.eprocure.gov.in.**

Sd/-
Executive Engineer (Civil)
AIIMS, Bhubaneswar

कार्यालय उपनिदेशक (नि./पो.)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ. प्र.

नवीन गल्ला मण्डी स्थल, महेवा पुर्वी, गोरखपुर - 273016

पत्रांक: नि./गो-(1)/2018-613 दिनांक: 16-8-2018

ई-निविदा शुद्धि-पत्र

कार्यालय पत्रांक-नि./गो. (निविदा)/2018-548 दिनांक 02.08.2018 द्वारा दिनांक 14.08.2018 को ई-निविदा आमंत्रित निविदा के क्रमांक-5 नवीन मण्डी स्थल, देवरिया 04 नग बाहर कूलर आदि..., बाहर प्यूरीफायर 04 नग के.बी.ए. ... सम्बन्धित बाहर कूलर केज आदि की कार्य की निविदा अपरिहार्य कारणों से बढ़ा कर दिनांक 29.08.2018 को ई-निविदा आमंत्रित की जाती है दिनांक 26.08.2018 को 1:00 बजे तक निविदा लोड कर सकते है तथा दिनांक 29.08.2018 को 11.30 बजे निविदा खोली जायेगी। समस्त बिड डाक्यूमेन्ट एवं समस्त आवश्यक प्रपत्र सहित कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। शेष नियम एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगे।

भवदीय
ह0/-
उप निदेशक (नि./पो.)
मण्डी परिषद, गोरखपुर

TAMIL NADU ENERGY DEVELOPMENT AGENCY

(A Govt of Tamil Nadu Undertaking)

TENDER NOTICE

[illegible]

General Manager/TEDA

CHANDIGARH HOUSING BOARD

PRESS NOTICE

'e' Procurement System

Executive Engineer-V (Elect.) on behalf of the Chairman, Chandigarh Housing Board ... invites sealed Percentage rate Tenders through e-Procurement process from the Specialized Agencies Firms Contractors / Tenderers in UT Engineering Department, CPWD, MES, Punjab PWD, Haryana PWD & Himachal PWD enlisted for specialized works of Fire Alarm System in two envelope system for the following work:-

Name of work	Estimated cost put to tender	Earnest Money	Time allowed	Cost of tender Document
Providing Fire Alarm System for construction of 216 Nos Two Bed Room flats in Sector 51 A, Chandigarh	Rs. 9.38 Lac	Rs. 18,800/-	4 Months	Rs. 500/-

1. Milestone dates of Electronic Tendering

I	Downloading of e-Tender documents	Start Date: 21.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 30.08.2018 up to 1700 Hrs.
II	Clarification regarding bank details/any schedule of quantities and set of terms	Start Date: 21.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 30.08.2018 up to 1600 Hrs.
III	Date of submission of e-TENDER	Start Date: 21.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 30.08.2018 up to 1700 Hrs.
IV	Physical submission of EMD, Tender fee, Eligibility Documents and other necessary documents	Start Date: 30.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 04.09.2018 up to 1100 Hrs.
V	Opening of Technical Bids Online	04.09.2018 at 1100 Hrs.
VI	Opening of Price Bids	To be intimated to all eligible Bidders separately

2. Bid Document can be downloaded from the website http://etenders.gov.in or http://etenders.chd.nic.in/nicgep
3. All other terms and conditions, instructions to bidder regarding e-tendering process etc. may kindly be seen from the detailed Notice Inviting Tender (NIT) available/ downloadable on the above noted web sites of Chandigarh Administration.

Also Available at: www.chandigarh.gov.in

Executive Engineer-V(Elect.)
for & on behalf of Chairman
Chandigarh Housing Board Chandigarh

दूरभाष नं.-05192-220048

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः ए-39, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/ मोरम माइनिंग प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के संबंध में पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किए गए है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1.	श्रीमती कौशल्या सेंगर, कॉन्ट्रैक्टर, निवासी- ग्रा. टीकापुर, कुनकारा, जिला-मैनपुरी, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 17/5 ग्राम- ..., तहसील व जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-18.09.18
2.	मैसर्स विकास इंटरप्राईजेज द्वारा श्री विकास ..., निवासी- ... तहसील व जनपद-हमीरपुर।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	ग्राम-... तहसील व जनपद-हमीरपुर	36.437 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-18.09.18
3.	मैसर्स राम ट्रेडर्स द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह, निवासी-... थाना म.प्र. ..., उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-9/3, ग्राम-..., तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.7698 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-18.09.18
4.	मैसर्स ... द्वारा श्री ..., निवासी- ई-7, एमआईजी 441 ... कालोनी, ... भोपाल, म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-11/4, ग्राम-..., तहसील व जनपद-हमीरपुर।	17.408 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-18.09.18
5.	मैसर्स ... ट्रेडर्स द्वारा श्री ..., निवासी ग्राम- ..., ..., जिला-कानपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-10/36, ग्राम-..., तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.44 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-18.09.18
6.	मैसर्स ... इंटरप्राईजेज द्वारा श्री ... कुमार पाण्डे, निवासी म.नं.-271, ... खण्ड-3, गोमतीनगर, लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/20, ग्राम- ..., तहसील- ..., जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील ... परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
7.	मैसर्स ..., निवासी- ..., ..., जिला-गोण्डा, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/14, ग्राम-..., तहसील- ..., जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील ... परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
8.	मैसर्स ... ट्रेडर्स, द्वारा श्री ... सिंह ..., निवासी-म.नं.-1095, ...-2, ... कालोनी, सेक्टर-3, ..., लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/7, ग्राम-..., तहसील-..., जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील ... परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
9.	मैसर्स एस.डी. इंटरनेशनल द्वारा श्री दीपक ..., निवासी- 7/897, म.नं.-..., तिलक नगर, कानपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	ग्राम- ..., तहसील-..., जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील ... परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
10.	मैसर्स ... प्रा. लि. द्वारा श्री ... चन्द मिश्रा, निवासी- म.नं.-... 06, ..., जिला लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड नं.-26/7, ग्राम-..., तहसील-..., जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील ... परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
11.	मैसर्स ... द्वारा श्री ... सिंह ..., म.नं.-101, ... नगर, ग्वालियर, म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड नं.-26/3, ग्राम-..., तहसील-..., जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील ... परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
12.	मैसर्स ... द्वारा श्री ... सिंह, निवासी-405 ..., ..., उरई, जालौन, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड नं.-23/19, ग्राम-..., तहसील-..., जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील ... परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
13.	[illegible]	[illegible]	खण्ड नं.-23/18 [illegible]	12.145 [illegible]	[illegible]	दिनांक-[illegible]
14.	मैसर्स ... प्रा. लि. द्वारा श्री ... चन्द मिश्रा, निवासी- म.नं.-... 06, ..., जिला लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड नं.-22/15, ग्राम-..., तहसील-..., जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील ... परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-19.09.18
15.	मैसर्स ... प्रा. लि. द्वारा श्री ..., म.नं.-10, ..., ..., म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड नं.-30/1, ग्राम-..., तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-20.09.18
16.	मैसर्स ... प्रा. लि. द्वारा श्री ... कुमार ..., निवासी- ग्राम- ..., ..., ... के पास, ..., बिहार।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड नं.-30/3, ग्राम-..., तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-20.09.18
17.	मैसर्स ... प्रा. लि. द्वारा श्री ..., म.नं.-10, ..., ..., म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड नं.-30/2, ग्राम-..., तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.44 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-20.09.18
18.	मैसर्स डी.बी. कांस्ट्रक्शन द्वारा श्रीमती ... देवी निवासी-..., तहसील- ..., ..., जिला श्रावस्ती, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	ग्राम-..., तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 20.09.18
19.	मैसर्स ... ट्रेडर्स द्वारा श्री ..., निवासी- ग्राम व पोस्ट-..., तहसील-..., जिला-बांदा, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड नं.-29/1, ग्राम-..., तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	12.14 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक-20.09.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ 1533 दिनांक 14-09-2006 यथा संशोधित-एस.ओ 3067 (ई) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1- जिलाधिकारी कार्यालय जनपद-हमीरपुर।
2- महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ए-39 आवास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला पंचायत हमीरपुर।
6- क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार, पंचम् तल, सेक्टर-एच अलीगंज लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते है अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

पत्रांक- 503/प्र.वि./ लोक सु./2018 दिनांक- 16.08.18

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

... ई-निविदा सूचना सं.- ECTC, ALLD/2018-19 ... ECTC, ALLD/2018-19 ... http://etender.up.nic.in ... 22.08.2018 ... 24.09.2018 ... 15.30 ...

115 SbRLY(10)

TELANGANA STATE MEDICAL SERVICES & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION

[illegible]

MANAGING DIRECTOR

NORTH EASTERN RAILWAY E-Tender Notice

[illegible]

CPRO/E-55

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना दिनांक- 18.08.2018

जनपद इटावा में इटावा सफारी पार्क, इटावा के सीवर्स सफारी में निम्न कार्यों की निविदा परिषद में सुसंगत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से अति अल्पकालीन ई-निविदा टू-बिड पद्धति पर ई-प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन द्वारा आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण, नियम व शर्तें परिषद की वेबसाइट www.upavp.in तथा https://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	ई-निविदा अपलोड करने की प्रारम्भिक तिथि	टेक्निकल बिड खुलने की तिथि व समय	फाइनेंशियल बिड खुलने की तिथि व समय
1	इटावा सफारी पार्क, इटावा के सीवर्स सफारी में ... के ... हेतु ... का कार्य।	20.08.2018 अपराह्न 3.00 बजे	30.08.2018 अपराह्न 3.00 बजे	30.08.2018 अपराह्न 3.00 बजे

इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। — (प्रदीप कुमार) अधिशासी अभियन्ता

उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. ई-निविदा ... www.etender.up.nic.in ... (RTGS/ NEFT IFS Code-PUNB0054000 A/C No 0540002100192006) ... ई-निविदा सं.- डी.-78/ वि.पा.स.खं./ 2018-19, ... 132 के.वी. ... 12.09.2018, 11:00 बजे तक ... 13.09.2018, 12:00 बजे ... GST ... (Same work/ Supply) ... www.etender.up.nic.in ... संख्या- 1441/ ई.टी.डी.सी./ डी-2

उ.प्र. पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि. ... निविदा ... दिनांक- 30.08.2018 को 16.00 बजे तक ... 17:00 बजे ... (RTGS/ NEFT IFS CODE-PUNB0054000 A/C No 0540002100192006) ... डी.-80/ वि.पा.स.खं./ 2018-19 ... 132 के.वी. ... 115 एवं 118 ... (धरोहर धनराशि रु.- 4000.00) (निविदा शुल्क- 224.00) जी.एस.टी. सहित (200+24) ... डी.-81/ वि.पा.स.खं./ 2018 ... 119 एवं 121 ... (धरोहर धनराशि रु.- 4000.00) (निविदा शुल्क- 224.00) जी.एस.टी. सहित (200+24) ... डी.-82/ वि.पा.स.खं./ 2018 ... 106, 109, 110 एवं 114 ... (धरोहर धनराशि रु.- 4000.00) (निविदा शुल्क- 224.00) जी.एस.टी. सहित (200+24)। ह0/- अधीक्षण अभियन्ता ... "राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें" ... ई.टी.डी.सी./ डी-2

7652

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं० एस०ओ 1533 दिनांक 14-09-2006 यथासंशोधित एस०ओ० - 3067(E) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में है :-

1.) मैसर्स बालाजी इण्टरप्राईजेज द्वारा श्री नवनीत कुमार पाण्डे, म०नं०- 27 विश्वास खण्ड - 3, गोमतीनगर, लखनऊ, उ०प्र०।

2.) मैसर्स पहलवान ट्रेडर्स द्वारा श्री कैलाश सिंह यादव, निवासी - मकान नं० - 1095 स्ट्रीट नं० - 2, उकुर कालोनी, सेक्टर - 3, उतरहिया, रायबरेली रोड, लखनऊ,

3.) मैसर्स हरिहर मिनरल्स एण्ड एल्स की द्वारा श्री रामऔतार सिंह, निवासी - 405 खण्ड, स्कूल, उरई, जालौन, उ०प्र०।

4.) मैसर्स श्री कान्हा कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा श्री अनिल दीक्षित, निवासी - गौरव बंगला, त्यागी नगर, मोरार, ग्वालियर, म०प्र०।

द्वारा साधारण बालू / मोरम खनन हेतु प्रस्ताव पर परियोजना स्थल

1.) खण्ड सं० 23/20, ग्राम - भेड़ी खरका, तहसील - सरीला, जनपद - हमीरपुर

2.) खण्ड सं० 23/7, " " " " " "

3.) खण्ड सं० 23/19, " " " " " "

4.) खण्ड सं० 23/13, " " " " " "

मे दिनांक 19-09-2018 को लोक सुनवाई के सम्बन्ध मे उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति का विवरण :-

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं०	ह
1.	विनय प्रकाश श्रीवास्तव	ADM, HAMIRPUR	9454417604	
2.	कमलेश कुमार राय	MINES OFFICER, HAMIRPUR	9452290110	
3.	डा० माधवी कुमलवंशी	A.S.O., UPPCB, JHANSI	7839891909	
4.	राजकरन वर्मा	S.A., UPPCB, BANDA	7839891918	
5.	बजरंगवाह सिंह निषाद	रिंकू कुजूर	9918374684	
6.	सै० सैफ	रिंकू बसोरिया	9565121000	
7.	आतिफुर रहमान	ए.के.	9565120	
8.	जोधई सिंह	रुकमन सोरिया	9415698480	
9.	[illegible]	पूर्ण पुरुषार्थ अपेक्षित	9935607426	
10.	शिवबालक	दिनकर	8948201811	
11.	[illegible]	विद्याधरी -	70[illegible]	
		हमीरपुर	9918606326	

7653

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 683/लोक सुनवाई/18 दिनांक: 27/9/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स हरिहर मिनरल्स एल0एल0पी0 के पक्ष में स्वीकृत खंड संख्या–23/19 क्षेत्रफल–12.145 हे0 (194304 घन मी0/वर्ष) ग्राम–भेडी खरका, तहसील–सरीला, जनपद–हमीरपुर में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 24708/सी–2/एनओसी–4279/बॉदा/18 दिनांक 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई प्रस्तावित खनन स्थल तहसील–सरीला सभागार, जनपद–हमीरपुर में दिनांक 19.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

7654

ण्ड संख्या– 23/19, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स हरिहर मिनरल्स एल0एल0पी0 द्वारा खनन पट्टे व क्षेत्रफल 12.145 हे0 ग्राम–भेड़ी खरका, तहसील– सरीला, जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारक की सैण्ड/मौर माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 19.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स हरिहर मिनरल्स के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या– एच 24704/सी–2/एनओसी –4279/बांदा/18 दिनांक 10.08.2018 जो जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 19.09.2018 को तहसील– सरीला व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक 19.09.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील सरीला सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री कमलेश कुमार राय, खान अधिकारी, हमीरपुर।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे खण्ड संख्या– 23/19, ग्राम– भेड़ी खरका, तहसील– सरीला, जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त

7655

सूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है परन्तु इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है तथा परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है जिसकी एक–एक प्रति उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर, जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर एवं जिला पंचायत हमीरपुर के कार्यालयों में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड वॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी

7656

जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है इसलिए अभी तक खनन पट्टे का संचालन लम्बित पडी हुई है तथा सम्बन्धित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया परन्तु ग्रामवासियों द्वारा कोई प्रश्न नही किया गया। तत्पश्चात् जिला खान अधिकारी को उक्त खनन कार्य हेतु ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये आमंत्रित किया गया। स्वागत करते हुये उक्त परियोजना में जब भी खनन कार्य प्रारम्भ किया जायेगा तब वाहनों के आवागमन हेतु सड़क मार्ग की मरम्मत व रखरखाव, सड़क के किनारे, प्रस्तावित स्थल या प्रस्तावित स्थल के निकटतक अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, गाटा सं0 के निकटतम खेतो पर बारी को नुकसान न पहुचाना एवं बारी का नियमावली में यह प्राविधान है कि जो भी पट्टेधारक है यदि किसी कारण काश्तकार का खनन कार्य की वजह से नुकसान होता है तो उसका मुआवजा देना होगा अथवा उसको प्रतिकर दिया जायेगा यदि आपसी सुलह से समाधान नही निकलता है तो शासन द्वारा उक्त समस्या का निराकरण किया जायेगा। वाहन चलाने से यदि सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होता है तो डिस्ट्रिक मिनरल फाउन्डेशन ट्रस्ट के नियमावली है कि खनिज की रायल्टी का 10 प्रतिशत पट्टेधारक द्वारा खनिज निधि में जमा कराया जायेगा तथा खनन क्षेत्र में कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जायेगी। हैण्डपम्प, (पेयजल) सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु सभी पट्टेधारको को पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य है। अतः आप सभी स्थानीय ग्रामवासी शासन को जिलाधिकारी , ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान एवं शासन को अपने प्रस्ताव दे ताकि ग्राम विकास का कार्य किया जा सकें। पट्टेधारक द्वारा खनन क्षेत्र में खाने पीने के सामान हेतु प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट का निस्तारण सुचारू रूप से किया जायें, प्लास्टिक वेस्ट उत्पन्न न किया जाये प्लास्टिक वेस्ट का निस्तारण नगर निगम, हमीरपुर द्वारा किया जायेगा।

7657

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि खनन योजना के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव बनाये गये है उनकी मई और दिसम्बर में अनुपालन आख्या व DEIAA, SEIAA द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में दी गयी सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों का पूर्णतया पालन किया जाता है यदि अनुपालन आख्या नही भेजी जाती है तो अनापत्ति अस्वीकृत किये जाने का प्राविधान है।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी द्वारा पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि अनुपालन आख्या समय समय पर भेजी जायेगी व सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया जायेगा एवं पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जायेगा, सड़क की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य भी आवश्यकतानुसार किया जायेगा। खनन स्थल पर पालीथीन का उपयोग नही किया जायेगा क्योकि वर्तमान समय में यह प्रकरण अतिसंवेदनशील है। अतएव इसका इस्तेमाल कदापि न करें। सड़क के किनारें एवं खनन क्षेत्र अथवा ग्राम के निकटतम क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें। नियम व शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जायें।

अन्त में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को सुझाव दिया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें एवं ढुलाई के समय बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर लाना है, इसी के साथ उपस्थित जनसमुदाय का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

19/09/18

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

19/9/18

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

रुकमाखुर्द के लिए शुरु हुई रोडवेज बस सेवा

तिरंगा फहरा वीरों को किया याद

धूमधाम से मना स्वतंत्रता [illegible] नगरी ने किए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान

पूर्वजों की कुर्बानी याद [illegible] आजादी का पर्व

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

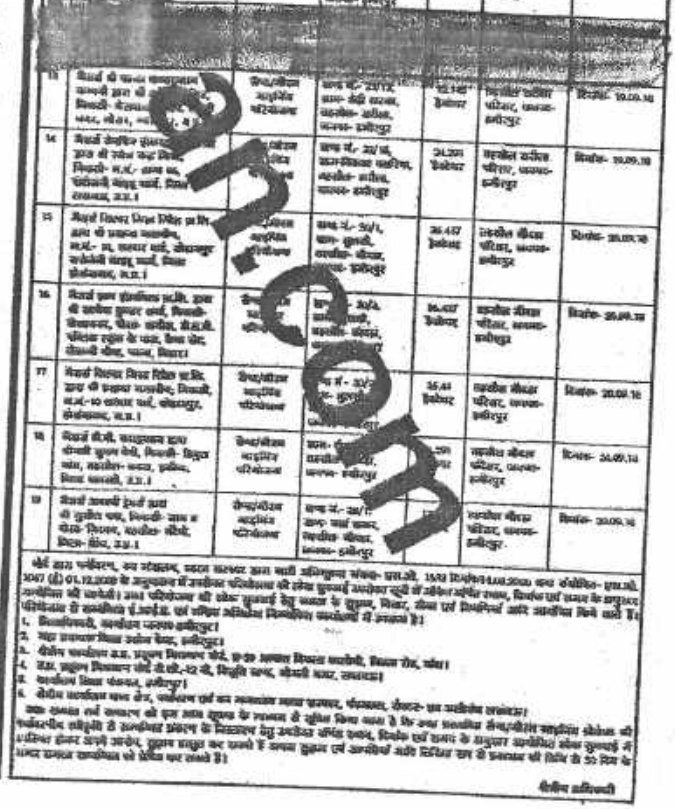

7659

SBI
Request for Proposal
State Bank of India has issued a Request for Proposal (RFP) for appointment of consultant for conducting employee intervention cum mass communication programme. For details, please see 'procurement news' at bank's website https://bank.sbi
Deputy General Manager

Tampcol
Tamil Nadu Medicinal Plant Farms & Herbal Medicine Corporation Ltd.
TENDER NOTICE
Managing Director

All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhubaneswar
NOTICE INVITING E-TENDER
The All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhubaneswar invites E-Tender for the Work "External Painting of Ground Hospital Building of AIIMS, Bhubaneswar". The detailed Tender Document along with Last Date & Time of Submission of Tender can be viewed & Downloaded from the website www.aiimsbhubaneswar.edu.in, www.tenderwizard.com/AIIMSBBSR & CPP Portal www.eprocure.gov.in.
Sd/-
Executive Engineer (Civil)
AIIMS, Bhubaneswar

कार्यालय उपनिदेशक (नि.वां.)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ. प्र.
नवीन गल्ला मण्डी स्थल, महेवा चुंगी, गोरखपुर - 273016
ई-निविदा शुद्धि-पत्र
उप निदेशक (नि./वा.)
मण्डी परिषद, गोरखपुर

Tamil Nadu Energy Development Agency (TEDA)
TENDER NOTICE
General Manager/TEDA

Chandigarh Housing Board
PRESS NOTICE
'e' Procurement System
Executive Engineer-V/Elect for & on behalf of Chairman, Chandigarh Housing Board, Chandigarh

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दूरभाष नं.-05192-220049

क्षेत्रीय कार्यालय: ए-39, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/ मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के संबंध में पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृत संबंधित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1.	मैसर्स [illegible], निवासी- [illegible], जिला महोबा, उ.प्र.	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 17/5 ग्राम- महलवा, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 18.09.18
2.	मैसर्स [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	ग्राम- पत्योरा, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 18.09.18
3.	मैसर्स [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-9/3, ग्राम- [illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	30.7696 हेक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 18.09.18
4.	मैसर्स [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-11/4, ग्राम- [illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	37.408 हेक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 18.09.18
5.	मैसर्स [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-10/36, ग्राम- [illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.44 हेक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 18.09.18
6.	मैसर्स [illegible], लखनऊ, उ.प्र.	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/20, ग्राम- [illegible], तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 19.09.18
7.	मैसर्स [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/14, ग्राम- [illegible], तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 19.09.18
8.	मैसर्स [illegible], लखनऊ, उ.प्र.	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/7, ग्राम- [illegible], तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 19.09.18
9.	मैसर्स [illegible], कानपुर, उ.प्र.	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	ग्राम- [illegible], तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 19.09.18
10.	मैसर्स [illegible], लखनऊ, उ.प्र.	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-26/7, ग्राम- [illegible], तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 19.09.18
11.	मैसर्स [illegible], म.प्र.	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-26/3, ग्राम- [illegible], तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 19.09.18
12.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.	मैसर्स [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-23/13, ग्राम- [illegible], तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 19.09.18
14.	मैसर्स [illegible], लखनऊ, उ.प्र.	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-22/15, ग्राम- [illegible], तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 19.09.18
15.	मैसर्स [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-30/1, ग्राम- [illegible], तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेयर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 20.09.18
16.	मैसर्स [illegible], बिहार।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-30/3, ग्राम- [illegible], तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेयर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 20.09.18
17.	मैसर्स [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-30/2, ग्राम- [illegible], तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	[illegible] हेक्टेयर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 20.09.18
18.	मैसर्स [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	ग्राम- [illegible], तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेयर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 20.09.18
19.	मैसर्स [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.-29/1, ग्राम- [illegible], तहसील-मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	12.14 हेक्टेयर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 20.09.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ 1533 दिनांक 14-09-2006 यथा संशोधित-एस.ओ 3067 (ई) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय पर आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1- जिलाधिकारी कार्यालय जनपद-हमीरपुर।
2- महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ए-39 आवास कालोनी, चिल्ला रोड, बाँदा।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला पंचायत हमीरपुर।
6- क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार, पंचम् तल, सेक्टर-एच अलीगंज लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियाँ आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते हैं।

पत्रांक- 503/क्षे.नि./ लोक सु./2018

क्षेत्रीय अधिकारी
दिनांक- 16.08.18

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Telangana State Medical Services & Infrastructure Development Corporation

North Eastern Railway
E-Tender Notice

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अति अल्पकालिक ई-निविदा सूचना
www.upavp.in
(प्रदीप कुमार) अधिशासी अभियन्ता

7660

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 661/लोकसुनवाई/18 दिनांक: 27/9/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स श्रीमती कौशल्या चौबे के पक्ष में स्वीकृत खंड संख्या–17/5 क्षेत्रफल–12.145 हे0 (145728 घन मी0/वर्ष) ग्राम–सहजना, तहसील व जनपद–हमीरपुर में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 24709/सी–2/एनओसी–4288/बाँदा/18 दिनांक 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई प्रस्तावित खनन स्थल ~~ग्राम–सहजना,~~ तहसील व जनपद–हमीरपुर में दिनांक 18.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

7661

<u>ख्या– 17/5, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स श्रीमती कौशल्या चौबे द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 12.हे0 ग्राम–सहजना, तहसील व जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारकों की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 18.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–</u>

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स श्रीमती कौशल्या चौबे कॉन्ट्रेक्टर के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24709/सी–2/एनओसी–4288/बांदा/18 दिनांक 10.08.2018, जो कि जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पर जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 18.09.2018 को तहसील व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक 18.09.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील प्रांगण स्थित बार कोर्ट सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. श्री विजय कुमार मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
3. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
4. श्री कमलेश कुमार राय, खान अधिकारी, हमीरपुर।
5. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
6. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

श्री विजय कुमार मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जनसमुदाय को अवगत कराया गया। उक्त परियोजना में

रिम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे खण्ड संख्या– 17/5, ग्राम– सहजना, तहसील व पद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है परन्तु इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है तथा परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है जिसकी एक–एक प्रति उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर, जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर एवं जिला पंचायत हमीरपुर के कार्यालयों में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड बॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा।

7663

कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार रखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है इसलिए अभी तक खनन पट्टे का संचालन लम्बित पडी हुई है तथा सम्बन्धित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री मुनीर खान, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मुक्ति मोर्चा, बुन्देलखण्ड, भाजपा द्वारा पूछा गया कि खनन कार्य प्रारम्भ होने पर आवागमन अत्यधिक होने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे आने जाने में ग्रामवासियो को असुविधा होती है। अतः सड़क का रखरखाव एवं मरम्मत कार्य ससमय होता रहें। खनन कार्य के समय भारी वाहनों के आवागमन गांव एवं स्कूल के निकटतम क्षेत्र से न हो एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में रखा जाये। खदान से खनन कार्य हेतु भारी वाहनों के उपयोग के समय सड़क के मध्य व आस–पास के वृक्षो का काट दिया जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि यदि 1 पेड़ काटा जाये तो उसके स्थान पर 10 पेड़ लगाये जाये ताकि पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ें।

उक्त के सम्बन्ध में परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि रास्ते में जो वृक्ष एवं पेड़ काटे जायेगें उनके स्थान पर वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा तथा सुरक्षा हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायेगे एवं कुल परियोजना लागत की 5 प्रतिशत की धनराशि में ग्राम से सभी विकास कार्य कराये जायेगें। गावं एवं स्कूल के निकटतम क्षेत्र से वाहनों का आवागमन नही किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियमों का अनुपालन किया जायेगा। यदि प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का सुझाव दिया जाता है तो उसका कियान्वयन किया जायेगा। यदि पट्टेधारक द्वारा उक्त कोई भी कार्य नही किये जाते है तो सम्बन्धित पट्टेधारक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी जिसमें पट्टा धारक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही

वगी जिसमें पट्टा धारक को सशर्त निर्गत प्रमाण पत्रों को अस्वीकृत/रिवोक किया जाना भी सम्मलित है।

पट्टेधारक द्वारा अवगत कराया गया कि सैण्ड/मोरम की लोडिंग हेतु भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार हो तथा शासन द्वारा अनुमति लेकर ही मशीनों द्वारा कार्य किया जायेगा। छोटी– 2 मशीनों का प्रयोग किया जायेगा तथा अधिकतम कार्य मजदूरों से किया जायेगा।

खान अधिकारी, हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि खनिज कार्य अनुशासन में किया जायेगा तथा खनिज की रायल्टी का 10 प्रतिशत पट्टेधारक द्वारा जिला खनिज निधि में जमा कराया ग्राम विकास हेतु व्यय किया जायेगा जैसे– चिकित्सा, शौचालय, पर्यावरण एवं सड़क निर्माण/मरम्मत का कार्य किया जायेगा। खनन क्षेत्र में रास्ता बनाना के दौरान गैर प्रतिबन्धित झाडियों का उपयोग किया जायेगा एवं कोई भी पेड़ काटने की अनुमति नही दी जायेगी। सी0ई0आर0 के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा तथा पट्टेधारक द्वारा सहमति जतायी गयी।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि खनन कार्य नियमानुसार किया जायेगा, खनन कार्य गलत न करें एवं जानबूझकर नियमों का उल्लंघन न किया जाये। नदी के आस–पास वृक्षारोपण संभव न हो तो निकटतम गांव में अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें एवं सी0ई0आर0 के अतर्गत हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सालय, शौचालय एवं विद्यालय की मरम्मत आदि कराये जायें, जो ग्राम विकास हेतु अनिवार्य है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा पट्टा धारकों को निर्देशित किया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा एवं ढुलाई के समय बालू को ढककर लाना है, गीला बालू रखना है इसी के साथ अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

18/09/18	18-09-2018	18-9-18
(डा0 माधवी कमलवंशी)	(विजय कुमार मिश्र)	(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,	क्षेत्रीय अधिकारी,	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	जनपद–हमीरपुर
झाँसी	बाँदा	

7665

जागरण
www.jagran.com

रुकमाखुर्द के लिए शुरु हुई रोडवेज बस सेवा

तिरंगा फहरा वीरों को किया याद

धूमधाम से मना स्वतंत्रता [illegible] ने किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान

पूर्वजों की कुर्बानी याद [illegible] आजादी का पर्व

SPECIMEN

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

SPECIMEN

उत्तर प्रदेश पुलिस

की

ओर से आप सभी को

स्वतंत्रता दिवस की

हार्दिक शुभकामनाएँ

#नहींभूलेबलिदान

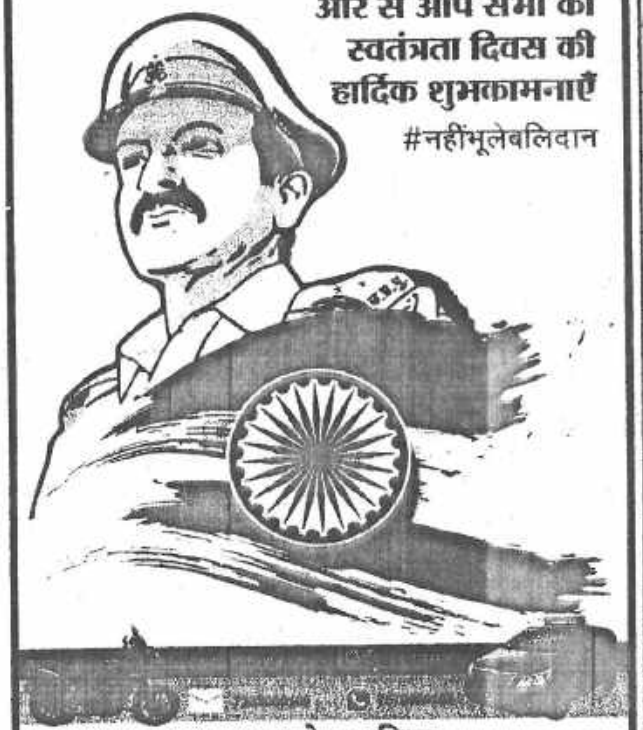

उत्तर प्रदेश पुलिस

Public Relations Office, DGP HQs, Lucknow

7666

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं० एस०ओ० 1503 दिनांक 14-09-2006 यथासंशोधित एस०ओ० 3067 (ई०) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में मेसर्स श्री मती कैशल्या चौधरी कॉन्ट्रेक्टर, निवासी मुo टोरिया (उ), कुलपहाड, जिला - महोबा, उ०प्र० द्वारा साधारण बालू / मोरम खनन हेतु प्रस्ताव पर परियोजना स्थल खण्ड सं० - 17/5, ग्राम - सहजना, तहसील व जनपद हमीरपुर में दिनांक 18-09-2018 को लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों / कर्मचारियों एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति का विवरण :-

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1.	विनय प्रकाश श्रीवास्तव	ADM, HAMIRPUR	9454417604	
2.	कमलेश कुमार राय	Planning Officer, Hamirpur	9452290110	
3.	विजय कुमार मिश्र	[illegible]	9721000027	
4.	[illegible]	[illegible]	7839891918	
5.	राज करन वर्मा	[illegible]	7839891918	
6.	[illegible]	[illegible]	8604036411	
7.	[illegible]	[illegible]	9450051613	
8.	[illegible]	कुलपहाड	9935103328	
9.	मुनीर खान पलकार	[illegible]	9415453560	
10.	शुऐब अख्तर	[illegible]	9953316227	
11	परिणाम दयानंद	केसरिया का डेरा केसरिया	6388101388	
11	जगदीश	केसरिया खाडरा		
12	अखिल	केसरिया का डेरा		
13	जमील अख्तर	हमीरपुर	9415659202	
14	रविन्द्र सेन	खेरपन्ना	6392189409	
15	राकेश कुमार	कर्वी	9455599990	
16	ब्रजेश कुमार चौरसिया	सहजना (ग्राम प्रधान)	8318107116	
17				

7667

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 667/लोकसुनवाई/18 दिनांक: 27/9/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स इण्डस माइन्स एण्ड मिनरल्स के पक्ष में स्वीकृत खंड संख्या–11/4 क्षेत्रफल–17.408 हे0 (278502 घन मी0/वर्ष) ग्राम–रमेडी, तहसील व जनपद–हमीरपुर में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 24715/सी–2/एनओसी–4289/बॉदा/18 दिनांक 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई प्रस्तावित खनन स्थल ग्राम रमेडी, तहसील व जनपद–हमीरपुर में दिनांक 18.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

खण्ड– 11/4, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स इण्डस माइन्स एण्ड मिनरल्स द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 1.0 है0 ग्राम–रमेड़ी, तहसील व जनपद– हमीरपुर में खनन पट्टाधारकों की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 18.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स इण्डस माइन्स एण्ड मिनरल्स के आवेदन पत्र पर सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24715/सी–2/एनओसी–4289/बांदा/18 दिनांक 10.08.2018 जो जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बाँदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा के अनुरोध पर जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 18.09.2018 को तहसील व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक 18.09.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील प्रांगण स्थित बार कोर्ट सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. श्री विजय कुमार मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
3. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी।
4. श्री कमलेश कुमार राय, खान अधिकारी, हमीरपुर।
5. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
6. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

श्री विजय कुमार मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जनसमुदाय को अवगत कराया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे खण्ड संख्या– 11/4, ग्राम– रमेड़ी, तहसील व जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित

ाना प्राविधानित है परन्तु इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट 7669 असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है तथा परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है जिसकी एक–एक प्रति उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर, जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर एवं जिला पंचायत हमीरपुर के कार्यालयों में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड बॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है इसलिए

..क खनन पट्टे का संचालन लम्बित पडी [illegible] तथा सम्बन्धित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री दयाराम, किशनगढ द्वारा कहा गया कि खनन कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ किया जाये ताकि ग्रामवासियों को रोजगार मिलें एवं श्रमिक के रूप में ग्रामवासियों को ही लिया जाये तथा खनन स्थल पर शौचालय का निर्माण किया जायें।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि सी0ई0आर0 में स्थानीय प्रशासन के परामर्श व उनकी देखरेख में भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है परन्तु ग्रामवासियों को सी0ई0आर0 के अंतर्गत शौचालय का निर्माण किया जायेगा।

श्री मुनीर खान, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मुक्ति मोर्चा, बुन्देलखण्ड, भाजपा द्वारा कमशः प्रश्न पूछा गया कि खनन कार्य प्रारम्भ होने पर आवागमन अत्यधिक होने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे आने जाने में ग्रामवासियो को असुविधा होती है। अतः सड़क का रखरखाव एवं मरम्मत कार्य ससमय होता रहें। खनन कार्य के समय भारी वाहनों के आवागमन गांव एवं स्कूल के निकटतम क्षेत्र से न हो एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में रखा जाये। खदान से खनन कार्य हेतु भारी वाहनों के उपयोग के समय सड़क के मध्य व आस–पास के वृक्षो का काट दिया जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि यदि 1 पेड़ काटा जाये तो उसके स्थान पर 10 पेड़ लगाये जाये ताकि पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ें।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि रास्ते में जो वृक्ष एवं पेड़ काटे जायेगें उनके स्थान पर वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा तथा सुरक्षा हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायेगे एवं 5 प्रतिशत की धनराशि में ग्राम के सभी विकास कार्य किये जायेगें। गावं एवं स्कूल के निकटतम क्षेत्र से वाहनों का आवागमन नही किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियमों का अनुपालन किया जायेगा। यदि प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का सुझाव दिया जाता है तो उसका कियान्वयन किया जायेगा। यदि पट्टेधारक द्वारा उक्त कोई भी कार्य नही किये जाते है तो दिये जाने वाले अनापत्ति पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाये।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा यह पूछा गया कि खनन के समय वाहनो में लोडिंग कार्य मशीनों द्वारा किया जायेगा या मजदूरों द्वारा किया जायेगा।

पट्टेधारक द्वारा अवगत कराया गया कि लोडिंग हेतु छोटी मशीनों का प्रयोग किया जायेगा तथा अधिकतम कार्य मजदूरों से लिया जायेगा जो कि भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार हो तथा शासन द्वारा अनुमति लेकर मशीनों द्वारा कार्य लिया जायेगा।

खान अधिकारी, हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि खनिज कार्य अनुशासन में किया जायेगा तथा 7671 प्रतिशत जिला खनिज निधि को जमा कर ग्राम विकास हेतु व्यय किया जायेगा जैसे– चिकित्सा, शौचालय, पर्यावरण एवं सड़क निर्माण/मरम्मत का कार्य किया जायेगा। खनन क्षेत्र में रास्ता बनाना के दौरान गैर प्रतिबन्धित झाडियों का उपयोग किया जायेगा एवं कोई भी पेड़ काटने की अनुमति नही दी जायेगी। सी0ई0आर0 के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा तथा पट्टेधारक द्वारा सहमति जतायी गयी।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि खनन कार्य नियमानुसार किया जायेगा, खनन कार्य गलत न करें एवं जानबूझकर नियमों का उल्लंघन न किया जाये। नदी के आस–पास वृक्षारोपण संभव न हो तो निकटतम गांव में अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें एवं सी0ई0आर0 के अतर्गत हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सालय, शौचालय एवं विद्यालय की मरम्मत आदि कराये जायें, जो ग्राम विकास हेतु अनिवार्य है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा पट्टा धारकों को निर्देशित किया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा एवं ढुलाई के समय बालू को ढककर लाना है, गीला बालू रखना है इसी के साथ अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

18-09-2018
(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बाँदा

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

7672

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं० एस०ओ० 1533 दिनांक 14-09-2006 यथासंशोधित एस०ओ० 3067(ई०) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में मैसर्स इण्डस माइन्स एण्ड मिनरल्स द्वारा श्री विकास परमानी, निवासी-ई-7, HIG-44A, अरेरा कालोनी, हुजूर आर०ओ० नगर, भोपाल, M०P० द्वारा साधारण बालू / मोरम खनन हेतु प्रस्ताव पर पारि स्थल खसरा सं० - 11/4, ग्राम - रमेंडी, तहसील व जनपद - हमीरपुर में दिनांक - 18.09.2018 को लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति का विवरण :-

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं०	हस्ता
1.	विनय प्रकाश श्रीवास्तव	ADM, HAMIRPUR	9454417604	
2.	कमलेश कुमार राय	mines officer, hamirpur	9452290110	
3.	विजय कुमार मिश्र	क्षे०अधि०, UPPCB, बांदा	9721000029	
4.	श्रीमती माधवी कमलवंशी	सहा० क्षेत्रीय अधि०, UPPCB, हमीरपुर	8604036454	
5.	शान्तनु राज कुमार वर्मा	वैज्ञानिक सदस्य सचिव नियन्त्रण कक्ष, बांदा	7839891918	
6.	[illegible]	[illegible]	9452005163	
7.	[illegible]	[illegible]	9935103177	
8.	[illegible]	[illegible]	9415531181	
9.	खुदे व अहमद	लालपुर चौराहा	9935316227	
10.				
11	वीरपाल	केसरिया का डेरा	6388103788	
12.	दयाचन्द			
13.	जगदीश	केसरिया डेरा -		
14.	अंकित	केसरियाडेरा		
15.	[illegible]	[illegible]		
16.	प्रदीप	प्रदीप		
17.	[illegible]	[illegible]		
18.	[illegible]	[illegible]		
19.	[illegible]	हमीरपुर		

7673

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 665/लोक सुनवाई/2018 दिनांक: 27/08/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स रामा ट्रेडर्स के पक्ष में स्वीकृत खंड संख्या–09/3 क्षेत्रफल–36.7698 हे0 (492236 घन मी0/वर्ष) ग्राम–कन्दौर, तहसील व जनपद–हमीरपुर में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 24717/सी–2/एनओसी–4290/बॉदा/18 दिनांक 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई प्रस्तावित खनन स्थल ~~ग्राम–कन्दौर~~, तहसील व जनपद–हमीरपुर में दिनांक 18.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

ण्ड संख्या– 9/3, प्रस्तावित पट्टा धारक मेसर्स रामा [illegible] ग्राम–कन्दौर, तहसील व जनपद– हमीरपुर में पत्थर/बालू की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 18.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

7674

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स रामा ट्रेडर्स के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24717/सी–2/एनओसी–4290/बांदा/18 दिनांक 10.08.2018 जो जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पर जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 18.09.2018 को तहसील व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक 18.09.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील प्रांगण स्थित बार कोर्ट सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. श्री विजय कुमार मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
3. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
4. श्री कमलेश कुमार राय, खान अधिकारी, हमीरपुर।
5. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
6. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

श्री विजय कुमार मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जनसमुदाय को अवगत कराया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे खण्ड संख्या– 9/3, ग्राम– कन्दौर, तहसील व

7675

जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है परन्तु इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेंधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है तथा परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है जिसकी एक–एक प्रति उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर, जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर एवं जिला पंचायत हमीरपुर के कार्यालयों में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड बॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार

रखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है इसलिए अभी तक खनन पट्टे का संचालन लम्बित पडी हुई है तथा सम्बन्धित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री मुनीर खान, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मुक्ति मोर्चा, बुन्देलखण्ड, भाजपा द्वारा क्रमशः प्रश्न पूछा गया कि खनन कार्य प्रारम्भ होने पर आवागमन अत्यधिक होने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे आने जाने में ग्रामवासियो को असुविधा होती है। अतः सड़क का रखरखाव एवं मरम्मत कार्य ससमय होता रहें। खनन कार्य के समय भारी वाहनों के आवागमन गांव एवं स्कूल के निकटतम क्षेत्र से न हो एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में रखा जाये। खदान से खनन कार्य हेतु भारी वाहनों के उपयोग के समय सड़क के मध्य व आस–पास के वृक्षो का काट दिया जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि यदि 1 पेड काटा जाये तो उसके स्थान पर 10 पेड़ लगाये जाये ताकि पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ें।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि रास्ते में जो वृक्ष एवं पेड़ काटे जायेगें उनके स्थान पर वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा तथा सुरक्षा हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायेगे एवं 5 प्रतिशत की धनराशि में ग्राम के सभी विकास कार्य किये जायेगें। गावं एवं स्कूल के निकटतम क्षेत्र से वाहनों का आवागमन नही किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियमों का अनुपालन किया जायेगा। यदि प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का सुझाव दिया जाता है तो उसका कियान्वयन किया जायेगा। यदि पट्टेधारक द्वारा उक्त कोई भी कार्य नही किये जाते है तो दिये जाने वाले अनापत्ति पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाये।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा यह पूछा गया कि खनन के समय वाहनो में लोडिंग कार्य मशीनों द्वारा किया जायेगा या मजदूरों द्वारा किया जायेगा।

पट्टेधारक द्वारा अवगत कराया गया कि लोडिंग हेतु छोटी मशीनों का प्रयोग किया जायेगा तथा अधिकतम कार्य मजदूरों से लिया जायेगा जो कि भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार हो तथा शासन द्वारा अनुमति लेकर मशीनों द्वारा कार्य लिया जायेगा।

खान अधिकारी, हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि खनिज कार्य अनुशासन में किया जायेगा तथा 10 प्रतिशत जिला खनिज निधि को जमा कर ग्राम विकास हेतु व्यय किया जायेगा जैसे– चिकित्सा, शौचालय, पर्यावरण एवं सड़क निर्माण/मरम्मत का कार्य किया जायेगा। खनन क्षेत्र में रास्ता बनाना के दौरान गैर प्रतिबन्धित झाडियों का उपयोग किया जायेगा एवं कोई भी पेड़ काटने की अनुमति नही दी जायेगी। सी0ई0आर0 के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा तथा पट्टेधारक द्वारा सहमति जतायी गयी।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि खनन कार्य नियमानुसार किया जायेगा, खनन कार्य गलत न करें एवं जानबूझकर नियमों का उल्लंघन न किया जाये। नदी के आस–पास वृक्षारोपण संभव न हो तो निकटतम गांव में अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें एवं सी0ई0आर0 के अतर्गत हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सालय, शौचालय एवं विद्यालय की मरम्मत आदि कराये जायें, जो ग्राम विकास हेतु अनिवार्य है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा पट्टा धारकों को निर्देशित किया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा एवं ढुलाई के समय बालू को ढककर लाना है, गीला बालू रखना है इसी के साथ अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

18/9/18	18-09-2018	18/9/18
(डा0 माधवी कमलवंशी)	(विजय कुमार मिश्र)	(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,	क्षेत्रीय अधिकारी,	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	जनपद–हमीरपुर
झाँसी	बाँदा	

7678

...कमाखुर्द के लिए शुरू हुई रोडवेज बस सेवा

[illegible]

तिरंगा फहरा वीरों को किया याद

धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस, जिलाधिकारी ने किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान

[illegible]

पूर्वजों की कुर्बानी याद दिलाता है आजादी का पर्व

[illegible]

उत्तर प्रदेश पुलिस
की
ओर से आप सभी को
स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएँ
#नहींभूलेबलिदान

उत्तर प्रदेश पुलिस

uppolice.gov.in · @uppolice · @uppolice · @uppolice · bit.ly/UPPoliceHQ

Public Relations Office, DGP HQs, Lucknow

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

[illegible]

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1	[illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	[illegible]	12.145 हेक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
2	[illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	[illegible]	35.477 हेक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	[illegible]	[illegible]	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	[illegible]
5	[illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	[illegible]	36.44 हेक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
6	[illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	[illegible]	12.145 हेक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
7	[illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	[illegible]	24.291 हेक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
8	[illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	[illegible]	12.145 हेक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
9	[illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	[illegible]	36.437 हेक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
10	[illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	[illegible]	36.437 हेक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
11	[illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	[illegible]	24.291 हेक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
12	[illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	[illegible]	12.145 हेक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
13	[illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	[illegible]	12.145 हेक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	24.291 हेक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	36.437 हेक्टेयर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	36.437 हेक्टेयर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
17	[illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	[illegible]	36.44 हेक्टेयर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
18	[illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	[illegible]	[illegible]	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
19	[illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	[illegible]	[illegible]	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18

[illegible]

1. जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद-हमीरपुर।
2. [illegible], हमीरपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, [illegible], बांदा।
4. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड [illegible], लखनऊ।
5. [illegible], हमीरपुर।
6. [illegible], लखनऊ।

[illegible]

क्षेत्रीय अधिकारी

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं० एस०ओ० 1533 दिनांक 14-09-2006 यथासंशोधित एस०ओ० 3067(ई०) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में मैसर्स इण्डस - रामा ट्रेडर्स द्वारा श्री विरेन्द्र सिंह, निवासी बांदीपुर भान मऊ, बरांवकी, उ० प्र० द्वारा साधारण बालू / मो० खनन हेतु प्रस्तावित पर परियोजना, ग्लल खण्ड सं०-1/3, ग्राम - उन्दौर, तहसील व जनपद - हमीरपुर में दिनांक 18-09-2018 को लोक - सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों / कर्मचारियों एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति का विवरण :-

क्रम सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1.	विनय प्रकाश श्रीवास्तव	ADM, HAMIRPUR	9454417604	
2.	कमलेश कुमार रत्न	Mines officer, Hamirpur	9452290110	
3.	विजय कुमार मिश्र	डी०ओ०, उ०प्र० मृ० नि० बो०	9721000027	
4.	डा० माधवी कमलवंशी	सहा० पर्या० अधिकारी, UPPCB बांदा	7839891909	
5.	राजकरन वर्मा	पर्या०सहा०, UPPCB, बांदा	7839891918	
6.	आनन्द	क्लर्क	8604036411	
7.	प्रदीप चन्द		9452009165	
8.	[illegible]	[illegible]	9936103117	
9.	[illegible]	[illegible]	9415453560	
10.	[illegible]	[illegible]	9945331627	
11	[illegible]	[illegible]	6388101378	
12.	[illegible]	[illegible]		
13.	[illegible]	[illegible]		
14.	[illegible]	[illegible]		
15.	[illegible]	[illegible]		
16.	[illegible]	[illegible]		
17.	[illegible]	[illegible]		
18.	[illegible]	[illegible]		
19.	[illegible]	[illegible]	9721894097	
20.	[illegible]	[illegible]	9455899990	
21.	[illegible]	[illegible]	9415465971	
22.	[illegible]	[illegible]		

7680

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 669/सीकुसुनवर्ष/18 दिनांकः 27/9/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स बाबा भोलेनाथ ट्रेडर्स के पक्ष में स्वीकृत खंड संख्या–10/36 क्षेत्रफल–36.44 हे0 (193304 घन मी0/वर्ष) ग्राम–बेरी, तहसील व जनपद–हमीरपुर में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 24701/सी–2/एनओसी–4291/बॉदा/18 दिनांक 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई प्रस्तावित खनन स्थल ~~ग्राम–बेरी,~~ तहसील व जनपद–हमीरपुर में दिनांक 18.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

7681

संख्या– 10/36, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स बाबा भोलेनाथ ट्रेडर्स द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 36.4 हे0 ग्राम–बेरी, तहसील व जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारकों की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 18.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स बाबा भोलेनाथ ट्रेडर्स के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24701/सी–2/एनओसी–4291/बांदा/18 दिनांक 10.08.2018 जो जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पर जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 18.09.2018 को तहसील व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक 18.09.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील प्रांगण स्थित बार कोर्ट सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. श्री विजय कुमार मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
3. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
4. श्री कमलेश कुमार राय, खान अधिकारी, हमीरपुर।
5. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
6. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

श्री विजय कुमार मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जनसमुदाय को अवगत कराया गया। उक्त परियोजना में

गारम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे खण्ड संख्या– 10/36, ग्राम– बेरी, तहसील व जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है परन्तु इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेंधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है तथा परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है जिसकी एक–एक प्रति उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर, जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर एवं जिला पंचायत हमीरपुर के कार्यालयों में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड बॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा।

7683

कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है इसलिए अभी तक खनन पट्टे का संचालन लम्बित पडी हुई है तथा सम्बन्धित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री मुनीर खान, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मुक्ति मोर्चा, बुन्देलखण्ड, भाजपा द्वारा क्रमशः प्रश्न पूछा गया कि खनन कार्य प्रारम्भ होने पर आवागमन अत्यधिक होने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे आने जाने में ग्रामवासियो को असुविधा होती है। अतः सड़क का रखरखाव एवं मरम्मत कार्य ससमय होता रहें। खनन कार्य के समय भारी वाहनों के आवागमन गांव एवं स्कूल के निकटतम क्षेत्र से न हो एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में रखा जाये। खदान से खनन कार्य हेतु भारी वाहनों के उपयोग के समय सड़क के मध्य व आस–पास के वृक्षो का काट दिया जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि यदि 1 पेड़ काटा जाये तो उसके स्थान पर 10 पेड़ लगाये जाये ताकि पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ें।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि रास्ते में जो वृक्ष एवं पेड़ काटे जायेगें उनके स्थान पर वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा तथा सुरक्षा हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायेगे एवं 5 प्रतिशत की धनराशि में ग्राम के सभी विकास कार्य किये जायेगें। गावं एवं स्कूल के निकटतम क्षेत्र से वाहनों का आवागमन नही किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियमों का अनुपालन किया जायेगा। यदि प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का सुझाव दिया जाता है तो उसका कियान्वयन किया जायेगा। यदि पट्टेधारक द्वारा उक्त कोई भी कार्य नही किये जाते है तो दिये जाने वाले अनापत्ति पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाये।

7684

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा यह पूछा गया कि खनन के समय वाहनो में लोडिंग कार्य मशीनों द्वारा किया जायेगा या मजदूरों द्वारा किया जायेगा।

पट्टेधारक द्वारा अवगत कराया गया कि लोडिंग हेतु छोटी मशीनों का प्रयोग किया जायेगा तथा अधिकतम कार्य मजदूरों से लिया जायेगा जो कि भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार हो तथा शासन द्वारा अनुमति लेकर मशीनों द्वारा कार्य लिया जायेगा।

खान अधिकारी, हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि खनिज कार्य अनुशासन में किया जायेगा तथा 10 प्रतिशत जिला खनिज निधि को जमा कर ग्राम विकास हेतु व्यय किया जायेगा जैसे– चिकित्सा, शौचालय, पर्यावरण एवं सड़क निर्माण/मरम्मत का कार्य किया जायेगा। खनन क्षेत्र में रास्ता बनाना के दौरान गैर प्रतिबन्धित झाडियों का उपयोग किया जायेगा एवं कोई भी पेड़ काटने की अनुमति नही दी जायेगी। सी0ई0आर0 के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा तथा पट्टेधारक द्वारा सहमति जतायी गयी।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि खनन कार्य नियमानुसार किया जायेगा, खनन कार्य गलत न करें एवं जानबूझकर नियमों का उल्लंघन न किया जाये। नदी के आस–पास वृक्षारोपण संभव न हो तो निकटतम गांव में अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें एवं सी0ई0आर0 के अतर्गत हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सालय, शौचालय एवं विद्यालय की मरम्मत आदि कराये जायें, जो ग्राम विकास हेतु अनिवार्य है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा पट्टा धारकों को निर्देशित किया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा एवं ढुलाई के समय बालू को ढककर लाना है, गीला बालू रखना है इसी के साथ अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

18/09/18

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

18-09-2018

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बाँदा

18.9.18

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

216
7685

कलेक्ट्रेट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सम्मानित करते डीएम विनोद मि. • जागरण

स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस लाइन में शहीद टीआइ अमर सिंह को श्रद्धांजलि देते डीएम सम्पत्ति कुमार पुलिस अधीक्षक व अन्य पुलिसकर्मी • जागरण

रुकमाखुर्द के लिए शुरु हुई रोडवेज बस सेवा

कर्वी, चित्रकूट : कामदगिरि के लिए स्वतंत्रता दिवस सुबहसवेरे तोहफा आया है। रुकमाखुर्द के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू हुई है। विधायक दुष्कारन सांडिल्य, निर्माचक और जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस बस सेवा के शुरू होने से कामदगिरि में खुशी की लहर है।

वैभव जागरण ने 'पहल की बदलाव' की खबर पूरा विशेष अभियान चलाया था। जिसमें पत्रों के विभिन्न माध्यमों को प्रेषित करते हुए एक पखवाड़ा से अधिक का अनवरत अभियान चला था। उसमें अनवरत ये होने वाली दुश्वारियों के साथ प्रायवार बसों में सफर कर करने की पीड़ा को उजागर किया गया था। इस खबर को संज्ञान में लेकर डायर प्रदेश परिवहन निगम ने रुकमाखुर्द निगम का रुकमाखुर्द को एक सौगात दी है। खांडा पैरी प्रवास मिश्र, मानिकपुर निवासन अधिकारी

जागरण इम्पैक्ट

- खांडा, निवासन व जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी
- दैनिक जागरण के अभियान 'पहल की बदलाव' ने दिखाया रंग

कोटेदार प्रधानमंत्री रोडवेज खांडा ने कहा कि जनता की मांग पर कर्वी से देवांगना धाम रुकमाखुर्द के लिए बस के संचालन का सुझाव किया गया। सांसिक क्षेत्र होने के नाते यहां पर बस स्टैण्ड निर्माण के साथ-साथ आधार छात्र विधे के निर्माण की भी स्वीकृति दे चुके हैं। निवासन निर्माण कार्य अंतिम चरण में होने की संभावना है। इस क्षेत्र के लिए फिलहाल सुबे में 25 जनरथ बस चालकों का व्यवस्थान किया है।

तिरंगा फहरा वीरों को किया याद

धूमधाम से मना स्वतंत्रता [illegible], जिला[illegible]कारियों ने किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान

पूर्वजों की कुर्बानी याद [illegible] आजादी का पर्व

• विकास संस्थाओं में मुख्यालय में

Sample

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय, ए-33 आवास विकास कालोनी, बिल्हा रोड, बाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद- हमीरपुर में निम्नांकित उद्योगों एवं खानों में बिना सुनवाई के अनुसार सेण्ड/मीडम माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रारूप पर लोक सुनवाई के उद्देश्य में पर्यावरणीय प्रभावित से पर्यावरणीय स्वीकृति उपलब्धित प्रदान उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के तत्वों प्रस्तुत किये गये हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थान का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1	सैयद्द कैलाश चौबे, पारिवार, निवासी- मु. तेंदियापुरा, कुलपहाड़, जिला- महोबा, उ.प्र.।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 7170, ग्राम- सहजना, तहसील व जनपद- हमीरपुर	12.140 हैक्टेयर	तहसील डभरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
2	मैसर्स विकास इण्डस्ट्राईसेज द्वारा श्री विकास राजन, निवासी- खलीलपुर डाक, तहसील व जनपद- हमीरपुर	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	ग्राम- पचोरा, तहसील व जनपद- हमीरपुर	36.437 हैक्टेयर	तहसील डभरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
3	मैसर्स उमा ट्रेडर्स द्वारा श्री विनोद सिंह, निवासी- कलौंदर मार्ग न.3, बादलपारी, उ.प्र.।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 9/3, ग्राम- कलौंदर, तहसील व जनपद- हमीरपुर	30.7000 हैक्टेयर	तहसील डभरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
4	मैसर्स इण्डस्ट्री आईएस एण्ड मिनरल्स द्वारा श्री विकास परमार्थी, निवासी- ई-7, एपआईसी का० अरेरा जतौली, हुसुइ आरा.एस. मार्ग, होशंगा, म.प्र.।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 11/4, ग्राम- जैथी, तहसील व जनपद- हमीरपुर	17.408 हैक्टेयर	तहसील डभरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
5	मैसर्स चाल कॉलेजस ट्रेडर्स द्वारा श्री [illegible] निवासी [illegible]	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 10/3, ग्राम- [illegible]	30.44 हैक्टेयर	तहसील डभरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
6	मैसर्स सरकारी इण्डस्ट्राईजेज द्वारा श्री अवधेश कुमार पाण्डे, निवासी, म.सं.-271, विकास खण्ड-3, ओमोदनगर, लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/20, ग्राम- झेड़ी अटल, तहसील- अतैसा जनपद- हमीरपुर	12.140 हैक्टेयर	तहसील कदौरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
7	मैसर्स आर्कटेक्टस्नाम, निवासी- बेलहुपुरा, जनपदपुर, जिला- औरैया, उ.प्र.।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 22/14, ग्राम- कल्ला कलौंदर, तहसील- कदौरा, जनपद- हमीरपुर	24.291 हैक्टेयर	तहसील कदौरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
8	मैसर्स पहाड़पाल ट्रेडर्स, द्वारा श्री विजय सिंह यादव, निवासी- म.नं.- 1035, सेक्टर-3, जवाहर समतोली, सेक्टर-3, आरोहिल, समतोली रोड, लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/7, ग्राम- झेड़ी अटल, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर	12.140 हैक्टेयर	तहसील कदौरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
9	[illegible] एस.टी. इण्डस्ट्रीजेज्स द्वारा [illegible] निवासी- [illegible] म.नं.-9, तिलक नगर, कानपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	ग्राम- पिपासी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर	38.437 हैक्टेयर	तहसील कदौरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
10	[illegible] इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. [illegible] निवासी- [illegible] म.नं.- ग्राम 06, [illegible] कानपुर नगर, उ.प्र.।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 36/1, ग्राम- बांदाकरी, तहसील- कदौरा, जनपद- हमीरपुर	36.437 हैक्टेयर	तहसील कदौरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
11	[illegible] माइनिंग द्वारा [illegible] 103, [illegible] कानपुर, [illegible]	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 36/3, ग्राम- बांदाकरी, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर	24.291 हैक्टेयर	तहसील कदौरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
12	[illegible] [illegible] [illegible]	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/19, ग्राम- झेड़ी अटल, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर	12.145 हैक्टेयर	तहसील कदौरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
13	सैयद्दों की खनन सम्पत्तिजनों द्वारा श्री [illegible] निवासी- [illegible] कानपुर, नगर, उ.प्र.।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/19, ग्राम- झेड़ी अटल, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर	12.145 हैक्टेयर	तहसील कदौरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
14	मैसर्स [illegible] द्वारा श्री [illegible] निवासी- म.नं.- ग्राम 06, [illegible] कानपुर नगर, उ.प्र.।	[illegible]	खण्ड सं.- 22/15, ग्राम- विकास नगरिया, तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर	24.291 हैक्टेयर	तहसील कदौरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
15	मैसर्स विजय सिंह [illegible] द्वारा श्री [illegible] म.नं.- 16, शास्त्री नगर, [illegible] [illegible]	[illegible] माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- [illegible] ग्राम- [illegible] तहसील- सरीला, [illegible]	36.437 हैक्टेयर	तहसील कदौरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
16	मैसर्स ब्रज इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. द्वारा श्री [illegible] निवासी- [illegible] म.नं.-10 [illegible] [illegible]	[illegible] माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 30/2, ग्राम- [illegible] तहसील- सरीला, [illegible]	36.437 हैक्टेयर	तहसील कदौरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
17	मैसर्स सिल्वर स्टिंड्स प्रा.लि. द्वारा श्री प्रकाश मालवीय, निवासी- म.नं.-10 [illegible] [illegible]	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 30/1, ग्राम- [illegible]	36.44 हैक्टेयर	तहसील कदौरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
18	मैसर्स डी.जी. एक्सपोर्ट्स द्वारा श्रीमती सुमन देवी, निवासी- [illegible] तहसील- कदौरा, [illegible] जिला बांदा, उ.प्र.।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	ग्राम- [illegible] तहसील- [illegible] जनपद- हमीरपुर	[illegible] 291 हैक्टेयर	तहसील कदौरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
19	मैसर्स सकलनी ट्रेडर्स द्वारा श्री सुशील पाल, निवासी- ग्राम व पोस्ट- पिपरला, तहसील- बीजी, जिला- बांदा, उ.प्र.।	सैण्ड/बोल्डर माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 29/1, ग्राम- सहा कलर, तहसील- बीजा, जनपद- हमीरपुर	[illegible] हैक्टेयर	तहसील कदौरा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- एस.ओ. 1533 दिनांक14.09.2006 एवं संशोधित- एस.ओ. 3067 (ई) दि.01.12.2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, ईमेल एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए एवं ईपीसी अधिनियम निम्नलिखित स्थानों में उपलब्ध है।

1. जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद-हमीरपुर।
2. मण्डल प्रदूषण विभाग क्षेत्रीय केन्द्र, हमीरपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ए-33 आवास विकास कालोनी, बिल्हा रोड, बांदा।
4. उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. कार्यालय जिला पंचायत, हमीरपुर।
6. क्षेत्रीय कार्यालय नगर क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार, पंचमतल, सेक्टर- एच अलीगंज लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है जो उक्त प्रस्तावित सेण्ड/मीडम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के विस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

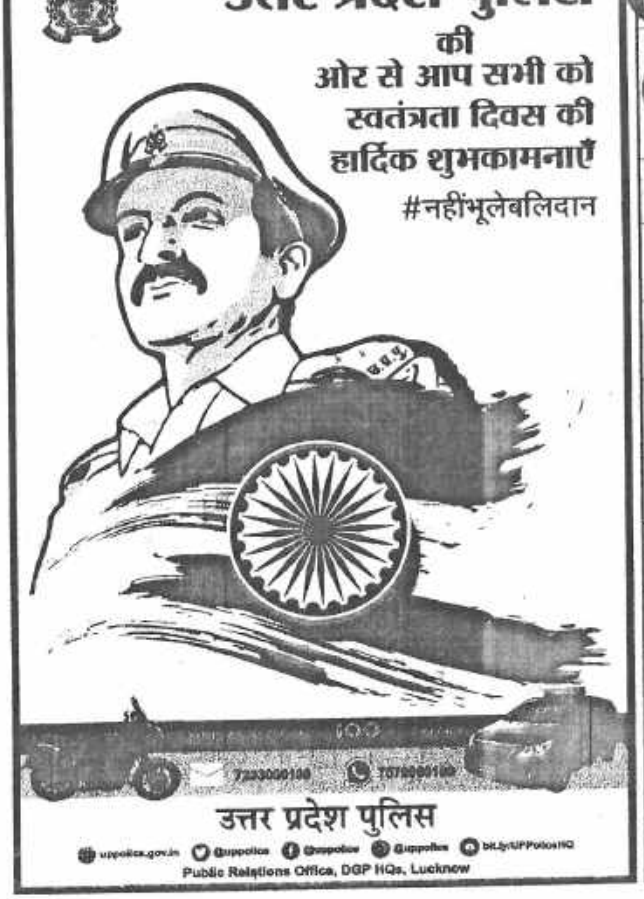

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं० एस० ओ० 7686
1533 दिनांक 14-09-2006 यथासंशोधित एस० ओ० 3067(ई०) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में मैसर्स बाबा भोलेनाथ ट्रेडर्स द्वारा श्री ब्रजेश चन्दा, निवासी ग्राम- बिरगुपुर, हरीनगर, जिला -कन्नौज, उ०प्र० द्वारा साद बालू / मोरम खनन हेतु खस्तालु पर परियोजना स्थल खण्ड सं० - 10/36, ग्रा बेरी, तहसील व जनपद -हमीरपुर में दिनांक 18-09-2018 को लोक सुनवा के सम्बन्ध हेतु उपस्थित अधिकारियो / कर्मचारियो एवं ग्रामवासियो की उपसि का विवरण :-

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्ष
1.	विनय प्रकाश श्रीवास्तव	ADM, HAMIRPUR	9454417604	
2.	कमलेश कुमार राय	mines office, hamirpur	9452290110	
3.	विजय कुमार मिश्र	क्षे०अधि०, UPPCB, बांदा	9721000027	
4.	डा० माधवी कमलवंशी	सहा०वै०अधि०, UPPCB, झांसी	7839891909	
5.	राजकुरन वर्मा	वै०सहा०, UPPCB, बांदा	7830091918	
6.	[illegible]	[illegible]	06483641	
7.	[illegible]	[illegible]	9452009/6	
8.	[illegible]	[illegible]	9536103117	
9.	मुनीर खान पठान	[illegible]	9415453568	
10.	शरीफ अहमद	कानूनी चौराहा	9953316227	
11	बीरपाल	केसरिया का डेरा	6388101378	
12	बलराम	केसरिया का डेरा	9519757746	
13.	नरेन्द्र	केसरिया का डेरा	6389171182	
14.	शाकित	केसरिया का डेरा	6307429106	
15.	रोहित	केसरिया का डेरा	6389125803	
16.	बचाराम राजकरन	कानपुर देहात	8429174034	
17.				
18.	दयानन्द		8853885910	दया.
19.	[illegible]	केसरिया डेरा		
20.	अर्पित	केसरिया पट्टी		
21.	[illegible]	[illegible]		
22.	प्रदीप	प्रदीप		
23.	[illegible]	[illegible]		
24.	गिरीश चौरसिया	[illegible]		

7687

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 695/सी0सुनवाई दिनांकः 27/9/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स डी0बी0 कंस्ट्रक्शन के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्रफल–24.291 हे0 (388608 घन मी0/वर्ष) ग्राम–टीकापुर, तहसील–मौदहा, जनपद–हमीरपुर में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 24718/सी–2/एनओसी–4256/बॉदा/18 दिनांक 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई प्रस्तावित खनन स्थल तहसील–मौदहा सभागार, जनपद–हमीरपुर में दिनांक 20.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

<u>...ावित पट्टे धारक मैसर्स डी0वी0 कन्स्ट्रक्शन द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 24.291 हे0 ग्राम–टीकापुर, तहसील– मौदहा, जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारक की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 20.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–</u>

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स डी0वी0 कन्स्ट्रक्शन के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24718/सी–2/एनओसी–4256/18 दिनांक 10.08.2018 जो जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, बॉदा के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 20.09.2018 को तहसील– मौदहा व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र सं0–532/55–पर्या–2–2018–103 (पर्या)/2007 दिनांक 23.04.2018, पर्यावरण अनापत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को पत्र सं0–1133/एम0/2/(पर्या)/2011(11) दिनांक 07.08.2018 के अनुसार एक तहसील के क्षेत्रों पर तहसील मुख्यालय में समेंकित सुनवाई को कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

आज दिनांक 20.09.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील मौदहा सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री जीतेन्द्र सिंह, खान निरीक्षक, हमीरपुर।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे ग्राम– टीकापुर, तहसील– मौदहा, जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है क्योकि खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 50 हेक्टेअर से कम है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया था। परामर्शी द्वारा 10 किमी0 की त्रिज्या में स्थित पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण/आंकडों के एकत्रण का कार्य स्टेट इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट अथॉरिटी द्वारा दी गयी टर्म्स ऑफ रिफरेन्स के बिन्दुओं के अनुरूप की गयी है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी थी तथा उसकी एक–एक प्रति अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर, जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर, जिला पंचायत हमीरपुर में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा परामर्शी से विस्तृत विवरण प्रेषित किये जाने हेतु आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव न्यून करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया

7690

जगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड वॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग किये जाने वाली सड़को का रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा। तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा एवं सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण कार्य किये जायेगें।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने शिकायत/आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु ग्रामवासियों द्वारा कोई प्रश्न नही किया गया। तत्पश्चात् सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा मैसर्स डी0वी0 कन्स्ट्रक्शन के प्रतिनिधि से प्रश्न पूछा गया कि मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम– टीकापुर, तहसील– मौदहा, जनपद– हमीरपुर में किन–किन स्थानों जल/वायु का विश्लेषण कार्य किया गया।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि एक सप्ताह के अन्दर विश्लेषण कार्य का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।

तत्पश्चात् सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टेधारक को आमंत्रित किया गया।

पट्टेधारक श्री दृगेश कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामवासियों की सभी समस्याओं का समाधान होगा एवं जल, शौचालय आदि कोई भी समस्या होने पर उसका निराकरण पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय को ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये आमंत्रित किया गया।

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि सी0ई0आर0 में सड़क का निर्माण, निकटतम ग्रामवासियों का पेयजल की व्यवस्था, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना तथा ट्रक मालकों को निर्देश दे कि

, भी कार्य करें उसको सौहार्दपूर्ण करें एवं वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में अधिक से अधिक किया जायें। ग्रामवासियों की सभी शिकायतों का निस्तारण किया जायेगा।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को निर्देशित किया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा एवं ढुलाई के समय बालू को ढककर लाना है, गीला बालू रखना है इसी के साथ अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

223

7692

...ाखुर्द के लिए शुरु हुई रोडवेज बस सेवा

तिरंगा फहरा वीरों को किया याद

धूमधाम से मना स्वतंत्रता ...स, जिला ...र्सों ने किए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान

पूर्व... की कुर्बानी याद ...आजादी का पर्व

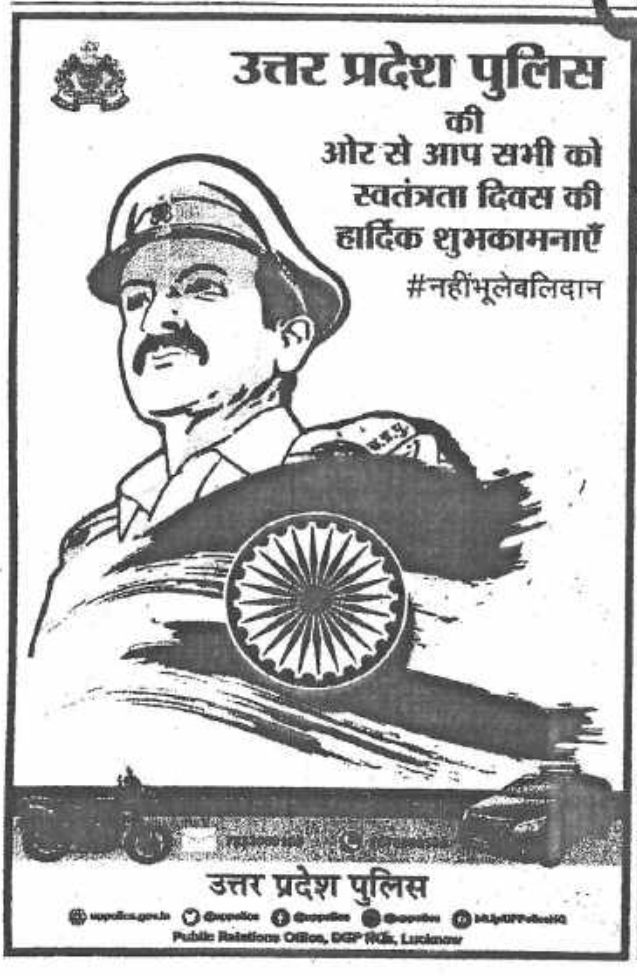

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरणीय पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

क्र. सं.	अभियोजन का नाम	प्रस्तावित का नाम	परियोजना प्रस्ताव का नाम	क्षेत्रफल	स्थान	सिलेंडर व प्रस्ताव
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

7693

दूरभाष–05102320474

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, झांसी

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office:Avas Vikas Colony,Kanpur Road, Talpura Yojna, Jhansi-284001

संदर्भ संख्या 369/लोकसुनवाई/2018 दिनांकः 25/09/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– **मैसर्स बिन्दु एण्ड राम कंस्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत गाटा सं0 1396ग, खण्ड–3, ग्राम भेडी खुर्द, तहसील–कालपी जिला–जालौन में क्षेत्रफल 20.242 हेक्टेयर (303630घनमी0/प्रतिवर्ष)में बालू/मौरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई दिनांक 19.09.2018 की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24723/सी–2/एन0ओ0सी0–427/2018 दिनांक 10.8.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित बालू/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई खनन स्थल तहसील कालपी_जनपद–जालौन में दिनांक 19.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

निर्गत करने से पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से आस–पास के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के निराकरण हेतु क्षेत्र के पर्यावरण का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। द्वारा परामर्शी को पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के सम्बन्ध के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

परामर्शी श्री अतुलेश द्वारा प्रस्तावित परियोजना का विस्तृत विवरण ज्ञापित किया गया। उक्त के अनुक्रम में बताया गया कि संदर्भित खनन परियोजना हेतु जिलाधिकारी जालौन द्वारा 15.3.2018 को एल0ओ0आई0 जारी किया गया था तथा पट्टा विलेख हेतु पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था । तत्पश्चात निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उक्त परियोजना का माईनिंग प्लान 3,03,630घनमीटर/प्रतिवर्ष हेतु अनुमोदित किया गया है। इसके उपरान्त राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समिति उ0प्र0 द्वारा दिनांक 25.5.2018 को परियोजना हेतु विशिष्ट टी0ओ0आर0 जारी किये गये है । जिसके आधार पर ड्राफट् रीजनल ई0आई0ए0 रिपोर्ट तैयार कर उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड को लोक सुनवाई का आवेदन किया गया। संस्था द्वारा प्रस्तावित परियोजना स्थल के 10 कि0मी0 की त्रिज्या में पर्यावरणीय अध्ययन किया गया है। जैसे– जल, वायु, ध्वनि, एवं जलीय जीव जन्तुओं एवं वनस्पतियों आदि का अध्ययन किया गया। पाया गया कि वर्तमान में प्रस्तावित स्थल के आस–पास पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ रहा है। पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त प्रत्येक 06 माह में पर्यावरणीय अध्ययन एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

परामर्शी श्री अतुलेश द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना का प्रमुख उद्देश्य मौरम खनन ही है, जिसका उपयोग घरेलू उत्पाद के रूप में इसका उपयोग किया जायेगा। जिसका फायदा ग्रामवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता रहेगा। खनन कार्य कृषि कार्य के बाद का सबसे बडा व्यवसाय है। इससे ग्रामवासियों के साथ राज्य सरकार को भी राजस्व की फायदा होता है। भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अर्न्तगत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को यथासम्भव न्यून करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना तैयार कर प्रस्तुत की ज़ानी होती है। उक्त निर्देशें के तहत हमारी संस्था ने तीन माह तक क्षेत्र के 10 किमी0 त्रिज्या में परिवेश के विभिन्न घटकों का अध्ययन किया तथा पर्यावरण पर पड़नें वाले सम्भावित प्रभावों के मद्देनजर प्रबन्धन योजना तैयार की जिससे कि प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। खनन की अधिकतम गहराई 3.0 मी0 रखी जायेगी एंव 03 मीटर से कम पर भू–जल मिलने की स्थिति में खनन कार्य बन्द कर दिया जायेगा । बालू/मौरम के परिवहन हेतु प्रयुक्त ट्रकों से कच्चे रास्ते पर उड़ने वाली धूल के नियन्त्रण हेतु पानी का छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी, जिससे कि पर्यावरण के साथ–साथ जन स्वास्थ्य भी प्रभावित न हो। क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक विकास हेतु भी अनेक उपाय किये जायेगें, ताकि श्रमिकों को रोजगार मिले और आर्थिक सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हो।

सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड, झांसी ने उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में आपत्तियॉ/टीका टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किये गये। लेकिन किसी ग्रामवासी एवं उपस्थित जन समुदाय द्वारा आपत्तियाँ/सुझाव नहीं दिये गये। उक्त से प्रतीत होता है, कि ग्रामवासियों एवं उपस्थित जन समुदाय को उक्त परियोजना से कोई आपत्ति नहीं हैं।

सहायक पर्यावरण अभियंता द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा) से आयोजित लोक सुनवाई में चर्चा के संबंध में ग्रामवासियों को मार्ग–दर्शन करने हेतु अनुरोध किया गया ।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) श्री प्रमिल कुमार सिंह द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त पटटाधारकों द्वारा खेतो से वाहनो का आवागमन खेत मालिक की स्वीकृति के उपरान्त किया जायेगा तथा उसका उचित मुआवजा भी नियमानुसार पटटाधारक द्वारा दिया जायेगा । वाहनो के चलने से धूल उड़ने की की समस्या के निराकरण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था

श्री महीप कुमार ओझा पुत्र श्री रामदेव प्रसाद पटटाधारक द्वारा मे0 बिन्दु एण्ड राम कान्सट्रक्शन कम्पनी, ग्राम–दुशाह, तहसील–बलरामपुर, जिला–बलरामपुर, बालू/मौरम प्रोजेक्ट ग्राम–भेडी खुर्द,तहसील–कालपी जिला जालौन गाटा सं0 1396ग,खण्ड नं–3, क्षेत्रफल 20.242 हेक्टेयर (3,03,630 घनमी0/प्रतिवर्ष) हेतु पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के लिये अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) जालौन स्थान उरई की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2018 को समय 2.00 बजे तहसील–कालपी, जनपद–जालौन में सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–.

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक श्री महीप कुमार ओझा आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24723/सी–2/एन0ओ0सी0–427/2018 दिनांक 10.8.2018 जो जिलाधिकारी जालौन को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय कार्यायल उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड झांसी को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय जालौन से लोक सुनवाई सुनवाई आयोजित करने संबंधी दिनांक, स्थान एंव समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय झांसी के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी महोदय जालौन द्वारा दिनांक 19.9.2018 को तहसील कालपी, जनपद–जालौन में नियत की गयी थी । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा 3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड "अ" के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या –एस0ओ0–1533 दिनांक– 14.09.2006 यथासंशोधित अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–3067 (ई) दिनांक 01.12.2009 में वार्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला' के कानपुर संस्करण में दिनांक 18.8.2018 एवं अग्रेजी दैनिक समाचार पत्र'इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक – 17.8.2018 को प्रकाशित करायी गई थी तथा लोक सुनवाई की तिथि 19.9.2018 समय अपरान्ह 2.00 बजे निर्धारित की गयी थी ।

अग्रेतर सूचित करना है कि निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक सं0–1138 दिनांक 08.08.2018 द्वारा एक कलस्टर में आने वाले खनन परियोजनाओं की संयुक्त सुनवाई तहसील मुख्यालय में किये जाने का उल्लेख किया गया हैं।

आज दिनांक 19.09.2018 को जिलाधिकारी महोदय जालौन द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), श्री प्रमिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील–कालपी, जनपद जालौन में आयोजित की गयी। उक्त लोक सुनवाई में निम्नांकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे :–

1– श्री प्रमिल कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) जनपद–जालौन स्थान उरई ।
2– श्री सुनील कुमार शुक्ला, उपजिलाधिकारी कालपी, जनपद–जालौन स्थान उरई ।
3– श्री आर0एन0 यादव, वरि0सर्वेक्षक खनिज विभाग जनपद जालौन।
4– श्री जितेन्द्र लाल, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी ।
5– श्री अतुलेश एंव श्री मयंक पुष्कर, परामर्शी मे0 ई0एन0वी0 डी0ए0एस0 इण्डिया प्रा0लि0 लखनऊ।
6– अन्य उपस्थित जन सामान्य की सूची संलग्न है ।

सर्वप्रथम लोक सुनवाई सभाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त प्रारम्भ की गयी । श्री जीतेन्द्र लाल,सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,झांसी. द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने के पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित **'स्टेट इनवायरोन्मेन्टल इम्पैक्ट एसेसमेन्ट अथॉरिटी'** से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित

(बन्दु एवं राम् कृषक्रकृषकमपनी) गाटा ... फसल ... 12 टन्स ... 30 ... मीटर/वर्ष) पर ... मौरम मार्जनक प्रोजेक्ट ... प्रस्ताव पर दिनांक - 19/09/2011 को लोक सुनवाई के सम्बन्ध में :-

क्रमांक	उपस्थित अधिकारियों / ग्राम वासियों के नाम व पता		हस्ताक्षर
1.	अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)		
	उप जिलाधिकारी कालपी		
2.	जीतेन्द्र लोध, तहसीलदार, कालपी, उरई		
3.			
4.	रामनाथ गौड़ v. Kalpar / ग्रामीण M.O.		
5.	शत्रुघ्न कुमार अधिशासी अधिकारी		
6.	रामदास वैशाखी के सहायक		
7.	सौरभ कुमार	मोदी	
8.	कुलदीप दिवेदी	मोदी खुर्द	
9.	रविकान्त सक्सेना	मोदी खुर्द	
10.	अरविन्द नागवंश	मोदी खुर्द	
11.	आनन्द कुमार गुप्ता	मोदी खुर्द	
12.	दीपेन्द्र कुमार	याद	
13.	[illegible] सिंह	याद	
14.	मो. जावेद	मटौरा	
15.	मो० रिजवान	कदौरा	
16.	[illegible]	कदौरा	
17.	फहद बेग	याद	
18.	अजहर बेग	मोदी खुर्द	
19.	[illegible]	याद	
20.	[illegible]	मोदी खुर्द	
21.	[illegible]	मोदी खुर्द	
22.	[illegible]	मोदी	
23.	[illegible]	मोदीखुर्द	
24.	[illegible]	याद	
25.	[illegible]	मोदी खुर्द	
26.	[illegible]	[illegible]	

क्रमांक	उपस्थित अधिकारियों / ग्राम वासियों के नाम व पता		हस्ताक्षर
30	[illegible]	[illegible]	
31	[illegible]	[illegible]	
32	[illegible]	[illegible]	
33	[illegible]	[illegible]	
34	[illegible]		
35	Rahul Gautam	Lucknow	
36	सौभेश्वर दास	कसारिदी	
37	[illegible]	[illegible]	
38	[illegible]	[illegible]	
39	[illegible]	[illegible]	
40	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	

7696

227

7697

नियमित कराया जायेगा ताकि स्वास्थ्य व पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव न पड़े । प्रस्तावित खनन परियोजना पर खनन कार्य से रोजगार के अवसर तथा क्षेत्र का विकास होता है जिससे क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ।

सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) से सभा समाप्त करने की अनुमति लेने के पश्चात उपस्थित सभी जन समुदाय से प्रस्तावित परियोजना के कियान्वयन के संबंध में सहमति चाही गयी जिस पर बैठक में उपस्थित जन समुदाय ने कर्तल ध्वनि से अपनी सहमति व्यक्त की । इसी मन्तव्य के साथ उक्त परियोजना की पर्यावणीय स्वीकृति आयोजित लोक सुनवाई का समापन किया गया तथा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

जीतेन्द्र लाल
सहा0पर्या0 अभियंता,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड झांसी

प्रमिल कुमार सिंह
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
जालौन स्थान उरई

अमर उजाला- 19 सितम्बर-2018

7698

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि.

बहनोई के घर में इमराई फांसी, मौत

नौसंय में दो गिरफ्तार

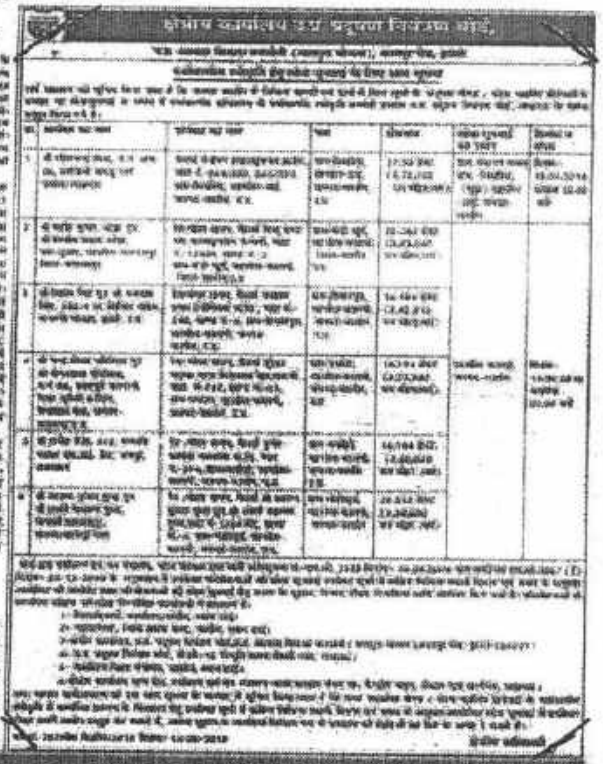

क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

कार्यालय नगर पंचायत नवाबगंज जनपद-उन्नाव

पत्रांक : सेमो/न.पं./नवाबगंज/2018-19 दिनांक : 14.08.2018

नगर पंचायत नवाबगंज जनपद उन्नाव के समस्त गणमान्य नागरिकों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

नगर पंचायत नवाबगंज, जनपद-उन्नाव (उत्तर प्रदेश) नगरवासियों से अपेक्षा करता है कि

1. कोई भी नागरिक नगर पंचायत की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा न करें।
2. नगर को स्वच्छ बनाये रखने हेतु झाड़ू लगाने के बाद मार्गों/गलियों में कूड़ा न डालें।
3. जन्म-मृत्यु की सूचना कार्यालय में समय से दर्ज करवायें।
4. पंचायत के देयों जैसे बकाया गृहकर, बकाया जलमूल्य की अदायगी समय से करें।
5. पेयजल पाईप लाईनों को खुला न छोड़ें।
6. नगर में [illegible] ऐसी हानि रोकें व छोटों को क्षतिग्रस्त न करें।
7. निर्माण करवाने से पूर्व पंचायत से मानचित्र स्वीकृत करवायें।
8. स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय बनवाने हेतु औपचारिक आवेदन करें।
9. पालीथीन का प्रयोग वर्जित है, कृपया इसका प्रयोग न करें।
10. खुले में शौच न करें व नगर पंचायत के मार्गों पर पशुओं को न बांधे।
11. नगर पंचायत द्वारा निर्मित सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करें।

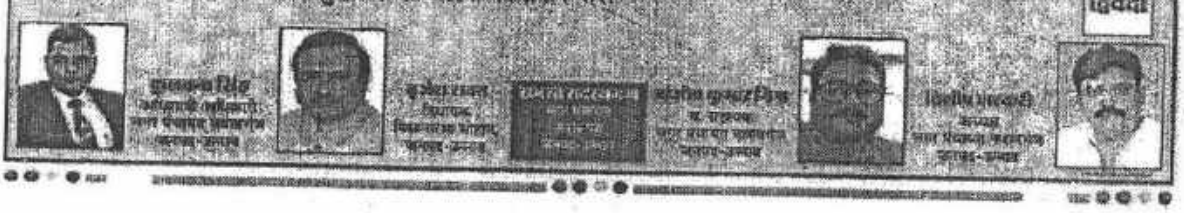

देवेन्द्र द्विवेदी

7699

दूरभाष–05102320474

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, झांसी

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office:Avas Vikas Colony,Kanpur Road, Talpura Yojna, Jhansi-284001

संदर्भ संख्या 368 / लोक सुनवाई / 2018 दिनांक: 25/09/2018

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल्स एल0एल0पी0 के पक्ष में स्वीकृत गाटा सं0 747, खण्ड–1, ग्राम पथरेटा, तहसील–कालपी जिला–जालौन में क्षेत्रफल 16.194 हेक्टेयर (323880 घनमी0 / प्रतिवर्ष)में बालू / मौरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई दिनांक 19.09.2018 की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24702 / सी–2 / एन0ओ0सी0–4273 / झांसी / 2018 दिनांक 10.8.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित बालू / मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई खनन स्थल तहसील कालपी_जनपद–जालौन में दिनांक 19.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

श्री चन्द्रशेखर चौरसिया पुत्र श्री दीन दयाल चौरसिया पटटाधारक द्वारा मे0 यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल्स,एल.एल.पी., म0नं0 28 ब्रहमपुरी कालोनी, नियर जुगैली क्रासिंग फैजाबाद रोड, जनपद–लखनऊ बालू/मौरम प्रोजेक्ट ग्राम–पथरेटा,तहसील–कालपी जिला जालौन गाटा सं0 747,खण्ड नं–1, क्षेत्रफल 16.194 हेक्टेयर (3,23,880 घनमी0/प्रतिवर्ष) हेतु पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र के लिये अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) जालौन स्थान उरई की अध्यक्षता में दिनांक 19.09.2018 को समय 2.00 बजे तहसील–कालपी, जनपद–जालौन में सम्पन्न लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–.

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक श्री चन्दशेखर चौरसिया के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24702/सी–2/एन0ओ0सी0–4273/झाँसी/2018 दिनांक 10.8.2018 जो जिलाधिकारी जालौन को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय कार्यायल उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड झांसी को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय जालौन से लोक सुनवाई सुनवाई आयोजित करने संबंधी दिनांक, स्थान एंव समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय झांसी के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी महोदय जालौन द्वारा दिनांक 19.9.2018 को तहसील कालपी, जनपद–जालौन में नियत की गयी थी । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा 3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड "अ" के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या –एस0ओ0–1533 दिनांक– 14.09.2006 यथासंशोधित अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–3067 (ई) दिनांक 01.12.2009 में वार्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला' के कानपुर संस्करण में दिनांक 18.8.2018 एवं अग्रेजी दैनिक समाचार पत्र"इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक – 17.8.2018 को प्रकाशित करायी गई थी तथा लोक सुनवाई की तिथि 19.9.2018 समय अपरान्ह 2.00 बजे निर्धारित की गयी थी ।

अग्रेतर सूचित करना है कि निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक सं0–1138 दिनांक 08.08.2018 द्वारा एक कलस्टर में आने वाले खनन परियोजनाओं की संयुक्त सुनवाई तहसील मुख्यालय में किये जाने का उल्लेख किया गया हैं।

आज दिनांक 19.09.2018 को जिलाधिकारी महोदय जालौन द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), श्री प्रमिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील–कालपी, जनपद जालौन में आयोजित की गयी। उक्त लोक सुनवाई में निम्नांकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे :–

1– श्री प्रमिल कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) जनपद–जालौन स्थान उरई ।
2– श्री सुनील कुमार शुक्ला, उपजिलाधिकारी कालपी, जनपद–जालौन स्थान उरई ।
3– श्री आर0एन0 यादव, वरि0 सर्वेक्षक, खनिज विभाग जनपद जालौन।
4– श्री जितेन्द्र लाल, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी ।
5– श्री अतुलेश एंव श्री मयंक पुष्कर, परामर्शी मे0 ई0एन0वी0 डी0ए0एस0 इण्डिया प्रा0लि0 लखनऊ।
6– अन्य उपस्थित जन सामान्य की सूची संलग्न है ।

सर्वप्रथम लोक सुनवाई सभाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त प्रारम्भ की गयी । श्री जीतेन्द्र लाल,सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,झांसी. द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने के पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित **'स्टेट इनवायरोन्मेन्टल इम्पैक्ट एसेसमेन्ट अथॉरिटी'** से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित

निर्गत करने से पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से आस–पास के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के निराकरण हेतु क्षेत्र के पर्यावरण का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। द्वारा परामर्शी को पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के सम्बन्ध के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

परामर्शी श्री अतुलेश द्वारा प्रस्तावित परियोजना का विस्तृत विवरण ज्ञापित किया गया। उक्त के अनुक्रम में बताया गया कि संदर्भित खनन परियोजना हेतु जिलाधिकारी जालौन द्वारा 27.1.2018 को एल0ओ0आई0 जारी किया गया था तथा पट्टा विलेख हेतु पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था । तत्पश्चात निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उक्त परियोजना का माईनिंग प्लान 3,03,630घनमीटर/प्रतिवर्ष हेतु अनुमोदित किया गया है। इसके उपरान्त राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समिति के समक्ष दिनांक 29.08.2018 को विशिष्ट टी0ओ0आर0 जारी करने हेतु प्रस्तुतिकरण किया गया परन्तु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत टी0ओ0आर0 न प्राप्त होने की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी स्टैण्र्डड टी0ओ0आर0 के आधार पर ड्राफट् रीजनल ई0आई0ए0 रिपोर्ट तैयार कर उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड को लोक सुनवाई का आवेदन किया गया। संस्था द्वारा प्रस्तावित परियोजना स्थल के 10 कि0मी0 की त्रिज्या में पर्यावरणीय अध्ययन किया गया है। जैसे– जल, वायु, ध्वनि, एवं जलीय जीव जन्तुओं एवं वनस्पतियों आदि का अध्ययन किया गया। पाया गया कि वर्तमान में प्रस्तावित स्थल के आस–पास पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ रहा है। पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त प्रत्येक 06 माह में पर्यावरणीय अध्ययन एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

परामर्शी श्री अतुलेश द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना का प्रमुख उद्देश्य मौरम खनन ही है, जिसका उपयोग घरेलू उत्पाद के रूप में इसका उपयोग किया जायेगा। जिसका फायदा ग्रामवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता रहेगा। खनन कार्य कृषि कार्य के बाद का सबसे बडा व्यवसाय है। इससे ग्रामवासियों के साथ राज्य सरकार को भी राजस्व की फायदा होता है। भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अर्न्तगत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को यथासम्भव न्यून करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। उक्त निर्देशें के तहत हमारी संस्था ने तीन माह तक क्षेत्र के 10 किमी0 त्रिज्या में परिवेश के विभिन्न घटकों का अध्ंयन किया तथा पर्यावरण पर पड़नें वाले सम्भावित प्रभावों के मद्देनजर प्रबन्धन योजना तैयार की जिससे कि प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। खनन की अधिकतम गहराई 3.0 मी0 रखी जायेगी एंव 03 मीटर से कम पर भू–जल मिलने की स्थिति में खनन कार्य बन्द कर दिया जायेगा । बालू/मौरम के परिवहन हेतु प्रयुक्त ट्रकों से कच्चे रास्ते पर उड़ने वाली धूल के नियन्त्रण हेतु पानी का छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी, जिससे कि पर्यावरण के साथ–साथ जन स्वास्थ्य भी प्रभावित न हो। क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक विकास हेतु भी अनेक उपाय किये जायेगें, ताकि श्रमिकों को रोजगार मिले और आर्थिक सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हो।

सहायक पर्यावरण अभिंयता, उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड, झांसी ने उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में आपत्तियॉ/टीका टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किये गये।

प्रश्न सं 1– श्री राहुल पुत्र श्री लालचन्द्र, ग्राम–पथरेटा, उरई, जालौन द्वारा कहा गया कि परियोजना में खनन कार्य हेतु ग्राम के नौजवानों को रोजगार दिया जाये (फैमिली मेम्बर) बुजुर्गों को खनन कार्य में न रखा जाए।

उत्तर– परामर्शी श्री अतुलेश द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बद्ध में विस्तृत विवरण ड्राफ्ट रीजनल ई0आई0ए0 रिपेर्ट में दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि खनन हेतु निकटवर्ती गाँवों

से श्रमिकों को रोजगार दिया जाना पटटाधारक की प्राथमिकता हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी कार्यकुशलता एवं शारीरिक क्षमता के अनुसार 05 वर्षों के लिए रोजगार दिया जायेगा।

सहायक पर्यावरण अभियंता द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा) से आयोजित लोक सुनवाई में चर्चा के संबंध में ग्रामवासियों को मार्ग–दर्शन करने हेतु अनुरोध किया गया ।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) श्री प्रमिल कुमार सिंह द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त पटटाधारकों द्वारा खेतो से वाहनो का आवागमन खेत मालिक की स्वीकृति के उपरान्त किया जायेगा तथा उसका उचित मुआवजा भी नियमानुसार पटटाधारक द्वारा दिया जायेगा । वाहनो के चलने से धूल उड़ने की की समस्या के निराकरण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था नियमित कराया जायेगा ताकि स्वास्थ्य व पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव न पड़े । प्रस्तावित खनन परियोजना पर खनन कार्य से रोजगार के अवसर तथा क्षेत्र का विकास होता है जिससे क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ।

सहायक पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) से सभा समाप्त करने की अनुमति लेने के पश्चात उपस्थित सभी जन समुदाय से प्रस्तावित परियोजना के कियान्वयन के संबंध में सहमति चाही गयी जिस पर बैठक में उपस्थित जन समुदाय ने कर्तल ध्वनि से अपनी सहमति व्यक्त की । इसी मन्तव्य के साथ उक्त परियोजना की पर्यावणीय स्वीकृति आयोजित लोक सुनवाई का समापन किया गया तथा अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

जीतेन्द्र लाल
सहा0पर्या0 अभियंता,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड झांसी

प्रमिल कुमार सिंह
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
जालौन स्थान उरई

क्रमांक	उपस्थित अधिकारियों / ग्राम वासियों के नाम व पता		हस्ताक्षर
1.	अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) अध्यक्ष		
	उप जिलाधिकारी कोसी		
2.			
3.			
4.	[illegible]		
5.			
6.	[illegible]		
7.	[illegible]		
8.	[illegible]		
9.	[illegible]		
10.	[illegible]		
11.	[illegible]		
12.	[illegible]		
13.	[illegible]		
14.	[illegible]		
15.	[illegible]		
16.	[illegible]		
17.	[illegible]		
18.	[illegible]		
19.	[illegible]		
20.	[illegible]		
21.	[illegible]		
22.	[illegible]		
23.	[illegible]		
24.	[illegible]		
25.	[illegible]		
26.	[illegible]		

क्रमांक	उपस्थित अधिकारियों / ग्राम वासियों के नाम व पता		हस्ताक्षर
30	[illegible]		
31	[illegible]		
32	[illegible]		
33	[illegible]		
34	[illegible]		
35	[illegible]		
36	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		

7703

234

7704

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 H-24711 /सी-2/NOC-4269/कानपुर देहात/18 दिनाँक 10-8-18
Ref. No ..... Date .....

Diary No. 209
File No. .....
File S.No NOC/L-28/18
Date 13/08/2018

सेवा में,
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात ।

विषयः— **मैसर्स हरिहर मिनिरल्स एल0एल0पी0, खण्ड नं0 के2, गाटा नं0–389 मि0, गॉव, खरका, तहसील–भौगनी, जिला–कानपुर देहात में क्षेत्रफल–18.33 हे0 (274950 घन मी0/वर्ष) में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे हेतु प्राप्त खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के संबंध में ।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ लेने का कष्ट करे । उक्त के संबंध में पट्टाधारक श्री राम अवतार सिंह, पुत्र श्री तेजराम सिंह, न्यू पटेल नगर, उरई, जालौन, उ0प्र0 से लोक सुनवाई के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533, दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित ए0ओ0–3067(ई) दिनांक 01.12.2009 के प्राविधानों के तहत प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृत प्राप्त किया जाना अनिवार्य है ।

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार लोक सुनवाई पैनल में जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि (जो कि अपर जिलाधिकारी स्तर से कम न हो) एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा लोक सुनवाई प्रक्रिया का संचालन किया जाना प्राविधानित है । लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि की सूचना 30 दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने की अनिवार्यता है । इसी अनुक्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ के ***"पर्यावरण अनापत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही के संबंध में"*** विषयक समस्त जिलाधिकारी को संबोधित पत्रांक–1138/एम/21/(पर्यावरण)/2011(II) दिनांक 08.08.2018 (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में एक कलस्टर में आने वाले खनन परियोजनाओं की संयुक्त सुनवाई तहसील मुख्यालय में किये जाने के शासनादेश का संज्ञान लेने का कष्ट करें ।

अतः आपसे अनुरोध है कि कलस्टर में आने वाली खनन परियोजनाओं की संयुक्त रूप से लोक सुनवाई हेतु माह सितम्बर, चतुर्थ सप्ताह में तिथि निर्धारित करने का कष्ट करें जिससे लोक सुनवाई की सूचना समयानुसार दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जा सके ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त के संदर्भ में आप व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, कानपुर देहात से सम्पर्क कर उपरोक्त पर सहमति प्राप्त करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें ।
2. पट्टाधारक श्री राम अवतार सिंह, पुत्र श्री तेजराम सिंह, न्यू पटेल नगर, उरई, जालौन, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एवं अन्य सम्बन्धित को उपरोक्त प्रस्ताव की एक–एक प्रति अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

AEE/AEE

सदस्य सचिव

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com

श्री राम अवतार सिंह, पुत्र श्री तेजराम सिंह, न्यू पटेल नगर, उरई, जालौन, उ0प्र0 के खण्ड नं0 के–2, गाटा नं0 389 मि0, 390 मि0, ग्राम–खरका, तहसील–भोगनीपुर, जिला–कानपुर देहात में क्षेत्रफल–18.33 हे0 (274960 घन मी0 वर्ष) में उपखिनज साधारण बालू/मौरम के खनन हेतु प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु स्थापना से पूर्व ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार तहसील–भोगनीपुर में दिनांक 19.09.2018 दोपहर 12:30 बजे आयोजित पर्यावरणीय "लोक सुनवाई" के कार्यवाही का विवरण।

उपस्थित अधिकारियों / जनगणमान्य नागरिकों के हस्ताक्षर का विवरण संलग्न।

सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच–24711/सी–2/एन.ओ.सी.–4269/कानपुर देहात/2018 दिनांक 10.08.2018 के अनुपालन में श्री राम अवतार सिंह, पुत्र श्री तेजराम सिंह, न्यू पटेल नगर, उरई, जालौन, उ0प्र0 व्दारा मैसर्स हरिहर मिनिरल्स एल0एल0पी0, नामक फर्म खण्ड नं0 के–2, गाटा नं0 389 मि0, 390 मि0, ग्राम–खरका, तहसील–भोगनीपुर, जिला–कानपुर देहात (यमुना नदी तट) में क्षेत्रफल–18.33 हे0 (274960 घन मी0 वर्ष) में उपखिनज साधारण बालू/मौरम के खनन हेतु प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु स्थापना से पूर्व ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित के प्राविधान के अनुसार **"लोक सुनवाई"** दिनांक 19.09.2018 को दोपहर 12:30 बजे तहसील–भोगनीपुर, जनपद–कानपुर देहात में आयोजित की गई है। श्री विसन सिंह, व्दारा प्रस्तावित बालू खनन परियोजना की क्लस्टर में होने के कारण उपस्थित जन समूह कॉमन थे तथा उनके व्दारा सुझाव/आपत्तियां भी कॉमन प्रकट की गयी।

उक्त लोक सुनवाई की आम सूचना दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान कानपुर देहात संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को तथा हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को प्रकाशित की गई थी, जिनकी प्रतियां संलग्न है (संलग्नक–1)।

'लोक सुनवाई' की अध्यक्षता जिलाधिकारी, कानपुर देहात श्री राकेश कुमार सिंह व्दारा की गई तथा संचालन क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर देहात श्री कालिका सिंह व्दारा किया गया। उक्त के अतिरिक्त श्री राजीव राज, उपजिलाधिकारी, तहसील - भोगनीपुर, श्री इमरान अली, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तथा श्री के.बी. सिंह खान निरीक्षक कानपुर देहात तथा उद्योग प्रतिनिधि के रूप में मुख्य रूप से श्री प्रवीण सिंह आदि उपस्थित थें।

लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात व्दारा उपस्थित अधिकारियों, गणमान्य नागरकों तथा पत्रकार बन्धुओं का स्वागत करते हुए अवगत कराया गया कि श्री राम अवतार सिंह, पुत्र श्री तेजराम सिंह, न्यू पटेल नगर, उरई, जालौन, उ0प्र0 के खण्ड नं0 के–2, गाटा नं0 389, ग्राम–खरका, तहसील–भोगनीपुर, जिला–कानपुर देहात में क्षेत्रफल–18.33 हे0 (274960 घन मी0 वर्ष) में उपखिनज साधारण बालू/मौरम के खनन हेतु प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव

.....2

7706

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ई.आई.ए. नोटिफिकेशन में प्राविधान के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है इसी क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावक की तकनीकी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध किया।

परियोजना (प्रस्तावक) के तकनीकी सलाहकार डॉ0 रितू पाण्डेय (ई0आई0ए0 कोआर्डनेटर), मै0 ई0एन0वी.डी0ए0एस0 इण्डिया प्रा0लि0, लखनऊ द्वारा प्रस्तुतिकरण द्वारा आवगत कराया गया कि श्री राम अवतार सिंह, पुत्र श्री तेजराम सिंह, न्यू पटेल नगर, उरई, जालौन, उ0प्र0 के खण्ड नं0 के–2, गाटा नं0 389, ग्राम–खरका, तहसील–भोगनीपुर, जिला–कानपुर देहात में क्षेत्रफल–18.33 हे0 (274960 घन मी0 वर्ष) है, में उपखिनज खनन हेतु प्रस्तावित परियोजना हेतु प्रस्तावित परियोजना में लीज क्षेत्र से ओपेन कास्ट विधि के द्वारा साधारण बालू/मौरम के खनन का कार्य अर्द्ध यांत्रिक तरीके से मानव श्रम और मशीनरी दोनों के उपयोग के द्वारा किया जायेगा। खनन कार्य हेतु 50 से 52 श्रमिकों को रोजगार मिलेगा तथा घरेलू प्रयोजन हेतु 520 ली0/दिन पेयजल की आवश्यकता पड़ेगी तथा 45 ली0/दिन जल का छिड़काव डस्ट सप्रेशन हेतु किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना के आने से स्थानीय लागों को परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा प्रस्तुतीकरण में दर्शाए गए सी.ए.आर. के माध्यम से कराए जाने वाले कार्यो को जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर ससमय पूर्ण कराया जायेगा।

प्रस्तावित परियोजना के प्रस्तुतिकरण के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानपुर देहात ने उपस्थित जन समूह से अनुरोध किया कि वे प्रस्तावित परियोजना के बारे में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अपने सुझाव/टिप्पणी एवं आपत्ति प्रकट कर सकते हैं। लोक सुनवाई के दौरान निम्नलिखित गणमान्य नागरिकों द्वारा अपना सुझाव/टिप्पणी एवं आपत्ति प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है:–

1. श्री राकेश कुमार, निवासी ग्राम– खरका, द्वारा प्रश्न पूछा गया कि क्या प्रस्तावित परियोजना में दर्शायी गई सुविधाएँ तथा रोड का निर्माण परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जायेगा।
2. श्री शिव भान सिहं, निवासी ग्राम– खरका, द्वारा प्रश्न पूछा गया कि खनन परियोजना में मोरम के परिवहन हेतु ट्रको के आवगमन से तथा दुर्घटना के दौरान रास्तो में जाम लगने से एम्बुलेन्स को आने में परेशानी होती उसके क्या उपाय किये जायेगे ?
3. श्री शिव भान सिह, निवासी ग्राम– खरका, द्वारा प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से क्षेत्रीय लोगों को रोजगार में क्या लाभ होगा ?
4. श्री पुत्तुलाल , निवासी ग्राम– खरका, द्वारा हाई स्कूल तथा पी0एच0सी0 की व्यवस्था गाँव में कराई जाने की मांग रखी गई ?
5. श्री कल्याण सिंह भदौरिया , निवासी ग्राम– खरका, द्वारा खनन कार्य को पर्यावरणीय स्वीकृति दी जानी चाहिए यह रोजगार में सहायक तथा बाढ़ की समस्या को कम करने में लाभ प्रद होता है अतः इस पर रोक न लगाई जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन प्रदान किया गया कि दर्शायी गई सभी सुविधाएँ जैसे मोबाइल

.....3

शौचालय, श्रामिकों हेतु विश्रामालय, पीने के पानी की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्टएड तथा कूड़ेदान की उपलब्धता खनन पट्टे पर की जायेगी। इसके साथ ही समय–समय पर श्रमिकों हेतु स्वास्थ्य की जांच हेतु कैम्प की व्यवस्था की जायेगी, तथा खनिज कार्मिकों को पी0पी0ई0 भी प्रदान किया जाएगा, बालू/मोरम खनन के दौरान किसी भी मजदूर को शारीरिक चोट लगने पर निकटवर्ती चिकित्सालय तक पहुँचाने के लिए वाहन की व्यवस्था की जायेगी। बालू की ढुलाई में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के आवागमन से होलेज रूट के क्षतिग्रस्त हाने पर मरम्मत का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जायेगा, वाहनों में ओवर लोडिंग नही की जायेगी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया कि निकटवर्ती लोगों को उनकी योग्यतानुसार सेवायोजन में प्राथमिकता दी जायेगी एवं रोजगार मुहैया कराया जायेगा, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि होगी।

जिलाधिकारी कानपुर देहात द्वारा आश्वासन दिया गया कि प्रशासन द्वारा भी इसके लिए उचित व्यवस्था कराई जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी कानपुर देहात द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर परियोजना प्रस्तावक से विचार प्रकट किये जाने हेतु ध्यान आकृष्ट किया गया।

1. वृक्षारोपण का विस्तार पूर्वक प्लान दिया जाए जैसे कि प्रस्तावित वृक्ष, कहाँ लगाए जाऐंगे, ट्री गार्ड की व्यवस्था व कौन सी प्रजाति के वृक्ष लगाए जाएगें। इस संदर्भ में ग्रामीणों से सलाह ली जाये।
2. पानी के छिड़काव के बारे में विस्तृत प्लान दें। समयावधि तथा प्रकार के बारे में बताएं।
3. हॉलेज रूट (आवागमन मार्ग) की वर्तमान स्थिति, मार्क, व मरम्मत की आवश्यकता है या नही इसका भी प्लान दें। हॉलेज रूट किसी भी बस्ती के बीच से नही होना चाहिए।
4. एम0डी0आर0/एस0एच0/एन0एच0 के क्षमता का विस्तृत विवरण दें।
5. उप जिलाधिकारी भोगनीपुर, कानपुर देहात सर्वे तथा गाँव के प्रधान के साथ वार्ता करके सी0एस0आर0 के माध्यम से प्रस्तावित कार्यो की रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करेगें।
6. सी0एस0आर0 के तहत गाँवों के विद्यालय की काया पलट होनी चाहिऐ। जैसे की विद्यालय की रंगायी–पुतायी, शौचालय की मरम्मत तथा ओवरहैड टैंक की व्यवस्था।
7. परियोजना प्रस्तावक गाँव के युवक मण्डल को खेल कूद के संसाधन जैसे वॉलीबाल नेट, फुटबाल आदि प्रदान करें।
8. सेवा योजन प्लान स्पष्ट होना चाहिए। कि ग्रामीणों को रोजगार का प्रकार क्या होगा।
9. स्थाई प्रसाधन हर योजना के लिऐ आवश्यक है।
10. कूड़े दान की क्षमता व संख्या का विवरण दें।

.....4

7708

जिलाधिकारी महोदय, द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं क्रमांक 01 से 10 के सम्बन्ध में कार्य योजना पृथक से प्रेषित किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया।

तदोउपरांन्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा **लोक सुनवाई** में जन प्रतिनिधियों द्वारा दर्ज करायी गयी आपत्तियों एवं सुझाव के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि श्री राम अवतार सिंह, पुत्र श्री तेजराम सिंह, द्वारा क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो भी बात रखी गयी है। मुख्य तौर से सेवा योजना का पहले से ही प्राविधान किया गया है। सी0एस0आर0 के तहत कुछ विकास कार्य किया जायेगा। यह सीधी सुरक्षित ओपेन कॉस्ट खनन है। प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य हेतु नदी के बहाव से छेड़–छाड़ नहीं करेंगे तथा खनन कार्य का काम 3 मीटर से ज्यादा गहराई में नही किया जायेगा। ज्यादा गहराई होने पर खनन कार्य रोक दिया जायेगा। खनिज निकासी का कार्य मानक के अनुरूप होगा।

अन्त में **लोक सुनवाई** के अध्यक्षीय सम्बोधन में **जिलाधिकारी**, कानपुर देहात **श्री** राकेश **कुमार सिंह** ने जन–मानस द्वारा रखे गये तर्कों को उत्तर प्रदेश सरकार / भारत सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया तथा किसी भी कीमत पर पर्यावरण असन्तुलन पैदा न होने देने की बात कही। उन्होने यह भी कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के अनुकूल प्रदूषण के स्तर को यथा संभव निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने के सारे उपाये किये जायें। उपरोक्त विचारों, सुझावों एवं टिप्पणीयों के अतिरिक्त कोई और मुद्दा 'लोक सुनवाई' के दौरान नही उठाया गया। अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा सधन्यवाद 'लोक सुनवाई' के समापन की घोषणा की गई।

22.9.18

(कालिका सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
कानपुर देहात।

(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
कानपुर देहात।

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

844, फतेहपुर रोसनाई, रनियाँ, कानपुर देहात

पत्रांक: 176/सी०/5-176/18 दिनांक 19.09.18

पर्यावरणीय अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत आम जनता हेतु आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राम अवतार सिंह, पुत्र श्री तेजराम सिंह, ग्राम पटेल नगर, उरई, जालौन, उ०प्र० मै० हरिहर मिनिरल्स एल०एल०पी०, नामक फर्म द्वारा खण्ड नं०- के-2, गाटा नं०- 389 एम०आई०, ग्राम-खरका, तहसील-भोगनीपुर, जनपद-कानपुर देहात, उ०प्र० जिसका क्षेत्रफल 16.32 है०. (274950 घन मी०/वर्ष), पर सेण्ड/मौरम खनन प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या- एस०ओ० 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किए जाने के पूर्व लोक सुनवाई कराए जाने का प्रविधान है एवं इस सुनवाई के माध्यम से क्षेत्रीय आम जनता की आपत्ति/सुझाव हेतु 30 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है. लोक सुनवाई पैनल की संरचना पर्यावरणीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुरूप होती है। उक्त उद्योग के प्रस्ताव से सम्बन्धित अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1. कार्यालय उपजिलाधिकारी, तहसील-भोगनीपुर, कानपुर देहात।
2. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, रनियाँ, कानपुर देहात।
3. कार्यालय जिला पंचायत, तहसील-भोगनीपुर, कानपुर देहात
4. क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार पंचम तल, कें०द्र० भवन, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात।
6. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी०पी०-12बी, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।

अतः सर्वसाधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण हेतु जनपद-कानपुर देहात के तहसील- भोगनीपुर, (तहसील मुख्यालय) में दिनांक 19.09.2018 को अपरान्ह 12.30 बजे से 2.00 बजे के मध्य लोक सुनवाई की कार्यवाही जिलाधिकारी कानपुर देहात की अध्यक्षता में निर्धारित की गयी है जिसमें उपस्थित होकर अपना सुझाव व आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकते है अथवा सुझाव व आपत्तियाँ लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित कार्यालय में दे सकते है।

सदस्य सचिव

7710

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
844, फतेहपुर रोरानाई, रनियाँ, कानपुर देहात

पत्रांक: 172/सा०/S-140/18 दिनांक: 16.08.18

पर्यावरणीय सूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत लोक सुनवाई हेतु आम-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राम अवतार सिंह, पुत्र श्री तेजराम सिंह, नं. पटेल नगर, कई, जालौन, द०प्र० मै० हरिहर मिनिरल्स एल०एल०पी०, नामक फर्म द्वारा खण्ड नं०- के-2, गाटा नं०-389 एम०आई० ग्राम-खरका, तहसील-भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात ८०३० जिसका क्षेत्रफल 18.33 ह०, (274950 मन प्रति० (वर्ष) पर सेण्ड/गौरम खनन प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या- एस०ओ० 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किए जाने के पूर्व लोक सुनवाई कराए जाने का प्रावधान है एवं इस सूचना के माध्यम से क्षेत्रीय आम जनता की आपत्ति/सुझाव हेतु 60 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई नियम की संशोधित पर्यावरण (अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार होगी। उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1. कार्यालय उपजिलाधिकारी, तहसील-भोगनीपुर, कानपुर देहात।
2. मुख्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, रनियाँ, कानपुर देहात।
3. कार्यालय जिला अग्रणी, पंजाब नेशनल बैंक, कानपुर देहात।
4. क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, खनन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, पवन ऊर्जा के दीप भवन, सेक्टर-ए, एच अलीगंज, लखनऊ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रनियाँ, देहात।
6. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी०सी०-7 वीं, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।

अतः सर्वसाधारण को एतद् द्वारा इस सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के प्रस्तावित स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण के निस्तारण हेतु जनपद-कानपुर देहात के तहसील- भोगनीपुर, (तहसील मुख्यालय) में दिनांक 19.09.2018 को अपराह्न 12.30 बजे से 2.00 बजे तक लोक सुनवाई की कार्यवाही जिलाधिकारी कानपुर देहात की अध्यक्षता में निर्धारित की गयी है। जिसमें इच्छुक व्यक्ति अपना सुझाव व आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। अपना सुझाव व आपत्ति लिखित रूप में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित कार्यालय में दे सकते हैं।

सदस्य सचिव

7711

टिप्पणी एवं आदेश

(1)

कृपया सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक एच–24711/सी–2/एन.ओ.सी.–4269/कानपुर देहात/2018 दिनांक 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करें जो कि मैसर्स हरिहर मिनिरल्स एल0एल0पी0, खण्ड नं0 के–2, गाटा नं0 389, ग्राम–खरका, तहसील–भोगनीपुर, जिला–कानपुर देहात में क्षेत्रफल–18.33 हे0 (274960 घन मी0 वर्ष) में उपखिनज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे हेतु पट्टा धारक श्री राम अवतार सिंह, पुत्र श्री तेजराम सिंह, न्यू पटेल नगर, उरई, जालौन, उ0प्र0 से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533, दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित ए0ओ0–3067(ई) दिनांक 01.12.2019 (छायाप्रति संलग्न) के प्राविधानों के अनुसार इस प्रकार के परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व लोक सुनवाई का प्रविधान है। लोक सुनवाई पैनल में जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि (जो कि अपर जिलाधिकारी स्तर से कम न हो) एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा लोकसुनवाई प्रकिया का संचालन किया जाना प्राविधानित है। लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि की सूचना 30 दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने की अनिवार्यता है।

निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ के *"पर्यावरण अनापत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही के संबंध में"* विषय समस्त जिलाधिकारी को संबोधित पत्रांक–1138/एम/21/(पर्यावरण)/2011(II) दिनांक 08.08.2018 (छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में एक कलस्टर में आने वाले खनन परियोजनाओं की संयुक्त सुनवाई तहसील मुख्यालय में किये जाने के शासनादेश है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि कलस्टर में आने वाली खनन परियोजनाओं की संयुक्त रूप से लोकसुनवाई हेतु स्वयं अथवा अपना प्रतिनिधि तथा माह सितम्बर के चतुर्थ सप्ताह में अपनी सुविधानुसार एवं समय, तिथि निर्धारित करना चाहेंगे, जिससे लोकसुनवाई की सूचना समयानुसार दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जा सके।

13/8/18
(कालिका सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
कानपुर देहात

जिलाधिकारी महोदय

दि. 19.09.18; 12.30 – 2.00 PM
तहसील भोगनीपुर प्रयागा

14.08.18
(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
कानपुर देहात

7712

(2)

टिप्पणी एवं आदेश

कृपया गत पृष्ठ (1) का अवलोकन करने का कष्ट करें। मैसर्स हरिहर मिनिरल्स एल0एल0पी0, खण्ड नं0 के-2, गाटा संख्या 389 मि0, 390 मि, ग्राम-खरका तहसील - भोगनीपुर, जनपद - कानपुर देहात में बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृत के पूर्व दिनांक 19.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई के कार्यवाही का विवरण एवं साफ्ट डिस्क आपके अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षर हेतु सादर संलग्न है।

24.9.18
कालिका सिंह
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
कानपुर देहात

जिलाधिकारी/मद्रोदप

26.9.18
(दिनेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
कानपुर देहात

7713

श्री राम अवतार सिंह, पुत्र श्री तेजराम सिंह, न्यू पटेल नगर, उरई, जालौन, उ0प्र0 द्वारा मै0 हरिहर मिनिरल्स एल0एल0पी0, खण्ड नं0-के-2, गाटा संख्या- 389 ग्राम- खरका, तहसील- भोगनीपुर, जिला- कानपुर देहात परियोजना के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ में प्राप्त प्रस्ताव पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 1533(अ) दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित एम0ओ0 3067 (इ) दिनांक 01.12.2009 के प्राविधानों के अनुपालनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु 19.09.2018 को अपराह्न 12.30 बजे तहसील- भोगनीपुर, कानपुर देहात के परिसर में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न लोक सुनवाई में उपस्थित अधिकारीयों एवं गणमान्य नागरिक।

क्र0सं0	नाम	पता	दूरभाष/मो0 संख्या	हस्ताक्षर
1	श्री राकेश कुमार सिंह	जिलाधिकारी, कानपुर देहात।		
2	राकेश राजा	उपजिलाधिकारी, भोगनीपुर, कानपुर देहात।	9454541641 2	
3	के-बी० सिंह	खान निरीक्षक कानपुर देहात	8887534837	
4				
5	श्री कालिका सिंह	क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात।	7839891940	
6	श्री इमरान अली	सहा0पर्या0अभि0 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात।	7839291712	
7	दशरथसिंह	जरी खरका	9936543590	दशरथसिंह
8	हरीशंकर	जरी		हरीशंकर
9	रामजीत	जरी		रामजीत
10	हरीलाल	जरी		हरीलाल
12	लालसिंह	जरी		लालसिंह
13	पन्नालाल	जरी		पन्नालाल
14	बलवानसिंह	जरी	8126681785	बलवानसिंह
15	गुलाबसिंह	जरी		गुलाबसिंह
16	भानसिंह	खरका	9621103035	भानसिंह
17	हनुमानसिंह	खरका	7521333999	हनुमानसिंह
18	गेंदालाल	खरका	8853451510	गेंदालाल
19	सीताराम	आशापुर		
20	रंगीलाल	जरी	7897151576	रंगीलाल

7714

21	[illegible]	[illegible]	6293621218	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	9076908755	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	9452724179	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	9936714565	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	9198272087	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]		[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	9956316151	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	9454084921	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	9839081[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	7007016229	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	9695880798	[illegible]
32	Navneet Sarkam	[illegible]	9935476942	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]	7385033882	[illegible]
34	Prashant Pandey	[illegible]	9451462873	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]		[illegible]
36	Rafiqum	[illegible]	8601357172	[illegible]
37	Mohit Kumar	[illegible]	7054080113	Mohit Kumar
38	[illegible]	[illegible]	9793246503	[illegible]
39	[illegible]	[illegible]	9936421884	[illegible]
40	[illegible]	[illegible]		[illegible]
41	[illegible]	[illegible]	9	[illegible]
42	[illegible]	[illegible]	9369365100	[illegible]
43	[illegible]	[illegible]	9919209406	[illegible]
44	[illegible]	[illegible]	9956203563	[illegible]
45	[illegible]	[illegible]	9839926880	[illegible]
46	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47	[illegible]	[illegible]	8993137220	[illegible]
48	[illegible]	[illegible]	9453631330	[illegible]
49	[illegible]	[illegible]	9792655683	[illegible]
50	[illegible]	[illegible]	9695330[illegible]	[illegible]
51	[illegible]	[illegible]	6387340379	[illegible]
52	[illegible]	[illegible]	+3989211[illegible]	[illegible]
53	[illegible]	[illegible]	7668189181	[illegible]

7715

54	पंकज कुमार	रक्षक	9936-20854	Pk
55	शैलेन्द्र शुक्ला	रक्षक	9920875511	शैलेन्द्र
56	सुमित कुमार	रक्षक	7394917737	Sumit
57	नायक	महिला		नायक
58	हरप्रसाद	रक्षक	8853670744	हरप्रसाद
59	मिहेन्द्र सिंह	रक्षक		मिहेन्द्र सिंह
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				

7716

तार : पर्यावरण
Gram : Paryavaran

दूरभाष / Phone : 25109
फैक्स / Fax : 0512-25109

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय :
५२४३, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-३, कल्यानपुर, कानपुर - २०८ ०१७

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
REGIONAL OFFICE :
5243, Sadbhawna Nagar, Awas Vikas Phase-3, Kalyanpur, Kanpur-208 017

संदर्भ 1760/लोक सुनवाई/18 दिनांक 16-10-18

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय–मै0 यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल एल0एल0पी0 द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना 14 सितम्बर, 2006 के अनुसार यमुना नदी तल से बालू/मौरम खनन परियोजना हेतु आयोजित तहसली–घाटमपुर परिसर में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त एवं वीडियो रिकार्डिंग (डी0वी0डी0) प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मै0 यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल एल0एल0पी0 द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना 14 सितम्बर, 2006 के अनुसार गाटा न0 1598च, ग्राम–समूही, तहसील–घाटमपुर, जनपद–कानपुर नगर पर स्वीकृत क्षेत्रफल 27.5 हे0 में यमुना नदी तल से बालू/मौरम खनन परियोजना हेतु आयोजित तहसली–घाटमपुर परिसर में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त एवं वीडियो रिकार्डिंग (डी0वी0डी0) संलग्नकर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी,

प्रतिलिपि–सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी,

ro.vk.2016

Scanned by CamScanner

7717

मै0 यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल एल0एल0पी0 द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना, 14 सितम्बर, 2006 के अनुसार गाटा नं0 1598 च, ग्राम–समूही तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर पर स्वीकृत क्षेत्रफल–27.5 हे0 में यमुना नदी तल से बालू/मौरम खनन परियोजना हेतु आयोजित तहसील घाटमपुर परिसर में आयोजित लोक सुनवाई की कार्यवाही की कार्यवृत्तः–

दिनाक 10.10.2018 को मै0 यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल एल0एल0पी0, कानपुर के प्रस्तावित गाटा नं0 1598 च, ग्राम–समूही तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर पर स्वीकृत क्षेत्रफल–27.5 हे0, रेलवे पुल की सुरक्षा हेतु छोड़ा गया क्षेत्रफल–3.5 हे0, खनन योग्य क्षेत्रफल–24 हे0, कुल स्वीकृत मौरम खनन मात्रा–5,50,000 घनमी0 प्रतिवर्ष तथा खनन पट्टे की स्वीकृत अवधि–05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कानपुर नगर की अध्यक्षता में तहसील घाटमपुर परिसर के सभा कक्ष में हुई, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उपजिलाधिकारी, तहसील–घाटमपुर, खनन अधिकारी, कानपुर नगर, मै0 यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल एल0एल0पी0 के प्रतिनिधि, ग्राम समूही के निवासियों व अन्य द्वारा भाग लिया गया हस्ताक्षरित उपस्थिति विवरण **संलग्नक–'क'** के रूप में संलग्न है।

सन्दर्भित परियोजना हेतु मै0 यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल एल0एल0पी0, कानपुर के प्रस्तावित गाटा नं0 1598 च, ग्राम–समूही तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर पर स्वीकृत क्षेत्रफल–27.5 हे0, कुल स्वीकृत मौरम खनन मात्रा–5,50,000 घनमी0 प्रतिवर्ष तथा खनन पट्टे की स्वीकृत अवधि–05 वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के दृष्टिकोण से लोक सुनवाई हेतु बोर्ड मुख्यालय में आवेदन किया गया। सन्दर्भित परियोजना के अनुसार मै0 यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल एल0एल0पी0, कानपुर के प्रस्तावित गाटा नं0 1598 च, ग्राम–समूही तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर पर बालू/मौरम खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के दृष्टिकोण से लोक सुनवाई हेतु मुख्यालय द्वारा दिनांक 10.08.2018 को जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर से अनुरोध किया गया। परियोजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या एस0ओ01533 दिनांक 14.09.2006 की अनुसूची श्रेणी बी–1 में अच्छादित है तथा भारत सरकार की अधिसूचना में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व लोक सुनवाई अनिवार्य है। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कानपुर नगर द्वारा लोक सुनवाई की तिथि 10.10.2018 समय पूर्वाहन 11:00 बजे, **तहसील–घाटमपुर परिसर, कानपुर नगर** नियत की गयी। लोक सुनवाई की आम सूचना दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक हिन्दुस्तान के हिन्दी संस्करण में दिनांक 29.08.2018 को बोर्ड द्वारा प्रकाशित कराई गयी, जिसमें समस्त सर्वसाधारण से आपत्तियां, सुझाव, टीका, टिप्पणी आमंत्रित की गयी। समाचार पत्रों में प्रकाशन की छायाप्रतियां संलग्न है **(संलग्नक–'ख')**। प्रकाशन की तिथि के पश्चात् दिनांक 09.10.2018 तक कोई सुझाव/आपत्ति क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर व अन्य विभागो में प्राप्त नहीं हुए है।

नियत तिथि स्थान एवं समय पर लोक सुनवाई की कार्यवाही अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0), कानुपर नगर महोदय की अनुमति से प्रारम्भ की गयी। विवरण निम्नवत् हैः–

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानुपर नगर द्वारा मै0 यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल एल0एल0पी0, कानपुर द्वारा गाटा नं0 1598 च, ग्राम–समूही तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर पर **बालू/मौरम खनन परियोजना** के सम्बन्ध में सक्षिप्त में अवगत कराया गया कि गाटा नं0 1598 च, ग्राम–समूही, तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर में क्षेत्रफल–27.50 हे0 (5,50,000 घन मी0/वर्ष) में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे हेतु खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 की अनुसूची में अच्छादित्त है तथा भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई अनिवार्य है। प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव के प्रतिनिधि श्री आशीष कुमार श्रोती, मै0 यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल एल0एल0पी0 द्वारा ग्राम समुही,

Scanned by CamScanner

7718

तहसील–घाटमपुर, कानपुर नगर में क्षेत्रफल–27.50 हे0 (5,50,000 घन मी0/वर्ष) में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया तथा उनके द्वारा बालू/मौरम के खनन हेतु पर्यावरण परामर्शी, मै0 ई0एन0वी0 डी0ए0एस0 (इण्डिया) प्रा0 लि0, डी–2247, इंदिरा नगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृज मोहन सिंह नेगी, ई0आई0ए0 कॉर्डिनेटर को विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु आमंत्रित किया गया।

मै0 यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल एल0एल0पी0 के पर्यावरण परामर्शी द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का लोक सुनवाई के दौरान प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रस्तुतिकरण के मुख्य अंश इस प्रकार है:–

- प्रस्तावित परियोजना मौरम खनन पट्टे नयी खनन परियोजनाए है जो 05 वर्ष के लिए प्रस्तावित है। जिलाधिकारी कानपुर नगर ने परियोजना प्रस्तावकों को खनन क्षेत्र संचालन हेतु पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिये गये है। खनन पूर्णतया वैज्ञानिक विधि से तथा अर्ध मशीनीकृत तरीके से नदी तट को सुरक्षित रखते हुए बार स्क्रेपर तथा लोडर को उपयोग करते हुए किया जायेगा।
- खनन क्षेत्र में श्रमिकों हेतु विश्रामालय तथा पेयजल की व्यवस्था, स्थाई/अस्थाई प्रसाधन की सुविधा, कूडेदान की सुविधा, प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड बाक्स की सुविधा, खनिज परिवहन निकटवर्ती गांव के बीच से न किये जाने, ढुलाई मार्ग के दोनो तरफ हरित पट्टिका का विकास, वायु प्रदूषण के बचाव के लिये ढुलाई मार्ग पर जल छिड़काव एवं ढ़क कर परिवहन से ढुलाई तथा खनन क्षेत्र में भण्डारण/स्टैकिंग/पाइलिंग नहीं आदि व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रस्तावित परियोजना के 10 किलोमीटर त्रिज्या की परिधि क्षेत्र में कोई भी संरक्षित, वन, अतिप्रदूषित क्षेत्र एवं अधिसूचित परिस्थितकीय संवेदनशील क्षेत्र नहीं है।
- प्रस्तावित परियोजना के अनुसार कोई भी वैकल्पिक कार्य स्थल प्रस्तावित नहीं है।
- प्रस्तावित परियोजना के अनुसार 5,50,000 घन मी0/वर्ष खनन किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रस्तावित परियोजना सभी खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है।
- प्रस्तावित परियोजना समस्त खनन कार्यविधि अनुमोदित खनन योजना के अनुसार सभी खनन कार्य खनन नियम, अधिनियम, एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा।
- प्रस्तावित परियोजना सतही खनन जिसमें ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है।
- प्रस्तावित परियोजना के अनुसार खनन कार्य केवल दिन में किया जायेगा, खनन कार्य वर्षा ऋतु में नहीं किया जायेगा।
- प्रस्तावित परियोजना के अनुसार अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल स्तर से 1.0 मी0 ऊपर (जो भी कम हो) किया जाना है।
- प्रस्तावित परियोजना के अनुसार प्रत्येक बेंच की ऊचाई 0.6 मी0 से अधिक नहीं होगी।
- प्रस्तावित परियोजना के अनुसार नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी।
- प्रस्तावित परियोजना में प्रयुक्त सभी वाहन पी0यू0सी0 प्रमाणित होंगे एवं खनन स्थल पर स्थाई पार्किंग नहीं की जायेगी।
- परियोजना में सी0एस0आर0 व्यवस्था में परियोजना की कुल लागत की 2 प्रतिशत धनराशि रू0 2.73 लाख का प्रयोग हैण्ड पम्प, सोलर लाइट, स्कूल की मरम्मत, शौचालय का निर्माण आदि में व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

Scanned by CamScanner

7719

लोक सुनवाई के दौरान परियोजना से सम्बन्धित उपस्थित जन प्रतिनिधि एवं जन सामान्य द्वारा लिखित रूप में प्राप्त सुझाव / आपत्तियां एवं निराकरण का विवरण

1	श्री राधे श्याम सचान ग्राम–समूही, तहसील–घाटमपुर, कानपुर परियोजना में काम करने वाले कार्मिकों एवं गावों के लोगों को खुले में शौच न किये जाने हेतु जागरूक कर शौचालय का निर्माण किया जायेगा।	परमर्शी प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना में काम करने वाले कार्मिकों एवं ग्रामीणों हेतु शौचालय की व्यवस्था किया जाना परियोजना में प्रस्तावित है।
2	श्री बाबू सिंह ग्राम–अनैसीपुर फोरट समूही ग्राम–समूही, तहसील–घाटमपुर, कानपुर परियोजना से आस–पास के लोगों को रोजगार एवं काम मिलेगा, खनन स्थल से गाड़ी निकलती है, तो धूल उड़ती है जिससे ग्रामवासियों को परेशानी होगी। इसके बचाव के उपाय क्या है।	प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु सड़क पर जल का छिड़काव किया जायेगा एवं ओवर लोडिंग नहीं की जायेगी तथा खनिज की ढुलाई का कार्य ढक कर किया जायेगा। परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिक पूर्ण सेफ्टी के साथ कार्य करेंगे।
3	श्री विद्या सागर, ग्राम–समूही, तहसील–घाटमपुर, कानपुर खनन कार्य से काफी मात्रा में गाड़ी निकलती है, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त (धंस) हो जाती है, जिससे ग्राम वासियों को आने जाने में परेशानी होगी।	प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना में 0.75 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसका रखरखाव भी परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जायेगा। सड़क के दोनो किनारे वृक्षा रोपण कर रोपित वृक्ष का रखरखाव किया जायेगा। ढुलाई परिवहन हेतु प्रयोग में किये जाने वाले अन्य सड़क का रखरखाव प्रशासन व सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जायेगा। ढुलाई कार्य हेतु 10 टायर वाहन का प्रयोग किया जायेगा। जिससे सड़क क्षतिग्रस्त (धसने) की सम्भावना नहीं होगी।
4	श्री करीम खान, ग्राम–समूही, तहसील–घाटमपुर, कानपुर इस परियोजना के संचालन से ग्राम–समूही का क्या विकास होगा।	प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना से आस–पास के क्षेत्रो रोजगार के साथ–साथ सी0एस0आर0 से ग्राम के विकास हेतु कुल परियोजना की लागत का 2 प्रतिशत धनराशि को क्षेत्र में शौचालय का निर्माण, सोलर लाइट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था तथा समय–समय पर मॉक ड्रिल किया जाना प्रस्तावित है। स्थानीय प्रशासन की देखरेख में अन्य कार्य जैसे–वृक्षा रोपण, विद्यालय की मरम्मत का कार्य किया जायेगा।
5	अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0), कानपुर नगर क्या इन विकास कार्यों हेतु कोई ठोस योजना है।	प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सी0एस0आर0 में ग्राम के विकास हेतु कुल परियोजना की लागत का 2 प्रतिशत धनराशि रू0 2.73 लाख इस कार्य हेतु प्रयोग किया जायेगा, जिसमें हैण्ड पम्प, सोलर लाइट, स्कूल की मरम्मत, शौचालय का निर्माण तथा इसके अतिरिक्त फस्टऐड एम्बूलेन्स की व्यवस्था की गयी है तथा शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार सी0एस0आर0 का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन प्रतिनिधियों एवं जन सामान्य द्वारा प्रस्तावित बालू/मौरम खनन परियोजना को दृष्टिगत रखते हुये निम्न बिन्दुओं पर विचार किये जाने एवं परियोजना से उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करते हुये प्रस्तावित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सर्व सम्मति से सहमति व्यक्त की गयी तथा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्न बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया :-

1. खनन परियोजना से होने वाली क्षति को न्यूनतम/शून्य करने की दशा में कार्य किया जायेगा, पहले से बने मार्गो का रखरखाव इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि क्षति शून्य हो।
2. परियोजना में प्रस्तावित सड़क का निर्माण खनन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व पूर्ण कर लिया जाये तथा रखरखाव इस प्रकार सुनिश्चित कर सड़क क्षति को न्यूनतम/शून्य रखा जाये।
3. खनन ढुलाई हेतु प्रयुक्त वाहनों में ओवर लोडिंग न किया जाये तथा ढुलाई का कार्य ढक कर किया जाये।
4. गाड़ियो का संचालन खनन मार्ग निर्धारित कर केवल दिन में ही किया जाये तथा रात्रि में ढुलाई का कार्य न किया जाये, किसी भी दशा में गाड़ियों का आवागमन गांव के बीच से न किया जाये। इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहियें, शिकायत प्राप्त होने की दशा में उचित कार्यवाही की जायेगी।
5. परियोजना के क्रियान्वयन के समय उत्पन्न डस्ट के नियंत्रण हेतु प्रस्तावित परियोजना के अनुसार जल छिडकाव की समुचित व्यवस्था की जाये, जिससे कि आस-पास के वातावरण पर किसी प्रकार के प्रभाव पड़ने की सम्भावना न रहे।
6. खनन स्थल पर कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का बीमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा खनन स्थल पर उपस्थिति रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. खनन परियोजना में पेड़ न काटा जाये तथा नेच्युरल फ्लोरा एवं फ्यूना वातावरण को अवरोधित न किया जाये।
8. नदी में किसी भी प्रकार का घरेलू जल-मल व अन्य अपशिष्ट को निस्तारित न किया जाये, परियोजना संचालन से जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था स्थापित की जाये।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा द्वारा अपने स्तर से सभी बिन्दुओं पर अनुपालन अनुश्रवण समिति बनाकर समय-समय पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

परियोजना के उपस्थित प्रतिनिधि श्री आशीष कुमार श्रोती, मै0 यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल एल0एल0पी0 द्वारा लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव को अपनी परियोजना में सम्मिलित किये जाने का आश्वासन दिया गया।

लोक सुनवाई के समापन पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कानपुर नगर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान प्राप्त सुझाव को परियोजना में सम्मिलित किये जाने तथा प्राप्त सुझाव/आपत्तियों पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु परियोजना प्रतिनिधि मै0 यूरेका माइन्स एण्ड मिनरल एल0एल0पी0 को निर्देशित किया गया, जिससे कि परियोजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र में पर्यावरण पर किसी भी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना न रहें।

लोक सुनवाई के अन्त में परियोजना के लोक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए समस्त उपस्थित गणमान्य द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कानपुर नगर, लोक सुनवाई अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं उपस्थित सभी जन-सामान्य को धन्यवाद देते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गयी।

15/10/2018

(कुलदीप मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
कानपुर नगर।

कुलदीप मिश्रा
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
कानपुर नगर

15.10.18

(संजय चौहान)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
कानपुर नगर।

Scanned by CamScanner

7721

मे० यूरेका माइन्स एण्ड मिनिरल्स एल.एल.पी., ग्राम–समूही, तहसील–घाटमपुर, कानपुर नगर में खनिज साधारण बालू/मौरंग खनन पट्टे हेतु तहसील–घाटमपुर परिसर में दिनांक 10.10.2018 आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों/गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति–

क0सं0	नाम व पद नाम	पता	मोबाईल नं0	हस्ताक्षर
1	संजय चौहान PCS (ADM) (ML)		9454417425	
2	Kuldeep Mishra	Regl. Offg. U.P. Pollution Control Bd Kanpur Nga	94-150 21435	
3	दिनेश कुमार खान अधिकारी	तहसील घाटमपुर कानपुर नगर	8887534 836	
4				
5	डा० अनिल कुमार AEE	UPPCB	7839891882	
6	विवेक कुमार, अवर अभि०	UPPCB	9128622	
7	आशुतोष पाण्डेय तहसील पर्यावरण अधिकारी	UPPCB Kanpur	7839891887	
8	आनन्द	ग्रा० पारा ओ० पो० किरोली समूही	6392 7973 93	
9	बाबू सिंह	ग्राम अमसिउर समूही	955992 5700	
10	रामपाल	समूही		रामपाल
11	चन्द्रेश्वर	समूही	9198475994	चन्द्रे
12	मथुरा	समूही		मथुरा
13	सुशील कुमार	समूही	7316085641	सुशील
14	Lavkush Rana	समूही	7394083030	Lavk
15	अजय कुमार	समूही	9005331055	अजय कुमार
16	Shivkant	समूही	9260994580	Shivkant
17	विद्याशंकर	समूही	6386097	विद्याशंकर

Attend v6 2018

Scanned by CamScanner

7722

18	Dhirendra Singh	Smohi	9719845046	
19	शिवकुमार	समूही	7355422409	शिवकुमार
20	रामकिशोर	समूही	8528410922	रामकिशोर
21	अजय कुमार	समूही	9793291386	
22	Siva	समूही	8423323910	Siva
23	Pavan	समूही	9507090915	Pavan
24	ARYAN Singh	समूही	8400046346	ARYAN
25	[illegible]	समूही	[illegible] 8753262467	
26	राजकुमार सिंह	समूह	7518798[illegible]	
27	Vimal Bhatyal	समूह	6394469487	Vimal Bha
28	सन्तोष गिरी	समूही	9414143066	सन्तोष गिरी
29	महेश	समूही	9418020625	महेश
30	सुनील कुमार	धाटमपुर	7754064185	S. Kumar
31	राकेश कनौजिया	धाटमपुर	9452831784	
32	कुंज मोहन सिंह नेगी (EIA Coordinator)	ENVIRO (I) PVT LTD	9454896694	
33	ऋषभ शर्मा	" "	8948100101	Rishabh
34	केशव	समूही	8756604367	
35	जसवीर सिंह	समूही	6392547229	जसवीर
36	कु. अंकित राजा	समूह	9452700335	
37	पंकज सिंह	समूह	9651948791	

Attend.vs.2013

Scanned by CamScanner

7723

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 663/लोकसुनवाई/18 दिनांक: 27/9/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स विकास इण्टरप्राइजेज के पक्ष में स्वीकृत खंड संख्या–31/5 क्षेत्रफल–36.437 हे0 (728640 घन मी0/वर्ष) ग्राम–पत्थोरा, तहसील व जनपद–हमीरपुर में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 24694/सी–2/एनओसी–4255/बॉदा/18 दिनांक 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई प्रस्तावित खनन स्थल ~~ग्राम–सहजना,~~ तहसील व जनपद–हमीरपुर में दिनांक 18.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

Mishra

क्षेत्रीय अधिकारी

ड संख्या– 31/5, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स विकास इण्टरप्राइजेज द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 36.437 हे0 ग्राम–पत्योरा, तहसील व जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारकों की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 18.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स विकास इण्टरप्राइजेज के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24694/सी–2/एनओसी–4255/बांदा/18 दिनांक 10.08.2018 जो जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पर जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 18.09.2018 को तहसील व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

आज दिनांक 18.09.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील प्रांगण स्थित बार कोर्ट सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. श्री विजय कुमार मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
3. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
4. श्री कमलेश कुमार राय, खान अधिकारी, हमीरपुर।
5. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
6. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

श्री विजय कुमार मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जनसमुदाय को अवगत कराया गया। उक्त परियोजना में

7725

ड/मौरम का खनन कार्य बेतवा नदी के किनारे खण्ड संख्या– 31/5, ग्राम– पत्योरा, तहसील व जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है परन्तु इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है तथा परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है जिसकी एक–एक प्रति उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर, जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर एवं जिला पंचायत हमीरपुर के कार्यालयों में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड बॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा।

7726

खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है इसलिए अभी तक खनन पट्टे का संचालन लम्बित पडी हुई है तथा सम्बन्धित टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री मुनीर खान, अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मुक्ति मोर्चा, बुन्देलखण्ड, भाजपा द्वारा कमशः प्रश्न पूछा गया कि खनन कार्य प्रारम्भ होने पर आवागमन अत्यधिक होने के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे आने जाने में ग्रामवासियो को असुविधा होती है। अतः सड़क का रखरखाव एवं मरम्मत कार्य ससमय होता रहें। खनन कार्य के समय भारी वाहनों के आवागमन गांव एवं स्कूल के निकटतम क्षेत्र से न हो एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में रखा जाये। खदान से खनन कार्य हेतु भारी वाहनों के उपयोग के समय सड़क के मध्य व आस–पास के वृक्षो का काट दिया जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि यदि 1 पेड़ काटा जाये तो उसके स्थान पर 10 पेड़ लगाये जाये ताकि पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ें।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि रास्ते में जो वृक्ष एवं पेड़ काटे जायेगें उनके स्थान पर वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा तथा सुरक्षा हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायेगे एवं 5 प्रतिशत की धनराशि में ग्राम के सभी विकास कार्य किये जायेगें। गावं एवं स्कूल के निकटतम क्षेत्र से वाहनों का आवागमन नही किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु नियमों का अनुपालन किया जायेगा। यदि प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का सुझाव दिया जाता है तो उसका कियान्वयन किया जायेगा। यदि पट्टेधारक द्वारा उक्त कोई भी कार्य नही किये जाते है तो दिये जाने वाले अनापत्ति पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाये।

7727

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा यह पूछा गया कि खनन के समय वाहनो में लोडिंग कार्य मशीनों द्वारा किया जायेगा या मजदूरों द्वारा किया जायेगा।

पट्टेधारक द्वारा अवगत कराया गया कि लोडिंग हेतु छोटी मशीनों का प्रयोग किया जायेगा तथा अधिकतम कार्य मजदूरों से लिया जायेगा जो कि भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार हो तथा शासन द्वारा अनुमति लेकर मशीनों द्वारा कार्य लिया जायेगा।

खान अधिकारी, हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि खनिज कार्य अनुशासन में किया जायेगा तथा 10 प्रतिशत जिला खनिज निधि को जमा कर ग्राम विकास हेतु व्यय किया जायेगा जैसे– चिकित्सा, शौचालय, पर्यावरण एवं सड़क निर्माण/मरम्मत का कार्य किया जायेगा। खनन क्षेत्र में रास्ता बनाना के दौरान गैर प्रतिबन्धित झाडियों का उपयोग किया जायेगा एवं कोई भी पेड़ काटने की अनुमति नही दी जायेगी। सी0ई0आर0 के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा तथा पट्टेधारक द्वारा सहमति जतायी गयी।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि खनन कार्य नियमानुसार किया जायेगा, खनन कार्य गलत न करें एवं जानबूझकर नियमों का उल्लंघन न किया जाये। नदी के आस–पास वृक्षारोपण संभव न हो तो निकटतम गांव में अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें एवं सी0ई0आर0 के अतर्गत हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सालय, शौचालय एवं विद्यालय की मरम्मत आदि कराये जायें, जो ग्राम विकास हेतु अनिवार्य है।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा पट्टा धारकों को निर्देशित किया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा एवं ढुलाई के समय बालू को ढककर लाना है, गीला बालू रखना है इसी के साथ अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

(डा0 माधवी कमलवंशी) सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी	18-09-2018 (विजय कुमार मिश्र) क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा	18-9-18 (विनय प्रकाश श्रीवास्तव) अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) जनपद–हमीरपुर

रुकमाखुर्द के लिए शुरु हुई रोडवेज बस सेवा

तिरंगा फहरा वीरों को किया याद

धूमधाम से मना स्वतंत्रता [illegible] ने किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान

पूर्व [illegible] की कुर्बानी याद [illegible] आजादी का पर्व

उत्तर प्रदेश पुलिस

की

ओर से आप सभी को

स्वतंत्रता दिवस की

हार्दिक शुभकामनाएँ

#नहींभूलेबलिदान

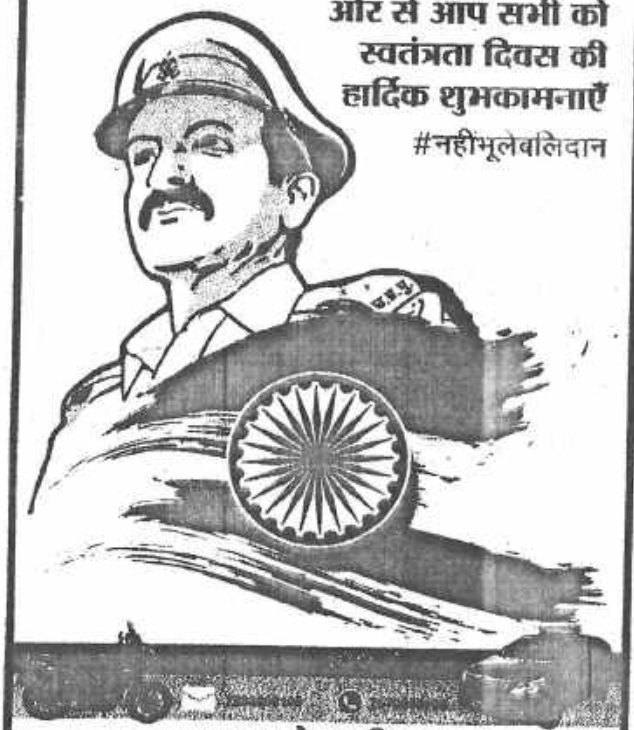

उत्तर प्रदेश पुलिस

uppolice.gov.in @Uppolice @uppolice @uppolice MLAUPPoliceHQ

Public Relations Office, DGP HQs, Lucknow

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

क्र. सं.	व्यवसाय का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

7729

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं० एस ओ० 1533 दिनांक 14-09-2006 यथासंशोधित एस०ओ० 3067 (ई०) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में मैसर्स विकास इण्टरमाइजेज द्वारा श्री विकास सचान, निवासी - कलौलीतीर, इंडा, तहसील व जनपद हमीरपुर, द्वारा साधारण बालू / मोरम खनन हेतु प्रस्ताव पर परियोजना स्थल खसरा सं० - गुटा सं 1115 मुत्थोरा, तहसील व जनपद - हमीरपुर में दिनांक - 18-09-2018 को लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों / कर्मचारियों एवं ग्राम वासियों की उपस्थिति का विवरण :-

क्रo सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल सं०	हस्ताक्षर
1.	विनय प्रकाश श्रीवास्तव	ADM, HAMIRPUR	9454417604	
2.	कमलेश कुमार राय	Mines officer, Hamirpur	9452290110	
3.	विजय कुमार मिश्रा	सं० अधि०, उ०प्र०खनिज नि०बो०, बाँदा	9721000027	
4.	डा० माधवी कमलवंशी	सहा० वैज्ञा० अधि०, उ०प्र०खनिज नि०कें० बाँदा	7839891909	
5.	राजकुरन वर्मा	वैज्ञा० सहा०, उ०प्र० खनिज नि० बो० बाँदा	7839891918	
6.	आर्चु	बेसी	8604036441	
7.				
8.	ब्रजेश	ब्रजेश	5452 10548	
9.	देवेन्द्र कुमार वर्मा	बुलंदपुर	9936103117	
10.	सुरेन्द्र पाल	Assistant Mining Officer, Kurara	9415453568	
11.	सुरेश अग्रवाल	कालपी-चौरासी	9953316287	
12.	यमुना			
13.	जगदेव	भैसाना/डेरा		
14.	अखिल	भैसरिया का डेरा		
15.	पदम	पदम		
16.	प्रदीप	प्रदीप		
17.				
18.		Rent		
19.	Rampal			
20.	जगदीश		6392189409	
21.	राकेश सचान	खड़ेरा	9455599490	
22.	राकेश कुमार			

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 749/लोक सुनवाई/18 दिनांकः 12-10-18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स चौधरी ट्रेडर्स खण्ड संख्या–26/7 एवं संशोधित पत्र दिनांक 11.10.2018 के अनुसार खण्ड संख्या–26/7 के स्थान पर गाटा संख्या–7, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30 35, 37, 38, 40, 177 एवं 176 मि0 ग्राम–अमलौर खादर तहसील–पैलानी जनपद–बाँदा (उ0प्र0) में क्षेत्रफल–25.29 है0 (5,05,800 घनमीटर/वर्ष) में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे हेतु प्राप्त खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर दिनांक 26.09.2018 को तहसील–पैलानी जनपद–बाँदा में आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 24686/सी–2/एनओसी–4275/2018 दिनांक 10.08.2018 एवं संशोधित पत्र एच 27071/सी–2/एनओसी–4275/2018 दिनांक 11.10.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई स्थल तहसील–पैलानी जनपद–बाँदा में दिनांक 26.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

15/10/18

15/10

7731

खण्ड संख्या– 26/7 परन्तु सम्बन्धित ड्राफ्ट [illegible] इन्वायरनमेन्टल असेसमेंट के गाटा सं0– 7, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 50, 177 एवं 176 एम0आई0 प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स चौधरी ट्रेडर्स द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 25.29 हे0 ग्राम–अमलौर खादर, तहसील– पैलानी, जनपद– बाँदा में पट्टाधारक की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 26.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स चौधरी ट्रेडर्स के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24686/सी–2/एनओसी–4275/2018 दिनांक 10.08.2018 जो जिलाधिकारी बांदा को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी बांदा से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी बांदा द्वारा दिनांक 26.09.2018 को तहसील– पैलानी व जनपद– बांदा नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र सं0– 532/55–पर्या–2–2018–103 (पर्या)/2007 दिनांक 23.04.2018, पर्यावरण अनापत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को पत्र सं0– 1133/एम0/21(पर्या)/2011(II) दिनांक 07.08.2018 के अनुसार एक तहसील के क्षेत्रों पर तहसील मुख्यालय में समेंकित सुनवाई को कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

आज दिनांक 26.09.2018 को जिलाधिकारी बांदा द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील पैलानी सभागार, बांदा में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी, जनपद–बांदा।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री शैलेन्द्र सिंह, खान अधिकारी, बांदा।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।

5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

7732

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य केन नदी के किनारे खण्ड संख्या– 26/7 परन्तु सम्बन्धित ड्राफ्ट रिजनल इन्वायरनमेन्टल असेसमेंट के गाटा सं0– 7, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 37, 38, 50, 177 एवं 176 एम0आई0 प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स चौधरी ट्रेडर्स द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 25.29 हे0, ग्राम– अमलौर खादर, तहसील– पैलानी, जनपद–बांदा में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है परन्तु इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है तथा परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है जिसकी एक–एक प्रति उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, बांदा, जिला उद्योग केन्द्र, बांदा एवं जिला पंचायत, बांदा के कार्यालयों में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, बांदा द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

7733

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड बॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रक्रिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

खान अधिकारी, बांदा द्वारा पूछा गया कि खनिज विभाग, बांदा में ई0आई0ए0 रिपोर्ट एवं टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति प्रस्तुत नही किया गया है।

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है इसलिए अभी तक खनन पट्टे का संचालन लम्बित पडी हुई है। इस विषय में संदर्भित शर्तें (टोर) संदर्भ संख्या– 268/Parya/SEAC/4227/2018 दिनांक 11.07.2018 के अनुपालन से सम्बन्धित परियोजना की आई ए/ई0एम0पी0 (ड्राफ्ट) को फील्ड मानीटरिंग और एकत्रित सेकण्डरी आकंडो के आधार पर तैयार किया गया है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री वीरेन्द्र, ग्राम– अमलौर खादर, तहसील– पैलानी, जनपद– बांदा द्वारा प्रश्न पूछा गया कि वृक्षारोपण का कार्य तो किया जायेगा परन्तु उसका रखरखाव कैसे किया जायेगा।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि 7734 वृक्षारोपण किया जायेगा तथा उसके रखरखाव हेतु ट्री–गार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

तत्पश्चात् खान अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सी0ई0आर0 के अंतर्गत सरकारी शौचालय का निर्माण, विद्यालय की मरम्मत का कार्य, सोलर लाइट, पेयजल, सड़क की मरम्मत, वृक्षारोपण तथा ग्राम विकास के कार्य किये जायेगे, जो ग्रामसभा/डी0पी0आर0ओ0/ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार ग्राम विकास के कार्य किये जायेगें।

श्री नरेन्द्र, ग्राम– अमलौर खादर, तहसील– पैलानी, बांदा द्वारा प्रश्न पूछा गया कि खनन कार्य के समय गाड़ी को ओवरलोड न किया जाये तथा रोडों की मरम्मत समय पर की जायें।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत धन सड़क निर्माण व अन्य कार्यों में व्यय किया जायेगा।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आज आयोजित लोकसुनवाई जिन बिन्दुओं पर प्रश्न/सुझाव प्रस्तुत किये गये है। उक्त समस्त प्रश्नों का पूर्ण निराकरण पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा प्रस्तावित परियोजना पर नियम अनुसार ही खनन कार्य किये जाने का प्रावधान है। खनन कार्य के उपरान्त यदि शिकायते प्राप्त होती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अन्त में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को सुझाव दिया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें एवं ढुलाई के समय बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर लाना है, इसी के साथ उपस्थित जनसमुदाय का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

28/09/18

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

(संतोष बहादुर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–बांदा

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आशु सूचना सं० 7735
1533 दिनांक 14-09-2006 यथासंशोधित एस० ओ० 3067 (ई) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में मैसर्स सिल्वर चौधरी हैड्स, द्वारा श्री गिरिराज कुमार शर्मा, निवासी- सेक्ट कालोनी, प्रसादू गली, मुरैना रोड, अंबाह, मुरैना म०प्र० द्वारा साधारण बालू / मोरम खनन हेतु प्रस्ताव पर पारियोजना स्थल खसरा नं० - 26/7, ग्राम - अमलौर खुर्द, तहसील - पैलानी, जिला - बांदा में दिनांक 26-09-2018 को लोकसुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारियों / कर्मचारियों एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति का विवरण :-

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाईल नं०	हस्ताक्षर
1.	सन्तोष बहादुर सिंह	ADM, BANDA	9454417602	
2.	शैलेन्द्र सिंह	खान अधिकारी, बांदा	9452500774	
3.	डा० माधवी कुमलवंशी	A.S.O., UPPCB, JHANSI	7839891909	
4.	साज करन वर्मा	S.A. UPPCB, Banda	7839891918	
5.				
6.				
7.	[illegible]	[illegible]	7234832558	[illegible]
8.				
9.	[illegible]	[illegible]	9198662365	[illegible]
10.	[illegible]	[illegible]	9450[illegible]	[illegible]
11.	[illegible]	[illegible]	9005585357	[illegible]
12.	[illegible]	[illegible]	9869392512	[illegible]
13.	[illegible]	[illegible]	8825394692	[illegible]
14.	[illegible]	[illegible]	8127[illegible]	[illegible]
15.	[illegible]	[illegible]	8009041818	[illegible]
16.	[illegible]	[illegible]	9826541298	[illegible]
17.	[illegible]	[illegible]	7054253455	
18.	9956553847	[illegible]	[illegible]	
19.	[illegible]	[illegible]	9793715669	[illegible]
20.	[illegible]	[illegible]	9302362[illegible]	[illegible]
21.	[illegible]	[illegible]	9826505[illegible]	[illegible]
22.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23.				
24.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
25.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
26.	[illegible]	[illegible]	9425126233	[illegible]

7736

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं०	हस्ता
	Vijay Ramsingh	आबकारी	9792679555	

Families of those killed say not given FIRs, some not even bodies

proof... They are threatening (witnesses) against giving a statement," says father Nandlal Rajbhar.

Current SP, Azamgarh, Ravi Shankar Chhabi says, "What is there to say in encounters? Anyone can allege anything. We will say what we have to in court."

■ Shivpujan, the father of Jai Hind Yadav, killed on August 3, 2017, in Azamgarh, says he wasn't given his son's body and was told to "sign some papers I could not read". "The cremation happened in police custody... They call it an encounter. But then the other side should have also suffered injuries." Jai Hind's body more than 20 wounds, as per the post-mortem.

SHO, Mehnagar, Prem Kumar Yadav, who was posted to the police station after the encounter, says as per records, the body had been given to the family. Sub-Inspector, Mehnagar Police Station, Mithlesh Tiwari, who was at the police station at the time of the encounter, says, "The final rites were conducted by Jai Hind's family. It is not true we took his father's sign on papers without telling him the content."

Empty family homes

■ The SHRC is probing a complaint by Sahaja Devi, the mother of Adesh alias Sunder, who was killed on September 20, 2017, in Bhartharia. Sahaja also left their village Chachha in Etawah, and The Indian Express couldn't reach her. Pradhan Ramveer Singh says, "No one in the village has any information about her." Confirming the family had moved, SHO, Bharthana Police Station, Jai Prakash Pal says Adesh's elder brother Baldeo is in jail.

■ The parents of Bappa Singh, a resident of Jhala, Lakhimpur Kheri, left the village after he got killed on January 12. Police confirm this while neighbour Simaran Kaur says they had moved back to Punjab.

■ Residents of Chinhat, Lucknow, say that soon after the killing of Sunil Sharma, on September 1, 2017, his family shifted to Thakurganj area of Lucknow and was not in touch with any of them. SHO, Chinahat Police Station, Raj Kumar Singh says they knew the family had moved.

■ After the February 8 encounter in which Manoj Kumar, a resident of Talgaon, Sitapur, was killed, his wife Ruby Singh said her in-laws' house at Morahiya Kala village and shifted to her parents' residence at Adhwari village. "A police officer regularly visits to find out what steps we are planning," she says. "Police joined hands with my husband's opponents, who were not happy after he got elected as pradhan, and got him killed."

SHO, Talgaon Police Station, Yogesh Shah denies Ruby's claims, adding, "Manoj Kumar had sold his house days before the encounter."

■ The family of Sharda Kol too left their house in Manikpur area of Chitrakoot after the September 3, 2017, encounter. SHO, Manikpur Police Station, Keshav Prasad Dubey, who was posted here after the encounter, says they have no information where Sharda's family had gone.

Police 'intimidation'

■ A lock hangs on the gate leading to the paternal home in Sharon village, Ahmadnagar, of Rehaan, who was killed on May 3. Neighbours say the family moved out less than a month before the encounter. They currently live in a rented accommodation in Islamabad area of Shahpur town. According to Rehaan's family, they left due to regular visits from police and subsequent warnings. They also say that the cannabis case against Rehaan had made them disown him more than two years ago. "We didn't even know where he was living," adds brother Afzal. "We were told that if Rehaan did not surrender, his job will be done, that he would be killed in an encounter. We explained that we had disowned him, for which we had legal documents, but police did not consider these valid."

Denying threats by police, Jitendra Kumar, the Acting Sub-Inspector at Chanthawal Police Station, says, "Rehaan was absconding in several crimes and as per routine, raids were conducted."

■ The family of Imran Ansari, killed in an encounter on October 3, 2017, in Greater Noida, says police named his cousin in a false case case. Later, the complainant reportedly told Imran's family the case was being pursued by police without their knowledge. A court has now put a stay on the matter. The family denies the police claim that Imran had a history of robbery, theft and murder. Says cousin Vikas Choudhary: "Why didn't police come to the house in such enquiries then? All of sudden, he became a criminal carrying a reward on his head."

Contradictory versions

■ The family of Gurmeet, the resident of Sahuranpur who was shot on March 31, 2017, and died 22 days later — the first to die in an encounter under the new UP government — says the man named by police as an "accomplice" in the shootout was the one who tipped off police about him.

REPORTED BY
MANSI RAWANI, Lucknow; Shreya Lakhera Paul
IMRAN KHAN, Saharanpur; Mukul Sarangi; Sharif, Meerut
ADITI TIWARI, Sharif; Rakshanda, Mukul Sarangi; Noida, Baghpat, Ghaziabad
ARUNIM KUMAR, Sharif, Muzaffarnagar; Baghpat
SHARIF HAFEEZ, Azamgarh
APURVA, Agra, Mathura

■ The family of Sahnawaz resident Shamshad, who was killed in the intervening night of September 30-31, 2017, says that when they received his body, it had six-seven bullet marks as well as rope marks around the neck, waist, and legs, indicating "he had been hanged and tortured". They also say that Shamshad's body had "nuggets and ears".

In fact, the post-mortem, conducted on September 31, notes that "time since death" was "about 3/4 day old". Abid Tandoo, who conducted the post-mortem, told *The Indian Express* it means the person was dead three to four days prior to the post-mortem.

Yagdatt Sharma was the SHO of the Sadar Bazar Police Station under which the encounter happened, and has since been transferred. Asked about the post-mortem report, he says, "Talk to the doctor once again. He surely had some things amiss. Ab yahin hai sab cheez dimag kharch chal rahe hai, confirm kar lijiye (maybe he was distracted, confirm it again)." On being told the doctor had confirmed the report, Sharma says, "It's not like that."

■ Nawaz, the father of Nadeem, a resident of Muzaffarnagar killed on September 8, 2017, says that the said others of the village had met Nadeem at a police station on September 6. Pointing out that Nadeem was said to have escaped from a crowded place, she asks how police could not find an "independent witness" for this.

■ Questioning the police version that Nur Mohammad alias Haseen Mota was killed on December 30, 2017, while on his way to Meerut from Delhi, his family says he had, hours earlier, left his Meerut home. Says mother Shahzeda, "Four men arrived and Haseen went with them. I didn't know any of them." Shahzeda also doubts police claim that Haseen and an accomplice were riding a stolen motorcycle, claiming that it was his vehicle, though he couldn't drive it, anymore following a bike accident, pushing an X-ray as proof.

■ Father Mir Hasan says Furqan, killed on September 22, 2017, in Muzaffarnagar, had been in custody several months. "We did not even know he was out on bail," he says. However, Furqan's lawyer Saleem Ahmed categorically denies saying the bail application was submitted in the name of Hasan, and that after he came out, Furqan had not gone home but to his wife.

Saleem also says that the family had withdrawn a plea in the high court for an investigation into the case.

■ The FIR says Mansur was killed on the intervening night of September 25 and 27, 2017, in Meerut, after allegedly looting a vehicle. Mansur's parents say he was picked up around 12.30 pm on September 26 from home by four men, with another Zubaida suspecting they were policemen. The next day, she adds, police came and took some signatures, and it was only later they realised Mansur had been killed.

Zubaida and husband Akbar add that while Mansur had been involved in petty crime earlier and spent time in jail, he had been mentally disturbed for three-four years. The SHO, Sadar Bazar, Meerut did not respond to calls. One of the former officers of Kithar Police Station, which has jurisdiction over Mansur's village, says, "It did not come to our knowledge that Mansur was mentally ill."

Advocate Akram Akhtar Chaudhary, who is representing families of at least eight persons killed in encounters, says Mansur's family has approached the National Commission for Minorities, along with families of Shamshad, Imran and Adnan.

But Zubaida is not sure how far they can go, saying she is "too afraid to pursue any legal action".

Others also say they are scared. Rehaan's family has not hired a lawyer. "Allah will give us justice. One of my sons is with Him but my other children should not suffer," says his mother, refusing to be named.

Says Chhavi's brother Bubbo, "People suggested we give dharna, but we cannot afford it. They will make life hell for us. If they lock us up, our children will die hungry."

The wife of one of the victims in Shamli says she received an offer of Rs 3.5 lakh through "indirect channels" to drop the case. "We did not have the money, we took the amount," says the 25-year-old mother of five.

DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (E&M) I
CHANDRAWAL WATER WORKS NO. 1,
CIVIL LINES, DELHI-110054
Email Id:- sumanTchwp@gmail.com

CORRIGENDUM

On the request of Prospective Bidders, Press NIT No. 06 (2018-19) Tender ID: 2018_DJB_154684_1 is hereby extended.
ISSUED BY P.R.O. (WATER)
Advt. No. J.S.V. 913/2018-19
Sd/-
EE (E&M) I

Government of Tamil Nadu
HIGHWAYS DEPARTMENT
Tenger Construction and Maintenance Circle
TENDER NOTICE

TENDER NOTICE NO. 2/2018-19/H.D. DATED: 20.08.2018

For and on behalf of Governor of Tamil Nadu sealed percentage tender will be received by the Superintending Engineer (H), C&M Tirupur Circle for Package No.1 to 13 under CRIDP 2018-19 at the office up to 3.00 PM (As per office clock) on 29.08.2018 in respect of Roads (H), C&M Division

Details of Name of work, approximate value of work, EMD, Price of tender document, Place and availability of tender document, receipt of tender opening of tender and all other details are available in the web site "http://www.tntdtenders.gov.in" (or) http://tenders.tn.gov.in" If any changes/corrections etc... to the tender, it will be published on the above website(s) only.

SUPERINTENDING ENGINEER (H)
C&M Circle, Tirupur.

Government of Tamil Nadu
Rural Development and Panchayat Raj Department
Short Tender Notice on e-procurement

D.C. No.2107 / 2018 / A3 Dt. 16.08.2018

Invitation of Tender Schedule in two cover system for the Construction of High Level Bridge across Aniyar River in Elayampalayam Panchayat in Tiruchuliyur Panchayat Union under PMGSY-III/ NSIP/ XIII Tranche/ 2018-19 / Bridges/ 4 SPC International.

1. Value of Bridge: ₹ 93.75 Lakh.
2. Value of EMD: ₹ 1.90 Lakh.
3. Bid documents can be downloaded in the website www.tntenders.gov.in from 23.08.2018 to 06.09.2018 upto 15.00 hrs.
4. Last date & Time for closing of Bid documents on 06.09.2018 upto 15.00 hrs.
5. Date and Time of opening of technical bid/envelope on 07.09.2018 from 10.00 hrs.
6. Other particulars are published in the respective tender website in the website www.tntenders.gov.in

Addl Director / Project Director, DRDA, Kanchipuram.

Government of Tamil Nadu
HIGHWAYS DEPARTMENT
Coimbatore Construction & Maintenance Circle
TENDER NOTICE

Tender Notice No.4/2018-19/HD/DUDU/16.08.2018

For and on behalf of Governor of Tamilnadu sealed Percentage Tenders for CRIDP – 2018-19 Roads of Udhagai, Coonoor, Kuttagatti, Gudalur, (H), C&M Sub Divisions of Udhagai (H), C&M Division for a Total value of approximately Rs.83.40 crores of Nine Packages No. 1 to 8 and its Amount by the Superintending Engineer (H), C&M Circle, Coimbatore upto 3.00 pm on 31.08.2018 and will be opened at 3.15 pm on 31.08.2018.

Details regarding name of work, Contract Value, EMD of Tender Schedule and other details are available in the following website http://tenders.tn.gov.in (or) http://tenders.tndigitalpro.org any changes in the above notice will be published only on the above websites.

SUPERINTENDING ENGINEER (H)
C&M Circle, Coimbatore-18

Government of Tamil Nadu
HIGHWAYS DEPARTMENT
Madurai Construction and Maintenance Circle
TENDER NOTICE

Tender Notice No.16/2018-19/H.D./Dindigul: 20.08.2018

For and on behalf of Governor of Tamil Nadu sealed percentage tender will be received by the Superintending Engineer (H) C&M Madurai Circle for Package No.24 to 30 under CRIDP section Plan 2018- 19, works in respect of Roads (H) C&M Division at the office up to 3.00 pm (as per office clock) on 29.08.2018.

Details of Name of work, approximate value of work, EMD, Price of tender document, Place and availability of tender document, receipt of tender, opening of tender and all other details are available in the web site http://www.tntenders.gov.in (or) http://tenders.tndigitalpro.org. If any changes /corrections / amendments in the tender, it will be published in the above website(s) only.

SUPERINTENDING ENGINEER (H)
C&M Circle, Madurai-2.

Government of Tamilnadu
HIGHWAYS DEPARTMENT
Superintending Engineer (H),
Chennai Metropolitan Development Plan Circle,
Nandanam, Chennai-35
TENDER NOTICE

Tender Notice No: 07/2018-19/CMDP/SE(H)/Dated: 20.08.2018

For and on behalf of the Governor of Tamil Nadu sealed Item Rate Tender (Two Cover system) for the following works will be received by the Superintending Engineer (H), Chennai Metropolitan Development Plan Circle, Nandanam, Chennai-35 upto 3.00 P.M (as per office clock) on 27.09.2018. The Pre qualification documents alone will be opened on the same day at 3.15 P.M (as per office clock) in the presence of the tenderers.

The details of Name of work, approximate value of work, EMD, Price of tender document, Place and availability of tender document, receipt of tender, opening of tender and all other details are available in the website http://www.tntdtenders.gov.in (or) http://tenders.tn.gov.in. If any changes /corrections / amendments in the tender, it will be published in the above website(s) only.

1.CMDP Division-1
Construction of Grade Separator at the intersections of Mount - Medavakkam and Pallavaram - Thuthipattu road near Kilkattalai (Balance Work).

2.CMDP Division-2
Construction of Grade Separator connecting Medavakkam - Sholinganallur Road junction, Medavakkam - Mambalam road junction and Mount - Medavakkam road junction in Mamallapuram bridge - Kumbuliyur road at Medavakkam. (Balance Work)

Superintending Engineer (H)
CMDP Circle, Nandanam, Chennai-35

MAHAVITARAN — **e-Tender Notice**

The Superintending Engineer O&M Circle, Parbhani on behalf of MSEDCL (the Employer), invites sealed e-tenders from reputed and e-registered Contractors/Suppliers for

Sr. No.	E-Tender No.	Particular Work	Revised Amount	Remark
1	Bid / PDNC / HVDS / T-59 to 67 / 2018-19	Supply, test, transport, construction, erection, testing and commissioning of 11kV lines, HVDS distribution transformer of varying capacities, and other allied works for Energisation of AG Pumps in various sections under Parbhani circle on partial turnkey basis.	6345 Lakhs	Last date for submission of tenders extended to Dt. 22.08.2018 upto 22:00

Tenders will be opened on dtd 23.08.2018 at 11:00 hrs.. If possible. For more details regarding registration process and tender, visit our e-Tendering website on http://portal.mahadiscom.in

---

Can court ask EC to not allot poll symbol to candidates with criminal record: SC

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, AUGUST 21

TERMING CRIMINALISATION of politics as an "existential democracy", the Supreme Court Tuesday sought to know whether it can direct the Election Commission (EC) against allotting symbols to candidates of a recognised political party facing serious criminal charges.

A five-judge Constitution bench headed by CJI Dipak Misra observed: "We can direct the EC to require every member of a political party declaring if they have any cases against them. That will not disqualify them from being a member of the party but will help people know how many members of the party has criminal cases against them. When these people want to contest, they will not get symbols." The court was hearing petitions seeking steps to check criminalisation of politics.

Appearing for the Centre, Attorney General K K Venugopal said the court can issue such a direction in exercise of the wisdom of Parliament, which has powers under the Constitution to deal with the subject. The bench also comprised Justices R F Nariman, A M Khanwilkar, D Y Chandrachud and Indu Malhotra.

Rejecting the contention that it could make a law where none exists, Justice Nariman said, "It is very big leap. We cannot say that it cannot go into the extent of our competence in law in an area which is exclusively reserved for Parliament". Venugopal said while the court cannot do directly, it can't do even indirectly. He said a direction to SC would have the same effect of disqualifying someone from contesting, and this is not possible due to presumption of innocence under Indian law.

Govt, child panel figures on shelter inmates differ by 2 lakh, SC baffled

New Delhi: How many children live in childcare homes across the country—4.73 lakh or 2.61 lakh? The question baffled the Supreme Court Tuesday as it perused two government documents while hearing a matter on exploitation of children in shelter homes.

Advocate Aparna Bhat, amicus curiae in the case, told a bench led by Justice Madan B Lokur that a survey conducted by the NCPCR had, in association with the NGO Childline, found its 2016-17 that 4.73 lakh children lived in 9,000 shelter homes. However, a government affidavit filed in March said only 2.61 lakh children were living at 8,734 centres. Advocate R Rainomongam, representing the Centre, hinted at an error in the NCPCR survey and said it was possible that childcare institutions gave inflated figures to get more aid. ENS

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: ए-39, आवास विकास कालोनी, शिल्पा रोड, बांदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बांदा में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/मोरम माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के सम्बन्ध में पर्यावरणीय प्रभिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	खोदान्त	स्थान	दिनांक व समय
1.	मैसर्स चौधरी ईंट उद्योग द्वारा श्री मानवेन्द्र सिंह प्रान- पाटकरा रोड, बांदा, यूपीए, प.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परीक्षेत्रण	ग्राम सं.- 17 ग्राम- सदी खादर, खसरा- पैमाइश, थाना- बांदा।	13.0 हजार	खादरीय पैमाइश, नवाब-बांदा।	दिनांक- 26.09.18 को पूर्वाह्न-11.00 बजे से प्रारम्भ होगी।
2.	मैसर्स चौधरी ईंडस्ट्री इण्डस्ट्री की विधिक कुमार शर्मा, सेना कालोनी, फ्रीज रोड, बांदा, यूपीए, प.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परीक्षेत्रण	ग्राम सं.- 26/7 ग्राम- अमरौंदा खादर, खसरा- पैमाइश, नवाब- बांदा	25.25 हजार	खादरीय पैमाइश, नवाब-बांदा।	दिनांक- 26.09.18
3.	मैसर्स सिंहराय खनन अमरेन्द्रमय्यन ग्राम श्री देवकाश सिंह, गांव न.-2, पार्ट नं.-3, सुकेलकलाँ, रघुराजनगर, सतना, म.प्र.।	सैण्ड/मोरम माइनिंग परीक्षेत्रण	ग्राम संख्या-126 पार्ट, 178, 180, 177, 147 पार्ट, 148 पार्ट, 141 पार्ट, 143, 145, 142, 122, 121, 114 पार्ट एवं 117 पार्ट, ग्राम- मोमीसदार, तहसील- पैमाइश, नवाब- बांदा।	40.0 हजार	खादरीय पैमाइश, नवाब-बांदा।	दिनांक- 26.09.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ 1533 दिनांक 14-09-2006 यथा संशोधित-एस.ओ 3067 (ई) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1- जिलाधिकारी कार्यालय जनपद-बांदा।
2- महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, बांदा।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, शिल्पा रोड, बांदा।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला पंचायत बांदा।
6- क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार, पंचम तल, सेक्टर-ए, अलीगंज लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/मोरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

GOVERNMENT OF TAMIL NADU
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT
Bidding Section for the Construction of Proposed Office Complex of DRDA under PMGSY-III/2017-18
Short e-Tender NOTICE

1. For details, visit www.tntenders.gov.in
2. e-Bids are Invited by the Project Director, DRDA, Villupuram District for the Construction of Integrated Office Complex under PMGSY 2017-18 with Flexible Cover System. The fees and dates are given below.
3. The bid documents can also be downloaded free of cost from www.tntenders.gov.in from 23.08.2018 to 06.09.2018
4. Important Dates:
   i) Last Date and Time for downloading of bid documents : 06.09.2018 upto 3.00PM
   ii) Last Date and Time for online opening of Bid Documents : 07.09.2018 4.00PM

Project Director,
DRDA, Villupuram

S.M.D.C. Ltd., ROURKELA
CIN: U27106OR1972PLC000917

Short-E-Tender NOTICE – tenders are invited for the following works in Two Cover System as per details furnished below

Name of the work	No. of packages	Approx. value of work Rs.	E.M.D. Rs.	Eligible Class
Construction of Mining Tek Shed work in Zone IIa JSP	75	Lowest work value Rs. 333 Lakhs Highest work value Rs. 385 Lakhs	2 % of the work value	Class - I

1) Tender last date and time of submission 07.09.2018 upto 3.00 pm.
2) Bid document will be available in website : https://steeljharsuguda.com
3) Tender open date and time 07.09.2018 upto 3.30 pm.

Superintending Engineer (Mining)

अमर उजाला Alert

WBP: मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर मौका

■ कुल पद : 203

■ अंतिम तिथि: 11 सितंबर, 2018

AIESL: एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के पद खाली

एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, नागपुर

■ कुल पद : 53

■ साक्षात्कार की तिथि: 17/19/21 तथा 24 सितंबर, 2018 (अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग निर्धारित)

पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों की सीधी भर्ती

1310 कुल पद

SAI: मैनेजर के पदों पर मौका

■ वेबसाइट: www.sportsauthorityofindia.nic.in

डीएलएड कॉलेजों का होगा निरीक्षण

फर्जी संपत्ति दिखाकर एक ही बिल्डिंग में चलाते हैं कई डीएलएड कॉलेज

अमर उजाला ब्यूरो

नियमित प्रशिक्षण भी नहीं हो रहा

डायट प्राचार्यों की भी हो जांच

मानकों की होगी जांच, अल्पसंख्यक कॉलेज भी घेरे में

एलएलबी की 96 कॉलेजों की दूसरी मेरिट जारी

शनिवार से 17 अगस्त तक होने हैं पहली मेरिट के एडमिशन

अमर उजाला ब्यूरो

एडेड कॉलेजों में हैं 1460 सीटें

दूसरी कट ऑफ

एडेड कॉलेज	सामान्य	ओबीसी	एससी	एसटी
मेरठ कॉलेज मेरठ	69.5	65.19	59.58	46.36
एनएएस कॉलेज मेरठ	70.6	67.12	62.03	46.36
[illegible]	66.0	61.47	60.45	0.00
एसडी कॉलेज [illegible]	67.07	61.97	62.96	0.00
[illegible] कॉलेज मुजफ्फरनगर	57.6	50.9	45.14	0.00
[illegible] कॉलेज सहारनपुर	64.05	59.07	61.36	0.00

दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में चलेगा स्पेशल ड्राइव

अमर उजाला ब्यूरो

विदेशी भाषा में करें ऑनलाइन कोर्स

अमर उजाला ब्यूरो

https://onlineadmission.ignou.ac.in/admission/

डूसू चुनाव में पचास फीसदी आरक्षण की मांग

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

VACANCY - CHIEF ENGINEER AT SUGAR MILL

The oldest PSU under administrative control of Finance Department, Government of Rajasthan seeks applications to fill up one post of CHIEF ENGINEER (Officer Service, at Executive Senior Level) in the Level-20 (15600-39100+ GP 8200 as per sixth pay pattern) with Min Rs. 88900+ DA & other allowances per month. Details and other t&c are available at our website https://web.rajexcise.net/RSGSM/Website/Default.aspx (open at internet explorer). Duly filled applications (Hard Copy) must reach latest by 20.09.2018 at the address mentioned above.

General Manager

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

दिनांक : 20.08.18

DKA82018000000975

क्षेत्रीय अधिकारी

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 751/एच0बी0-सी0/18 दिनांक: 12.10.18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय–मैसर्स चौधरी ईंट उद्योग गाटा संख्या–4, खण्ड संख्या–17 ग्राम–सांडी खादर तहसील–पैलानी जनपद–बाँदा (उ0प्र0) में क्षेत्रफल–13.00 है0 (2,60,000 घनमीटर/वर्ष) में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे हेतु प्राप्त खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर दिनांक 26.09.2018 को तहसील–पैलानी जनपद–बाँदा में आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 24714/सी–2/एनओसी–4274/2018 दिनांक 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई स्थल तहसील–पैलानी जनपद–बाँदा में दिनांक 26.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

No 1724/AEE
T. U-9
12/10/18

15/10

ड संख्या– 17, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स चौधरी ईंट उद्योग द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 13.00 हे0 ग्राम–सांडी खादर, तहसील– पैलानी, जनपद– बाँदा में पट्टाधारक की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 26.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स चौधरी ईंट उद्योग के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24714/सी–2/एनओसी –4274/2018 दिनांक 10.08.2018 जो जिलाधिकारी बांदा को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी बांदा से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी बांदा द्वारा दिनांक 26.09.2018 को तहसील– पैलानी व जनपद– बांदा नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 22.08.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र सं0– 532/55–पर्या–2–2018–103 (पर्या)/2007 दिनांक 23.04.2018, पर्यावरण अनापत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को पत्र सं0– 1133/एम0/21(पर्या)/2011(II) दिनांक 07.08.2018 के अनुसार एक तहसील के क्षेत्रों पर तहसील मुख्यालय में समेंकित सुनवाई को कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

आज दिनांक 26.09.2018 को जिलाधिकारी बांदा द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील पैलानी सभागार, बांदा में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी, जनपद–बांदा।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री शैलेन्द्र सिंह, खान अधिकारी, बांदा।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की [illegible] संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य केन नदी के किनारे खण्ड संख्या– 17, ग्राम– सांडी खादर, तहसील– पैलानी, जनपद–बांदा में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है परन्तु इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेंधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है तथा परियोजना से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है जिसकी एक–एक प्रति उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, बांदा, जिला उद्योग केन्द्र, बांदा एवं जिला पंचायत, बांदा के कार्यालयों में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। उक्त परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराने हेतु सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित परामर्शी से आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, बांदा द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव कम करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु

खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था भी की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड वॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग की जाने वाली सड़को का आवश्यकतानुसार रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके फलस्वरूप समीपवर्ती लोगों के सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण/मरम्मत के कार्य किये जायेगें।

खान अधिकारी, बांदा द्वारा पूछा गया कि खनिज विभाग, बांदा में ई0आई0ए0 रिपोर्ट एवं टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति प्रस्तुत नही किया गया है।

परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण आंकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार खनन पट्टे के संचालन से पूर्व पर्यावरणीय क्लीयरेन्स लेना जरूरी है तथा सम्बन्धित पट्टे का ई0आई0ए0 व टर्म्स ऑफ रिफरेन्स की प्रति 15 दिवस के अन्दर पुनः सभी कार्यालयों में उपलब्ध करा दी जायेगी।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री अर्जुन सिंह, ग्राम– सांडी खादर, तहसील– पैलानी, जनपद– बांदा द्वारा प्रश्न पूछा गया कि खण्ड सं0– 4 सड़क से लगभग 02 से 05 कि0मी0 दूरी पर स्थित है वाहन संचालन के समय धूल अत्यधिक उडेगी, उसको कैसे नियंत्रित किया जायेगा।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि धूल के नियंत्रण हेतु यह प्राविधानित है कि समय समय पर पानी के टैंकरो से जल छिडकाव किया जायेगा।

श्री रामबडी, ग्राम– सांडी खादर, तहसील– पैलानी, जनपद– बांदा द्वारा प्रश्न पूछा गया कि क्षेत्रीय ग्रामवासियों द्वारा ही मजदूरी का कार्य लिया जाये तथा सड़क दुर्घटना न हो उसका ध्यान रखा जायें, सडक

7743

पर जगह–2 स्पीड ब्रैकर बनाये तथा पट्टेधारक द्वारा यह ध्यान रखा जाये कि विद्यालय की छुट्टी के समय वाहनों का संचालन न किया जायें।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि मजदूरी कार्य क्षेत्रीय ग्रामवासियों द्वारा ही लिया जायेगा। वाहनों की गति मानको के अनुरूप होगी, जगह–2 पर स्पीड ब्रैकर बनाये जायेगें तथा पट्टेधारक द्वारा इन सभी की व्यवस्था देखी जायेगी एवं स्कूल के निकटतम क्षेत्र से वाहनों का आवागमन नही किया जायेगा।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी से ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये अनुरोध किया गया।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आज आयोजित लोकसुनवाई जिन बिन्दुओं पर प्रश्न/सुझाव प्रस्तुत किये गये है। उक्त समस्त प्रश्नों का पूर्ण निराकरण पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा प्रस्तावित परियोजना पर नियम अनुसार ही खनन कार्य किये जाने का प्रावधान है। खनन कार्य के उपरान्त यदि शिकायते प्राप्त होती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अन्त में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को सुझाव दिया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायें एवं ढुलाई के समय बालू को गीली अवस्था में त्रिपाल से ढककर लाना है, इसी के साथ उपस्थित जनसमुदाय का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

26/09/18

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

(संतोष बहादुर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–बांदा

पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दि
7744
1533 दिनांक - 14-09-2006 यथासंशोधित एस० ओ० 3067 (ई) दिना
01-12-2009 के अनुपालन मे मैसर्स चौधरी स्टैट उद्योग द्वारा श्री बाल
शर्मा, निवासी - ग्राम बदफरा रोड, अंबाह, मुरैना, म० प्र० द्वारा साधारण ब
मोरम खनन हेतु प्रस्ताव पर परियोजना स्थल खसरा स० - 17, ग्राम - सदी
तहसील - पैलानी, बाँदा मे दिनांक 26-09-2018 को लोकसुनवाई के सं
मे उपस्थित अधिकारियों / कर्मचारियों एवं ग्रामवासियो की उपस्थिति का वि

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं०	ह
1.	सन्तोष बहादुर सिंह	ADM, BANDA	9454417602	
2.	शैलेन्द्र सिंह	खनन अधिकारी, बाँदा	9452500774	
3.	डा० माधवी कुमलवंशी	A.S.O., UPPCB, JHANSI	7839891909	
4.	राज करन वर्मा	S.A, U.P.P.C.B. Banda	7839891918	
5.				
6.				
7.	कुंवर सिंह (D.B Singh)	अमीन	7234832558	
8.				
9.	शिवशंकर	आरक्षी	9198662345	
10.	अतुल कुमार	सर्वे	9450192057	
11.	अरुण चौहान	अमीन	9005585337	
12.	Ashok pandey	अमीन	8869293512	
13.	Vinay Singh	खान	9695382900	
14.	दीवान के दुबे	खान	8127858888	
15.	कुलदीप तिवारी	खान	8009040818	
16.	कुमार तिवारी	खान	9826541298	
17.	विजय कुमार	खान	7054259457	
18.	लाली प्रसाद प्रजापति	खान	9956553864	
19.	शफीक	खान	9793715669	
20.	Govind ji Singh	Morena M.P.	9302362628	
21.	[illegible]	[illegible] M.P.	9826505858	
22.	[illegible]	[illegible] M.P.	9826-3[illegible]	
23.	[illegible]	[illegible]	9935576664	
24.	Ramesh Singh	[illegible]	9630632[illegible]	
25.	B.M.S.N.[illegible]	[illegible]	9[illegible]	
26.	D.K.Kashyap	Geology	9450621717	
27	[illegible]	[illegible]	9826281457	

Families of those killed say not given FIRs, some not even bodies

proof... They are threatening (witnesses) against giving a statement," says Esther Nandlal Rajbhar.

Current SP, Azamgarh, Ravi Shankar Chhabi says, "What is there to say in encounters? Anyone can allege anything. We will say what we have to in court."

■ Shivpujan, the father of Jai Hind Yadav, killed on August 3, 2017, in Azamgarh, says he wasn't given his son's body and was told to "sign some papers I could not read". "The cremation happened in police custody... They call it an encounter. But then the other side should have also suffered injuries." Jai Hind's body more than 20 wounds, as per the post-mortem.

SHO, Mehnagar, Prem Kumar Yadav, who was posted to the police station after the encounter, says, as per records, the body had been given to the family. Sub-Inspector, Mehnagar Police Station, Mithlesh Tiwari, who was at the police station at the time of the encounter, says, "The final rites were conducted by Jai Hind's family. It is not true we took his father's signed papers without telling him the content."

Empty family homes

■ The SHRC is probing a complaint by Sukaga Devi, the mother of Adash alias Sunder, who was killed on September 26, 2017, in Bharthana, Sehaga also left their village Chaubia in Etawah, and The Indian Express couldn't reach her. Pradhan Rameez Singh says, "Nowone in the village has any information about her." Confirming the family had moved, SHO, Bharthana Police Station, Jai Prakash Pal says Adesh's elder brother Ratnan is in jail.

■ The parents of Bagga Singh, a resident of Jhala, Lakhimpur Kheri, left the village after he got killed on January 17. Police confirm this while neighbour Sivaran Kaur says they had moved back to Punjab.

■ Residents of Chinahat, Lucknow, say that soon after the killing of Sunil Sharma, on September 1, 2017, his family shifted to Thakurganj area of Lucknow and was not in touch with any of them. SHO, Chinahat Police Station, Raj Kumar Singh says they knew the family had moved.

■ After the February 8 encounter in which Manoj Kumar, a resident of Tajpur, Sitapur, was killed, his wife Ruby Singh sold her in-laws' house at Morabiya Kala village and shifted to her parents' residence at Adhrauri village. "A police officer regularly calls to find out what steps we are planning," she says. "Police joined hands with my husband's opponents, who were not happy after he got elected as pradhan, and got him killed."

SHO, Tahgaon Police Station, Yogesh Shah denies Ruby's claims, adding, "Manoj Kumar had sold his house days before the encounter."

■ The family of Sharda Kol too left their house in Mashpur area of Chitrakoot after the September 3, 2017, encounter. SHO, Mashpur Police Station, Keshav Prasad Dubey, who was posted here after the encounter, says they have no information where Sharda's family had gone.

Police 'intimidation'

■ A lock hangs on the gate leading to the paternal home in Shamin village, Muzaffarnagar, of Rehaan, who was killed on May 1. Neighbours say the family moved out less than a month before the encounter. They currently live in a rented accommodation in Islamabad area of Shahpur town. According to Rehaan's family, they left due to regular visits from police and subsequent warnings. They also say that the mounting cases against Rehaan had made them disown him more than two years ago. "We didn't even know where he was living," adds brother Afzal. "We were told that if Rehaan did not surrender, his 'job will be done', that he would be killed in an encounter. We explained that we had disowned him, for which we had legal documents, but police did not consider these valid."

Denying threats by police, Jitendra Kumar, the Acting Sub-Inspector at Charthawal Police Station, says, "Rehaan was absconding in several crimes and as is routine, raids were conducted."

■ The family of Sumit Gurjar, killed in an encounter on October 3, 2017, in Greater Noida, says police named his cousin in a false rape case. Later, the complainant reportedly told Sumit's family the case was being pursued by police without her knowledge. A court has now put a stay on the matter. The family denies the police claim that Sumit had a history of robbery, theft and murder. Says cousin Vikas Choudhary: "Why didn't police come to the house to make enquiries then? All of sudden, he became a criminal carrying a reward on his head."

Contradictory versions

■ The family of Gurmeet, the resident of Saharanpur who was shot on March 31, 2017, and died 22 days later — the first to die in an encounter under the new UP government — says the man named by police as an "accomplice" in the shootout was the one who tipped off police about him.

REPORTED BY
MANISH SAHU, Lucknow
Sitapur, Lakhimpur Kheri
RAMZAN KHAN, Saharanpur, Muzaffarnagar
Bharat, Meerut
ABHISHEK DIKSHIT, Chitrakoot, Mauranipur, Hamirpur, Banda, Bagpat, Ghaziabad
ABHISHEK ANAND, Bharat, Muzaffarnagar, Baghpat
SARAH HAFEEZ, Azamgarh
APURVA, Aligarh, Mainpuri

■ The family of Saharanpur resident Shamshad, who was killed on the intervening night of September 10-11, 2017, says that when they received his body, it had six-seven bullet marks as well as rope marks around the neck, waist, and legs, indicating "he had been hanged and tortured". They also say that Shamshad's body had "maggots and ants".

In fact, the post-mortem, conducted on September 11, notes that "time since death" was "about 3/4 day old". Ashil Tandon, who conducted the post-mortem, told The Indian Express it means the person was dead three to four days prior to the post-mortem.

Yagdatt Sharma was the SHO of the Sadar Bazar Police Station under which the encounter happened, and has since been transferred. Asked about the post-mortem report, he says, "Talk to the doctor once again. He said he had some diseases [which] did not make his condition [more] serious [maybe he was distracted, confirm it again]." On being told the doctor had confirmed the report, Sharma says, "It's not like that."

■ Nusrat, the sister of Nadeem, a resident of Muzaffarnagar killed on September 8, 2017, says that she and others of the village had met Nadeem at a police station on September 6. Pointing out that Nadeem was said to have escaped from a crowded place, she asks how police could not find an "independent witness" for this.

■ Questioning the police version that Nur Mohammad alias Nanhe Mota was killed on December 30, 2017, while on his way to Meerut from Delhi, his family says he had, hours earlier, left his Meerut home. Says mother Shakeela, "Four men arrived and Naseem went with them. I didn't know any of them." Shakeela also denies police claim that Naseem and an accomplice were riding a stolen motorcycle, claiming that it was his vehicle, though he couldn't drive it anymore following a bike accident, pending as X-ray as proof.

■ Father Mir Hasan says Furqan, killed on September 22, 2017, in Muzaffarnagar, had been in custody several months. "We did not even know he was out on bail," he says. However, Furqan's lawyer Saleem Ahmad contradicts this, saying the bail applications was submitted in the name of Hasan, and that after he came out, Furqan had not gone home but to his wife.

Saleem also says that the family had withdrawn a plea in the high court for an investigation into the case.

■ The FIR says Mansur was killed on the intervening night of September 26 and 27, 2017, in Meerut, after allegedly losing a vehicle. Mansur's parents say he was picked up around 12.30 pm on September 26 from home by four men, with another Zohaida suspecting they were policemen. The next day, the addl. police came and took some signatures, and it was only later they realised Mansur had been killed.

Zohaida and husband Akhtar add that while Mansur had been involved in petty crime earlier and spent time in jail, he had been essentially shuttered for three-four years. The SHO, Sadar Bazaar, Meerut did not respond to calls. One of the former officers of Sadar Police Station, which has jurisdiction over Mansur's village, says, "It did not come to our knowledge that Mansur was mentally ill."

Advocate Akram Akhtar Chaudhary, who is representing families of at least eight persons killed in encounters, says Mansur's family has approached the National Commission for Minorities, along with families of Shamshad, Imran and Aslam.

But Zohaida is not sure how far they can go, saying she is "too afraid to pursue any legal action".

Others also say they are scared. Rehaan's family has not hired a lawyer. "Allah will give us justice. One of my sons is with Him but my other children should not suffer," says his mother, refusing to be named.

Says Chhaya's brother Jhabbu, "People suggested we give dharna, but we cannot afford it. They will make life hell for us. If they lock us up, our children will die hungry."

The wife of one of the victims in Shamli says she received an offer of Rs 3.5 lakh through "indirect channels" to drop the case. "We did not have any money, we took the amount," says the 35-year-old mother of five.

DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (E&M) I
CHANDRAWAL WATER WORKS NO. 1,
CIVIL LINES, DELHI-110054
Email id:- eeenn1chwtp@gmail.com
CORRIGENDUM

On the request of Prospective Bidders, Press NIT No. 06 (2018-19) Tender ID: 2018_DJB_154884_1 is hereby extended.

ISSUED BY P.R.O. (WATER) Sd/-
Advt. No. J.S.V. 313/2019-19 EE (E&M) I

Government of Tamil Nadu
HIGHWAYS DEPARTMENT
Tirupur Construction and Maintenance Circle
TENDER NOTICE
TENDER NOTICE NO. 2/2018-19(H.D. DATED:20.08.2018

For and on behalf of Governor of Tamil Nadu sealed percentage tender will be received by the Superintending Engineer (H), C&M Tirupur Circle for Package No. 1 to 13 under CRIDP 2018-19 at this office up to 3.00 PM (As per office clock) on 28.09.2018 in respect of Erode (H), C&M Division

Details of Name of work, approximate value of work, EMD, Price of tender document, Place and availability of tender document, receipt of tender, opening of tender and all other details are available in the web site "https://www.tnhighways.org (or) http://tenders.tn.gov.in" if any changes/corrections etc., to the tender, it will be published on the above website(s) only.

DIPR/122/Tender/2018 SUPERINTENDING ENGINEER (H)
C&M Circle, Tirupur.

Government of Tamil Nadu
Rural Development and Panchayat Raj Department
Short Tender Notice (NTB-SHORT)/MYNAM/2018 Dt. 18.08.2018

R.C.No.2187 / 2018 / A3
Invitation of Tender Schedule in two cover system for the Construction of High Level Bridge across Adyar River in Ganapathipuram Panchayat in Kanchipuram Panchayat Union under NABARD-RIDF XXIII FINANCING 2018-19 (Bridges) & SFC Interest fund.

1. Value of the work (Rs.) 3 lakh
2. Value of EMD is 15.06.000/-
3. Bid documents in English may be downloaded in the website www.tntenders.gov.in from 23.08.2018 to 28.08.2018 upto 15.00 hrs.
4. Last date & Time for uploading of Bid documents on 28.08.2018 upto 3.00 PM.
5. Date and Time of downloading of technical bid documents on 06.09.2018 from 4.00 PM onwards.
6. Other particulars are published in the respective tender schedule in the website www.tntenders.gov.in

Joint Director / Project Director, DRDA, Kanchipuram.

Government of Tamil Nadu
HIGHWAYS DEPARTMENT
Coimbatore Construction & Maintenance Circle
TENDER NOTICE
Tender Notice No.4/2018-19/NIDD/DE:16.08.2018

For and on behalf of Governor of Tamilnadu sealed Percentage Tenders for CRIDP – 2018-19 Works of Gobagal, Edamedu, Kathagiri, Gudalur, (H), C&M Sub Division at Udhagai (H), C&M Division for a Total value of approximately Rs.51.49 crores at Nine Packages No. 1 to 9 will be received by the Superintending Engineer (H), C&M Circle, Coimbatore upto 3.00 pm on 28.08.2018 and will be opened at 3.15 pm on 28.08.2018.

Details regarding works, Contract Value, EMD of Tender Schedule and other details are available in the following website https://tenders.tn.gov.in (or) http://www.tnhighways.org any changes in the above notice will be published only in the above websites.

DIPR/121/Tender/2018 SUPERINTENDING ENGINEER (H)
C&M Circle, Coimbatore-18

Government of Tamil Nadu
HIGHWAYS DEPARTMENT
Madurai Construction and Maintenance Circle
TENDER NOTICE
Tender Notice No.16/2018-19/M.D.O/Dated: 20.08. 2018

For and on behalf of Governor of Tamil Nadu sealed percentage tender will be received by the Superintending Engineer (H) C&M Madurai Circle for Packages No.34 to 36 under CRIDP and Hill Plan 2013- 18, works in respect of Theni (H) C&M Division at his office up to 3.00 pm (as per office clock) on 28.08.2018.

Details of Name of work, approximate value of work, EMD, Price of tender document, Place and availability of tender document, receipt of tender, opening of tender and all other details are available in the web site http://www.tnhighways.org (or) http://tenders.tn.gov.in. If any changes / corrections etc to the tender, it will be published on the above website(s) only

DIPR/123/Tender/2018 SUPERINTENDING ENGINEER (H)
C&M Circle, Madurai-7.

Government of Tamil Nadu
HIGHWAYS DEPARTMENT
Superintending Engineer (H),
Chennai Metropolitan Development Plan Circle,
Nandanam, Chennai-35
TENDER NOTICE
Tender Notice No: 30/2018, TNCMDP/SE(H)/dated: 20.08.2018

For and on behalf of the Governor of Tamil Nadu sealed item Rate Tender (Two Cover system) for the following works will be received by the Superintending Engineer (H), Chennai Metropolitan Development Plan Circle, Nandanam, Chennai-35 upto 3.00 PM (as per office clock) on 27.09.2018. The Pre qualification documents alone will be opened on the same day at 3.15 PM (as per office clock) in the presence of the tenderers.

Details of Name of work, approximate value of work, EMD, Price of tender document, Place and availability of tender document, receipt of tender, opening of tender and all other details are available in the website http://www.tnhighways.gov.in (or) http://www.tenders.tn.gov.in. If any changes /corrections / amendments in the tender, it will be published in the above website(s) only.

1.CMDP Division-1
Construction of Grade Separator at the intersections of Mount - Medavakkam and Pallavaram - Thurpakkam road near Kilkattalai. (Balance Work).

2.CMDP Division-2
Construction of Grade Separator connecting Medavakkam - Sholinganallur Road junction, Medavakkam - Mambakkam road junction and Mount - Medavakkam road junction in Mamallapuram - Tirumbakkam road at Medavakkam. (Balance Work)

DIPR/127/TENDER/2018 Superintending Engineer (H)
CMDP Circle, Nandanam, Chennai-35

MAHAVITARAN **e-Tender Notice**

The Superintending Engineer O&M Circle, Parbhani on behalf of MSEDCL (the Employer), invites sealed e-tenders from reputed and e-registered Contractors/bidders for

Sr. No.	E-Tender No.	Particular Work	Revised Amount	Remark
1	SE / PBMC / HVDS / T-50 to 67 / 2018-19	Supply, test, transport, construction, erection, testing and commissioning of 11kV lines, HVDS / distribution transformer of varying capacities, and other allied works for Energisation of AG Pumps in various sections under Parbhani circle on partial turnkey basis.	6345 Lakhs	Last date for submission of tenders extended to On. 22.08.2018 upto 23.00

Tenders will be opened on dtd 23.08.2018 at 11.00 hrs., if possible. For more details regarding registration process and tender, visit our e-Tendering website on https://www.mahadiscom.in/en/e-tender/index.php

No.O.Pbi/No.229/2018-19 Superintending Engineer O&M Circle, Parbhani

---

Can court ask EC to not allot poll symbol to candidates with criminal record: SC

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, AUGUST 21

TERMING CRIMINALISATION of politics as an "antithesis to democracy", the Supreme Court Tuesday sought to know whether it can direct the Election Commission (EC) against allotting symbols to candidates of a recognised political party facing serious criminal charges.

A five-judge Constitution bench headed by CJI Dipak Misra observed: "We can direct the EC to require every member of a political party declaring if they have any cases against them. That will not disqualify them from being a member of the party but will help people know how many members of the party has criminal cases against them. When these people want to contest, they will not get symbols." The court was hearing petitions seeking steps to check criminalisation of politics.

Appearing for the Centre, Attorney General K.K. Venugopal told the court that it should leave the question of the wisdom of Parliament, which is empowered under the Constitution to deal with the subject. The bench also comprised Justices R F Nariman, A M Khanwilkar, D Y Chandrachud and Indu Malhotra.

Rejecting the contention that it could make a law where none exists, Justice Nariman said, "It's very big leap...very difficult to say that it must go in the event that one must make law in an area which is exclusively reserved for Parliament". Venugopal said what the court cannot do directly, it can't do even indirectly. He said a direction to EC would have the same effect of disqualifying someone from contesting, and this is not possible due to presumption of innocence under Indian law.

Govt, child panel figures on shelter inmates differ by 2 lakh, SC baffled

How Delhi's many children in childcare homes across the country — 4.73 lakh or 2.61 lakh? The question baffled the Supreme Court Tuesday as it perused two government documents while hearing a matter on exploitation of children in shelter homes.

Advocate Aparna Bhat, amicus curiae in the case, told a bench led by Justice Madan B Lokur that a survey conducted by the NCPCR had, in association with the NGO Childline, found in 2016-17 that 4.73 lakh children lived in 9,000 shelter homes. However, a government affidavit filed in March said only 2.61 lakh children were living at 9,734 centres. Advocate R Balasubramanyam, representing the Centre, hinted at an error in the NCPCR survey and said it was possible that childcare institutions gave inflated figures to get more aid. ENS

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय: ए-39, आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बाँदा
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बाँदा में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/गौरम माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के सम्बन्ध में पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का प्रकार	परियोजना स्थान का ग्राम	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1.	मैसर्स चौधरी ईंट उद्योग द्वारा श्री बलवन्त सिंह ग्राम- बरुवारा रोड, अंगेवा, पुरैना, ब.प्र.	सैण्ड/गौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 17 ग्राम- राजे खास, तहसील- पैलानी, जनपद-बांदा।	13.0 हेक्टेयर	खसरा सं. पैलानी परिसर, जनपद-बांदा।	दिनांक- 26.09.18 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से आरम्भ होगी।
2.	मैसर्स चौधरी ट्रेडर्स द्वारा श्री विनोद कुमार वर्मा, सौरा कालोनी, पुलिस लेन, अंगेवा, पुरैना, ब.प्र.	सैण्ड/गौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 267 ग्राम- अमरौंदा खादर, तहसील- पैलानी, जनपद-बांदा	25.29 हेक्टेयर	खसरा सं. पैलानी परिसर, जनपद-बांदा।	दिनांक- 26.09.18
3.	मैसर्स विक्रम खान अटोमोबाइल्स द्वारा श्री रंजना सिंह, पत्नी पं.-2, वार्ड नं.-5, बुधियाकलां, रुपौलवन्द, सतना, म.प्र.	सैण्ड/गौरम माइनिंग परियोजना	खटा संख्या-176 पार्ट, 179, 180, 177, 147 पार्ट, 144 पार्ट, 143 पार्ट, 143, 145, 142, 122, 121, 114 पार्ट एवं 117 पार्ट, ग्राम- जोतीपुरवार, तहसील-पैलानी, बन्दा-बांदा।	46.0 हेक्टेयर	खसरा सं. पैलानी परिसर, जनपद-बांदा।	दिनांक- 26.09.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ 1533 दिनांक 14-09-2006 तथा संशोधित-एस.ओ 3067 (ई) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध हैं।

1- जिलाधिकारी कार्यालय बनपद-बांदा।
2- महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, बांदा।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला पंचायत बांदा।
6- क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार, पंचम तल, सैक्टर-एच अलीगंज लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/गौरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

GOVERNMENT OF TAMIL NADU
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT
RAJ DEPARTMENT
Inviting Tender for the Construction of Integrated Office Complex at DRDA under SGSY(I) 2017-18

1. For details, visit www.tntenders.gov.in
2. e-Bids are invited by the Project Director, DRDA, Villupuram District for the Construction of Integrated Office Complex under SGSRY 2017-18 with Double Cover System. The time and dates are as given below.
3. The bid documents can also be downloaded free of cost from www.tntenders.gov.in from 22.08.2018 to 28.08.2018
4. Important Dates:
   i) Last Date and Time for downloading and submission of Bid Documents: 28.08.2018 upto 3.00PM
   ii) Last Date and Time of online opening of Bid Documents: 28.08.2018 4.30PM

DIPR/2329/TENDER/2018 Project Director, DRDA, Villupuram

GREATER CHENNAI CORPORATION
Storm Water Drain Department

S.W.D.C.No.8/34 NS/2017
Short-E-Tender NOTICE - tenders are invited for the following works in Two Cover System as per details furnished below

Name of the work	No. of packages	Approx. value of work Rs.	E.M.D. Rs.	Eligible Class
Construction of Missing link SWD work in Zone 1 to XV	73	Lowest work value Rs. 1.93 Lakhs Highest work value Rs. 7.95 Lakhs	2 % of the work value	Class - I

1) Tender last date and time of submission 07.09.2018 upto 3.00 pm.
2) Bid document will be available in website : https://tntenders.gov.in
3) Tender open date and time 07.09.2018 upto 3.30 pm.

Superintending Engineer (Storm)

डीएलएड कॉलेजों का होगा निरीक्षण

फर्जी संपत्ति दिखाकर एक ही बिल्डिंग में चलाते हैं कई डीएलएड कॉलेज

अमर उजाला ब्यूरो

कानपुर। [illegible]

नियमित प्रशिक्षण भी नहीं हो रहा

[illegible]

डायट प्राचार्यों की भी हो जांच

[illegible]

मानकों की होगी जांच अल्पसंख्यक कॉलेज भी घेरे में

[illegible]

डूसू चुनाव में पचास फीसदी आरक्षण की मांग

नई दिल्ली। [illegible] ... 50 फीसदी सीटों पर एससी, एसटी और ओबीसी के [illegible]

टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष [illegible] डूसू चुनाव में भी 50 फीसदी सीटें आरक्षित [illegible]

एलएलबी की 96 कॉलेजों की दूसरी मेरिट जारी

शनिवार से 17 अगस्त तक होने हैं पहली मेरिट के एडमिशन

अमर उजाला ब्यूरो

मेरठ। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से संबद्ध मेरठ और सहारनपुर मंडल के 96 ला कॉलेजों में [illegible] ... 70.6 फीसदी रही है। [illegible] 69.5 फीसदी रही है। [illegible]

एडेड कॉलेजों में हैं 1460 सीटें

मेरठ कॉलेज में 320 सीटें हैं। अभी तक 94 सीटों पर एडमिशन हुए हैं। 206 सीटें खाली हैं। एनएएस कॉलेज में 180 सीट हैं। अभी 163 सीटें खाली हैं। [illegible] 420 सीट हैं। अभी 241 सीटें खाली हैं। [illegible] 120 सीटें हैं। 70 पर अभी [illegible] 320 सीटें हैं। 168 सीटें अभी खाली हैं। [illegible] 120 सीटें हैं। 32 अभी खाली हैं।

दूसरी कट ऑफ

एडेड कॉलेज	जनरल	ओबीसी	एससी	एसटी
मेरठ कॉलेज मेरठ	69.5	65.79	59.58	46.36
एनएएस कॉलेज मेरठ	70.6	67.13	62.03	46.36
[illegible] कॉलेज [illegible]	66.0	61.47	60.45	0.00
[illegible] कॉलेज खुर्जा	67.07	61.92	62.96	0.00
[illegible] कॉलेज [illegible]	57.6	50.9	45.14	0.00
जैन कॉलेज सहारनपुर	64.05	59.47	61.36	0.00

[illegible] 887 रुपये है। [illegible] 146 रुपये है। [illegible] 18 हजार रुपये से लेकर [illegible] 50 हजार रुपये [illegible]

दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में चलेगा स्पेशल ड्राइव

अमर उजाला ब्यूरो

कॉलेज की खाली सीटों पर एक दिन ही होंगे दाखिले

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म (डीएसजे) में [illegible] ... 24 अगस्त को [illegible] 25 अगस्त [illegible]

विदेशी भाषा में करें ऑनलाइन कोर्स

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। [illegible] इग्नू [illegible] इच्छुक छात्र 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। [illegible] https://onlineadmission.ignou.ac.in/admission/ [illegible]

अमर उजाला Job Alert

WBP: मल्टी टास्किंग स्टाफ के पदों पर मौका

- कुल पद : 303
- अंतिम तिथि: 11 सितंबर, 2018
- आयु सीमा: अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है।

AIESL: एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के पद खाली

एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, नागपुर

- कुल पद : 53 (संविदा पर)
- आयु सीमा : अधिकतम आयु 35 वर्ष

पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों की सीधी भर्ती

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

1,310 कुल पद

SAI: मैनेजर के पदों पर मौका

- पदों की संख्या: 36
- khelosindiarecruitment@gmail.com
- वेबसाइट: www.sportsauthorityofindia.nic.in

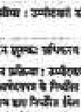

कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
ई-निविदा सूचना

भारत संचार निगम लिमिटेड

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

RAJASTHAN STATE GANGANAGAR SUGAR MILLS LTD.

VACANCY - CHIEF ENGINEER AT SUGAR MILL

The oldest PSU under administrative control of Finance Department, Government of Rajasthan seeks applications to fill up one post of CHIEF ENGINEER (Officer Service, at Executive Senior Level) in the Level-20 (15600-39100+ GP 8200 as per sixth pay pattern) with Min Rs. 88900+ DA & other allowances per month. Details and other t&c are available at our website https://web.rajexcise.net/RSGSM/Website/Default.aspx (open at internet explorer). Duly filled applications (Hard Copy) must reach latest by 20.09.2018 at the address mentioned above.
General Manager

amarujala.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय : ए-39 आवास विकास कालोनी, चिल्ला रोड, बांदा

पत्रांक : 512/[illegible]/2018 दिनांक : 20.08.18

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

क्र. सं.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	क्षेत्रफल	[illegible]	दिनांक व समय
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14.0 हेक्टेयर	[illegible]	दिनांक- 26.09.18
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25.21 हेक्टेयर	[illegible]	दिनांक- 26.09.18
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	44.0 हेक्टेयर	[illegible]	दिनांक- 26.09.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14-09-2006 तथा संशोधित - एस.ओ. 3067 (ई), दिनांक 01-12-2009 के अनुसार [illegible]

1. जिलाधिकारी, कार्यालय [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]

DKA0201800000876 क्षेत्रीय अधिकारी

7747

दूरभाष सं0– 05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD,

REGIONAL OFFICE : A-39, Awas Vikas Colony, Banda- 210001

संदर्भ सं0– 689/लोक सुनवाई/10 दिनांक– 27/9/10

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय :–**मैसर्स सिल्वर मिस्ट रिटेल प्रा0लि0, खण्ड सं0– 30/1, ग्राम– भुलसी, तहसील– मौदहा, जनपद– हमीरपुर में क्षेत्रफल– 36.437 है0 (5,82,912 घनमीटर/वर्ष) में उपखनिज साधारण बालू/मोरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0– एच 24692/सी–2/एनओसी–4285/बॉदा/18 दिनांक– 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मोरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई प्रस्तावित स्थल तहसील– मौदहा, जनपद– हमीरपुर के परिसर में दिनांक 20.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई का कार्यवृत्त मूलरूप में, उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियॉ पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

/

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

7748

ब्लॉक सं0– 30/1, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स सिल्वर मिस्ट रिटेल प्रा0लि0 द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 36.437 हे0 ग्राम–भुलसी, तहसील– मौदहा, जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारक की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 20.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स सिल्वर मिस्ट रिटेल प्रा0लि0 के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24692/सी–2/एनओसी–4285/बांदा/18 दिनांक 10.08.2018 जो जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, बॉदा के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 20.09.2018 को तहसील– मौदहा व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र सं0–532/55–पर्या–2–2018–103 (पर्या)/2007 दिनांक 23.04.2018, पर्यावरण अनापत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को पत्र सं0–1133/एम0/2/(पर्या)/2011(11) दिनांक 07.08.2018 के अनुसार एक तहसील के क्षेत्रों पर तहसील मुख्यालय में समेंकित सुनवाई को कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

आज दिनांक 20.09.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील मौदहा सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री जीतेन्द्र सिंह, खान निरीक्षक, हमीरपुर।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य केन नदी के किनारे खण्ड सं0– 30/1, ग्राम– भुलसी, तहसील– मौदहा, जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है क्योकि खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 50 हेक्टेअर से कम है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है। परामर्शी द्वारा 10 किमी0 की त्रिज्या में स्थित पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण/आंकडों के एकत्रण का कार्य स्टेट इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट अथॉरिटी द्वारा दी गयी टर्म्स ऑफ रिफरेन्स के बिन्दुओं के अनुरूप की गयी है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी थी तथा उसकी एक–एक प्रति अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर, जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर, जिला पंचायत हमीरपुर में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा परामर्शी से विस्तृत विवरण प्रेषित किये जाने हेतु आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव न्यून करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया

।येगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड वॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग किये जाने वाली सड़को का रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा। तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा एवं सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण कार्य किये जायेगें।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने शिकायत/आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

सर्वप्रथम श्री गोपी चन्द्र, ग्राम– भुलसी, हमीरपुर द्वारा प्रश्न किया गया कि क्षेत्रवासियों द्वारा ही मजदूरी का कार्य लिया जायें एवं वाहन चलाते समय धूल बहुत उड़ती है उसको न उडनें दिया जायें।

श्री त्रिलोकी, ग्राम– भुलसी, हमीरपुर द्वारा प्रश्न किया गया कि जहॉ भी खनन कार्य किया जायें वहॉ शौचालय की व्यवस्था की जायें।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रवासियों द्वारा ही मजदूरी का कार्य लिया जायेगा। पेयजल की व्यवस्था रखी जायेगी। प्रत्येक 06 माह में अनुपालन आख्या भेजी जायेगी, अस्थाई रूप से शौचालय का निर्माण किया जायेगा, ओवरलोडिंग नही की जायेगी।

तत्पश्चात् सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टेधारक को आमंत्रित किया गया।

पट्टेधारक श्री अरविन्द कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामवासियों की सभी समस्याओं का समाधान होगा एवं जल, शौचालय आदि कोई भी समस्या होने पर उसका निराकरण पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय को ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये आमंत्रित किया गया।

7751

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदूषण जल, वायु, ध्वनि आदि को नियंत्रण रखा जायेगा तथा शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन किया जायेगा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा तथा खनन का कार्य नियमावली के अनुसार किया जायेगा।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को निर्देशित किया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा एवं ढुलाई के समय बालू को ढककर लाना है, गीला बालू रखना है इसी के साथ अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

20/09/19

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

7752

[illegible]

[illegible]

रुकमाखुर्द के लिए शुरु हुई रोडवेज बस सेवा

[illegible]

जागरण प्रभाव

- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

तिरंगा फहरा वीरों को किया याद

धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस, जिलाधिकारी ने किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान

[illegible]

[illegible]

पूर्वजों की कुर्बानी याद दिलाता है आजादी का पर्व

[illegible]

उत्तर प्रदेश पुलिस
की
ओर से आप सभी को
स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएँ
#नहींभूलेबलिदान

7233000100 | 7570000100

उत्तर प्रदेश पुलिस

uppolice.gov.in | @uppolice | @uppolice | @uppolice | bit.ly/UPPoliceHQ

Public Relations Office, DGP HQs, Lucknow

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: ए-39, आवास विकास कालोनी, बिल्ला रोड, बाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद- हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्टों के प्रस्ताव पर लोक सुनवाई के सम्बन्ध में पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1	श्रीमती [illegible], [illegible], निवासी- [illegible], जिला- महोबा, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 17/5, ग्राम- [illegible], तहसील व जनपद- हमीरपुर	12.145 हैक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
2	मैसर्स [illegible] इण्टरप्राईजेज द्वारा श्री [illegible], निवासी- [illegible], तहसील व जनपद- हमीरपुर	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	ग्राम- [illegible], तहसील व जनपद- हमीरपुर	36.437 हैक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
3	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स द्वारा श्री [illegible] सिंह, निवासी- [illegible], [illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 9/3, ग्राम- [illegible], तहसील व जनपद- हमीरपुर	36.3690 हैक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
4	मैसर्स [illegible] माईनिंग एण्ड मिनरल्स द्वारा श्री [illegible], निवासी- ई-7, [illegible] 44। [illegible] कालोनी, [illegible] नगर, भोपाल, म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 11/4, ग्राम- [illegible], तहसील व जनपद- हमीरपुर	17.400 हैक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
5	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स द्वारा श्री [illegible] निवासी ग्राम- [illegible], [illegible], जिला- कन्नौज, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 10/36, ग्राम- [illegible], तहसील व जनपद- हमीरपुर	36.44 हैक्टेयर	तहसील सदर परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
6	मैसर्स [illegible] इण्टरप्राईजेज द्वारा श्री [illegible] कुमार [illegible], निवासी- [illegible], [illegible], लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/20, ग्राम- [illegible], तहसील- सरीला जनपद- हमीरपुर	12.145 हैक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
7	मैसर्स [illegible], निवासी- [illegible], [illegible], जिला- [illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 22/14, ग्राम- [illegible], तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर	24.291 हैक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
8	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स, द्वारा श्री [illegible] सिंह [illegible], निवासी- [illegible], [illegible], लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/7, ग्राम- [illegible], तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर	12.145 हैक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
9	[illegible] इन्फ्राटेक [illegible] द्वारा [illegible], निवासी- [illegible], [illegible] नगर, कानपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	ग्राम- [illegible], तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर	36.437 हैक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
10	[illegible] प्रा.लि. द्वारा [illegible], [illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 26/7, ग्राम- [illegible], तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर	36.437 हैक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
11	[illegible] द्वारा [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 26/3, ग्राम- [illegible], तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर	24.291 हैक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
12	[illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/19, ग्राम- [illegible], तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर	12.145 हैक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
13	मैसर्स श्री [illegible] द्वारा श्री [illegible], निवासी- [illegible]	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 23/11, ग्राम- [illegible], तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर	12.145 हैक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
14	मैसर्स [illegible] द्वारा श्री [illegible], निवासी- [illegible], [illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 22/15, ग्राम- [illegible], तहसील- सरीला, जनपद- हमीरपुर	24.291 हैक्टेयर	तहसील सरीला परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
15	मैसर्स [illegible] प्रा.लि. द्वारा श्री [illegible], [illegible], [illegible], म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 30/1, ग्राम- [illegible], तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर	36.437 हैक्टेयर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
16	मैसर्स [illegible] प्रा.लि. द्वारा श्री [illegible] कुमार शर्मा, निवासी- [illegible], [illegible], पटना, बिहार।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 30/3, ग्राम- [illegible], तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर	36.437 हैक्टेयर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
17	मैसर्स [illegible] प्रा.लि. द्वारा श्री [illegible], निवासी- [illegible], [illegible], म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 30/[illegible], ग्राम- [illegible], तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर	36.44 हैक्टेयर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
18	मैसर्स [illegible] द्वारा श्रीमती [illegible] देवी, निवासी- [illegible], [illegible], जिला [illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	ग्राम- [illegible], तहसील- [illegible], जनपद- हमीरपुर	[illegible].291 हैक्टेयर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
19	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स द्वारा श्री [illegible], निवासी- ग्राम व पोस्ट- [illegible], तहसील- [illegible], जिला- बांदा, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 30/[illegible], ग्राम- [illegible], तहसील- मौदहा, जनपद- हमीरपुर	[illegible]	तहसील मौदहा परिसर, जनपद- हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18

नोट: भारत सरकार, पर्यावरण, वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 तथा संशोधित- एस.ओ. 3067 (ई) 01.12.2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए. एवं अधिशासी सारांश निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1. जिलाधिकारी, कार्यालय जनपद-हमीरपुर।
2. महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।
3. क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ए-39 आवास विकास कालोनी, बिल्ला रोड, बांदा।
4. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. कार्यालय जिला पंचायत, हमीरपुर।
6. क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पिकअप भवन, सेक्टर- एच अलीगंज लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियां अपने लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

Copyright Jagran.com

7753

SBI
... Unit, Corporate Centre, State Bank Bhavan, ... Madam Cama Road, Mumbai 400 021.
REQUEST FOR PROPOSAL
... India has issued a Request for Proposal (RFP) ... of consultant for conducting employee ... cum mass communication programme. For details, ... 'procurement news' at bank's website https://bank.sbi
Sd/-
... Mumbai ... 17.08.2018
Deputy General Manager (Strategic Training Unit)

Tamil Nadu Medicinal Plant Farms & Herbal Medicine Corporation Ltd.
(A Government of Tamil Nadu Undertaking)
Regd. Office: Arignar Anna Hospital Campus, Arumbakkam, Chennai - 600 106.
TENDER NOTICE REF : 366/TAMPCOL/OT/MED/2018-19
Sealed tenders are invited ... Tender document may also be downloaded from Tampcol Website ...
MANAGING DIRECTOR

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIIMS), BHUBANESWAR
File No. : AIIMS/BBSR/Engg./ 420 /2018-19 Dated : 16th Aug 2018
NOTICE INVITING E-TENDER
The All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhubaneswar invites e-Tender for the Work "External Painting around Hospital Building of AIIMS, Bhubaneswar" (NIT No. AIIMS-BBSR/Engg./ 019 /2018-19). The detailed Tender Document along with Last Date & Time of Submission of Tender can be viewed & Downloaded from the website www.aiimsbhubaneswar.edu.in, www.tenderwizard.com/AIIMSBBSR & CPP Portal www.eprocure.gov.in.
Sd-
Executive Engineer (Civil)
AIIMS, Bhubaneswar

कार्यालय उपनिदेशक (नि/र्मा.)
राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ. प्र.
नवीन गल्ला मण्डी स्थल, महेवा चुंगी, गोरखपुर - 273016
पत्रांक: नि./मा.-( )/2018-612 दिनांक: 16-8-2018
ई-निविदा शुद्धि-पत्र
कार्यालय पत्रांक-नि./मा. (निविदा)/2018-545 दिनांक 02.08.2018 द्वारा दिनांक 14.08.2018 को ई-निविदा आमंत्रित निविदा के क्रमांक-5 नवीन मण्डी स्थल ... कार्य की निविदा ... दिनांक 29.08.2018 को ई-निविदा आमंत्रित की जाती है दिनांक 28.08.2018 को 1.00 बजे तक निविदा लोड कर सकते हैं तथा दिनांक 29.08.2018 को 11.30 बजे निविदा खोली जायेगी। समस्त नियम ... एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगी।
भवदीय
ह०/-
उप निदेशक (नि./मा.)
मण्डी परिषद, गोरखपुर

TAMIL NADU ENERGY DEVELOPMENT AGENCY TEDA
(A Govt of Tamil Nadu Undertaking)
TENDER NOTICE
Tender Inviting Authority, Designation and Address : The General Manager, Tamil Nadu Energy Development Agency ...
Document Description : Request for Proposal (RFP) for the selection of Bidders to Design, Supply, Install, Test, Commission, Operate and Maintain Grid Connected Floating Solar systems in Tamil Nadu.
...
General Manager/TEDA

CHANDIGARH HOUSING BOARD
PRESS NOTICE
e-Procurement System
Executive Engineer-V (Elect.) on behalf of the Chairman, Chandigarh Housing Board invites sealed Percentage rate Tenders through e-Procurement process ... for specialized works of Fire Alarm System in two envelope system for the following work:

Name of work	Estimated cost put to tender	Earnest Money	Time allowed	Cost of tender Document
Providing Fire Alarm System for construction of 200 Nos. Two Bed Room flats in Sector 51 A, Chandigarh	Rs. 0.38 Lac	Rs. 18,000/-	4 Months	Rs. 500/-

1. Milestone dates of Electronic Tendering

I	Downloading of the Tender documents	Start Date: 21.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 30.08.2018 up to 1700 Hrs.
II	Clarification regarding plans, specifications, schedule of quantities and set of terms	Start Date: 21.08.2018 at 1000 hrs. End Date: 30.08.2018 up to 1600 Hrs.
III	Date of submission of e-TENDER	Start Date: 21.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 30.08.2018 up to 1700 Hrs.
IV	Physical submission of EMD, Tender fee, Eligibility Documents and other necessary documents	Start Date: 30.08.2018 at 1000 Hrs. End Date: 04.09.2018 up to 1000 Hrs.
V	Opening of Technical Bid(s) Online	05.09.2018 at 1100 Hrs.
VI	Opening of Price Bid(s)	To be intimated to all eligible Bidders separately

2. Bid Document can be downloaded from the website http://etenders.chd.nic.in/nicgep
3. All other terms and conditions, instruction to bidder regarding e-tendering process etc. may kindly be seen from the detailed Notice Inviting Tender (NIT) available/ downloadable on the above noted web sites of Chandigarh Administration.
Also Available at: www.chandigarh.gov.in
Executive Engineer-V (Elect.) for & on behalf of Chairman Chandigarh Housing Board Chandigarh

दूरभाष नं.-05192-220048

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: ए-39, आवास विकास कालोनी, बिल्सा रोड, बाँदा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-हमीरपुर में विभिन्न खण्डों एवं ग्रामों में निम्न सूची के अनुसार सैण्ड/ मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर लोकसुनवाई के संबंध में पर्यावरणीय प्राधिकरण से पर्यावरणीय स्वीकृत संबंधित प्रस्ताव उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किए गए है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	प्रोजेक्ट का नाम	परियोजना स्थल का पता	क्षेत्रफल	स्थान	दिनांक व समय
1.	श्रीमती कौशल्या चौबे, कान्ट्रेक्टर, निवासी- मु. [illegible], [illegible], जिला-[illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खण्ड सं.- 17/5 ग्राम- [illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
2.	मैसर्स विकास इंटरप्राईजेज द्वारा श्री विकास [illegible], निवासी- [illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	ग्राम-[illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर	30.437 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
3.	मैसर्स रामा ट्रेडर्स द्वारा श्री विरेन्द्र सिंह, निवासी-[illegible], [illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-9/3, ग्राम-[illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.7698 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
4.	मैसर्स इन्द्रप्रस्थ माईनिंग एण्ड मिनरल्स द्वारा श्री विकास [illegible], निवासी- ई-7, एचआईजी 441 [illegible] कालोनी, [illegible], म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-11/4, ग्राम-[illegible], तहसील व जनपद-हमीरपुर।	17.408 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
5.	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स द्वारा श्री [illegible] निवासी ग्राम- [illegible], [illegible], जिला-कन्नौज, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-10/36, ग्राम-बेरी, तहसील व जनपद-हमीरपुर।	36.44 हेक्टेअर	तहसील सदर परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 18.09.18
6.	मैसर्स [illegible] इंटरप्राईजेज द्वारा श्री नवनीत कुमार पाण्डे, निवासी, म.नं.-271, विनयखण्ड-3, गोमतीनगर, लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-23/20, ग्राम- मेंढ़ी खालसा, तहसील- सरीला, जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
7.	मैसर्स [illegible], निवासी- [illegible], [illegible], जिला-[illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-22/14, ग्राम-[illegible], तहसील- सरीला, जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
8.	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स, द्वारा श्री [illegible] सिंह यादव, निवासी-म.नं.-1095, [illegible]-2, [illegible] कालोनी, सेक्टर-3, [illegible], लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-23/7, ग्राम-मेंढ़ी खालसा, तहसील-सरीला, जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
9.	मैसर्स एम.टी. इंटरनेशनल द्वारा श्री दीपक [illegible], निवासी- 7/[illegible], म.नं.-[illegible], [illegible] नगर, कानपुर, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	ग्राम-[illegible], तहसील- सरीला, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
10.	मैसर्स [illegible] प्रा. लि. द्वारा श्री [illegible] चन्द मिश्रा, निवासी- म.नं.-[illegible] 06, [illegible] मार्ग, जिला लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-26/7, ग्राम-[illegible], तहसील- सरीला, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
11.	मैसर्स [illegible] द्वारा श्री [illegible] सिंह [illegible], म.नं.-101, [illegible] नगर, ग्वालियर, म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-26/3, ग्राम-[illegible], तहसील- सरीला, जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
12.	मैसर्स [illegible] द्वारा श्री [illegible] सिंह, निवासी- 405 [illegible], उरई, जालौन, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-23/19, ग्राम- मेंढ़ी खालसा, तहसील- सरीला, जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
13.	मैसर्स श्री [illegible] कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा श्री अनिल [illegible], निवासी- [illegible], स्वामी नगर, [illegible], ग्वालियर, म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-23/13, ग्राम- मेंढ़ी खालसा, तहसील- सरीला, जनपद-हमीरपुर।	12.145 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
14.	मैसर्स [illegible] प्रा. लि. द्वारा श्री रमेश चन्द मिश्रा, निवासी- म.नं.-[illegible] 06, [illegible] मार्ग, जिला लखनऊ, उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-22/15, ग्राम-[illegible], तहसील- सरीला, जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील सरीला परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 19.09.18
15.	मैसर्स [illegible] प्रा. लि. द्वारा श्री प्रशान्त [illegible], म.नं.-10, [illegible] मार्ग, [illegible], होशंगाबाद, म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-30/1, ग्राम- [illegible], तहसील- मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
16.	मैसर्स [illegible] प्रा. लि. द्वारा श्री [illegible] कुमार शर्मा, निवासी- ग्राम- [illegible], पोस्ट- [illegible], डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल के पास, [illegible] रोड, [illegible], पटना, बिहार।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-30/3, ग्राम- [illegible], तहसील- मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.437 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
17.	मैसर्स [illegible] प्रा. लि. द्वारा श्री प्रशान्त [illegible], म.नं.-10, [illegible] मार्ग, [illegible], होशंगाबाद, म.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-30/2, ग्राम- [illegible], तहसील- मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	36.44 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18
18.	मैसर्स डी.बी. कंस्ट्रक्शन द्वारा श्रीमती सुमन देवी निवासी- [illegible], तहसील- [illegible], जिला [illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	ग्राम- [illegible], तहसील- मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	24.291 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक 20.09.18
19.	मैसर्स [illegible] ट्रेडर्स द्वारा श्री सुशील चन्द्र, निवासी- ग्राम व पोस्ट- [illegible], तहसील-[illegible], जिला-[illegible], उ.प्र.।	सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना	खंड सं.-29/1, ग्राम- [illegible], तहसील- मौदहा, जनपद-हमीरपुर।	12.14 हेक्टेअर	तहसील मौदहा परिसर, जनपद-हमीरपुर	दिनांक- 20.09.18

बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ 1533 दिनांक 14-09-2006 तथा संशोधित-एस.ओ 3067 (ई) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में उपरोक्त परियोजना की लोक सुनवाई उपरोक्त सूची में अंकित वर्णित स्थान, दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त परियोजना की लोक सुनवाई हेतु जनता के सुझाव, विचार, टीका एवं टिप्पणियां आदि आमंत्रित किये जाते हैं। परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए. एवं संक्षिप्त अभिलेख निम्नांकित कार्यालयों में उपलब्ध है।

1- जिलाधिकारी कार्यालय जनपद-हमीरपुर।
2- महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, हमीरपुर।
3- क्षेत्रीय कार्यालय उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ए-39 आवास कालोनी, बिल्सा रोड, बांदा।
4- उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5- कार्यालय जिला पंचायत हमीरपुर।
6- क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार, पंचम् तल, सेक्टर-एच अलीगंज लखनऊ।

अतः समस्त सर्व साधारण को इस आम सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्तावित सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरण के निस्तारण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थान दिनांक एवं समय के अनुसार आयोजित लोक सुनवाई में उपस्थित होकर अपने आक्षेप, सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सुझाव एवं आपत्तियां आदि लिखित रूप से प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर समस्त सम्बन्धित को प्रेषित कर सकते हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी

पत्रांक- 503/प्रै.वि./ लोक सु./2018

दिनांक- 16.08.18

"IMPORTANT"
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड ई-निविदा सूचना सं. ... ECTC, ALLD/2018-19 ... http://etender.up.nic.in ... उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड ... "राष्ट्र हित में बिजली बचायें" ...

TELANGANA STATE MEDICAL SERVICES & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION
Tenders are invited through e-procurement platform for the following works: ... The other details can be seen at our website http://www.tsmsidc.telangana.gov.in/ ...
Sd/- MANAGING DIRECTOR

NORTH EASTERN RAILWAY E-Tender Notice
Divisional Electrical Engineer (TRD), N.E. Railway, Lucknow, for and on behalf of the President of India invites E-tender for the following work.
... For full details and submission of Bid kindly visit the official website of Indian Railways i.e. http://www.ireps.gov.in
CPRO/LJN-99 Sr. Divisional Electrical Engineer/TRD, Lucknow

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना
जनपद इटावा में इटावा सफारी पार्क, इटावा के सौर्य सफारी में निम्न कार्यों की निविदा परिषद में सुसंगत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से अति अल्पकालीन ई-निविदा टू-बिड पद्धति पर ई-प्रोक्योरमेन्ट सोल्यूशन द्वारा आमन्त्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण, नियम व शर्तें परिषद की वेबसाइट www.upavp.in तथा https://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती हैं।

क्र. सं.	कार्य का नाम	ई-निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	टेक्निकल बिड खुलने की तिथि व समय	फाइनेंशियल बिड खुलने की तिथि व समय
1	इटावा सफारी पार्क, इटावा के सौर्य सफारी में कैमोफ्लेज फेन्सिंग के सुदृढ़ीकरण हेतु ... का कार्य।	20.08.2018 अपरान्ह 3.00 बजे	28.08.2018 अपरान्ह 3.00 बजे	30.08.2018 अपरान्ह 3.00 बजे

इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। — (प्रदीप कुमार) अधिशासी अभियन्ता

उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. ई-निविदा अल्पकालीन सूचना ... www.etender.up.nic.in ... (RTGS/ NEFT IFS Code-PUNB0054000 A/C No 0540002100192006) ... GST ... "राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें" ... ई.टी.सी.वी./ टी-2

उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. अल्प-कालीन निविदा सूचना ... दिनांक- 30.08.2018 को 16:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन 17:00 बजे ... (RTGS/ NEFT IFS CODE-PUNB0054000 A/C No 0540002100192006) ... अल्पकालीन निविदा संख्या- टी-80/ वि.प.म.वी./ 2018-19 ... (धरोहर धनराशि रु.- 4000.00) (निविदा शुल्क- 224.00) जी.एस.टी. सहित (200+24)। ... "राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें" ... ई.टी.सी.वी./ टी-2

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार [illegible]

7754

यथासंशोधित एस०ओ० - 3067(E) दिनांक 1533 दिनांक 14-09-2006 01-12-2009 के अनुपालन में:-

1.) मैसर्स सिल्वर मिस्ट रिटेल प्रा०लि० द्वारा श्री प्रशान्त मालवीय, म०नं०-10, सरदार वार्ड, सोहागपुर, होशंगाबाद, म०प्र०।

2.) मैसर्स जान इंफ्राबिल्ड प्रा०लि० द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा, ग्राम लेखवानी पोस्ट रक्सौल, डीस्ट्रवी० बाबलेकु स्कूल के पास, कुन्टरोड, लेखवानी बीघा, पत्र

3.) मैसर्स सिल्वर मिस्ट रिटेल प्रा०लि० द्वारा श्री प्रशान्त मालवीय, म०नं०-10, सरदार वार्ड, सोहागपुर, होशंगाबाद, म०प्र०।

4.) मैसर्स डी०वी० कांस्ट्रक्शन द्वारा श्रीमती सुमन देवी, ग्राम डिगुरा जोत, तहसील कुरा, इकौना, जिला श्रावस्ती, उ०प्र०।

5.) मैसर्स अवस्थी ट्रेडर्स द्वारा श्री सुशील चन्द्र, ग्राम व पोस्ट गिसन, तहसील नरैनी, जिला - बांदा, उ०प्र०।

द्वारा साधारण बालू/मोरम खनन हेतु प्रस्ताव पर परियोजना स्थल

1.) ख0ड0सं0 30/1, ग्राम मुलसी, तहसील-मौदहा, जिला - हमीरपुर।
2.) " 30/3, " " " " " "।
3.) " 30/2, " " " " " "।
4.) ख0ड0सं0 26/6, ग्राम-टीकापुर, तहसील-मौदहा, जिला - हमीरपुर।
5.) ख0ड0सं0 29/1, ग्राम बन्नाखादर, " " " "।

मे दिनांक 20-09-2018 को लोकसुनवाई के सम्बन्ध मे उपस्थित अधिकारी कर्मचारियो एवं ग्रामवासियो की उपस्थिति का विवरण :-

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं०	हस्ता
1.	~~विनय कुमार~~ विनय प्रकाश श्रीवास्तव	AOM, HAMIRPUR	9454417604	
1.)	जीतेन्द्र सिंह	खान निरीक्षक, हमीरपुर	8707869521	
2.)	डॉ० माधवी कमलवंशी	ASO, UPPCB, JHANSI	7839891909	
3.)	राम कुरन वर्मा	S.A., UPPCB, BANDA	7839891918	
4.)	राजेश्वर	S.D.O. Naudata	9454415715	
	राधेकृष्ण	तहसीलदार मौदहा	9454416010	
	प्रशान्त मालवीय(PP)	मुलसी	9425041631	

7755

क्र०	नाम व पदनाम	पदस्थापना स्थल	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
9.	राज कुमार	भुलसी	9753703953	
10	अशोक	भुलसी	9891070799	
11	[illegible]	भुलसी	8127[illegible]	
12	Adarsh Kumar Singh	TiKapur	9838134745	
13	[illegible] (PP)	टीकापुर	9792117215	
14	[illegible]	टीकापुर	9984770009	
15	[illegible]	टीकापुर	9620931009	
16	[illegible]	बरकार	9792748148	
17	[illegible]	बरकट्टा	9648947721	
18	[illegible]	बरहीकापटल	9718992333	
19	Gnaviam [illegible]	बरकट्टा	9792496957	
20	[illegible]	भुलसी	8176914579	
21	Satyendra Kumar Sharma (PP) - Bhulsi - 2017		8210995243	
22.	Director Gyan Infrabuild Limited			
23.	[illegible]	भुलसी	6392814435	
24	[illegible]	बरकट्टा	8887523926	
25	[illegible]	बरकट्टा	7005961[illegible]	
26.	[illegible]	बरकट्टा	7607991[illegible]	
27.	[illegible]	टीकापुर	9450262[illegible]	
28	[illegible]	टीकापुर	9838909001	
29	Vidya Bhushan Singh	tikapur	9792599533	
30	Aman [illegible]	TiKapur	7829305830	
31	Gyan infra	Bulshi	8802022287	
32	Kailash	Bhulsi	9198836161	
33	[illegible]	भुलसी	7310044264	
34	[illegible]	भुलसी	8400715824	
35	[illegible]	भुलसी	8052637718	
36	[illegible]	भुलसी	8127793453	
37	A. Vishwakarma	भुलसी	7571083241	
38	Paul	भुलसी		
39	Ashish	Bhulsi		
40	[illegible]	भुलसी		
41	[illegible]	भुलसी		
42	[illegible]	भुलसी	7607833369	

7756

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 689/लोकसुनवाई/18 दिनांक: 27/9/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स सिल्वर मिस्ट रिटेल (प्रा0)लि0 के पक्ष में स्वीकृत खंड संख्या–30/2 क्षेत्रफल–36.437 हे0 (582912 घन मी0/वर्ष) ग्राम–भुलसी, तहसील–मौदहा, जनपद–हमीरपुर में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 24692/सी–2/एनओसी–4285/बॉदा/18 दिनांक 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई प्रस्तावित खनन स्थल तहसील–मौदहा सभागार, जनपद–हमीरपुर में दिनांक 20.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

7757

ई सं0– 30/2, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स सिल्वर मिस्ट रिटेल प्रा0लि0 द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 6.437 हे0 ग्राम–भुलसी, तहसील– मौदहा, जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारक की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 20.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स सिल्वर मिस्ट रिटेल प्रा0लि0 के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24699/सी–2/एनओसी–4284/बांदा/18 दिनांक 10.08.2018 जो जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, बॉदा के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 20.09.2018 को तहसील– मौदहा व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र सं0–532/55–पर्या–2–2018–103 (पर्या)/2007 दिनांक 23.04.2018, पर्यावरण अनापत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को पत्र सं0–1133/एम0/2/(पर्या)/2011(11) दिनांक 07.08.2018 के अनुसार एक तहसील के क्षेत्रों पर तहसील मुख्यालय में समेंकित सुनवाई को कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

आज दिनांक 20.09.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील मौदहा सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री जीतेन्द्र सिंह, खान निरीक्षक, हमीरपुर।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खंनन कार्य केन नदी के किनारे खण्ड सं0– 30/2, ग्राम– भुलसी, तहसील– मौदहा, जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है क्योकि खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 50 हेक्टेअर से कम है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है। परामर्शी द्वारा 10 किमी0 की त्रिज्या में स्थित पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण/आंकडों के एकत्रण का कार्य स्टेट इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट अथॉरिटी द्वारा दी गयी टर्म्स ऑफ रिफरेन्स के बिन्दुओं के अनुरूप की गयी है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी थी तथा उसकी एक–एक प्रति अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर, जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर, जिला पंचायत हमीरपुर में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा परामर्शी से विस्तृत विवरण प्रेषित किये जाने हेतु आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव न्यून करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया

जगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड वॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग किये जाने वाली सड़को का रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा। तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा एवं सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण कार्य किये जायेगें।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने शिकायत/आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

सर्वप्रथम श्री गोपी चन्द्र, ग्राम– भुलसी, हमीरपुर द्वारा प्रश्न किया गया कि क्षेत्रवासियों द्वारा ही मजदूरी का कार्य लिया जायें एवं वाहन चलाते समय धूल बहुत उड़ती है उसको न उडनें दिया जायें।

श्री त्रिलोकी, ग्राम– भुलसी, हमीरपुर द्वारा प्रश्न किया गया कि जहॉ भी खनन कार्य किया जायें वहॉ शौचालय की व्यवस्था की जायें।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रवासियों द्वारा ही मजदूरी का कार्य लिया जायेगा। पेयजल की व्यवस्था रखी जायेगी। प्रत्येक 06 माह में अनुपालन आख्या भेजी जायेगी, अस्थाई रूप से शौचालय का निर्माण किया जायेगा, ओवरलोडिंग नही की जायेगी।

तत्पश्चात् सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टेधारक को आमंत्रित किया गया।

पट्टेधारक श्री अरविन्द कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामवासियों की सभी समस्याओं का समाधान होगा एवं जल, शौचालय आदि कोई भी समस्या होने पर उसका निराकरण पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय को ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये आमंत्रित किया गया।

7760

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदूषण जल, वायु, ध्वनि आदि को नियंत्रण रखा जायेगा तथा शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन किया जायेगा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा तथा खनन का कार्य नियमावली के अनुसार किया जायेगा।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को निर्देशित किया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा एवं ढुलाई के समय बालू को ढककर लाना है, गीला बालू रखना है इसी के साथ अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

7761

रुकमाखुर्द के लिए शुरू हुई रोडवेज बस सेवा

[illegible]

तिरंगा फहरा वीरों को किया याद

धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस, जिलाधिकारी ने किया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सम्मान

[illegible]

पूर्वजों की कुर्बानी याद दिलाता है आजादी का पर्व

[illegible]

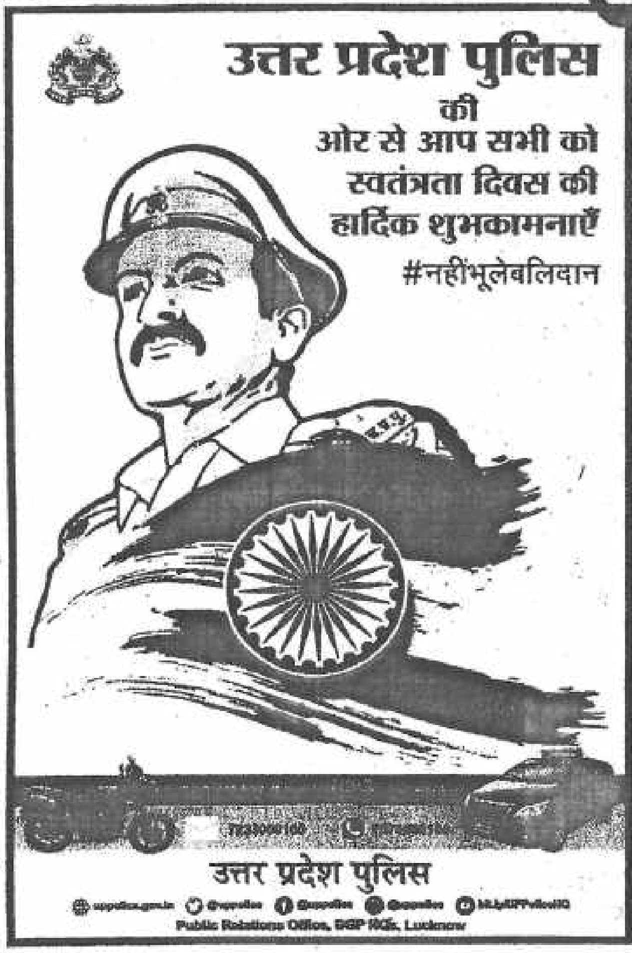

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित की जाने वाली लोक सुनवाई की सूचना

[illegible]

क्र. सं.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]

[illegible]

Copyright Jagran.com

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार [illegible]

7762

1533 दिनांक 14-09-2006 यथासंशोधित एस०ओ० - 3067(E) दिनांक 01-12-2009 के अनुपालन में:-

1.) मैसर्स सिल्वर मिस्ट रिटेल प्रा०लि० द्वारा श्री प्रशान्त मालवीय, म०नं०-10, सरदार वार्ड, सोहागपुर, होशंगाबाद, म०प्र०।

2.) मैसर्स जान इंफ्राबिल्ड प्रा०लि० द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा, ग्राम लेखवानी पोस्ट रक्सौल, डीस्ट्रवी० बाबलेकु स्कूल के पास, कुन्टरोड, लेखवानी बीघा, पत्र

3.) मैसर्स सिल्वर मिस्ट रिटेल प्रा०लि० द्वारा श्री प्रशान्त मालवीय, म०नं०-10, सरदार वार्ड, सोहागपुर, होशंगाबाद, म०प्र०।

4.) मैसर्स डी०वी० कांस्ट्रक्शन द्वारा श्रीमती सुमन देवी, ग्राम डिगुरा जोत, तहसील कटरा, इकौना, जिला श्रावस्ती, उ०प्र०।

5.) मैसर्स अवस्थी ट्रेडर्स द्वारा श्री सुशील चन्द्र, ग्राम व पोस्ट गिसन, तहसील नरैनी, जिला - बांदा, उ०प्र०।

द्वारा साधारण बालू/मोरम खनन हेतु प्रस्ताव पर परियोजना स्थल

1.) ख0ड0सं० 30/1, ग्राम मुलसी, तहसील-मौदहा, जिला - हमीरपुर।
2.) " 30/3, " " " " " "।
3.) " 30/2, " " " " " "।
4.) ख0ड0सं० 26/6, ग्राम-टीकापुर, तहसील-मौदहा, जिला - हमीरपुर।
5.) ख0ड0सं० 29/1, ग्राम खजांखादर, " " " "।

मे दिनांक 20-09-2018 को लोकसुनवाई के सम्बन्ध मे उपस्थित अधिकारी कर्मचारियो एवं ग्रामवासियो की उपस्थिति का विवरण :-

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं०	हस्ता
1.	~~विनय कुमार~~ विनय प्रकाश श्रीवास्तव	AOM, HAMIRPUR	9454417604	
1.)	जीतेन्द्र सिंह	खान निरीक्षक, हमीरपुर	8707869521	
2.)	डॉ० माधवी कमलवंशी	ASO, UPPCB, JHANSI	7839891909	
3.)	राम कुरन वर्मा	S.A., UPPCB, BANDA	7839891918	
4.)	राजेश्वर	S.D.O. Naudata	9454415715	
	राधेकृष्ण	तहसीलदार मौदहा	9454416010	
	प्रशान्त मालवीय(PP)	मुलसी	9425041631	

7763

क्र०	नाम व पदनाम	कार्यालय का नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
9.	राज कुमार	भुलसी	9753703953	
10	अशोक	भुलसी	9897070799	
11	[illegible]	भुलसी	8127[illegible]	
12	Adarsh Kumar Singh	TiKapur	9838134745	
13	[illegible] (PP)	टीकापुर	9792117215	
14	[illegible]	टीकापुर	9984770009	
15	[illegible]	टीकापुर	9709931009	
16	[illegible]	[illegible]	9792748148	
17	[illegible]	[illegible]	9648947721	
18	[illegible]	[illegible]	9718992333	
19	[illegible]	[illegible]	9792496957	
20	[illegible]	भुलसी	8176919579	
21	Satyendra Kumar Shaw (PP) - Bhulsi - 2017		8210995243	
22.	Director Shyam Infrabuild Pvt Ltd			
23.	[illegible]	भुलसी	6392814435	
24	[illegible]	[illegible]	8887523926	
25	[illegible]	[illegible]	7005961[illegible]	
26.	[illegible]	[illegible]	7607991[illegible]	
27.	[illegible]	टीकापुर	9450262[illegible]	
28	[illegible]	टीकापुर	9838909001	
29	Vidya Bhushan Singh	tikapur	9792599533	
30	Aman Raj Pal	TiKapur	7829305830	
31	Gyan info	Bulshi	8802022287	
32	Kailash	Bhulsi	9198836161	
33	[illegible]	भुलसी	7310044264	
34	[illegible]	भुलसी	9400715824	
35	[illegible]	भुलसी	8052637718	
36	[illegible]	भुलसी	8127793453	
37	A. Lodhiyal	भुलसी	7571083241	
38	Paul	भुलसी		
39	Ashish	Bhulsi		
40	[illegible]	भुलसी		
41	[illegible]	भुलसी		
42	[illegible]	भुलसी	7607833369	

7764

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 697/लोक सुनवाई/2018 दिनांक: 27/09/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स अवस्थी ट्रेडर्स के पक्ष में स्वीकृत खंड संख्या–29/1 क्षेत्रफल–12.14 हे0 (194304 घन मी0/वर्ष) ग्राम–बक्षा खादर, तहसील–मौदहा, जनपद–हमीरपुर में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 24708/सी–2/एनओसी–4286/बॉदा/18 दिनांक 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई प्रस्तावित खनन स्थल तहसील–मौदहा सभागार, जनपद–हमीरपुर में दिनांक 20.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

7765

खण्ड सं0–29/1, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स अवस्थी ट्रेडर्स द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 12.14 हे0 ग्राम–बक्षां खादर, तहसील– मौदहा, जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारक की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 20.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स अवस्थी ट्रेडर्स के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24708/सी–2/एनओसी–4286/बांदा/18 दिनांक 10.08.2018 जो जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, बॉदा के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 20.09.2018 को तहसील– मौदहा व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र सं0–532/55–पर्या–2–2018–103 (पर्या)/2007 दिनांक 23.04.2018, पर्यावरण अनापत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को पत्र सं0–1133/एम0/2/(पर्या)/2011(11) दिनांक 07.08.2018 के अनुसार एक तहसील के क्षेत्रों पर तहसील मुख्यालय में समेंकित सुनवाई को कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

आज दिनांक 20.09.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील मौदहा सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री जीतेन्द्र सिंह, खान निरीक्षक, हमीरपुर।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

7766

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य केन नदी के किनारे खण्ड सं0– 29/1, ग्राम– बक्षां खादर, तहसील– मौदहा, जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है क्योकि खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 50 हेक्टेअर से कम है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है। परामर्शी द्वारा 10 किमी0 की त्रिज्या में स्थित पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण/आंकडों के एकत्रण का कार्य स्टेट इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट अथॉरिटी द्वारा दी गयी टर्म्स ऑफ रिफरेन्स के बिन्दुओं के अनुरूप की गयी है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी थी तथा उसकी एक–एक प्रति अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर, जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर, जिला पंचायत हमीरपुर में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा परामर्शी से विस्तृत विवरण प्रेषित किये जाने हेतु आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव न्यून करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया

7767

..धगा कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड वॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग किये जाने वाली सड़को का रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा। तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा एवं सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण कार्य किये जायेगें।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने शिकायत/आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु ग्रामवासियों द्वारा कोई भी प्रश्न नही पूछा गया।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय को ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये आमंत्रित किया गया।

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदूषण जल, वायु, ध्वनि आदि को नियंत्रण रखा जायेगा तथा शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन किया जायेगा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा तथा खनन का कार्य नियमावली के अनुसार किया जायेगा।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को निर्देशित किया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा एवं ढुलाई के समय बालू को ढककर लाना है, गीला बालू रखना है इसी के साथ अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

20/09/12

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

7768

दूरभाष–05192220048

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बॉदा

U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

Regional Office: A-39,Avas Vikas Colony,Banda-210001

संदर्भ संख्या 691/लोकसुनवाई/18 दिनांक: 27/9/18

सेवा में,

सदस्य सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मैसर्स ज्ञान इन्फ्रा बिल्ड (प्रा0)लि0 के पक्ष में स्वीकृत खंड संख्या–30/3 क्षेत्रफल–36.437 हे0 (582912 घन मी0/वर्ष) ग्राम–भुलसी, तहसील–मौदहा, जनपद–हमीरपुर में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे की खनन परियोजना हेतु प्रस्ताव पर आयोजित की गई लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या एच 24698/सी–2/एनओसी–8287/बॉदा/18 दिनांक 10.08.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित सैण्ड/मौरम माइनिंग परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु लोक सुनवाई प्रस्तावित खनन स्थल तहसील–मौदहा सभागार, जनपद–हमीरपुर में दिनांक 20.09.2018 को आयोजित कराई गई। उक्त लोक सुनवाई की कार्यवृत्त (मूलरूप में), उपस्थिति के विवरण की छायाप्रति तथा सी0डी0 की दो प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

सं0– 30/3, प्रस्तावित पट्टे धारक मैसर्स ज्ञान इंफ्राबिल्ड प्रा0 लि0 द्वारा खनन पट्टे का क्षेत्रफल 36.437 हे0 ग्राम–भुलसी, तहसील– मौदहा, जनपद– हमीरपुर में पट्टाधारक की सैण्ड/मौरम माइनिंग प्रोजेक्ट पर दिनांक– 20.09.2018 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त :–

उपरोक्त संदर्भित माइनिंग प्रोजेक्ट की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मैसर्स ज्ञान इंफ्राबिल्ड प्रा0लि0 के आवेदन पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच 24698/सी–2/एनओसी–8287/बांदा/18 दिनांक 10.08.2018 जो जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बॉदा को पृष्ठांकित है, के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी हमीरपुर से लोक सुनवाई आयोजित करने सम्बन्धी दिनांक, स्थान एवं समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, बॉदा के अनुरोध पत्र पर जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा दिनांक 20.09.2018 को तहसील– मौदहा व जनपद– हमीरपुर नियत की गई थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा–3 की उपधारा (1) (2) के खण्ड अ के अन्तर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना संख्या–एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नियत दिनांक से एक माह पूर्व हिन्दी दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" के कानपुर संस्करण एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "दि इण्डियन एक्सप्रेस" के लखनऊ संस्करण में दिनांक 17.08.2018 को प्रकाशित करायी गयी थी।

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, पर्यावरण अनुभाग–2, लखनऊ के पत्र सं0–532/55–पर्या–2–2018–103 (पर्या)/2007 दिनांक 23.04.2018, पर्यावरण अनापत्ति के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही से सम्बन्धित भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को पत्र सं0–1133/एम0/2/(पर्या)/2011(11) दिनांक 07.08.2018 के अनुसार एक तहसील के क्षेत्रों पर तहसील मुख्यालय में समेंकित सुनवाई को कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

आज दिनांक 20.09.2018 को जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी महोदय श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन तहसील मौदहा सभागार, हमीरपुर में किया गया। उक्त लोक सुनवाई में निम्नाकित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे।

1. श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, जनपद–हमीरपुर।
2. डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झॉसी।
3. श्री जीतेन्द्र सिंह, खान निरीक्षक, हमीरपुर।
4. श्री राज करन वर्मा, वैज्ञानिक सहायक, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. श्री बृजमोहन सिंह नेगी, परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ।

7770

अन्य उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति की छायाप्रति संलग्न है।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झाँसी द्वारा लोक सुनवाई के सम्बन्ध में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। उक्त परियोजना में सैण्ड/मौरम का खनन कार्य केन नदी के किनारे खण्ड सं0– 30/3, ग्राम– भुलसी, तहसील– मौदहा, जनपद–हमीरपुर में प्रस्तावित है उपरोक्त अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार किसी भी खनन परियोजना को प्रारम्भ करने से पूर्व उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित स्टेट इनवायरनमेन्ट इम्पैक्ट अथारिटी से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है क्योकि खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 50 हेक्टेअर से कम है। उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व खनन क्षेत्र के आस–पास लोक सुनवाई आयोजित किया जाना प्राविधानित है। यह भी अवगत कराया गया कि पट्टेधारक द्वारा मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ को परामर्शी नियुक्त किया गया है। परामर्शी द्वारा 10 किमी0 की त्रिज्या में स्थित पर्यावरण के विभिन्न घटकों का अनुश्रवण/आंकडों के एकत्रण का कार्य स्टेट इनवायरमेन्ट इम्पैक्ट अथॉरिटी द्वारा दी गयी टर्म्स ऑफ रिफरेन्स के बिन्दुओं के अनुरूप की गयी है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बोर्ड में प्रस्तुत की गयी थी तथा उसकी एक–एक प्रति अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जिलाधिकारी कार्यालय, हमीरपुर, जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर, जिला पंचायत हमीरपुर में जनता के सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां प्रेषित करने हेतु परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख उपलब्ध कराये गये थे। सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा परामर्शी से विस्तृत विवरण प्रेषित किये जाने हेतु आग्रह किया गया।

परामर्शी मेसर्स डेवलपमेंट असेसमेंट सिस्टम्स् (इण्डिया) प्रा0 लि0, इन्द्रानगर, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बृजमोहन सिंह नेगी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र जिला अधिकारी/डीएमओ, हमीरपुर द्वारा बी1 श्रेणी के अन्तर्गत अधिघोषित है। समस्त खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन अधिनियम नियमावली एवं सम्बन्धित दिशा निर्देशानुसार किया जायेगा। खनन कार्य वर्षा ऋतु में प्रतिबन्धित है। अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल जो भी कम होगी। खनन कार्य बेंच के रूप में किया जायेगा। नदी एवं तटबंध की सुरक्षा हेतु नियमानुसार समुचित दूरी छोड़ी जायेगी। खनन क्षेत्र में सतही मिट्टी की उपलब्धता का उपयोग सड़क मरम्मत में किया जायेगा। भू–उपयोग में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

भारत सरकार द्वारा वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी खनन कार्य से पर्यावरण पर पडने वाले प्रभावों को यथासम्भव न्यून करने हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की जानी होती है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उक्त परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिको को प्रशिक्षण देकर यह सुनिश्चित किया

कि नदी की धारा को दूषित न किया जाये। जैव भौतिकी पर पडने वाले प्रभाव को न्यून करने हेतु खनन कार्य दिन में ही किया जायेगा। खनन कार्य स्थल पर ग्रामवासियों को रोजगार मिलेगा, श्रमिको हेतु विश्रामालय एवं पेयजल की व्यवस्था होगी। स्थाई व अस्थाई प्रसाधन की सुविधायें होगी। खनन क्षेत्र के आस–पास कूड़े दान की व्यवस्था की जायेगी। श्रमिको के प्राथमिक उपचार हेतु विश्रामालय में फर्स्टऐड वॉक्स की व्यवस्था होगी। खनिज का परिवहन निकटवर्ती गांव एवं स्कूल के पास से नही किया जायेगा। खनन कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त आवागमन में प्रयोग किये जाने वाली सड़को का रखरखाव पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समय समय पर जल छिडकाव भी किया जायेगा एवं बालू को त्रिपाल से ढककर ले जाया जायेगा। तथा खनन प्रकिया के समय नदी जल धारा में किसी भी तरह का परिवर्तन नही किया जायेगा। श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण दिये जायेगें। निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा एवं सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा। सी0ई0आर0 के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन से परामर्श एवं उनकी देख–रेख में ग्राम विकास के कार्य जैसे– हैण्डपम्प, सोलर लाइट, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय की मरम्मत एवं शौचालय आदि का निर्माण कार्य किये जायेगें।

डा0 माधवी कमलवंशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से अपने–अपने शिकायत/आपत्ति/सुझाव दर्ज कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

सर्वप्रथम श्री गोपी चन्द्र, ग्राम– भुलसी, हमीरपुर द्वारा प्रश्न किया गया कि क्षेत्रवासियों द्वारा ही मजदूरी का कार्य लिया जायें एवं वाहन चलाते समय धूल बहुत उड़ती है उसको न उडनें दिया जायें।

श्री त्रिलोकी, ग्राम– भुलसी, हमीरपुर द्वारा प्रश्न किया गया कि जहॉ भी खनन कार्य किया जायें वहॉ शौचालय की व्यवस्था की जायें।

परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रवासियों द्वारा ही मजदूरी का कार्य लिया जायेगा। पेयजल की व्यवस्था रखी जायेगी। प्रत्येक 06 माह में अनुपालन आख्या भेजी जायेगी, अस्थाई रूप से शौचालय का निर्माण किया जायेगा, ओवरलोडिंग नही की जायेगी।

तत्पश्चात् सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टेधारक को आमंत्रित किया गया।

पट्टेधारक श्री अरविन्द कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामवासियों की सभी समस्याओं का समाधान होगा एवं जल, शौचालय आदि कोई भी समस्या होने पर उसका निराकरण पट्टेधारक द्वारा किया जायेगा।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय को ग्रामवासियों को मार्गदर्शन देने के लिये आमंत्रित किया गया।

7772

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदूषण जल, वायु, ध्वनि आदि को नियंत्रण रखा जायेगा तथा शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पूर्ण पालन किया जायेगा, अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा तथा खनन का कार्य नियमावली के अनुसार किया जायेगा।

सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा पट्टा धारकों को निर्देशित किया गया कि अत्यधिक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा एवं ढुलाई के समय बालू को ढककर लाना है, गीला बालू रखना है इसी के साथ अन्त में उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए अपर जिलाधिकारी महोदय से लोक सुनवाई के समापन हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की गयी।

20.9.18

(डा0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झाँसी

20.9.18

(विनय प्रकाश श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
जनपद–हमीरपुर

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार [illegible]
7773
1533 दिनांक 14-09-2006 यथासंशोधित एस०ओ० - 3067(E) दिनांक
01-12-2009 के अनुपालन में:-

1.) मैसर्स सिल्वर मिस्ट रिटेल प्रा०लि० द्वारा श्री प्रशान्त मालवीय, म०नं०-10, सरदार वाई, सोहागपुर, होशंगाबाद, म०प्र०।
2.) मैसर्स जान इंफ्राबिल्ड प्रा०लि० द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा, ग्राम लेखवानी पोस्ट रवगौल, डीएवी० पब्लिक स्कूल के पास, कैन्ट रोड, लेखवानी बीघा, पत्र
3.) मैसर्स सिल्वर मिस्ट रिटेल प्रा०लि० द्वारा श्री प्रशान्त मालवीय, म०नं०-10, सरदार वाई, सोहागपुर, होशंगाबाद, म०प्र०।
4.) मैसर्स डी०वी० कांस्ट्रक्शन द्वारा श्रीमती सुमन देवी, ग्राम डिगुरा जोत, तहसील कुरवा, रकोना, जिला श्रावस्ती, उ०प्र०।
5.) मैसर्स अवस्थी ट्रेडर्स द्वारा श्री सुशील चन्द्र, ग्राम व पोस्ट गिसन, तहसील नरैनी, जिला - बांदा, उ०प्र०।

द्वारा सहायक बालू/मोरम खनन हेतु प्रस्ताव पर परियोजना स्थल

1.) ख०ड०सं० 30/1, ग्राम मुलसी, तहसील-मौदहा, जिला - हमीरपुर।
2.) " 30/3, " " " " " "।
3.) " 30/2, " " " " " "।
4.) ख०ड०सं० 26/6, ग्राम-टीकापुर, तहसील-मौदहा, जिला - हमीरपुर।
5.) ख०ड०सं० 29/1, ग्राम बनाखोदर, " " " "।

मे दिनांक 20-09-2018 को लोकसुनवाई के सम्बन्ध मे उपस्थित अधिकारी कर्मचारियो एवं ग्रामवासियो की उपस्थिति का विवरण :-

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं०	हस्ता
1.	~~विनय कुमार~~ विनय प्रकाश श्रीवास्तव	AOM, HAMIRPUR	9454417604	
1.)	जीतेन्द्र सिंह	खान निरीक्षक, हमीरपुर	8707869521	
2.)	डॉ० माधवी कमलवंशी	ASO, UPPCB, JHANSI	7839891909	
3.)	राम कुरन वर्मा	S.A., UPPCB, BANDA	7839891918	
4.)	राजेश कुमार	S.D.O. Naudata	9454415715	
	राधेश्याम	तहसीलदार मौदहा	9454416010	
	[illegible] प्रसाद मालवीय(PP)	मुलसी	9425041631	

7774

क्र०	नाम व पदनाम	विभाग का नाम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
9.	राज कुमार	भुलसी	9753703953	
10	अशोक	भुलसी	9897070799	
11	[illegible]	भुलसी	8127[illegible]	
12	Adarsh Kumar Singh	Tikapur	9838134745	
13	[illegible] (PP)	टीकापुर	9792117215	
14	[illegible]	टीकापुर	9984770009	
15	[illegible]	टीकापुर	9709931009	
16	[illegible]	[illegible]	9792748148	
17	[illegible]	[illegible]	9648947721	
18	[illegible]	[illegible]	9718992333	
19	[illegible]	[illegible]	9792496957	
20	[illegible]	भुलसी	8176919579	
21	Satyendra Kumar Shaw (PP) - Bhulsi - 2073		8210995243	
22.	Director Shyam Infrabuild Pvt Ltd			
23.	[illegible]	भुलसी	6392814435	
24	[illegible]	[illegible]	8887523926	
25	[illegible]	[illegible]	7005961[illegible]	
26.	[illegible]	[illegible]	7607991[illegible]	
27.	[illegible]	टीकापुर	9450262[illegible]	
28	[illegible]	टीकापुर	9838909001	
29	Vidya Bhushan Singh	tikapur	9792599533	
30	Aman Raj Pal	TIKapur	7829305830	
31	Gyan info	Bulshi	8802022287	
32	Kailash	Bhulsi	9198836161	
33	[illegible]	भुलसी	7310044264	
34	[illegible]	भुलसी	9400715824	
35	[illegible]	भुलसी	8052637718	
36	[illegible]	भुलसी	8127793453	
37	A. Lodhyal	भुलसी	7571083241	
38	Paul	भुलसी		
39	Ashish	Bhulsi		
40	[illegible]	भुलसी		
41	[illegible]	भुलसी		
42	[illegible]	भुलसी	7607833369	

दूरभाषः / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

REGIONAL OFFICE U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, इलाहाबाद – 221506
Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Allahabad
ई–मेलः roallahabad@uppcb.com

9068/2
01.10.18

संदर्भ सं0 G01018/लोकसुनवाई - तह0- मंझनपुर एवं चायल/18-19 दिनांक 29.09.18

डाक प्राप्ति रसीद
प्राप्ति दिनांक 02.10.18
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः जनपद कौशाम्बी के तहसील मंझनपुर एवं चायल में मोरंग खनन कार्य हेतु दिनांक 24.09.2018 को क्लस्टर में आहुत लोकसुनवाई के कार्यवृत्त संप्रेषण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 24.09.2018 को मंझनपुर एवं चायल तहसील पर आहुत लोकसुनवाई के अलग–अलग कार्यवृत्त, उपस्थिति सीट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित आम सूचना से संबंधित पेपर कटिंग एवं साफ्ट कॉपी(सीडी) पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(एस0के0मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
29.9.18

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना (पताका–च) संख्या–एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 यथा संशोधित एस0ओ0–2269 (अ) दिनॉक 01.07.2016 के अन्तर्गत लघु खनिज के पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु मे0 के0के0 एशोसिएट खण्ड सं0 10/27 एवं 10/28 ग्राम–कटईया तहसील–चायल, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0, क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष) हेतु तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी में सम्पन्न हुयी लोक सुनवाई का कार्यवृत्त:–

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना (पताका–च) संख्या–एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 यथा संशोधित एस0ओ0–2269 (अ) दिनॉक 01.07.2016 के प्राविधानों के तहत प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार से पूर्व लोक सुनवाई कराया जाना प्राविधानित है। लोक सुनवाई की प्रकिया ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 के अनुरूप (संशोधित दिसम्बर 2009 एवं अप्रैल 2011) के अनुसार करायी जानी होती है। उक्त परियोजना हेतु लोक सुनवाई के संबंध में जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी को प्रेषित सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–एच 24710/सी–2/एनओसी–4260/2018 दिनॉक 10.08.18 के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, महोदय, कौशाम्बी द्वारा स्थान, तिथि एवं समय का निर्धारण किया गया तथा प्रतिनिधि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी को नामित किया गया।

उक्त लोक सुनवाई की सूचना स्थानीय प्रचलित दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण) में दिनांक 19.08.2018 को प्रकाशित करवायी गयी। दिनांक 24.09.2018 को तहसील चायल, कौशाम्बी में पूर्व निर्धारित समयानुसार लोक सुनवाई की प्रकिया मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संचालित की गई, जिसमें श्री अनिल चतुर्वेदी, उपजिलाधिकारी, चायल, कौशाम्बी, श्री राज रंजन कुमार, जिला खान अधिकारी एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद के श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, परियोजनाओं हेतु परामर्शी संस्था मेसर्स ई0एन0बी0 दास इण्डिया प्रा0लि0, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बी0एम0एस0 नेगी तथा जनसामान्य द्वरा प्रतिभाग किया गया। उपस्थिति का विवरण संलग्न है।

समाचार पत्रों में लोक सुनवाई के लिये आम सूचना प्रकाशित होने के उपरान्त निर्धारित तिथि एवं समय तक लोक सूचना में उल्लेखित किसी भी इंगित कार्यालय पर कोई आपत्ति, सुझाव, टीका–टिप्पणी आदि प्राप्त नहीं हुई। नियत तिथि को सुनवाई के दौरान आस–पास के ग्रामों के निवासीगण उपस्थित रहे। (उपस्थिति पंजिका संलग्न है)

लोक सुनवाई के प्रारम्भ में श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा अध्यक्ष महोदय, अन्य उपस्थित अधिकारियों एवं जन सामान्य का स्वागत करते हुए परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की प्रकिया प्रारम्भ की गयी। अग्रेतर पट्टेधारक के परामर्शदाता द्वारा विस्तार से परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समूह को जानकारी दी गयी।

प्रस्तावित परियोजना मेसर्स के0के0 एशोसिएट खण्ड सं0 10/27 एवं 10/28 ग्राम–कटईया तहसील–चायल, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0, क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष) ,बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षांश 25°16'11.21" एन, से 25°16'35.42" एन, 25°16'37.38" एन, से 25°16'12.12" एन, एवं देशान्तर 81°29'55.95" ई, से 81°29'53.46" ई, 81°30'4.38" ई, से 81°30'7.65" ई, के मध्य स्थित है। उक्त खनन परियोजना हेतु कुल स्वीकृत बालू/मौरम खनन मात्रा 3,60,000 घन मी0 प्रतिवर्ष का प्रस्ताव दिया गया है। खनन कार्य में

मशीनों का प्रयोग न कर खनन कार्य मैन्युअल पद्वति से किया जायेगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के गजट, दिनांक 14.09.2006, संशोधित दिसम्बर 2009 और अप्रैल 2011 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना को श्रेणी 'बी1' परियोजना में रखा गया है। खनन कार्य में सेमी मैकनाईज्ड मशीनों का प्रयोग किया जायेगा। खनन में कार्यरत कार्मिकों की संख्या, जनित जल/वायु, ध्वनि, फ्लोरा–फौना की गुणता पर पड़ने वाले अधिप्रभाव व नियंत्रण की जानकारी दी गयी। अधिप्रभावों के साथ–साथ ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार इत्यादि का उल्लेख किया गया। पट्टधारक द्वारा पर्यावरणीय प्रबन्धन एवं क्षेत्रीय जनता को जल/स्वास्थ्य/शिक्षा इत्यादि की सुविधा प्रदान करने हेतु वार्षिक बजट निर्धारित किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ग्रामवासियों से खनन से होने वाले लाभ एवं हानि पर उनके समस्याओं एवं सुझावों के संदर्भ में जानकारी चाही गयी। सुनवाई के दौरान उपस्थित जनों ने उक्त परियोजना से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां एवं सुझाव लिखित एवं मौखिक रूप से व्यक्त किये:

1. <u>श्री नर नाराण मिश्रा–निवासी चायल, कौशाम्बी</u> :– द्वारा यह प्रश्न किया गया कि खनन के दौरान ओन जाने वाले ट्रकों पर ओवर लोडिंग होने से से कच्चे मार्ग टूट जाती है, काफी मात्रा में धूल उड़ती है, जिससे स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानी होती है। आसपास के पशुओं को नुकसान पहुँचता है। खनन प्रकिया से सरकार को जो राजस्व मिलता है उस धनराशि का अधिक से अधिक उपयोग सड़कों की मरम्मत पर खर्च होना चाहिए। जानवरी को नुकसान न पहुँचे इसके लिए पट्टेधारक को एक कार्मिक की व्यवस्था करनी चाहिए। इस संबंध में खनन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना के के पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि धूल न उड़े इसके लिए जल का नियमित रूप से छिड़काव किया जाये, खनन के दौरान आने जाने वाले ट्रकों को कवर करके ले जाया जायेगा। गॉव के मध्य पड़ने वाले मार्गों से ट्रकों का आवागमन नहीं किया जायेगा। ट्रकों को गॉव के बाहर से रास्ते से ले जाया जायेगा, जिससे ग्रामवासियों को धूल की समस्या का सामना न करना पड़े, खनन परियोजना के दौरान प्रयोग में आने वाले ट्रकों में ओवर लोडिंग नहीं की जायेगी, स्थानीय ग्रामीणों के लिए कुल राशि का 10 प्रतिशत बिजली, हैण्डपम्प स्कूल, स्वास्थ्य, शौचायल निर्माण आदि पर खर्च किया जायेगा। जिला मिनरल फण्ड में जो भी राशि आएगी उसका उपयोग सड़कों की मरम्मत करवाने का प्रयास किया जायेगा।

2. <u>श्री लल्लन निषाद–ग्राम भकन्दा</u> :– द्वारा यह प्रश्न किया गया कि खनन के दौरान आन जाने वाले ट्रकों पर ओवर लोडिंग होने से से कच्चे मार्ग टूट जाती है, काफी मात्रा में धूल उड़ती है, जिससे स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानी होती है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि धूल न उड़े इसके लिए जल का नियमित रूप से छिड़काव किया जाये, खनन के दौरान आने जाने वाले ट्रकों को कवर करके ले जाया जायेगा। गॉव के मध्य पड़ने वाले मार्गों से ट्रकों का आवागमन नहीं किया जायेगा। ट्रकों को गॉव के बाहर से रास्ते से ले जाया जायेगा, जिससे ग्रामवासियों को धूल की समस्या का सामना न करना पड़े, खनन परियोजना के दौरान प्रयोग में आने वाले ट्रकों में ओवर लोडिंग नहीं की जायेगी।
3. <u>श्री अब्दुल अली–ग्राम भकन्धा</u> :– इनके द्वारा खनन परियोजना के संबंध में प्रश्न किया गया कि खनन परियोजना से स्थानीय जनता को रोजगार उपलब्ध होगा या नहीं। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों को प्राथकिता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

4. **श्री दिनेश निषाद–ग्राम भकच्चा** द्वारा यह प्रश्न किया गया कि खनन के दौरान आने जाने वाले ट्रकों के चलने से काफी मात्रा में धूल उड़ती है, जिससे स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानी होती है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि धूल न उड़े इसके लिए जल का नियमित रूप से छिड़काव किया जाये, खनन के दौरान आने जाने वाले ट्रकों को कवर करके ले जाया जायेगा। प्रेशर हार्न का प्रयोग नहीं किया जायेगा। श्री दिनेश द्वारा खनन परियोजना शुरू होने में प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

परियोजना के संबंध में परामर्शी संस्था के प्रस्ताव एवं उपस्थित जनों के विचार सुनने के बाद परियोजना प्रस्ताविक द्वारा समस्त प्रस्तावों एवं उपस्थित जनों की समस्याओं के निराकरण हेतु अपने स्तर से प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी। अंत में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित *जनसमूह का धन्यवाद व्यक्त किया गया एवं विचार व्यक्ति किया गया कि खनन प्रक्रिया* से सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होती है उस धनराशि का 10 प्रतिशत गॉवों के विकास पर खर्च किया जाता है। खनन परियोजना में सभी का सहयोग अपेक्षित है। पट्टेधार द्वारा गॉव के विकास में सहायोग प्रदान किया जायेगा। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गयी शर्तों का *अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।*

लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनों द्वारा दिये गये सुझाव, लिखित एवं मौखिक आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुये एवं रेत/मौरम खनन परियोजना के संचालक से खनन के दौरान पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुये जल, वायु, ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था एवं आवश्यक कियान्वयन परियोजना प्रबन्धक द्वारा कराया जायेगा।

परियोजना हेतु लोक सुनवाई की प्रक्रिया एवं कार्यवाही सुचारू रूप से सम्पन्न हुयी। अंत में यह विश्वास व्यक्त किया कि परियोजना से स्थानीय ग्रामवासियों का हित होगा।

अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही का समापन किया गया।

पर्यावरण स्वीकृति पर निर्णय लेते समय पर्यावरणीय हित में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना उचित होगा।

1. बालू खनन कार्य खनन परियोजना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये।
2. परियोजना स्थल पर यह ध्यान रखा जाये कि नदी जल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
3. अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल से 1मी0 ऊपर (जो भी कम हो) किया जायेगा।
4. परियोजना स्थल के समीप पेड़ों को काटने या जड़ से उखाड़ने न दिया जाये।
5. नदी में खनन हेतु आवागमन मार्ग के निर्माण के दौरान नदी के किनारे के वृक्षों/पेड़–पौधों/झाड़ियों को काटा न जाये।
6. नदी की सतह से खनन कार्य मानकों के अनुरूप किया जाये जिससे नदी के किनारों, पुल एवं आस–पास की इमारतों पर कोई प्रभाव न पड़े।
7. नदी से खनन की हुई रेत के परिवहन हेतु कम से कम रास्ते बनाये जाये जिससे आस–पास का वातावरण प्रभावित न हो।
8. नदी से रेत को ढोने हेतु रास्ते का सुदृढीकरण/पक्का मार्ग का निर्माण अन्य पट्टाधारकों के साथ मिलकर किया जाये जिससे परिवहन के दौरान प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो।

9. नदी की सतह से मानकों के अनुरूप ही रेत का खनन किया जायें। जिससे जगह–जगह पर गढ्ढे आदि न बनने पाये अन्यथा नदी में गन्दगी जमा होगी एवं वातावरण दूषित होगा।
10. खनन में कार्यरत श्रमिको हेतु शिविर नदी के किनारों पर न लगाया जाये। बालू/मौरम को उठाने और उसके संग्रहण का काम हाथो से एवं बिना किसी ब्लास्टिंग के किया जायेगा।
11. खनन कार्य में कार्यरत मजदूरों के लिए प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, उचित पेयजल, शौचायल प्रबन्ध, एवं सुरक्षा संसाधन का प्रवधन किया जाए।
12. खनन लोडिंग आदि प्रक्रियाओं से उड़ने वाली धूल हेतु पानी का छिड़काव किया जाये।
13. खनन की प्रक्रिया नदी के प्रवाह एवं भूमि की प्रवणता को ध्यान में रखते हुए किया जाये।
14. बालू ढोने में संलग्न वाहनों के आवागमन से जनित होने वाले परिवेशीय ध्वनि स्तर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने हेतु साइलेन्सर आदि का प्रयोग एवं समुचित रख–रखाव किया जायेगा।
15. खनन प्रकिया के दौरान प्रयुक्त सभी वाहन पी0यू0सी0 आधारित होंगे।
16. ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम तथा पर्यावरण संतुलन हेतु छायादार एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों का रोपण पट्टा धारक द्वारा किया जायेगा।
17. नदी के किनारे भू–क्षरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने हेतु परियोजना स्थल के समीप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. परियोजना हेतु दिये गये प्रस्तावों के अनुश्रवण हेतु उ0प्र0 प्रदूपण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र/सहमति प्राप्त की जाये।
19. बालू/मोरंग के परिवहन के रास्ते में पड़ने वाले स्कूल में पट्टा धारकों द्वारा वृक्षारोपण एवं पेय जल की व्यवस्था की जाये।
20. खनन कार्यों में माइनिंग लीज की शर्तो का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
21. नदी के तल से 3 मीटर नीचे तक ही रेत का खनन किया जायेगा।
22. ठेकेदारों को खनन के समय खान अधिनियम, 1952 और खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का पालन करना होगा।
23. ठेकेदारों को खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों तथा अन्तरराज्यीय प्रवासी कार्यबल अधिनियम का पालन करना होगा। ठेकेदार सक्षम अधिकारी की संतुष्टि के साथ केन्द्रीय और राज्य सरकारों के श्रमिक कानूनों के अनुसार निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार, श्रमिकों हेतु विश्रामालय तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कूड़ेदान की व्यवस्था एवं प्रथमिक सुविधाएँ इत्यादि उपलब्ध करायेंगे।

28/09/18

(श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जनपद–इलाहाबाद

28/9/18

(श्री इन्द्र सेन सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
जनपद–कौशाम्बी

7780

वरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तर्गत जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित एस0ओ0–3067 ई) दिनॉक 01.12.2009 के अन्तर्गत सैण्ड/मौरम खनन परियोजना हेतु क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मे0 के0के0 एशोसिएट खण्ड सं0 10/27, एवं 10/28 ग्राम–कटईया तहसील–चायल, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0 के तहसील मुख्यालय में दिनॉक 24.09.2018 को लोक सुनवाई के दौरान प्रतिभागियों की उपस्थिति:

दिनांक 24.09.2018 समय: 03:00 अपरान्ह

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	मुख्य विशेष अधिकारी	कौशाम्बी	
2.	उपजिला मजिस्ट्रेट चायल	कौशाम्बी.	
3.	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	उप0 क्षेत्राधिकारी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इलाहाबाद	26/09/18
4.	शेष नारायण.	ग्राम सहिलापुर	
5.	[illegible]	[illegible] मोहारी	[illegible]
6.	अब्दुलवली	मकन्दा	
7.	गोविन्दप्रसाद संगमलाल	मकन्दा	गोविन्दप्रसाद
8.			
9.	मो0 उस्मान	मकन्दा	
10.	सलीम अख्तर	मकन्दा	सलीम अख्तर
11.	मुन्नालालनिषाद	मकन्दा	मुन्नालाल
12.	बजरंगी लाल निषाद	मकन्दा	बजरंगी लाल निषाद
13.	संतोष कुमार	मोहीउद्दीनपुर	संतोष कुमार
14.	राजू निषाद	मकन्दा	राजू निषाद
15.	सरोज निषाद	मकन्दा	सरोज निषाद
16.	मतलूलसंह	मकन्दा	मतलूल सिंह

	जितेन्द्र	भकन्दा	जितेन्द्र
18.	वीरेन्द्र कुमार	मोहिउद्दीनपुर	वीरेन्द्र कुमार
19.	अहमद रजा	भाकंदा	
20.	नफीसुल	भकंदा	
21.	Bahari Jal Mishra	Bhakanda Kaushambi	
22.	मो. अनीस	भकंदा	
23.	नुबेर अहमद	भकन्दा	नुबेर
24.	Rafik	भकन्दा	
25.	Anobeen	Bhakunda	
26.	ES Tiyagi	Bhakanda	
27.	अब्दुल रहमान	भकन्दा	अब्दुल रह
28.	मो० अकरम	भकन्दा	मो० अक
29.	P D Sah	भकन्दा	P D Sah
30.	ARISH NISHAD	भकन्दा	Arish
31.	लालचन्द निषाद	भकन्दा	मो० खलील
32.	सुरत लाल निषाद	भकन्दा	मो० खलील
33.	मो० खलील	भकन्दा	मो० खलील
34.	रसीद	भकन्दा	
35.	मानिक चन्द	भकन्दा	
36.	पी० पी० सिंह	नुबेर	नुबेर

चुनाव लोक

7782

	मगौती मकन्दा	मकन्दा	मगौती
	लवकुश। मकन्दा	मकन्दा	लवकुश।
39.	गिरीलेश। मकन्दा	मकन्दा	गिरीलेश।
40.	संजय मकन्दा	मकन्दा	संजय
41.	राजकुमार गिल	मकन्दा	राजकुमार
42.	फूलचन्द	मकन्दा	फूलचन्द
43.	बच्ची लाल	मकन्दा	बच्ची लाल
44.	दिनेश	मकन्दा	दिनेश
45.	मादेश	मकन्दा	मादेश
46.	बिहारीलाल	मकन्दा	बिहारी लाल
47.	बुधई लाल	मकन्दा	सुग्गनलाल
48.	गंगा	मकन्दा	सुग्गन
49.	साधु	मकन्दा	साधु
50.	सुग्गनलाल निषाद	मकन्दा	सुग्गन
51.	लवकुश।	मकन्दा	लवकुश।
52.	दीकू	मकन्दा	शारदा
53.	बृज मोहन सिंह नेगी	ई० एक्स० डी० डाक० (डाकिया) प्रा० लि० लखनऊ	
54.	सरोज वर्मा	" "	
55.		O/E. UPPCB Allahabad	
56.		P.A. Updhyay	

	राज रंजन कुमार	खाद्य निरीक्षक, कौशाम्बी	
	जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर कौशाम्बी	
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			
71.			
72.			
73.			
74.			
75.			
76.			

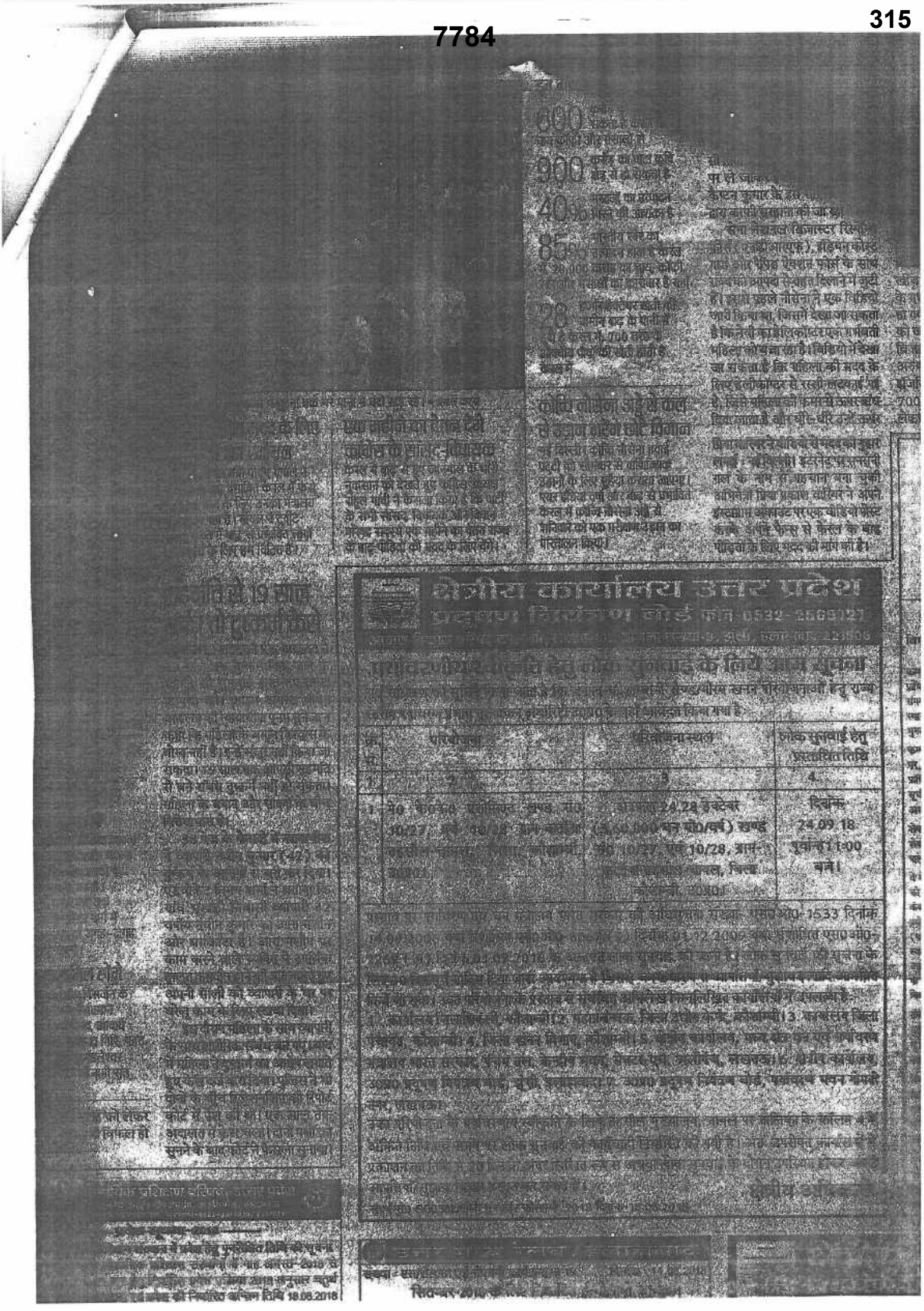

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश

क्र. सं.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4
1.	[illegible]	[illegible] 24.24 हेक्टेयर (59.90 एकड़) खण्ड सं0 10/27, [illegible] 10/28, [illegible]	दिनांक 24.09.18 पूर्वान्ह 11:00 बजे।

7785

हिन्दुस्तान
Go-15/09/18

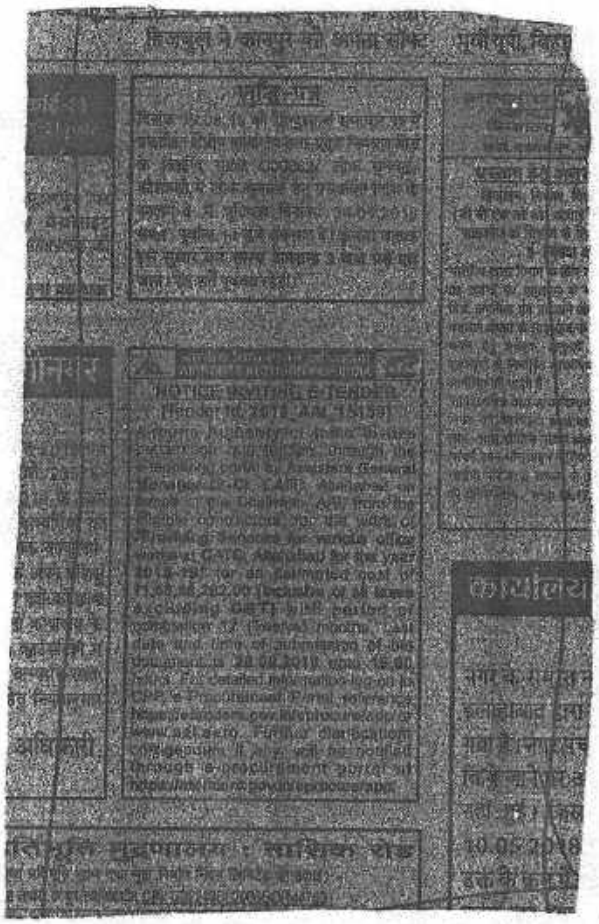

7786

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना (पताका–च) संख्या–एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 यथा संशोधित एस0ओ0–2269 (अ) दिनॉक 01.07.2016 के अन्तर्गत लघु खनिजों के पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु कलस्टर में पट्टों के लोक सुनवाई के प्राविधानों के अनुपालन में तहसील मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी में सम्पन्न हुयी निम्न् लोक सुनवाई का कार्यवृत्तः–

1	2	3
1.	मे0 जय बजरंग ट्रेडर्स खण्ड नं0 11/5, खण्ड नं0 11/6 ग्राम–दिया उपरहार तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष)
2.	मे0 भारत अर्थ मूवर्स गाटा सं0 15/45, एवं 15/46 ग्राम–महेवा तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष)
3.	मे0 राजेश इण्टरप्राईजेज खण्ड सं0 15/43, एवं 15/44 ग्राम–महेवा तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000घन मी0/वर्ष)
4.	मे0 कुवर इन्फ्राडेवलपर्स प्रा0लि0 खण्ड सं0 16/20, एवं 16/22 ग्राम–जमुनापुर, तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 36.28 हेक्टयर (7,28,000 घन मी0/वर्ष)
5.	मे0 शेष नारायण करवरिया, गाटा सं0 105 (16/16), व 16/17 ग्राम–जमुनापुर, तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (4,80,000 घन मी0/वर्ष)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना (पताका–च) संख्या–एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 यथा संशोधित एस0ओ0–2269 (अ) दिनॉक 01.07.2016 के प्राविधानों के तहत प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार से पूर्व लोक सुनवाई कराया जाना प्राविधानित है। लोक सुनवाई की प्रकिया ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 के अनुरूप (संशोधित दिसम्बर 2009 एवं अप्रैल 2011) के अनुसार करायी जानी होती है। उक्त परियोजना हेतु लोक सुनवाई के संबंध में जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी को प्रेषित सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–एच 24690/सी–2/एनओसी–4263/कौशा0/18 दिनॉक 10.08.18, एच 24695/सी–2/ एनओसी–4266/कौशा0/18 दिनॉक 10.08.18, एच 24696/सी–2/ एनओसी–4264/कौशा0/ 18 दिनॉक 10.08.18, एच 24719/सी–2/ एनओसी–4262/इला0/18 दिनॉक 10.08.18, पत्र सं0 एच 24725/सी–2/ एनओसी–4265/इला0/18 दिनॉक 10.08.18, के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, महोदय, कौशाम्बी द्वारा स्थान, तिथि एवं समय का निर्धारण किया गया तथा प्रतिनिधि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी को नामित किया गया।

उक्त लोक सुनवाई की सूचना स्थानीय प्रचलित दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण) में दिनांक 19.08.2018 को प्रकाशित करवायी गयी। दिनांक 24.09.2018 को तहसील मंझनपुर, कौशाम्बी में पूर्व निर्धारित समयानुसार लोक सुनवाई की प्रकिया मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संचालित की गई, जिसमें श्री सतीश कुमार, उपजिलाधिकारी, मंझनपुर, कौशाम्बी, श्री राज रंजन कुमार, जिला खान अधिकारी एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद के श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, परियोजनाओं हेतु परामर्शी संस्था मेसर्स ई0एन0बी0 दास इण्डिया प्रा0लि0, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बी0एम0 नेगी तथा जनसामान्य द्वरा प्रतिभाग किया गया। उपस्थिति का विवरण संलग्न है।

समाचार पत्रों में लोक सुनवाई के लिये आम सूचना प्रकाशित होने के उपरान्त निर्धारित तिथि एवं समय तक लोक सूचना में उल्लिखत किसी भी इंगित कार्यालय पर कोई आपत्ति, सुझाव, टीका–टिप्पणी आदि प्राप्त नहीं हुई। नियत तिथि को सुनवाई के दौरान आस–पास के ग्रामों के प्रधान एवं अन्य निवासीगण उपस्थित रहे। (उपस्थिति पंजिका संलग्न है)

लोक सुनवाई के प्रारम्भ में श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा अध्यक्ष महोदय, अन्य उपस्थित अधिकारियों एवं जन सामान्य

का स्वागत करते हुए परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की प्रकिया प्रारम्भ की गयी। अग्रेतर पट्टेधारकों के परामर्शदाता द्वारा विस्तार से परियोजनाओं के संबंध में पृथक–पृथक उपस्थित जन समूह को जानकारी दी गयी।

प्रस्तावित निम्न परियोजनाओं मे0 जय बजरंग ट्रेडर्स खण्ड नं0 11/5, खण्ड नं0 11/6 ग्राम–दिया उपरहार तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष), बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षांश 25°16'22.50" एन, से 25°16'22.44" एन, 25°15'39.35" एन, से 25°15'35.81" एन, एवं देशान्तर 81°27'53.94" ई, से 81°27'59.64" ई, 81°27'54.78" ई, से 81°27'48.36" ई, के मध्य स्थित है। मे0 भारत अर्थ मूवर्स गाटा सं0 15/45, एवं 15/46 ग्राम–महेवा तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0 क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष), बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षांश 25°23'38.82" एन, से 25°23'23.74" एन, 25°23'14.89" एन, से 25°23'27.06" एन, एवं देशान्तर 81°9'33.98" ई, से 81°9'42.93" ई, 81°9'32.56" ई, से 81°9'19.90" ई, के मध्य स्थित है। मे0 राजेश इण्टरप्राईजेज खण्ड सं0 15/43, एवं 15/44 ग्राम–महेवा तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0, क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष), बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षाश 25°23'23.81" एन, से 25°23'9.60" एन, 25°23'1.07" एन, से 25°23'14.03" एन, एवं देशान्तर 81°09'43.01" ई, से 81°09'58.67" ई, 81°9'49.20" ई, से 81°9'32.05" ई, के मध्य स्थित है। मे0 कुवर इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0 खण्ड सं0 16/20, एवं 16/22 ग्राम–जमुनापुर, तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0, क्षेत्रफल 36.28 हेक्टयर (7,28,000 घन मी0/वर्ष) बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षांश 25°25'44.33" एन, से 25°25'30.24" एन, 25°25'19.80" एन, से 25°25'33.67" एन, एवं देशान्तर 81°9'11.31" ई, से 81°9'35.52" ई, 81°9'28.68" ई, से 81°9'59.20" ई, के मध्य स्थित है एवं मे0 शेष नारायण करवरिया, गाटा सं0 105 (16/16), व 16/17 ग्राम–जमुनापुर, तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0 क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (4,80,000 घन मी0/वर्ष) बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षांश 25°24'59.45" एन, से 25°25'9.33" एन, 25°25'19.78" एन, से 25°25'7.22" एन, 25°25'15.57" एन 25°25'6.31" एन एवं देशान्तर 81°9'18.09" ई, से 81°9'53.68" ई, 81°9'56.60" ई, से 81°9'23.23" ई, 81°9'5.53" ई, से 81°9'1.27" ई के मध्य स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के गजट, दिनांक 14.09.2006, संशोधित दिसम्बर 2009 और अप्रैल 2011 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना को श्रेणी 'बी1' परियोजना में रखा गया है। 05 परियोजनाओं हेतु कुल स्वीकृत बालू/मौरम खनन मात्रा 22,88,000 घनमी0 प्रतिवर्ष का प्रस्ताव दिया गया है। खनन कार्य में सेमी मैकनाईज्ड मशीनों का प्रयोग किया जायेगा। खनन में कार्यरत कार्मिकों की संख्या, जनित जल/वायु, ध्वनि, फ्लोरा–फौना की गुणता पर पडने वाले अधिप्रभाव व नियंत्रण की जानकारी दी गयी। अधिप्रभावों के साथ–साथ ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार इत्यादि का उल्लेख किया गया। सभी पट्टधारको द्वारा पर्यावरणीय प्रबन्धन एवं क्षेत्रीय जनता को जल/स्वास्थ्य/शिक्षा इत्यादि की सुविधा प्रदान करने हेतु वार्षिक बजट निर्धारित किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ग्रामवासियों से खनन से होने वाले लाभ एवं हानि पर उनके समस्याओं एवं सुझावों के संदर्भ में जानकारी चाही गयी। सुनवाई के दौरान उपस्थित जनों ने उक्त परियोजना से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां एवं सुझाव व्यक्त किये:

1. <u>श्री राजेश प्रसाद निषाद–ग्राम महेवाघाट :–</u> इनके द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि बालू खनन परियोजना से कोई दिक्कत नहीं है। खनन के दौरान ट्रकों के आने–जाने से

कच्चे मार्ग होने के कारण उड़ने वाली धूल से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, फसलों को धूल का प्रभाव पड़ने से नुकसान होता है एवं स्थानीय ग्रामवासियों को आने–जाने में दिक्कते होती हैं। अगर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तो समस्या कम हो जायेगी एवं ट्रकों को कवर करके ले जाया जाए। प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि बालू खनन के दौरान धूल न उड़े इसके लिए जल का नियमित रूप से छिड़काव किया जायेगा, अधिक मात्रा में पौधों को रोपण किया जायेगा खनन शर्तों के अनुसार ही पानी का छिड़काव किया जायेगा एवं खनन के दौरान आने जाने वाले ट्रकों को कवर करके ले जाया जायेगा। गॉव के मध्य पड़ने वाले मार्गो से ट्रकों का आवामगन नहीं किया जायेगा। ट्रकों को गॉव के बाहर से रास्ते से ले जाया जायेगा, जिससे ग्रामवासियों को धूल की समस्या का सामना न करना पड़े, खनन परियोजना के दौरान प्रयोग में आने वाले ट्रकों में ओवर लोडिंग नहीं की जायेगी।

2. <u>श्री संतोष कुमार बिन्द–ग्राम सिन्धिया, सिराथू</u> :– इनके द्वारा खनन परियोजना के संबंध में प्रश्न किया गया कि खनन कार्य में नाव का प्रयोग तो नहीं किया जायेगा, क्योंकि नाव का प्रयोग होने से जलीय जीव–जन्तुओं को नुकसान पहुँच सकता है। प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि भारत सरकार की खनन नीति के निर्देशानुसार खनन का कार्य नाव से खनन कार्य नहीं कराया खनन का कार्य नदी के किनारे ही किया जायेगा। नदी की प्राकृतिक जल धारा से कोई छेड़छाड़ की जायेगी।

3. <u>श्री असावर दीन–ग्राम महेवाघाट</u> :– इनके द्वारा खनन परियोजना के संबंध में प्रश्न किया गया कि खनन परियोजना से तो सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी होती है पर जनता कर इसमें क्या विकास होगा। इस संबंध में जिला खनन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया खनन नीति के अनुसार पट्टेधारक द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्र में कुल प्रस्तावित परियोजना का 10 प्रतिशत सामाजिक कार्यों यथा स्कूल, प्राथमिक उपचार व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय, हैण्ड पम्प का निर्माण पर खर्च किया जायेगा।

4. <u>श्री नौशाद–ग्राम दीया</u> द्वारा प्रश्न किया गया कि खनन प्रकिया के दौरान नदी में जो गडढे हो जाते है उससे गाय, भेड, बकरी आदि जानवरों को नुकसान होता है। प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि खनन निति के अनुसार 3मी0 तक ही खनन का नियम है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि खनन इससे अधिक गहराई पर न हो।

5. <u>श्री नथन लाल–ग्राम जमुनापुर</u> इनके द्वारा प्रश्न किया गया कि बालू खनन कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के चलने से गॉव की कच्ची सड़कें टूट जाती है, सड़के न टूटे इसके लिए क्या जायेगा। इस संबंध में जिला खनन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया खनन नीति के अनुसार पट्टेधारक द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्र में कुल प्रस्तावित परियोजना का 10 प्रतिशत जिला मिनरल कोष में किया जाता है उसी से सड़को के निर्माण एवं अन्य समाजिक कार्यों यथा स्कूल, प्राथमिक उपचार व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय, हैण्ड पम्प का निर्माण पर खर्च किया जायेगा।

6. <u>श्रीमती सीता देवी–ग्राम जमुनापुर</u> इनके द्वारा प्रश्न किया गया कि बालू खनन में प्रयोग होने वाले घरो के पास के गुजरते हैं, जिससे जानवरों के चोटिल होने की आशंका रहती है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनधि द्वारा अवगत कराया गया कि खनन से आसपास के वातादरण को नुकसान न हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा। घरों के नजदीक से गाड़ियों का आवागमन नहीं होगा। दिन में खनन कार्य नहीं किया जायेगा, वाहनों को रात्रि के समय ही ले जाया जायेगा। गॉव के मध्य से वाहन नहीं ले जाया जायेगा।

7789

7. श्री निसार अहमद–ग्राम जमुनापुर इनके द्वारा प्रश्न किया गया कि खनन प्रकिया के दौरान रेत/मौस्म जो डम्पिंग की जायेगी वर्तमान में मेरे पास पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध है क्या मुझे डम्पिंग की परमीशन मिल सकती है। इस संबंध में खनन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सरकारी राजस्व में इसके लिए शुल्क जमा किया जाता है जमीन से सम्बन्धित सखरा, खतौनी जमा करने पर विचार किया जा सकता है।

परियोजना के संबंध में परामर्शी संस्था के प्रस्ताव एवं उपस्थित जनों के विचार सुनने के बाद परियोजना प्रस्तावक द्वारा समस्त प्रस्तावों एवं उपस्थित जनों की समस्याओं के निराकरण हेतु अपने स्तर से प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी। अंत में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमूह का धन्यवाद व्यक्ति किया गया एवं विचार व्यक्ति किया गया कि खनन प्रकिया से सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होती है उस धनराशि का 10 प्रतिशत गॉवों के विकास पर खर्च किया जाता है। खनन परियोजना में सभी का सहयोग अपेक्षित है। पट्टेधार द्वारा गॉव के विकास में सहायोग प्रदान किया जायेगा। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनों द्वारा दिये गये सुझाव एवं आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुये एवं रेत/मौरम खनन परियोजनाओं के संचालको से खनन के दौरान पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुये जल, वायु, ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था एवं आवश्यक कियान्वयन परियोजना प्रबन्धकों द्वारा कराया जायेगा।

परियोजना हेतु लोक सुनवाई की प्रकिया एवं कार्यवाही सुचारू रूप से सम्पन्न हुयी। अंत में यह विश्वास व्यक्त किया कि परियोजना से स्थानीय ग्रामवासियों का हित होगा।

अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही का समापन किया गया।

पर्यावरण स्वीकृति पर निर्णय लेते समय पर्यावरणीय हित में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना उचित होगा।

1. बालू खनन कार्य खनन परियोजना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये।
2. परियोजना स्थल पर यह ध्यान रखा जाये कि नदी जल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
3. अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल से 1मी0 ऊपर (जो भी कम हो) किया जायेगा।
4. परियोजना स्थल के समीप पेड़ों को काटने या जड़ से उखाड़ने न दिया जाये।
5. नदी में खनन हेतु आवागमन मार्ग के निर्माण के दौरान नदी के किनारे के वृक्षों/पेड़–पौधों/झाड़ियों को काटा न जाये।
6. नदी की सतह से खनन कार्य मानकों के अनुरूप किया जाये जिससे नदी के किनारों, पुल एवं आस–पास की इमारतों पर कोई प्रभाव न पड़े।
7. नदी से खनन की हुई रेत के परिवहन हेतु कम से कम रास्ते बनाये जाये जिससे आस–पास का वातावरण प्रभावित न हो।
8. नदी से रेत को ढोने हेतु रास्ते का सुदृढीकरण/पक्का मार्ग का निर्माण अन्य पट्टाधारकों के साथ मिलकर किया जाये जिससे परिवहन के दौरान प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो।

9. नदी की सतह से मानकों के अनुरूप ही रेत का खनन किया जायें। जिससे जगह–जगह पर गढ्ढे आदि न बनने पाये अन्यथा नदी में गन्दगी जमा होगी एवं वातावरण दूषित होगा।
10. खनन में कार्यरत श्रमिको हेतु शिविर नदी के किनारों पर न लगाया जाये। बालू/मौरम को उठाने और उसके संग्रहण का काम हाथो से एवं बिना किसी ब्लास्टिंग के किया जायेगा।
11. खनन कार्य में कार्यरत मजदूरों के लिए प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, उचित पेयजल, शौचायल प्रबन्ध, एवं सुरक्षा संसाधन का प्रबधन किया जाए।
12. खनन लोडिंग आदि प्रक्रियाओं से उड़ने वाली धूल हेतु पानी का छिड़काव किया जाये।
13. खनन की प्रक्रिया नदी के प्रवाह एवं भूमि की प्रवणता को ध्यान में रखते हुए किया जाये।
14. बालू ढोने में संलग्न वाहनों के आवागमन से जनित होने वाले परिवेशीय ध्वनि स्तर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने हेतु साइलेन्सर आदि का प्रयोग एवं समुचित रख–रखाव किया जायेगा।
15. खनन प्रकिया के दौरान प्रयुक्त सभी वाहन पी0यू0सी0 आधारित होंगे।
16. ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम तथा पर्यावरण संतुलन हेतु छायादार एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों का रोपण पट्टा धारक द्वारा किया जायेगा।
17. नदी के किनारे भू–क्षरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने हेतु परियोजना स्थल के समीप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. परियोजना हेतु दिये गये प्रस्तावों के अनुश्रवण हेतु उ0प्र0 प्रदूपण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र/सहमति प्राप्त की जाये।
19. बालू/मोरंग के परिवहन के रास्ते में पड़ने वाले स्कूल में पट्टा धारकों द्वारा वृक्षारोपण एवं पेय जल की व्यवस्था की जाये।
20. खनन कार्यों में माइनिंग लीज की शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
21. नदी के तल से 3 मीटर नीचे तक ही रेत का खनन किया जायेगा।
22. ठेकेदारों को खनन के समय खान अधिनियम, 1952 और खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का पालन करना होगा।
23. ठेकेदारों को खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों तथा अन्तरराज्यीय प्रवासी कार्यबल अधिनियम का पालन करना होगा। ठेकेदार सक्षम अधिकारी की संतुष्टि के साथ केन्द्रीय और राज्य सरकारों के श्रमिक कानूनों के अनुसार निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार, श्रमिकों हेतु विश्रामालय तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कूड़ेदान की व्यवस्था एवं प्रथमिक सुविधाऐं इत्यादि उपलब्ध करायेंगे।

28/09/18

(श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जनपद–इलाहाबाद

28/9/18

(श्री इन्द्र सेन सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
जनपद–कौशाम्बी

7791

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी में कलस्टर में सैण्ड/मौरम खनन हेतु निम्न परियोजनाओं हेतु तहसील मुख्यालय में दिनॉक 24.09.2018 को लोक सुनवाई के दौरान प्रतिभागियों की उपस्थिति:

दिनांक 24.09.2018 समयः 11:00 पूर्वान्ह

1	2	3
1.	मे0 जय बजरंग ट्रेडर्स खण्ड नं0 11/5, खण्ड नं0 11/6 ग्राम–दिया उपरहार तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष)
2.	मे0 भारत अर्थ मूवर्स गाटा सं0 15/45, एवं 15/46 ग्राम–महेवा तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष)
3.	मे0 राजेश इण्टरप्राईजेज खण्ड सं0 15/43, एवं 15/44 ग्राम–महेवा तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष)
4.	मे0 कुवर इन्फाडेवलपर्स प्रा0लि0 खण्ड सं0 16/20, एवं 16/22 ग्राम–जमुनापुर, तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 36.28 हेक्टयर (7,28,000 घन मी0/वर्ष)
5.	मे0 शेष नारायण करवरिया, गाटा सं0 105 (16/16), व 16/17 ग्राम–जमुनापुर,तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (4,80,000 घन मी0/वर्ष)

क0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	मुख्य विकास अधिकारी कौशाम्बी		
2.	उप जिलाधिकारी मंझनपुर		
3.	प्रदीप कुमार विश्वकर्मा सहा0 वैज्ञानिक अधिकारी	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इलाहाबाद	24/9/18
4.	अनिलकुमार	ग्राम महेवा घाट	अनिलकुमार
5.	रज्जूलाल गुलाब	" महेवाघाट	रज्जूलाल
6.		महेवा	गुलाब
7.	[redacted] प्रताप	महेवा	[redacted]
8.	दिनेश पटेल	महेवा	दिनेश
9.	विजय	महेवा	[redacted]
10.	[redacted]	महेवा	[redacted]
11.	कल्लूराम	महेवा घाट	कल्लूराम

7792

12.	मुन्ना	मेडवाघाट	मुन्ना
13.	लवकुश	मेडवाघाट	लवकुश
14.	योगेन्द्र	मेहवा द्वार	योगेन्द्र
15.	सतेन्द्रकुमार	डेहलली	सतेन्द्रकुमार
16.	ओंकारसिंह	ओंकारसिंह डेहवाल	ओंकारसिंह
17.	दिनेश	डेहलली	दिनेश
18.	सोहन	डेहवाल	सोहन
19.	उमेश	डेहवाल मेहवा	उमेश
20.	दिनेशचन्द्र	आर्यन	आर्यन
21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22.	लालजु	[illegible]	लालजु
23.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25.	सुरेशचन्द	डेहवाल	[illegible]
26.	नथनलाल	जमुनापुर	नथनलाल
27.	कैलाश	सामाखेड़ा	कैलाश
28.	अरविन्द कुमार	जमुनापुर	
29.	शिवेन्द्र कुमार	जमुनापुर	
30.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31.	Amaib Singh	मेहवा	

32.	રાહુલ ભટ	મહેવા	રાહુલ ભટ
33.	નૌસાદ	દિયા	નૌસાદ
34.	બાલકૃષ્ણ	મહેવા	બાલકૃષ્ણ
35.	લક્ષ્મણ	મહેવા	લક્ષ્મણ
36.	ભુવનેશ્વર	રોનરહા પરિવાર	ભુવનેશ્વર
37.	ઘનશ્યામ	મહેવા	ઘનશ્યામ
38.	જગદીશ	મહેવા	જગદીશ
39.	ગણેશભાઈ	મહિલા ટીમ	ગણેશભાઈ
40.	RERVE 2	Ahad	Ahad
41.	રામકૃષ્ણ	મહેવા	રામકૃષ્ણ
42.	જીતેન્દ્ર	મહેવા	જીતેન્દ્ર
43.	નરેન્દ્ર કુમાર પાંડેય	પોલીસ	નરેન્દ્ર કુમાર પાંડેય
44.	Bhadu	પાયલ	Bhadu
45.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46.	[illegible]	[illegible] મહેવા	[illegible]
47.	[illegible]	મહેવા	[illegible]
48.	સુરેશ	મહેવા	સુરેશ
49.	[illegible]		
50.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

7794

52.	Chandrashekhar maurya	Mohiuddinpur Bela Kaushambi.	Chmaurya
53.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
54.	विवेक कुमार तिवारी	महेवाघाट	विवेक कुमार तिवारी
55.	भानुप्रताप शुक्ला	महेवाघाट	भानुप्रताप शुक्ला
56.	आलोका सिंह	गोवरना	[illegible]
57.	महेन्द्र कुमार	कोशाम्बी	महेन्द्र कुमार
58.	राधेश्याम	कोशाम्बी	राधेश्याम
59.	राकेश कुमार	अर्दली	राकेश कुमार
60.	सुमित सिंह	चायल	सुमित सिंह
61.	सर्वेश कुमार तिवारी	सिविल लाइन बरारी सिराथू कौशाम्बी	सर्वेश कुमार तिवारी
62.	सन्तोष कुमार	हुकुनगंज मूरतगंज चायलकौ०	[illegible]
63.	[illegible]	मवई-मवई कौशाम्बी	[illegible]
64.	रामराज	महेवाघाट	रामराज
65.	रामनेश्वर	महेवाघाट	रामनेश्वर
66.	अगम द्विवेदी	गेस्ट मकान सिराथू कौशाम्बी	अगम
67.	Nisar Ahmed	Nizamuddin	Nisar Ahmed
68.	हनुमानप्रसाद	महेवाघाट	हनु
69.	रामनयन	महेवाघाट	रामनयन
70.	रामसेवक	महेवाघाट	रामसेवक
71.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

7795

72.	नाम अमताव	नौवत्ता मैरमनी	अभिनाथ
73.	रमेश चन्द्र तिवारी	महेवाघाट	
74.	रामआशीर्वाद सिंह	उमरावाँ	रामआशीर्वाद
75.	नर्वदा मोदी	[illegible]	
76.	राजकुमार मोदी	[illegible]	
77.	दीपक कुमार चारव-	[illegible] बोरडि मेहसपुर	
78.	Rajesh Kattak	Allahd:	
79.	ANOOP Kumar	महमूदपुर मनौरी	
80.	Manoj Kumar	महमूदपुर मनौरी	
81.	Pankaj Kumar	महमूदपुर मनौरी	पंकज कुमार
82.	Pankaj Kumar	महमूदपुर मनौरी	पंकज कुमार
83.	K Sant-a Singh	Shahpur Manjhanpur.	
84.	Devendra Prasad Singh	Mahaw ar (Alld	
85.	शिवप्रसाद	नौवत्ता कौशमी	शिवप्रसाद
86.	राजेन्द्र प्रसाद	नौवत्ता कौशमी	राजेन्द्र प्रसाद
87.	रामधारी सिंह	नौवत्ता	
88.	राजेन्द्र सिंह	नौवत्ता कौशाम्बी	राजेन्द्र सिंह
89.	मईयालाल	महेवाघाट कौशाम्बी	मईयालाल
90.	देवेन्द्र सिंह	नौवत्ता	देवेन्द्र सिंह
91.	लालमुनि सिंह	नौवत्ता	लालमुनि सिंह

92.	B. M. S. Negi	Indira Nagar, LUCKNOW ENVIRAS (India) Pvt. Ltd. Lucknow	
93.	Rishabh Verma	" "	Rishabh
94.			
95.			
96.			
97.			
98.			
99.			
100.			
101.			
102.			
103.			
104.			
105.			
106.			
107.			
108.			
109.			
110.			
111.			

...प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन ग्रामवा...

...तहसील मुख्यालय, बाबत पर तालिका के कॉलम 4 में ...कार्यवाही निर्धारित की गयी है। अतः उपरोक्त कार्यालयों में ...रूप से अथवा लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अपनी ...

...018 दिनांक- 19.06.2018 क्षेत्रीय अधिकारी

...ी के पुनर्गठन हेतु कृपया कम्पनी के पंजीकृत तथा ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें: कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., यूनिट: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम वेंचर्स लिमिटेड, प्लॉट 31-32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500032, फोन: +91-40-6716 2222; फैक्स: +91-40-2300 1153; टोल फ्री नं.: 1800-4258-998, ई-मेल: einward.ris@karvy.com, वेबसाइट: www.karvy.com.

कृते हिन्दुस्तान पेट्रोलियम वेंचर्स लिमिटेड

तिथि: 18 अगस्त, 2018
स्थान: नई दिल्ली

कम्पनी सचिव

...ा, इलाहाबाद

.../18-19 दिनांक : 14.08.2018

...निर्धारित ई-नीलामी कार्यक्रम

...-2018 के लिए झांसी, आगरा, इलाहाबाद, ...ख्य स्क्रैप का विक्रय उप मुख्य सामग्री ...ामी के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा। ...एस.आदि) से सम्बन्धित स्क्रैप मदों (पी.वे. व ...मुख्य सामग्री प्रबन्धक/जीडब्लडी/कानपुर द्वारा ...क्रैप मदों का विक्रय व.म.सा.प्रबं./इलाहाबाद ...येगा।

...ट आइरन स्क्रैप, कन्डम रोलिंग स्टाक, नॉन ...ग और बोरिंग, कन्डम आयल/पैट्रल ड्रम्स, ...कैल्स, कन्डम आफिस इक्विपमेंटस, फाल्तू आई टैक्स, ट्रेन लाइटिंग पंखों का रिसीव्ड ...क्रैप लाइन, फाल्तू स्क्रैप कार्यशाप एण्ड एस.

...रित ई-नीलामी कार्यक्रम का विवरण

...ीसी द्वारा प्रस्तावित ई-नीलामी कार्यक्रम	
...ी के प्रकार	नीलामी के आयोजक
...नीलामी	उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक/ एस.डी./उ.म.रे./झांसी (www.ireps.gov.in वेबसाइट द्वारा)

...कानपुर द्वारा प्रस्तावित ई-नीलामी कार्यक्रम	
...नीलामी	उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक/ जी. एस.डी./उ.म.रे./कानपुर (www.ireps.gov.in वेबसाइट द्वारा)

...ा प्रस्तावित ई-नीलामी कार्यक्रम	
...नीलामी	वरिष्ठ मण्डल सामग्री प्रबन्धक/ इलाहाबाद (www.ireps.gov.in वेबसाइट द्वारा)

...यों की नीलामियाँ ई-नीलामी के माध्यम से ...न्न की जायेंगी। यदि उसी दिन निर्धारित ...लामी अगले दिन भी जारी रहेगी। 2. ई- ...र, उन्हें डिपो द्वारा अगली ई-नीलामी में ...ारा स्क्रैप किये गये सामग्रियों के लाटों का ...मित स्थान पर कर सकते हैं। 4. यदि बिडी ...धिक है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को बिडी ...। 5. नीलामी से सम्बन्धित और अधिक ...गई मदों की अन्तिम बिडी दर तथा अन्य ...w.ncr.indianrailways.gov.in पर ...थक जानकारी www.ireps.gov.in

...मुख्य मुख्य सामग्री प्रबन्धक

...

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फोन-0532- 2569727

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या 3, झूंसी, इलाहाबाद-221506

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-कौशाम्बी में सैण्ड/मौरम खनन परियोजनाओं हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अथॉरिटी उ0प्र0 के यहां आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	परियोजना	परियोजना स्थल	लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित तिथि
1	2	3	4
1	मे0 जय बजरंग ट्रेडर्स खण्ड नं0 11/5, खण्ड नं0 11/6 ग्राम-दिया उपरहार तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी। उ0प्र0	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष) खण्ड नं0 11/5, खण्ड नं0 11/6 ग्राम-दिया उपरहार तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0	दिनांक 24.09.18 पूर्वान्ह11:00 बजे।
2	मे0 भारत अर्थ मूवर्स गाटा सं0 15/45, एवं 15/46 ग्राम-महेवा, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष) गाटा सं0 15/45 एवं 15/46ग्राम-महेवा, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0	दिनांक 24.09.18 पूर्वान्ह11:00 बजे।
3	मे0 राजेश इण्टरप्राईजेज खण्ड सं0 15/43 एवं 15/44 ग्राम-महेवा तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष) खण्ड नं0 15/43 एवं 15/44 ग्राम-महेवा, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0	दिनांक 24.09.18 पूर्वान्ह11:00 बजे।
4	मे0 कुंवर इन्फ्राडेकान्सं प्राइलि0 खण्ड सं0 16/20 एवं 16/22 ग्राम-जमुनापुर, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 36.28 हेक्टेयर (7,28,000 घन मी0/वर्ष) 16/20, एवं 16/22, ग्राम-जमुनापुर, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	दिनांक 24.09.18 पूर्वान्ह11:00 बजे।
5	मे0 शेष नारायण बरसरिया, गाटा सं0 105 (16/16) व 16/17 ग्राम-जमुनापुर, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर (4,80,000 घन मी0/वर्ष) 105 (16/16) एवं 16/17 ग्राम-जमुनापुर, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	दिनांक 24.09.18 पूर्वान्ह11:00 बजे।

प्रस्ताव पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- एस0ओ0-1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित एस0ओ0-3067 (ई) दिनांक 01.12.2019 तथा संशोधित एस0ओ0-2269 (अ) दिनांक 01.07.2016 के अन्तर्गत लोक सुनवाई की जानी है। लोक सुनवाई की सूचना के लिए 30 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है जिससे जनसाधारण से आपत्तियों/सुझाव इत्यादि आमंत्रित किये जा सके। उक्त परियोजना के प्रस्ताव से संबंधित अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. कार्यालय जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. सहायक श्रमायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, कौशाम्बी।
3. कार्यालय जिला पंचायत, कौशाम्बी।
4. जिला खनन विभाग, कौशाम्बी।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झूंसी, इलाहाबाद।
7. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन गोमती नगर, लखनऊ।

उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये तहसील मुख्यालय मंझनपुर पर तालिका के कालम 4 में अंकित तिथि एवं समय पर लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गयी है। अतः उपरोक्त कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर लिखित रूप से अथवा लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अपनी आपत्तियों/सुझाव/विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।

संदर्भ सं0 G00862/ लोक सुनवाई/कौशाम्बी 2018 दिनांक- 18.06.2018

क्षेत्रीय अधिकारी

दूरभाषः / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, इलाहाबाद – 221506
Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Allahabad
ई–मेलः roallahabad@uppcb.com

9068/2
01.10.18

संदर्भ सं0 ...Q01018/लोकसुनवाई - तह0- मंझनपुर एवं चायल/18-19... दिनांक ...29.09.18...

डाक प्राप्ति रसीद
प्राप्ति दिनांक 01.10.18
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः जनपद कौशाम्बी के तहसील मंझनपुर एवं चायल में मोरंग खनन कार्य हेतु दिनांक 24.09.2018 को क्लस्टर में आहुत लोकसुनवाई के कार्यवृत्त संप्रेषण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 24.09.2018 को मंझनपुर एवं चायल तहसील पर आहुत लोकसुनवाई के अलग–अलग कार्यवृत्त, उपस्थिति सीट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित आम सूचना से संबंधित पेपर कटिंग एवं साफ्ट कॉपी(सीडी) पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(एस0के0मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
29.9.18

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना (पताका–च) संख्या–एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 यथा संशोधित एस0ओ0–2269 (अ) दिनॉक 01.07.2016 के अन्तर्गत लघु खनिज के पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु मे0 के0के0 एशोसिएट खण्ड सं0 10/27 एवं 10/28 ग्राम–कटईया तहसील–चायल, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0, क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष) हेतु तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी में सम्पन्न हुयी लोक सुनवाई का कार्यवृत्त:–

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना (पताका–च) संख्या–एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 यथा संशोधित एस0ओ0–2269 (अ) दिनॉक 01.07.2016 के प्राविधानों के तहत प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार से पूर्व लोक सुनवाई कराया जाना प्राविधानित है। लोक सुनवाई की प्रकिया ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 के अनुरूप (संशोधित दिसम्बर 2009 एवं अप्रैल 2011) के अनुसार करायी जानी होती है। उक्त परियोजना हेतु लोक सुनवाई के संबंध में जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी को प्रेषित सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–एच 24710/सी–2/एनओसी–4260/2018 दिनॉक 10.08.18 के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, महोदय, कौशाम्बी द्वारा स्थान, तिथि एवं समय का निर्धारण किया गया तथा प्रतिनिधि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी को नामित किया गया।

उक्त लोक सुनवाई की सूचना स्थानीय प्रचलित दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण) में दिनांक 19.08.2018 को प्रकाशित करवायी गयी। दिनांक 24.09.2018 को तहसील चायल, कौशाम्बी में पूर्व निर्धारित समयानुसार लोक सुनवाई की प्रकिया मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संचालित की गई, जिसमें श्री अनिल चतुर्वेदी, उपजिलाधिकारी, चायल, कौशाम्बी, श्री राज रंजन कुमार, जिला खान अधिकारी एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद के श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, परियोजनाओं हेतु परामर्शी संस्था मेसर्स ई0एन0बी0 दास इण्डिया प्रा0लि0, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बी0एम0एस0 नेगी तथा जनसामान्य द्वरा प्रतिभाग किया गया। उपस्थिति का विवरण संलग्न है।

समाचार पत्रों में लोक सुनवाई के लिये आम सूचना प्रकाशित होने के उपरान्त निर्धारित तिथि एवं समय तक लोक सूचना में उल्लेखित किसी भी इंगित कार्यालय पर कोई आपत्ति, सुझाव, टीका–टिप्पणी आदि प्राप्त नहीं हुई। नियत तिथि को सुनवाई के दौरान आस–पास के ग्रामों के निवासीगण उपस्थित रहे। (उपस्थिति पंजिका संलग्न है)

लोक सुनवाई के प्रारम्भ में श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा अध्यक्ष महोदय, अन्य उपस्थित अधिकारियों एवं जन सामान्य का स्वागत करते हुए परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की प्रकिया प्रारम्भ की गयी। अग्रेतर पट्टेधारक के परामर्शदाता द्वारा विस्तार से परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समूह को जानकारी दी गयी।

प्रस्तावित परियोजना मेसर्स के0के0 एशोसिएट खण्ड सं0 10/27 एवं 10/28 ग्राम–कटईया तहसील–चायल, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0, क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष) ,बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षांश 25°16'11.21" एन, से 25°16'35.42" एन, 25°16'37.38" एन, से 25°16'12.12" एन, एवं देशान्तर 81°29'55.95" ई, से 81°29'53.46" ई, 81°30'4.38" ई, से 81°30'7.65" ई, के मध्य स्थित है। उक्त खनन परियोजना हेतु कुल स्वीकृत बालू/मौरम खनन मात्रा 3,60,000 घन मी0 प्रतिवर्ष का प्रस्ताव दिया गया है। खनन कार्य में

मशीनों का प्रयोग न कर खनन कार्य मैन्युअल पद्धति से किया जायेगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के गजट, दिनांक 14.09.2006, संशोधित दिसम्बर 2009 और अप्रैल 2011 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना को श्रेणी 'बी1' परियोजना में रखा गया है। खनन कार्य में सेमी मैकनाईज्ड मशीनों का प्रयोग किया जायेगा। खनन में कार्यरत कार्मिकों की संख्या, जनित जल/वायु, ध्वनि, फ्लोरा–फौना की गुणता पर पड़ने वाले अधिप्रभाव व नियंत्रण की जानकारी दी गयी। अधिप्रभावों के साथ–साथ ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार इत्यादि का उल्लेख किया गया। पट्टधारक द्वारा पर्यावरणीय प्रबन्धन एवं क्षेत्रीय जनता को जल/स्वास्थ्य/शिक्षा इत्यादि की सुविधा प्रदान करने हेतु वार्षिक बजट निर्धारित किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ग्रामवासियों से खनन से होने वाले लाभ एवं हानि पर उनके समस्याओं एवं सुझावों के संदर्भ में जानकारी चाही गयी। सुनवाई के दौरान उपस्थित जनों ने उक्त परियोजना से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां एवं सुझाव लिखित एवं मौखिक रूप से व्यक्त किये:

1. **श्री नर नाराण मिश्रा–निवासी चायल, कौशाम्बी :–** द्वारा यह प्रश्न किया गया कि खनन के दौरान ओन जाने वाले ट्रकों पर ओवर लोडिंग होने से से कच्चे मार्ग टूट जाती है, काफी मात्रा में धूल उड़ती है, जिससे स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानी होती है। आसपास के पशुओं को नुकसान पहुँचता है। खनन प्रकिया से सरकार को जो राजस्व मिलता है उस धनराशि का अधिक से अधिक उपयोग सड़कों की मरम्मत पर खर्च होना चाहिए। जानवरी को नुकसान न पहुँचे इसके लिए पट्टेधारक को एक कार्मिक की व्यवस्था करनी चाहिए। इस संबंध में खनन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना के के पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि धूल न उड़े इसके लिए जल का नियमित रूप से छिड़काव किया जाये, खनन के दौरान आने जाने वाले ट्रकों को कवर करके ले जाया जायेगा। गॉव के मध्य पड़ने वाले मार्गों से ट्रकों का आवागमन नहीं किया जायेगा। ट्रकों को गॉव के बाहर से रास्ते से ले जाया जायेगा, जिससे ग्रामवासियों को धूल की समस्या का सामना न करना पड़े, खनन परियोजना के दौरान प्रयोग में आने वाले ट्रकों में ओवर लोडिंग नहीं की जायेगी, स्थानीय ग्रामीणों के लिए कुल राशि का 10 प्रतिशत बिजली, हैण्डपम्प स्कूल, स्वास्थ्य, शौचायल निर्माण आदि पर खर्च किया जायेगा। जिला मिनरल फण्ड में जो भी राशि आएगी उसका उपयोग सड़कों की मरम्मत करवाने का प्रयास किया जायेगा।
2. **श्री लल्लन निषाद–ग्राम भकन्दा :–** द्वारा यह प्रश्न किया गया कि खनन के दौरान आन जाने वाले ट्रकों पर ओवर लोडिंग होने से से कच्चे मार्ग टूट जाती है, काफी मात्रा में धूल उड़ती है, जिससे स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानी होती है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि धूल न उड़े इसके लिए जल का नियमित रूप से छिड़काव किया जाये, खनन के दौरान आने जाने वाले ट्रकों को कवर करके ले जाया जायेगा। गॉव के मध्य पड़ने वाले मार्गों से ट्रकों का आवागमन नहीं किया जायेगा। ट्रकों को गॉव के बाहर से रास्ते से ले जाया जायेगा, जिससे ग्रामवासियों को धूल की समस्या का सामना न करना पड़े, खनन परियोजना के दौरान प्रयोग में आने वाले ट्रकों में ओवर लोडिंग नहीं की जायेगी।
3. **श्री अब्दुल अली–ग्राम भकन्धा :–** इनके द्वारा खनन परियोजना के संबंध में प्रश्न किया गया कि खनन परियोजना से स्थानीय जनता को रोजगार उपलब्ध होगा या नहीं। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों को प्राथकिता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

4. **श्री दिनेश निषाद–ग्राम भकच्चा** द्वारा यह प्रश्न किया गया कि खनन के दौरान आने जाने वाले ट्रकों के चलने से काफी मात्रा में धूल उड़ती है, जिससे स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानी होती है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि धूल न उड़े इसके लिए जल का नियमित रूप से छिड़काव किया जाये, खनन के दौरान आने जाने वाले ट्रकों को कवर करके ले जाया जायेगा। प्रेशर हार्न का प्रयोग नहीं किया जायेगा। श्री दिनेश द्वारा खनन परियोजना शुरू होने में प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

परियोजना के संबंध में परामर्शी संस्था के प्रस्ताव एवं उपस्थित जनों के विचार सुनने के बाद परियोजना प्रस्ताविक द्वारा समस्त प्रस्तावों एवं उपस्थित जनों की समस्याओं के निराकरण हेतु अपने स्तर से प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी। अंत में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित *जनसमूह का धन्यवाद व्यक्त किया गया एवं विचार व्यक्ति किया गया कि खनन प्रक्रिया* से सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होती है उस धनराशि का 10 प्रतिशत गॉवों के विकास पर खर्च किया जाता है। खनन परियोजना में सभी का सहयोग अपेक्षित है। पट्टेधार द्वारा गॉव के विकास में सहायोग प्रदान किया जायेगा। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गयी शर्तों का *अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।*

लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनों द्वारा दिये गये सुझाव, लिखित एवं मौखिक आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुये एवं रेत/मौरम खनन परियोजना के संचालक से खनन के दौरान पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुये जल, वायु, ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था एवं आवश्यक कियान्वयन परियोजना प्रबन्धक द्वारा कराया जायेगा।

परियोजना हेतु लोक सुनवाई की प्रकिया एवं कार्यवाही सुचारू रूप से सम्पन्न हुयी। अंत में यह विश्वास व्यक्त किया कि परियोजना से स्थानीय ग्रामवासियों का हित होगा।

अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही का समापन किया गया।

पर्यावरण स्वीकृति पर निर्णय लेते समय पर्यावरणीय हित में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना उचित होगा।

1. बालू खनन कार्य खनन परियोजना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये।
2. परियोजना स्थल पर यह ध्यान रखा जाये कि नदी जल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
3. अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल से 1मी0 ऊपर (जो भी कम हो) किया जायेगा।
4. परियोजना स्थल के समीप पेड़ों को काटने या जड़ से उखाड़ने न दिया जाये।
5. नदी में खनन हेतु आवागमन मार्ग के निर्माण के दौरान नदी के किनारे के वृक्षों/पेड़–पौधों/झाड़ियों को काटा न जाये।
6. नदी की सतह से खनन कार्य मानकों के अनुरूप किया जाये जिससे नदी के किनारों, पुल एवं आस–पास की इमारतों पर कोई प्रभाव न पड़े।
7. नदी से खनन की हुई रेत के परिवहन हेतु कम से कम रास्ते बनाये जाये जिससे आस–पास का वातावरण प्रभावित न हो।
8. नदी से रेत को ढोने हेतु रास्ते का सुदृढीकरण/पक्का मार्ग का निर्माण अन्य पट्टाधारकों के साथ मिलकर किया जाये जिससे परिवहन के दौरान प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो।

9. नदी की सतह से मानकों के अनुरूप ही रेत का खनन किया जायें। जिससे जगह–जगह पर गढ्ढे आदि न बनने पाये अन्यथा नदी में गन्दगी जमा होगी एवं वातावरण दूषित होगा।
10. खनन में कार्यरत श्रमिको हेतु शिविर नदी के किनारों पर न लगाया जाये। बालू/मौरम को उठाने और उसके संग्रहण का काम हाथो से एवं बिना किसी ब्लास्टिंग के किया जायेगा।
11. खनन कार्य में कार्यरत मजदूरों के लिए प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, उचित पेयजल, शौचायल प्रबन्ध, एवं सुरक्षा संसाधन का प्रवधन किया जाए।
12. खनन लोडिंग आदि प्रक्रियाओं से उड़ने वाली धूल हेतु पानी का छिड़काव किया जाये।
13. खनन की प्रक्रिया नदी के प्रवाह एवं भूमि की प्रवणता को ध्यान में रखते हुए किया जाये।
14. बालू ढोने में संलग्न वाहनों के आवागमन से जनित होने वाले परिवेशीय ध्वनि स्तर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने हेतु साइलेन्सर आदि का प्रयोग एवं समुचित रख–रखाव किया जायेगा।
15. खनन प्रकिया के दौरान प्रयुक्त सभी वाहन पी0यू0सी0 आधारित होंगे।
16. ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम तथा पर्यावरण संतुलन हेतु छायादार एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों का रोपण पट्टा धारक द्वारा किया जायेगा।
17. नदी के किनारे भू–क्षरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने हेतु परियोजना स्थल के समीप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. परियोजना हेतु दिये गये प्रस्तावों के अनुश्रवण हेतु उ0प्र0 प्रदूपण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र/सहमति प्राप्त की जाये।
19. बालू/मोरंग के परिवहन के रास्ते में पड़ने वाले स्कूल में पट्टा धारकों द्वारा वृक्षारोपण एवं पेय जल की व्यवस्था की जाये।
20. खनन कार्यों में माइनिंग लीज की शर्तो का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
21. नदी के तल से 3 मीटर नीचे तक ही रेत का खनन किया जायेगा।
22. ठेकेदारों को खनन के समय खान अधिनियम, 1952 और खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का पालन करना होगा।
23. ठेकेदारों को खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों तथा अन्तरराज्यीय प्रवासी कार्यबल अधिनियम का पालन करना होगा। ठेकेदार सक्षम अधिकारी की संतुष्टि के साथ केन्द्रीय और राज्य सरकारों के श्रमिक कानूनों के अनुसार निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार, श्रमिकों हेतु विश्रामालय तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कूड़ेदान की व्यवस्था एवं प्रथमिक सुविधाएँ इत्यादि उपलब्ध करायेंगे।

28/09/18

(श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जनपद–इलाहाबाद

28/9/18

(श्री इन्द्र सेन सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
जनपद–कौशाम्बी

7803

...रण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के ...तर्गत जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 के अन्तर्गत सैण्ड/मौरम खनन परियोजना हेतु क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मे0 के0के0 एशोसिएट खण्ड सं0 10/27, एवं 10/28 ग्राम–कटईया तहसील–चायल, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0 के तहसील मुख्यालय में दिनॉक 24.09.2018 को लोक सुनवाई के दौरान प्रतिभागियों की उपस्थिति:

दिनांक 24.09.2018 समयः 03:00 अपरान्ह

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	मुख्य निशुल्क अधिशाषी	कौशाम्बी	
2.	उपजिला मजिस्ट्रेट चायल	कौशाम्बी.	
3.	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	उप0 क्षेत्रीय अधिकारी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इलाहाबाद	26/09/18
4.	शेष नारायण.	ग्रेटर नोएडा	
5.	[illegible]	[illegible] नोएडा	[illegible]
6.	अब्दुलवली	मकन्दा	
7.	गोविन्दप्रसाद संगमलाल	मादिपुर	गोविन्दप्रसाद
8.		मकन्दा	
9.	मो0 उस्मान	मकन्दा	
10.	सलीम अख्तर	मकन्दा	सलीम अख्तर
11.	मुन्नालालनिषाद	मकन्दा	मुन्नालाल
12.	बजरंगी लाल निषाद	मकन्दा	बजरंगी लाल निषाद
13.	संतोष कुमार	मोहीउद्दीनपुर	संतोष कुमार
14.	राजू निषाद	मकन्दा	राजू निषाद
15.	सरोज निषाद	मकन्दा	सरोज निषाद
16.	मतलूलहसन	मकन्दा	मतलूल हसन

	जितेन्द्र	भकन्दा	जितेन्द्र
18.	वीरेन्द्र कुमार	मोहिउद्दीनपुर	वीरेन्द्र कुमार
19.	अहमद रजा	भाकंदा	
20.	नफीसुल	भकंदा	
21.	Bahari Jal Mishra	Bhakanda Kaushambi	
22.	मो. अनीस	भकंदा	
23.	नुबेर अहमद	भकन्दा	नुबेर
24.	Rafik	भकन्दा	
25.	Anobeen	Bhakunda	
26.	ES Tiyagi	Bhakanda	
27.	अब्दुल रहमान	भकन्दा	अब्दुल रह
28.	मो० अकरम	भकन्दा	मो० अक
29.	P D Sah	भकन्दा	P D Sah
30.	ABHISH NISHAD	भकन्दा	abhish
31.	लालचन्द निषाद	भकन्दा	मो० खलील
32.	सुरत लाल निषाद	भकन्दा	मो० खलील
33.	मो० खलील	भकन्दा	मो० खलील
34.	रसीद	भकन्दा	
35.	मानिक चन्द	भकन्दा	
36.	पी० पी० रेस	भुवर	भुवर

कुल 1 लाख

7805

	मगौती मकन्दा	मकन्द।	मगौती
	लवकुश। मकन्दा	मकुन्द।	लवकुश।
39.	मिथलेश। मकन्द।	मकन्द।	मिथलेश।
40.	संजय मकन्द।	मकन्द।	संजय
41.	राजकुमार सिंह	मकन्द।	राजकुमार सिंह
42.	फूलचन्द	मकन्द।	फूलचन्द
43.	बच्ची लाल	मकन्द	बच्ची लाल
44.	दिनेश।	मकन्द।	दिनेश।
45.	माहेश।	मकन्द।	माहेश।
46.	बिहारी लाल	मकन्द।	बिहारी लाल
47.	बुधई लाल	मकन्दा	सुग्गनलाल
48.	गंगा	मकन्दा	सुग्गन
49.	साधु	मकन्दा	साधु
50.	सुग्गनलाल निषाद	मकन्दा	सुग्गन
51.	लवकुश।	मकन्दा	लवकुश।
52.	दीपू	मकन्दा	शारदा।
53.	बृज मोहन सिंह नेगी	ई० एक० वी डाक० (डाण्डिया) प्रा० लि० लखनऊ	
54.	सरिता वर्मा	" "	Rita Verma
55.	Mahendra Singh	O.E. UPPCB Allahabad	
56.	Sunil Kumar	P.A. Uptron	

7806

58.	राज रंजन कुमार जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	खाद्य निरीक्षक, कौशाम्बी डिप्टी कलेक्टर कौशाम्बी	
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			
71.			
72.			
73.			
74.			
75.			
76.			

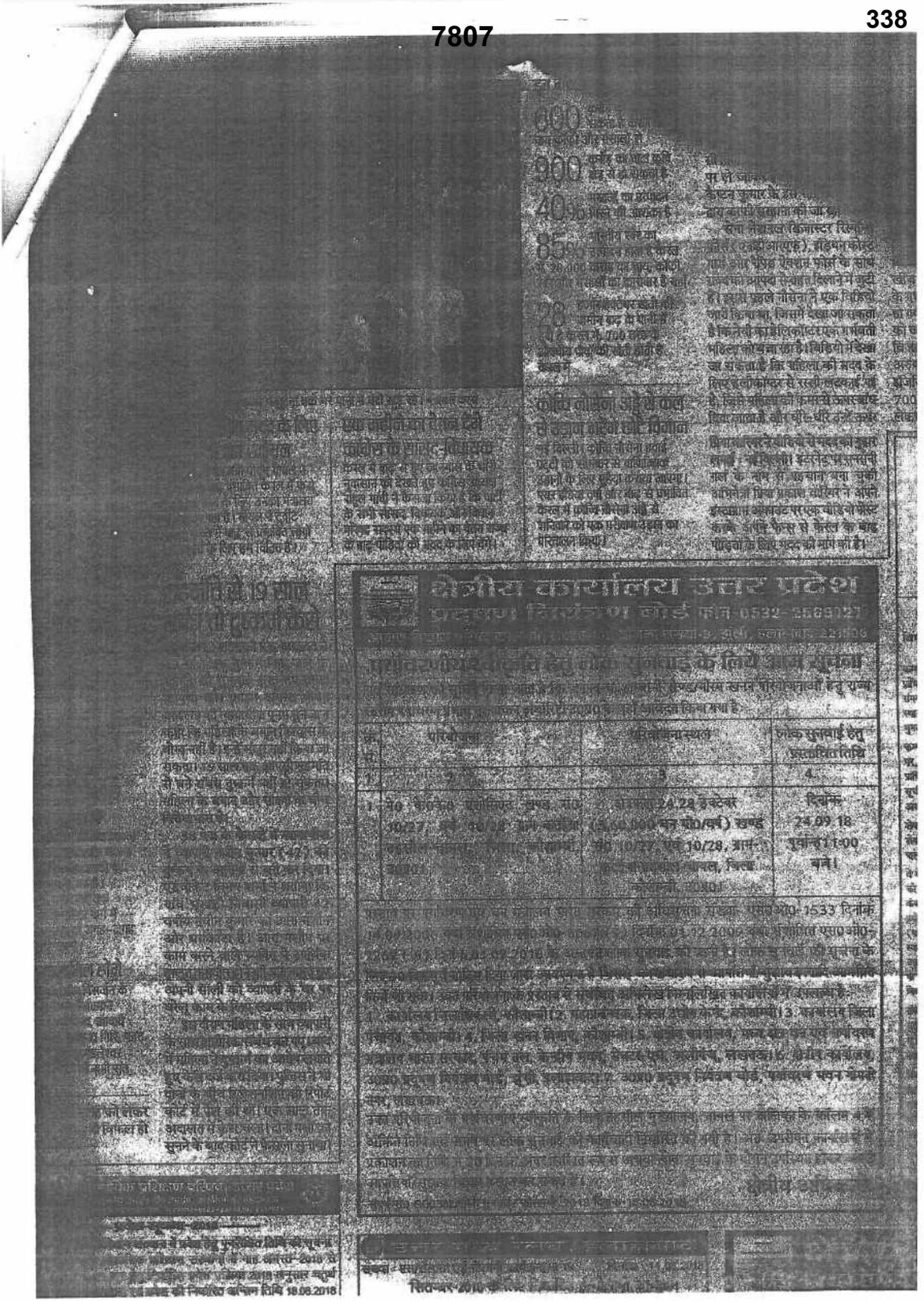

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश

क्र. सं.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4
1.	[illegible]	[illegible] 24.24 हेक्टेयर (3,00,000 रुपए प्रति बीघा/वर्ष) खण्ड [illegible] 10/27, [illegible] 10/28, ग्राम- [illegible]	दिनांक 24.09.18 पूर्वाह्न 11:00 बजे।

हिन्दुस्तान
Go-15/09/18

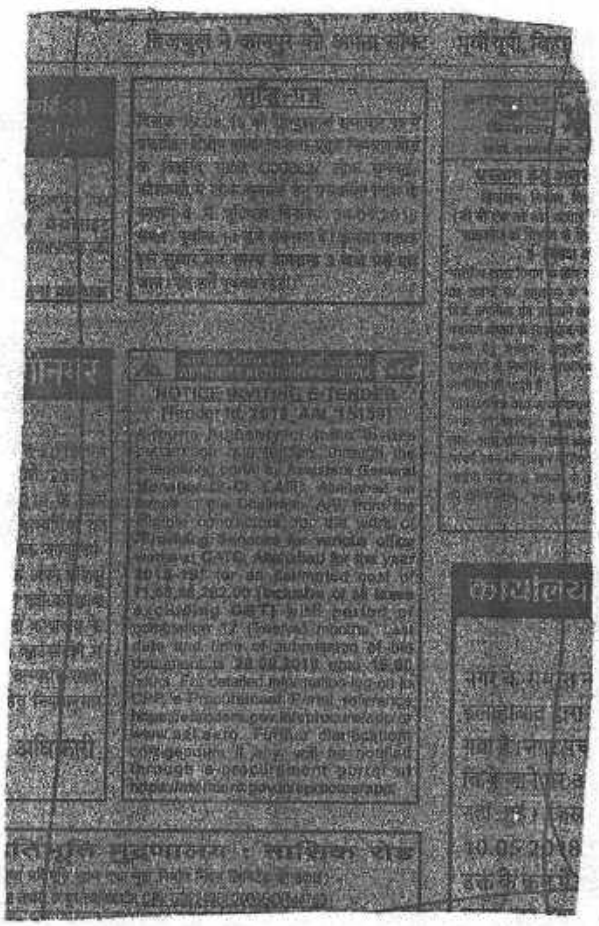

7809

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना (पताका–च) संख्या–एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 यथा संशोधित एस0ओ0–2269 (अ) दिनॉक 01.07.2016 के अन्तर्गत लघु खनिजों के पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु कलस्टर में पट्टों के लोक सुनवाई के प्राविधानों के अनुपालन में तहसील मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी में सम्पन्न हुयी निम्न् लोक सुनवाई का कार्यवृत्तः–

1	2	3
1.	मे0 जय बजरंग ट्रेडर्स खण्ड नं0 11/5, खण्ड नं0 11/6 ग्राम–दिया उपरहार तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष)
2.	मे0 भारत अर्थ मूवर्स गाटा सं0 15/45, एवं 15/46 ग्राम–महेवा तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष)
3.	मे0 राजेश इण्टरप्राईजेज खण्ड सं0 15/43, एवं 15/44 ग्राम–महेवा तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000घन मी0/वर्ष)
4.	मे0 कुवर इन्फ्राडेवलपर्स प्रा0लि0 खण्ड सं0 16/20, एवं 16/22 ग्राम–जमुनापुर, तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 36.28 हेक्टयर (7,28,000 घन मी0/वर्ष)
5.	मे0 शेष नारायण करवरिया, गाटा सं0 105 (16/16), व 16/17 ग्राम–जमुनापुर, तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (4,80,000 घन मी0/वर्ष)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना (पताका–च) संख्या–एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 यथा संशोधित एस0ओ0–2269 (अ) दिनॉक 01.07.2016 के प्राविधानों के तहत प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार से पूर्व लोक सुनवाई कराया जाना प्राविधानित है। लोक सुनवाई की प्रकिया ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 के अनुरूप (संशोधित दिसम्बर 2009 एवं अप्रैल 2011) के अनुसार करायी जानी होती है। उक्त परियोजना हेतु लोक सुनवाई के संबंध में जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी को प्रेषित सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–एच 24690/सी–2/एनओसी–4263/कौशा0/18 दिनॉक 10.08.18, एच 24695/सी–2/ एनओसी–4266/कौशा0/18 दिनॉक 10.08.18, एच 24696/सी–2/ एनओसी–4264/कौशा0/ 18 दिनॉक 10.08.18, एच 24719/सी–2/ एनओसी–4262/इला0/18 दिनॉक 10.08.18, पत्र सं0 एच 24725/सी–2/ एनओसी–4265/इला0/18 दिनॉक 10.08.18, के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, महोदय, कौशाम्बी द्वारा स्थान, तिथि एवं समय का निर्धारण किया गया तथा प्रतिनिधि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी को नामित किया गया।

उक्त लोक सुनवाई की सूचना स्थानीय प्रचलित दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण) में दिनांक 19.08.2018 को प्रकाशित करवायी गयी। दिनांक 24.09.2018 को तहसील मंझनपुर, कौशाम्बी में पूर्व निर्धारित समयानुसार लोक सुनवाई की प्रकिया मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संचालित की गई, जिसमें श्री सतीश कुमार, उपजिलाधिकारी, मंझनपुर, कौशाम्बी, श्री राज रंजन कुमार, जिला खान अधिकारी एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद के श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, परियोजनाओं हेतु परामर्शी संस्था मेसर्स ई0एन0बी0 दास इण्डिया प्रा0लि0, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बी0एम0 नेगी तथा जनसामान्य द्वरा प्रतिभाग किया गया। उपस्थिति का विवरण संलग्न है।

समाचार पत्रों में लोक सुनवाई के लिये आम सूचना प्रकाशित होने के उपरान्त निर्धारित तिथि एवं समय तक लोक सूचना में उल्लिखत किसी भी इंगित कार्यालय पर कोई आपत्ति, सुझाव, टीका–टिप्पणी आदि प्राप्त नहीं हुई। नियत तिथि को सुनवाई के दौरान आस–पास के ग्रामों के प्रधान एवं अन्य निवासीगण उपस्थित रहे। (उपस्थिति पंजिका संलग्न है)

लोक सुनवाई के प्रारम्भ में श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा अध्यक्ष महोदय, अन्य उपस्थित अधिकारियों एवं जन सामान्य

का स्वागत करते हुए परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की प्रकिया प्रारम्भ की गयी। अग्रेतर पट्टेधारकों के परामर्शदाता द्वारा विस्तार से परियोजनाओं के संबंध में पृथक–पृथक उपस्थित जन समूह को जानकारी दी गयी।

प्रस्तावित निम्न परियोजनाओं मे0 जय बजरंग ट्रेडर्स खण्ड नं0 11/5, खण्ड नं0 11/6 ग्राम–दिया उपरहार तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष), बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षांश 25°16'22.50" एन, से 25°16'22.44" एन, 25°15'39.35" एन, से 25°15'35.81" एन, एवं देशान्तर 81°27'53.94" ई, से 81°27'59.64" ई, 81°27'54.78" ई, से 81°27'48.36" ई, के मध्य स्थित है। मे0 भारत अर्थ मूवर्स गाटा सं0 15/45, एवं 15/46 ग्राम–महेवा तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0 क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष), बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षांश 25°23'38.82" एन, से 25°23'23.74" एन, 25°23'14.89" एन, से 25°23'27.06" एन, एवं देशान्तर 81°9'33.98" ई, से 81°9'42.93" ई, 81°9'32.56" ई, से 81°9'19.90" ई, के मध्य स्थित है। मे0 राजेश इण्टरप्राईजेज खण्ड सं0 15/43, एवं 15/44 ग्राम–महेवा तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0, क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष), बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षाश 25°23'23.81" एन, से 25°23'9.60" एन, 25°23'1.07" एन, से 25°23'14.03" एन, एवं देशान्तर 81°09'43.01" ई, से 81°09'58.67" ई, 81°9'49.20" ई, से 81°9'32.05" ई, के मध्य स्थित है। मे0 कुवर इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0 खण्ड सं0 16/20, एवं 16/22 ग्राम–जमुनापुर, तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0, क्षेत्रफल 36.28 हेक्टयर (7,28,000 घन मी0/वर्ष) बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षांश 25°25'44.33" एन, से 25°25'30.24" एन, 25°25'19.80" एन, से 25°25'33.67" एन, एवं देशान्तर 81°9'11.31" ई, से 81°9'35.52" ई, 81°9'28.68" ई, से 81°9'59.20" ई, के मध्य स्थित है एवं मे0 शेष नारायण करवरिया, गाटा सं0 105 (16/16), व 16/17 ग्राम–जमुनापुर, तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0 क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (4,80,000 घन मी0/वर्ष) बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षांश 25°24'59.45" एन, से 25°25'9.33" एन, 25°25'19.78" एन, से 25°25'7.22" एन, 25°25'15.57" एन 25°25'6.31" एन एवं देशान्तर 81°9'18.09" ई, से 81°9'53.68" ई, 81°9'56.60" ई, से 81°9'23.23" ई, 81°9'5.53" ई, से 81°9'1.27" ई के मध्य स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के गजट, दिनांक 14.09.2006, संशोधित दिसम्बर 2009 और अप्रैल 2011 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना को श्रेणी 'बी1' परियोजना में रखा गया है। 05 परियोजनाओं हेतु कुल स्वीकृत बालू/मौरम खनन मात्रा 22,88,000 घनमी0 प्रतिवर्ष का प्रस्ताव दिया गया है। खनन कार्य में सेमी मैकनाईज्ड मशीनों का प्रयोग किया जायेगा। खनन में कार्यरत कार्मिकों की संख्या, जनित जल/वायु, ध्वनि, फ्लोरा–फौना की गुणता पर पडने वाले अधिप्रभाव व नियंत्रण की जानकारी दी गयी। अधिप्रभावों के साथ–साथ ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार इत्यादि का उल्लेख किया गया। सभी पट्टधारको द्वारा पर्यावरणीय प्रबन्धन एवं क्षेत्रीय जनता को जल/स्वास्थ्य/शिक्षा इत्यादि की सुविधा प्रदान करने हेतु वार्षिक बजट निर्धारित किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ग्रामवासियों से खनन से होने वाले लाभ एवं हानि पर उनके समस्याओं एवं सुझावों के संदर्भ में जानकारी चाही गयी। सुनवाई के दौरान उपस्थित जनों ने उक्त परियोजना से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां एवं सुझाव व्यक्त किये:

1. <u>श्री राजेश प्रसाद निषाद–ग्राम महेवाघाट :–</u> इनके द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि बालू खनन परियोजना से कोई दिक्कत नहीं है। खनन के दौरान ट्रकों के आने–जाने से

कच्चे मार्ग होने के कारण उड़ने वाली धूल से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, फसलों को धूल का प्रभाव पड़ने से नुकसान होता है एवं स्थानीय ग्रामवासियों को आने–जाने में दिक्कते होती हैं। अगर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तो समस्या कम हो जायेगी एवं ट्रकों को कवर करके ले जाया जाए। प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि बालू खनन के दौरान धूल न उड़े इसके लिए जल का नियमित रूप से छिड़काव किया जायेगा, अधिक मात्रा में पौधों को रोपण किया जायेगा खनन शर्तों के अनुसार ही पानी का छिड़काव किया जायेगा एवं खनन के दौरान आने जाने वाले ट्रकों को कवर करके ले जाया जायेगा। गॉव के मध्य पड़ने वाले मार्गो से ट्रकों का आवामगन नहीं किया जायेगा। ट्रकों को गॉव के बाहर से रास्ते से ले जाया जायेगा, जिससे ग्रामवासियों को धूल की समस्या का सामना न करना पड़े, खनन परियोजना के दौरान प्रयोग में आने वाले ट्रकों में ओवर लोडिंग नहीं की जायेगी।

2. श्री संतोष कुमार बिन्द–ग्राम सिन्धिया, सिराथू :– इनके द्वारा खनन परियोजना के संबंध में प्रश्न किया गया कि खनन कार्य में नाव का प्रयोग तो नहीं किया जायेगा, क्योंकि नाव का प्रयोग होने से जलीय जीव–जन्तुओं को नुकसान पहुँच सकता है। प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि भारत सरकार की खनन नीति के निर्देशानुसार खनन का कार्य नाव से खनन कार्य नहीं कराया खनन का कार्य नदी के किनारे ही किया जायेगा। नदी की प्राकृतिक जल धारा से कोई छेड़छाड़ की जायेगी।

3. श्री असावर दीन–ग्राम महेवाघाट :– इनके द्वारा खनन परियोजना के संबंध में प्रश्न किया गया कि खनन परियोजना से तो सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी होती है पर जनता कर इसमें क्या विकास होगा। इस संबंध में जिला खनन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया खनन नीति के अनुसार पट्टेधारक द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्र में कुल प्रस्तावित परियोजना का 10 प्रतिशत सामाजिक कार्यों यथा स्कूल, प्राथमिक उपचार व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय, हैण्ड पम्प का निर्माण पर खर्च किया जायेगा।

4. श्री नौषाद–ग्राम दीया द्वारा प्रश्न किया गया कि खनन प्रकिया के दौरान नदी में जो गडढे हो जाते है उससे गाय, भेड, बकरी आदि जानवरों को नुकसान होता है। प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि खनन निति के अनुसार 3मी0 तक ही खनन का नियम है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि खनन इससे अधिक गहराई पर न हो।

5. श्री नथन लाल–ग्राम जमुनापुर इनके द्वारा प्रश्न किया गया कि बालू खनन कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के चलने से गॉव की कच्ची सड़कें टूट जाती है, सड़के न टूटे इसके लिए क्या जायेगा। इस संबंध में जिला खनन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया खनन नीति के अनुसार पट्टेधारक द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्र में कुल प्रस्तावित परियोजना का 10 प्रतिशत जिला मिनरल कोष में किया जाता है उसी से सड़को के निर्माण एवं अन्य समाजिक कार्यों यथा स्कूल, प्राथमिक उपचार व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय, हैण्ड पम्प का निर्माण पर खर्च किया जायेगा।

6. श्रीमती सीता देवी–ग्राम जमुनापुर इनके द्वारा प्रश्न किया गया कि बालू खनन में प्रयोग होने वाले घरो के पास के गुजरते हैं, जिससे जानवरों के चोटिल होने की आशंका रहती है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि खनन से आसपास के वातादरण को नुकसान न हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा। घरों के नजदीक से गाड़ियों का आवागमन नहीं होगा। दिन में खनन कार्य नहीं किया जायेगा, वाहनों को रात्रि के समय ही ले जाया जायेगा। गॉव के मध्य से वाहन नहीं ले जाया जायेगा।

7812

7. श्री निसार अहमद–ग्राम जमुनापुर इनके द्वारा प्रश्न किया गया कि खनन प्रकिया के दौरान रेत/मौस्म जो डम्पिंग की जायेगी वर्तमान में मेरे पास पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध है क्या मुझे डम्पिंग की परमीशन मिल सकती है। इस संबंध में खनन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सरकारी राजस्व में इसके लिए शुल्क जमा किया जाता है जमीन से सम्बन्धित सखरा, खतौनी जमा करने पर विचार किया जा सकता है।

परियोजना के संबंध में परामर्शी संस्था के प्रस्ताव एवं उपस्थित जनों के विचार सुनने के बाद परियोजना प्रस्तावक द्वारा समस्त प्रस्तावों एवं उपस्थित जनों की समस्याओं के निराकरण हेतु अपने स्तर से प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी। अंत में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमूह का धन्यवाद व्यक्ति किया गया एवं विचार व्यक्ति किया गया कि खनन प्रकिया से सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होती है उस धनराशि का 10 प्रतिशत गॉवों के विकास पर खर्च किया जाता है। खनन परियोजना में सभी का सहयोग अपेक्षित है। पट्टेधार द्वारा गॉव के विकास में सहायोग प्रदान किया जायेगा। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनों द्वारा दिये गये सुझाव एवं आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुये एवं रेत/मौरम खनन परियोजनाओं के संचालको से खनन के दौरान पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुये जल, वायु, ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था एवं आवश्यक कियान्वयन परियोजना प्रबन्धकों द्वारा कराया जायेगा।

परियोजना हेतु लोक सुनवाई की प्रकिया एवं कार्यवाही सुचारू रूप से सम्पन्न हुयी। अंत में यह विश्वास व्यक्त किया कि परियोजना से स्थानीय ग्रामवासियों का हित होगा।

अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही का समापन किया गया।

पर्यावरण स्वीकृति पर निर्णय लेते समय पर्यावरणीय हित में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना उचित होगा।

1. बालू खनन कार्य खनन परियोजना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये।
2. परियोजना स्थल पर यह ध्यान रखा जाये कि नदी जल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
3. अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल से 1मी0 ऊपर (जो भी कम हो) किया जायेगा।
4. परियोजना स्थल के समीप पेड़ों को काटने या जड़ से उखाड़ने न दिया जाये।
5. नदी में खनन हेतु आवागमन मार्ग के निर्माण के दौरान नदी के किनारे के वृक्षों/पेड़–पौधों/झाड़ियों को काटा न जाये।
6. नदी की सतह से खनन कार्य मानकों के अनुरूप किया जाये जिससे नदी के किनारों, पुल एवं आस–पास की इमारतों पर कोई प्रभाव न पड़े।
7. नदी से खनन की हुई रेत के परिवहन हेतु कम से कम रास्ते बनाये जाये जिससे आस–पास का वातावरण प्रभावित न हो।
8. नदी से रेत को ढोने हेतु रास्ते का सुदृढीकरण/पक्का मार्ग का निर्माण अन्य पट्टाधारकों के साथ मिलकर किया जाये जिससे परिवहन के दौरान प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो।

7813

9. नदी की सतह से मानकों के अनुरूप ही रेत का खनन किया जायें। जिससे जगह–जगह पर गढ्ढे आदि न बनने पाये अन्यथा नदी में गन्दगी जमा होगी एवं वातावरण दूषित होगा।
10. खनन में कार्यरत श्रमिको हेतु शिविर नदी के किनारों पर न लगाया जाये। बालू/मौरम को उठाने और उसके संग्रहण का काम हाथो से एवं बिना किसी ब्लास्टिंग के किया जायेगा।
11. खनन कार्य में कार्यरत मजदूरों के लिए प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, उचित पेयजल, शौचायल प्रबन्ध, एवं सुरक्षा संसाधन का प्रबधन किया जाए।
12. खनन लोडिंग आदि प्रक्रियाओं से उड़ने वाली धूल हेतु पानी का छिड़काव किया जाये।
13. खनन की प्रक्रिया नदी के प्रवाह एवं भूमि की प्रवणता को ध्यान में रखते हुए किया जाये।
14. बालू ढोने में संलग्न वाहनों के आवागमन से जनित होने वाले परिवेशीय ध्वनि स्तर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने हेतु साइलेन्सर आदि का प्रयोग एवं समुचित रख–रखाव किया जायेगा।
15. खनन प्रकिया के दौरान प्रयुक्त सभी वाहन पी0यू0सी0 आधारित होंगे।
16. ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम तथा पर्यावरण संतुलन हेतु छायादार एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों का रोपण पट्टा धारक द्वारा किया जायेगा।
17. नदी के किनारे भू–क्षरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने हेतु परियोजना स्थल के समीप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. परियोजना हेतु दिये गये प्रस्तावों के अनुश्रवण हेतु उ0प्र0 प्रदूपण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र/सहमति प्राप्त की जाये।
19. बालू/मोरंग के परिवहन के रास्ते में पड़ने वाले स्कूल में पट्टा धारकों द्वारा वृक्षारोपण एवं पेय जल की व्यवस्था की जाये।
20. खनन कार्यों में माइनिंग लीज की शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
21. नदी के तल से 3 मीटर नीचे तक ही रेत का खनन किया जायेगा।
22. ठेकेदारों को खनन के समय खान अधिनियम, 1952 और खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का पालन करना होगा।
23. ठेकेदारों को खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों तथा अन्तरराज्यीय प्रवासी कार्यबल अधिनियम का पालन करना होगा। ठेकेदार सक्षम अधिकारी की संतुष्टि के साथ केन्द्रीय और राज्य सरकारों के श्रमिक कानूनों के अनुसार निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार, श्रमिकों हेतु विश्रामालय तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कूड़ेदान की व्यवस्था एवं प्रथमिक सुविधाऐं इत्यादि उपलब्ध करायेंगे।

28/09/18

(श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जनपद–इलाहाबाद

28/9/18

(श्री इन्द्र सेन सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
जनपद–कौशाम्बी

7814

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी में कलस्टर में सैण्ड/मौरम खनन हेतु निम्न परियोजनाओं हेतु तहसील मुख्यालय में दिनॉक 24.09.2018 को लोक सुनवाई के दौरान प्रतिभागियों की उपस्थिति:

दिनांक 24.09.2018 समयः 11:00 पूर्वान्ह

1	2	3
1.	मे0 जय बजरंग ट्रेडर्स खण्ड नं0 11/5, खण्ड नं0 11/6 ग्राम–दिया उपरहार तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष)
2.	मे0 भारत अर्थ मूवर्स गाटा सं0 15/45, एवं 15/46 ग्राम–महेवा तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष)
3.	मे0 राजेश इण्टरप्राईजेज खण्ड सं0 15/43, एवं 15/44 ग्राम–महेवा तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष)
4.	मे0 कुवर इन्फाडेवलपर्स प्रा0लि0 खण्ड सं0 16/20, एवं 16/22 ग्राम–जमुनापुर, तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 36.28 हेक्टयर (7,28,000 घन मी0/वर्ष)
5.	मे0 शेष नारायण करवरिया, गाटा सं0 105 (16/16), व 16/17 ग्राम–जमुनापुर,तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (4,80,000 घन मी0/वर्ष)

क0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	मुख्य विकास अधिकारी कौशाम्बी		
2.	उप जिलाधिकारी मंझनपुर		
3.	पर्यावरण प्रभाग विज्ञान एवं तकनीकी अधिकारी	उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इलाहाबाद	24/9/18
4.	अनिलकुमार	ग्राम महेवा घाट	अनिलकुमार
5.	रज्जूलाल गुलाब	" महेवाघाट	रज्जूलाल
6.		महेवा	गुलाब
7.	[redacted] प्रताप	महेवा	[redacted]
8.	दिनेश पटेल	महेवा	दिनेश
9.	विजय	महेवा	विजय
10.	[redacted]	महेवा	[redacted]
11.	कल्लूराम	महेवा घाट	कल्लूराम

7815

12.	मुन्ना	मेडवाघाट	मुन्ना
13.	लवकुश	मेडवाघाट	लवकुश
14.	योगेन्द्र	मेहवा द्वार	योगेन्द्र
15.	सतेन्द्रकुमार	डेहलवी	सतेन्द्रकुमार
16.	ओंकारसिंह	ओंकारसिंह डेहवलव	ओंकारसिंह
17.	दिनेश	डेहलवी	दिनेश
18.	सोहन	डेहवलव	सोहन
19.	उमेश राजवन	डेहवलव मेहवा	उमेश
20.	विक्रम	मेहेच	
21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22.	लालू	डेहवी	लालू
23.	[illegible]	पटेरी	[illegible]
24.	[illegible]	डेहवी	[illegible]
25.	सुखीचन्द	डेहवला	[illegible]
26.	नथ्थन लाल	जमुनापुर	नथ्थन लाल
27.	कैलाश	सन्धवीपुर	कैलाश
28.	अरविन्द कुमार	जमुनापुर	
29.	शिवमेन्द्र कुमार	जमुनापुर	
30.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31.	Amaib Sgh	मेहवा	

7816

32.	રાહુલ ભટ	મહેવા	રાહુલ ભટ
33.	નૌસાદ	દ્વિય	નૌસાદ
34.	બોલબરા	મહેવા	બોલબરા
35.	લક્ષ્મણ	મહેવા	લક્ષ્મણ
36.	ભુવાલ્ય	રોનરહા પરિવાર	ભુવાલ્ય
37.	ધનશ્યામ	મહેવા	ધનશ્યામ
38.	બારલે	મહેવા	બારલે
39.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40.	RERVE 2	Allad.	[illegible]
41.	રામબરન	મહેવા	રામબરન
42.	ભટ્ટ	મહેવા	ભટ્ટ
43.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49.	[illegible]		
50.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

7817

52.	Chandrashekhar maurya	Mohiuddinpur Bela Kaushambi.	Chmaurya
53.	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~	[illegible]
54.	विवेक कुमार तिवारी	महेवाघाट	विवेककुमारतिवारी
55.	भानुप्रताप शुक्ला	महेवाघाट	भानुप्रताप शुक्ला
56.	आलोका सिंह	गोवरना	[illegible]
57.	महेन्द्र कुमार	कोशाम्बी	महेन्द्रकुमार
58.	राधेश्याम	कोशाम्बी	राधेश्याम
59.	राकेशकुमार	अर्दली	राकेशकुमार
60.	सुमित सिंह	चायल	सुमित सिंह
61.	सर्वेश कुमार तिवारी	सिविल लाइन बरारी सिराथू कौशाम्बी	सर्वेशकुमार तिवारी
62.	सन्तोष कुमार	हुकुनगंज मूरतगंज चायलकौ०	[illegible]
63.	[illegible]	मवई-मवई कौशाम्बी	[illegible]
64.	रामराज	महेवाघाट	रामराज
65.	रामनरेश	महेवाघाट	रामनरेश
66.	अगम द्विवेदी	गेस्ट हाउस सिराथू कौशाम्बी	अगम
67.	Nisar Ahmed	Mecaniks	Nisar Ahmed
68.	हनुमानप्रसाद	महेवाघाट	हनु
69.	रामनयन	महेवाघाट	रामनयन
70.	रामलेखा	महेवाघाट	रामलेखा
71.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

72.	नाम अमलाश	नौबतपुर मैरमपी	अमलाश
73.	रमेश चन्द्र त्रिपाठी	महेवाघाट	
74.	रामआशीर्वाद सिंह	उमरावाँ	रामआशीर्वाद
75.	नर्वदा मौर्य	[illegible]	NMaur
76.	राजकुमार मौर्य		
77.	दीपक कुमार यादव	[illegible]	
78.	Rajesh Kattak	Allahabad	
79.	ANOOP Kumar	महमूदपुर मनौरी	
80.	Manoj Kumar	महमूदपुर मनौरी	
81.	Pankaj Kumar	महमूदपुर मनौरी	पंकज कुमार
82.	Pankaj Kumar	महमूदपुर मनौरी	पंकज कुमार
83.	K Sant Singh	Shahpur Manjhanpur.	
84.	Devendra Pratap Singh	Mahaw Kaushambi	
85.	शिवप्रसाद	नौबस्ता कौशम्बी	शिवप्रसाद
86.	राजेन्द्र प्रसाद	नौबस्ता कौशम्बी	राजेन्द्र प्रसाद
87.	रामधारी सिंह	नौबस्ता	
88.	राजेन्द्र सिंह	नौबस्ता कौशाम्बी	राजेन्द्र सिंह
89.	मईयालाल	महेवाघाट कौशाम्बी	मईयालाल
90.	देवेन्द्र सिंह	नौबस्ता	देवेन्द्र सिंह
91.	लालमुनि सिंह	नौबस्ता	लालमुनि सिंह

7819

92.	B. M. S. Negi	Indira Nagar, LUCKNOW ENVIRAS (India) Pvt. Ltd. Lucknow	
93.	Rishabh Verma	" "	Rishabh
94.			
95.			
96.			
97.			
98.			
99.			
100.			
101.			
102.			
103.			
104.			
105.			
106.			
107.			
108.			
109.			
110.			
111.			

7820

...प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन ग्रामवा...

...तहसील मुख्यालय, बाबत पर तालिका के कॉलम 4 में ...कार्यवाही निर्धारित की गयी है। अतः उपरोक्त कार्यालयों में ...रूप से अथवा लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अपनी ...

...2018 दिनांक- 18.08.2018

क्षेत्रीय अधिकारी

...ल, इलाहाबाद

...18-19 दिनांक : 14.08.2018

...निर्धारित ई-नीलामी कार्यक्रम

...-2018 के लिए झांसी, आगरा, इलाहाबाद, ...ख्य स्क्रैप का विक्रय उप मुख्य सामग्री ...ामी के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा। ...एस.आदि) से सम्बन्धित स्क्रैप मदों (पी.वे. व ...मुख्य सामग्री प्रबन्धक/जीडब्लडी/कानपुर द्वारा ...क्रैप मदों का विक्रय व.म.सा.प्रबं./इलाहाबाद ...येगा।

...ट आइरन स्क्रैप, कन्डम रोलिंग स्टाक, नॉन ...ग और बोरिंग, कन्डम आयल/पैट्रल ड्रम्स, ...केल्स, कन्डम आफिस इक्विपमेंटस, फाउन्ड्री ...आई टैक्स, ट्रेन लाइटिंग पंखों का रिसीव्ड ...ाइप व्हील, फाउन्ड्री स्क्रैप वर्कशाप हण्ड एस.

...रित ई-नीलामी कार्यक्रम का विवरण

...ीसी द्वारा प्रस्तावित ई-नीलामी कार्यक्रम	
...ी के प्रकार	नीलामी के आयोजक
...नीलामी	उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक/ एस.डी./उ.म.रे./झांसी (www.ireps.gov.in वेबसाइट द्वारा)

...नपुर द्वारा प्रस्तावित ई-नीलामी कार्यक्रम	
...लामी	उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक/ जी. एस.डी./उ.म.रे./कानपुर (www.ireps.gov.in वेबसाइट द्वारा)

...ा प्रस्तावित ई-नीलामी कार्यक्रम	
...लामी	वरिष्ठ मण्डल सामग्री प्रबन्धक/ इलाहाबाद (www.ireps.gov.in वेबसाइट द्वारा)

...यों की नीलामियाँ ई-नीलामी के माध्यम से ...न्न की जायेंगी। यदि उसी दिन निर्धारित ...लामी अगले दिन भी जारी रहेगी। 2. ई- ...र, उन्हें डिपो द्वारा अगले ई-नीलामी में ...ावर स्क्रैप किये गये सामग्रियों के लाटों का ...मित स्थान पर कर सकते हैं। 4. यदि बिडी ...अधिक है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को बिडी ...। 5. नीलामी से सम्बन्धित और अधिक ...गई मदों की अन्तिम बिडी दर तथा अन्य ...w.ncr.indianrailways.gov.in पर ...थक जानकारी www.ireps.gov.in

...मुख्य मुख्य सामग्री प्रबन्धक

...ानिकी ई-नीलामी 949/18(A)

...ली की मुलवाड़ हेतु कृपया कम्पनी के पंजीकृत तथा ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें. ...कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., यूनिट: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम वेंचर्स लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500032, ...998, ई-मेल: einward.ris@karvy.com, वेबसाइट: www.karvy.com.

कृते हिन्दुस्तान पेट्रोलियम वेंचर्स लिमिटेड

तिथि: 18 अगस्त, 2018
स्थान: नई दिल्ली

कम्पनी सचिव

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फोन-0532- 2569727

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या 3, झूंसी, इलाहाबाद-221506

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-कौशाम्बी में सैण्ड/मौरम खनन परियोजनाओं हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अथॉरिटी उ0प्र0 के यहां आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	परियोजना	परियोजना स्थल	लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित तिथि
1	2	3	4
1	मे0 जय बजरंग ट्रेडर्स खण्ड नं0 11/5, खण्ड नं0 11/6 ग्राम-दिया उमराहार तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी। उ0प्र0	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष) खण्ड नं0 11/5, खण्ड नं0 11/6 ग्राम-दिया उमराहार तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0	दिनांक 24.09.18 पूर्वान्ह11:00 बजे।
2	मे0 भारत अर्थ मूवर्स गाटा सं0 15/45, एवं 15/46 ग्राम-महेवा तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष) गाटा सं0 15/45 एवं 15/46ग्राम-महेवा, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0	दिनांक 24.09.18 पूर्वान्ह11:00 बजे।
3	मे0 राजेश इण्टरप्राईजेज खण्ड सं0 15/43 एवं 15/44 ग्राम-महेवा तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष) खण्ड नं0 15/43 एवं 15/44 ग्राम-महेवा, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0	दिनांक 24.09.18 पूर्वान्ह11:00 बजे।
4	मे0 कुंवर इन्फ्राडेकान्सं प्राइलि0 खण्ड सं0 16/20 एवं 16/22 ग्राम-जमुनापुर, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 36.28 हेक्टेयर (7,28,000 घन मी0/वर्ष) 16/20, एवं 16/22, ग्राम-जमुनापुर, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	दिनांक 24.09.18 पूर्वान्ह11:00 बजे।
5	मे0 शेष नारायण बरनवाल, गाटा सं0 105 (16/16) व 16/17 ग्राम-जमुनापुर, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर (4,80,000 घन मी0/वर्ष) 105 (16/16) एवं 16/17 ग्राम-जमुनापुर, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	दिनांक 24.09.18 पूर्वान्ह11:00 बजे।

प्रस्ताव पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- एस0ओ0-1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित एस0ओ0-3067 (ई) दिनांक 01.12.2019 तथा संशोधित एस0ओ0-2269 (अ) दिनांक 01.07.2016 के अन्तर्गत लोक सुनवाई की जानी है। लोक सुनवाई की सूचना के लिए 30 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है जिससे जनसाधारण से आपत्तियों/सुझाव इत्यादि आमंत्रित किये जा सके। उक्त परियोजना के प्रस्ताव से संबंधित अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. कार्यालय जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. सहायक निदेशक, जिला उद्योग केन्द्र, कौशाम्बी।
3. कार्यालय जिला पंचायत, कौशाम्बी।
4. जिला खनन विभाग, कौशाम्बी।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झूंसी, इलाहाबाद।
7. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन गोमती नगर, लखनऊ।

उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये तहसील मुख्यालय मंझनपुर पर तालिका के कालम 4 में अंकित तिथि एवं समय पर लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गयी है। अतः उपरोक्त कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर लिखित रूप से अथवा लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अपनी आपत्तियों/सुझाव/विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।

संदर्भ सं0 G00852/ लोक सुनवाई/कौशाम्बी 2018 दिनांक- 18.08.2018

क्षेत्रीय अधिकारी

दूरभाषः / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, इलाहाबाद – 221506
Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Allahabad
ई–मेलः roallahabad@uppcb.com

9068/2
01.10.18

संदर्भ सं0 G01018/लोकसुनवाई - तह0- मंझनपुर एवं चायल/18-19 दिनांक 29.09.18

डाक प्राप्ति रसीद
प्राप्ति दिनांक 02.10.18
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उ0प्र0 [illegible]

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी0सी0 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः जनपद कौशाम्बी के तहसील मंझनपुर एवं चायल में मोरंग खनन कार्य हेतु दिनांक 24.09.2018 को क्लस्टर में आहुत लोकसुनवाई के कार्यवृत्त संप्रेषण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 24.09.2018 को मंझनपुर एवं चायल तहसील पर आहुत लोकसुनवाई के अलग–अलग कार्यवृत्त, उपस्थिति सीट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित आम सूचना से संबंधित पेपर कटिंग एवं साफ्ट कॉपी(सीडी) पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(एस0के0मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
29.9.18

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना (पताका–च) संख्या–एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 यथा संशोधित एस0ओ0–2269 (अ) दिनॉक 01.07.2016 के अन्तर्गत लघु खनिज के पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु मे0 के0के0 एशोसिएट खण्ड सं0 10/27 एवं 10/28 ग्राम–कटईया तहसील–चायल, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0, क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष) हेतु तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी में सम्पन्न हुयी लोक सुनवाई का कार्यवृत्त:–

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना (पताका–च) संख्या–एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 यथा संशोधित एस0ओ0–2269 (अ) दिनॉक 01.07.2016 के प्राविधानों के तहत प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार से पूर्व लोक सुनवाई कराया जाना प्राविधानित है। लोक सुनवाई की प्रकिया ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 के अनुरूप (संशोधित दिसम्बर 2009 एवं अप्रैल 2011) के अनुसार करायी जानी होती है। उक्त परियोजना हेतु लोक सुनवाई के संबंध में जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी को प्रेषित सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–एच 24710/सी–2/एनओसी–4260/2018 दिनॉक 10.08.18 के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, महोदय, कौशाम्बी द्वारा स्थान, तिथि एवं समय का निर्धारण किया गया तथा प्रतिनिधि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी को नामित किया गया।

उक्त लोक सुनवाई की सूचना स्थानीय प्रचलित दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण) में दिनांक 19.08.2018 को प्रकाशित करवायी गयी। दिनांक 24.09.2018 को तहसील चायल, कौशाम्बी में पूर्व निर्धारित समयानुसार लोक सुनवाई की प्रकिया मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संचालित की गई, जिसमें श्री अनिल चतुर्वेदी, उपजिलाधिकारी, चायल, कौशाम्बी, श्री राज रंजन कुमार, जिला खान अधिकारी एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद के श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, परियोजनाओं हेतु परामर्शी संस्था मेसर्स ई0एन0बी0 दास इण्डिया प्रा0लि0, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बी0एम0एस0 नेगी तथा जनसामान्य द्वरा प्रतिभाग किया गया। उपस्थिति का विवरण संलग्न है।

समाचार पत्रों में लोक सुनवाई के लिये आम सूचना प्रकाशित होने के उपरान्त निर्धारित तिथि एवं समय तक लोक सूचना में उल्लेखित किसी भी इंगित कार्यालय पर कोई आपत्ति, सुझाव, टीका–टिप्पणी आदि प्राप्त नहीं हुई। नियत तिथि को सुनवाई के दौरान आस–पास के ग्रामों के निवासीगण उपस्थित रहे। (उपस्थिति पंजिका संलग्न है)

लोक सुनवाई के प्रारम्भ में श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा अध्यक्ष महोदय, अन्य उपस्थित अधिकारियों एवं जन सामान्य का स्वागत करते हुए परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की प्रकिया प्रारम्भ की गयी। अग्रेतर पट्टेधारक के परामर्शदाता द्वारा विस्तार से परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समूह को जानकारी दी गयी।

प्रस्तावित परियोजना मेसर्स के0के0 एशोसिएट खण्ड सं0 10/27 एवं 10/28 ग्राम–कटईया तहसील–चायल, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0, क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष) ,बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षांश 25°16'11.21" एन, से 25°16'35.42" एन, 25°16'37.38" एन, से 25°16'12.12" एन, एवं देशान्तर 81°29'55.95" ई, से 81°29'53.46" ई, 81°30'4.38" ई, से 81°30'7.65" ई, के मध्य स्थित है। उक्त खनन परियोजना हेतु कुल स्वीकृत बालू/मौरम खनन मात्रा 3,60,000 घन मी0 प्रतिवर्ष का प्रस्ताव दिया गया है। खनन कार्य में

मशीनों का प्रयोग न कर खनन कार्य मैन्युअल पद्वति से किया जायेगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के गजट, दिनांक 14.09.2006, संशोधित दिसम्बर 2009 और अप्रैल 2011 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना को श्रेणी 'बी1' परियोजना में रखा गया है। खनन कार्य में सेमी मैकनाईज्ड मशीनों का प्रयोग किया जायेगा। खनन में कार्यरत कार्मिकों की संख्या, जनित जल/वायु, ध्वनि, फ्लोरा–फौना की गुणता पर पड़ने वाले अधिप्रभाव व नियंत्रण की जानकारी दी गयी। अधिप्रभावों के साथ–साथ ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार इत्यादि का उल्लेख किया गया। पट्टधारक द्वारा पर्यावरणीय प्रबन्धन एवं क्षेत्रीय जनता को जल/स्वास्थ्य/शिक्षा इत्यादि की सुविधा प्रदान करने हेतु वार्षिक बजट निर्धारित किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ग्रामवासियों से खनन से होने वाले लाभ एवं हानि पर उनके समस्याओं एवं सुझावों के संदर्भ में जानकारी चाही गयी। सुनवाई के दौरान उपस्थित जनों ने उक्त परियोजना से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां एवं सुझाव लिखित एवं मौखिक रूप से व्यक्त किये:

1. <u>श्री नर नाराण मिश्रा–निवासी चायल, कौशाम्बी</u> :– द्वारा यह प्रश्न किया गया कि खनन के दौरान ओन जाने वाले ट्रकों पर ओवर लोडिंग होने से से कच्चे मार्ग टूट जाती है, काफी मात्रा में धूल उड़ती है, जिससे स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानी होती है। आसपास के पशुओं को नुकसान पहुँचता है। खनन प्रकिया से सरकार को जो राजस्व मिलता है उस धनराशि का अधिक से अधिक उपयोग सड़कों की मरम्मत पर खर्च होना चाहिए। जानवरी को नुकसान न पहुँचे इसके लिए पट्टेधारक को एक कार्मिक की व्यवस्था करनी चाहिए। इस संबंध में खनन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना के के पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि धूल न उड़े इसके लिए जल का नियमित रूप से छिड़काव किया जाये, खनन के दौरान आने जाने वाले ट्रकों को कवर करके ले जाया जायेगा। गॉव के मध्य पड़ने वाले मार्गों से ट्रकों का आवागमन नहीं किया जायेगा। ट्रकों को गॉव के बाहर से रास्ते से ले जाया जायेगा, जिससे ग्रामवासियों को धूल की समस्या का सामना न करना पड़े, खनन परियोजना के दौरान प्रयोग में आने वाले ट्रकों में ओवर लोडिंग नहीं की जायेगी, स्थानीय ग्रामीणों के लिए कुल राशि का 10 प्रतिशत बिजली, हैण्डपम्प स्कूल, स्वास्थ्य, शौचायल निर्माण आदि पर खर्च किया जायेगा। जिला मिनरल फण्ड में जो भी राशि आएगी उसका उपयोग सड़कों की मरम्मत करवाने का प्रयास किया जायेगा।

2. <u>श्री लल्लन निषाद–ग्राम भकन्दा</u> :– द्वारा यह प्रश्न किया गया कि खनन के दौरान आन जाने वाले ट्रकों पर ओवर लोडिंग होने से से कच्चे मार्ग टूट जाती है, काफी मात्रा में धूल उड़ती है, जिससे स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानी होती है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि धूल न उड़े इसके लिए जल का नियमित रूप से छिड़काव किया जाये, खनन के दौरान आने जाने वाले ट्रकों को कवर करके ले जाया जायेगा। गॉव के मध्य पड़ने वाले मार्गों से ट्रकों का आवागमन नहीं किया जायेगा। ट्रकों को गॉव के बाहर से रास्ते से ले जाया जायेगा, जिससे ग्रामवासियों को धूल की समस्या का सामना न करना पड़े, खनन परियोजना के दौरान प्रयोग में आने वाले ट्रकों में ओवर लोडिंग नहीं की जायेगी।
3. <u>श्री अब्दुल अली–ग्राम भकन्धा</u> :– इनके द्वारा खनन परियोजना के संबंध में प्रश्न किया गया कि खनन परियोजना से स्थानीय जनता को रोजगार उपलब्ध होगा या नहीं। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों को प्राथकिता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

4. **श्री दिनेश निषाद–ग्राम भकच्चा** द्वारा यह प्रश्न किया गया कि खनन के दौरान आने जाने वाले ट्रकों के चलने से काफी मात्रा में धूल उड़ती है, जिससे स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानी होती है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि धूल न उड़े इसके लिए जल का नियमित रूप से छिड़काव किया जाये, खनन के दौरान आने जाने वाले ट्रकों को कवर करके ले जाया जायेगा। प्रेशर हार्न का प्रयोग नहीं किया जायेगा। श्री दिनेश द्वारा खनन परियोजना शुरू होने में प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

परियोजना के संबंध में परामर्शी संस्था के प्रस्ताव एवं उपस्थित जनों के विचार सुनने के बाद परियोजना प्रस्ताविक द्वारा समस्त प्रस्तावों एवं उपस्थित जनों की समस्याओं के निराकरण हेतु अपने स्तर से प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी। अंत में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित *जनसमूह का धन्यवाद व्यक्त किया गया एवं विचार व्यक्ति किया गया कि खनन प्रक्रिया* से सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होती है उस धनराशि का 10 प्रतिशत गॉवों के विकास पर खर्च किया जाता है। खनन परियोजना में सभी का सहयोग अपेक्षित है। पट्टेधार द्वारा गॉव के विकास में सहायोग प्रदान किया जायेगा। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गयी शर्तों का *अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।*

लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनों द्वारा दिये गये सुझाव, लिखित एवं मौखिक आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुये एवं रेत/मौरम खनन परियोजना के संचालक से खनन के दौरान पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुये जल, वायु, ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था एवं आवश्यक कियान्वयन परियोजना प्रबन्धक द्वारा कराया जायेगा।

परियोजना हेतु लोक सुनवाई की प्रकिया एवं कार्यवाही सुचारू रूप से सम्पन्न हुयी। अंत में यह विश्वास व्यक्त किया कि परियोजना से स्थानीय ग्रामवासियों का हित होगा।

अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही का समापन किया गया।

पर्यावरण स्वीकृति पर निर्णय लेते समय पर्यावरणीय हित में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना उचित होगा।

1. बालू खनन कार्य खनन परियोजना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये।
2. परियोजना स्थल पर यह ध्यान रखा जाये कि नदी जल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
3. अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल से 1मी0 ऊपर (जो भी कम हो) किया जायेगा।
4. परियोजना स्थल के समीप पेड़ों को काटने या जड़ से उखाड़ने न दिया जाये।
5. नदी में खनन हेतु आवागमन मार्ग के निर्माण के दौरान नदी के किनारे के वृक्षों/पेड़–पौधों/झाड़ियों को काटा न जाये।
6. नदी की सतह से खनन कार्य मानकों के अनुरूप किया जाये जिससे नदी के किनारों, पुल एवं आस–पास की इमारतों पर कोई प्रभाव न पड़े।
7. नदी से खनन की हुई रेत के परिवहन हेतु कम से कम रास्ते बनाये जाये जिससे आस–पास का वातावरण प्रभावित न हो।
8. नदी से रेत को ढोने हेतु रास्ते का सुदृढीकरण/पक्का मार्ग का निर्माण अन्य पट्टाधारकों के साथ मिलकर किया जाये जिससे परिवहन के दौरान प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो।

7825

9. नदी की सतह से मानकों के अनुरूप ही रेत का खनन किया जायें। जिससे जगह–जगह पर गढ्ढे आदि न बनने पाये अन्यथा नदी में गन्दगी जमा होगी एवं वातावरण दूषित होगा।
10. खनन में कार्यरत श्रमिको हेतु शिविर नदी के किनारों पर न लगाया जाये। बालू/मौरम को उठाने और उसके संग्रहण का काम हाथो से एवं बिना किसी ब्लास्टिंग के किया जायेगा।
11. खनन कार्य में कार्यरत मजदूरों के लिए प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, उचित पेयजल, शौचायल प्रबन्ध, एवं सुरक्षा संसाधन का प्रवधन किया जाए।
12. खनन लोडिंग आदि प्रक्रियाओं से उड़ने वाली धूल हेतु पानी का छिड़काव किया जाये।
13. खनन की प्रक्रिया नदी के प्रवाह एवं भूमि की प्रवणता को ध्यान में रखते हुए किया जाये।
14. बालू ढोने में संलग्न वाहनों के आवागमन से जनित होने वाले परिवेशीय ध्वनि स्तर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने हेतु साइलेन्सर आदि का प्रयोग एवं समुचित रख–रखाव किया जायेगा।
15. खनन प्रकिया के दौरान प्रयुक्त सभी वाहन पी0यू0सी0 आधारित होंगे।
16. ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम तथा पर्यावरण संतुलन हेतु छायादार एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों का रोपण पट्टा धारक द्वारा किया जायेगा।
17. नदी के किनारे भू–क्षरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने हेतु परियोजना स्थल के समीप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. परियोजना हेतु दिये गये प्रस्तावों के अनुश्रवण हेतु उ0प्र0 प्रदूपण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र/सहमति प्राप्त की जाये।
19. बालू/मोरंग के परिवहन के रास्ते में पड़ने वाले स्कूल में पट्टा धारकों द्वारा वृक्षारोपण एवं पेय जल की व्यवस्था की जाये।
20. खनन कार्यों में माइनिंग लीज की शर्तो का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
21. नदी के तल से 3 मीटर नीचे तक ही रेत का खनन किया जायेगा।
22. ठेकेदारों को खनन के समय खान अधिनियम, 1952 और खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का पालन करना होगा।
23. ठेकेदारों को खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों तथा अन्तरराज्यीय प्रवासी कार्यबल अधिनियम का पालन करना होगा। ठेकेदार सक्षम अधिकारी की संतुष्टि के साथ केन्द्रीय और राज्य सरकारों के श्रमिक कानूनों के अनुसार निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार, श्रमिकों हेतु विश्रामालय तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कूड़ेदान की व्यवस्था एवं प्रथमिक सुविधाएँ इत्यादि उपलब्ध करायेंगे।

28/09/18

(श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जनपद–इलाहाबाद

28/9/18

(श्री इन्द्र सेन सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
जनपद–कौशाम्बी

7826

...रण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के ...तर्गत जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 के अन्तर्गत सैण्ड/मौरम खनन परियोजना हेतु क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मे0 के0के0 एशोसिएट खण्ड सं0 10/27, एवं 10/28 ग्राम–कटईया तहसील–चायल, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0 के तहसील मुख्यालय में दिनॉक 24.09.2018 को लोक सुनवाई के दौरान प्रतिभागियों की उपस्थिति:

दिनांक 24.09.2018 समय: 03:00 अपरान्ह

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	मुख्य विशेष अधिकारी	कौशाम्बी	
2.	उपजिला मजिस्ट्रेट चायल	कौशाम्बी.	
3.	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव	उप0 क्षेत्रीय अधिकारी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इलाहाबाद	26/09/18
4.	शेष नारायण.	ग्राम प्रधान	
5.	जोलम	ग्राम प्रधान मोहारी	जोलम
6.	अब्दुलवली	मकन्दा	
7.	गोविन्दप्रसाद संगमलाल	मकन्दा	गोविन्दप्रसाद
8.			
9.	मो0 उस्मान	मकन्दा	
10.	सलीम अख्तर	मकन्दा	सलीम अख्तर
11.	मुन्नालालनिषाद	मकन्दा	मुन्नालाल
12.	बजरंगी लाल निषाद	मकन्दा	बजरंगी लाल निषाद
13.	संतोष कुमार	मोहीउद्दीनपुर	संतोष कुमार
14.	राजू निषाद	मकन्दा	राजू निषाद
15.	सरोज निषाद	मकन्दा	सरोज निषाद
16.	मतलूलहसन	मकन्दा	मतलूल हसन

	जितेन्द्र	भकन्दा	जितेन्द्र
18.	वीरेन्द्र कुमार	मोहिउद्दीनपुर	वीरेन्द्र कुमार
19.	अहमद रजा	भाकंदा	
20.	नफीसुल	भकंदा	
21.	Bahari Jal Nishad	Bhakanda Kaushambi	
22.	मो. अनीस	भकंदा	
23.	नुबेर अहमद	भकन्दा	नुबेर
24.	Rafik	भकन्दा	
25.	Anobeen	Bhakunda	
26.	ES Hiyat	Bhakanda	
27.	अब्दुल रहमान	भकन्दा	अब्दुल रह
28.	मो० अकरम	भकन्दा	मो० अक
29.	PBSah	भकन्दा	PBSah
30.	ARISH NISHAD	भकन्दा	Arish
31.	लालचन्द निषाद	भकन्दा	मो० खलील
32.	सुरत लाल निषाद	भकन्दा	मो० खलील
33.	मो० खलील	भकन्दा	मो० खलील
34.	रासेद	भकन्दा	
35.	मानिक चन्द	भकन्दा	
36.	पी० एन० रैस	भुवर	भुवर

पुरुष / महिला

	मगौती	मकन्दा	मगौती
	लवकुश	मकन्दा	लवकुश
39.	गिरीश	मकन्दा	गिरीश
40.	संजय	मकन्दा	संजय
41.	राजकुमार गिल	मकन्दा	राजकुमार गिल
42.	फूलचन्द	मकन्दा	फूलचन्द
43.	बच्ची लाल	मकन्दा	बच्ची लाल
44.	दिनेश	मकन्दा	दिनेश
45.	मोहन	मकन्दा	मोहन
46.	बिहारीलाल	मकन्दा	बिहारी लाल
47.	बुधई लाल	मकन्दा	सुग्गनलाल
48.	गंगा	मकन्दा	सुग्गन
49.	साधु	मकन्दा	साधु
50.	सुग्गनलाल निषाद	मकन्दा	सुग्गन
51.	लवकुश	मकन्दा	लवकुश
52.	दीपू	मकन्दा	शारदा
53.	बृज मोहन सिंह नेगी	ई० एस० वी डाक० (डाण्डिया) प्रा० लि० लखनऊ	बृजमोहन
54.	राजेश वर्मा	" "	Rishabh
55.	Mahendra Singh	O/C UPPCB Allahabad	
56.	Sunil Kumar	P.A. Uptron	

7829

58.	राज रंजन कुमार जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	खाद्य निरीक्षक, कौशाम्बी डिप्टी कलेक्टर कौशाम्बी	
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			
64.			
65.			
66.			
67.			
68.			
69.			
70.			
71.			
72.			
73.			
74.			
75.			
76.			

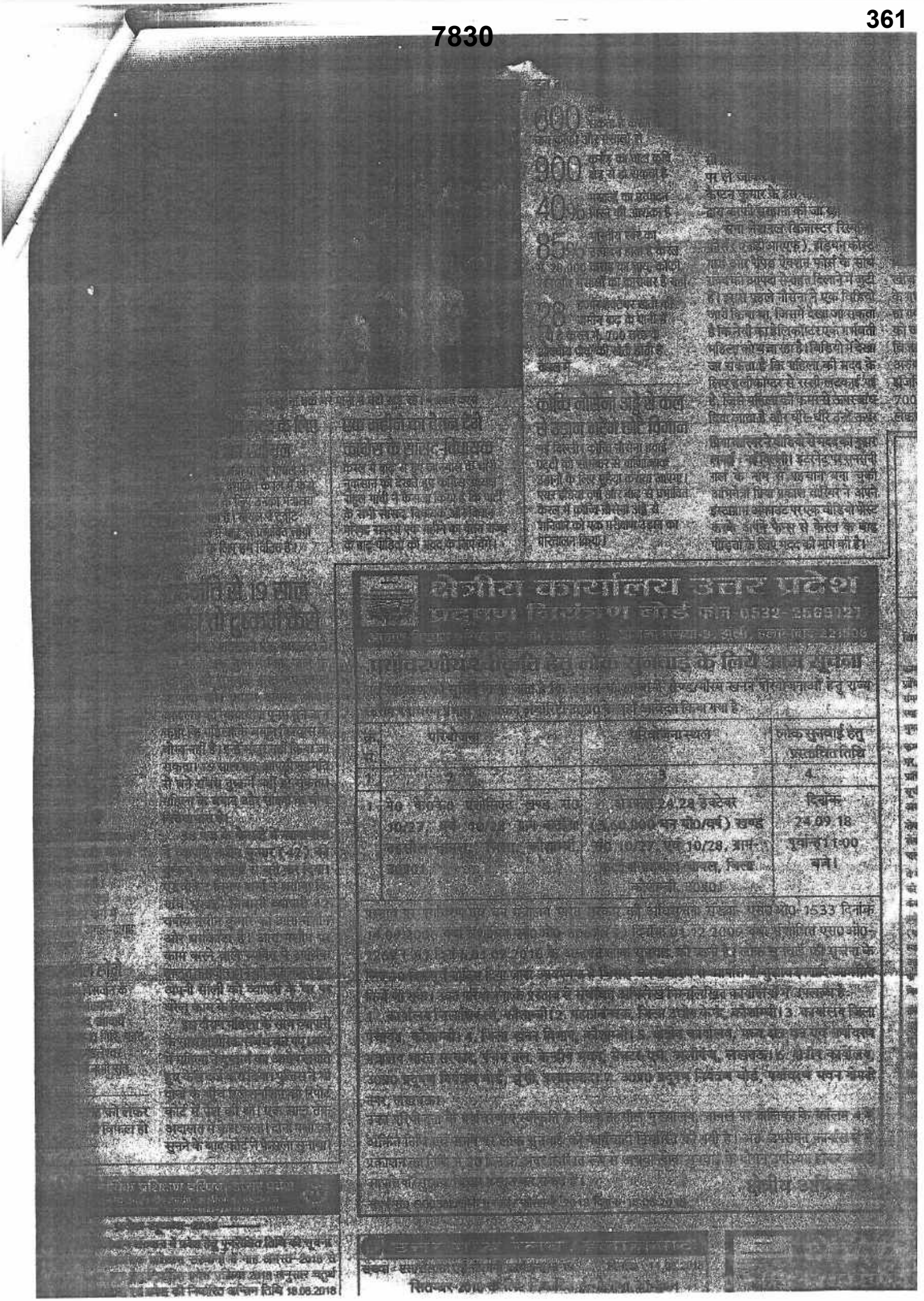

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश

क्र. सं.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	लेखक सुनवाई हेतु प्रस्तावित तिथि
1	2		3	4
1	[illegible]	[illegible]	24.24 हेक्टेयर (3,00,000 रुपए प्रति/वर्ष) खण्ड [illegible]	दिनांक 24.09.18 पूर्वाह्न 11:00 बजे।

हिन्दुस्तान
Go-15/09/18

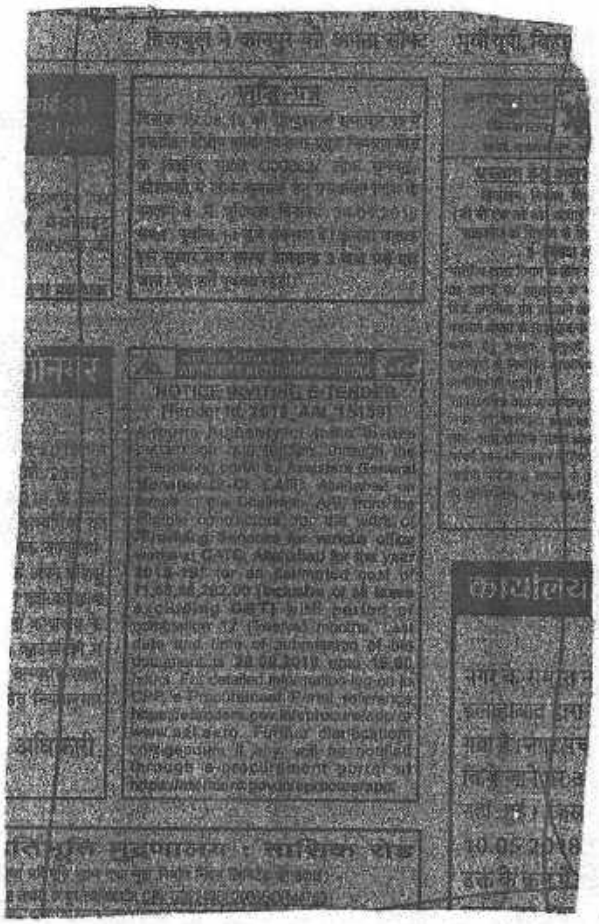

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना (पताका–च) संख्या–एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 यथा संशोधित एस0ओ0–2269 (अ) दिनॉक 01.07.2016 के अन्तर्गत लघु खनिजों के पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु कलस्टर में पट्टों के लोक सुनवाई के प्राविधानों के अनुपालन में तहसील मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी में सम्पन्न हुयी निम्न् लोक सुनवाई का कार्यवृत्तः–

1	2	3
1.	मे0 जय बजरंग ट्रेडर्स खण्ड नं0 11/5, खण्ड नं0 11/6 ग्राम–दिया उपरहार तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष)
2.	मे0 भारत अर्थ मूवर्स गाटा सं0 15/45, एवं 15/46 ग्राम–महेवा तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष)
3.	मे0 राजेश इण्टरप्राईजेज खण्ड सं0 15/43, एवं 15/44 ग्राम–महेवा तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000घन मी0/वर्ष)
4.	मे0 कुवर इन्फ्राडेवलपर्स प्रा0लि0 खण्ड सं0 16/20, एवं 16/22 ग्राम–जमुनापुर, तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 36.28 हेक्टयर (7,28,000 घन मी0/वर्ष)
5.	मे0 शेष नारायण करवरिया, गाटा सं0 105 (16/16), व 16/17 ग्राम–जमुनापुर, तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (4,80,000 घन मी0/वर्ष)

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना (पताका–च) संख्या–एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 यथा संशोधित एस0ओ0–2269 (अ) दिनॉक 01.07.2016 के प्राविधानों के तहत प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार से पूर्व लोक सुनवाई कराया जाना प्राविधानित है। लोक सुनवाई की प्रकिया ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 के अनुरूप (संशोधित दिसम्बर 2009 एवं अप्रैल 2011) के अनुसार करायी जानी होती है। उक्त परियोजना हेतु लोक सुनवाई के संबंध में जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी को प्रेषित सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–एच 24690/सी–2/एनओसी–4263/कौशा0/18 दिनॉक 10.08.18, एच 24695/सी–2/एनओसी–4266/कौशा0/18 दिनॉक 10.08.18, एच 24696/सी–2/ एनओसी–4264/कौशा0/ 18 दिनॉक 10.08.18, एच 24719/सी–2/ एनओसी–4262/इला0/18 दिनॉक 10.08.18, पत्र सं0 एच 24725/सी–2/ एनओसी–4265/इला0/18 दिनॉक 10.08.18, के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, महोदय, कौशाम्बी द्वारा स्थान, तिथि एवं समय का निर्धारण किया गया तथा प्रतिनिधि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी को नामित किया गया।

उक्त लोक सुनवाई की सूचना स्थानीय प्रचलित दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण) में दिनांक 19.08.2018 को प्रकाशित करवायी गयी। दिनांक 24.09.2018 को तहसील मंझनपुर, कौशाम्बी में पूर्व निर्धारित समयानुसार लोक सुनवाई की प्रकिया मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संचालित की गई, जिसमें श्री सतीश कुमार, उपजिलाधिकारी, मंझनपुर, कौशाम्बी, श्री राज रंजन कुमार, जिला खान अधिकारी एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद के श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, परियोजनाओं हेतु परामर्शी संस्था मेसर्स ई0एन0बी0 दास इण्डिया प्रा0लि0, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री बी0एम0 नेगी तथा जनसामान्य द्वरा प्रतिभाग किया गया। उपस्थिति का विवरण संलग्न है।

समाचार पत्रों में लोक सुनवाई के लिये आम सूचना प्रकाशित होने के उपरान्त निर्धारित तिथि एवं समय तक लोक सूचना में उल्लिखत किसी भी इंगित कार्यालय पर कोई आपत्ति, सुझाव, टीका–टिप्पणी आदि प्राप्त नहीं हुई। नियत तिथि को सुनवाई के दौरान आस–पास के ग्रामों के प्रधान एवं अन्य निवासीगण उपस्थित रहे। (उपस्थिति पंजिका संलग्न है)

लोक सुनवाई के प्रारम्भ में श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा अध्यक्ष महोदय, अन्य उपस्थित अधिकारियों एवं जन सामान्य

का स्वागत करते हुए परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की प्रकिया प्रारम्भ की गयी। अग्रेतर पट्टेधारकों के परामर्शदाता द्वारा विस्तार से परियोजनाओं के संबंध में पृथक–पृथक उपस्थित जन समूह को जानकारी दी गयी।

प्रस्तावित निम्न परियोजनाओं मे0 जय बजरंग ट्रेडर्स खण्ड नं0 11/5, खण्ड नं0 11/6 ग्राम–दिया उपरहार तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष), बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षांश 25°16'22.50" एन, से 25°16'22.44" एन, 25°15'39.35" एन, से 25°15'35.81" एन, एवं देशान्तर 81°27'53.94" ई, से 81°27'59.64" ई, 81°27'54.78" ई, से 81°27'48.36" ई, के मध्य स्थित है। मे0 भारत अर्थ मूवर्स गाटा सं0 15/45, एवं 15/46 ग्राम–महेवा तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0 क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष), बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षांश 25°23'38.82" एन, से 25°23'23.74" एन, 25°23'14.89" एन, से 25°23'27.06" एन, एवं देशान्तर 81°9'33.98" ई, से 81°9'42.93" ई, 81°9'32.56" ई, से 81°9'19.90" ई, के मध्य स्थित है। मे0 राजेश इण्टरप्राईजेज खण्ड सं0 15/43, एवं 15/44 ग्राम–महेवा तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0, क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष), बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षाश 25°23'23.81" एन, से 25°23'9.60" एन, 25°23'1.07" एन, से 25°23'14.03" एन, एवं देशान्तर 81°09'43.01" ई, से 81°09'58.67" ई, 81°9'49.20" ई, से 81°9'32.05" ई, के मध्य स्थित है। मे0 कुवर इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0 खण्ड सं0 16/20, एवं 16/22 ग्राम–जमुनापुर, तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0, क्षेत्रफल 36.28 हेक्टयर (7,28,000 घन मी0/वर्ष) बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षांश 25°25'44.33" एन, से 25°25'30.24" एन, 25°25'19.80" एन, से 25°25'33.67" एन, एवं देशान्तर 81°9'11.31" ई, से 81°9'35.52" ई, 81°9'28.68" ई, से 81°9'59.20" ई, के मध्य स्थित है एवं मे0 शेष नारायण कश्यपिया, गाटा सं0 105 (16/16), व 16/17 ग्राम–जमुनापुर, तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0 क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (4,80,000 घन मी0/वर्ष) बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षांश 25°24'59.45" एन, से 25°25'9.33" एन, 25°25'19.78" एन, से 25°25'7.22" एन, 25°25'15.57" एन 25°25'6.31" एन एवं देशान्तर 81°9'18.09" ई, से 81°9'53.68" ई, 81°9'56.60" ई, से 81°9'23.23" ई, 81°9'5.53" ई, से 81°9'1.27" ई के मध्य स्थित है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के गजट, दिनांक 14.09.2006, संशोधित दिसम्बर 2009 और अप्रैल 2011 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना को श्रेणी 'बी1' परियोजना में रखा गया है। 05 परियोजनाओं हेतु कुल स्वीकृत बालू/मौरम खनन मात्रा 22,88,000 घनमी0 प्रतिवर्ष का प्रस्ताव दिया गया है। खनन कार्य में सेमी मैकनाईज्ड मशीनों का प्रयोग किया जायेगा। खनन में कार्यरत कार्मिकों की संख्या, जनित जल/वायु, ध्वनि, फ्लोरा–फौना की गुणता पर पडने वाले अधिप्रभाव व नियंत्रण की जानकारी दी गयी। अधिप्रभावों के साथ–साथ ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार इत्यादि का उल्लेख किया गया। सभी पट्टधारको द्वारा पर्यावरणीय प्रबन्धन एवं क्षेत्रीय जनता को जल/स्वास्थ्य/शिक्षा इत्यादि की सुविधा प्रदान करने हेतु वार्षिक बजट निर्धारित किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ग्रामवासियों से खनन से होने वाले लाभ एवं हानि पर उनके समस्याओं एवं सुझावों के संदर्भ में जानकारी चाही गयी। सुनवाई के दौरान उपस्थित जनों ने उक्त परियोजना से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां एवं सुझाव व्यक्त किये:

1. <u>श्री राजेश प्रसाद निषाद–ग्राम महेवाघाट :–</u> इनके द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि बालू खनन परियोजना से कोई दिक्कत नहीं है। खनन के दौरान ट्रकों के आने–जाने से

कच्चे मार्ग होने के कारण उड़ने वाली धूल से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, फसलों को धूल का प्रभाव पड़ने से नुकसान होता है एवं स्थानीय ग्रामवासियों को आने–जाने में दिक्कते होती हैं। अगर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तो समस्या कम हो जायेगी एवं ट्रकों को कवर करके ले जाया जाए। प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि बालू खनन के दौरान धूल न उड़े इसके लिए जल का नियमित रूप से छिड़काव किया जायेगा, अधिक मात्रा में पौधों को रोपण किया जायेगा खनन शर्तों के अनुसार ही पानी का छिड़काव किया जायेगा एवं खनन के दौरान आने जाने वाले ट्रकों को कवर करके ले जाया जायेगा। गॉव के मध्य पड़ने वाले मार्गों से ट्रकों का आवामगन नहीं किया जायेगा। ट्रकों को गॉव के बाहर से रास्ते से ले जाया जायेगा, जिससे ग्रामवासियों को धूल की समस्या का सामना न करना पड़े, खनन परियोजना के दौरान प्रयोग में आने वाले ट्रकों में ओवर लोडिंग नहीं की जायेगी।

2. श्री संतोष कुमार बिन्द–ग्राम सिन्धिया, सिराथू :– इनके द्वारा खनन परियोजना के संबंध में प्रश्न किया गया कि खनन कार्य में नाव का प्रयोग तो नहीं किया जायेगा, क्योंकि नाव का प्रयोग होने से जलीय जीव–जन्तुओं को नुकसान पहुँच सकता है। प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि भारत सरकार की खनन नीति के निर्देशानुसार खनन का कार्य नाव से खनन कार्य नहीं कराया खनन का कार्य नदी के किनारे ही किया जायेगा। नदी की प्राकृतिक जल धारा से कोई छेड़छाड़ की जायेगी।

3. श्री असावर दीन–ग्राम महेवाघाट :– इनके द्वारा खनन परियोजना के संबंध में प्रश्न किया गया कि खनन परियोजना से तो सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी होती है पर जनता कर इसमें क्या विकास होगा। इस संबंध में जिला खनन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया खनन नीति के अनुसार पट्टेधारक द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्र में कुल प्रस्तावित परियोजना का 10 प्रतिशत सामाजिक कार्यों यथा स्कूल, प्राथमिक उपचार व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय, हैण्ड पम्प का निर्माण पर खर्च किया जायेगा।

4. श्री नौशाद–ग्राम दीया द्वारा प्रश्न किया गया कि खनन प्रकिया के दौरान नदी में जो गडढे हो जाते है उससे गाय, भेड, बकरी आदि जानवरों को नुकसान होता है। प्रस्तावित परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि खनन निति के अनुसार 3मी0 तक ही खनन का नियम है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि खनन इससे अधिक गहराई पर न हो।

5. श्री नथन लाल–ग्राम जमुनापुर इनके द्वारा प्रश्न किया गया कि बालू खनन कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के चलने से गॉव की कच्ची सड़कें टूट जाती है, सड़के न टूटे इसके लिए क्या जायेगा। इस संबंध में जिला खनन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया खनन नीति के अनुसार पट्टेधारक द्वारा खनन प्रभावित क्षेत्र में कुल प्रस्तावित परियोजना का 10 प्रतिशत जिला मिनरल कोष में किया जाता है उसी से सड़को के निर्माण एवं अन्य समाजिक कार्यों यथा स्कूल, प्राथमिक उपचार व्यवस्था, सामुदायिक शौचालय, हैण्ड पम्प का निर्माण पर खर्च किया जायेगा।

6. श्रीमती सीता देवी–ग्राम जमुनापुर इनके द्वारा प्रश्न किया गया कि बालू खनन में प्रयोग होने वाले घरो के पास के गुजरते हैं, जिससे जानवरों, के चोटिल होने की आशंका रहती है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनधि द्वारा अवगत कराया गया कि खनन से आसपास के वातादरण को नुकसान न हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा। घरों के नजदीक से गाड़ियों का आवागमन नहीं होगा। दिन में खनन कार्य नहीं किया जायेगा, वाहनों को रात्रि के समय ही ले जाया जायेगा। गॉव के मध्य से वाहन नहीं ले जाया जायेगा।

7. श्री निसार अहमद–ग्राम जमुनापुर इनके द्वारा प्रश्न किया गया कि खनन प्रकिया के दौरान रेत/मौस्म जो डम्पिंग की जायेगी वर्तमान में मेरे पास पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध है क्या मुझे डम्पिंग की परमीशन मिल सकती है। इस संबंध में खनन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सरकारी राजस्व में इसके लिए शुल्क जमा किया जाता है जमीन से सम्बन्धित सखरा, खतौनी जमा करने पर विचार किया जा सकता है।

परियोजना के संबंध में परामर्शी संस्था के प्रस्ताव एवं उपस्थित जनों के विचार सुनने के बाद परियोजना प्रस्तावक द्वारा समस्त प्रस्तावों एवं उपस्थित जनों की समस्याओं के निराकरण हेतु अपने स्तर से प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी। अंत में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमूह का धन्यवाद व्यक्ति किया गया एवं विचार व्यक्ति किया गया कि खनन प्रकिया से सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होती है उस धनराशि का 10 प्रतिशत गॉवों के विकास पर खर्च किया जाता है। खनन परियोजना में सभी का सहयोग अपेक्षित है। पट्टेधार द्वारा गॉव के विकास में सहायोग प्रदान किया जायेगा। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गयी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनों द्वारा दिये गये सुझाव एवं आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुये एवं रेत/मौरम खनन परियोजनाओं के संचालको से खनन के दौरान पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुये जल, वायु, ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था एवं आवश्यक कियान्वयन परियोजना प्रबन्धकों द्वारा कराया जायेगा।

परियोजना हेतु लोक सुनवाई की प्रकिया एवं कार्यवाही सुचारू रूप से सम्पन्न हुयी। अंत में यह विश्वास व्यक्त किया कि परियोजना से स्थानीय ग्रामवासियों का हित होगा।

अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही का समापन किया गया।

पर्यावरण स्वीकृति पर निर्णय लेते समय पर्यावरणीय हित में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना उचित होगा।

1. बालू खनन कार्य खनन परियोजना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये।
2. परियोजना स्थल पर यह ध्यान रखा जाये कि नदी जल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
3. अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल से 1मी0 ऊपर (जो भी कम हो) किया जायेगा।
4. परियोजना स्थल के समीप पेड़ों को काटने या जड़ से उखाड़ने न दिया जाये।
5. नदी में खनन हेतु आवागमन मार्ग के निर्माण के दौरान नदी के किनारे के वृक्षों/पेड़–पौधों/झाड़ियों को काटा न जाये।
6. नदी की सतह से खनन कार्य मानकों के अनुरूप किया जाये जिससे नदी के किनारों, पुल एवं आस–पास की इमारतों पर कोई प्रभाव न पड़े।
7. नदी से खनन की हुई रेत के परिवहन हेतु कम से कम रास्ते बनाये जाये जिससे आस–पास का वातावरण प्रभावित न हो।
8. नदी से रेत को ढोने हेतु रास्ते का सुदृढीकरण/पक्का मार्ग का निर्माण अन्य पट्टाधारकों के साथ मिलकर किया जाये जिससे परिवहन के दौरान प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो।

9. नदी की सतह से मानकों के अनुरूप ही रेत का खनन किया जायें। जिससे जगह–जगह पर गढ्ढे आदि न बनने पाये अन्यथा नदी में गन्दगी जमा होगी एवं वातावरण दूषित होगा।
10. खनन में कार्यरत श्रमिको हेतु शिविर नदी के किनारों पर न लगाया जाये। बालू/मौरम को उठाने और उसके संग्रहण का काम हाथो से एवं बिना किसी ब्लास्टिंग के किया जायेगा।
11. खनन कार्य में कार्यरत मजदूरों के लिए प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, उचित पेयजल, शौचायल प्रबन्ध, एवं सुरक्षा संसाधन का प्रबधन किया जाए।
12. खनन लोडिंग आदि प्रक्रियाओं से उड़ने वाली धूल हेतु पानी का छिड़काव किया जाये।
13. खनन की प्रक्रिया नदी के प्रवाह एवं भूमि की प्रवणता को ध्यान में रखते हुए किया जाये।
14. बालू ढोने में संलग्न वाहनों के आवागमन से जनित होने वाले परिवेशीय ध्वनि स्तर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने हेतु साइलेन्सर आदि का प्रयोग एवं समुचित रख–रखाव किया जायेगा।
15. खनन प्रकिया के दौरान प्रयुक्त सभी वाहन पी0यू0सी0 आधारित होंगे।
16. ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम तथा पर्यावरण संतुलन हेतु छायादार एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों का रोपण पट्टा धारक द्वारा किया जायेगा।
17. नदी के किनारे भू–क्षरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने हेतु परियोजना स्थल के समीप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. परियोजना हेतु दिये गये प्रस्तावों के अनुश्रवण हेतु उ0प्र0 प्रदूपण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र/सहमति प्राप्त की जाये।
19. बालू/मोरंग के परिवहन के रास्ते में पड़ने वाले स्कूल में पट्टा धारकों द्वारा वृक्षारोपण एवं पेय जल की व्यवस्था की जाये।
20. खनन कार्यों में माइनिंग लीज की शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
21. नदी के तल से 3 मीटर नीचे तक ही रेत का खनन किया जायेगा।
22. ठेकेदारों को खनन के समय खान अधिनियम, 1952 और खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का पालन करना होगा।
23. ठेकेदारों को खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों तथा अन्तरराज्यीय प्रवासी कार्यबल अधिनियम का पालन करना होगा। ठेकेदार सक्षम अधिकारी की संतुष्टि के साथ केन्द्रीय और राज्य सरकारों के श्रमिक कानूनों के अनुसार निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार, श्रमिकों हेतु विश्रामालय तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कूड़ेदान की व्यवस्था एवं प्रथमिक सुविधाऐं इत्यादि उपलब्ध करायेंगे।

28/09/18

(श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जनपद–इलाहाबाद

28/9/18

(श्री इन्द्र सेन सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी
जनपद–कौशाम्बी

7837

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी में कलस्टर में सैण्ड/मौरम खनन हेतु निम्न परियोजनाओं हेतु तहसील मुख्यालय में दिनॉक 24.09.2018 को लोक सुनवाई के दौरान प्रतिभागियों की उपस्थिति:

दिनांक 24.09.2018 समयः 11:00 पूर्वान्ह

1	2	3
1.	मे0 जय बजरंग ट्रेडर्स खण्ड नं0 11/5, खण्ड नं0 11/6 ग्राम–दिया उपरहार तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष)
2.	मे0 भारत अर्थ मूवर्स गाटा सं0 15/45, एवं 15/46 ग्राम–महेवा तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष)
3.	मे0 राजेश इण्टरप्राईजेज खण्ड सं0 15/43, एवं 15/44 ग्राम–महेवा तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष)
4.	मे0 कुवर इन्फाडेवलपर्स प्रा0लि0 खण्ड सं0 16/20, एवं 16/22 ग्राम–जमुनापुर, तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 36.28 हेक्टयर (7,28,000 घन मी0/वर्ष)
5.	मे0 शेष नारायण करवरिया, गाटा सं0 105 (16/16), व 16/17 ग्राम–जमुनापुर,तहसील–मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (4,80,000 घन मी0/वर्ष)

क0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	मुख्य विकास अधिकारी कौशाम्बी		
2.	उप जिलाधिकारी मंझनपुर		
3.	पर्यावरण प्रदूषण विज्ञानी एवं वैज्ञानिक अधिकारी	उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इलाहाबाद	24/9/18
4.	आदित्यकुमार	ग्राम महेवा घाट	आदित्यकुमार
5.	रज्जूलाल गुलाब	" महेवाघाट	रज्जूलाल
6.		महेवा	गुलाब
7.	प्रताप	महेवा	प्रताप
8.	दिनेश पटेल	महेवा	दिनेश पटेल
9.	विजय	महेवा	
10.	[illegible]	महेवा	
11.	कल्लूराम	महेवा घाट	कल्लूराम

7838

12.	मुन्ना	मेडवाघाट	मुन्ना
13.	लवकुश	मेडवाघाट	लवकुश
14.	योगेन्द्र	मेहवा खार	योगेन्द्र
15.	रमेशकुमार	डेहलली	रमेशकुमार
16.	ओमकारसिंह	ओमकारसिंह डेहवत	ओमकारसिंह
17.	दिनेश	डेहलली	दिनेश
18.	सोहन	डेहवत	सोहन
19.	उमेश रावत	डेहवत मेहवा	उमेश
20.	दिनेश	मेहवा	दिनेश
21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22.	लालजु	डेहवत	लालजु
23.	[illegible]	पटरी	[illegible]
24.	[illegible]	डेहवत	[illegible]
25.	सुखीचन्द	डेहवत	[illegible]
26.	नथ्थन लाल	जमुनापुर	नथ्थन लाल
27.	कैलाश	सन्धवीपुर	कैलाश
28.	अरविन्द कुमार	जमुनापुर	
29.	शिवगोविन्द कुमार	जमुनापुर	
30.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31.	Amaib Singh	मेहवा	

7839

32.	રાહુલ ભટ	મહેવા	રાહુલ ભટ
33.	નૌસાદ	દિયા	નૌસાદ
34.	બાલકૃષ્ણ	મહેવા	બાલકૃષ્ણ
35.	લક્ષ્મણ	મહેવા	લક્ષ્મણ
36.	[illegible]	રોનરહા પરિવાર	[illegible]
37.	ઘનશ્યામ	મહેવા	ઘનશ્યામ
38.	[illegible]	મહેવા	[illegible]
39.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40.	RERVE 2	Allad.	[illegible]
41.	રામકૃષ્ણ	મહેવા	રામકૃષ્ણ
42.	[illegible]	મહેવા	[illegible]
43.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49.	[illegible]		
50.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

7840

52.	Chandrashekhar maurya	Mohiuddinpur Bela Kaushambi.	Chmaurya
53.	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~	[illegible]
54.	विवेक कुमार तिवारी	महेवाघाट	विवेक कुमार तिवारी
55.	भानुप्रताप शुक्ला	महेवाघाट	भानुप्रताप शुक्ला
56.	आलोका सिंह	गोवरना	[illegible]
57.	महेन्द्र कुमार	कोशाम्बी	महेन्द्र कुमार
58.	राघवेन्द्र	कोशाम्बी	राघवेन्द्र
59.	राकेश कुमार	अर्दली	राकेश कुमार
60.	सुमित सिंह	चायल	सुमित सिंह
61.	सर्वेश कुमार तिवारी	सिविल लाइन बरारी सिराथू कौशाम्बी	सर्वेश कुमार तिवारी
62.	सन्तोष कुमार	हुकुनगंज मूरतगंज चायलकौ०	[illegible]
63.	[illegible]	मवई-मवई कौशाम्बी	[illegible]
64.	रामराज	महेवाघाट	रामराज
65.	रामनरेश	महेवाघाट	रामनरेश
66.	अगम द्विवेदी	गेस्ट हाउस सिराथू कौशाम्बी	अगम
67.	NISAR Ahmed	Accounts	[illegible]
68.	हनुमान प्रसाद	महेवाघाट	हनु
69.	रामनयन	महेवाघाट	रामनयन
70.	रामलेखा	महेवाघाट	रामलेखा
71.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

72.	नाम अमलाश	नौवस्ता मैरमगी	अमलाश
73.	रमेश चन्द्र तिवारी	महेवाघाट	
74.	रामआशीर्वाद मिश्र	उमरावाँ	रामआशीर्वाद
75.	नर्वदा मौर्य	[illegible]	
76.	राजकुमार मौर्य		
77.	दीपक कुमार यादव	[illegible]	
78.	Rajesh Kattak	Allahabad	
79.	ANOOP Kumar	महमूदपुर मनौरी	
80.	Manoj Kumar	महमूदपुर मनौरी	
81.	Pankaj Kumar	महमूदपुर मनौरी	पंकज कुमार
82.	Pankaj Kumar	महमूदपुर मनौरी	पंकज कुमार
83.	K Sandeep Singh	Shahpur Manjhanpur.	
84.	Devendra Pratap Singh	Mahaw Kaushambi	
85.	शिवप्रसाद	नौवस्ता कौशम्बी	शिवप्रसाद
86.	राजेन्द्र प्रसाद	नौवस्ता कौशम्बी	राजेन्द्र प्रसाद
87.	रामधारी सिंह	नौवस्ता	
88.	राजेन्द्र सिंह	नौवस्ता कौशाम्बी	राजेन्द्र सिंह
89.	मईयालाल	महेवाघाट कौशाम्बी	मईयालाल
90.	देवेन्द्र सिंह	नौवस्ता	देवेन्द्र सिंह
91.	लालमुनि सिंह	नौवस्ता	लालमुनि सिंह

7842

92.	B. M. S. Negi	Indira Nagar, LUCKNOW ENVIRAS (India) Pvt. Ltd. Lucknow	
93.	Rishabh Verma	" "	Rishabh
94.			
95.			
96.			
97.			
98.			
99.			
100.			
101.			
102.			
103.			
104.			
105.			
106.			
107.			
108.			
109.			
110.			
111.			

...प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन ग्रामवा...

...तहसील मुख्यालय, बाबत पर तालिका के कॉलम 4 में ...कार्यवाही निर्धारित की गयी है। अतः उपरोक्त कार्यालयों में ...रूप से अथवा लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अपनी ...

...2018 दिनांक- 19.06.2018 क्षेत्रीय अधिकारी

...ल, इलाहाबाद

...न/18-19 दिनांक : 14.08.2018

...निर्धारित ई-नीलामी कार्यक्रम

...-2018 के लिए झांसी, आगरा, इलाहाबाद, ...ख्य स्क्रैप का विक्रय उप मुख्य सामग्री ...ामी के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा। ...एस.आदि) से सम्बन्धित स्क्रैप मदों (पी.वे. व ...मुख्य सामग्री प्रबन्धक/जीडब्लडी/कानपुर द्वारा ...क्रैप मदों का विक्रय व.म.सा.प्रबं./इलाहाबाद ...येगा।

...ट आइरन स्क्रैप, कन्डम रोलिंग स्टाक, नॉन ...ग और बोरिंग, कन्डम आयल/पैट्रल ड्रम्स, ...केल्स, कन्डम आफिस इक्विपमेंटस, फाउन्ड्री ...आई टैक्स, ट्रेन लाइटिंग पंखों का रिसीव्ड ...ाइप व्हील, फाउन्ड्री स्क्रैप वर्कशाप एण्ड एस.

...रित ई-नीलामी कार्यक्रम का विवरण

...ीसी द्वारा प्रस्तावित ई-नीलामी कार्यक्रम	
...ी के प्रकार	नीलामी के आयोजक
...नीलामी	उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक/ एस.डी./उ.म.रे./झांसी (www.ireps.gov.in वेबसाइट द्वारा)

...कानपुर द्वारा प्रस्तावित ई-नीलामी कार्यक्रम	
...नीलामी	उप मुख्य सामग्री प्रबन्धक/ जी. एस.डी./उ.म.रे./कानपुर (www.ireps.gov.in वेबसाइट द्वारा)

...ा प्रस्तावित ई-नीलामी कार्यक्रम	
...ीलामी	वरिष्ठ मण्डल सामग्री प्रबन्धक/ इलाहाबाद (www.ireps.gov.in वेबसाइट द्वारा)

...यों की नीलामियाँ ई-नीलामी के माध्यम से ...न्न की जायेंगी। यदि उसी दिन निर्धारित ...लामी अगले दिन भी जारी रहेगी। 2. ई- ...र, उन्हें डिपो द्वारा अगले ई-नीलामी में ...ावर स्क्रैप किये गये सामग्रियों के लाटों का ...मित स्थान पर कर सकते हैं। 4. यदि बिडी ...धिक है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को बिडी ...। 5. नीलामी से सम्बन्धित और अधिक ...गई मदों की अन्तिम बिडी दर तथा अन्य ...w.ncr.indianrailways.gov.in पर ...थक जानकारी www.ireps.gov.in

...मुख्य मुख्य सामग्री प्रबन्धक

...निधि के भुगतान हेतु कृपया कम्पनी के पंजीकृत तथा ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करें: ...कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., यूनिट: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम वेंचर्स लिमिटेड, प्लॉट 31-32, गचीबावली, प्रदर्शनिका विशेष, जेडब्लूटीसी, हैदराबाद-500032, ...फोन: +91-40-6716 2222; फैक्स: +91-40-2300 1153; टोल फ्री नं.: 1800-4258-998, ई-मेल: einward.ris@karvy.com, वेबसाइट: www.karvy.com.

कृते हिन्दुस्तान पेट्रोलियम वेंचर्स लिमिटेड

तिथि: 18 अगस्त, 2018
स्थान: नई दिल्ली

कम्पनी सचिव

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फोन-0532- 2569727

अवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या 3, झूंसी, इलाहाबाद-221506

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-कौशाम्बी में सैण्ड/मौरम खनन परियोजनाओं हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अथॉरिटी उ0प्र0 के यहां आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	परियोजना	परियोजना स्थल	लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित तिथि
1	2	3	4
1	मे0 जय बजरंग ट्रेडर्स खण्ड नं0 11/5, खण्ड नं0 11/6 ग्राम-दिया उपरहार तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी। उ0प्र0	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष) खण्ड नं0 11/5, खण्ड नं0 11/6 ग्राम-दिया उपरहार तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0	दिनांक 24.09.18 पूर्वान्ह11:00 बजे।
2	मे0 भारत अर्थ मूवर्स गाटा सं0 15/45, एवं 15/46 ग्राम-महेवा, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष) गाटा सं0 15/45 एवं 15/46ग्राम-महेवा, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0	दिनांक 24.09.18 पूर्वान्ह11:00 बजे।
3	मे0 राजेश इण्टरप्राईजेज खण्ड सं0 15/43 एवं 15/44 ग्राम-महेवा तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर (3,60,000 घन मी0/वर्ष) खण्ड नं0 15/43 एवं 15/44 ग्राम-महेवा, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0	दिनांक 24.09.18 पूर्वान्ह11:00 बजे।
4	मे0 कुंवर इन्फ्राडेकान्सं प्राइलि0 खण्ड सं0 16/20 एवं 16/22 ग्राम-जमुनापुर, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 36.28 हेक्टेयर (7,28,000 घन मी0/वर्ष) 16/20, एवं 16/22, ग्राम-जमुनापुर, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	दिनांक 24.09.18 पूर्वान्ह11:00 बजे।
5	मे0 शेष नारायण बरसरिया, गाटा सं0 105 (16/16) व 16/17 ग्राम-जमुनापुर, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर (4,80,000 घन मी0/वर्ष) 105 (16/16) एवं 16/17 ग्राम-जमुनापुर, तहसील-मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0।	दिनांक 24.09.18 पूर्वान्ह11:00 बजे।

प्रस्ताव पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या- एस0ओ0-1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित एस0ओ0-3067 (ई) दिनांक 01.12.2019 तथा संशोधित एस0ओ0-2269 (अ) दिनांक 01.07.2016 के अन्तर्गत लोक सुनवाई की जानी है। लोक सुनवाई की सूचना के लिए 30 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक है जिससे जनसाधारण से आपत्तियों/सुझाव इत्यादि आमंत्रित किये जा सके। उक्त परियोजना के प्रस्ताव से संबंधित अभिलेख निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध है:-

1. कार्यालय जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
2. सहायक श्रमायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, कौशाम्बी।
3. कार्यालय जिला पंचायत, कौशाम्बी।
4. जिला खनन विभाग, कौशाम्बी।
5. क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झूंसी, इलाहाबाद।
7. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण भवन गोमती नगर, लखनऊ।

उक्त परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये तहसील मुख्यालय मंझनपुर पर तालिका के कालम 4 में अंकित तिथि एवं समय पर लोक सुनवाई की कार्यवाही निर्धारित की गयी है। अतः उपरोक्त कार्यालयों में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर लिखित रूप से अथवा लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अपनी आपत्तियों/सुझाव/विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।

संदर्भ सं0 G00862/ लोक सुनवाई/कौशाम्बी 2018 दिनांक- 18.06.2018

क्षेत्रीय अधिकारी

दूरभाष / Ph. : 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, इलाहाबाद – 221506
Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Allahabad

7844

375

9413/2
12.10.18

संदर्भ सं0 G.0.1057/ओ0सु0वा0ई0/18 दिनांक 10/10/18

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

12-10-18
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

विषयः मेसर्स सॉई कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स, खण्ड सं0–14/15 एवं 14/6, (क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर) (4,85,000 घन मी0 बालू /वर्ष) ग्राम–डेढ़ावल, तहसील मंझनपुर जनपद–कौशाम्बी, उ0प्र0 में सम्पन्न हुयी लोक सुनवाई की कार्यवृत्त के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 एच 25502/सी–2/अनापत्ति–4311/इला0/2018 दिनॉक 30.08.18 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के अनुपालन में जिलाधिकारी कौशाम्बी, द्वारा निर्धारित तिथि, समय एवं स्थल पर अपर जिलाधिकारी, कौशाम्बी की अध्यक्षता में दिनांक 08.10.18 को मेसर्स सॉई कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स, खण्ड सं0–14/15 एवं 14/6, (क्षेत्रफल 24.28 हेक्टेयर) (4,85,000 घन मी0 बालू/वर्ष) ग्राम–डेढ़ावल, तहसील मंझनपुर जनपद–कौशाम्बी, उ0प्र0 में लोक सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न करा दी गई है। लोक सुनवाई की कार्यवाही का पूर्ण विवरण (हार्ड कॉपी) उपस्थिति पंजिका एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की छाया प्रतियॉ अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। सॉफ्टकॉपी पूर्व में मुख्यालय प्रेषित की जा चुकी हैं।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(एस0के0 मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

E:\Sunil Kumar - PA\AE\ Letter Pad/public hearing

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना (पताका–च) संख्या–एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 यथा संशोधित एस0ओ0–2269 (अ) दिनॉक 01.07.2016 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु मेसर्स सॉई कस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स, खण्ड सं0 14/5 एवं 14/6, ग्राम डेढ़ावल, तहसील मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0, क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (4,85,000 घन मी0/वर्ष) हेतु तहसील मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी में सम्पन्न हुयी लोक सुनवाई का कार्यवृत्त:–

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना (पताका–च) संख्या–एस0ओ0 1533 दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित एस0ओ0–3067 (ई) दिनॉक 01.12.2009 यथा संशोधित एस0ओ0–2269 (अ) दिनॉक 01.07.2016 के प्राविधानों के तहत प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार से पूर्व लोक सुनवाई कराया जाना प्राविधानित है। लोक सुनवाई की प्रकिया ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 के अनुरूप (संशोधित दिसम्बर 2009 एवं अप्रैल 2011) के अनुसार करायी जानी होती है। उक्त परियोजना हेतु लोक सुनवाई के संबंध में जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी को प्रेषित सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक–एच 25502/सी–2/एनओसी–4311/इला0/2018 दिनॉक 30.08.18 के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, महोदय, कौशाम्बी द्वारा स्थान, तिथि एवं समय का निर्धारण किया गया तथा प्रतिनिधि के रूप में अपर जिला अधिकारी, कौशाम्बी को नामित किया गया।

उक्त लोक सुनवाई की सूचना स्थानीय प्रचलित दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दुस्तान टाईम्स एवं अमर उजाला) में दिनांक 08.09.2018 को प्रकाशित करवायी गयी। दिनांक 08.10.2018 को तहसील मंझनपुर, कौशाम्बी में पूर्व निर्धारित समयानुसार लोक सुनवाई की प्रकिया अपर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में संचालित की गई, जिसमें उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद के श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, श्री महेन्द्र सिंह, अवर अभियंता परियोजना हेतु परामर्शी संस्था मेसर्स ई0एन0वी0 दास इण्डिया प्रा0लि0, लखनऊ के प्रतिनिधि श्री अतुलेश तथा जनसामान्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। उपस्थिति का विवरण संलग्न है।

समाचार पत्रों में लोक सुनवाई के लिये आम सूचना प्रकाशित होने के उपरान्त निर्धारित तिथि एवं समय तक लोक सूचना में उल्लेखित किसी भी इंगित कार्यालय पर आपत्ति/सुझाव/टीका–टिप्पणी आदि प्राप्त नहीं हुई। नियत तिथि को सुनवाई के दौरान आस–पास के ग्रामों के निवासीगण उपस्थित रहे। (उपस्थिति पंजिका संलग्न है)

लोक सुनवाई के प्रारम्भ में श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा अध्यक्ष महोदय, अन्य उपस्थित अधिकारियों एवं जन सामान्य का स्वागत करते हुए परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की प्रकिया प्रारम्भ की गयी। अग्रेतर पट्टेधारक के परामर्शदाता द्वारा विस्तार से परियोजना के संबंध में उपस्थित जन समूह को जानकारी दी गयी।

प्रस्तावित परियोजना मेसर्स सॉई कस्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स, खण्ड सं0 14/5 एवं 14/6, ग्राम डेढ़ावल, तहसील मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0, क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर (4,85,000 घन मी0/वर्ष) .बालू खनन पट्टे के लीज के क्षेत्रफल का अक्षांश 25°19'993" एन, से 25°20'012" एन, 25°19'603" एन, से 25°19'5000" एन, एवं देशान्तर 81°16'221" ई, से 81°16'344" ई, 81°16'568" ई, से 81°16'296" ई, के मध्य स्थित है। उक्त खनन परियोजना हेतु कुल स्वीकृत बालू/मौरम खनन मात्रा 4,85,000 घन मी0 प्रतिवर्ष का प्रस्ताव दिया गया है। खनन कार्य में मशीनों का प्रयोग न कर खनन कार्य मैन्युअल पद्धति से किया जायेगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के

गजट, दिनांक 14.09.2006, संशोधित दिसम्बर 2009 और अप्रैल 2011 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना को श्रेणी 'बी1' परियोजना में रखा गया है। खनन कार्य में सेमी मैकनाईज्ड मशीनों का प्रयोग किया जायेगा। खनन में कार्यरत कार्मिकों की संख्या, जनित जल/वायु, ध्वनि, फ्लोरा-फौना की गुणता पर पड़ने वाले अधिप्रभाव व नियंत्रण की जानकारी दी गयी। अधिप्रभावों के साथ-साथ ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार इत्यादि का उल्लेख किया गया। पट्टधारक द्वारा पर्यावरणीय प्रबन्धन एवं क्षेत्रीय जनता को जल/स्वास्थ्य/शिक्षा इत्यादि की सुविधा प्रदान करने हेतु वार्षिक बजट निर्धारित किया गया है।

अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्रामवासियों से खनन से होने वाले लाभ एवं हानि पर उनके समस्याओं एवं सुझावों के संदर्भ में जानकारी चाही गयी। सुनवाई के दौरान उपस्थित जनों ने उक्त परियोजना से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां एवं सुझाव लिखित एवं मौखिक रूप से व्यक्त किये:

1. श्री योगी द्विवेदी-निवासी भगवतपुर :- द्वारा यह प्रश्न किया गया कि खनन के दौरान आन जाने वाले ट्रकों पर ओवर लोडिंग होने से से कच्चे मार्ग टूट जाती है, खासकर भगवतपुर से अढ़ावल लगभग 5 किमी० की दूरी का रास्ता बहुत खराब है, इसका रखरखाव किस प्रकार किया जायेगा। वाहनों के आने जाने से काफी मात्रा में धूल उड़ती है, जिससे स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानी होती है। आसपास के पशुओं को नुकसान पहुँचता है। इस संबंध में खनन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित परियोजना के के पट्टेधारक को निर्देशित किया गया कि धूल न उड़े इसके लिए जल का नियमित रूप से छिड़काव किया जाये, खनन के दौरान आने जाने वाले ट्रकों को कवर करके ले जाया जायेगा। गॉव के मध्य पड़ने वाले मार्गों से ट्रकों का आवागमन नहीं किया जायेगा। ट्रकों को गॉव के बाहर से रास्ते से ले जाया जायेगा, जिससे ग्रामवासियों को धूल की समस्या का सामना न करना पड़े, खनन परियोजना के दौरान प्रयोग में आने वाले ट्रकों में ओवर लोडिंग नहीं की जायेगी, जिला मिनरल फण्ड में एकत्रित राशि का उपयोग स्थानीय प्रशासन द्वारा परामर्श के पश्चात सड़क का निर्माण कराया जायेगा।
2. श्री रमेश कुमार-ग्राम अढ़ावल :- इनके द्वारा प्रश्न किया गया कि बालू खनन में प्रयोग होने वाले घरो के पास के गुजरते हैं, जिससे जानवरों के चोटिल होने की आशंका रहती है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि खनन से आसपास के वातावरण को नुकसान न हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा। घरों के नजदीक से गाड़ियों का आवागमन नहीं होगा। मात्र दिन में ही खनन कार्य किया जायेगा एवं गॉव के मध्य से वाहन नहीं ले जाया जायेगा।
3. श्री अमित पाल-ग्राम डेढ़ावल :- इनके द्वारा प्रश्न किया गया कि बालू खनन में प्रयोग होने वाले घरो के पास के गुजरते हैं, जिससे फसलों को नुकसान होता है नुकसान होने पर उचित मुआवजा दिया जाए। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि खनन से आसपास के वातावरण को नुकसान न हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा। घरों के नजदीक से गाड़ियों का आवागमन नहीं होगा एवं धूल की समस्या न हो इसके लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा।
4. श्री राजीव कुमार पाल-ग्राम डेढ़ावल :- इनके द्वारा खनन परियोजना के संबंध में विचार व्यक्त किया गया कि परियोजना शीघ्र प्रारम्भ होनी चाहिए जिससे स्थानीय ग्रामीण को रोजगार मिले, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।
5. श्री राजीव कुमार पाल-ग्राम डेढ़ावल :- इनके द्वारा खनन परियोजना के संबंध में विचार व्यक्त किया गया कि परियोजना शीघ्र प्रारम्भ होनी चाहिए जिससे स्थानीय ग्रामीण को रोजगार मिले, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

6. श्री सीता देवी ग्राम डेढ़ागल :– इनके द्वारा प्रश्न किया गया कि बालू खनन में प्रयोग होने वाले घरे के पास के गुजरते हैं, जिससे जानवरों के चोटिल होने की आशंका रहती है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि खनन से आसपास के वातावरण को नुकसान न हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा। घरों के नजदीक से गाड़ियों का आवागमन नहीं होगा। मात्र दिन में ही खनन का कार्य किया जायेगा एवं गॉव के मध्य से वाहन नहीं ले जाया जायेगा।

परियोजना के संबंध में परामर्शी संस्था के प्रस्ताव एवं उपस्थित जनों के विचार सुनने के बाद परियोजना प्रस्तावक द्वारा समस्त प्रस्तावों एवं उपस्थित जनों की समस्याओं के निराकरण हेतु अपने स्तर से प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी। अंत में अपर जिला अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमूह का धन्यवाद व्यक्त किया गया एवं विचार व्यक्त किया गया कि खनन प्रक्रिया से सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होती है उस धनराशि का 10 प्रतिशत गॉवों के विकास पर खर्च किया जाता है। खनन परियोजना में सभी का सहयोग अपेक्षित है। पट्टेधार द्वारा गॉव के विकास में सहयोग प्रदान किया जायेगा। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इलाहाबाद के प्रतिनिधि द्वारा परियोजना प्रस्तावक को अवगत कराया गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनों द्वारा दिये गये सुझाव, लिखित एवं मौखिक आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुये एवं रेत/गौरम खनन परियोजना के संचालक से खनन के दौरान पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुये जल, वायु, ध्वनि एवं मृदा प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था एवं आवश्यक क्रियान्वयन परियोजना प्रबन्धक द्वारा कराया जायेगा।

परियोजना हेतु लोक सुनवाई की प्रक्रिया एवं कार्यवाही सुचारू रूप से सम्पन्न हुयी। अंत में यह विश्वास व्यक्त किया कि परियोजना से स्थानीय ग्रामवासियों का हित होगा।

अंत में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही का समापन किया गया।

पर्यावरण स्वीकृति पर निर्णय लेते समय पर्यावरणीय हित में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना उचित होगा।

1. बालू खनन कार्य खनन परियोजना में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये।
2. परियोजना स्थल पर यह ध्यान रखा जाये कि नदी जल की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
3. अधिकतम खनन की गहराई 3.0 मीटर अथवा भू–जल से 1मी0 ऊपर (जो भी कम हो) किया जायेगा।
4. परियोजना स्थल के समीप पेड़ों को काटने या जड़ से उखाड़ने न दिया जाये।
5. नदी में खनन हेतु आवागमन मार्ग के निर्माण के दौरान नदी के किनारे के वृक्षों/पेड़–पौधों/झाड़ियों को काटा न जाये।
6. नदी की सतह से खनन कार्य मानकों के अनुरूप किया जाये जिससे नदी के किनारों, पुल एवं आस–पास की इमारतों पर कोई प्रभाव न पड़े।
7. नदी से खनन की हुई रेत के परिवहन हेतु कम से कम रास्ते बनाये जाये जिससे आस–पास का वातावरण प्रभावित न हो।
8. नदी से रेत को ढोने हेतु रास्ते का सुदृढीकरण/पक्का मार्ग का निर्माण अन्य पट्टाधारकों के साथ मिलकर किया जाये जिससे परिवहन के दौरान प्रदूषण की समस्या उत्पन्न न हो।

9. नदी की सतह से मानकों के अनुरूप ही रेत का खनन किया जायें। जिससे जगह–जगह पर गड्ढे आदि न बनने पाये अन्यथा नदी में गन्दगी जमा होगी एवं वातावरण दूषित होगा।
10. खनन में कार्यरत श्रमिको हेतु शिविर नदी के किनारें पर न लगाया जाये। बालू/मौरम को उठाने और उसके संग्रहण का काम हाथो से एवं बिना किसी ब्लास्टिंग के किया जायेगा।
11. खनन कार्य में कार्यरत मजदूरों के लिए प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, उचित पेयजल, शौचायल प्रबन्ध, एवं सुरक्षा संसाधन का प्रबंधन किया जाए।
12. खनन लोडिंग आदि प्रक्रियाओं से उड़ने वाली धूल हेतु पानी का छिड़काव किया जाये।
13. खनन की प्रक्रिया नदी के प्रवाह एवं भूमि की प्रवणता को ध्यान में रखते हुए किया जाये।
14. बालू ढोने में संलग्न वाहनों के आवागमन से जनित होने वाले परिवेशीय ध्वनि स्तर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने हेतु साइलेन्सर आदि का प्रयोग एवं समुचित रख–रखाव किया जायेगा।
15. खनन प्रकिया के दौरान प्रयुक्त सभी वाहन पी0यू0सी0 आधारित होंगे।
16. ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम तथा पर्यावरण संतुलन हेतु छायादार एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों का रोपण पट्टा धारक द्वारा किया जायेगा।
17. नदी के किनारे भू–क्षरण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने हेतु परियोजना स्थल के समीप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. परियोजना हेतु दिये गये प्रस्तावों के अनुपालन हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण–पत्र/सहमति प्राप्त की जाये।
19. बालू/मोरंग के परिवहन के रास्ते में पड़ने वाले स्कूल में पट्टा धारकों द्वारा वृक्षारोपण एवं पेय जल की व्यवस्था की जाये।
20. खनन कार्यों में माइनिंग लीज की शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
21. ठेकेदारों को खनन के समय खान अधिनियम, 1952 और खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का पालन करना होगा।
22. ठेकेदारों को खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों तथा अन्तरराज्यीय प्रवासी कार्यबल अधिनियम का पालन करना होगा। ठेकेदार सक्षम अधिकारी की संतुष्टि के साथ केन्द्रीय और राज्य सरकारों के श्रमिक कानूनों के अनुसार निकटवर्ती ग्रामवासियों को रोजगार, श्रमिकों हेतु विश्रामालय तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कूड़ेदान की व्यवस्था एवं प्राथमिक सुविधाएँ इत्यादि उपलब्ध करायेंगे।

9.10.18

(प्रदीप कुमार विश्वकर्मा)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जनपद–इलाहाबाद

9.10.18

(सकेश कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी
जनपद–कौशाम्बी

7849

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533 दिनांक 14.09.2006 यथासंशोधित एस0ओ0–3067 (इ) दिनॉक 01.12.2009 के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी में साधारण बालू/मौरम खनन परियोजना हेतु मेसर्स साई कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स, खण्ड सं0 14/5 एवं 14/6, ग्राम डेढ़ावल, तहसील मंझनपुर, जिला कौशाम्बी, उ0प्र0 (क्षेत्रफल 24.28 हेक्टयर) (4,85,000 घन मी0/वर्ष) में दिनॉक 08.10.18 के दौरान प्रतिभागियों की उपस्थिति–

दिनांक 08.10.2018 समय: 11:00 पूर्वान्ह

क0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	राकेश कुमार श्रीवास्तव	अपर जिलाधिकारी कौशाम्बी	
2.	प्रदीप कुमार विश्वकर्मा	उप0 वैज्ञानिक अधिकारी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इलाहाबाद	08/10/18
3.	अतुलेश, पराशर	D-2247, इंदिरा नगर, लखनऊ, दास इंडिया प्रा० लि०	
4.	लक्ष्मण, पराशर	〃 〃	
5.	Harbir Singh	Gram Amar Das Aveka Pur	
6.	Sonu Singh	Dedhawal Katri Kaushambi	
7.	दिलीप कुमार	डेढावल	दिलीप
8.	Amit Kumar Pal	Dedhawal Katri Kaushambi	
9.	Rajur Kumar Pal	Dedhawal Katri Ka	
10.	[illegible]	डेढावल	
11.	[illegible]	डेढावल	
12.	पंकज	डेढावल	
13.	उमाकांत द्विवेदी	कटरी	
14.	रामदुलारे	कटरी	रामदुलारे
15.	रामबाबू तिवारी	कटरी	रामबाबू तिवारी
16.	राकेश तिवारी	कटरी	राकेश तिवारी

7850

17.	राजू पाण्डेय	कटरी	राजू पाण्डेय
18.	उमेश पाण्डेय	कटरी	उमेश पाण्डेय
19.	सुनीलकुमार	कटरी	सुनीलकुमार
20.	अशोककुमार	कटरी	अशोककुमार
21.	पिन्टू तिवारी	चालीपुर कटरी	पिन्टू तिवारी
22.	टिंकू कसरवानी	मंझनपुर	टिंकू कसरवानी
23.	जाकिर रजा	कालिकपुर (कटरी)	जाकिर रजा
24.	रघुराज	ओखा कटरी	रघुराज
25.			
26.	रामचन्द्र	मंझनपुर	
27.	Rajkumar	जगतपुर	Rajkumar
28.	मुकेश सिंह	गनेशपुर	मुकेश सिंह
29.	कमाल हुसैन	गनेशपुर	कमाल हुसैन
30.	समद अली	गनेशपुर	समद अली
31.	दस्सू	गनेशपुर	दस्सू
32.	रामबहोरे	गनेशपुर	रामबहोरी
33.	लालमिया	गनेशपुर	लालमिया
34.	नरेश	गनेशपुर	नरेश
35.	लवकुश	गनेशपुर	लवकुश
36	मुन्नालाल	अबुल पटी	मुन्नालाल

7851

37.	सीमादेवी	धरावत	
38.	रत्नावती	धरावत	
39.	अनुसूया	धरावत	
40.	पारवती	धरावत	
41.	मोमकला	धरावत	
42.	सीमादेवी	धरावत	
43.	सुणालचन्द्र	उठावत	
44.	चौरसिया	कटरीघाट	
45.	रमेशकुमार	डेहवल	
46.	दिनेश	डेहवल	
47.	~~विनय~~ ~~विशाल कुमार चतुर्वेदी~~	फूटरी महेषा घाट	
48.	कमलाकर सिंह	थाहरा	
49.	पप्पू मिश्रा	कटरी	
50.	राजीव कुमार द्विवेदी	कटरी	
51.	महेन्द्र सिंह	जिला मजिस्ट्रेट, 98 मं० सड़क्स जिलाधीश कोर्ट, बलरामपुर।	
52.	Sunil Kumar	P.A. upDm. Bly	08/10/2018
53.			
54.			
55.			
56.			

सेवा में,
अध्यक्ष/ समस्त-सदस्यगण ,
जन सुनवाई समिति पर्यावरण विभाग लखनऊ (उ0प्र0)

महोदय,

हम प्रार्थीगण ग्राम डेढावल तहसील मंझनपुर जनपद कौशाम्बी के मूल निवासी है हम लोगो के दरवाजे से बालू का परिवाहन पट्टेधारको द्वारा किया जाता है जो कि हम लोगो के बीच बस्ती से परिवाहन किया जाता है इसके पूर्व कईबार पट्टेधारको के द्वारा हम लोगो के घर के नजदीक से कच्चा रास्ता बनाकर बालू परिवाहन करते है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और हम लोगो के खाने पीने में धूल भर जाता है उसी जगह छोटे 2 बच्चे खेलते रहते है जिससे कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है ।

अतःमाननीय महोदय जी से निवेदन है कि पर्यावरण के नियमानुसार हमारे दरवाजे व बस्ती से बालू परिवाहन न किया जाये बस्ती से कम सेकम 100 मीटर दूरी से रास्ता बनाया जाये क्योंकि पता चला है कि 14/5 14/6 के पट्टेधारक की रास्ता भी प्रस्तावित है ।

दिनांकः-

मो0न0 9517819519

हम प्रार्थीगण

ग्राम डेढावल परगना अरखन
तहसील मंझनपुर जनपद कौशाम्बी

7854

...ber of juveniles being tried as adults in Gurugram ...

GURUGRAM: The number of juvenile offenders ... tried as adults has increased three-fold in Gurugram since 2016, the year ... trials ... the number of ... juveniles ... two-year ... 2018.

Crimes by juveniles came under the spotlight last year after an eight-year-old student, a second-grader, was found dead in the toilet of a Gurugram private school ... [illegible]

[illegible] ... tried as adults ... [illegible]

[illegible] ... and are physically capable ... understanding ... of the crime ... [illegible] ... involved in murder, rape, and robbery."

POACHERS GET THREE-YEAR JAIL FOR KILLING HIMALAYAN TAHR

[illegible] ... due to hunting and habitat ... [illegible]

फोन-0532-2609727

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

[illegible]

हिन्दुस्तान टा.

लखनऊ

दि. 8/9/1

True Copy